(केवल कार्यालय उपयोग हेतु)

सत्यमेव जयते

पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन

(Compendium of Instructions)

राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

2015

आमुख

भारत के संविधान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण के अधीन है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 व राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 में वर्णित है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के संचालन हेतु विभिन्न निर्वाचनों के समय निर्देश/आदेश जारी किये जाते रहे है, जिनमें कुछ आदेश/निर्देश स्थायी प्रकृति के है, जो पंचायती राज संस्थाओं के आगामी निर्वाचनों में भी यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू रहेंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस पुस्तिका में चुनाव प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देशों को संकलित किया गया है। पंचायती राज अधिनियम व निर्वाचन नियमों में हुए संशोधनों के अनुरूप मतदाताओं को नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध कराने एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता व घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होने की नई अर्हताओं से संबंधित निर्देश भी इसमें शामिल किये गये है। आशा है यह पुस्तिका चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों के लिए उपयोगी होगी।

दिनांक : 29 दिसम्बर 2014

स्थान : जयपुर

(रामलुभाया)
आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव
महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन
विषय – सूची

क्र. सं.	पत्रांक / दिनांक	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4
1.	प.4(3)(1)रानिआ / 94 / 255 दिनांक 20.8.94	जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायतें) को पदाभिहित करने बाबत् आदेश ।	1
2.	:एफ.4(3)(1)पंचा / रानिआ / 14 / 2147 जयपुर, दिनांकः 29.04.2014	पंचायत समितियों के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को पदाभिहित करने बाबत् आदेश।	2
3.	प.4(3)(1)पंचा / रानिआ / 14 / 3396 दिनांक 21.8.14	जिला दौसा व जोधपुर की पं.स. के लिए सहा. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को पदाभिहित करने बाबत् आदेश।	8
4.	प.4(3)(1)पंचा / रानिआ / 14 / 4170 दिनांक 22.9.14	जिला भरतपुर की पं.स. रूपवास के लिए सहा. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को पदाभिहित करने बाबत् आदेश।	9
5.	एफ.4(3)(1)पंचा / रानिआ / 14 / 8216 जयपुर, दिनांकः 18.11.2014	पंचायत समितियों के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण / सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को पदाभिहित करने बाबत् आदेश।	10
6.	प.4(3)(1)पंचा / रानिआ / 14 / 8706 दिनांक 20.11.14	झालावाड़ एवं नागौर जिले की पंचायत समितियों के लिए रजिस्ट्रीकरण / सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को पदाभिहित करने बाबत् आदेश।	12
7.	प.4(3)(1)पंचा / रानिआ / 14 / 8706 दिनांक 20.11.14	बांसवाडा एवं जोधपुर जिले की पंचायत समितियों के लिए रजिस्ट्रीकरण / सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को पदाभिहित करने बाबत् आदेश।	13
8.	प.4(3)(1)पंचा / रानिआ / 14 / 8706 दिनांक 20.11.14	जिले की पंचायत समितियों के लिए रजिस्ट्रीकरण / सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को पदाभिहित करने बाबत् आदेश।	14
9.	एफ.6(1)(1)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 4138 दिनांकः 19.9.2014	पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 – निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु कार्यक्रम एवं दिशा–निर्देश।	15

क्र. सं.	पत्रांक / दिनांक	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4
10.	एफ.6(1)(1)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 4848 जयपुर, दिनांकः 17.10.2014	पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 – निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु कार्यक्रम एवं दिशा–निर्देश।	38
11.	एफ.6(1)(1)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 8930 जयपुर, दिनांकः 27.11.14	पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 – निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु कार्यक्रम एवं दिशा–निर्देश।	39
12.	एफ.6(1)(1)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 9323 जयपुर, दिनांकः 11.12.14	पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 – निर्वाचक नामावलियों के संबंध में	40
13.	एफ.6(1)(1)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 9323 जयपुर, दिनांकः 11.12.14	पंचायत चुनाव हेतु मतदाता सूची की कार्यकारी प्रतियॉ तैयार करने के संबंध में।	41
14.	एफ.6(1)(1)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 9465 जयपुर, दिनांकः 16.12.14	निर्वाचक नामावलियों के सैट निःशुल्क जारी करने के संबंध में।	43
15.	एफ.7(3)(1)पंचा / रानिआ / 13 / 5001 दिनांकः 27.10.14	पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में।	44
16.	2014	आदर्श आचरण संहिता	47
17.	एफ4(10)(1)न.पा. / रा.नि.आ. / 14 / 3230 दिनांक : 08.08.2014	नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के संबंध में।	53
18.	F.1(5)(6)Estt/SEC/04/3017 Dated. 8.9.2009	"Observers appointed by the State Election Commission" – Extension of courtesies & facilities.	58
19.	F.4(2)(1)PE/SEC/94/404 Dt. 18.01.95	Divisional Commissioners authorized for general supervision on conduct of elections.	60
20.	प.4(2)(1)पंचा / रानिआ / 94 / 332 दिनांक 16.1.95	पर्यवेक्षकों के साथ नियुक्त मंत्रालयिक कर्मचारियों को निर्वाचप ड्यूटी पर माने जाने बाबत्।	61
21.	प.7(1)(28)पंचु / रानिआ / 99 / 4364 दिनांक 23.1.95	बैनरों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण बाबत् धारा 127 क (लो.प्र.अ. 1951) के अन्तर्गत आदेश।	62

क्र. सं.	पत्रांक / दिनांक	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4
23.	प 7(1)(1) पंचा / रानिआ / 13 / 9926 दिनांकः—28.12.14	पंचायती राज सस्थाओं के चुनावों के दौरान विडियोग्राफी करवाना।	71
24.	F.7(1)(1) PE/SEC/2014/9787 Dated : 24-12-2014	Restrictions on Govt. Official vehicles	74
25.	प.7(7)(14)पंचु / रानिआ / 99 / 6050 दिनांक 26.1.2000	अधिस्वीकृत पत्रकारों को मतदान बूथ मतगणना केन्द्र आदि में प्रवेश देने बाबत्।	75
26.	एफ.7(4)(1)पंचा / रानिआ / 14—15 / **5214** दिनांकः **30.10.2014**	पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु मतदान दलों के गठन के संबंध में।	76
27.	एफ.7(4)(1)पंचा / रानिआ / 14—15 / 9647 दिनांकः 21.12.2014	पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 — मतदान दल के गठन एवं प्रशिक्षण के संबंध में।	78
28.	एफ 7(4)(1)पंचा / रानिआ / 2014—15 / 9146 दिनांकः 02.12.14	पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 हेतु रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति बाबत।	79
29.	प.7(7)(1)पंचा / रानिआ / 94 / 4432 दिनांक 31.12.99	जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स की नियुक्ति।	80
30.	एफ.7(4)(1)पंचा / रानिआ / 09 / 6105 दिनांकः 10.12.09	जिला प्रतापगढ़ के लिए रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति करने के संबंध में।	82
31.	एफ.7(4)(1)पंचा / रानिआ / 14 / 9667 दिनांकः 22.12.14	जिला परिषदों के प्रमुख एवं उपप्रमुख के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति करने के संबंध में।	83
32.	एफ 7(4)(1)पंचा / रानिआ / 2014—15 / 9663 दिनांकः 22.12.14	जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति बाबत।	84
33.	प.4(2)(1)पंचा / रानिआ / 94 / 1145 दिनांक 29.12.94	नियम 24 द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों के निर्वहन हेतु।	85
34.	प.4(2)(1)पंचा / रानिआ / 94 / 241 दिनांक 12.01.95	25 या अधिक वार्डों वाले पंचायत सर्किलों के लिए नियुक्त मतदान अधिकारियों में से किसी एक को ए. आर.ओ. के रूप में नियुक्ति।	86
35.	F.1(2)(1)NP_PE/S.O./SEC/14/9490 Dated 17-12-2014	पंच एवं सरपंचों के लिए मतपत्र का प्रारूप विहित करने हेतु सांविधिक आदेश।	87

क्र. सं.	पत्रांक / दिनांक	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4
36.	F.1(2)(1)NP_PE/S.O./SEC/14/9496 Dated 17-12-2014	जिला परिषद् / पंचायत समिति सदस्य के लिए साधारण मतपत्र का प्रारूप विहित करने हेतु सांविधिक आदेश।	88
37.	F.1(2)(1)NP_PE/S.O./SEC/14/9500 Dated 17-12-2014	प्रमुख / प्रधान / उप प्रमुख / उप प्रधान के लिए मतपत्र का प्रारूप विहित करने हेतु सांविधिक आदेश।	89
38.	F.1(2)(1)NP_PE/S.O./SEC/14/9504 Dated 17-12-2014	उप सरपच के लिए मतपत्र का प्रारूप विहित करने हेतु सांविधिक आदेश।	90
39.	प. 7(1)(7)पंचा / रानिआ / 09 / वा.IV /3174 दिनांकः 6.8.2014	सरपंच एवं पंच निर्वाचन के लिये चुनाव चिन्हों को विनिर्दिष्ट करने बाबत् अधिसूचना।	91
40.	प.3(53)पंचा / स्टोर / रानिआ / 2014 / 4767 दिनांकः– 15.10.2014	पंच व सरपंच चुनाव के मतपत्रों एवं अतिरिक्त चुनाव चिन्हों की स्लिपों का मुद्रण।	92
41.	प.3(53)पंचा / स्टोर / रानिआ / 2014 / 8895 दिनांकः 26.11.14	पंच व सरपंच चुनाव के मतपत्र व अतिरिक्त स्लिपों के मुद्रण के क्रम में।	95
42.	प.3(53)पंचा / स्टोर / रानिआ / 2014 / 9418 दिनांकः 15.12.14	पंच व सरपंच चुनाव के मतपत्र व अतिरिक्त स्लिपों के मुद्रण के क्रम में।	97
43	एफ.4(2) / पंचु / रानिआ / 94 / 6052 दिनांक 27.1.2000	मुद्रण के पश्चात् शेष, अधिशेष और रद्दी मतपत्रों के निस्तारण के संबंध में।	103
44.	प.4(2)(6) / पंचु / रानिआ / 94 / 6878 दिनांक 19.2.2000	मुद्रित मतपत्रों में से अधिशेष मतपत्रों, रद्दी मतपत्रों, कतरन, बुहारन के निस्तारण के संबंध में।	104
45.	प. 7(1)(7)पंचा / रानिआ / 09 / वा.IV/ 4725 जयपुर, दिनांकः 14.10.2014	पंचायत समिति सदस्यों तथा जिला परिषद सदस्यों के लिए निर्वाचन प्रतीकों को और उनके आरक्षण, चयन, आवंटन हेतु अधिसूचना	105
46.	प. 7(1)(7)पंचा / रानिआ / 09 / वा.IV/ 4735 जयपुर, दिनांकः 14.10.2014	जिला परिषद के प्रमुख / उप प्रमुख के निर्वाचनों के लिए निर्वाचन प्रतीकों को और उनके आरक्षण, चयन, आवंटन	111
47.	प.3(53)पंचा / स्टोर / रानिआ / 2014 / 4974 दिनांकः 22.10.14	जिला परिषद सदस्य चुनाव एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिये मतपत्रों का मुद्रण।	119
48.	एफ.4(2)(1) / पं / रानिआ / 94 / 465 दिनांक 27.10.94	मतपत्र को ''प.रा.सं.'' शब्दों से स्टाम्पित करके अनुप्रमाणित करने बाबत् आदेश।	135

क्र. सं.	पत्रांक / दिनांक	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4
50.	एफ.7(7)(14)पंचा / रानिआ / 99 / 6727 दिनांकः 24.12.2009	मतदान दिवस को अभ्यर्थियों द्वारा मतदान बूथ स्थापित करने के संबंध में।	137
51.	प. 7(1)(1) / पंचा / रानिआ / 2014 / 9347 दिनांकः 12.12.2014	निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारी / कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र देने की रीति के संबंध में।	139
52.	प. 7(1)(1) / पंचा / रानिआ / 2014 / 9347 दिनांकः 12.12.2014	निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के लिए डाक मतपत्र देने की रीति के संबंध में।	140
53.	एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 9440 दिनांकः 15.12.14	निर्वाचन की लोक सूचना / अधिसूचना जारी करने के संबंध में।	142
54.	एफ. 6(1)(5)पंचायत / रानिआ / 94 / 1144 दिनांक 20.12.94	निर्वाचन की लोक सूचना / अधिसूचना जारी करने के संबंध में।	143
55.	एफ.4(1)(5)नपा / रानिआ / 94 / 6165 दिनांकः 11.12.09 (सां. आ.–54 / 09)	पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद् सदस्यों के निर्वाचन में निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी के लिए डाक मत देने की रीति	147
56.	एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 9420 दिनांकः 15.12.14	सरपंच चुनाव हेतु उम्मीदवारी वापिस लेने पर जमानत राशि लौटाने के संबंध में।	158
57.	एफ7(1)(8)पंचा / रानिआ / 09 / 5733 दिनांकः–26.11.2009	पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए सामान्य निरर्हताओं के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों द्वारा घोषणा बाबत्।	159
58.	प. 7(1)(1) / पंचा / रानिआ / 2014 / 9534 दिनांकः 18.12.2014	रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दी जाने वाली घोषणा का प्ररूप 4–घ।	161
59.	प. 7(1)(1) / पंचा / रानिआ / 2014 / 9533 दिनांकः 18.12.2014	जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव हेतु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के संबंध में।	162
60.	प. 7(1)(1) / पंचा / रानिआ / 2014 / 9666 दिनांकः 22.12.2014	पंचायती राज संस्थाओं में पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता बाबत।	163
61.	प. 7(1)(1) / पंचा / रानिआ / 2014 / 9748 दिनांकः 24.12.2014	नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) के विकल्प से संबंधित नियम व उम्मीदवार की योग्यता से संबंधित संशोधनों के क्रम में।	165
62.	प.7(1)(8) / पंचा / रानिआ / 94 / 4562 दिनांक 8.1.2000	पंच / सदस्य चुनाव के लिए अर्हताएं एवं निहर्ताएं।	168
63.	प.7(1)(8) / पंचा / रानिआ / 94 / 4562 दिनांक 8.1.2000	पंच / सदस्य चुनाव के लिए दो से अधिक संतानों पर निर्योग्यता के संबंध में।	169

क्र. सं.	पत्रांक / दिनांक	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4
65.	एफ.5(1)(2)नपा / रानिआ / 97 / 5234 दिनांकः30.10.2014	ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर ओबीसी या एसबीसी के प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लडने हेतु एसबीसी के उम्मीदवार को पात्र माना जाने बाबत।	172
66.	प.4(2)(1) / पं. / रानिआ / 94 / 242 दिनांक 12.1.95 (सा.आ. 17 / 95)	रिटर्निंग अधिकारियों की सहायता करने हेतु गणना सहायक नियुक्त करने बाबत् आदेश।	173
67.	प.4(1)(2) / पं. / रानिआ / 94 / 243 दिनांक 12.1.95 (सा.आ. 16 / 95)	भूल से सुमेदन चिन्ह से स्टाम्पित न किए हुए या मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर न किए हुए मतपत्रों को नामंजूर किये जाने बाबत्।	174
68.	प.7(1)(4) / पं. / रानिआ / 94 / 1138 दिनांक 29.12.94	मतदान के पश्चात् मतपेटियों का संग्रहण परिवहन एवं सुरक्षित अभिरक्षा बाबत्।	175
69.	एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 14–15 / 10008 दिनांकः–30.12.14	जिला परिषद / पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन मतपत्रों को मिलाया जाकर गणना किये जाने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश।	177
70.	प.7(1)(13) / पं. / रानिआ / 94 / 1153 दिनांक 30.12.94	जि.प. / पं.स. सदस्यों के चुनाव में मतदान का स्थगन / बूथ कैप्चरिंग, गणना के समय मतपत्रों के विनष्ट होने आदि के मामलों में आयोग को रिर्पोट।	203
71.	प.7(1)(4) / पं. / रानिआ / 95 / 336 दिनांक 16.1.95	पं.स. / जि.प. सदस्य चुनाव में स्थगित मतदान / पुर्नमतदान से संबंधित नियम 48, 48(क), 48(ख) और 49(क) के मामलों में मतों की गणना हेतु आयोग की अनुमति।	214
72.	F.4(2)(1)SEC/94/659 Dt.25.1.95(S.NO.18/95) Published in Gazette Dt. 2.2.95	Delegation of the powers of SEC under rule 48 (A), 48(B) and 49(A) to D.E.Os for the purpose of election of Panch and Sarpanchs.	216
73.	एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 14–15 / 9423 दिनांकः–15.12.14	वार्ड पंच व सरपंच के स्थगित एवं पुनर्मतदान के संबंध में दिशा निर्देश।	217
74.	एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 14–15 / 9431 दिनांकः–15.12.14	पंच एवं सरपंच के स्थगित एवं पुनर्मतदान के मतों की गणना के संबंध में दिशा निर्देश।	219
75.	एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 14–15 / 9426 दिनांकः–15.12.14	पंचायती राज संस्थाओं के स्थगित मतदान एवं पुनर्मतदान के चुनाव के संबंध में दिशा निर्देश।	220

क्र. सं.	पत्रांक / दिनांक	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4
76.	एफ.4(2)(1)/पं. एवं न.पा./ रानिआ/ 94/955 दि. 2.2.95	दस्तावेजों का निरीक्षण और प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करने संबंधी प्रक्रिया।	221
77.	एफ.4(2)(1)/पं. एवं न.पा./रानिआ /94/61 दि. 9.4.10	अप्रयुक्त डाक मतपत्रों के पैकेट, वैध/अवैध या निरस्त डाक मतपत्रों के पैकेटों के संबंध में।	223
78.	एफ.4(2)(1)/पं./न.पा./रानिआ/ 94/64 दि. 9.4.10	निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के व्ययन (निपटारें) के संबंध में।	225
79.	प.6(4)(1)/पं./रानिआ/94/1127 दिनांक 23.2.95	निर्वाचन संबंधी कागजातों की प्रतिलिपि देने के संबंध में स्पष्टीकरण।	227
80.	एफ.7(7)(13)/पंचु/रानिआ/94/ 7112 दिनांक 10.3.2000	पंच/सरपंच चुनाव के नामांकनों की प्रतिलिपि जारी करना।	228
81.	प.7(1)(26)/पं.चु/रानिआ/95/ 2610 दिनांक 13.10.95	निर्वाचन कागज पत्रों के निस्तारण संबंधी सांविधिक आदेश 22/95	229
82.	एफ.2(8)रानिआ/लेखा/94/1109 दिनांक 28.12.94	फार्मों की बिक्री एवं निक्षेप राशि को जमा कराना।	232
83.	F.4(1)(6)M/SEC/94/513 Dt. 7.11.94	Rates of sale price of lists of polling stations and printed forms.	233
84.	एफ.1(1)(1)नपा/रानिआ/94/134 दिनांक 18.2.99	स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछडा वर्ग के लिये आरक्षित अध्यक्षीय पद के लिये अनारक्षित वार्ड से निर्वाचित अन्य पिछडा वर्ग के सदस्य की पात्रता।	234
85.	प.4(2)(1)/पंचा/रानिआ/94/6150 दिनांक. 29.1.2.2000	निर्वाचित अभ्यर्थी की प्रतिभूति राशि जप्त करने बाबत्।	235
86.	प.4(2)(1)/नपा/रानिआ/03/3131 दिंनाकः10.09.09	मतदाताओं की पहचान हेतु वांछित दस्तावेज	236
87.	प.4(2)(1)/नपा/रानिआ/03/ 4796 दिंनाकः 9.11.09	जैसलमेर तहसील के मतदाताओं के लिये Pilot Project के तहत पहचान पत्र।	238
88.	प.1(2)(1)नपा–पंचा/सां.आ /रानिआ/ 14/494 दिनांक :11.2.14	मतदाताओं की पहचान हेतु वांछित दस्तावेज संख्या 19	239
89.	प.7(6)(5)पंचा/निर्वा/2003/374 दिनांक 7.2.2004	अभ्यर्थी द्वारा नामांकन के समय सम्पत्ति का ब्यौरा, देयताओं आदि का विवरण प्रस्तुत करना।	240
90.	प.7(6)(5)पंचा/निर्वा/2003/843 दिनांक 26.4.2004	अभ्यर्थी द्वारा नामांकन के समय सम्पत्ति के ब्यौरो आदि प्रस्तुततिकरण हेतु संशोधित प्रारूप।	248
91.	प.4(1)(7)नपा/रानिआ/09/975 दिनांकः 20.03.2014	शपथ पत्र में कोई भी कॉलम रिक्त (Blank) नहीं छोडा जाने बाबत।	249

क्र. सं.	पत्रांक / दिनांक	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4
92.	एफ4(2)(1) / नपा / रानिआ / 03 / 7127 दिनांकः—04.01.2010	मुद्रित फार्मों के विक्रय की दरों के संबंध में।	250
93.	एफ 7(1)(1) / पंचा / रानिआ / ईवीएम / 09 / 6318 दिनांकः—18.12.09	ईवीएम के मतपत्र के संबंध में (सां.आ. 58 / 09)	251
94.	प.1(2)(1)नपा—पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 9508 दिनांक : 17.12.2014	ईवीएम से मतदान पर नोटा के प्रावधान सांविधिक आदेश 103 / 2014	252
95.	एफ 7(1)(1) / पंचा / रानिआ / ईवीएम / 14 / 9577 दिनांकः—18.12.14	जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य चुनावों में ईवीएम प्रयुक्त होने पर मतगणना के संबंध में निर्देश।	254
96.	प 7(1)(17) पंचु / रानिआ / 09 / 7810 दिनांकः— 14.1.2010	ईवीएम से मतदान पर मतो की गणना की प्रक्रिया हेतु रिटर्निंग अधिकारियों के लिये दिशा—निर्देश।	255
97.	एफ4(2)(1) / नपा / रानिआ / 03 / 7127 दिनांकः—04.01.2010	निर्वाचन समाप्ति पर कागज पत्रों के पैकेट तैयार करना।	271
98.	एफ 7(1)(1) / पंचा / रानिआ / ईवीएम / 09 / 6318 दिनांकः—18.12.09	ईवीएम मशीन को मुद्रा बंद करने के संबंध में।	272
99.	F. 7(1)(17)/Pancha/SEC/09/6708 Dated: 23.12.09	Prohibition against entry of Minister/MP/MLA, or the person with security cover into Counting Centre.	273
100.	एफ 7(1)(1) / पंचा / रानिआ / ईवीएम / 09 / 6318 दिनांकः—18.12.09	ईवीएम मशीन को मुद्रा बंद करने के संबंध में।	276
101.	एफ.7(7)(14) / पंचा / रानिआ / 99 / 6726 दिनांक 24.12.09	मतदान केन्द्र एवं मतगणना केन्द्रों पर मोबाईल फोन के उपयोग पर रोक।	277
102.	प.7(7)(14)रानिआ / पंचु / 99 / 7325 दिनांक : 7.1.2010	पत्रकारों को प्रवेश— मतदान बूथ एवं मतगणना केन्द पर फोटोग्राफी / विडियोग्राफी का निषेद्य।	278
103.	एफ 7(1)(1) / पंचा / रानिआ / ईवीएम / 14 / 9579 दिनांकः—18.12.14	जिला परिषद / पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन में ईवीएम का उपयोग	280
104.	एफ 7(1)(1) / पंचा / रानिआ / ईवीएम / 09 / 6310 दिनांकः—18.12.09	ईवीएम मशीन की डिजाईन के अनुमोदन के संबंध में ।	281
105.	एफ 7(1)(1) / पंचा / रानिआ / ईवीएम / 09 / 6306 दिनांकः—18.12.09	सांविधिक आदेश 56 / 09 ईवीएम को मतदान समाप्ति पर सुरक्षित मुद्राबंद करना	282
106.	एफ.7(1)(1)EVM/पंचा / रानिआ / 09 / 6577 दिनांकः—21.12.2009	इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनो के उपयोग के संबंध में।	283

क्र. सं.	पत्रांक / दिनांक	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4
107.	एफ.6(1)(1)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 4906 दिनांकः 21.10.2014	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन होने के पश्चात् उसकी मतदाताओं की बिना फोटो वाली सूचियों की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करवाने बाबत।	294
108.	राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014	पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन के लिए अर्हता बाबत। (घर में स्वच्छ शौचालय की उपलब्धता)	295
109.	राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2014	पंचायती राज संस्थाओं में पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता बाबत। (शैक्षिक योग्यता)	299
110.	राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2014	विभिन्न नियमों में संशोधन	304
111.	राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2014	विभिन्न नियमों में संशोधन	309
112.	प.1(32)रानिआ / लेखा / बजट / 14–15 / 9738 दिनांक : 24.12.14	इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की प्रथम स्तरीय जाँच	327
113.	F.1(21)SEC/Acctt/2014 /3261 Dated: 12-08-2014	Honorarium/Remuneration to officers /officials for preparation and revision of Municipal/Panchayat Electoral Rolls-2014-2015.	328
114.	F1(23)(2)SEC/Acctts/2014/2655 Dated: 24-06-2014	Procedure for settlement of hire and detention charges of the motor vehicles requisitioned for Municipal /Panchayat Election and Supply arrangements of P.O.L. for vehicles.	329
115.	F.1(20)(2)SEC/Acctt/O.R./2014-15/3747 Date: 03-09-2014	The rates for making outright payments and incurring expenditure	332
116.	F.1(27)SEC/Acctt/2014-15/3697 Date: 02-09-2014	Regarding payment of Honorarium to officers deputed for imparting training to staff deployed for conducting Municipal/Panchayat General Elections, 2014-2015.	335
117.	F1(22)(3)SEC/Accounts/2014-15/4460 Dated : 02-10-2014	Procedure of payment of T.A. claims of the staff engaged in the course of Elections of Municipalities & Panchayats including the Police, Home Guard and Forest Guard personnel (Except Law & Order) deputed in election duty during the Election days,	336
118.	एफ.1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 9541 दिनांक :– 18.12.2014	सां.आ. 104 / 2014 मशीनों द्वारा मतों को दिया जाना	343
119	एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 9897 दिनांक :– 26.12.14	सां.आ. 106 / 2014 पंच एवं सरपंच के चुनाव हेतु मतपत्र की डिजाईन	344

राजस्थान सरकार
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांक: प. 4 (3) (1) रा.नि.आ./94/255 जयपुर, दिनांक 20 अगस्त, 1994

आदेश

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 119 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान राज्य सरकार के परामर्श से राज्य के सभी जिला कलेक्टर्स को संबंधित जिला क्षेत्रों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित/नाम निर्दिष्ट करता है।

आज्ञा से,
(बी.बी. महान्ति)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांक : प. 4 (3) (1) रा.नि.आ./94/255 दिनांक : 20 अगस्त, 1994

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख शासन सचिव एवं विकास आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त
4. समस्त कलेक्टर्स,
5. समस्त उपखण्ड अधिकारी (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी-पंचायत)

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secrajasthan@gmail.com, Web.- rajsec.rajasthan.gov.in)

क्रमांकःएफ.4(3)(1)पंचा / रानिआ / 14 / 2147 जयपुर, दिनांकः 29.04.2014

आदेश

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 119 की उप धारा 5 एवं 6 के उपबन्धों के अनुसरण में और अपने पूर्व आदेशों का अतिक्रमण करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, नीचे सारणी के स्तम्भ – 3 में विनिर्दिष्ट सरकारी अधिकारी एवं नीचे की सारणी के स्तम्भ – 4 में विनिर्दिष्ट सरकारी अधिकारी को, ऐसे अधिकारी के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ–1 में विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य के जिले में स्थित सारणी के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट पंचायत समिति क्षेत्र के लिये क्रमशः निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित करता है :–

सारणी

जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2	3	4
1. अजमेर	पीसांगन	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीसांगन	तहसीलदार, पीसांगन एवं पुष्कर
	श्रीनगर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नसीराबाद	तहसीलदार, नसीराबाद एवं अजमेर
	जवाजा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, ब्यावर	तहसीलदार, ब्यावर एवं टाटगढ़
	मसूदा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मसूदा	तहसीलदार, मसूदा एवं विजयनगर
	भिनाय	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भिनाय	तहसीलदार, भिनाय एवं टांटोटी
	केकड़ी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, केकड़ी	तहसीलदार, केकड़ी एवं सावर
	अंराई	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सरवाड़	तहसीलदार, अंराई एवं सरवाड
	किशनगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढ़	तहसीलदार, किशनगढ़ एवं रूपनगढ़
2. अलवर	तिजारा	उप खण्ड़ अधिकारी, तिजारा	तहसीलदार, तिजारा
	किशनगढ़बास	उप खण्ड़ अधिकारी, किशनगढ़बास	तहसीलदार, किशनगढ़बास
	कोटकासिम	उप खण्ड़ अधिकारी, कोटकासिम	तहसीलदार, कोटकासिम
	मुण्डावर	उप खण्ड़ अधिकारी, मुण्डावर	तहसीलदार, मुण्डावर
	बहरोड़	उप खण्ड़ अधिकारी, बहरोड़	तहसीलदार, बहरोड़
	नीमराणा	उप खण्ड़ अधिकारी, नीमराणाा	तहसीलदार, नीमराणा
	बानसूर	उप खण्ड़ अधिकारी, बानसूर	तहसीलदार, बानसूर
	थानागाजी	उप खण्ड़ अधिकारी, थानागाजी	तहसीलदार, थानागाजी
	रामगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी, रामगढ़	तहसीलदार, रामगढ़
	उमरैण	उप खण्ड़ अधिकारी, अलवर	तहसीलदार, अलवर
	राजगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी,राजगढ़	तहसीलदार, राजगढ़
	रैणी	उप खण्ड़ अधिकारी, रैणी	तहसीलदार, रैणी
	लक्ष्मणगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी, लक्ष्मणगढ़	तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़
	कठूमर	उप खण्ड़ अधिकारी, कठूमर	तहसीलदार, कठूमर
3. बांसवाड़ा	बांसवाड़ा मु. तलवाड़ा	उप खण्ड़ अधिकारी, बांसवाड़ा	तहसीलदार, बांसवाड़ा तहसीलदार, आबापुरा
	छोटी सरवन	उप खण्ड़ अधिकारी, छोटी सरवन	तहसीलदार, छोटी सरवन
	गढ़ी	उप खण्ड़ अधिकारी, गढ़ी	तहसीलदार, गढ़ी
	घाटोल	उप खण्ड़ अधिकारी, घाटोल	तहसीलदार, घाटोल तहसीलदार, गनोडा
	बागीदौरा	उप खण्ड़ अधिकारी, बागीदौरा	तहसीलदार, बागीदौरा तहसीलदार, गांगडतलाई
	आनन्दपुरी	उप खण्ड़ अधिकारी, आनन्दपुरी	तहसीलदार, आनन्दपुरी
	कुशलगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी, कुशलगढ़	तहसीलदार, कुशलगढ़
	सज्जनगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी, सज्जनगढ़	तहसीलदार, सज्जनगढ़

जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2	3	4
4. बारां	बारां	उप खण्ड अधिकारी, बारां	तहसीलदार, बारां
	अन्ता	उप खण्ड अधिकारी, अंता	तहसीलदार, अन्ता एवं मांगरोल
	छबड़ा	उप खण्ड अधिकारी, छबड़ा	तहसीलदार, छबड़ा
	किशनगंज	उप खण्ड अधिकारी, किशनगंज	तहसीलदार, किशनगंज
	छीपाबडौद	उप खण्ड अधिकारी, छीपाबडौद	तहसीलदार, छीपाबडौद
	शाहबाद	उप खण्ड अधिकारी, शाहबाद	तहसीलदार, शाहबाद
	अटरू	उप खण्ड अधिकारी, अटरू	तहसीलदार, अटरू
5. बाड़मेर	बाड़मेर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, बाड़मेर	तहसीलदार, बाड़मेर एवं रामसर
	बायतु	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, बायतु	तहसीलदार, बायतु, बाड़मेर एवं गिड़ा
	धोरीमन्ना	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, धोरीमन्ना	तहसीलदार, गुडामालानी, धोरीमन्ना एवं सेड़वा
	सिणधरी	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सिणधरी	तहसीलदार, सिणधरी, बाड़मेर एवं बायतु
	शिव	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, शिव	तहसीलदार, शिव एवं गडरारोड़
	बालोतरा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, बालोतरा	तहसीलदार, पचपदरा
	सिवाना	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सिवाना	तहसीलदार, सिवाना एवं समदड़ी
	चौहटन	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, चौहटन	तहसीलदार, चौहटन एवं सेडवा
6. भरतपुर	कामां	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, कामां	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पहाड़ी तहसीलदार, कामां
	नगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, नगर	तहसीलदार, नगर एवं पहाड़ी
	डीग	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, डीग	तहसीलदार, डीग नायब तहसीलदार, जनूथर
	कुम्हेर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, कुम्हेर	तहसीलदार, कुम्हेर नायब तहसीलदार, रारह
	सेवर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, भरतपुर	तहसीलदार, भतरपुर नायब तहसीलदार (प्रथम), भरतपुर
	रूपवास	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, भुसावर	तहसीलदार, रूपवास नायब तहसीलदार, उच्चैन
	नदबई	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, नदबई	तहसीलदार, नदबई नायब तहसीलदार, लखनपुर
	वैर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, वैर	तहसीलदार, वैर एवं भुसावर
	बयाना	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, बयाना	तहसीलदार, बयाना नायब तहसीलदार, बयाना
7. भीलवाड़ा	आसीन्द	उप खण्ड़ अधिकारी, आसीन्द	तहसीलदार, आसीन्द
	हुरडा	उप खण्ड़ अधिकारी, गुलाबपुरा	तहसीलदार, हुरडा
	माण्डल	उप खण्ड़ अधिकारी, माण्डल	तहसीलदार, माण्डल
	रायपुर	उप खण्ड़ अधिकारी, रायपुर	तहसीलदार, रायपुर
	सहाडा	उप खण्ड़ अधिकारी, गंगापुर	तहसीलदार, सहाडा मु. गंगापुर
	सुवाणा	उप खण्ड़ अधिकारी, भीलवाडा	तहसीलदार, भीलवाडा
	बनेडा	उप खण्ड़ अधिकारी, बनेड़ा	तहसीलदार, बनेडा
	शाहपुरा	उप खण्ड़ अधिकारी, शाहपुरा	तहसीलदार, शाहपुरा
	जहाजपुर	उप खण्ड़ अधिकारी, जहाजपुर	तहसीलदार, जहाजपुर
	कोटडी	उप खण्ड़ अधिकारी, कोटड़ी	तहसीलदार, कोटडी
	माण्डलगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी, माण्डलगढ़	तहसीलदार, माण्डलगढ

जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2	3	4
8. बीकानेर	खाजूवाला	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, खाजूवाला	तहसीलदार, खाजूवाला
	लूनकरणसर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, लूनकरणसर	तहसीलदार, लूनकरणसर
	नोखा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नोखा	तहसीलदार, नोखा
	डूंगरगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगरगढ़	तहसीलदार, डूंगरगढ़
	बीकानेर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बीकानेर	तहसीलदार, भू–अभिलेख, बीकानेर
	कोलायत	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कोलायत	तहसीलदार, कोलायत
9. बून्दी	बून्दी	उप खण्ड अधिकारी, बून्दी	तहसीलदार, बून्दी
	नैनवां	उप खण्ड अधिकारी, नैनवां	तहसीलदार, नैनवां
	केशोरायपाटन	उप खण्ड अधिकारी, केशोरायपाटन	तहसीलदार, केशोरायपाटन
	तालेडा	उप खण्ड अधिकारी, तालेडा	तहसीलदार, तालेडा
	हिण्डोली	उप खण्ड अधिकारी, हिण्डोली	तहसीलदार, हिण्डोली
10. चित्तौड़गढ़	भैंसरोड़गढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रावतभाटा	तहसीलदार, रावतभाटा
	बेगूं	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बेगूं	तहसीलदार, बेगूं
	गंगरार	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गंगरार	तहसीलदार, गंगरार
	कपासन	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कपासन	तहसीलदार, कपासन
	भूपालसागर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कपासन	तहसीलदार, भूपालसागर
	राशमी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, राशमी	तहसीलदार, राशमी
	चित्तौड़गढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़	तहसीलदार, चित्तौड़गढ़
	निम्बाहेड़ा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, निम्बाहेड़ा	तहसीलदार, निम्बाहेड़ा
	भदेसर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भदेसर	तहसीलदार, भदेसर
	डूंगला	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगला	तहसीलदार, डूंगला
	बड़ीसादड़ी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बड़ीसादड़ी	तहसीलदार, बड़ीसादड़ी
11. चूरू	राजगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, राजगढ़	तहसीलदार, राजगढ़
	तारानगर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, तारानगर	तहसीलदार, तारानगर
	सरदारशहर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सरदारशहर	तहसीलदार, सरदारशहर
	चूरू	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चूरू	तहसीलदार, चूरू
	रतनगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रतनगढ़	तहसीलदार, रतनगढ़
	सुजानगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़	तहसीलदार, सुजानगढ़
12. दौसा	दौसा	उप खण्ड अधिकारी, दौसा	तहसीलदार, दौसा
	लालसोट	उप खण्ड अधिकारी, लालसोट	तहसीलदार, लालसोट
	बांदीकुई	उप खण्ड अधिकारी, बांदीकुई	तहसीलदार, बसवा
	सिकराय	उप खण्ड अधिकारी, सिकराय	तहसीलदार, सिकराय
	महवा	उप खण्ड अधिकारी, महवा	तहसीलदार, महवा
13. धौलपुर	धौलपुर	उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.), धौलपुर	तहसीलदार (कार्यपालक मजिस्ट्रेट), धौलपुर एवं सैंपउ
	राजाखेडा	उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.), राजाखेडा	तहसीलदार (कार्यपालक मजि.), राजाखेडा
	बाडी	उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.), बाड़ी	तहसीलदार (कार्यपालक मजि.), बाड़ी
	बसेडी	उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.), बसेडी	तहसीलदार (कार्यपालक मजिस्ट्रेट), बसेडी एवं सरमथुरा
14. डूँगरपुर	सागवाडा	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सागवाडा	तहसीलदार, सागवाडा
	सीमलवाडा	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजि., सीमलवाडा	तहसीलदार, सीमलवाडा
	डूंगरपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर	तहसीलदार, डूंगरपुर
	बिछीवाडा	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बिछीवाड़ा	तहसीलदार, बिछीवाडा
	आसपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आसपुर	तहसीलदार, आसपुर

जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2	3	4
15. गंगानगर	सादुलशहर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजि. सादुलशहर	तहसीलदार, सादुलशहर एवं गंगानगर
	गंगानगर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजि. गंगानगर	तहसीलदार, गंगानगर
	करणपुर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजि., करणपुर	तहसीलदार, करणपुर
	पदमपुर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजि., पदमपुर	तहसीलदार, पदमपुर
	सूरतगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजि., सूरतगढ़	तहसीलदार, सूरतगढ़
	रायसिंहनगर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजि., रायसिंहनगर	तहसीलदार, रायसिंहनगर
	अनूपगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजि., अनूपगढ़	तहसीलदार, अनूपगढ़ एवं विजयनगर
	घड़साना	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजि., घड़साना	तहसीलदार, घड़साना एवं अनूपगढ़
16. हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़	तहसीलदार, हनुमानगढ़
	संगरिया	उपखण्ड अधिकारी, संगरिया	तहसीलदार, संगरिया
	टीबी	उपखण्ड अधिकारी, टीबी	तहसीलदार, टीबी
	पीलीबंगा	उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा	तहसीलदार, पीलीबंगा
	नोहर	उपखण्ड अधिकारी, नोहर	तहसीलदार, नोहर
	भादरा	उपखण्ड अधिकारी, भादरा	तहसीलदार, भादरा
	रावतसर	उपखण्ड अधिकारी, रावतसर	तहसीलदार, रावतसर
17. जयपुर	झोटवाड़ा	उप खण्ड अधिकारी, जयपुर (प्रथम),	तहसीलदार, जयपुर
	आमेर	उप खण्ड अधिकारी, आमेर	तहसीलदार, आमेर
	सांगानेर	उप खण्ड अधिकारी, जयपुर (द्वितीय)	तहसीलदार, सांगानेर
	बस्सी	उप खण्ड अधिकारी, बस्सी	तहसीलदार, बस्सी
	चाकसू	उप खण्ड अधिकारी, चाकसू	तहसीलदार, चाकसू
	फागी	उप खण्ड अधिकारी, फागी	तहसीलदार, फागी
	दूदू	उप खण्ड अधिकारी, दूदू	तहसीलदार, मौजमाबाद
	सांभर लेक	उप खण्ड अधिकारी, सांभर	तहसीलदार, फुलेरा (मुख्यालय सांभर)
	गोविन्दगढ	उप खण्ड अधिकारी, चौमू	तहसीलदार, चौमू
	जमवारामगढ़	उप खण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़	तहसीलदार, जमवारामगढ़
	शाहपुरा	उप खण्ड अधिकारी, शाहपुरा	तहसीलदार, शाहपुरा
	विराटनगर	उप खण्ड अधिकारी, विराटनगर	तहसीलदार, विराटनगर
	कोटपूतली	उप खण्ड अधिकारी, कोटपूतली	तहसीलदार, कोटपूतली
18. जैसलमेर	जैसलमेर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, जैसलमेर	तहसीलदार, जैसलमेर
	सम मु. जैसलमेर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, फतेहगढ़	तहसीलदार, फतेहगढ़
	सांकड़ा मु. पोकरण	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, पोकरण	तहसीलदार, पोकरण
19. जालोर	आहोर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, आहोर	तहसीलदार, आहोर
	जालौर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, जालौर	तहसीलदार, जालौर
	सायला	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सायला	तहसीलदार, सायला
	भीनमाल	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, भीनमाल	तहसीलदार, भीनमाल
	जसवन्तपुरा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, जसवन्तपुरा	तहसीलदार, जसवन्तपुरा
	रानीवाडा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, रानीवाडा	तहसीलदार, रानीवाड़ा
	सांचोर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सांचोर	तहसीलदार, सांचोर
	चितलवाना	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, चितलवाना	तहसीलदार, चितलवाना
20. झालावाड़	झालरापाटन	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, झालावाड़	तहसीलदार, झालरापाटन तहसीलदार, पचपहाड़
	बकानी	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, अकलेरा	तहसीलदार, असनावर एवं अकलेरा
	खानपुर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, खानपुर	तहसीलदार, खानपुर
	मनोहरथाना	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना	तहसीलदार, मनोहरथाना एवं अकलेरा
	पिड़ावा मु. सुनेल	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, पिड़ावा	तहसीलदार, पिड़ावा
	डग	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, भवानीमंडी	तहसीलदार, गंगधार एवं पचपहाड़

जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2	3	4
21. झुन्झुनू	झुन्झुनू	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू	तहसीलदार, झुन्झुनू
	अलसीसर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, मलसीसर	तहसीलदार, मलसीसर
	चिड़ावा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, चिड़ावा	तहसीलदार, चिड़ावा
	सूरजगढ़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सूरजगढ़	तहसीलदार, सूरजगढ़
	खेतड़ी	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, खेतड़ी	तहसीलदार, खेतड़ी
	उदयपुरवाटी	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी	तहसीलदार, उदयपुरवाटी
	नवलगढ़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, नवलगढ़	तहसीलदार, नवलगढ़
	बुहाना	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, बुहाना	तहसीलदार, बुहाना
22. जोधपुर	फलौदी	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, फलौदी	तहसीलदार, फलौदी
	बाप	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, बाप	तहसीलदार, बाप
	ओसियां	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, ओसियां	तहसीलदार, ओसियां
	बावड़ी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बावड़ी	तहसीलदार, बावड़ी
	बिलाड़ा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, बिलाडा	तहसीलदार, बिलाडा
	भोपालगढ	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, भोपालगढ़	तहसीलदार, भोपालगढ़
	शेरगढ़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, शेरगढ	तहसीलदार, शेरगढ
	बालेसर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, बालेसर	तहसीलदार, बालेसर
	मण्डोर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, जोधपुर	तहसीलदार, जोधपुर
	लूणी	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, लूणी	तहसीलदार, लूणी
23. करौली	करौली	उप जिला कलक्टर (एस.डी.एम.), करौली	तहसीलदार, करौली
	सपोटरा	उप जिला कलक्टर (एस.डी.एम.), सपोटरा	तहसीलदार, सपोटरा
	हिण्डौन	उप जिला कलक्टर (एस.डी.एम.), हिण्डौन	तहसीलदार, हिण्डौन
	टोडाभीम	उप जिला कलक्टर (एस.डी.एम.), टोडाभीम	तहसीलदार, टोडाभीम
	नादौती	उप जिला कलक्टर (एस.डी.एम.), नादौती	तहसीलदार, नादौती
24. कोटा	लाडपुरा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा	तहसीलदार, लाड़पुरा
	सुल्तानपुर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद	तहसीलदार, दीगोद
	इटावा	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, इटावा	तहसीलदार, पीपलदा
	सांगोद	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सांगोद	तहसीलदार, सांगोद
	खैराबाद	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी	तहसीलदार, रामगंजमण्डी
25. नागौर	नागौर	उप खण्ड़ अधिकारी, नागौर	तहसीलदार, नागौर
	मूण्डवा	उप खण्ड अधिकारी, खींवसर	तहसीलदार, मूण्डवा
	जायल	उप खण्ड़ अधिकारी, जायल	तहसीलदार, जायल
	मेड़ता	उप खण्ड़ अधिकारी, मेड़ता	तहसीलदार, मेड़ता
	रियां	उप खण्ड अधिकारी, रियां	तहसीलदार, रियां
	डेगाना	उप खण्ड़ अधिकारी, डेगाना	तहसीलदार, डेगाना
	डीडवाना	उप खण्ड अधिकारी, डीडवाना	तहसीलदार, डीडवाना
	लाडनू	उप खण्ड अधिकारी, लाडनूं	तहसीलदार, लाडनूं
	परबतसर	उप खण्ड अधिकारी, परबतसर	तहसीलदार, परबतसर
	मकराना	उप खण्ड अधिकारी, मकराना	तहसीलदार, मकराना
	कुचामन	उप खण्ड अधिकारी, कुचामन	तहसीलदार, कुचामन
26. पाली	जैतारण	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जैतारण	तहसीलदार, जैतारण
	रायपुर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रायपुर	तहसीलदार, रायपुर
	सोजतसिटी	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सोजत	तहसीलदार, सोजत
	मारवाड़ जंक्शन	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, मारवाड़ जंक्शन	तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन
	देसूरी	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, देसूरी	तहसीलदार, देसूरी
	बाली	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, बाली	तहसीलदार, बाली
	रानी	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, रानी	तहसीलदार, रानी
	सुमेरपुर	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर	तहसीलदार, सुमेरपुर
	पाली	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, पाली	तहसीलदार, पाली
	रोहट	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, रोहट	तहसीलदार, रोहट
27. प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़	तहसीलदार, प्रतापगढ़
	अरनोद	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, अरनोद	तहसीलदार, अरनोद
	छोटीसादड़ी	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, छोटीसादड़ी	तहसीलदार, छोटीसादडी
	धरियावद	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, धरियावद	तहसीलदार, धरियावद
	पीपलखूंट	उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, पीपलखूंट	तहसीलदार, पीपलखूट

जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2	3	4
28.राजसमन्द	राजसमंद	उपखण्ड़ अधिकारी, राजसमन्द	तहसीलदार, राजसमन्द
	खमनोर	उपखण्ड़ अधिकारी, नाथद्वारा	तहसीलदार, नाथद्वारा
	आमेट	उपखण्ड़ अधिकारी, आमेट	तहसीलदार, आमेट
	देवगढ़	उपखण्ड़ अधिकारी, देवगढ़	तहसीलदार, देवगढ़
	कुम्भलगढ़	उपखण्ड़ अधिकारी, कुम्भलगढ़	तहसीलदार, कुम्भलगढ़
	रेलमगरा	उपखण्ड़ अधिकारी, रेलमगरा	तहसीलदार, रेलमगरा
	भीम	उपखण्ड़ अधिकारी, भीम	तहसीलदार, भीम
29. सवाई माधोपुर	सवाईमाधोपुर	उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर	तहसीलदार, सवाई माधोपुर तहसीलदार, चौथ का बरवाडा
	खण्डार	उप जिला कलक्टर, खण्डार	तहसीलदार, खण्डार उप पंजीयक, सवाई माधोपुर
	बौंली	उप जिला कलक्टर, बौंली	तहसीलदार, बौंली तहसीलदार, मलारनाडूंगर
	बामनवास	उप जिला कलक्टर, बामनवास	तहसीलदार, बामनवास नायब तहसीलदार, भांवरा
	गंगापुर	उप जिला कलक्टर, गंगापुर	तहसीलदार, गंगापुर एवं वजीरपुर
30. सीकर	फतेहपुर	उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर	तहसीलदार, फतेहपुर
	लक्ष्मणगढ़	उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़	तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़
	पिपराली	उपखण्ड अधिकारी, सीकर	तहसीलदार, सीकर
	धोद	उपखण्ड अधिकारी, धोद	तहसीलदार, धोद
	दांतारामगढ़	उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़	तहसीलदार, दांतारामगढ़
	खण्डेला	उपखण्ड अधिकारी, खण्डेला	तहसीलदार, खण्डेला
	नीमकाथाना	उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना	तहसीलदार, नीमकाथाना
	श्रीमाधोपुर	उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	तहसीलदार, श्रीमाधोपुर
31. सिरोही	सिरोही	उपखण्ड अधिकारी, सिरोही	तहसीलदार, सिरोही नायब तहसीलदार, सिरोही
	शिवगंज	उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज	तहसीलदार, शिवगंज नायब तहसीलदार, शिवगंज
	पिण्डवाडा	उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा	तहसीलदार, पिण्डवाडा नायब तहसीलदार, पिण्डवाडा
	रेवदर	उपखण्ड अधिकारी, रेवदर	तहसीलदार, रेवदर नायब तहसीलदार, रेवदर
	आबूरोड	उपखण्ड अधिकारी, आबूरोड	तहसीलदार, आबूरोड नायब तहसीलदार, आबूरोड
32. टौंक	टोंक	उपखण्ड़ अधिकारी, टौंक	तहसीलदार, टोंक तहसीलदार, पीपलू
	निवाई	उपखण्ड़ अधिकारी, निवाई	तहसीलदार, निवाई
	मालपुरा	उपखण्ड़ अधिकारी, मालपुरा	तहसीलदार, मालपुरा
	टोडारायसिंह	उपखण्ड़ अधिकारी, टोड़ारायसिंह	तहसीलदार, टोड़ारायसिंह
	देवली	उपखण्ड़ अधिकारी, देवली	तहसीलदार, देवली
	उनियारा	उपखण्ड़ अधिकारी, उनियारा	तहसीलदार, उनियारा, मु0 अलीगढ़
33. उदयपुर	गिर्वा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गिर्वा	तहसीलदार, गिर्वा
	बडगांव	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बडगांव	तहसीलदार, बडगांव
	गोगुन्दा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोगुन्दा	तहसीलदार, गोगुन्दा
	झाडोल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट झाडोल	तहसीलदार, झाडोल
	खेरवाडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खेरवाडा	तहसीलदार, खेरवाडा
	सराडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सराडा	तहसीलदार, सराडा
	सलुम्बर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सलुम्बर	तहसीलदार, सलुम्बर
	लसाडिया	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लसाडिया	तहसीलदार, लसाडिया
	भीण्डर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट वल्लभनगर	तहसीलदार, वल्लभनगर
	मावली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मावली	तहसीलदार, मावली
	कोटडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटडा	तहसीलदार, कोटडा

आज्ञा से,
ह0/–
(अशोक कुमार जैन)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

(3)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

Website: www.rajsec.rajasthan.gov.in **Email:** secrajasthan@gmail.com

क्रमांकः एफ.4(3)(1)पंचा/रानिआ/14/3396 जयपुर, दिनांकः 21.8.2014

आदेश

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 119 की उप धारा 6 के उपबन्धों के अनुसरण में और आयोग के पूर्व आदेश क्रमांक एफ.4(3)(1)पंचा/रानिआ/14/2147 दिनांक 29.04.2014 का अतिक्रमण करते हुये राज्य निर्वाचन आयोग, दौसा जिले की पंचायत समिति, दौसा एवं जोधपुर जिले की पंचायत समिति फलोदी, औसियां, भोपालगढ़ एवं लूणी के लिए नीचे की सारणी के स्तम्भ–4 में विनिर्दिष्ट सरकारी अधिकारी को ऐसे अधिकारी के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य के उक्त जिले में स्थित उक्त सारणी के स्तम्भ–3 में विनिर्दिष्ट पंचायत समिति क्षेत्र के लिये सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित करता है।

सारणी

क्र.सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	दौसा	दौसा	तहसीलदार, दौसा
			तहसीलदार, लवाण
			तहसीलदार, नांगलराजावतान
2	जोधपुर	फलौदी	तहसीलदार, फलौदी
			तहसीलदार, लोहावट
		औसियां	तहसीलदार, औसियां
			तहसीलदार, तिवंरी
		भोपालगढ़	तहसीलदार, भोपालगढ़
			तहसीलदार, पीपाड़शहर
		लूणी	तहसीलदार, लूणी
			तहसीलदार, जोधपुर

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/–
(सत्यप्रकाश बसवाला)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
Website: www.rajsec.rajasthan.gov.in **Email:** secrajasthan@gmail.com

क्रमांकःएफ.4(3)(1)पंचा/रानिआ/14/4170 जयपुर, दिनांकः 22.9.2014

आदेश

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्या–13) की धारा 119 की उप धारा 5 के उपबन्धों के अनुसरण में और आयोग के पूर्व आदेश क्रमांक एफ. 4(3)(1)पंचा/रानिआ/14/2147 दिनांक 29.04.2014 में संशोधन करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान सरकार के परामर्श से भरतपुर जिले की रूपवास पंचायत समिति के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भुसावर के स्थान पर उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रूपवास को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पद पर पदाभिहित करता है।

उक्त आदेश प्रभावी रूप से लागू होगा।

आज्ञा से,
ह0/–
(सत्यप्रकाश बसवाला)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

(5)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
Website: www.rajsec.rajasthan.gov.in **Email:** secrajasthan@gmail.com

क्रमांकः एफ.4(3)(1)पंचा/रानिआ/14/8216 जयपुर, दिनांकः 18.11.2014

आदेश

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 119 की उप धारा 5 एवं 6 के उपबन्धों के अनुसरण में और आयोग के पूर्व आदेश क्रमांक एफ.4(3)(1)पंचा/रानिआ/14/2147 दिनांक 29.04.2014 एवं 4170 दिनांक 22.9.2014 के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग, स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट जिलो की स्तम्भ–3 में विनिर्दिष्ट पंचायत समिति के लिए राज्य सरकार के परामर्श से स्तम्भ–4 में विनिर्दिष्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं आयोग के स्तर से स्तम्भ–5 में विनिर्दिष्ट सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित करता है–

सारणी

क्र.सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अजमेर	सरवाड़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सरवाड़	तहसीलदार, सरवाड़ तहसीलदार, टांटोटी
2.	बांसवाड़ा	तलवाड़ा	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा	तहसीलदार, बांसवाड़ा
		अरथूना	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गढ़ी	तहसीलदार, गढ़ी
3.	बाड़मेर	रामसर	उपखण्ड अधिकारी, रामसर	तहसीलदार, रामसर नायब तहसीलदार, रामसर
		गिड़ा	उपखण्ड अधिकारी, बायतु	तहसीलदार, गिड़ा नायब तहसीलदार, गिड़ा
		पाटौदी	उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा	उप तहसीलदार, पाटौदी
		कल्याणपुर	उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा	तहसीलदार, पचपदरा उप तहसीलदार, कल्याणपुर
		धनाऊ	उपखण्ड अधिकारी, चौहटन	तहसीलदार, चौहटन
		सेडवा	उपखण्ड अधिकारी, सेडवा	तहसीलदार, सेडवा नायब तहसीलदार, सेडवा
		समदड़ी	उपखण्ड अधिकारी, सिवाना	तहसीलदार, समदड़ी नायब तहसीलदार, समदड़ी
		गुडामालानी	उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी	तहसीलदार, गुडामालानी नायब तहसीलदार, गुडामालानी
		गडरारोड़	उपखण्ड अधिकारी, शिव	तहसीलदार, गडरारोड़ नायब तहसीलदार, गडरारोड़
		बाड़मेर	उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर	तहसीलदार, बाड़मेर तहसीलदार, भू.अ. बाड़मेर
		बायतु	उपखण्ड अधिकारी, बायतु	तहसीलदार, बायतु नायब तहसीलदार, बायतु
		धोरीमन्ना	उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना	तहसीलदार धोरीमन्ना नायब तहसीलदार धोरीमन्ना
		सिणधरी	उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी	तहसीलदार, सिणधरी नायब तहसीलदार, सिणधरी
		शिव	उपखण्ड अधिकारी, शिव	तहसीलदार, शिव नायब तहसीलदार, शिव
		बालोतरा	उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा	उप पंजीयक, जसोल नायब तहसीलदार, पचपदरा
		सिवाना	उपखण्ड अधिकारी, सिवाना	तहसीलदार, सिवाना नायब तहसीलदार, सिवाना
		चौहटन	उपखण्ड अधिकारी, चौहटन	नायब तहसीलदार, चौहटन
4.	भरतपुर	पहाड़ी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पहाड़ी	तहसीलदार, पहाड़ी नायब तहसीलदार, पहाड़ी
		कामां	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कामां	तहसीलदार, कामां नायब तहसीलदार, कामां
5.	भीलवाडा	बिजोलिया	उपखण्ड अधिकारी, बिजोलिया	तहसीलदार, बिजोलियां
6.	बीकानेर	पांचू	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पूगल	उप पंजीयक, नोखा
7.	चुरू	बीदासर	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बीदासर	तहसीलदार, बीदासर

8.	दौसा	लवाण	उपखण्ड अधिकारी, नांगल राजावतान	तहसीलदार, लवाण तहसीलदार, नांगल राजावतान
		दौसा	उपखण्ड अधिकारी, दौसा	तहसीलदार, दौसा
9.	धौलपुर	सैपऊ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सैंपऊ	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सैंपऊ
10.	डूंगरपुर	साबला	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आसपुर	तहसीलदार, साबला
		गलिया कोट	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सागवाड़ा	तहसीलदार, गलिया कोट
		चिखली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सीमलवाड़ा	तहसीलदार, चिखली
		झोंथरी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बिछीवाड़ा	तहसीलदार, झोंथरी
		दोवड़ा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर	तहसीलदार, डूंगरपुर
11.	श्रीगंगानगर	श्रीविजयनगर	उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर	तहसीलदार, श्रीविजयनगर
12.	जयपुर	पावटा	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली	उप पंजीयक, कोटपूतली
		जालसू	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), आमेर मुख्यालय जयपुर	उप पंजीयक, आमेर
13.	झालावाड़	भवानीमण्डी	उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी	तहसीलदार, पचपहाड़
		अकलेरा	उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा	तहसीलदार, अकलेरा
14.	जोधपुर	सेखाला	उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जोधपुर	तहसीलदार, बालेसर
		देचू	जिला रसद अधिकारी–प्रथम, जोधपुर	तहसीलदार, शेरगढ़ तहसीलदार, लोहावट
		बापिणी	उपनिदेशक, स्थानीय निकाय, जोधपुर	तहसीलदार, लोहावट तहसीलदार, ओसियां तहसीलदार, फलोदी
		लोहावट	अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, फलौदी	तहसीलदार, लोहावट तहसीलदार, ओसियां
		पीपाड़ शहर	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीपाड़ शहर	तहसीलदार, पीपाड़ शहर तहसीलदार, भोपालगढ़
15.	करौली	मण्डरायल	उपजिला कलक्टर (एस.डी.एम.) मण्डरायल	तहसीलदार, मण्डरायल
16.	नागौर	खींवसर	उपखण्ड अधिकारी, खींवसर	तहसीलदार, खींवसर
		मौलासर	अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर	तहसीलदार, भू.अ. सदर कानूनगो अनुभाग कलेक्ट्रेट नागौर
		नावां	उपखण्ड अधिकारी, नावां	तहसीलदार, नावां
17.	सवाई माधोपुर	चौथ का बरवाड़ा	उप जिला कलक्टर, चौथ का बरवाड़ा	तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा
18.	सीकर	पाटन	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना	उप पंजीयक (तहसीलदार), नीमकाथाना
19.	उदयपुर	ऋषभदेव	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, ऋषभदेव	तहसीलदार, ऋषभदेव
		सायरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोगुन्दा	तहसीलदार, गोगुन्दा
		फलासिया	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट झाड़ोल	तहसीलदार, झाड़ोल
		झल्लारा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सलुम्बर	तहसीलदार, सलुम्बर
		सेमारी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सराडा	तहसीलदार, सेमारी
		कुराबड़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गिर्वा	तहसीलदार, गिर्वा

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/–
(सत्यप्रकाश बसवाला)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

(6)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
Website: www.rajsec.rajasthan.gov.in **Email:** secrajasthan@gmail.com

क्रमांकः एफ.4(3)(1)पंचा/रानिआ/14/8706 जयपुर, दिनांकः 20.11.2014

आदेश

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 119 की उप धारा 5 एवं 6 के उपबन्धों के अनुसरण में और आयोग के पूर्व आदेश क्रमांक एफ.4(3)(1)पंचा/रानिआ/14/2147 दिनांक 29.04.2014 में संशोधन करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट जिलो की स्तम्भ–3 में विनिर्दिष्ट पंचायत समिति के लिए राज्य सरकार के परामर्श से स्तम्भ–4 में विनिर्दिष्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं आयोग के स्तर से स्तम्भ–5 में विनिर्दिष्ट सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित करता है–

सारणी

क्र. सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	झालावाड़	झालारापाटन	उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़	तहसीलदार, झालरापाटन
		बकानी	उपखण्ड अधिकारी, असनावर	तहसीलदार, असनावर नायब तहसीलदार, बकानी
		मनोहरथाना	उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना	तहसीलदार, मनोहरथाना
		डग	उपखण्ड अधिकारी, गंगधार	तहसीलदार, गंगधार
2.	नागौर	मूण्डवा	सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर	तहसीलदार, मूण्डवा

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/–
(सत्यप्रकाश बसवाला)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

(7)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
Website: www.rajsec.rajasthan.gov.in **Email:** secrajasthan@gmail.com

क्रमांकः एफ.4(3)(1)पंचा / रानिआ / 14 / 8712 जयपुर, दिनांकः 20.11.2014

आदेश

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 119 की उप धारा 5 एवं 6 के उपबन्धों के अनुसरण में और आयोग के पूर्व आदेश क्रमांक एफ.4(3)(1)पंचा / रानिआ / 14 / 2147 दिनांक 29.04.2014 के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग, स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट जिलो की स्तम्भ–3 में विनिर्दिष्ट पंचायत समिति के लिए राज्य सरकार के परामर्श से स्तम्भ–4 में विनिर्दिष्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं आयोग के स्तर से स्तम्भ–5 में विनिर्दिष्ट सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित करता है–

सारणी

क्र. सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बांसवाड़ा	गांगड़तलाई	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बागीदौरा	तहसीलदार, गांगड़तलाई
2.	जोधपुर	तिवंरी	सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, जोधपुर	तहसीलदार, तिवंरी, तहसीलदार, ओसियां तहसीलदार, बावड़ी

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0 / –
(सत्यप्रकाश बसवाला)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
Website: www.rajsec.rajasthan.gov.in **Email:** secrajasthan@gmail.com

क्रमांकः एफ.4(3)(1)पंचा/रानिआ/14/9212 जयपुर, दिनांकः 5.12.2014

आदेश

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 119 की उप धारा 6 के उपबन्धों के अनुसरण में और आयोग के पूर्व आदेश क्रमांक एफ.4(3)(1)पंचा/रानिआ/14/2147 दिनांक 29.04.2014 में संशोधन करते हुये राज्य निर्वाचन आयोग, श्रीगंगानगर जिले की पंचायत समिति गंगानगर, सूरतगढ़ एवं अनूपगढ़ के लिए नीचे की सारणी के स्तम्भ–4 में विनिर्दिष्ट सरकारी अधिकारी को ऐसे अधिकारी के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य के उक्त जिले में स्थित उक्त सारणी के स्तम्भ–3 में विनिर्दिष्ट पंचायत समिति क्षेत्र के लिये सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित करता है।

सारणी

क्र.सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	गंगानगर	गंगानगर	उप पंजीयक, गंगानगर
		सूरतगढ़	उप पंजीयक, सूरतगढ़
		अनूपगढ़	उप पंजीयक, अनूपगढ़

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/–
(सत्यप्रकाश बसवाला)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014–15/**4138** जयपुर, दिनांकः **19.9.2014**

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत) (कलक्टर) राजस्थान।

विषयः– पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 – निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु कार्यक्रम एवं दिशा–निर्देश।

महोदय,

राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव माह जनवरी–फरवरी, 2015 में होने हैं। आम चुनावों से पूर्व मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय–3 के नियम 11 से 22 के अनुसार करवाया जाना है। उक्त प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायत के वार्ड, पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूचियॉ तैयार की जायेंगी। पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचक नामावलियों को जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रणाधीन रहते हुये तैयार करने, प्रकाशित करने तथा उनके संबंध में प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण कर मतदाता सूचियों को अंतिम रूप से तैयार करने का दायित्व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 119 की उप धारा 5 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित किए गए अधिकारियों का है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों तथा उनकी सहायतार्थ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को अपने आदेश संख्या एफ. 4(3)(1)/पंचा/रानिआ/14/2147 दिनांक 29.04.2014 **(परिशिष्ट–1)** से नियुक्त किया जा चुका है।

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 11 एवं 19 (1) के अन्तर्गत आयोग ने यह निर्णय लिया है कि, आगामी चुनावों हेतु मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करवाया जाएगा एवं पंचायत की वार्डवार फोटोयुक्त मतदाता सूची विधानसभा की संदर्भ तिथि 1.1.2014 के आधार पर तैयार करवाई गई मतदाता सूची, जो पिछले लोकसभा चुनाव, 2014 में मार्च, 2014 तक अद्यतन है, के डेटाबेस के आधार पर तैयार करवाई जायेंगी। इस प्रकार तैयार की गई सूची से प्रारूप प्रकाशन करवाया जायेगा।

धारा 18 (1) के प्रावधानों के अनुसार निम्न तीन प्रकार की मतदाता सूचियां तैयार की जानी हैं:–

1. ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची।
2. पंचायत समिति के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची।
3. जिला परिषद के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची।

वार्डवार तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर पंचायत समिति तथा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियां तैयार की जावेंगी। इसका तात्पर्य यह है कि, पंचायत समिति/जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र में जो वार्ड (ग्राम पंचायत के वार्ड) आते हैं, उन सभी की मतदाता सूची को संकलित कर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार मान ली जावेगी। अतः पंचायत समिति/जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पृथक से मतदाता सूचियों की तैयारी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उक्त मतदाता सूचियों का प्रकाशन पृथक पृथक किया जाना है। मतदाता सूचियां अर्हता की तारीख 1 जनवरी, 2014 को आधार मानते हुए तैयार की जानी हैं।

A- विधान सभा की मतदाता सूची के डेटाबेस के आधार पर पंचायत की वार्डवार फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया :–

1. आयोग स्तर पर एक स्टेट लेवल एजेन्सी (SLA) नियुक्त की गई है। एजेन्सी द्वारा इस उद्देश्य के लिए एक Software का निर्माण किया है। एजेन्सी ही उसका रख–रखाव व अनुरक्षण करेगी। SLA उक्त सॉफ्टवेयर के द्वारा विधानसभा की मतदाता सूचियों के डेटाबेस को पंचायत के वार्ड की मतदाता सूची के रूप में विभाजित करेगीं। इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से कुछ सूचनाओं की आवश्यकता होगी। उक्त सूचनाएं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रगणकों के माध्यम से तैयार करवाऐंगे। इन सूचनाओं के संकलन के लिए प्रपत्र–बी–1, सी–1, डी–1 एवं डी–2 (परिशिष्ट–2, 3, 4 एवं 5) तैयार किये गये हैं, जो संलग्न हैं। आयोग द्वारा आपको एक वेब एप्लीकेशन esuchi, जिसका url- esuchi.rajasthan.gov.in है, उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस वेब एप्लीकेशन में उक्त प्रपत्र–बी–1, सी–1, डी–1 एवं डी–2 को पूर्ण कर अपलोड करने की सुविधा है। प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कार्यालय को esuchi.rajasthan.gov.in हेतु यूजर नेम एवं पासवार्ड ई–मेल द्वारा भेजा जाएगा। आप इन प्रपत्रों को esuchi.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने के लिए प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय से दो सूचना सहायकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में आयोग मुख्यालय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये मास्टर ट्रेनर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में, इस हेतु कार्य कर रहे अन्य सूचना सहायकों को प्रशिक्षित करेंगे। जिनके द्वारा उक्त चारों प्रपत्रों को पूर्ण कर उक्त वेब एप्लीकेशन पर अपलोड किया जाएगा।

2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर पर इन सूचनाओं के संकलन एवं मतदाता सूची संबंधी आगामी समस्त तैयारी हेतु प्रगणकों की नियुक्ति की जाएगी। जहां तक संभव हो निर्वाचन विभाग द्वारा नियुक्त BLO को प्रगणक के रूप में नियुक्त किया जाए। प्रगणकों की नियुक्ति में यह ध्यान रखा जाए कि, संबंधित कर्मचारी किसी राजनीतिक दल एवं राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त/संलग्न नहीं हो। प्रगणकों को नियुक्त करने के बाद उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। इस प्रशिक्षण में प्रगणकों को संलग्न प्रपत्रों में सूचना संकलित करने का तरीका भली–भांति समझाया जाए। प्रशिक्षण के तुरन्त बाद ही सूचना संकलन का वास्तविक कार्य शुरू कर दिया जाना चाहिए। इस कार्य में प्रशिक्षण दिवस सहित दो–तीन दिन के समय की ही आवश्यकता होगी। यह समस्त कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के मुख्यालय पर ही प्रगणकों को एक ही स्थान पर एकत्रित कर करवाया जाए ताकि यदि पंचायत के किसी वार्ड के मतदाता विधानसभा के एक से अधिक भागों में सम्मिलित हों तो प्रगणक उनके बारे में एक दूसरे को जानकारी देकर उन्हें पंचायत के लिए अलग–अलग वार्डों में विभाजित कर लें। यह ध्यान रखा जाए कि, पंचायत के किसी वार्ड में उसी वार्ड के मतदाता सम्मिलित रहें अन्य वार्डो के मतदाता नहीं। **ऊपर अंकित प्रपत्रों में सूचना संकलित करने की प्रक्रिया में प्रगणकों को विधानसभा की मतदाता सूची, वार्डों का सीमाकंन (परिसीमन) के आदेश की प्रति, वार्ड का नक्शा, प्रत्येक वार्ड का नजरी नक्शा तथा पंचायत की वर्तमान मतदाता सूची की आवश्यकता होगी जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणकों को उपलब्ध करवाई जायेंगी।**

3. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि, यदि परिसीमन आदेश में जो सीमाएं अंकित हैं, उससे यह पता नहीं चले कि कौन–कौन सी बस्ती/मौहल्ला या उसका कौनसा भाग उस वार्ड में हैं तथा वार्ड के नक्शे में भी यह पूरी तरह अंकित नहीं हो तो ऐसी स्थिति में पंचायत की वर्तमान मतदाता सूची के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि, वार्ड में कौन–कौन सी बस्ती/मौहल्ला या उसका कौनसा भाग उस वार्ड में हैं। इन सूचियों में कहीं–कहीं इनका नाम अंकित होने से छूटा हुआ हो सकता है। इस स्थिति में पंचायत की वर्तमान वोटर लिस्ट में मकान संख्या की नई श्रृंखला शुरू हो रही हो तो उनके वोटर्स के नामों का विधानसभा की मतदाता सूची के संबंधित भाग के वोटर्स के नामों की एकरूपता के आधार पर बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला का नाम पता लगाया जा सकता है। वार्ड में कौन–कौन सी बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला हैं यह पता

लगाया जाना इसलिए आवश्यक है कि, विधानसभा की मतदाता सूची भाग, अनुभागों में विभाजित हैं जिनमें किसी ना किसी बस्ती/मौहल्ला या उसका भाग में उस वार्ड, के पूर्ण अथवा आंशिक भाग के मतदाता सम्मिलित हैं। इससे यदि कौन–कौन सी बस्ती/मौहल्ला या उसका कौनसा भाग उस वार्ड में हैं, इसकी जानकारी है तो यह पता लगाने में आसानी होगी कि, विधान सभा के किस भाग के मतदाता किस वार्ड से संबंधित हैं।

4. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं प्रगणक सर्वप्रथम विधानसभा की मतदाता सूची के किस भाग में किस–किस वार्ड के मतदाता सम्मिलित हैं, ये पता लगाएंगे। यदि इस कार्य में किसी तरह की कठिनाई महसूस हो तो सचिव ग्राम पंचायत व अन्य कर्मचारियों की सहायता ली जाए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिए उचित रहेगा कि, प्रगणकों के प्रशिक्षण के दिन पंचायत के कर्मचारियों को भी उक्त प्रशिक्षण मे बुला लिया जाए।

5. पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में आयोग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जा रहे हैं। पॉलिंग स्टेशन/मतदान बूथ की क्रम संख्या आवंटित करते समय यह ध्यान रखा जाऐ कि, यह क्रम संख्या 1 से शुरू होकर पूरे पंचायत समिति क्षेत्र के लिए लगातार होंगी।

6. प्रारूप B-1 में सूचनाओं को अंकित करने का तरीकाः–
   - प्रपत्र में ऊपर पंचायत समिति, जिला परिषद, जिले का नाम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व प्रपत्र भरने वाले सूचना सहायक का नाम, ई–मेल एवं मोबाईल नंबर लिखा जाएगा।
   - कॉलम नं. 1 क्रम संख्या से संबंधित है।
   - कॉलम नं. 2 में ग्राम पंचायत का नाम लिखा जाएगा।
   - कॉलम नं. 3 में आपकी ग्राम पंचायत जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है, उस विधानसभा क्षेत्र का नंबर लिखना है।
   - कॉलम नं. 4 एवं 5 में पंचायत से संबंधित विधानसभा क्षेत्र के कौनसे भाग उपयोग में आयेंगे उनकी संख्या लिखनी है। उदाहरणार्थ– ग्राम पंचायत– रामनगर में विधानसभा क्षेत्र सं. 50 के भाग 48 से 52 तक उपयोग में आयेंगे। यह प्रारूप पंचायत समितिवार तैयार किया जायेगा।

   ग्राम पंचायत का वार्डों में विभाजन करने के लिए प्रारूप C-1 का निम्नानुसार उपयोग करें :–
   - प्रपत्र में ऊपर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद एवं जिले का नाम लिखा जाएगा।
   - कॉलम नं. 1 क्रम संख्या से संबंधित है।
   - कॉलम नं. 2 में आपकी ग्राम पंचायत जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है उस विधानसभा क्षेत्र का नंबर लिखा जायेगा यथा 55
   - कॉलम नं. 3 में जिस ग्राम पंचायत से संबंधित यह प्रपत्र है, उससे संबंधित विधानसभा क्षेत्र के भाग का नंबर अंकित किया जाएगा।
   - कॉलम नं. 4 एवं 5 में कॉलम नं 3 में अंकित भाग के मतदाताओं की क्रम संख्या (कहॉ से कहॉ तक) अंकित की जाऐगी।
   - कॉलम नं. 6 में कॉलम नं. 4 एवं 5 में अंकित मतदाता जिस वार्ड से संबंधित हैं उस वार्ड की संख्या लिखी जाएगी।
   - कॉलम नं. 7 में कॉलम नं. 4 एवं 5 के कुल मतदाताओं की गणना स्वतः ही हो जाएगी। इसमें विलोपित मतदाताओं की संख्या भी शामिल होगी।

   प्रारूप D-1 में सूचनाओं को अंकित करने का तरीकाः–
   - प्रपत्र में ऊपर पंचायत समिति, जिला परिषद एवं जिले का नाम लिखा जाएगा।
   - कॉलम नं. 1 क्रम संख्या से संबंधित है।

- कॉलम नं. 2 में ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर लिखे जायेंगे।
- कॉलम नं. 3 में ग्राम पंचायत का नाम लिखा जाएगा।
- कॉलम नं. 4 में पॉलिंग स्टेशन के नंबर लिखे जायेंगे। उल्लेखनीय है कि, प्रत्येक ग्राम पंचायत वार्ड की क्रम संख्या 1 से शुरू होकर उसी पंचायत तक सीमित रहेगी, जबकि पॉलिंग स्टेशन की क्रम संख्या 1 से शुरू होकर पूरे पंचायत समिति क्षेत्र के लिए लगातार होगी।
- कॉलम नं. 5 में उस पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखी जायेंगी जिससे संबंधित ग्राम पंचायत का विवरण कॉलम संख्या 3 में दिया गया है।
- कॉलम नं. 6 में उस जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखी जायेंगी जिससे संबंधित ग्राम पंचायत का विवरण कॉलम संख्या 3 में दिया गया है।

प्रारूप D-2 में सूचनाओं को अंकित करने का तरीकाः—

- प्रपत्र में ऊपर पंचायत समिति एवं जिला परिषद का नाम लिखा जाएगा।
- कॉलम नं. 1 में पॉलिंग स्टेशन का नंबर अंकित किया जायेगा।
- कॉलम नं. 2 एवं कॉलम नं. 3 में पॉलिंग स्टेशन का नाम क्रमशः हिन्दी एवं अंग्रेजी में लिखा जाएगा।

7. आयोग के आदेश क्रमांक 4086 दि. 17.9.2014 से सूचना सहायक (IA) की सेवाऐं अधिग्रहण करने हेतु तथा आदेश क्रमांक 3206 दिनांक 7.8.2014 से मैन—विथ—मशीन की स्वीकृति आपकी मांग के अनुरूप जारी कर दी गई है। अतः आप तुरन्त सूचना सहायकों अथवा मैन—विथ—मशीन की सेवाऐं प्राप्त करलें। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी इन्हीं की सहायता से उक्त प्रपत्रों की सूचनाओं को फीड करवाने एवं esuchi.rajasthan.gov.in पर अपलोड करवाने की कार्यवाही करेंगे। मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् डेटा फीडिंग का कार्य भी सूचना सहायक ही करेंगे। इस समस्त कार्य को सूचना सहायक/मैन—विद—मशीन द्वारा अच्छे से सम्पादित किया जा सके इस हेतु आयोग मुख्यालय पर दिनांक 29, 30 सितम्बर, एवं 1 अक्टूबर 2014 को इनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है। इससे संबंधित सूचना पृथक से जारी की जा रही है।
8. आयोग ने आगामी पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संबंध में यह निर्णय लिया है कि, पंच—सरपंच के लिए चुनाव एक साथ एक दिवस को तथा जिला परिषद—पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव एक साथ एक अन्य दिवस को एक चरण में होगा। इस स्थिति में प्रत्येक बूथ पर सामान्यतः 1400 मतदाता रखे जाऐं। चूंकि पंचायत चुनाव में प्रत्येक वार्ड एक निर्वाचन क्षेत्र होता है अतः पूरा—पूरा वार्ड एक ही बूथ पर रहेगा। अलग—अलग बूथों में विभाजित नहीं होगा। इस प्रकार प्रत्येक बूथ पर दो या अधिक पूरे—पूरे वार्ड के मतदाता ऊपर अंकित मतदाताओं की संख्या के अनुसार सम्मिलित होंगे।
9. उक्त समस्त कार्य (प्रपत्रों में सूचना संकलित करना एवं esuchi.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने तक का समस्त कार्य), जिन पंचायतों की सीमा परिसीमन की प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं हो रही हैं वहॉ 10 अक्टूबर तक तथा जहॉ परिसीमन के दौरान पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में परिवर्तन होगा, वहॉ के लिए यह कार्य 7 नवम्बर तक पूर्ण किया जाना है। esuchi.rajasthan.gov.in पर इस प्रकार प्राप्त सूचनाओं के आधार पर SLA द्वारा विधानसभा की मतदाता सूचियां के डेटाबेस के आधार पर पंचायतों की वार्डवार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार की जाऐगी। तैयार की गई यह मतदाता सूची Softcopy में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को प्रूफ रीडिंग एवं उनके द्वारा प्रस्तुत संकलित सूचना के अनुसार तैयार की गई है अथवा नहीं, की जांच के लिए भेजी जाऐगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी इसका सत्यापन करवाकर esuchi.rajasthan.gov.in पर संशोधनों की सूचना के साथ अपलोड करेंगें तथा **इस आशय का प्रमाण पत्र भी देंगें कि, उनके द्वारा इस प्रकार वार्डवार बनी मतदाता सूची का अवलोकन कर लिया है और वह सही है।** इस प्रकार प्राप्त

संशोधनों को समाहित करते हुए पंचायतों की वार्डवार मतदाता सूची पी.डी.एफ. के रूप में तैयार की जाएगी। जिसको esuchi.rajasthan.gov.in पर अपलोड किया जायेगा। उक्त सूचियों का आवश्यकतानुसार लेजर प्रिंटर से प्रिंट (Hardcopy) लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन करवाऐंगे। मतदाता सूची (पी.डी.एफ. फाइल) से लेजर प्रिंट निकलवाने अथवा एक प्रति निकलवाकर आवश्यकतानुसार फोटो कॉपी करने हेतु प्रथमतः कार्यालय में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जावे। लेजर प्रिंटर की व्यवस्था कार्यालय में नहीं होने की दशा में नियमानुसार बाजार दर पर अथवा किराये के संसाधन प्राप्त कर मतदाता सूची की प्रतियां प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

10. निर्वाचन को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए मतदाता सूचियों का शुद्ध एवं अद्यतन होना आवश्यक है। प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में सही विवरण के साथ अंकित हो। इसका दायित्व प्रगणक से शुरू होकर जिला निर्वाचन अधिकारी तक का है। इस हेतु मतदाता सूची के तैयारी के हर स्तर पर पूर्ण सावचेती एवं पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के यह निर्देश हैं कि, **जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के स्तर से मतदाता सूचियों का निकटता एवं गहनता से पर्यवेक्षण किया जाए।**

11. निर्वाचनों के समय मतदाता सूची में नाम नहीं होने, यहां तक कि कहीं—कहीं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम तथा एक बड़े क्षेत्र यथा मौहल्ला, गली के मतदाताओं के नाम गायब हो जाने की शिकायतें मिलती हैं। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद बहुतायात में मतदाताओं द्वारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कुछ समय पूर्व हुई विधानसभा व लोकसभा चुनावों हेतु किया गया होता है। इसके लिए मतदाता सूची तैयार करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया से विभिन्न स्तर पर अपने दायित्वों का सजगता से निर्वहन करने एवं उचित पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए।

B. मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं इसके बाद की तिथियां निम्नानुसार रहेगीः—

— :: कार्यक्रम :: —

उन पंचायती राज संस्थाओं के लिए जिनकी सीमाओं में परिवर्तन नहीं हो रहा है :—

क्र.सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	10 नवम्बर, 2014 (सोमवार) को
2.	निर्वाचक नामावलियों का वार्डों/मतदान केन्द्रों पर पठन	11 व 12 नवम्बर, 2014
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	19 नवम्बर, 2014 (बुधवार) को
4.	विशेष अभियान की तिथियॉ	15, 16 एवं 18 नवम्बर, 2014
5.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	28 नवम्बर, 2014 तक
6.	पूरक सूचियों की तैयारी	8 दिसम्बर, 2014 तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	12 दिसम्बर, 2014 को

उन पंचायती राज संस्थाओं के लिए जिनकी सीमा परिवर्तित हो रही है :—

क्र.सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	20 नवम्बर, 2014 (गुरूवार) को
2.	निर्वाचक नामावलियों का वार्ड़ों/मतदान केन्द्रों पर पठन	21 व 22 नवम्बर, 2014
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	29 नवम्बर, 2014 (शनिवार) को
4.	विशेष अभियान की तिथियॉ	24, 25 एवं 29 नवम्बर, 2014
5.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	9 दिसम्बर, 2014 तक
6.	पूरक सूचियों की तैयारी	18 दिसम्बर, 2014 तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	20 दिसम्बर, 2014 को

नोट :– उक्त तिथियॉ यह मानकर निर्धारित की गई हैं कि, पंचायती राज संस्थाओं में परिसीमन का समस्त कार्य 30 अक्टूबर, 2014 तक पूरा कर लिया जायेगा। यदि 30 अक्टूबर, 2014 तक भी परिसीमन का कार्य पूर्ण नहीं होता है तो पंचायती राज संस्थाओं की पुरानी सीमाओं के अनुसार ही जिला निर्वाचन अधिकारी/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपरोक्त वर्णित प्रपत्रों (B-1, C-1, D-1 & D-2) में सूचनाऐं संकलित कर esuchi.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दें। पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों को नियत समय पर कराने के संवैधानिक दायित्व के चलते आयोग के लिए प्रारूप प्रकाशन की तिथियों में अब और परिवर्तन करना संभव नहीं होगा।

C. सामान्य निर्देश :–

1. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–18(2) के प्रावधानों के अनुसार उस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसकी आयु अर्हता की तिथि को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो तथा जो संबंधित वार्ड का सामान्य तौर पर निवासी हो। सामान्य तौर पर निवासी के संबंध में स्पष्टीकरण धारा–18(2) में दिये हुये हैं। निर्वाचक नामावलियों को दिनांक 01.01.2014 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार किया जाना है। अतः जिस व्यक्ति की आयु 01.01.2014 को 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई हो, वह व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने का पात्र नहीं है।

2. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18(5) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का नाम पंचायती राज संस्थाओं में किसी एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किया जा सकता है तथा धारा 18(6) के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार सम्मिलित नहीं हो सकता है। यह सम्भव है कि पंचायत क्षेत्र से **संबंधित विधानसभा** निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति का नाम त्रुटिवश एक से अधिक बार सम्मिलित हो गया हो। ऐसे व्यक्ति का नाम उसी एक स्थान पर रहने दिया जावे, जहां के लिए वह पात्र है, तथा शेष स्थानों से उसका नाम काट दिया जाए। **किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित नहीं किया जाए, जो भारतीय नागरिक नहीं है।**

3. निर्वाचक नामावली वार्डवार तैयार की जायेगी। निर्वाचक नामावली के प्रारूप में आयोग द्वारा परिवर्तन किया गया है। प्रत्येक भाग की मतदाता सूची के ऊपर एक कवर पेज होगा जिसमें वार्ड से संबंधित विवरण होगा। इसके साथ वार्ड का नजरी नक्शा होगा तथा मतदाता सूची उसी प्रारूप में तैयार की जाएगी जैसा कि, विधानसभा की मतदाता सूची का प्रारूप निर्धारित है। सिर्फ शीर्षक में परिवर्तन किया जाएगा। शीर्षक में मतदाता सूची का वर्ष, जिला/जिला परिषद का नाम, जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या, पंचायत समिति का नाम, पंचायत समिति का निर्वाचन क्षेत्र संख्या, पंचायत सर्किल का नाम व संख्यांक, वार्ड संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम व संख्या, गॉव का नाम अंकित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जहां से भी नई बस्ती/मौहल्ला शुरू होगा उक्त विवरण के नीचे उसका नाम अंकित किया जाएगा। निर्वाचक नामावली में प्रत्येक पृष्ठ पर दोनों तरफ 30–30 मतदाताओं के नाम अंकित होंगे। इस तरह एक पृष्ठ पर कुल 60 नाम अंकित किए जाऐंगे। निर्वाचक नामावली का प्रारूप संलग्न **परिशिष्ट–6** में बताया गया है।

4. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार यदि किन्नर (थर्डजेण्डर) एवं लिंग रूपान्तरक (ट्रांस जेण्डर) मतदाता अपने आप को स्त्री अथवा पुरूष के रूप में प्रकट नहीं करना चाहें तो वे अपना लिंग 'अन्य' के रूप में वर्णित कर सकते हैं। उक्त प्रकार के मतदाताओं द्वारा चाहे जाने पर उनके लिंग के कॉलम में 'अन्य' अंकित किया जाए। आयोग द्वारा इस हेतु संबंधित सभी प्रपत्रों में यथा स्थान आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।

5. मुद्रित सूचियों में से पूर्वोक्त तीन प्रकार की मतदाता सूचियों का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशन, राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के 12 के अनुसार अलग–अलग किया जायेगा। सूची के साथ प्रकाशित होने वाला नोटिस (**परिशिष्ट–7**) संलग्न है। ग्राम पंचायतों के वार्डों की मतदाता सूची का प्रकाशन, पंचायत कार्यालय तथा संबंधित वार्ड में 2 सहज दृश्य स्थानों पर किया जायेगा। पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का प्रकाशन, पंचायत समिति कार्यालय तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 2 सहज दृश्य स्थानों पर किया जायेगा। इसी प्रकार जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का प्रकाशन, जिला परिषद कार्यालय तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 2 सहज दृश्य स्थानों पर किया जायेगा।

6. निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत यह भी प्रावधान है कि, मतदाता सूची निःशुल्क निरीक्षणार्थ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कार्यालय में भी उपलब्ध कराई जावे। अतः दावे/आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि पर्यन्त मतदाता सूची निरीक्षणार्थ उक्त कार्यालय में रखी जावे।

7. जिन पंचायती राज संस्थाओं में परिसीमन में सीमाऐं अपरिवर्तित रहेंगी उनके लिए दिनांक 10 से 19 नवम्बर तक तथा जिन पंचायती राज संस्थाओं में परिसीमन में सीमाऐं परिवर्तित होंगी उनके लिए दिनांक 20 नवम्बर, 2014 से 29 नवम्बर, 2014 तक दावे व आपत्तियॉ प्रस्तुत करने की अवधि निर्धारित है। दावे व आपत्तियॉ प्ररूप I, II & III में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उक्त अवधि में प्रस्तुत करने के प्रावधान हैं। मतदान केन्द्रों के लिये पदाभिहीत अधिकारियों की नियुक्ति भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से मतदान केन्द्रों पर उक्त अवधि में दावे और आपत्तियॉ प्राप्त कर सकेंगे। प्रगणकों को भी पदाभिहीत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

8. तैयार प्रारूप मतदाता सूची की प्रति सभी पदाभिहीत अधिकारियों को उपलब्ध करवाकर जिन पंचायती राज संस्थाओं में परिसीमन में सीमाऐ अपरिवर्तित रहेंगी, उनके लिए दिनांक 11 एवं 12 नवम्बर तथा जिन पंचायती राज संस्थाओं में परिसीमन में सीमाऐ परिवर्तित होंगी, उनके लिए दिनांक 21 एवं 22 नवम्बर को जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के मतदान केन्द्रों पर वार्ड सभायें आयोजित कर संबंधित भागों की निर्वाचक नामावलियों का पठन किया जायेगा। मतदाता सूची निरीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगी, ताकि मतदाता इन निर्वाचक नामावलियों का अवलोकन कर या सुनकर नामावली की किसी प्रविष्टी के विवरण के संबंध में यदि कोई दावा/आपत्ति है, तो मतदान केन्दों पर विशेष अभियान तिथियों में अथवा 11 से 19 नवम्बर तथा 21 नवम्बर से 29 नवम्बर (उपर वर्णित कार्यक्रम अनुसार) के बीच अन्य तिथियों में आवेदन पत्र भरकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहीत अधिकारियों को दे सकें। अतः यह सुनिश्चित करलें कि, अभियान तिथियों को पदाभिहित अधिकारियों के पास पर्याप्त मात्रा में आवेदन पत्र (प्ररूप I, II & III) उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध करवाये जायेंगे। पठन–पाठन के उक्त कार्यक्रम में पंचायतों के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी भी आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे व क्षेत्र के लोगों को कार्यक्रम की जानकारी भी देंगे।

9. मतदान केन्द्रों पर दावे व आपत्तियॉ प्रस्तुत करने के लिए विशेष अभियान तिथियॉ दिनांक 15, 16 व 18 नवम्बर (जहॉ परिसीमन में सीमाऐं अपरिवर्तित रहेंगीं), दिनांक 24, 25 एवं 29 नवम्बर, 2014 (जहॉ परिसीमन में सीमाऐं परिवर्तित होंगीं) निर्धारित की गई है। **इन दिनों पदाभिहीत अधिकारी पूरे दिवस को प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक अपने–अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावे आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। शेष दिनों में आधा दिवस पूर्वान्ह या अपरान्ह में उपस्थित रहेंगे।**

10. नियम 12 (2) के अनुसार आपत्ति व दावे प्रस्तुत करने का समय 10 दिन निर्धारित है और इन्हें प्ररूप I, II & III में प्रस्तुत किया जावेगा। दावे व आपत्ति डाक द्वारा भी भेजी जा सकती हैं। यह प्रारूप राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 में विहित है। प्राप्त दावों व आपत्तियों की संक्षिप्त जांच की जाकर उनका निस्तारण किया जायेगा। **दावों व आपत्ति हेतु मतदाताओं को समुचित मात्रा में प्ररूप निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जावे। यदि मुद्रित प्ररूप उपलब्ध नहीं हो तो फोटोप्रति अथवा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र उसी पेशानी में स्वीकार किये जा सकेंगे।**

11. प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का विवरण संलग्न प्रपत्र–3, 4, और 5 (**परिशिष्ट–8**) में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दो प्रतियों में प्रतिदिन तैयार किया जाये तथा एक प्रति कार्यालय के सूचना पट्ट पर तीन दिन तक प्रदर्शित की जावेगी।

12. दावे व आपत्तियां सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भी प्राप्त की जा सकती हैं। इस प्रकार प्राप्त दावे व आपत्तियों के बारे में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी उपरोक्त प्रपत्रों में सूचना, 2 प्रतियों में तैयार करवाकर एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा। इन प्रपत्रों में सुनवाई की तारीख समय और स्थान वही अंकित किया जावेगा जो कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निश्चित किया गया है। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्राप्त दावे व आपत्तियों को उचित टिप्पणी के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास उसी दिन भेजेगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस प्रकार प्राप्त प्रकरणों की भी नोटिस बोर्ड पर निर्धारित प्रपत्र 3, 4 व 5 में सूची प्रदर्शित करेगा।

13. यदि किन्हीं दो या अधिक मतदाताओं के नाम व अन्य विवरण की समरूपता के आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का यह समाधान हो कि, यह एक ही व्यक्ति से संबंधित विवरण है तो वह प्रारूप प्रकाशन के बाद अपने स्वविवेक का उपयोग कर उक्त मतदाता का नाम एक स्थान पर रखते हुए शेष स्थानों से विलोपित किए जाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही करे।

14. दावों व आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम–14 में बतायी गयी है। इसके अलावा नियम–15 व नियम–16 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को स्वविवेक से कार्य करने की प्रक्रिया भी बतायी गयी है। साथ ही किसी मतदाता के संबंध में आपको सूचना प्राप्त होती है कि, उसकी मृत्यु हो गई है अथवा उसके द्वारा उस वार्ड में अपना निवास स्थान छोड़ दिया गया है तो उक्त मतदाता का नाम, संदर्भित नियमों का पालन करते हुए, विलोपित सूची में अंकित कर दिया जाएगा। दावों व आपत्तियों के निस्तारण एवं स्वविवेक से नाम जोड़े या हटाये जाने की प्रक्रिया के पश्चात् निर्वाचक नामावलियों की फोटोयुक्त पूरक सूची वार्डवार तैयार की जायेगी और इसे esuchi.rajasthan.gov.in पर अपलोड किया जावेगा। इस प्रकार esuchi.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध निर्वाचक नामावली पूरक सूची सहित, लेजर प्रिंटर से प्रिंट (Hardcopy) लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूचियों की आवश्यकतानुसार फोटो प्रतियां करवाकर निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन नियम–17 के प्रावधानों के अनुसार संलग्न प्रपत्र–6 में बताये गये प्रारूप में किया जावेगा (**परिशिष्ट–9**)। मतदाता सूची (पी.डी.एफ. फाइल) से लेजर प्रिंट निकलवाने अथवा एक प्रति निकलवाकर आवश्यकतानुसार फोटो कॉपी करने हेतु प्रथमतः कार्यालय में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जावे। लेजर प्रिंटर की व्यवस्था कार्यालय में नहीं होने की दशा में नियमानुसार बाजार दर पर अथवा किराये के संसाधन प्राप्त कर मतदाता सूची की प्रतियां प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

15. निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् संबंधित रिकार्ड अर्थात प्रारूप निर्वाचक नामावलियां, दावों/आपत्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उन पर दिया गया निर्णय और अंतिम रूप

से तैयार की गई निर्वाचक नामावलियों की प्रमाणित प्रति संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा नियम–22 के प्रावधानों के अनुसार उसके कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।

16. नियम 22 (2) के प्रावधानों के अनुसार किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की नामावली की एक पूर्ण प्रति, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित हो, जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भी उस नामावली का अगला गहन पुनरीक्षण पूरा होने तक रखी जावेगी।

17. मतदाताओं के वार्डवार आंकड़े प्रगणकों द्वारा तैयार कर निर्धारित प्रपत्र में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे। इन आंकडों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के कार्यालय में एक पत्रावली खोलकर उसमें पत्रित किया जावेगा। परिशिष्ट–10 पर बताये गये प्रपत्र (मतदाताओं की संख्या दावे/आपत्तियों के विवरण) में एक रजिस्टर वार्डवार संधारित किया जायेगा। इस रजिस्टर में पंचायत निर्वाचक नामावलियों से संबंधित आंकड़े यथा मतदाताओं की कुल संख्या, स्त्री, पुरूष व अन्य मतदाताओं की संख्या अंकित की जाकर मय गोश्वारे संकलित किये जायेंगे। निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के पश्चात उक्त रजिस्टर में संकलित आकड़ों के आधार पर सांख्यिकी सूचना के स्टेटमेंट संख्या–1 (परिशिष्ट–11) में सूचना तैयार करवाकर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी। इन आंकड़ों से यह पता चलेगा कि, हाल में हुई लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची की तुलना में मतदाताओं में कितनी वृद्धि और कमी हुई हैं। असाधारण (Unusal) परिवर्तन की जांच जिला निर्वाचन अधिकारी व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं भी करें ताकि मतदाता सूची में कोई गलती ना रहें। यह सुनिश्चित किया जाए कि, मतदाता सूची में पात्र व्यक्ति का नाम जुड़ने से रह नहीं जाए व अपात्र का नाम नहीं रहे।

18. निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के समय तथा अंतिम प्रकाशन के समय नामावलियों का एक–एक सैट हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।

19. कार्यक्रम का विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान की तिथियों व कार्यक्रम को समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से तथा इस आश्य की सूचना हेतु पम्फलेट वितरित करवाकर प्रचार/प्रसार किया जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालयों के प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों को कार्यक्रम की तिथियों सहित पूर्ण जानकारी देने हेतु शाला प्रधानों को निर्देशित किया जाए ताकि विद्यार्थी अपने परिवारजनों को अवगत करा सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अपने–अपने स्तर पर राजनैतिक दलों/स्वयं सेवी संस्थाओं की बैठक आयोजित कर उन्हें मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण के कार्य से जोड़ें ताकि सभी योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकें।

20. मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के समय भी त्रुटियॉ रह जाने की संभावना रहती है। जिला निर्वाचन अधिकारी यह व्यापक प्रचार–प्रसार करवायें कि, **यदि अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों में किन्ही पात्र व्यक्तियों के नाम रह गये हों या गलत शामिल हो गये हों या कोई अशुद्धि रह गयी हो तो, उसका उपचार नियमों में विहित प्ररूप I or II or III में आवेदन पत्र/आपत्तियॉ प्रस्तुत कर किया जा सकता है।** इस संबंध में प्रक्रिया नियम 20 में बतायी गई है। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूचियों के निरंतर अद्यतन (Continuous updation) हेतु नियम 20 में पर्याप्त प्रावधान हैं। नियम 20 के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वविवेक से या प्रार्थना पत्र के आधार पर नाम जोड़ने/हटाने/अंतरण करने की कार्यवाही एक विहित प्रक्रिया के अधीन की जा सकती है। इन प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत मतदाता सूचियों में कोई गड़बड़ी शेष नहीं रहे और आगामी चुनावों में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हों।

नियम 20 के अंतर्गत निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया में नाम जोड़ने, हटाने, अंतरण करने या शुद्ध करने की कार्यवाही पंचायत चुनावों के लिए नियम 23 या 58 के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने की तिथि तक की जा सकती हैं। **चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि से मतदान समाप्ति तक मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस प्रकार जोड़े गये, हटाये गये या शुद्ध किये गये नामों की सूची पूरक–2 के नाम से बनायी जायेगी।**

21. मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के प्रपत्र, दावे व आपत्तियों के प्रार्थना पत्र (प्ररूप I, II & III) आयोग द्वारा मुद्रित कराये जा चुके हैं। जिनका आवंटन आदेश पृथक से जारी किया जा रहा है।

22. मतदाता सूची तैयारी, प्रारूप प्रकाशन व अंतिम प्रकाशन में कम्प्यूटर स्टेशनरी, आवश्यक सामग्री क्रय हेतु प्रारम्भिक बजट आवंटन आदेश और मतदाता सूची की प्रारंभिक तैयारी में लगे प्रगणकों व अन्य स्टॉफ को उचित पारिश्रमिक भुगतान के आदेश भी आयोग द्वारा शीघ्र जारी किये जा रहे हैं।

निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में उपलब्ध विधिक प्रावधानों एवं आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की अक्षरश पालना सुनिश्चित की जावे।

आयोग समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से अपेक्षा करता है कि, अपने कार्य को उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार समय पर सम्पन्न करेंगे। मतदाता सूचियों में नाम छूटने या गलत नाम जुडने की व्यापक शिकायतें प्राप्त होती हैं तो आयोग राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18–बी के अन्तर्गत संबंधित दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु बाध्य होगा। इस धारा के प्रावधान को जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के ध्यान में लाए।

उक्त आदेश की एक–एक प्रति अपने जिले के संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

State Election Commission Rajasthan

Format - D1

Name of Panchayat Samiti:

Name of Distt./Zilla Parishad:

(please give details of Grampanchayat Wards and their corresponding Panchayat Samiti and Zilla Parishad Constituency Numbers)

version,1.1

1	2	3	4	5	6
Sr. No.	Gram Panchatyat Ward No.	Name of Grampanchayat	Polling Station No.	Panchayat Samiti Constituency No.	Zilla Parishad Constituency No.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

Draft Electoral Roll Control Chart

Name of Gram Panchayat:

Name of Panchayat Samiti:

Name of Distt./Zila Parishad:

FORMAT - C1

Please use this temaplate to create electoral rolls. Please enter values in english. Please do not change or make copies of this template. Please start filling the template from Sr. No. 1 version,1.1

1	2	3	4	5	6	7
			Voter			
Sr. No.	Assembly Constituency No.	Assembly Part No.	From	To	Ward No.	Total
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

State Election Commission Rajasthan

FORMAT - B1

Name of Panchayat Samiti:

Name of Distt./Zila Parishad:

Contact Name / Email / Number (ERO):

Contact Name / Email / Number (IA):

(please provide Parts from Assembly Constituency which are used for Grampanchayat Elections)

version,1.1

1	2	3	4	5
Sr. No.	Name of Grampanchayat	Assembly Constituency No.	From Part No.	To Part No.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

परिशिष्ट - 5

State Election Commission, Rajasthan

Format - D2

version,1.1

Name of Panchayat Samiti:

Name of Distt./Zila Parishad:

(please give details of Grampanchayat Wards and their corresponding Panchayat Samiti and Zilla Parishad Constituency Numbers)

1 Polling Station No.	2 हिंदी (unicode only) (for unicode please use Google Input Tools)	3 English

परिशिष्ट–6

निर्वाचक नामावली, 2014

जिला / जिला परिषद का नाम :	जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र सं.
पंचायत समिति का नाम :	पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र सं.
पंचायत सर्किल का नाम व संख्याक:	वार्ड सं.
विधान सभा क्षेत्र का नाम व संख्या :	

1. पुनरीक्षण का विवरण :

पुनरीक्षण का वर्ष :

पुनरीक्षण का प्रकार :

अर्हता तिथि :

प्रारूप प्रकाशन की तिथि :

अंतिम प्रकाशन की तिथि :

2. वार्ड का विवरण :

गांव का नाम :

पटवार सर्किल :

कानूनगों सर्किल :

तहसील :

जिला :

3. मतदान केन्द्र का विवरण :

मतदान केन्द्र की संख्या व नाम :

मतदान केन्द्र के भवन का नाम व पता :

4. मतदाताओं का विवरण :

आरंभिक क्रम संख्या	अंतिम क्रम संख्या	मतदाताओं की संख्या			
		पुरूष	स्त्री	अन्य	योग

पृ. सं. 1 / 4

<u>परिशिष्ट–6.1</u>

निर्वाचक नामावली, 2014

जिला/जिला परिषद का नाम :	जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र सं.
पंचायत समिति का नाम :	पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र सं.
पंचायत सर्किल का नाम व संख्याकः	वार्ड सं.
विधान सभा क्षेत्र का नाम व संख्या :	

(वार्ड का नजरी नक्शा अंकित किया जाना हैं)

पृ. सं. 2/4

परिशिष्ट–6.2

निर्वाचक नामावली, 2014

जिला/जिला परिषद का नाम :	जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र सं.
पंचायत समिति का नाम :	पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र सं.
पंचायत सर्किल का नाम व संख्याकः	वार्ड सं.
विधान सभा क्षेत्र का नाम व संख्या :	
गॉव का नाम :	

1.	2.	3.
4.	5.	6.
7.	8.	9.
10.	11.	12.
13.	14.	15.
16.	17.	18.
19.	20.	21.
22.	23.	24.
25.	26.	27.
28.	29.	30.

पृ. सं. 3/4

निर्वाचक नामावली, 2014

जिला / जिला परिषद का नाम :	जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र सं.
पंचायत समिति का नाम :	पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र सं.
पंचायत सर्किल का नाम व संख्याकः	वार्ड सं.
विधान सभा क्षेत्र का नाम व संख्या :	
गॉव का नाम :	

31.	32.	33.
34.	35.	36.
37.	38.	39.
40.	41.	42.
43.	44.	45.
46.	47.	48.
49.	50.	51.
52.	53.	54.
55.	56.	57.
58.	59.	60.

पृ. सं. 4 / 4

परिशिष्ट–7

कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी .... (स्थान)

नोटिस

पंचायत सर्किल के वार्डों/पंचायत समिति/जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशन

जिला परिषद ..../ पंचायत समिति .... पंचायत सर्किल ....

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के अन्तर्गत तैयार की गई उक्त पंचायत सर्किल के वार्ड संख्याक ..../पंचायत समिति/जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक .... की मतदाता सूची सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है।

यदि कोई व्यक्ति इस सूची में नाम जुड़ाना चाहे, या इस सूची में सम्मिलित किसी नाम पर आपत्ति करना चाहे या विद्यमान प्रविष्टियों के किसी विवरण में संशोधन कराना चाहे तो वह इस नोटिस की तारीख से 10 दिन यानि दिनांक .... को 3 बजे दोपहर तक लिखित आवेदन के रूप में निर्धारित प्ररूप में दावे/आपत्ति निम्न हस्ताक्षरकर्ता अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसील ....) को प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे दावों व आपत्तियों की सुनवाई तारीख .... को .... बजे निम्न हस्ताक्षरर्ता के कार्यालय में या .... (स्थान) पर होगी।

यह सूची निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में या पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के कार्यालय में कार्यालय के समय में निःशुल्क निरीक्षण की जा सकती है।

स्थान : ....

तारीख ....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

प्रपत्र–3
दावों की सूची

प्राप्ति की तारीख	क्रम संख्याक	दावेदार का नाम	पिता / पति / माता का नाम	निवास स्थान	सुनवाई की तारीख, समय और स्थान
1	2	3	4	5	6 *

प्रपत्र–4
नामों को सम्मिलित किये जाने बाबत आपत्तियों की सूची

प्राप्ति की तारीख	क्रम संख्याक	आपूर्तिकर्ता का पूरा नाम	जिस नाम की बाबत आपत्ति की गई है उसकी विशिष्टियां				संक्षेप में आपत्ति के कारण	सुनवाई की तारीख, समय व स्थान
			पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	क्रम संख्या	पूरा नाम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 *

प्रपत्र–5
प्रविष्टियों में की गई विशिष्टियों की बाबत आक्षेपों की सूची

प्राप्ति की तारीख	क्रम संख्याक	आपत्तिकर्ता निर्वाचक का पूरा नाम	प्रविष्टि का विवरण			आपत्ति की प्रकृति	सुनवाई की तारीख, समय व स्थान
			पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	क्रम संख्या मतदाता सूची		
1	2	3	4	5	6	7	8 *

*निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निश्चित सुनवाई की तारीख, समय व स्थान भरा जाए।

परिशिष्ट–9

प्रपत्र–6

कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी .... (स्थान)

नोटिस

पंचायत सर्किल के वार्डों/पंचायत समिति/जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की अंतिम प्रकाशन की सूचना

जिला परिषद ..../ पंचायत समिति .... पंचायत सर्किल ....

एतद् द्वारा लोक साधारण की जानकारी के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त पंचायत सर्किल के वार्ड संख्यांक ..../पंचायत समिति/जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक .... की मतदाता सूची के प्रारूप में किये गये संशोधनों की सूची राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के उपबन्धों के अनुसार तैयार की गई है और उक्त सूची की एक प्रति संशोधनों की उक्त सूची सहित प्रकाशित कर दी गई है और मेरे कार्यालय व उक्त पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद मुख्यालय में निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी।

स्थान : ....

तारीख ....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

परिशिष्ट–10

प्रपत्र–7

प्रत्येक प्रगणक द्वारा भर कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में दिया जावे।

(1) जिला परिषद का नामः

(2) जिला परिष्द निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांकः

(3) पंचायत समिति का नामः

(4) पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांकः

(5) पंचायत सर्किल का नाम व संख्याकः

(6) कुल मतदाता (अर्हता की तारीख 1.1.2014 के आधार पर)

मतदाता के वार्डवार आंकड़े

वार्ड की क्रम संख्या	कुल मतदाता			अनुसूचित जाति मतदाता	अनुसूचित जनजाति मतदाता	वि.वि.
	पुरूष	स्त्री	योग			
1	2	3	4	5	6	7
योग						

दिनांक

प्रगणक के हस्ताक्षर मय नाम व पदनाम प्रतिहस्ताक्षरित

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर मय नाम व पदनाम

STATEMENT NO. 1

PANCHAYAT GENERAL ELECTIONS, 2015

STATEMENT SHOWING DRAFT VOTERS, CLAIMS AND OBJECTIONS, DISPOSAL THEREOF AND FINAL VOTERS

NAME OF DISTRICT :- NAME OF PANCHAYAT SAMITI :-

NAME OF GRAM PANC-HAYAT	NO. OF VOTERS IN THE WARD IN UPDATED ASSEMBLEY VOTER LIST			NO. OF VOTERS IN DRAFT PUBLICATION			CLAIMS AND OBJECTIONS									SUO-MOTO ADDITIONS AND DELETIONS OF NAMES BYE ERO.		VOTERS AT FINAL PUBLICATION			% INCREA-SES IN FINAL VOTERS LIST (COL. N0.19) AS COM - PARED TO (COL. 2)
	TOTAL	MALE	FEMALE	TOTAL	MALE	FEMALE	RECEIVED			DISPOSAL						ADDITIONS	DELETIONS	TOTAL	MALE	FEMALE	
							CLAIMS	OBJECTION FOR DELETION	OBJECTION FOR CORRECTIONS IN AN ENTRY	CLAIMS		OBJECTION FOR DELETIONS		OBJECTION FOR CORRECTIONS							
										ACCEPTED	REJECTED	ACCEPTED	REJECTED	ACCEPTED	REJECTED						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
TOTAL																					

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014–15/4848 जयपुर, दिनांकः 17.10.2014

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (पंचायत),
राजस्थान।

विषयः– पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 – निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु कार्यक्रम एवं दिशा–निर्देश।
संदर्भः– आयोग का पत्र क्रमांक – 4138 दिनांक 19.9.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा राज्य की पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूचियों की तैयारी के निर्देश प्रदान किये गये थे, जिसके बिन्दु संख्या A के उपबिन्दु संख्या 8 में प्रत्येक बूथ पर सामान्यतः 1400 मतदाता रखे जाना अंकित है।

उक्त 1400 मतदाताओं के स्थान पर 1100 मतदाता पढ़ा जावे।

भवदीय,

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.6(1)(1)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 8930 जयपुर, दिनांकः 27.11.14

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
कलक्टर (पंचायत) राजस्थान।

विषयः– पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 – निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु कार्यक्रम एवं दिशा–निर्देश।

संदर्भः– आयोग के पत्रांक 4138 / 19.9.2014, 7709 / 8.11.2014 एवं 8175 / 17.11.2014

महोदय,

पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु आयोग के पत्रांक 8175 दिनांक 17.11.2014 से दिनांक 24.11.2014 को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन कराया जाने का कार्यक्रम घोषित किया गया था, उक्त कार्यक्रम को आयोग के पत्रांक 8800 दिनांक 22.11.2014 द्वारा स्थगित किया गया था। मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन हेतु संशोधित कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है –

क्र.सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	29 नवम्बर, 2014 (शनिवार) को
2.	निर्वाचक नामावलियों का वार्डों / मतदान केन्द्रों पर पठन	29 व 30 नवम्बर, 2014
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	8 दिसम्बर, 2014 (सोमवार) को
4.	विशेष अभियान की तिथियॉ	30 नवम्बर, 6 एवं 7 दिसम्बर, 2014
5.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	16 दिसम्बर, 2014 तक
6.	पूरक सूचियों की तैयारी	22 दिसम्बर, 2014 तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	28 दिसम्बर, 2014 को

1. आपको जिन ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों के पीडीएफ प्रेषित किए जा चुके हैं, उनसे मुद्रित करवायी गई मतदाता सूचियों में प्रारूप प्रकाशन की दिनांक के सामने, खाली स्थान या पूर्व कार्यक्रमानुसार अंकित दिनांक हो तो, वहॉ पर रबड़ मोहर अथवा हस्तलिपि से उक्तानुसार दिनांक अंकित करावें। साथ ही किन्हीं ग्राम पंचायतों के नाम मतदाता सूचियों में अंग्रेजी में अंकित हो गए हैं, उन मतदाता सूचियों में ग्राम पंचायतों के नाम हिन्दी में हस्तलिपि से अंकित करावें।
2. जिन पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद) के वार्डों (एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र) पुनर्गठन / पुनर्सीमांकन को अंतिम एवं अधिसूचित नहीं करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दिया हुआ है, उनकी मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन आगामी आदेशों तक नहीं करवाया जाना है। मतदाता सूचियों के प्रकाशन कार्यक्रम में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों की पालना भी सुनिश्चित की जावे।

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.6(1)(1)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 9323 जयपुर, दिनांकः **11.12.2014**

जिला निर्वाचन अधिकारी
कलक्टर (पंचायत)
बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर एवं राजसमन्द।

विषयः– पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 – निर्वाचक नामावलियों के संबंध में।
संदर्भः– आयोग के पत्रांक 8930 दिनांक 27.11.2014

महोदय,

आयोग के उपर्युक्त संदर्भित पत्र द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूचियों के प्रकाशन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद) के वार्डों (एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र) पुनर्गठन / पुनर्सीमांकन को अंतिम एवं अधिसूचित करने के संबंध में राज्य सरकार (पंचायती राज विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 5.11.2014 पर आदेश दिनांक 20.11.2014 द्वारा स्थगन दिया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की एकल पीठ ने अपने आदेश दिनांक 5.12.2014 द्वारा प्रकरण खण्ड पीठ को अंतरित कर दिया गया, आयोग के अधिवक्ता श्री विकास बालिया ने आज दिनांक 11.12.2014 को सायं 5.00 बजे दूरभाष पर यह अवगत कराया है कि माननीय खण्ड पीठ ने एकल पीठ द्वारा दिये गये स्थगन को वेकेट कर दिया है। अतः जिन पंचायतों / पंचायत समितियों की मतदाता सूचियों का प्रकाशन संदर्भित आदेश के अनुसार नहीं किया जा सका था, उन पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचन नामावलियों को, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना दिनांक 5.11.2014 के अनुसार, तैयार कर प्रारूप प्रकाशन हेतु संशोधित कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है –

क.सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	13 दिसम्बर, 2014 (शनिवार) को
2.	निर्वाचक नामावलियों का वार्डों / मतदान केन्द्रों पर पठन	13 व 14 दिसम्बर, 2014
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	22 दिसम्बर, 2014 (सोमवार) को
4.	विशेष अभियान की तिथियॉ	14, 20 एवं 21 दिसम्बर, 2014
5.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	26 दिसम्बर, 2014 तक
6.	पूरक सूचियों की तैयारी	28 दिसम्बर, 2014 तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	30 दिसम्बर, 2014 को

उक्त मतदाता सूचियॉ अर्हता दिनांक 1.1.2014 के अनुसार तैयार की जानी है।

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

(13)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014–15/7656 जयपुर, दिनांकः 7.11.14

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत) (कलक्टर) राजस्थान।

विषयः– पंचायत चुनाव हेतु मतदाता सूची की कार्यकारी प्रतियॉ तैयार करने के संबंध में।

महोदय,

पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों हेतु निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन हो जाने के बाद प्रत्येक मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावलियों की प्रत्येक पंचायत क्षेत्र की वार्डवार 12 कार्यकारी कापियॉ (working copies) तैयार करानी है, जिनका उपयोग निम्न प्रकार किया जावेगा :–

1. 7 प्रतियॉ में से 1 प्रति रिटर्निंग अधिकारी के पास रहेगी, जो कि, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने और उनकी संवीक्षा करते समय काम में आवेगी एवं 6 प्रतियॉ संबंधित मतदान बूथ पर निम्न प्रकार से उपयोग में ली जावेंगी :–
   (i) एक प्रति सहायक मतदान अधिकारी–प्रथम, जो कि उसे मतदाता की पहचान के उपयोग में लेगा।
   (ii) दो प्रति सहायक मतदान अधिकारी–द्वितीय को – (पंच एवं सरपंच चुनाव के संदर्भ में)
   (iii) दो प्रति सहायक मतदान अधिकारी–द्वितीय को – (जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के संदर्भ में)
   (iv) एक प्रति मतदान अधिकारी को (प्रतिक्षेपित मतदाताओं, निविदत्त मतों आदि के निस्तारण के लिए)
2. एक प्रति पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी को।
3. एक प्रति पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए नियुक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी को।
4. एक प्रति जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी को।
5. एक प्रति जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिए नियुक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी को।
6. एक प्रति कार्यालय उपयोग के लिए

प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची की कार्यकारी प्रति बनाने के लिए आपको निम्नांकित कार्यवाही करानी हैः–

1. प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची से संबंधित संशोधनों की अनुपूरक सूचियों के अनुसार समस्त प्रतियों में हटाये जाने वाले नाम काट दिये जावें, परन्तु मतदाताओं की कम संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जावे यानि मुद्रित संख्या की शुद्धि नहीं की जावे और उनके स्थान पर नये संख्यांक प्रतिस्थापित नहीं किये जावें।
2. प्रविष्टि की गई विशिष्टियों से संबंधित शुद्धियों की अनुपूरक सूचियों के अनुसार प्रविष्टियों को शुद्ध कर लिखा जावे।
3. जिन मतदाताओं के लिए वार्ड बनाया गया है उसके क्षेत्र से संबंधित मतदाता सूची के सुसंगत भाग उसकी प्रत्येक संशोधनों की अनुपूरक सूचियों (यदि कोई हो) सहित समस्त प्रकार से पूर्ण हो।
4. पुरूष, महिला, अन्य और कुल मतदाताओं की संख्या की गणना करके अंकित किया जावे।

5. राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23 के अधीन सार्वजनिक नोटिस जारी होने की तारीख से पूर्व नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार कोई नाम सम्मिलित करने या प्रविष्टि को संशोधित करने, अंतरित करने या हटा दिये जाने बाबत यदि कोई आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दिया जाता है अथवा नियम 21 के अंतर्गत अपील के निर्णय में कोई आदेश दिया जाता है, तो उसके अनुरूप अंकन समस्त कार्यकारी प्रतियों में हो जाना सुनिश्चित किया जावे। **लेकिन नियम 23 के अधीन सार्वजनिक नोटिस जारी होने की तिथि से निर्वाचन की समाप्ति तक कोई परिवर्तन नहीं किया जावे।**

6. वार्ड की प्रत्येक कार्यकारी मतदाता सूची में प्रत्येक पृष्ठ पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर की छाप अंकित होनी चाहिए। इस प्रकार हस्ताक्षरित मतदाता सूची ही प्रमाणित कार्यकारी प्रति होगी। इसके समस्त पृष्ठ, मूल प्रति के अनुसार क्रम संख्या–1 के अनुक्रम में संख्यांकित हों।

7. प्रत्येक मतदान केन्द्र की निर्वाचक नामावली के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नांकित प्रमाण पत्र (जिस पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम की सील अंकित होगी) संलग्न किया जाएगा :–

> ''प्रमाणित किया जाता है कि, उक्त मतदान केन्द्र की कार्यकारी मतदाता सूची मेरी देखरेख में सही–सही तैयार की है, जिसमें पूरक सूची में दर्शित विलोपन होने वाले नामों पर ''विलोपित'' (deleted) अंकित कर दिया गया है। क्रम संख्या नहीं बदली गई है तथा शुद्ध होने वाली प्रविष्टियों को शुद्ध कर दिया गया है।''

भवदीय,

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014–15/9465 जयपुर, दिनांकः 16.12.2014

प्रेषकः

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

प्रेषितिः

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर पंचायत) राजस्थान।

विषयः– निर्वाचक नामावलियों के सैट निःशुल्क जारी करने के संबंध में।
संदर्भः– आयोग के पत्रांक 4138 दिनांक 19.09.2014

महोदय,

पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 28.12.2014 एवं 30.12.2014 को होना है।

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 17 (3) में मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात की एक प्रति राजनैतिक दलों को निःशुल्क उपलब्ध कराने का उल्लेख किया हुआ है तथा संदर्भित पत्र के बिन्दु–सी के उपबिन्दु 18 द्वारा आयोग ने निर्देश दिये थे कि, निर्वाचक नामावलियों की तैयार के पश्चात् अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों का एक–एक सैट मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जावे। कृपया सुनिश्चित करें कि, यह कार्य यथा समय सम्पन्न हो जावें।

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005

क्रमांकः एफ.7(3)(1)पंचा / रानिआ / 13 / 5001 जयपुर, दिनांकः 27.10.2014

प्रेषकः

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

प्रेषितिः

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
(कलक्टर) राजस्थान।

विषयः– पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान पंचायत (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 30 के अंतर्गत कलक्टर के आदेशों के अधीन रहते हुए रिटर्निंग आफिसर मतदान केन्द्र व बूथों का चयन कर सकता है। किन्तु मतदान दलों के गठन के समय ही रिटर्निंग आफिसर एवं मतदान दल के अन्य सदस्यों को नियुक्ति आदेशों में ही मतदान केन्द्र व बूथों का विवरण दिया जाना चाहिए।

स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि, मतदान केन्द्रों का चयन पूर्व में ही कर लिया जावे। आयोग मतदान केन्द्र स्थापित करने के संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह निर्देश जारी करता है कि :–

1. मतदान केन्द्र व बूथ पंचायत मुख्यालय पर ही बनाये जावें ताकि रिटर्निंग आफिसर / मतदान अधिकारी मतदान का प्रभावी रूप से अधीक्षण कर सकें व मतपेटियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जरूरत न पड़े।
2. एक से अधिक बूथ बनाने पर वार्डों की कम्पैक्टनेस खण्डित न हो। यानि वार्ड सं. 1 से 3 प्रथम बूथ में, 4 से 6 द्वितीय बूथ में और इसी प्रकार अन्य वार्ड बूथों में रखे जावें।
3. प्रत्येक वार्ड अपने आप में एक निर्वाचन क्षेत्र होता है अतः, पूरा वार्ड एक ही बूथ पर रहेगा, अलग–अलग बूथों में विभाजित नहीं होगा।
4. मतदान बूथों की क्रम संख्या पंचायत समिति वार दी जावे।
5. पंचायत मुख्यालय पर एक से अधिक भवनों में बूथ स्थापित किये जा सकते हैं, किन्तु एक वार्ड एक ही जगह रहेगा। एक ही भवन में एक से अधिक बूथ होने पर यहाँ स्थिति दर्शाने के लिए भवन का दाहिना भाग / बायां भाग / कमरा नंबर, इत्यादि अंकित किया जावें। यथासंभव समस्त बूथ एक भवन में स्थापित किये जावें, परन्तु यदि यह संभव न हो तो विभिन्न भवनों में बूथ स्थापित किये जा सकते हैं परन्तु ऐसा भवन उसी ग्राम में स्थित हो एवं यथासंभव सभी भवन पास–पास हों।
6. सामान्यतः सभी पंचायत मुख्यालयों पर पक्के सरकारी व अर्द्ध सरकारी भवन हैं, उनमें ही मतदान बूथ स्थापित किये जावें।
7. मतदान बूथ को आवंटित क्षेत्र सुनिर्धारित होना चाहिए।
8. जहाँ कोई ग्राम पंचायत एक से अधिक पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित होती हैं, तो ऐसे मामलों में भले ही मतदाताओं की संख्या कितनी ही कम हो पृथक पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र के लिए पंचायत मुख्यालय पर पृथक मतदान बूथ स्थापित किया जावें।
9. अस्पताल, पुलिस थाना व मंदिर–मस्जिद–चर्च आदि धार्मिक महत्व के भवनों में मतदान बूथ स्थापित नहीं किये जावें।
10. सामान्यतः एक मतदान केन्द्र पर 1100 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए।
11. मतदान केन्द्र के भवन का चयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि, वहां मतदाताओं के प्रवेश एवं निकासी के लिये पर्याप्त स्थान हो। जहां तक संभव हो मतदान केन्द्र के रूप में ऐसे भवनों का चयन किया जाना चाहिए जिसमें कमरों में प्रवेश एवं निकास के लिए पृथक–पृथक दरवाजे हों। यदि

कमरों में एक ही दरवाजा हो तो उसमें अस्थायी प्रबन्ध कर प्रवेश व निकास के लिए पृथक–पृथक व्यवस्था की जाए।

12. यदि एक ही वार्ड में 1100 से अधिक मतदाता हैं तो उस वार्ड के लिए सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किया जा सकता है। सहायक मतदान केन्द्र स्थापित करने के विषय में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि, मूल मतदान केन्द्र के साथ सहायक मतदान केन्द्र उसी भवन में स्थपित हो। सहायक मतदान केन्द्र में सम्मिलित होने वाले क्षेत्र/परिक्षेत्र को संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाए और यह प्रयास किया जाए कि, मतदान केन्द्र विशेष की मतदाता सूची के अनुसार आधे–आधे मतदाता जिसमें कि, पूरा क्षेत्र/परिक्षेत्र सम्मिलित है, विभाजित कर सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किया जाए।
13. मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन मुद्रित प्रतियों से होने के कारण मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम भी मतदाता सूचियों के साथ मुद्रित होंगे। यह भी संभव है कि, मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात भी आप द्वारा चयनित मतदान केन्द्रों में कोई परिवर्तन हो जाये तो ऐसी स्थिति में आप मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की मुद्रित प्रतियों में मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम में शुद्धि हेतु रबड़ की मोहर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह स्थिति भी हो सकती है कि, मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम का कॉलम प्रारूप मतदाता सूचियों में खाली छोड़ा हुआ हो, तो भी आप मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम, रबड़ की मोहर का प्रयोग कर, अंकित कर सकते हैं।
14. चयनित मतदान केन्द्र भवनों का भौतिक सत्यापन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से करवाया जाए तथा यह देखा जाए कि, मतदान केन्द्र भवन की इमारत जर्जर अवस्था में तो नहीं है ? उक्त भवन में निशक्तजन हेतु स्थाई रैम्प है अथवा अस्थाई रैम्प की व्यवस्था करनी होगी। मतदान केन्द्र मतदान हेतु पूर्ण सुरक्षित है अथवा नहीं यथा चारदीवारी बनी हुई है तथा मतदान बूथ के भवन में प्रकाश व रोशनी समुचित हो, और प्रवेश व निकास की पृथक–पृथक व्यवस्था है अथवा नहीं ? इस हेतु आयोग द्वारा **प्रपत्र–1** तैयार कर पत्र के साथ संलग्न है, संलग्न प्रपत्र में सूचना भरकर आयोग को ई–मेल से प्रेषित करावें।

मतदान केन्द्रों की स्थापना संबंधी कार्यवाही शीघ्र की जावे तथा पंचायत समितिवार ग्राम पंचायतों में स्थापित किये जाने वाले मतदान केन्द्रों की सूचना संलग्न **सांख्यिकी स्टेटमेंट नं. 2** में आयोग को शीघ्र ई–मेल के माध्यम से भिजवाई जावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(सत्यप्रकाश बसवाला)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रपत्र–1

मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट

जिले का नाम .... पंचायत समिति का नाम का नाम ....

ग्राम पंचायत का नाम .... वार्ड संख्या (जिसके लिए मतदान केन्द्र खोला गया है) ....

पंचायत समिति का निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक .... जिला परिषद का निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक ....

क्र. सं.	मतदान केन्द्र का स्थान	भवन का नाम एवं पता	भवन की विशिष्टियां (सरकारी/ अर्द्धसरकारी/ प्राईवेट)	मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या	मतदान केन्द्र धार्मिक स्थल, पुलिस स्टेशन या अस्पताल में स्थापित तो नहीं हैं उल्लेख करें	मतदान केन्द्र की भौतिक स्थिति यथा भवन की स्थिति	मतदान केन्द्र का क्षेत्रफल	क्या भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं। यदि हां तो संख्या लिखे	मतदान केन्द्र तक पहुंचने हेतु रोड की स्थिति (मतदान केन्द्र तक चलकर पहुंचने हेतु कितनी दूरी तय करनी होगी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

क्या मतदान केन्द्र में निम्न सुविधाए उपलब्ध हैं							क्या भवन के चारो ओर चार दीवारी हैं	क्या विद्युत कनेक्शन उपलब्ध हैं	क्या सिलिंग फैन लगा हुआ एवं चालू स्थिति में हैं	खिडकिया /दरवाजें टूटे हुए हैं या ठीक स्थिति में हैं	क्या स्थाई रैम्प हैं अथवा नहीं	टिप्पणी
पेयजल	शौचालय/ मूत्रालय	शेड	प्रकाश	फर्नीचर	प्रवेश एवं निकास हेतु पृथक दरवाजें	स्त्री/पुरूष मतदाता हेतु पृथक–पृथक लाईन हेतु स्थान उपलब्ध हैं या नहीं						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

STATEMENT NO. 2

PANCHAYATI RAJ GENERAL ELECTIONS, 2015

LIST OF POLLING STATIONS

NAME OF DISTRICT:- **NAME OF PANCHAYAT SAMITI :-**

S.NO.	NAME OF GRAM PANCHAYAT	DETAILS OF POLLING STATIONS				
		POLLING STATION NO.	IN GOVT./PRIVATE BUILDINGS (G/P)	NAME OF VILLAGE WHERE POLLING STATION IS SET UP	WARD FOR WHICH POLLING STATION IS SET UP	TOTAL NO. OF VOTERS

(16)

राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचरण संहिता

(I) सामान्य आचरण –

1. किसी भी दल या उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय व जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुॅचे या उनमें विद्वेष व तनाव पैदा हो।

2. **जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाये, तब उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पूर्ववत और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिये। यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिये, जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकत्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। दलों या उनके कार्यकत्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिये, जो ऐसे आरोपों पर जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो या तोड़–मरोड़कर कही गई बातों पर आधारित हो।**

3. मत प्राप्त करने के लिये धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये तथा निर्वाचन प्रचार के लिये किसी पूजा–स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर आदि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये।

4. किसी भी दल और उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध माना गया है, जैसे कि मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर पूरी होने वाली 48 घन्टे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा करना, किसी चुनाव सभा में गडबडी करना या विघ्न डालना, मतदान केन्द्र व मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि के अन्दर मत संयाचना करना, मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिये वाहनों का उपयोग करना, मतदान केन्द्र में या उसके आस–पास विच्छृंखल आचरण करना, मतदान की कार्यवाही में बाधा डालना, मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं का प्रतिरूपण करना आदि।

5. दलों या उम्मीदवारों को चाहिये कि वे अन्य व्यक्ति के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिये उनके निवास पर प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने जैसे तरीकों का सहारा नहीं लेवें तथा इस बात का प्रयास करें कि प्रत्येक व्यक्ति के शंन्तिपूर्ण और विघन रहित घरेलू जिन्दगी के अधिकार, का वे आदर करें, चाहे वे उसके राजनीतिक विचारों या क्रिया कलापों के कितने ही विरूद्ध क्यों न हों।

6. किसी दल या उम्मीदवार को किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का चुनाव प्रतीक लगाने, ध्वज लगाने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने, बैनर लगाने आदि के लिये बिना अनुमति के उपयोग नहीं करना चाहिये और न ही ऐसा करने की अनुमति अपने अनुयायियों को देनी चाहिये।

7. मतदान के दिन और इससे एक दिन पूर्व की अवधि में किसी दल या किसी उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा न तो शराब खरीदी जाये और न ही उसे किसी को पेश किया जाये और न ही वितरित की जाये। प्रत्येक दल व उम्मीदवार को अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा करने से रोकना चाहिये।

   1. किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन–अभिकर्ता नियुक्त नहीं करना चाहिये जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी है और न ही उन्हें अपने चुनाव प्रचार संबंधी कोई कार्य में शामिल करना चाहिये।

(II) सभाएं –

1. दलों और उम्मीदवारों को चाहिये कि वे और उनके समर्थक अन्य दलों या उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सभाओं व जुलूसों में बाधाएं उत्पन्न नहीं करें, और न ही अन्य दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या अपने अथवा अपने दल के पर्चे वितरित कर कोई विघन पैदा करना चाहिये। दलों व अभ्यर्थियों द्वारा उन स्थानों से होकर अपना जुलूस नहीं ले जाना चाहिये जहॉ पर दूसरे दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा सभा की जा रही है। किसी दूसरे दल अथवा अभ्यर्थी के द्वारा लगाये गये पोस्टर भी नहीं हटाने चाहिये।
2. दल या अभ्यर्थी को चुनाव प्रचार के लिये सभा करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि जहॉ पर उनके द्वारा सभा करने का प्रस्ताव है वहॉ कोई निर्बन्धात्मक या प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू तो नहीं हैं और यदि ऐसे आदेश लागू हों तो उनका कडाई के साथ पालन करना चाहिये। यदि ऐसे आदेशों से कोई छूट अपेक्षित है तो उसके लिये यथासंभव संबंधित सक्षम अधिकारी को आवेदन करना चाहिये और छूट प्राप्त कर लेनी चाहिये।
3. दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना देनी चाहिये, **ताकि वे यातायात नियन्त्रित करने और शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक इंतजाम कर सकें**, और यदि अपेक्षित हो तो संबंधित सक्षम अधिकारी से उसकी अनुमति भी लेनी चाहिये।
4. दल या अभ्यर्थी को चाहिये कि वे अपने किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाऊड–स्पीकरों के प्रयोग या अन्य किसी सुविधा के लिये अनुमति प्राप्त करना चाहे तो संबंधित सक्षम अधिकारी के पास काफी पहले ही आवेदन करें और ऐसी अनुमति प्राप्त करें। लाऊड–स्पीकरों के उपयोग की अनुमति यदि अपेक्षित है तो बिना अनुमति लाऊड–स्पीकरों का प्रयोग नहीं करना चाहिये और सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने के पश्चात् भी लाऊड–स्पीकरों को ऊँची आवाज में कदापि नहीं बजायें।
5. किसी दल या अभ्यर्थी के द्वारा सभा आयोजित करने पर यदि ऐसी सभा में कोई विघ्न डाले या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करे तो सभा के आयोजकों को चाहिये कि विघ्न डालने वाले और अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिये ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें। आयोजकों को स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये।

(III) जुलूस –

1. दल या अभ्यर्थी को चाहिये कि वे पहले ही यह तय कर लें कि जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होकर किस समय और किस स्थान पर समाप्त होगा तथा किस मार्ग से होकर जायेगा। कार्यक्रम में बाद में सामान्यतः कोई फेर बदल नहीं करना चाहिये।
2. जुलूस के आयोजकों को चाहिये कि वे जूलूस के कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस को पर्याप्त समय पूर्व सूचित कर दें, ताकि आवश्यक इंतजाम हो सके।
3. जुलूस का आयोजन करने से पूर्व यह आवश्यक रूप से पता कर लेना चाहिये कि जुलूस के निकालने के संबंध में कोई निर्बन्धात्मक आदेश तो लागू नहीं है और जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसे प्रतिबन्धात्मक आदेशों से विशेष रूप से छूट न दे दी जावे तब तक उन निर्बन्धनों का पालन करना चाहिये। जुलूस के आयोजन के समय यातायात में रूकावट न हो और यातायात का जमाव नहीं हो। जुलूस को सडक के एक ओर रखना चाहिये जिससे यातायात में रूकावट न हो और यातायात का जमाव नहीं हो। जूलूस को सडक के एक ओर रखना चाहिये तथा पुलिस के निर्देश व सलाह का पालन करना चाहिये।
4. **यदि दो या दो से अधिक राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों ने लगभग उसी समय पर उसी रास्ते से या उसके भाग से जुलूस निकालने का प्रस्ताव किया है तो, आयोजकों को चाहिये कि वे समय से काफी पूर्व आपस में सम्पर्क स्थापित करें और ऐसी योजना बनाएं, जिससे कि जुलूसों**

में टकराव न हो या यातायात को बाधा न पहुँचे। स्थानीय पुलिस की सहायता संतोषजनक इंतजाम करने के लिये सदा उपलब्ध होगी। इस प्रयोजना के लिये दलों को यथाशीघ्र पुलिस से सम्पर्क स्थापित करना होगा।

5. दल या अभ्यर्थी को उनके द्वारा आयोजित जुलूसों में किसी व्यक्ति को कोई ऐसी वस्तु लेकर चलने की अनुमति नहीं देनी चाहिये जिसका कि उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग हो सके।
6. किसी दल या अभ्यर्थी को अन्य दल के सदस्यों या उनके नेताओं या अन्य अभ्यर्थी के पुतले लेकर चलने, उनको किसी सार्वजनिक स्थान पर जलाने का कार्य नहीं करना चाहिये और न ही ऐसे प्रदर्शनों का समर्थन करना चाहिये।

(IV) मतदान दिवस –

सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को चाहिये कि वे –

1. यह सुनिश्चित करने के लिये कि मतदान निष्पक्ष, शान्तिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से हो और मतदाताओं को पूरी स्वतंत्रता हो कि वे बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, निर्वाचन कर्तव्य पर लगे हुये अधिकारियों के साथ सहयोग करें।
2. अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं तो उपयुक्त बिल्ले या पहचान पत्र दें।
3. ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि मतदाताओं को उनके द्वारा दी गई पहचान पर्चियॉ सादे सफेद कागज पर होंगी और उन पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नहीं होगा।
4. मतदान के दिन और उसके पूर्व 24 घंटों के दौरान किसी को शराब पेश या वितरित न करें।
5. मतदान केन्द्रों के निकट लगाये गये कैम्पों के नजदीक अनावश्यक भीड इकट्ठी न होने दें जिससे दलों और अभ्यर्थियों के कार्यकर्ताओं और शुभचिन्तकों में आपस में मुकाबला और तनाव न होने पावे।
6. यह सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थियों के कैम्प साधारण हों उन पर टैंट नहीं लगाये जायें, उन पर कोई पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित न की जाये। कैम्पों में खाद्य पदार्थ पेश न किये जायें और भीड न लगाई जाए।
7. मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगाये जाने वाले निर्बन्धनों का पालन करने में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करें और वाहनों के लिये परमिट प्राप्त कर लें और उन्हें उन वाहनों पर ऐसे लगा दें जिससे साफ–साफ दिखाई देते रहें।
8. मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में अपना कैम्प किसी भी स्थिति में नहीं लगावें।
9. मतदान केन्द्र व इसकी 100 मीटर परिधि में किसी मतदाता से मत संयाचना नहीं करें और न ही अपने कार्यकर्ताओं को करने दें।
10. वाहन का परमिट सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर लेने के बाद भी ऐसे वाहन में स्वयं अभ्यर्थी व उसके परिवारजन अथवा निर्वाचन एजेंट व उसके परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य किसी मतदाता को नहीं बिठायें।
11. अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी वाहन से अन्य ऐसे मतदाताओं को जो उनके स्वयं के परिवारजन नहीं हैं, मतदान केन्द्रों तक लाने व वहॅा से ले जाने का कार्य करने से पूर्णतः रोकें।
12. मतदाताओं का प्रतिरूपण अर्थात गलत नाम से मत डालने का प्रयास नहीं करें।

(V) **मतदान केन्द्र –**

मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये विधिमान्य पास के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा।

(VI) **पर्यवेक्षक –**

राज्य निर्वाचन आयोग पर्यवेक्षक नियुक्त कर रहा है। यदि निर्वाचनों के संचालन के संबंध में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो वे उसकी सूचना पर्यवेक्षक को दे सकते हैं।

(VII) **सत्ताधारी दल –**

सत्ताधारी दल को, चाहे वह केन्द्र में हो या राज्य में हो, यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यह शिकायत करने का कोई मौका न दिया जाये कि उस दल ने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिये अपने सरकारी पद का प्रयोग किया है, और विशेष रूप से –

(1) (क) मंत्रियों को अपने शासकीय दौरों को निर्वाचन में निर्वाचन से संबंधित प्रचार कार्य के साथ नहीं जोडना चाहिये और निर्वाचन के दौरान प्रचार करते हुये शासकीय मशीनरी अथवा कार्मिकों का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

(ख) सरकारी विमानों, गाडियों सहित सरकारी वाहनों, मशीनरी और कार्मिकों का सत्ताधारी दल के हित को बढ़ावा देने के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(2) सत्ताधारी दल को चाहिये कि वह सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान इत्यादि पर निर्वाचन सभाएं आयोजित सभाएं आयोजित करने और निर्वाचन के संबंध में हवाई उडानों के लिये हैलिपैड के इस्तेमाल करने के लिये अपना एकाधिकार न जमाएं । ऐसे स्थानों का प्रयोग दूसरे दलों और अभ्यर्थियों को भी उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाए जिन शर्तों पर सत्ताधारी दल उनका प्रयोग करता है।

(3) सत्ताधारी दल या उसके अभ्यर्थियों का विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों पर एकाधिकार नहीं होगा और ऐसे आवासों का प्रयोग निष्पक्ष तरीके से करने के लिये अन्य दलों और अभ्यर्थियों को भी अनुमति दी जायेगी लेकिन कोई भी दल या अभ्यर्थी ऐसे आवासों का व इनके साथ संलग्न परिसरों का प्रचार कार्यालय के रूप में या निर्वाचन प्रोपेगंडा के लिये कोई सार्वजनिक सभा करने की दृष्टि से प्रयोग नहीं करेगा या प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(4) निर्वाचन अवधि के दौरान, राजनैतिक समाचारों तथा प्रचार की पक्षपातपूर्ण **ख्याति** के लिये सरकारी खर्चे से समाचार पत्रों में या अन्य माध्यमों से ऐसे विज्ञापनों का जारी किया जाना, तथा सरकारी जन–माध्यमों का दुरूपयोग कर्तव्यन्ष्ठि होकर बिल्कुल बन्द रहना चाहिये जिनमें सत्ताधारी दल के हितों को अग्रसर करने की दृष्टि से उनकी उपलब्धियॅा दिखाई गई हों।

(5) मंत्रियों और अन्य प्राधिकारियों को उस समय से जब से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किये जाते हैं, वैवेकिक निधि में से अनुदानों/अदायगियों की स्वीकृति नहीं देनी चाहिये।

(6) मन्त्री और अन्य प्राधिकारी, उस समय से जब से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन–कार्यक्रम, घोषित किये जाते हैं :–

(क) किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय मंजूरी या वचन देने की घोषणा नहीं करेंगे, अथवा

(ख) किसी प्रकार की परियोजनाओं अथवा स्कीमों के लिये आधार शिलाएं आदि नहीं रखेंगे, या

(ग) सडकों के निर्माण का कोई वचन नहीं देंगे, पीने के पानी की सुविधायें नहीं देंगे, आदि या

(घ) शासन, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कोई भी तदर्थ नियुक्ति न की जाये जिससे सत्ताधारी दल के हित में मतदाता प्रभावित हो।

(7) केन्द्रीय या राज्य सरकार के मन्त्री, अभ्यर्थी या मतदाता अथवा प्राधिकृत अभिकर्ता की अपनी हैसियत को छोडकर किसी भी मतदान केन्द्र या गणना स्थल में प्रवेश न करें।

(8) मन्त्रियों और अन्य प्राधिकारियों को उस समय से जब से **राज्य** निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया जाता है, निर्वाचन संबंधी कार्यो से जुडे हुये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण नहीं करने चाहिये।

टिप्पणी – **राज्य निर्वाचन** आयोग कोई भी निर्वाचन की तारीख की घोषणा करेगा जो ऐसे निर्वाचनों के बारे में जारी होने वाली अधिसूचना की तारीख से सामान्यतः तीन सप्ताह से अधिक नहीं होगी।

(17)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमाकः एफ4(10)(1)न.पा. / रा.नि.आ. / 14 / 3230 दिनांक : 08.08.2014

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
3. समस्त जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।

विषयः—नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के संबंध में।

महोदय,

स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक मतदाता अपने मत का उपयोग स्वतंत्र व निर्भीक होकर कर सके। इस हेतु राज्य की कानून एवं व्यवस्था मशीनरी को चुनाव संबंधित अपराधों की रोकथाम व नियन्त्रण हेतु प्रभावी कदम उठाने की महत्ती आवश्यकता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 K व 243 ZA द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आयोग ने समय–समय पर नगरपालिकाओं व पंचायतीराज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु दिशा–निर्देश जारी किए हुए हैं। इन समस्त निर्देशों को संकलित करते हुए पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए निम्न निर्देश जारी किए जाते हैः—

1. नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने की दृष्टि से आयोग जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों से यह अपेक्षा करता है कि आवश्यक कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए विशेष तौर पर निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :

1.1 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय विधायकों / सांसदों के साथ मीटिंग कर चुनाव के दौरान आचार संहिता के पालन व कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया जावे।

1.2 प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संवेदनशील क्षेत्रों व मतदान केन्द्रों की पहचान जिला मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग अधिकारी एवं जिले के पुलिस अधीक्षक के परामर्श से तैयार करें। संवेदनशील क्षेत्रों व मतदान केन्द्रों की पहचान हेतु वही प्रक्रिया अपनाई जाए जो विधानसभा व लोकसभा चुनाव में अपनाई गई थी। साथ ही भय व प्रताड़ना से ग्रस्त क्षेत्र, परिवार और मतदाताओं की पहचान की जाए ताकि जिला प्रशासन द्वारा ऐसे मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने हेतु आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके। ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में पूर्व में घटी घटनाओं व लिप्त व्यक्तियों का गहन विश्लेषण कर ऐसी रणनीति तैयार कर अमल में लाई जावें कि इन क्षेत्रों में चुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न हों।

1.3 निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नहीं किए जाएं।

1.4 चुनाव कार्यक्रम के घोषित होते ही आग्नेय शस्त्रों एवं धारदार हथियारों को धारण कर आने जाने को प्रतिबंधित किया जाए।

1.5 चुनाव घोषणा होते ही असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाकर उनकी गतिविधियों संबंधी नियमित सूचना की व्यवस्था की जावे। हिस्ट्री शीटर व आदतन अपराधियों पर विशेष ध्यान दिया जावे व राजस्थान पुलिस द्वारा नियमानुसार उनकी गतिविधियां

नियन्त्रित की जावे और जहां भी आवश्यक समझा जाए बिना विलम्ब कानूनी कार्यवाही की जावे ताकि चुनाव शांतिपूर्ण हों।

1.6 मतदान दिवस पर ट्रकों, लारियों तथा अन्य यातायात के साधनों को चुनाव क्षेत्र में नियंत्रित किया जाए।

1.7 उन क्षेत्रों में, जहां असामाजिक तत्वों द्वारा अवैद्य शस्त्र तथा गोला बारूद बनाने, बेचने या उपयोग में लेने की संभावनाएं हों, अभियान चलाया जाए व तत्संबंधी प्रभावी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

1.8 राज्य के कई क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों व अन्य कमजोर वर्गो को स्वतंत्र व निर्भीक होकर मतदान नहीं करने दिए जाने की घटनाएं पूर्व के कई चुनावों में सामने आई हैं तथा यह भी देखा गया है कि कई व्यक्तियों के विरूद्व अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम के अन्तर्गत एक से अधिक मुकदमें दर्ज हैं। ऐसे क्षेत्रों व व्यक्तियों को विशेष रूप से चिन्हित कर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जावे ताकि चुनाव हेतु भयमुक्त वातावरण तैयार हो सके।

1.9 मतदान समाप्ति से 48 घण्टों से पूर्व से तथा मतगणना दिवस को शराब के उपयोग एवं बिक्री को प्रतिबंधित किया जाए।

1.10 मतदान दिवस के चार दिन पूर्व से ही समस्त वाहनों की गहन जांच के लिए अभियान चलाया जाए ताकि असामाजिक तत्वों द्वारा चुनाव क्षेत्रों में हथियार, गोला–बारूद, मादक पदार्थो की तस्करी व अवैद्य धन के परिवहन का प्रभावी ढ़ंग से रोका जा सके।

1.11 चुनाव रैली में तीन से अधिक वाहनों को निकलने की अनुमति नहीं दी जाए तथा यदि अधिक वाहनों के साथ कोई चुनाव रैली निकाली जाती है तो उसे रोका जाए।

1.12 निर्वाचन के दौरान चुनाव कर्तव्यों हेतु नियुक्त किए गए कार्मिकों के साथ यदि दुर्व्यवहार किया जाता है अथवा उन्हें धमकी दी जाती हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया बाधित होने के साथ निर्वाचन कर्तव्यों हेतु नियुक्त कार्मिकों के आत्मविश्वास में कमी आती है। **आयोग ऐसी घटनाओं को गम्भीरता से लेता है।** अतः निर्वाचन के दौरान ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जावे। यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा तुरन्त प्रभावी कार्यवाही कर आयोग को अवगत करायेंगे।

1.13 निम्नलिखित अनुज्ञा पत्र धारी व्यक्तियों के शस्त्र चुनाव कार्य संपन्न होने तक जमा कर लिए जाएं एवं चुनाव कार्य समाप्ति के पश्चात् कानून सम्मत होने पर लौटा दिए जावें:–

- i) जो जमानत पर छूटे हुए हों,
- ii) जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक रही हो, एवं
- iii) जो किसी निर्वाचन के दौरान या अन्य किसी समय दंगा–फसाद में सम्मिलित रहे हों।
- iv) जिनके विरूद्व कमजोर तबके के लोग डराने–धमकाने की शिकायत करें।

1.14 मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र के आसपास निषिद्ध क्षेत्र के भीतर चुनाव प्रचार की रोकथाम एवं मतगणना के समय मतगणना केन्द्र पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए आयोग के पूर्व निर्देश हैं कि मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को छोडकर किसी भी अन्य व्यक्ति को मोबाईल/कोर्डलैस फोन, वायरलैस सैट, इलेक्ट्रोनिक गजेट्स इत्यादि को लाने व उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह किसी भी व्यक्ति के मतगणना स्थल पर प्रवेश को नियंत्रित करने वाली सीमा या सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी क्षेत्र के भीतर इस तरह के उपकरणों को लाने व उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उसे इस तरह के साधनों के साथ पाया जाता है तो सुरक्षा प्रभारी अधिकारियों द्वारा उन साधनों को जब्त कर लिया जाएगा। मतगणना समाप्ति तथा चुनाव परिणामों की घोषणा हो जाने के पश्चात् ऐसे जब्त साधन संबंधित व्यक्ति को लौटा दिए जाएंगे।

2. यह निर्देश सामान्य (indicative) हैं, Comprehensive नहीं। अतः कानून व्यवस्था से संबंधित अधिकारी वे समस्त कदम उठाऐंगे जिससे चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण हों।

3. इन निर्देशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संभागीय आयुक्त व महानिरीक्षक पुलिस का होगा। वे अपने–अपने संभाग में जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक की नियमित मीटिंग कर इन निर्देशों की पालना की समीक्षा करेंगे व जिला प्रशासन को उचित दिशा–निर्देश प्रदान करेंगे। इन समीक्षा बैठकों में उपरोक्त समस्त बिन्दुओं की बिन्दुवार समीक्षा की जावेगी। बैठक के कार्यवाही विवरण की एक प्रति आयोग को भी अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जावे। यह अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ होने से समाप्त होने तक प्रत्येक जिले की दो समीक्षा बैठके हो जाएं।
4. आयोग के स्तर पर कानून व्यवस्था की निरंतर समीक्षा की जावेगी। इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक सप्ताह संलग्न प्रपत्र LOR-I में जिला पुलिस अधीक्षक से सूचना प्राप्त कर अपनी समीक्षा टिप्पणी सहित माह की 7, 14, 21 व 28 तारीख को आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करेंगे। समीक्षा टिप्पणी में विशेष तौर पर वे अंकित करेंगे कि जिला पुलिस की कार्यवाही से वे संतुष्ट हैं और चुनाव शांतिपूर्वक व स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराने हेतु किसी प्रकार की कठिनाई की संभावना नहीं है। यह सूचना चुनाव घोषणा होने की तिथि से चुनाव की समाप्ति तक भेजी जाऐंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि यह सूचना निर्धारित तिथि को सांय 6.00 बजे तक अपलोड की जानी हैं।

संलग्न : फॉर्म LOR I

आज्ञा से,
–ह0–
(सत्य प्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

Form LOR-I

Weekly Law & Order Report for Districts for Electoral Events

MUNICIPAL/PANCHAYAT ELECTIONS, ……………. (Year)

To

1) District Election Officer **2) District Magistrate**

1) Start Date of these reports .... **(DD/MM/YY)**

2) Report for .... **(DD/MM/YY)**

Name of Police District :

Name of Range (of IG) :

Sr. No.	Item			Reporting Week	Cumulative from Start Date upto and Including Reporting Day
1	No.of Unlicensed arms/explosive seized				
	(a) Arms	(I) Fire arms			
		(II) Weapons (other than fire arms)			
	(b)	(1) Cartidges			
		(2) Explosives(in Kgs)			
		(3) Others, if any			
2	No.of illicit arms manufacturing centres raided and seizures made				
3	Licensed Arms (Para 1.13 of the instructions)	Deposited			
		Impounded			
		Cancelled			
4	No.of persons bound down under preventive sections of CrPC				
5	Execution of non-bailable warrants	a) Executed	1 Witness		
			2 Criminals		
		b) Pending			
6	No. of incidents of violence related to poll campaign, political rivalry etc.				
	(a) No. of incidence				
	(b) Total killed				
	(c) Total injured				
	(d) Damage to property (in Rs. Lakhs)				
	(e) No. of cases Registered				
	(f) No. of Accused Persons arrested				

7	(a) No.of incidents occured under Atrocities Act 1989 during election		
	(b) No. of FIR's Registered		
	(c) No. of Accused Persons arrested		
	(d) No. of Persons against whom action taken as per para 1.7 of the instructions		
8	Information regarding Vulnerable and sensitive areas		
	(a) No. of Villages/mohalla identified as Vulnerables		
	(b) No. of persons identified as probable source of trouble		
	(c) Of which preventive action taken against		
		Name & Signature of SP	

Comments by District Magistrate

Name & Signature of DM

(18)

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

(2nd Floor, Vikas Khand, Secretariat, Jaipur – 302005)

No.F.1(5)(6)Estt/SEC/04/3017 Dated. 8.9.2009

The District Election Officers,
(COLLECTORS)

Subject:- **"Observers appointed by the State Election Commission" – Extension of courtesies & facilities.**

The State Election Commission by virtue of its plenary power under Article 243K and 243ZA of the Constitution of India deputes Observers for elections of various Local Bodies and Panchayati Raj Institutions that are conducted by the State Election Commission, in order to ensure free and fair elections as well as to manage the conduct of elections in a smooth, efficient and effective manner. The State Election Commission appoints and deploy Observers to assist the State Election Commission in discharging of its constitutional responsibilities for the superintendentce, direction and control of the process of election. The Observers are the eyes and ears of the State Election Commission. They serve as reliable and independent sources of feed back information from the field and their seniority and length of experience in administration is able to provide necessary guidance to the electoral machinery in the field.

It is, therefore, enjoined upon the district administration & all concerned in the election related activities to treat them with due regard and with proper courtesies.

Following minimum courtesies are to be extended to the Observers :-

1. Arrangements should be made to receive and see them off as per their program.

2. As all the Observer will be from the State Cadre, therefore, they are allowed to use their own vehicles. However, the Observer should be given reliable and dependable transport, to enable him to reach the concerned Municipality/PRI by the DEO wherever required.

3. Arrangements for lodging in Circuit House, transport and security of the Observer shall be arranged by the DEO. These arrangements will also cover the PSO, driver, Secretarial assistance liasion officer etc. The expenditure for boarding and lodging will be borne out of daily allowance of the concerned Observer. TA/DA will be drawn by the Observer from their department/office.

4. Fool proof arrangements of their security from the point of arrival to the departure back to their respective place of origin, especially during the stay and tours in the Local Bodies/PRIs allotted to them.

5. **Information folder -** The DEO/RO shall provide each Observer with a folder containing:-

(i) A Map of Municipality/Panchayat Samiti.
(ii) List of Polling Stations & Contesting Candidates along with Sensitive/Hyper sensitive polling stations, and vulnerable area.
(iii) Number of voters for each Municipality/PRI (ward wise).
(iv) List of Telephone numbers of Polling Stations, Police Stations, Civil and Police Officers, RO/AROs, Dy. DEO, DEO, SP and other officers connected with election related duties.
(v) A book-let containing the election plan for the district and such other documents as are essentials.
(vi) Detailed plan for Counting of Votes.

6. The Observers are not to be provided with Guard of Honour.

7. The DEO shall provide the Observers telephone and fax facilities at Circuit House or any other place of their stay. Where more than one Observer is being housed in the same premises only one fax machine, telephone line with STD facility will be sufficient.

8. Specific facilities will also be provided for the Observers in the counting centres. They will be provided a separate table at each counting centre with a STD telephone and fax facility. STD telephone and fax will be jointly used by RO and Observer.

9. Place of stay, the telephone numbers and dates of visits of the Observers should be duly publicized by the DEO, so that representatives of political parties, candidates etc., may meet them with election related complaints or information.

10. The stationery required by the Observers for discharging their duties will be provided by DEO.

Secretary
State Election Commission,
Rajasthan, Jaipur

(19)

RAJASTHAN STATE ELECTION COMMISSION

No. F.4 (2) (1) P./SEC/94/404 Jaipur, Dated 18 Jan., 95

ORDER

The Commission hereby authorises all the Divisional Commissioners for general supervision on conduct of Panchayat Elections within their respective Jurisdiction. The Divisional Commissioner and the Officer/Official put for their assisstance shall be treated on election duty and will be entitled to enter into polling stations and counting centres.

(Dinesh Kumar)
Chief Electoral Officer & Secy.
State Election Commission, Raj.,
Jaipur

No. F.4 (2) (1) P./SEC/94/404 Jaipur, Dated 18 Jan., 95

Copy to the following for information and necessary action to:-

1. All Divisional Commissioners.
2. All District Election Officers.
3. P.S. to Commr., S.E.C., Rajasthan, Jaipur.
4. P.A. to Secretary, S.E.C., Rajasthan Jaipur.
5. Deputy Secretary, I/II, S.E.C., Rajasthan, Jaipur.
6. Asstt. Secretary, I/II, S.E.C., Rajasthan, Jaipur.
7. A.O./P.R.O./S.E.O., Rajasthan, Jaipur.
8. Guard file.

Deputy Secretary,
State Election Commission
Rajasthan, Jaipur

(20)

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांक : एफ. 4 (2) (1) पंचा/रानिआ/94/332 जयपुर, दिनांक : 16.1.95

आदेश

पंचायती राज़ संस्थाओं के चुनावों के पर्यवेक्षण के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है जो राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी माने गये है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों के साथ नियुक्त किये गये मंत्रालयिक कर्मचारी भी पर्यवेक्षकों की सहायतार्थ निर्वाचन ड्यूटी पर माने जायेंगे। अतः पर्यवेक्षकों एवं उनकी सहायतार्थ नियुक्त मंत्रालयिक कर्मचारी निर्वाचन ड्यूटी पर पदारूढ़ होने के फलस्वरूप मतदान केन्द्र एवं मतगणना स्थान में प्रवेश करने के लिए अधिकृत हैं।

(दिनेश कुमार)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर

क्रमांक : एफ. 4 (2) (1) पंचा/रानिआ/94 जयपुर, दिनांक : 16.1.95

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित हैं:-

1. समस्त पर्यवेक्षक।
2. समस्त संभागीय आयुक्त।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त।
5. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग।
6. उप सचिव, प्रथम/द्वितीय, राज्य निर्वाचन आयोग।
7. सहायक सचिव, प्रथम/द्वितीय राज्य निर्वाचन आयोग।
8. जनसम्पर्क अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग।
9. रक्षित पत्रावली।

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांक : प. 7(1)(28) पं.चु./रानिआ/99/4364 जयपुर, दिनांक : 22.12.2000

आदेश

विषय : पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण।

1. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-क के प्रावधान पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचनों में भी लागू माने गये हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-क के प्रावधान निम्न प्रकार हैं :-

"127 क. पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन :-

(1) कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्पलेट या पोस्टरों को प्रकाशित या मुद्रित नहीं करेगा या मुद्रित या प्रकाशित नहीं करायेगा जिसके मुख पर उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न दिया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्पलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करेगा या करवायेगा-

(क) जब तक कि उसके प्रकाशक के पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों द्वारा, जिनको वह व्यक्तिगत रूप से जानता हो, सत्यापित कर दो प्रतियों में उसके द्वारा मुद्रक को नहीं दे दी जाती, और

(ख) जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तिसंगत समय के भीतर घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के साथ, मुद्रक द्वारा (एक) जहां वह मुद्रित हुआ हो उस राज्य की राजधानी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, और

(दो) किसी अन्य मामले में, उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जहां वह मुद्रित किया गया हो भेज न दिया जाये।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए :-

(क) किसी दस्तावेज की प्रतियों की संख्या को बढ़ाने के लिए हाथ द्वारा नकल करने को छोड़कर, कोई भी प्रक्रिया को मुद्रक समझा जायेगा और "मुद्रक पद" का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा, और

(ख) निर्वाचन पम्पलेट या पोस्टर का तात्पर्य किसी मुद्रित पेम्पलेट, हैंडबिल या अन्य दस्तावेज से है जो किसी प्रत्याशी या प्रत्याशियों के समूह के निर्वाचन को प्रोत्साहित करने या पक्षपात/प्रतिकूल करने के लिये वितरित किया जाये या किसी इश्तहार या पोस्टर से है जिसमें किसी निर्वाचन का कोई संदर्भ हो, किन्तु उसमें ऐसा कोई हैण्डबिल इश्तहार या पोस्टर सम्मिलित न होगा जिसमें किसी निर्वाचन का कोई संदर्भ हो, किन्तु उसमें ऐसा कोई हैण्डबिल इश्तहार या पोस्टर सम्मिलित न होगा जिसमें कि किसी निर्वाचन सभा की तिथि, समय, स्थान और अन्य विवरण या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को सामान्य अनुदेश घोषित किए गये हों।

(4) कोई व्यक्ति जो उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है कारावास से, जिसको 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना से जिसे दो हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों सहित दण्डनीय होगा।"

2. निर्वाचनों के समय यह पाया जा है कि बड़ी संख्या में ऐसे दस्तावेजों को मुद्रित, प्रकाशित, परिचालित किया जाता है और निजी एवं सरकारी भवनों की दीवारों पर चिपकाया जाता है जिनके संबंध में ऊपर उल्लिखित कानून की अपेक्षाओं का अनुसरण नहीं

किया गया होता है। मुद्रणालयों द्वारा संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को धारा 127-क की अपेक्षानुसार प्रकाशक से प्राप्त घोषणा पत्र के साथ मुद्रित दस्तावेजों को यदा-कदा ही भेजा जाता है। निर्वाचन पैम्पलेटों, पोस्टरों आदि के मुख पर धारा 127-क (1) के उपबंधों में अपेक्षित उसके मुद्रक और या प्रकाशक के नाम और पते प्राय: मुद्रित नहीं किये जाते।

उक्त धारा-127-क के अन्तर्गत निर्वाचन पैम्पलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण इस दृष्टि से आरोपित किए गए हैं कि ऐसे दस्तावेजों के प्रकाशकों और मुद्रकों की पहचान स्थापित हो सके, जिससे कि यदि ऐसे दस्तावेज में कोई ऐसा विषय वस्तु हो जो विधि (अवैध) हो, क्षतिकारक या आपत्तिजनक हो (यथा धर्म, प्रजाति, जाति समुदाय या भाषा के आधार पर अपील, या किसी विपक्षी इत्यादि के चरित्र हनन की सामग्री) तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक दण्डात्मक या निरोधक कार्यवाही की जा सके।

अत: ऊपर उल्लिखित विषय और कानून के प्रावधानों का भविष्य में कड़ाई से अनुपालन और अनुसरण किये जाने के आशय से राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद-243-ट के अधीन शक्तियों का तथा इस संबंध में उसको प्रदान करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निम्न प्रकार से निर्देश जारी करता है :-

(i) जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं या नगरपालिका संस्थाओं के साधारण या किसी उप निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित किया जायेगा, वैसे ही संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के तीन दिन के भीतर अपने जिले के सभी मुद्रणालयों को-

(क) उक्त धारा 127-क की अपेक्षाओं को इंगित करते हुए और विशेष रूप से यह निर्देश देते हुए लिखेगा कि उनके द्वारा मुद्रित किसी निर्वाचन पैम्पलेटों, पोस्टरों या ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रकीय हाशिये से स्पष्ट रूप से उसके मुद्रक एवं प्रकाशनों के नाम एवं पते अंकित किये जाये,

(ख) उक्त धारा 127-क की उप धारा (2) के अधीन अपेक्षित प्रकाशक से प्राप्त किये गये घोषणा-पत्र और मुद्रित सामग्री की प्रतियां (प्रत्येक ऐसी मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ) मुद्रित किये जाने के तीन दिन के भीतर भेजने के लिए मुद्रकों को लिखेगा,

(ग) यह लिखेगा कि धारा 127-क के किन्हीं प्रावधानों और राज्य निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देशों का किसी प्रकार से उल्लंघन/अतिक्रमण को गम्भीरता पूर्वक लिया जाएगा और उपयुक्त मामलों में राज्य के सुसंगत नियमों के अधीन मुद्रणालयों के अनुज्ञा पत्रों को समाप्त किये जाने सहित अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

(ii) जिला मजिस्ट्रेट जयपुर, जयपुर शहर में स्थित मुद्रणालयों के संबंध में भी समान रूप से कार्यवाही करेंगे।

(iii) निर्वाचन पैम्पलेटों, पोस्टरों, आदि के मुद्रण के कार्य को लेने से पूर्व प्रत्येक मुद्रक धारा 127-क की उप-धारा (2) की शर्तों के अनुसार, संलग्न परिशिष्ट-क में आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में प्रकाशक से घोषणा प्राप्त कर लेगा और यह घोषणा पत्र प्रकाशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होगी और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित भी किया जायेगा जो प्रकाश को व्यक्तिगत रूप से जानते हों। मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट (जैसी भी स्थिति हो) को उसे प्रेषित करते समय, मुद्रक द्वारा भी उसे प्रमाणित किया जाएगा।

(iv) जैसा ऊपर निर्देश दिया गया है, मुद्रक द्वारा प्रकाशक के घोषणा-पत्र के साथ मुद्रित सामग्री की चार (4) प्रतियां उसके मुद्रित किये जाने के तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। ऐसी मुद्रित सामग्री और घोषणा-पत्र के साथ, संलग्न परिशिष्ट ''ख'' में आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या और ऐसे कार्य के लिये ली गयी कीमत से संबंधित सूचना भी मुद्रक द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। मुद्रक द्वारा प्रत्येक निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि के संबंध में ऐसी

सूचना प्रत्येक ऐसे दस्तावेज के मुद्रण के तीन (3) दिनों के भीतर सामूहिक रूप से नहीं अपितु अलग-अलग रूप से भेजा/प्रस्तुत की जायेगी।

(v) किसी मुद्रणालय से पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि के जिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् वह इस बात की जांच करेगा कि प्रकाशक और मुद्रकों ने कानून की और ऊपर दिये गये आयोग के निर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है या नहीं। वह, किसी सुविचारित स्थान पर अपने कार्यालय में उसकी एक प्रति प्रदर्शित करवाएगा जिससे कि सभी राजनीतिक दल, प्रत्याशी और दिलचस्पी रखने वाले अन्य व्यक्ति इस बात की जांच कर सकें कि ऐसे दस्तावेजों से संबंधित कानून की अपेक्षाओं का सम्यक अनुपालन हुआ है या नहीं और इस प्रकार से वे ऐसे अन्य निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि के मामलों की जिनके संबंध में ऊपर दिये गये कानून की अपेक्षाओं का उल्लंघन हुआ है, संबंधित प्राधिकारियों के संज्ञान में ला सकने में सक्षम होंगे।

(vi) जयपुर शहर के मुद्रणालयों से प्राप्त पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि की दो प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में भी प्रदर्शित करते हेतु जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा प्राप्त प्रतियों में से भेजी जायेगी।

(vii) जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा धारा 127-क के ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के और/या आयोग के उक्त निर्देशों के अतिक्रमण/उल्लंघन में प्रकाशित किन्हीं पैम्फलेटों, पोस्टर आदि का मामला यदि उनके संज्ञान में आता है या लाया जाता है तो, तत्काल जांच करने के लिये तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जायेगी। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध यथाशीघ्र अभियोग चलाये जायें और मामले संबंधित न्यायालयों में सक्रियता के साथ निपटाये जाने के पूरे प्रयास किये जायेंगे।

5. राज्य निर्वाचक आयोग सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को एतद्द्वारा यह सूचित करता है कि उपर्युक्त विषय पर कानून एवं आयोग के निर्देशों के उल्लंघन को गम्भीरता से लिया जायेगा और दोषियों के विरुद्ध कानूनी एवं कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

6. उक्त आदेशों की पालना सख्ती से की जाये।

आज्ञा से,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 7(1) (28) पं.चु./रानिआ/94/4364 जयपुर, दिनांक 22.12.1999

प्रतिलिपि :-

1. शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
4. समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट-क

निर्वाचन पोस्टर, पर्चे इत्यादि छापने हेतु प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा

प्ररूप

(राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-क देखे)

मैं .... (नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी/ श्री .... (नाम) निवासी (ग्राम/शहर) .... जिला .... राज्य .... एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं .... (निर्वाचन पोस्टरों, पर्चों-आदि मुद्रित सामग्री का विवरण) .... का प्रकाशक हूं जो (छापेखाने का नाम) .... द्वारा छापे जा रहे हैं।

स्थान ....

दिनांक ....

पूरा पता ....

....

....

(प्रकाशक के हस्ताक्षर)

अनुप्रमाणित (ऐसा व्यक्ति जिसे प्रकाशक व्यक्तिगत रूप से जानता हो)

1. हस्ताक्षर	2. हस्ताक्षर
(नाम तथा पता)	(नाम तथा पता)

परिशिष्ट-ख

निर्वाचन पोस्टर, पर्चे इत्यादि छापने हेतु सूचना प्रस्तुत करने का प्रारूप

1. मुद्रक का नाम व पता ....

2. प्रकाशक का नाम व पता ....

3. प्रकाशक के मुद्रण आदेश की तिथि ....

4. प्रकाशन की घोषणा की तिथि ....

5. निर्वाचन पोस्टर पर्चे इत्यादि के बार में संक्षिप्त विवरण ....

   ....

6. ऊपर वर्णित दस्तावेज की मुद्रित प्रतियों की संख्या ....

7. मुद्रण की तिथि ....

8. ऊपर वर्णित दस्तावेज के संबंध में मुद्रण प्रभार (कागज की कीमत सहित) जो प्रकाशक से वसूल किया गया। ...

   ....

स्थान : मुद्रक के हस्ताक्षर

तिथि : मय सील

(22)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.1(2)(1)नपा–पंचा/सांआ/रानिआ/2014/9847 दिनांकः 24.12.14

अधिसूचना

सां. आ.:– 105/2014– राज्य में पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन कराया जाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–ट के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन पर नियंत्रण, अधीक्षण व निर्देशन की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है;

और, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22–क की उप–धारा (1) के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तारीख से निर्वाचन की समाप्ति तक कोई अभ्यर्थी या उसका अधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रयोजन से लगाये गये प्रतिबंधों के उल्लंघन में किसी वाहन या लाऊडस्पीकर का उपयोग करता है या कट आउटों, होर्डिंग्स, पोस्टरों और बैनरों को प्रदर्शित करता है तो वह शास्ति जो रूपये 2,000/– तक हो सकेगी, से दण्डनीय होगा;

अतः, पंचायती राज संस्थाओं में पंचों, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों तथा जिला परिषद् सदस्यों के लिए निर्वाचनों के शुद्ध एवं सुचारू संचालन के लिए उक्त धारा 22–क और संविधान के अनुच्छेद 243–ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तारीख से निर्वाचन की समाप्ति तक की अवधि के दौरान अभ्यर्थी या उसके अधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहनों या लाऊडस्पीकरों के उपयोग या कट आउटों, होर्डिंग्स, पोस्टरों और बैनरों आदि के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(2)(1)पं.चु./नपा/94/6933 दिनांक 30.12.2009 एवं एफ.1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/3550 दिनांक 26.08.2014 को अधिक्रमित करते हुये निम्न आदेश जारी करता है:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भः– (i) इस आदेश का नाम राजस्थान पंचायतीराज संस्थाओं (वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग तथा पोस्टरों, बैनरों आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबंध) आदेश, 2014 है,

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर है तथा यह पंचायती राज संस्थाओं में पंचो, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद् सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में लागू होगा, और

(iii) यह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

2.परिभाषाऐंः– (1) आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(i) ''निर्वाचन'' से किसी पंच या सरपंच या पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य के लिए ''साधारण निर्वाचन'' और ''उप निर्वाचन'' अभिप्रेत है;

(ii) ''प्ररूप क'' से इस आदेश से संलग्न ''प्ररूप क'' अभिप्रेत है;

(iii) ''पैरा'' से इस आदेश का ''पैरा'' अभिप्रेत है;

(iv) ''उप पैरा'' से उस पैरा का ''उप पैरा'' अभिप्रेत है जिसमें यह शब्द आता है; और

(v) ''खण्ड'' से इस आदेश के पैरा का ''खण्ड'' अभिप्रेत है;

(vi) ''नियम'' से राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के ''नियम'' अभिप्रेत है;

(vii) ''पोस्टर'' में प्रिंट मीडिया/इलेक्ट्रोनिक मीडिया में चुनाव प्रचार हेतु प्रकाशित विज्ञापन/अपील भी सम्मिलित है;

(2) जो शब्द और पद इस आदेश में प्रयुक्त किये गये है किन्तु परिभाषित नहीं किये गये है और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 अथवा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में परिभाषित है, उनका वहीं अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम और नियम में क्रमशः बताये गये है।

(3). **कतिपय प्रकार के वाहनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा**— अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से निर्वाचन समाप्ति तक किसी भी दिन निम्नांकित वाहनों का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगाः—

(i) बस (ii) ट्रक (iii) मिनी बस और (iv) मेटाडोर

(4) **कतिपय प्रकार के वाहनों के उपयोग को नियंत्रित करना**— उक्त वर्णित वाहनों से भिन्न अन्य किसी वाहन का उपयोग निम्नांकित शर्तो के अधीन किया जायेगा;

(क) जिला परिषद् सदस्य के चुनाव में अधिकतम दो वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा;
(ख) पंचायत समिति सदस्य चुनाव में अधिकतम एक वाहन का उपयोग किया जा सकेगा;
(ग) सरपंच चुनाव में अधिकतम एक वाहन का उपयोग किया जा सकेगा;
(घ) पंच चुनाव में किसी भी वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा;
(ड.) उक्त खण्ड (क) या (ख) के अंतर्गत वाहन का उपयोग करने से पूर्व अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहन संख्या एवं उसका प्रकार तथा वाहन चालक के नाम व पते की लिखित सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को कम से कम 24 घंटे पूर्व देनी होगी;
(च) उक्त खण्ड (ग) के अन्तर्गत वाहन का उपयोग करने से पूर्व वाहन संख्या व प्रकार तथा वाहन चालक के नाम व पते की लिखित सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी;
(छ) किसी भी निर्वाचन में उक्त खण्ड (क), (ख) अथवा (ग), जैसी भी स्थिति हो, में बताये गये वाहनों सहित तीन से अधिक मोटर साईकिलों या स्कूटरों की रैली या काफिला नहीं निकाला जायेगा, और मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के 48 घण्टे पूर्व की अवधि में ऐसी रैली या काफिला निकाला जाना निषिद्ध रहेगा;
(ज) उपरोक्त खण्ड (क) एवं (ख) के अन्तर्गत मतदान दिवस को वाहन के उपयोग के लिए लिखित अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से लेनी होगी, जिसके लिए परमिट रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा और यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 133 सपठित धारा 123(5) के उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी अनुमति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी।

स्पष्टीकरणः— इस पैरा के प्रयोजन के लिए वाहन से अभिप्रेत जीप, कार, तिपहिया टैम्पों, तांगा तथा ऊंटगाडी है।

(5) **लाऊड स्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंधः**— लाऊड स्पीकरों का उपयोग निषिद्ध रहेगा;

परन्तु जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं सरपंच चुनाव के लिए प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या किसी कानून में अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित अनुमति के उपरान्त, मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पूर्व की 48 घंटे की अवधि के सिवाय, उपयोग किया जा सकेगा;

परन्तु यह और कि ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता यदि कोई हो, को लिखित रूप में अवगत कराना होगा कि वह किस प्रकार और किसी स्थान पर उसका उपयोग करेगा।

(6) **कट–आऊटों, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन का निषेध** :– किसी भी निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर अथवा चुनाव चिन्ह अथवा नारे दर्शाते हुये कट आऊट, होर्डिंग्स, पोस्टर या बैनर आदि प्रदर्शित नहीं किये जायेंगेः–

परन्तु यह कि–

(i) जिला परिषद् सदस्य के चुनाव में अधिकतम 80,000 रूपये, पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में अधिकतम 40,000 रूपये तथा सरपंच चुनाव में अधिकतम 20,000 रूपये के पोस्टर एवं बैनर मुद्रित या तैयार कराये जा सकेंगे और उन्हे प्रदर्शित किया जा सकेगा जिसका लेखा–जोखा संलग्न प्ररूप–क में परिणामों की घोषणा के तीन दिन के भीतर जिला पंचायती राज निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, और उक्त अधिकारी प्ररूप–क में लेखा–जोखा प्राप्त होने पर उसे अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तीन दिन तक प्रदर्शित करेगा। इसके आगामी तीन दिवस में कोई भी इच्छुक व्यक्ति उक्त प्ररूप 'क' के संबंध में आपत्ति या कोई तथ्य प्रस्तुत कर सकेगा;

(ii) पोस्टरों का मुद्रण कराते समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127–क के उपबंधों और उसके आदेशों की पालना करनी होगी;

(iii) पोस्टरों एवं बैनरों के प्रदर्शन के लिए यदि वे सार्वजनिक स्थल पर लगाये जाते है तो संबंधित स्थानीय प्राधिकारी या किसी कानून में इस निमित्त सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति लेनी होगी;

(iv) जहां प्रचार सामग्री या विज्ञापनों के प्रदर्शन के संबंध में स्थानीय विधि में कोई प्रावधान नहीं हो तो वहां किसी निजी संपत्ति पर केवल ऐसी प्रचार सामग्री जो आसानी से हटायी जा सके, यथा झण्डियां, बैनर, आदि लगायी जा सकेगी लेकिन ऐसी प्रचार सामग्री लगाने से पूर्व संबंधित संपत्ति के स्वामी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी;

(v) पोस्टर किसी निजी संपत्ति पर नहीं लगाये जायेंगे;

(vi) कोई भी पोस्टर, बैनर या झण्डियां आदि प्रचार सामग्री किसी सरकारी संपत्ति पर नहीं लगाये जायेंगे;

(vii) इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार के लिए दिए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में आचार संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक होगा;

(viii) किसी भी मतदान बूथ के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में ऐसे पोस्टर या बैनर या झण्डियॉ नहीं लगाये जायेंगें;

(ix) मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाये जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है जिसका आकार 2x5 फीट से अधिक नहीं होगा।

(x) आमसभा/जूलुस/रैली आदि के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी।

(7) **प्रतिबंधों के उल्लंघन पर न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत करनाः–** (1) क्षेत्राधिकार रखने वाला उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच के पश्चात् इस बात से संतुष्ट हो कि निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने इस आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है तो वह क्षेत्राधिकार के सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर सकेगा, और ऐसे परिवाद तथा की गयी जांच की प्रति राज्य निर्वाचन आयोग और जिला पंचायतीराज निर्वाचन अधिकारी को भी तीन दिन के भीतर भेजेगा।

(2) न्यायालय द्वारा उप पैरा (1) में प्रस्तुत शिकायत के निस्तारण पर निर्णय की प्रति 15 दिन के भीतर संबंधित उपखंड अधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग तथा जिला पंचायतीराज निर्वाचन अधिकारी को भेजी जायेगी।

प्ररूप – क

जिला परिषद् सदस्य/पंचायत समिति सदस्य/पंच/सरपंच/* .... के लिए निर्वाचन

निर्वाचन में अभ्यर्थी के द्वारा मुद्रित या तैयार कराये गये पोस्टरों, बैनरों व झण्डियों के विवरण संबंधी घोषणा

1. अभ्यर्थी का नाम
2. अभ्यर्थी के पिता का नाम
3. अभ्यर्थी का पता
4. **अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा तैयार कराये गये बैनरों का विवरणः–**

   (क) तैयार कराये गये बैनरों व झण्डियों का प्रकार व उनकी संख्या (अलग–अलग विवरण देवें)

   (ख) तैयार कराये गये बैनरों व झण्डियों पर व्यय की गई राशि

   (ग) बैनर व झण्डियां तैयार करने वाले व्यक्ति या फर्म का नाम व पता।

   (घ) बैनर या झण्डियां लगाने के लिए जिनसे अनुमति ली गई उनका विवरण
5. **अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा मुद्रित कराये गये पोस्टरों का विवरणः–**

   (क) पोस्टरों का आकार व संख्या
   (ख) मुद्रक का नाम व पता जहां से मुद्रित कराया गया
   (ग) मुद्रण पर किया गया व्यय

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मैं सत्य निष्ठा से प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य है और सही है

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

- जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

आदेश से,

(सत्यप्रकाश बसवाला)
सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुरः 302005

क्रमांकः— प 7(1)(1) पंचा/रानिआ/13/9926 दिनांकः—28.12.14

जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत)
(कलेक्टर) समस्त

विषयः—पंचायती राज सस्थाओं के चुनावों के दौरान विडियोग्राफी करवाना।

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गये है। इसी प्रकार अभ्यर्थियों व उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं द्वारा वाहनों, लाउडस्पीकरों, पोस्टरों, बैनरों पर प्रतिबन्ध भी आयोग ने अपनी अधिसूचना दिनांक 24.12.14 द्वारा लागू किये हैं। अतः इन चुनावों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों एवं उक्त प्रतिबंधों की पालना सुनिश्चित करने के साथ—साथ नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने, प्रचार करने, मतदान दिवस की गतिविधियों, मतपेटियों के परिवहन, संग्रहण, एवं अन्य चुनाव सामग्री के संग्रहण, वोटिग मशीनों की तैयारी व सुरक्षित अभिरक्षा, मतगणना एवं परिणामों की घोषणा आदि समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं की व्यापक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सारगर्भित जानकारी संकलित करने के लिए विडियोग्राफी आवश्यक है, जिसके लिए निम्न निर्देश जारी किये जाते हैः—

1. प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में उपरोक्त ऐसी समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं सभाओं एवं गतिविधियों की विडियोग्राफी करवाएगा।
2. रिटर्निंग अधिकारी विडियोग्राफी का कार्यक्रम बनाते समय, मतदाताओं की संख्या, भौगोलिक स्थिति, बूथ कैपचरिंग/झगडा/दंगा इत्यादि का पूर्व इतिहास, कानून व्यवस्था की स्थिति, अभ्यर्थियों का आचरण व चुनाव प्रक्रिया से सम्बन्धित अपराध इत्यादि का ध्यान रखेगें।
3. अपने उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी विडियोग्राफी के लिए वांछित दलों की संख्या का निर्धारण करेगें। इस हेतु य|पि कोई संख्या निर्धारित नहीं की जा रही है लेकिन अपेक्षा की जाती है कि अनावश्यक भार/खर्च नहीं बढाया जाए।
4. इस हेतु किसी विडियोग्राफर की सेवाएं किराए पर लेते समय यह देख लिया जाए कि वह तकनीकी, वित्तीय मापदण्डों की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं, साथ ही यह भी जॉच लिया जाए कि वह किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध या उसका समर्थक नहीं हो, न ही उसका कोई अभिन्न मित्र या रिश्तेदार चुनाव लड रहा हो और न ही उसकी सेवाएं किसी राजनैतिक दल द्वारा अधिग्रहित की गई हो।
5. ऐसा विडियोग्राफर किसी भी सूरत में राजनैतिक दलों/कार्यकर्ताओं का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेगा।
6. विडियोग्राफर चुनाव से सम्बन्धित अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेगा।
7. जब जब एवं जहां—जहां आवश्यकता हो विडियोग्राफर आबजर्वर के साथ भी उनके निर्देशन में कार्य करेगा।
8. विडियोग्राफर को यह स्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिए कि उसे केवल संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण घटनाओं, जिनका चुनाव पर असर पड सकता हो, की ही विडियोग्राफी करनी है न की कैसेट/सीडी को भरना मात्र है। इस हेतु निम्न दिशा—निर्देश दिए जाते है।

मुख्यतः निम्नांकित घटनाओं की विडियोग्राफी की जानी है :–

क. चुनाव सभाएं जिन्हें मंत्री/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय नेताओं द्वारा सम्बोधित किया जाए।

ख. दंगा/उपद्रव/पत्थरबाजी/आगजनी इत्यादि की घटनाएं

ग. हिंसक घटना/सम्पत्ति को नुकसान/लूटपाट/हथियारो का दिखाना इत्यादि

घ. बूथ कैपचरिंग

च. मतदाताओं को धमकाना/डराना

छ. मतदाताओं को कम्बल/साड़ीया इत्यादि बांट कर लुभाना

ज. मतदान केन्द्र के सौ मीटर के अन्दर मत याचना

झ. बडे–बडे 'कट आउट'/होर्डिंग, बैनर इत्यादि लगाकर खर्च का भद्धा प्रदर्शन

9. जिस अधिकारी के निर्देशन में विडियोग्राफी की जा रही है, वह इसकी गोपनियता व सुरक्षा का ध्यान रखेगा। तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि रिकार्डिंग के साथ छेडछाड न हो और न ही इस तक अनाधिकृत व्यक्तियों की पंहुच हो।

10. रिटर्निंग अधिकारी ऐसी समस्त रिकार्डिंग का तुरन्त अवलोकन कर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सभाओं/गतिविधियों के आयोजकों/नेताओं/वक्ताओं/संभागीयों द्वारा किसी भी प्रकार से चुनाव नियमों या आदर्श आचार संहिता या आयोग द्वारा अपनी दिनांक 24.12.14 की अधिसूचना के द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों का उल्लंघन तो नहीं किया गया है।

11. ऐसे समस्त प्रकरणों में जिनमें रिटर्निंग अधिकारी स्वयं सक्षम है, तुरन्त कार्यवाही करेगा।

12. ऐसी कैसेट/सीडी जिन पर उपरोक्त आदेशानुसार रिकार्डिंग की गई है, के अवलोकन एवं उनकी प्रतियां प्राप्त करने के लिए चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों द्वारा आवेदन प्राप्त होते रहते है। अतः आयोग इस विषय में समान मापदण्ड अपनाते हुए निम्न प्रक्रिया का निर्धारण करता है।

13. ऐसे समस्त कैसेट/सीडी जो इन आदेशों की पालना में तैयार किए जाएगे, चुनाव के अभिलेख का अंश माने जाएगे और इन्हें पूर्ण सावधानी एवं सुरक्षा के साथ तब तक संग्रहित रखा जाएगा जब तक कि इन्हें आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, जैसी कि अन्य अभिलेखों के बारे में निर्धारित है के अनुसार नष्ट नहीं किया जाता है। ऐसे समस्त अभिलेख, अन्य चुनाव सम्बन्धी अभिलेखों की भॉति ही सम्बन्धित जिला चुनाव अधिकारी की अभिरक्षा में रखे जाएंगें। ऐसे समस्त कैसेट/सीडी की रिकार्डिंग की दिनांक व स्थान तथा की गई घटना का संक्षिप्त विवरण दर्शित करते हुये रिकार्ड में रखा जायेगा।

14. **निरीक्षणः**– कैसेट/सीडी के निरीक्षण लिखित प्रार्थना–पत्र पर किया जा सकेगा। ऐसे आवेदक को कैसेट/सीडी का अवलोकन 25/–प्रति घंटा या उसके हिस्से के लिए, के शुल्क पर कराया जाएगा लेकिन अति आवश्यक निरीक्षण के लिए यही शुल्क 50/–रूप्ये होगा। साधारण निरीक्षण आवेदन की दिनांक के पश्चातवर्ती दिवस या बाद के किसी दिन करवाया जाएगा परन्तु ''अत्यावश्यक निरीक्षण'' की स्थिति में उसी दिन निरीक्षण करवाया जाएगा।

15. **सत्यापित प्रतिलिपिः**– (क) आवेदक को कैसेट/सीडी की प्रमाणित प्रति 25/–रूपये के आवेदन शुल्क एवं स्थानीय स्तर पर निर्धारित व्यय, लेकर दी जा सकेगी। ऐसे प्रत्येक आवेदक को निरीक्षण करने एवं प्रति प्राप्त करने के अपने अधिकार को साबित करना होगा एवं यह भी स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा कि आवेदक का उस कैसेट/सीडी में किस प्रकार से समुचित हित निहित है।

(ख) सरकारी उपयोग हेतु निरीक्षण या प्रति प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। कैसेट/सीडी की रिकार्डिग से किसी प्रकार की छेड–छाड या नुकसान नहीं हो, इस के लिए प्रभावी सर्तकता रखी जाएगी एवं कैसेट/सीडी का एकाधिक व्यक्तियों द्वारा सामुहिक निरीक्षण भी वर्जित रहेगा।

16. किसी कैसेट/सीडी की विषय वस्तु के बारे में किसी प्रकार की प्रमाणिकता या सत्यापन नहीं दिया जाएगा बल्कि ''जैसी है, जहां है'' के आधार पर उपलब्ध करवायी जाऐगी।

17. समस्त रिटर्निंग अधिकारियों के भी ध्यान में उपरोक्त निर्देश लाये जावें।

भवदीय,

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– प 7(1)(1) पंचा/रानिआ/14/ दिनांकः–

प्रतिलिपिः–

1. वित्तिय सलाहकार, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. कम्प्यूटर शाखा को आदेश को आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

(24)

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

(2nd Floor, Vikas Khand, Secretariat, Jaipur – 302005)

No. F.7(1)(1) PE/SEC/2014/9787 Dated : 24-12-2014

O R D E R

The State Election Commission has announced programme on 24th December, 2014 for holding of General Elections to Panchayati Raj Institutions in the State. In the interest of preserving the purity of election process and for ensuring peaceful, free and fair election, the State Election Commission under the powers conferred on it by Article 243K of the Constitution and all other powers enabling it in that behalf issues the following instructions. These instructions shall come into force with immediate effect till the completion of elections.

The State Election Commission directs that there shall be a total and absolute ban on the use of official vehicles for campaigning, electioneering or election related travel during elections. There shall be a total prohibition on the use of any vehicle such as (except for security reasons) Cars, Jeeps etc. belonging to the Central Government, State Government, Public Sector Undertakings of the Central and State Government, Joint Sector Undertakings of the Central & State Government, Local Bodies and Marketing Boards by any political party, candidate or any other person connected with election.

The officers under whose charge such vehicles are entrusted will be responsible for any violation. The use of such vehicles belonging to any of these authorities by any one, even on payment, for campaigning or on tours connected with elections is totally prohibited. The district administration shall keep a close watch on the use of all the above mentioned vehicles to see whether any such vehicle is being misused for electioneering for, or by, any candidate. The vehicles being used by the Chairperson or any other elected person in the Panchayati Raj Institutions may be placed at disposal of the District Election Officer with immediate effect. District Election Officer may order for requisition of such vehicles, for the use of officers performing election related duties. The vehicles so requisitioned shall not be released until the declaration of results of election.

These orders shall be effective till the completion of the elections.

By order,
-sd-
Secretary
State Election Commission,
Rajasthan, Jaipur

(25)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांक : एफ. 7(7)(14) पं.चु./रानिआ/99/6050 जयपुर, दिनांक : 26.1.2000

आदेश

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन के अन्तर्गत मतदान के दिन मतदान बूथों में और मतगणना के दौरान मतगणना केन्द्रों में पत्रकारों के प्रवेश की अनुमति के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ट के अन्तर्गत इसमें, विहित शक्तियों के प्रयोग में चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता रखने की दृष्टि से निम्नलिखित निर्देश जारी करता है :-

(1) अधिस्वीकृत पत्रकारों को प्रवेश के लिए अधिकार पत्र जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जिला जनसम्पर्क अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर या अन्यथा स्वयं की संतुष्टि पर दिये जावेंगे। जिला जनसम्पर्क अधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रवेश के अधिकार पत्र जारी करने के लिए उनके द्वारा की गई अनुशंसा में पत्रकारों की संख्या यथोचित मात्रा में हो।

(2) अधिकार पत्र धारी पत्रकार मतदान बूथ में रिटर्निंग अधिकारी तथा मतदान अधिकारी के निर्देशानुसार ही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा पंचायत मतगणना स्थल पर उपस्थित नहीं रह सकेंगे।

(3) जिला मुख्यालय पर मतगणना केन्द्र पर पत्रकारों के लिए एक कमरा या कक्ष पृथक से आरक्षित कर उन्हें वहां सभी जानकारी प्रदत्त की जावे और वास्तविक मतगणना का अवलोकन किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ करवाया जावे स्वतंत्र रूप से नहीं कराया जाये। दूरदर्शन टीम आदि के साथ भी जिम्मेदार अधिकारी रहें।

(4) जिला निर्वाचन अधिकारी अधिकार पत्र जारी करने की शक्ति किसी अन्य अधिकारी को प्रदत्त नहीं करेंगे और यह ध्यान रखेंगे कि स्थानीय/राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के मीडिया के प्रतिनिधियों को अधिकार पत्र देते समय उचित प्रतिनिधित्व देवें एवं नियंत्रित मात्रा में अधिकार पत्र जारी किये जावें।

(5) मतदान बूथ और मतगणना स्थल पर मतों की गोपनीयता रखी जायेगी।

(तपेश पवार)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प. 7 (7) (14)/पं.चु./ रानिआ./99/6050 जयपुर, दिनांक : 26.1.2000

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. शासन सचिव, राजस्थान सरकार, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, जनसंपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायतें) (कलक्टर्स) राजस्थान।
7. समस्त जिला जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
8. निजी सचिव, आयुक्त, रानिआ, जयपुर।
9. निजी सहायक, सचिव/उपसचिव, रानिआ, जयपुर।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

(26)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.7(4)(1)पंचा/रानिआ/14–15/**5214** दिनांकः **30.10.2014**

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय :– पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु मतदान दलों के गठन के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम – 58 (2) के प्रावधानों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक पंचायत समिति के लिए, उसके सदस्यों के निर्वाचन के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी और उसकी सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करने व नियम 23 (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक पंचायत वृत के लिये रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। नियम 23 (3) के अंतर्गत निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा किसी एक मतदान अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर की अनुपस्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है।

नियम 31 के उपबन्धों के अनुसार मतदान अधिकारियों, सहायक मतदान अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी का रखा गया है।

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचनों हेतु मतदान दलों के गठन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग, इस संबंध में पूर्व में जारी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए, यह निर्देश जारी करता है कि –

1. प्रत्येक पंचायत वृत के लिये एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा और प्रत्येक मतदान बूथ के लिये 5 व्यक्तियों का एक मतदान दल होगा। मतदान दल में एक मतदान अधिकारी और 4 सहायक मतदान अधिकारी होंगें।

2. जिन पंचायत सर्किलों के वार्डों की संख्या 25 या अधिक है, उनके लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिए उस पंचायत सर्किल के बूथों के लिए नियुक्त किये गये मतदान अधिकारियों में से किसी एक को सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा। साथ ही रिटर्निंग अधिकारी के अपरिहार्य रूप से उसके कृत्यों के निर्वहन से निवारित हो जाने की दशा में, उस पंचायत सर्किल के लिए नियुक्त किये गये मतदान अधिकारियों में से किसी एक को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए भी प्राधिकृत कर सकेगा।

3. रिटर्निंग ऑफिसर मतदान अधिकारी से उच्चतर पद का अधिकारी होगा। मतदान अधिकारी विधानसभा/लोकसभा चुनाव के लिये नियुक्त पीठासीन अधिकारी के समान स्तर का होगा। मतदान दलों के लिए मतदान अधिकारी जहॉ तक सम्भव हो राजपत्रित अधिकारियों को ही लगाया जाए, लेकिन यदि राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध नहीं हो तो सुपरवाईजरी स्टाफ को भी मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

4. मतदान दल में 4 सहायक मतदान अधिकारियों में 3 मंत्रालयिक स्तर के तथा 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त किये जा सकते हैं।

5. मतदान दल में ऐसा कोई अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त न किया जाए जो उस पंचायत समिति का निवासी हो जिसके अंतर्गत वह मतदान केन्द्र/बूथ आता हो या उस पंचायत समिति क्षेत्र में वर्तमान समय में वह पदस्थ हो। पंचायत समिति के अधीनस्थ अध्यापकों को अन्य पंचायत समिति क्षेत्र में मतदान दलों में लगाया जा सकता है।

6. मतदान दलों के गठन से पूर्व सभी शासकीय एवं अर्द्ध–शासकीय विभागों/कार्यालयों/संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की अद्यतन सूचियॉ तैयार की जाए। किसी उम्मीदवार या राजनैतिक दलों से मिलिभगत या उनके पक्ष में होने के आरोप से बचने एवं उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों तथा जनता के मन में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक हैं कि विभिन्न शासकीय एवं अर्द्ध–शासकीय विभागों/कार्यालयों/संस्थानों के अधिकारियों/कर्मचारियों को एक मतदान दल में जहां तक संभव हो, समुचित रूप से मिलाया (Mix-up) जाए।

7. रिटर्निंग ऑफिसर एवं मतदान दलों को दो बार प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रथम प्रशिक्षण रिटर्निंग ऑफिसर एवं मतदान अधिकारी को मतदान दल की रवानगी के दिन से पूर्व एवं द्वितीय प्रशिक्षण रिटर्निंग ऑफिसर एवं मतदान दल के समस्त सदस्यों को मतदान दल की रवानगी के दिन दिया जायेगा।

8. मतदान दल में कार्मिकों की नियुक्ति उनके मूल पद/वेतनमान/स्तर के अनुरूप ही की जाए। चुनाव ड्यूटी लगाते समय कार्मिकों की वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी कनिष्ठ अधिकारी/कार्मिक के अधिनस्थ किसी वरिष्ठ अधिकारी/कार्मिक को नहीं लगाया जाए।

9. किसी भी मतदान केन्द्र पर आपातकाल से निपटने एवं पुर्नमतदान हेतु पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारियों एवं ऐसे सभी अधिकारियों जिनको जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान दिवस के लिए चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त किया हो, के लिए आरक्षित कार्मिकों की सूची तैयार रखी जाए। ऐसे आरक्षित दलों की संख्या 10% रखी जाए।

10. निम्नलिखित की ड्यूटी मतदान दल में नहीं लगाई जाएः–

    1. केन्द्र सरकार एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं के कार्मिक।
    2. ऐसे कार्मिक जो किसी राजनैतिक दल या उम्मीदवार से संबद्व हों।
    3. अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित कार्मिक।
    4. शारीरिक रूप से विकलांग कार्मिक।
    5. यथा संभव महिला कार्मिकों को मतदान दलों में नहीं लगाया जाए। पर्दानशीन महिला मतदाताओं की पहचान हेतु पीठासीन अधिकारी स्थानीय महिला कार्मिक का सहयोग ले सकते हैं।

आज्ञा से,
ह0/–
(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकःएफ 7(4)(1)पंचा/रानिआ/2014–15/9647 दिनांकः 21.12.2014

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
कलक्टर (पंचायत) राजस्थान।

विषयः– पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 – मतदान दल के गठन एवं प्रशिक्षण के संबंध में।
संदर्भः–आयोग का पत्रांक 5214 दिनांक 30.10.2014

महोदय,

आयोग द्वारा संदर्भित पत्र से मतदान दल के गठन एवं प्रशिक्षण में यह निर्देश दिये थे कि,

1. प्रत्येक पंचायत वृत के लिये एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा और प्रत्येक मतदान बूथ के लिये 5 व्यक्तियों का एक मतदान दल होगा। मतदान दल में एक मतदान अधिकारी और 4 सहायक मतदान अधिकारी होंगें।

2. रिटर्निंग ऑफिसर एवं मतदान दलों को दो बार प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रथम प्रशिक्षण रिटर्निंग ऑफिसर एवं मतदान अधिकारी को मतदान दल की रवानगी के दिन से पूर्व एवं द्वितीय प्रशिक्षण रिटर्निंग ऑफिसर एवं मतदान दल के समस्त सदस्यों को मतदान दल की रवानगी के दिन दिया जायेगा।

अतः संदर्भित आदेश में शिथिलन प्रदान करते हुए आयोग द्वारा यह निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों का आंकलन कर, आवश्यक समझे तो मतदान कर्मियों को एक अतिरिक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। इस अतिरिक्त प्रशिक्षण में किन मतदान कर्मियो को प्रशिक्षित किया जाना है, इसका निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रथम प्रशिक्षण के समय रिटर्निंग ऑफिसर एवं मतदान अधिकारी के अलावा एक सहायक मतदान अधिकारी को भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है। जिन जिलों में पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों के चुनाव ईवीएम से हो रहा हैं वहां मतदान दल में एक अतिरिक्त मतदान कर्मी की नियुक्ति भी की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त मतदान दलों के गठन हेतु अलग–अलग चरणों के लिए आप द्वारा अलग–अलग मतदान दलों का गठन किया जा सकता है। मतदान के लिए कार्मिकों की उपलब्धता के आधार पर आप प्रथम चरण में मतदान दल में जो कार्मिक लगाये जावे, उनका उपयोग तृतीय चरण में मतदान करवाने के कार्य के लिए कर सकते हैं ताकि मतदान दल को दस दिवस तक चुनाव कार्य में लगातार व्यस्त नहीं रहना पडें।

भवदीय

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव

(28)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकःएफ 7(4)(1)पंचा/रानिआ/2014–15/9146 दिनांकः 02.12.14

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
कलक्टर (पंचायत) राजस्थान।

विषयः– पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 हेतु रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति बाबत।

महोदय,

जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आयोग के ध्यान में लाया गया है कि, कई जिलों में पंचायत समितियों की संख्या में वृद्धि होने से उनके लिए निर्वाचन अधिकारी (R.O.)/सहायक निर्वाचन अधिकारी (A.R.O.) की नियुक्ति के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की उपलब्धता नहीं होने से तहसीलदार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारियों को पदाभिहित करने हेतु मार्गदर्शन चाहा है।

इस संबंध में लेख है कि यदि जिले में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी उपलब्ध हैं, तो उन्हें रिटर्निंग अधिकारी लगाया जाना चाहिए, किन्तु राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो तहसीलदार/उपपंजीयक को भी रिटर्निंग अधिकारी एवं नायब तहसीलदार को सहायक रिटर्निंग अधिकारी को लगाया जा सकता है।

भवदीय

(सत्यप्रकाश बसवाला)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

(29)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांक : एफ. 7(4)(1) पंचायत/रानिआ/99/4432 जयपुर, दिनांक : 31.12.1999

आदेश

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 58 (3) के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग अपने पूर्व आदेश क्रमांक-एफ. 7 (4) (1) पंचायत/रानिआ/94/1173, दिनांक 23.12.94 जो समय-समय पर संशोधित हुआ है, के अधिक्रमण में निम्नांकित सारणी के स्तम्भ-2 में अंकित जिला परिषदों के सदस्यों के निर्वाचन हेतु स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करता है :-

सारणी

क्र.सं.	नाम जिला परिषद	रिटर्निंग अधिकारी
1	2	3
1.	अजमेर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर
2.	अलवर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर*
3.	भरतपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर
4.	बीकानेर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर
5.	बाड़मेर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
6.	बूंदी	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी
7.	बारां	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां
8.	बांसवाड़ा	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
9.	चूरू	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
10.	चित्तौड़गढ़	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़
11.	दौसा	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
12.	धौलपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर
13.	डूंगरपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर
14.	हनुमानगढ़	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़
15.	जयपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
16.	झुंझुनूं	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं
17.	जोधपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
18.	जैसलमेर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर
19.	जालौर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालौर
20.	झालावाड़	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़
21.	कोटा	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

*यथा संशोधित

1.	2.	3.
22.	करौली	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली
23.	नागौर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
24.	पाली	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पाली
25.	राजसमंद	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद
26.	सीकर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
27.	सवाईमाधोपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर
28.	गंगानगर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, गंगानगर
29.	सिरोही	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही
30.	टोंक	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
31.	भीलवाड़ा	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
32.	उदयपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

आज्ञा से,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 7 (4) (1) पंचायत/रानिआ/99/4432 जयपुर, दिनांक : 31.12.1999

प्रतिलिपि :-

1. विकास आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान सरकार।
4. निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायतें) (कलेक्टर) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी, जिला परिषद सदस्य चुनाव।
7. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.7(4)(1)पंचा/रानिआ/09/6105 दिनांकः 10.12.09

आदेश

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 58(3) के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग अपने पूर्व आदेश क्रमांक एफ 7(4)(1)पंचायत/रानिआ/99/4432 दिनांक 31.12.1999 के क्रम में निम्नाकिंत सारणी के स्तम्भ–2 में अंकित जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन हेतु स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करता है :–

सारणी

क0सं0	जिला परिषद का नाम	रिटर्निंग अधिकारी
1	2	3
1	प्रतापगढ़	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

–ह0–
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

(31)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकःएफ.7(4)(1)पंचा / रानिआ / 2014 / 9667 दिनांकः22.12.14

आदेश

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 62 के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग अपने पूर्व प्रसारित आदेशों अधिक्रमण करते हुए निम्नांकित सारणी के स्तम्भ–2 में अंकित जिला परिषदों के प्रमुख एवं उपप्रमुख के निर्वाचन हेतु स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करता हैः–

सारणी

क0सं0	जिला परिषद का नाम	रिटर्निंग अधिकारी
1	2	3
1	अजमेर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर
2	अलवर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर
3	बारां	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां
4	बांसवाड़ा	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
5	बाड़मेर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
6	भरतपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर
7	भीलवाड़ा	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
8	बीकानेर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर
9	बून्दी	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी
10	चित्तौड़गढ़	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़
11	चूरू	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चुरू
12	दौसा	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
13	धौलपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर
14	डूंगरपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर
15	हनुमानगढ़	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़
16	जयपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
17	जैसलमेर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर
18	जालौर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालौर
19	झालावाड़	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़
20	झुंझुनूं	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनूं
21	जोधपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
22	करौली	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली
23	कोटा	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा
24	नागौर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
25	पाली	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पाली
26	प्रतापगढ़	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़
27	राजसमंद	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द
28	सवाईमाधोपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर
29	सीकर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
30	श्रीगंगानगर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
31	सिरोही	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही
32	टोंक	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
33	उदयपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग

(32)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकःएफ 7(4)(1)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 9663 दिनांकः 22.12.14

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर पंचायत), राजस्थान।

विषयः– पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति बाबत।

महोदय,

आयोग द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हेतु राजस्थान पंचायत राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 58 (3) के अन्तर्गत जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी आयोग के आदेश क्रमांक 4432 दिनांक 31.12.2009 एवं आदेश क्रमांक 6105 दिनांक 10.12.2009 से नियुक्त किये हुए हैं। जिसकी प्रति संलग्न है।

अतः आगामी आम चुनाव 2015 में जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए उक्तानुसार नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

भवदीय

(सत्यप्रकाश बसवाला)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

(33)

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

जयपुर, दिनांक 29.12.94

आदेश

सां.आ. 14/94- यत: आगामी पंचायत आम चुनाव में प्रत्येक पंचायत सर्किल मुख्यालय पर स्थापित मतदान बूथों पर राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय 4,5, व 6 में अनर्विष्ट नियमों के अनुसार पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदान होगा।

और यत: पूर्वोक्त नियमों के अध्याय 4 में अन्तर्विष्ट नियम 23 के उप-नियम (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा की जावेगी और नियम 24 में रिटर्निंग अधिकारियों के कर्तव्यों और शक्तियां उपबन्धित हैं, जिनके अनुसार रिटर्निंग अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों और प्रदत्त शक्तियों के साथ-साथ ऐसे समस्त कार्य व बातें करने का साधारण दायित्व रखा गया है जो इन नियमों के अधीन किसी निर्वाचन को प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक हों,

और यत: पूर्वोक्त नियमों के अध्याय 6 में अन्तर्विष्ट नियमों के अधीन पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन हेतु नियम 24 में निर्दिष्ट कर्तव्यों एवं शक्तियों का निर्वहन मतदान अधिकारी के लिये वर्णित नहीं किया गया है जिसके कारण इन निर्वाचनों के प्रभावी संचालन हेतु नियम 24 में निर्दिष्ट कर्तव्य एवम् शक्तियों का निर्वहन मतदान अधिकारी नहीं कर सकता जिससे इन नियमों के क्रियान्वयन में कठिनाई उत्पन्न हो गई है,

अत: पूर्वोक्त नियमों के नियम 91 के उपबन्धों के अध्यधीन राज्य निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा निर्दिष्ट करता है कि नियम 58 के उप-नियम (2) के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा किसी पंचायत समिति के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के अतिरिक्त मतदान अधिकारी/सहायक मतदान अधिकारी द्वारा भी अपने अधीनस्थ मतदान बूथों पर सम्बन्धित पंचायत समिति/जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों के निर्वाचन के प्रभावी संचालन के लिए नियम 24 द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों और शक्तियों का निर्वहन किया जायेगा।

सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।

क्रमांक : प. 4 (2) (1) पंचा/रानिआ/94/1145 जयपुर, दिनांक : 29.12.1994

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव एवम् विकास आयुक्त, ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ शासन सचिव एवम् निदेशक, ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर)
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य चुनाव जरिये जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर)

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

(34)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

दिनांक 12 जनवरी, 1995

आदेश

सां.आ. 15/95- यत: राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23 के उप नियम (2) एवं (3) के उपबन्धों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) प्रत्येक पंचायत सर्किल के पंचों और सरपंच के निर्वाचन के लिए किसी व्यक्ति को नाम से और उसके पदाभिधान से रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा और रिटर्निंग अधिकारी के अपरिहार्य रूप से उसके कृत्यों के निर्वहन से निवारित हो जाने को दशा में, उस पंचायत सर्किल के लिए नियुक्त किये गये मतदान अधिकारियों में से किसी एक को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए भी प्राधिकृत कर सकेगा;

यत: उपरोक्त निर्वाचनों में रिटर्निंग अधिकारी की सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करने हेतु कोई प्रावधान नही हैं,

यत: कई पंचायत सर्किलों में बहुत अधिक संख्या में वार्ड हैं और एक अकेले व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन निश्चित समय सीमा में करना कठिन होगा और उसकी सहायता के लिए किसी को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करना वांछित है,

अत: पूर्वोक्त नियमों के नियम 91-क द्वारा कठिनाईयों के निराकरण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में आयोग एतद्द्वारा निर्दिष्ट करता है कि जिन पंचायत सर्किलों के वार्डों की संख्या 25 या अधिक है, उनके लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिए उस पंचायत सर्किल के बूथों के लिए नियुक्त किये गये मतदान अधिकारियों में से किसी एक को सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा।

Sd/-

(दिनेश कुमार)

सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।

क्रमांक : प. 4 (2) (1) पंचु/रानिआ/94/241 दिनांक : 12.1.1995

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

1. विकास आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त,
3. विशिष्ट शासन सचिव, एवं निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर)
5. समस्त रिटर्निंग अधिकारी जिला परिषद सदस्य चुनाव-जरिये जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर)
6. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, पंचायत समिति सदस्य चुनाव जरिये जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर)
7. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त,
8. निजी सहायक, मु.नि.आ. एवं सचिव राज्य निर्वाचन आयोग
9. उप सचिव, प्रथम/द्वितीय रा.नि.आ.
10. सहायक सचिव, प्रथम/द्वितीय रा.नि.आ.
11. जन सम्पर्क अधिकारी, रा.नि.आ.

उप सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,

राजस्थान, जयपुर।

(35)

RAJASTHAN STATE ELECTION COMMISSION

(IInd Floor, Development Block, Secretariate, Jaipur-302005)

No. F.1(2)(1)NP_PE/S.O./SEC/14/ **9490** Jaipur, Dated **17-12-2014**

ORDER

S.O. No. 99 /2014 – Certain provisions related to the option of NOTA inserted in the Rajasthan Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 for those who may wish to excercise the option of not voting for any candidate for the fray. Due to this amendment the earlier S.O. have become irrelavent and it is necessary to issue new order.

In pursuance of sub-rule (4) of rule 29 of the Rajasthan Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 the State Election Commission, in supersession of its S.O.No. 1/94 dated 12.9.94, hereby directs that the form of Ballot Paper for election of Panch and Sarpanch shall be as indicated below:-

(1) Every Ballot Paper for Panch and Sarpanch election shall have a top column which shall ordinarily be of the depth of 6 ems. The top column shall contain the following:-

a) Black border line at the top.

b) Serial Number of Ballot Paper on left hand side.

c) “Number and Name of Panchayat” on the Ballot Paper of Sarpanch on the right hand side.

d) “Number and Name of Panchayat” and “Ward No.” on right hand side on the Ballot Paper of Punch one below the other.

e) Black border line below, separating Ballot Paper from the top column.

(2) The front face of the Ballot Paper will contain only the particular of election viz. “Panch Chunav” or “Sarpanch Chunav”, as the case may be in the first shaded area, the space for name of contesting candidates and "None Of The Above" for NOTA on right hand side and the symbols of the candidates and symbol of NOTA on the left hand side.

(3) The width of the ballot paper will be 4".

(4) The width of the space allotted to each candidate and "NOTA" (none of the above) will be 6 ems and the width of the shaded area between the space allotted to any two candidates and the last candidate and "NOTA" (none of the above) will be 3ems. There will be a black border line at the bottom of the Ballot Paper.

(5) The names of candidates shall be arranged on the ballot paper in the same order as they appears in the list of contesting candidates and "NOTA" (none of the above) shall be shown after last candidate on the ballot paper.

(6) The length of the Ballot Paper will be according to the number of contesting candidates including "NOTA" (none of the above).

BY ORDER

sd/-
(SATYA PRAKASH BASWALA)
SECRETARY

(36)

RAJASTHAN STATE ELECTION COMMISSION

(IInd Floor, Development Block, Secretariate, Jaipur-302005)

No. F.1(2)(1)NP_PE/S.O./SEC/14/ **9496** Jaipur, Dated **17-12-2014**

ORDER

S.O. No. 100/2014 – Certain provisions related to the option of NOTA inserted in the Rajasthan Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 for those who may wish to excercise the option of not voting for any candidate for the fray. Due to this amendment the earlier S.O. have become irrelavent and it is necessary to issue new order.

In pursuance of sub-rule (4) of rule 29 of the Rajasthan Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 the State Election Commission, in supersession of its S.O.No. 2/94 dated 13.9.94, hereby directs that the form of Ballot Paper for election of Member of Panchayat Samiti and Member of Zila Parishad shall be as indicated below:--

(1) Every Ballot Paper for Member of Panchayat Samiti and Member of Zila Parishad election shall have a top column which shall ordinarily be of the depth of 6 ems. The top column shall contain the following:--

a) Black border line at the top.

b) Serial Number of Ballot Paper on left hand side either on the front or back as may be convenient.

c) “Name of Panchayat Samiti” and “Constituency No.” on right hand side on the Ballot Paper of Member of Panchayat Samiti one below the other. .

d) “Name of Zila Parishad” and “Constituency No.” on right hand side on the Ballot Paper of "Member of Zila Parishad" one below the other.

e) Black border line below, separating Ballot Paper from the top column.

(2) The front face of the ballot paper will contain only the particular of election viz. “Panchayat Samiti Sadasya Chunav” or “Zila Parishad Sadasya Chunav”, as the case may be in the first shaded area, the space for name of contesting candidates and "None Of The Above" for NOTA on left hand side and the symbols of the candidates and symbol of NOTA on the right hand side in panel.

(3) The width of the Ballot Paper will be 4”.

(4) The width of the space allotted to each candidate and "NOTA" (none of the above) will be 6 ems and the width of the shaded area between the space allotted to any two candidates and the last candidate and "NOTA" (none of the above) will be 3ems. There will be a black border line at the bottom of the Ballot Paper.

(5) The names of candidates shall be arranged on the ballot papers in the same order as they appears in the list of contesting candidates and "NOTA" (none of the above) shall be shown after last candidate on the ballot papers

(6) The length of the Ballot Paper will be according to the number of contesting candidates including "NOTA" (none of the above).

BY ORDER

sd/-
(SATYA PRAKASH BASWALA)
SECRETARY

(37)

RAJASTHAN STATE ELECTION COMMISSION

(IInd Floor, Development Block, Secretariate, Jaipur-302005)

No. F.1(2)(1)NP_PE/S.O./SEC/14/ **9500** Jaipur, Dated **17-12-2014**

ORDER

S.O. No. 101/2014 – Certain provisions related to the option of NOTA inserted in the Rajasthan Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 for those who may wish to excercise the option of not voting for any candidate for the fray. Due to this amendment the earlier S.O. have become irrelavent and it is necessary to issue new order.

In pursuance of clause (a) of sub-rule (12) of rule 59 of the Rajasthan Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 the State Election Commission, in supersession of its S.O.No. 9/94 dated 9.12.94 hereby directs that the form of Ballot Paper for election of "Pradhan and Up-Pradhan" of Panchayat Samiti and "Pramukh and Up-Pramukh" of Zila Parishad shall be as indicated below:--

(1) Every Ballot Paper for Election of Pradhan and Up-Pradhan of Panchayat Samiti and Pramukh and Up-Pramukh of Zila Parishad shall have a top column which shall ordinarily contain the following:--

a) Black border line at the top.

b) Serial Number of Ballot Paper on left hand side.

c) The particulars of Election viz. “Pradhan Chunav” or “Pramukh Chunav” or “Up-Pradhan Chunav” or “Up-Pramukh Chunav” as the case may be, the legend “Genl.. or “Bye” depending on whether the Ballot Paper is intended for a General Election or a Bye-Election and the year of election shall be printed in a line immediately below item (a) above on the right hand side.

d) The words “Panchayat Samiti” or “Zila Parishad” as the case may be, with perforated line for writing the name of Panchayat Samiti or Zila Parishad (as required) just below item (c) and

e) Black border line below, separating the Ballot Paper from the top column.

(2) The width of the Ballot Paper will be 4".

(3) The width of the space allotted the each candidate and "NOTA" (none of the above) will be 6 ems and the width of the shaded area between the space allotted to any two candidates and the last candidate and "NOTA" (none of the above) will be 3ems.

(4) The names of contesting candidates and "None Of The Above" for NOTA will appear in Panels one below the other on the right hand side in the space allotted and symbols of the candidates and symbol of NOTA shall be printed against their names in their respective panels.

(5) There will be a black border line at the bottom of Ballot Paper.

(6) The names of candidates shall be arranged on the ballot papers in the same order as they appears in the list of contesting candidates and "NOTA" (none of the above) shall be shown after last candidate on the ballot papers

(7) The length of the Ballot Paper will be according to the number of contesting candidates including "NOTA" (none of the above).

BY ORDER

sd/-
(SATYA PRAKASH BASWALA)
SECRETARY

(38)

RAJASTHAN STATE ELECTION COMMISSION

(IInd Floor, Development Block, Secretariate, Jaipur-302005)

No. F.1(2)(1)NP_PE/S.O./SEC/14/ **9504** Jaipur, Dated **17-12-2014**

ORDER

S.O. No. 102/2014 – Certain provisions related to the option of NOTA inserted in the Rajasthan Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 for those who may wish to excercise the option of not voting for any candidate for the fray. Due to this amendment the earlier S.O. have become irrelavent and it is necessary to issue new order.

In pursuance of sub-rule 7 of rule 66 read with sub-rule (9) of rule 59 of the Rajasthan Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 and in supersession of its S.O. 10/94 dated 13.10.94 and S.O. No. 12/94 dated 29.12.94, the State Election Commission, hereby directs that form of Ballot Paper for election of Up-Sarpanch shall be as indicated below:--

(1) Every Ballot Paper for Up-Sarpanch election shall have a top column which shall ordinarily be of the depth of 6 ems. The top column shall contain the following:--

a) Black border line at the top.

b) Serial Number of Ballot Paper on left hand side.

c) “Number and Name of Panchayat” on the Ballot Paper of Up-Sarpanch on the right hand side.

d) Black border line below, separating Ballot Paper from the top column.

(2) The front face of the Ballot Paper will contain only the particular of election viz. “Up-Sarpanch Chunav” in the first shaded area, the space for name of contesting candidates and "None Of The Above" for NOTA on right hand side and the symbols of the candidates and symbol of NOTA on the left hand side.

(3) The width of the Ballot Paper will be 4".

(4) The width of the space allotted to each candidate and "NOTA" (none of the above) will be 6 ems and the width of the shaded area between the space allotted to any two candidates and the last candidate and "NOTA" (none of the above) will be 3ems. There will be a black border line at the bottom of the Ballot Paper.

(5) The names of candidates shall be arranged on the ballot papers in the same order as they appears in the list of contesting candidates and "NOTA" (none of the above) shall be shown after last candidate on the ballot papers

(6) The length of the Ballot Paper will be according to the number of contesting candidates including "NOTA" (none of the above).

BY ORDER
sd/-
(SATYA PRAKASH BASWALA)
SECRETARY

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

संख्या 7(1)(7)पंचा/रानिआ/09/वा.IV/**3174** जयपुर, दिनांकः **6.8.2014**

अधिसूचना

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 29 के उपनियम (3) तथा सपठित नियम 56 के उपबन्धों के अंतर्गत पंच एवं सरपंच के निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतीकों में से एक आंवटित किया जायेगा। अतः राज्य निर्वाचन आयोग पंच एवं सरपंच के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी को एक निर्वाचन प्रतीक आंवटित करने के प्रयोजनार्थ इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना कमांक संख्या 7(1)(7)पंचा/रानिआ/09/वा.IV/2479 दिनांक 29.7.09 को अधिकमित करते हुए निम्नांकित सारणी में वर्णित निर्वाचन प्रतीकों को विनिर्दिष्ट करता है –

सारणी

क.सं.	मुक्त प्रतीक	क.सं.	मुक्त प्रतीक
1.	2.	1.	2.
1.	बल्ला	21.	डीजल पम्प
2.	अलमारी	22.	केतली
3.	गुब्बारा	23.	हारमोनियम
4.	ब्रुश	24.	स्टूल
5.	मोमबत्तियॉ	25.	मेज
6.	कैमरा	26.	टेबिल लैम्प
7.	कोट	27.	टेलीविजन
8.	गैस का चूल्हा	28.	सीटी
9.	बल्लेबाज	29.	पतंग
10.	कॉच का गिलास	30.	प्रैशर कुकर
11.	कप और प्लेट	31.	कैंची
12.	चारपाई	32.	गैस सिलेण्डर
13.	छत का पंखा	33.	नारियल
14.	लेटर बॉक्स	34.	सिलाई की मशीन
15.	अंगूठी	35.	डोली
16.	शटल	36.	ब्रीफकेस
17.	वायलिन	37.	प्रेस
18.	छड़ी	38.	टेलीफोन
19.	बाल्टी	39.	ऑटो रिक्शा
20.	बैटरी टार्च	40.	बोतल

आदेश से,
ह0/–
(सत्यप्रकाश बसवाला)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः– प.3(53)पंचा/स्टोर/रानिआ/2014/4767 दिनांकः– 15.10.2014

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
समस्त।

विषय :– पंचायत आम चुनाव – 2015 हेतु पंच व सरपंच चुनाव के मतपत्रों एवं अतिरिक्त चुनाव चिन्हों की स्लिपों का मुद्रण।

सन्दर्भ :– आयोग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 2741 दिनांक 02.07.2014 एवं 4409 दिनांक 30.09. 2014

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के आगामी पंचायत आम चुनाव 2015 के लिए पंच व सरपंच के मतपत्र व अतिरिक्त स्लिपों तथा जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों के मतपत्रों का मुद्रण कार्य निविदायें आमत्रित कर निजी मुद्रणालय के माध्यम से मुद्रित कराने हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया हैं। पंचायती राज संस्थाओं में चार पदों के प्रत्यक्ष चुनाव होंगे यानि जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं पंच। इन चारों पदों में से प्रत्येक पद के लिए मतपत्र भिन्न–भिन्न रंग के कागज पर मुद्रित होंगे। पंच एवं सरपंच पद के निर्वाचन के लिए मतपत्र के अतिरिक्त चुनाव चिन्हों की स्लिपें (Extra Slips of Symbols) भी मुद्रित होंगी। मुद्रित होने वाली मतपत्रों एवं एक्स्ट्रा स्लिपों की वास्तविक संख्या जिला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर पर ही निर्धारित करेंगे, जो मतदाताओं की संख्या व मतदान केन्द्रों की संख्या पर आधारित होंगी। इसके अतिरिक्त आगामी पाँच वर्षो में होने वाले उप चुनाव को दृष्टिगत रखते हुये अतिरिक्त मात्रा में मतपत्र व अतिरिक्त स्लिपों का मुद्रण करवाया जावें आयोग स्तर पर रिजर्व स्टॉक नहीं रखा जायेगा। पंच व सरपंच के मतपत्रों एवं अतिरिक्त स्लिपों के मुद्रण हेतु अनुमानित मात्रा का विवरण पत्र के साथ संलग्न है। मुद्रण होने वाली वास्तविक संख्या का आंकलन जिला स्तर पर किया जावे।

पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों में मतदाताओं को NOTA (उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए पंच, सरपंच के मतपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के बाद NOTA (उपरोक्त में से कोई नहीं) एवं इसके लिए निर्धारित प्रतीक अंकित किया जाएगा। चूंकि पंच/सरपंच के निर्वाचन हेतु मतपत्र एवं एक्स्ट्रा स्लिप उपरोक्तानुसार मुद्रित पहले से ही करवा ली जाएगी। इसलिए आयोग ने यह निर्णय लिया है कि NOTA (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प एवं उसके लिए निर्धारित प्रतीक युक्त स्टीकर सफेद एवं गुलाबी रंग में मतपत्र के रंग के अनुसार तैयार करवाये जाये, जो निर्वाचन लड़ने वाले अन्तिम अभ्यर्थी के बाद अंकित चिन्ह पर मतपत्र अथवा एक्स्ट्रा स्लिप जैसी ही स्थिति हो पर चिपकाया जायेगा। इस हेतु स्टीकर्स को मुद्रित करवाकर आयोग द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।

सरपंच व पंच के मतपत्रों एवं एक्स्ट्रा स्लिपों में कितने चुनाव चिन्ह छपेंगे एवं किस रंग के कागज पर छपेंगे, वह निम्न प्रकार से है :–

1.	सरपंच चुनाव के मतपत्र	10 चिन्ह	सफेद कागज पर
2.	पंच चुनाव के मतपत्र	6 चिन्ह	पिंक कागज पर
3.	सरपंच चुनाव की एक्स्ट्रा स्लिप	10 चिन्ह	सफेद कागज पर
4.	पंच चुनाव की एक्स्ट्रा स्लिप	6 चिन्ह	पिंक कागज पर
5.	सरपंच चुनाव की एक्स्ट्रा स्लिप (द्वितीय)	8 चिन्ह	सफेद कागज पर

पंच/सरपंच चुनाव हेतु विनिर्दिष्ट प्रतीक चिन्ह–

पंच/सरपंच चुनाव के अभ्यार्थियों को आवंटित किये जाने वाले चुनाव चिन्हों को राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना क्रमांक–3174 दिनांक 06.08.2014 के द्वारा विनिर्दिष्ट किया है। इस अधिसूचना में 40 चुनाव चिन्ह हैं, जिनमें से ही सरपंच मतपत्र, व एक्स्ट्रा स्लिप जिनमें 10–10 चिन्ह तथा इस बार एक अतिरिक्त स्लिप द्वितीय भी रखी गई है जिसमें 8 चिन्ह होंगे। यह तीनो सफेद कागज पर मुद्रित किये जायेगें। पंच मतपत्र व एक्स्ट्रा स्लिप पिंक कागज पर मुद्रित की जायेगी प्रत्येक में 6–6 चिन्ह होंगे। इन चिन्हों का विवरण आगे दिया गया है।

मतपत्र सरपंच चुनाव हेतु :–

सरपंच के मतपत्र में निम्न चुनाव चिन्ह छपेंगे तथा यह मतपत्र सफेद कागज पर मुद्रित होगा:– सरपंच मतपत्र के चुनाव चिन्ह निम्नांकित हैं, जो इसी क्रम में छपेंगे।

(1) बल्ला (2) आलमारी (3) गुब्बारा (4) ब्रुश (5) मोमबत्तियाँ

(6) कैमरा (7) कोट (8) गैस का चूल्हा (9) बल्लेबाज (10) कांच का गिलास

सफेद रंग के कागज पर मुद्रित होने वाली दस चुनाव चिन्हों वाली एक्स्ट्रा स्लिपों में निम्नांकित चुनाव चिन्ह इस क्रम में आयेंगे :–

(1) कप और प्लेट (2) चारपाई (3) छत का पंखा (4) लेटर बॉक्स (5) अंगूठी (6) शटल (7) वायलिन (8) छड़ी (9) बाल्टी (10) बैटरी टार्च

सफेद रंग के कागज पर मुद्रित होने वाली द्वितीय स्लिप पर निम्नांकित चिन्ह इस क्रम में होगे।

(1) डीजल पम्प (2) केतली (3) हारमोनियम (4) स्टूल (5) मेज (6) टेबिल लैम्प (7) टेलिविजन (8) सीटी

उक्त एक्स्ट्रा स्लिप पंचायत समिति मुख्यालय पर भण्डारित रहेगी एवं 20 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव में खडे होने पर उपयोग में ली जावेगी एवं जोनल मजिस्ट्रेट के माध्यम से वितरण कराया जायेगा।

मतपत्र पंच चुनाव हेतु :–

पंच चुनाव के मतपत्र पिंक कागज पर मुद्रित होंगे, इस मतपत्र में जो चुनाव चिन्ह मुद्रित होंगे, वे निम्न प्रकार क्रम में आयेंगे :–

(1) पतंग (2) प्रेशर कूकर (3) कैची (4) गैस सिलेण्डर (5) नारियल (6) सिलाई की मशीन

एक्स्ट्रा स्लिप 6 चुनाव चिन्हों की (गुलाबी रंग के कागज पर) जो चुनाव चिन्ह मुद्रित होंगे, वे इस क्रमवार निम्न प्रकार होंगे :–

(1) डोली (2) ब्रीफकेस (3) प्रेस (4) टेलीफोन (5) आटोरिक्शा (6) बोतल

पंच/सरपंच मतपत्रों का प्रारूप :–

पंच/सरपंच के मतपत्र की लम्बाई, चौड़ाई, क्रम संख्या आदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसारित सांविधिक आदेश सं. प.4(2)(1)पंचा/रानिआ/94/94 दिनांक 12.9.94 के आदेश यथावथ लागू होंगे।

सिम्बल ब्लॉक्स्

वर्तमान में निजी मुद्रणालयों द्वारा मुद्रण कार्य ऑफसेट मुद्रण पद्धति से किया जाता हैं। जिसमें चुनाव चिन्ह कम्प्यूटर के माध्यम से **Scan** किये जाने के उपरान्त कार्य में लिये जाते हैं जिसमें सिम्बल ब्लॉक की आवश्यकता नही रहती। अतः मतपत्र मुद्रण कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि चुनाव चिन्ह की **Scaning** के समय चुनाव चिन्हों मे कोई भी अन्तर ना हो। चुनाव चिन्हों के नमूनों की Soft Copy (सी.डी) आपको आयोग से उपलब्ध करवायी जावेगी यह सी.डी. आपके विशेष वाहक आयोग कार्यालय से अन्य सामग्री संग्रहण के समय प्राप्त कर लें।

मतपत्रों पर नम्बरिंग :–

मतपत्रों पर नम्बरिंग टाईप हाई मशीनों द्वारा किया जावेगा, जो 6 या 7 डिजिट में होगा, लेकिन पूरे जिले में या तो 6 डिजिट में नंबरिंग कराये जायें या 7 डिजिट में। मतपत्र की नंबरिंग के नीचे जिलों का कोड

यानि आरजे–01, आरजे–02, आरजे–03 इत्यादि होंगे। इन मतपत्रों में काउन्टर फाइल नहीं होता है, केवल एक मतपत्र पर एक ही नम्बर लगेगा। <u>एक्स्ट्रा स्लिपों पर नम्बर नहीं लगाया जावेगा</u>।

<u>बाईंडिंग :–</u>

100–100 मतपत्र या एक्स्ट्रा स्लिपों को स्टिचिंग मशीन से स्टिच किया जाकर उनका एक बण्डल बनाया जावेगा तथा 1000 मतपत्रों यानी 100–100 के 10 बण्डलों को मिला कर एक जगह पैक किया जावेगा। पैकिंग पेपर उसी रंग का होगा जिस रंग का मतपत्र अथवा एक्स्ट्रा स्लिप है। प्रत्येक बंडल के ऊपर एक पैकिंग स्लिप लगेगी, जिसमें निम्न विशिष्टियाँ होंगी :–

पंच / सरपंच मतपत्र

जिले का नाम ....
कोड़ नम्बर
क्रम संख्या .... से .... तक

हस्ताक्षर चैकर / पैकर

<u>मतपत्रों का नमूना व मात्रा :–</u>

मतपत्र अथवा एक्स्ट्रा स्लिप में चुनाव चिन्ह बायें हाथ (Left Side) की तरफ छपेंगे। सरपंच मतपत्र, सफेद एक्स्ट्रा स्लिप, पंच मतपत्र एवं पिंक कागज पर एक्स्ट्रा स्लिप का एक–एक नमूना क्रमशः परिशिष्ठ–द्वितीय एक्स्ट्रा स्लिप IX, X, XI एवं XII संलग्न किया जा रहा है। मतपत्र आपके आंकलन अनुसार तादाद में छपेंगे तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुद्रण की मात्रा में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकेगा। मुद्रण कराये जाते समय आगामी वर्षो में होने वाले उप चुनाव की अनुमानित मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए मतपत्र व अतिरिक्त स्लिपों का मुद्रण करवाया जावें। आयोग स्तर पर रिजर्व स्टॉफ नहीं रखा जायेगा। प्रत्येक जिले में क्रम संख्या 000001 या 0000001 से प्रारम्भ होकर अन्त तक जावेगी। इसी प्रकार प्रत्येक जिले के लिये उस जिले की पहचान हेतु अलग–अलग सीरीज भी मुद्रित होगी। मतपत्र के TOP कालम में मतपत्र की क्रम संख्या के नीचे सीरीज संख्या (यानि जिलें का कोड) लिखा जायेगा।

<u>कागज की व्यवस्था में उपयोग होने वाले मतपत्र व अतिरिक्त स्लिप :–</u>

मतपत्र व अतिरिक्त स्लिपों के मुद्रण हेतु निजी मुद्रणालयो के माध्यम से जिला स्तर पर करवाया जावे। इन मतपत्रों एवं एक्स्ट्रा स्लिप के मुद्रण हेतु कागज आप अपने जिले से संबंधित राजकीय मुद्रणालय से दिनांक 25.11.2014 तक प्राप्त कर लेवें। जिसके लिये निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से आप भी अपने स्तर पर सम्पर्क करें।

<u>मुद्रण की अवधि :–</u>

मतपत्रों का मुद्रण प्रारम्भ होने से पूर्व प्रूफ जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। मुद्रण कार्य दिनांक 01.12.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे। मतपत्रों / एक्स्ट्रा स्लिपों को मुद्रण करवाकर जिला स्तर पर सुरक्षित रख लिया जावे।

<u>मुख्यालयों पर सुरक्षा व्यवस्था :–</u>

चूंकि मुद्रण निजी मुद्रणालयों पर होना है, अतः मतपत्रों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा जाये। मुद्रण कार्य के दौरान मुद्रणालयों पर पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था रखी जावे तथा कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मुद्रण कार्य के दौरान मुद्रणालय में प्रविष्ठ न हो तथा मतपत्र, एक्स्ट्रा स्लिपें किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति की पहुॅच में नहीं आवें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जावें। मतपत्रों के मुद्रण कार्य के समय मुद्रणालय में अन्य कोई मुद्रण कार्य नहीं हो यह सुनिश्चित किया जावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(सत्य प्रकाश बसवाला)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

(41)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड सचिवालय,जयपुर)

क्रमांकः– एफ. 3(53)पंचा/स्टोर/रानिआ/2014/8895 जयपुर, दिनांकः 26.11.14

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
समस्त

विषयः– पंचायत आम चुनाव 2014 हेतु पंच व सरपंच चुनाव के मतपत्र व अतिरिक्त स्लिपों के मुद्रण के क्रम में।

संदर्भः– आयोग का पत्र क्रमांक 4767 दिनांक 15.10.2014

महोदय,

पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव हेतु पंच व सरपंच के मतपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के बाद NOTA (उपर्युक्त में से कोई नही) के लिये सन्दर्भित पत्र के द्वारा स्टीकर सफेद व गुलाबी रंग के मुद्रित कराकर निर्वाचन लड़ने वाले अन्तिम अभ्यर्थी के बाद अंकित चिन्ह पर मतपत्र या अतिरिक्त स्लिप जैसी भी स्थिति हो पर चिपकाये जाने का निर्देश दिये गये थे। इस हेतु स्टीकर्स आयोग द्वारा उपलब्ध कराये जाने थे।

आयोग द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि, स्टीकर्स मुद्रित नही करवाये जायेंगे। मतपत्र में अन्तिम स्थान पर NOTA (उपर्युक्त में से कोई नही) मतपत्र मुद्रण के समय ही मुद्रित कराया जायेगा।

तद्नुरूप ही अब पंच व सरपंच के मतपत्र व अतिरिक्त स्लपों में निम्न प्रकार चिन्हों का मुद्रण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

A. सरपंच चुनाव हेतु मतपत्र (सफेद रंग के कागज पर)
   (1) बल्ला (2) अलमारी (3) गुब्बारा (4) ब्रुश (5) मोमबत्तियाँ (6) कैमरा
   (7) कोट (8) गैस का चूल्हा (9) बल्लेबाज (10) NOTA (उपर्युक्त में से कोई नही)

B. सरपंच चुनाव हेतु अतिरिक्त स्लिप (प्रथम)
   (1) काँच का गिलास (2) कप और प्लेट (3) चारपाई (4) छत का पंखा
   (5) लेटर बॉक्स (6) अंगूठी (7) शटल (8) वायलिन (9) छडी (10) बाल्टी

C. सरपंच चुनाव हेतु अतिरिक्त स्लिप (द्वितीय)
   (1) बैटरी टार्च (2) डीजल पम्प (3) केतली (4) हारमोनियम (5) स्टूल
   (6) मेज (7) टेबल लैम्प (8) टेलीविजन (9) सीटी (10) पतंग
   पूर्व में संदर्भित आदेश में उक्त द्वितीय अतिरिक्त स्लिप 8 चुनाव चिन्ह की मुद्रित कराने के निर्देश दिये गये थे। अब उक्त द्वितीय अतिरिक्त स्लिप सरंपच हेतु ऊपर वर्णित 10 चिन्हों की मुद्रित करवाई जावें।

D. **पंच चुनाव हेतु मतपत्र**

पंच चुनाव के मतपत्र व अतिरिक्त स्लिप पिंक कागज पर मुद्रित होंगे जिन पर निम्न क्रम में चिन्ह आयेंगे–

मतपत्र हेतु चिन्ह :–

(1) प्रेशर कूकर (2) कैची (3) गैस सिलेण्डर

(4) नारियल (5) सिलाई की मशीन (6) NOTA (उपर्युक्त में से कोई नही)

अतिरिक्त स्लिप हेतु चिन्ह :–

(1) डोली (2) ब्रीफकेस (3) प्रेस (4) टेलीफोन (5) ऑटो रिक्शा (6) बोतल

चुनाव चिन्ह आपको इस पत्र के साथ ही ई–मेल कराये जा रहे है। सरपंच चुनाव के मतपत्र की निर्धारित संख्या से 30 प्रतिशत प्रथम अतिरिक्त स्लिप व 10 प्रतिशत द्वितीय अतिरिक्त स्लिप मुद्रित कराई जानी है, इसी प्रकार पंच चुनाव हेतु मतपत्र की निर्धारित संख्या का 30 प्रतिशत अतिरिक्त स्लिप मुद्रित करवाई जानी है। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(सत्य प्रकाश बसवाला)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड सचिवालय,जयपुर)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः– एफ. 3(53)पंचा/स्टोर/रानिआ/2014/9418 जयपुर, दिनांकः 15.12.14

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
समस्त।

विषयः– पंच व सरपंच के मतपत्र व अतिरिक्त स्लिपों के मुद्रण के सम्बन्ध में।
संदर्भः– आयोग का आदेश क्रमांक 8895 दिनांक 26.11.2014

महोदय,

आयोग के संदर्भित आदेश के द्वारा पंच व सरपंच के मतपत्र व अतिरिक्त स्लिपों के मुद्रण हेतु आपको NOTA (उपर्युक्त में से कोई नहीं) भी मतपत्र में मुद्रण करवाये जाने का आदेश दिया गया था। इस कारण चुनाव चिन्हों में अंतर आया है एवं आयोग द्वारा इस हेतु फार्म प्रारूप–5 पंच व सरपंच हेतु मुद्रित करवाये जा चुके है। अतः चुनाव चिन्हों में निम्न प्रकार मतपत्र व अतिरिक्त स्लिपों में मुद्रण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

A. <u>सरपंच चुनाव हेतु मतपत्र</u>
(1) बल्ला (2) अलमारी (3) गुब्बारा (4) ब्रुश (5) मोमबत्तियाँ (6) कैमरा (7) कोट (8) गैस का चूल्हा (9) बल्लेबाज (10) NOTA (उपर्युक्त में से कोई नही)

B. <u>सरंपच चुनाव हेतु अतिरिक्त स्लिप (प्रथम)</u>
(1) काँच का गिलास (2) कप और प्लेट (3) चारपाई (4) छत का पंखा (5) लेटर बॉक्स (6) अंगूठी (7) शटल (8) वायलिन (9) छडी (10) बाल्टी

C. <u>सरपंच चुनाव हेतु अतिरिक्त स्लिप (द्वितीय)</u>
(1) बैटरी टार्च (2) डीजल पम्प (3) केतली (4) हारमोनियम (5) स्टूल (6) मेज (7) टेबल लैम्प (8) टेलीविजन (9) सीटी (10) बोतल

D. <u>पंच चुनाव हेतु मतपत्र</u>
(1) पतंग (2) प्रेशर कूकर (3) कैची (4) गैस सिलेण्डर (5) नारियल (6) NOTA (उपर्युक्त में से कोई नही)

E. <u>पंच चुनाव हेतु अतिरिक्त स्लिप</u>
(1) सिलाई की मशीन (2) डोली (3) ब्रीफकेस (4) प्रेस (5) टेलीफोन (6) ऑटो रिक्शा

चुनाव चिन्ह बताये गये क्रमानुसार ही मुद्रित होंगे इसका विशेष ध्यान रखा जावे।

(सत्य प्रकाश बसवाला)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

(अ) सरपंच मतपत्र (सफेद–10 चिन्ह)

नाम	प्रतीक	नाम	प्रतीक
1. बल्ला	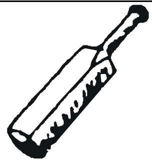	6. कैमरा	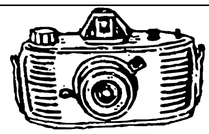
2. अलमारी		7. कोट	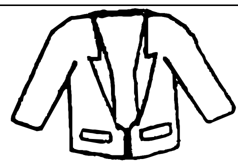
3. गुब्बारा	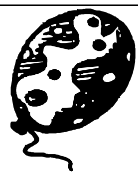	8. गैस का चूल्हा	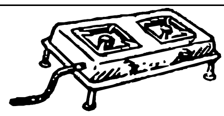
4. ब्रुश		9. बल्लेबाज	
5. मोमबत्तियाँ		10. उपर्युक्त में से कोई नहीं	NOTA

(ब) पंच मतपत्र (गुलाबी–06 चिन्ह)

नाम	प्रतीक	नाम	प्रतीक
1.पतंग	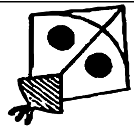	4.गैस सिलेण्डर	
2.प्रैशर कुकर	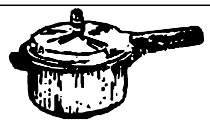	5.नारियल	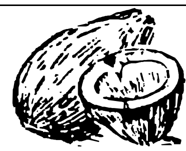
3.कैंची	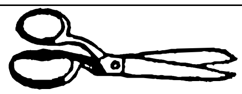	6.उपर्युक्त में से कोई नहीं	NOTA

(स) सरपंच मतपत्र अतिरिक्त स्लिप (प्रथम) (सफेद–10 चिन्ह)

नाम	प्रतीक	नाम	प्रतीक
1.काँच का गिलास	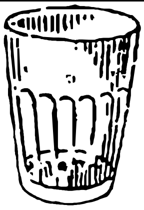	6. अंगूठी	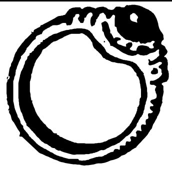
2.कप और प्लेट		7.शटल	
3.चारपाई	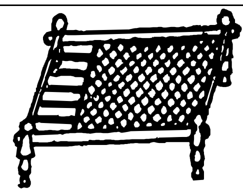	8.वायलिन	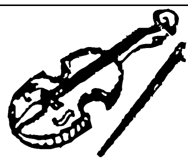
4.छत का पंखा	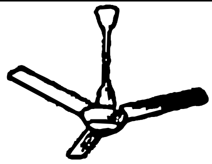	9.छड़ी	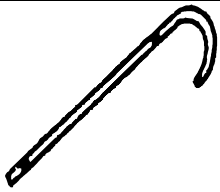
5.लैटर बाक्स	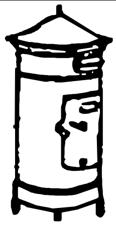	10. बाल्टी	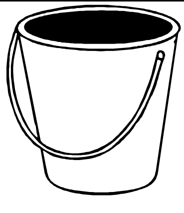

(द) सरपंच मतपत्र अतिरिक्त स्लिप (द्वितीय) (सफेद–10 चिन्ह)

नाम	प्रतीक	नाम	प्रतीक
1.बैटरी टॉर्च	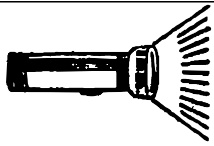	6.मेज	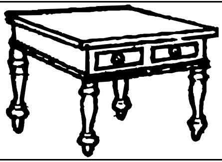
2.डीजल पम्प	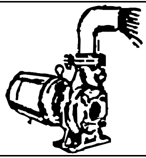	7.टैबल लैम्प	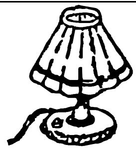
3.केतली	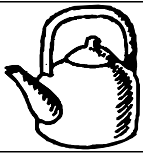	8.टेलीविजन	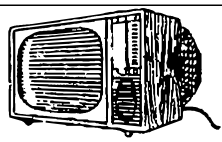
4.हारमोनियम	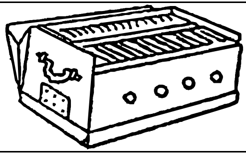	9.सीटी	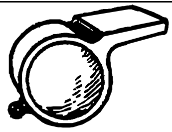
5.स्टूल	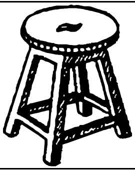	10.बोतल	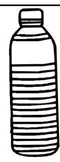

(य) पंच मतपत्र अतिरिक्त स्लिप (गुलाबी–06 चिन्ह)

नाम	प्रतीक	नाम	प्रतीक
1.सिलाई की मशीन	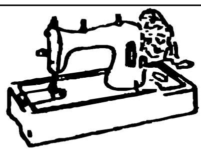	4.प्रेस	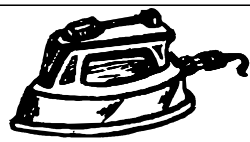
2.डोली	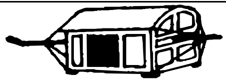	5.टेलीफोन	
3. ब्रीफकेस	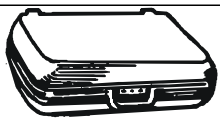	6.ऑटो–रिक्शा	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांक : एफ. 4(2)(1) पं.चु./रानिआ/94/6052 जयपुर, दिनांक : 27.1.2000

आदेश

पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिये मतपत्रों का मुद्रण निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, द्वारा कराया जायेगा। मुद्रणालय में मतपत्रों के मुद्रण के पश्चात् शेष अधिशेष और रद्दी मतपत्रों के निस्तारण के बाबत निम्नलिखित निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये जाते हैं :-

1. जैसे ही पंचायती राज संस्था में मतदान समाप्त हो जाये और यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में किसी मतदान केन्द्र पर मतदान के स्थगन या नये सिरे से मतदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुद्रणालयों पर अधिशेष मतपत्रों को छोटे-छोटे टुकड़ों में किया जाकर फर्श की बुहारन और अन्य रद्दी मतपत्रों को जलाकर नष्ट किये जाने का कार्य स्वयं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय की उपस्थिति में किया जाये।

2. अधिशेष और रद्दी मतपत्र को जलाकर नष्ट किये जाने वाले और अपनी उपस्थिति में नष्ट किये जाने वाले अधिशेष और रद्दी मतपत्रों की संख्या/परिमाप के बारे में प्रमाण-पत्र अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जायेगा।

3. परिणाम की घोषणा होने के बाद यथाशीघ्र और किसी भी दशा में उसके 10 दिन के भीतर अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा यह प्रमाणित करते हुए किसी निर्वाचन के लिये मुद्रित कराये गये समस्त अधिशेष और रद्दी मतपत्र बताई गई रीति से नष्ट कर दिया गया है, एक रिपोर्ट आयोग को भेजी जायेगी।

आज्ञा से,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 4(2)(1) पं.चु./रानिआ/94/6052 जयपुर, दिनांक : 27.1.2000

प्रतिलिपि :-

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायते) (कलक्टर)
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, विभाग।
3. अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर एवं अलवर।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांक : एफ. 4(2)(1) पं.चु./रानिआ/94/6878 जयपुर, दिनांक : 19.2.2000

आदेश

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए मुद्रित मतपत्रों में से अधिशेष मतपत्रों, रद्दी मतपत्रों, कतरन और फर्श की बुहारन को जलाकर नष्ट करने बाबत जारी अपने आदेश क्रमांक : एफ. 4(2) (1) पं.चु./रानिआ/94/6052, दिनांक 27.12.2000 में संशोधित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अधिशेष मतपत्रों, कतरन और बुहारन को छोटे-छोटे टुकड़ों में श्रेडिंग करवाकर लुगदी बनाने के प्रयोजन से विक्रय किया जावे।

श्रेडिंग करते समय पूर्ण सतर्कता बरती जावे और ध्यान रखा जावे कि कोई मतपत्र या उसकी कतरन अप्राधिकृत व्यक्ति के हाथों में न पड़ जावे।

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा अधिशेष व रद्दी मतपत्रों, कतरनों और बुहारन को अपनी उपस्थिति में छोटे-छोटे टुकड़ों में श्रेडिंग (Shredding) करवाकर उक्त आशय का प्रमाण-पत्र राज्य निर्वाचन आयोग को परिणामों की घोषणा के 15 दिवस के भीतर भेजा जावेगा।

उपरोक्त रीति से तैयार रद्दी को विक्रय करने के लिये अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा नियमानुसार निविदाएं आमंत्रित की जावेगी और अधिकतम मूल्य पर विक्रय किया जाकर प्राप्त धनराशि निम्नांकित बजट मत में जमा करवाकर आयोग को सूचित किया जावेगा:

0515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

101 पंचायती राज अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्तियां

(1) पंचायत चुनाव की प्राप्तियां

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 4(2)(1) पं.चु./रानिआ/94/6878 जयपुर, दिनांक : 19.2.2000

प्रतिलिपि आयोग के पृष्ठांकन : एफ. 4 (2) (1) पं.चु./रानिआ/94/6052, दिनांक 22.1.2000 के क्रम में निम्नांकित को प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव एवं विकास आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, राजस्थान सरकार, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक-8490/मुद्रण/2000, दिनांक 11.2.2000 के संदर्भ में।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायतें) (कलक्टर) जयपुर।
6. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर एवं अलवर।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

संख्या 7(1)(7)पंचा/रानिआ/09/वा.IV/4725 जयपुर, दिनांकः 14.10.2014

अधिसूचना

राजस्थान राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लिए सभी निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है,

और पंचायत समिति सदस्यों तथा जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचनों के शुद्ध एवं सुचारू संचालन के लिए निर्वाचन प्रतीकों को और उनके आरक्षण, चयन, आवंटन एवं तत्संबंधी विषयों के लिए निर्बन्धन विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है,

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 58 के उपनियम (6) के खण्ड (क) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय–समय पर यथा संशोधित अपनी पूर्व अधिसूचना क्रमांक संख्या 7(1)(7)पंचा/रानिआ/04/वा.IV/2490 दिनांक 29.07.2009 (राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग 6(ग) में दिनांक 3.08.2009 को प्रकाशन) एवं अधिसूचना क्रमांक संख्या 7(1)(7)पंचा/रानिआ/04/वा.IV/5473 दिनांक 20.11.2009 (राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग 6(ग) में दिनांक 20.11.2009 को प्रकाशन), के अतिक्रमण में निम्न प्रकार विनिर्देश जारी करता हैः–

1. <u>संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भः</u>– (1) इस आदेश का नाम राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य निर्वाचन प्रतीक (सूची और आवंटन) आदेश, 2014 है,

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर है तथा यह पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में लागू होगा, और

   (3) यह आदेश इसके जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा।

2. <u>परिभाषाए</u> :– इस आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

   (i) "सविरोध निर्वाचन" से पंचायत समिति अथवा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऐसा निर्वाचन अभिप्रेत है जिसमें मतदान होता है;

   (ii) "निर्वाचन" से पंचायत समिति अथवा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र के लिए "साधारण निर्वाचन" और "उप निर्वाचन" अभिप्रेत है;

   (iii) "प्ररूप क" से इस आदेश के संलग्न प्ररूप "क" अभिप्रेत है;

   (iv) "प्ररूप ख" से इस आदेश के संलग्न प्ररूप "ख" अभिप्रेत है;

   (v) "खण्ड" से इस आदेश का खण्ड अभिप्रेत है;

   (vi) "दल" से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अभिप्रेत है;

   (vii) "मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अभिप्रेत है;

   (viii) "नियम" से राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम अभिप्रेत है;

   (ix) "उप खण्ड " से उस खण्ड का उप खण्ड अभिप्रेत है जिसमें यह शब्द आता है;

   (x) "सारणी–1" से इस आदेश के संलग्न सारणी–1 अभिप्रेत है;

   (xi) "सारणी–2" से इस आदेश के सलंग्न सारणी–2 अभिप्रेत है;

   (xii) "सारणी–3" से इस आदेश के सलंग्न सारणी–3 अभिप्रेत है;

   (xiii) "निर्वाचन क्षेत्र" से किसी पंचायत समिति अथवा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र अभिप्रेत है; और

   (xiv) जो शब्द और पद इस आदेश में प्रयुक्त किये गये है किन्तु परिभाषित नहीं किये गये है और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 अथवा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन)

नियम, 1994 में परिभाषित है, उनके वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम और नियम में क्रमशः बताये गये हैं।

3. निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन :– निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियों को इस आदेश के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक सविरोध निर्वाचन में एक प्रतीक आंवटित किया जायेगा तथा किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन में भिन्न–भिन्न अभ्यर्थियों को भिन्न–भिन्न प्रतीक आवंटित किया जायेगा।

4. निर्वाचन प्रतीकों का वर्गीकरण :– (i) इस आदेश के प्रयोजन के लिए प्रतीक, या तो आरक्षित है अथवा मुक्त।

(ii) पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिये निर्वाचन में आरक्षित प्रतीक वह प्रतीक है जो सारणी–1 के स्तंभ 2 में वर्णित दल के लिए, उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(iii) पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन में मुक्त प्रतीक ऐसा प्रतीक है जो आरक्षित प्रतीक से भिन्न है और जिसे सारणी–2 के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(iv) जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन में मुक्त प्रतीक ऐसा प्रतीक है जो आरक्षित प्रतीक से भिन्न है और जिसे सारणी–3 के स्तम्भ–2 में विर्निदिष्ट किया गया है।

5. दलों के अभ्यर्थियों द्वारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आवंटन :–

(i) सारणी–1 के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट आरक्षित प्रतीक उसके सम्मुख स्तम्भ 2 में वर्णित दल द्वारा किसी निर्वाचन में खड़े किये गये अभ्यर्थी को ही आवंटित किया जायेगा, अन्य अभ्यर्थी को नहीं।

(ii) सारणी–1 के स्तम्भ 2 में वर्णित दल द्वारा किसी निर्वाचन में खड़े किये गये अभ्यर्थी को उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट प्रतीक ही आवंटित किया जायेगा, कोई अन्य प्रतीक नहीं।

6. कोई अभ्यर्थी किसी दल द्वारा खड़ा किया गया कब माना जायेगा :– कोई अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया तभी माना जायेगा, जबकि :–

(क) उस अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्र में उस आशय की घोषणा की हो,

(ख) संबंधित राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्ररूप 'ख' में इस आशय की लिखित सूचना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के अन्तिम दिनांक को 3 बजे अपरान्ह तक रिटर्निंग अधिकारी को प्रदत्त कर दी गई हो,

(ग) यदि राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष द्वारा नियम 58 के उपनियम (5) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत किया है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को पत्र प्रेषित किया हो तो प्राधिकृत व्यक्ति के नमूने के हस्ताक्षर प्ररूप 'क' में रिटर्निंग अधिकारी को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख के अपरान्ह 3.00 बजे तक उपलब्ध करा दिये गये हों, और

(घ) प्ररूप 'क' और प्ररूप 'ख' पूर्वोक्त पदाधिकारी अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा केवल स्याही से हस्ताक्षरित किये गये हों।

स्पष्टीकरण–1 उपरोक्त खण्ड (6) के उप खण्ड (ख) एवं (ग) में किसी राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष से अभिप्रेत दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष और जहॉ दल की राज्य इकाई का अध्यक्ष पद नहीं है, वहॉ सचिव से है।

स्पष्टीकरण–2 जहॉ किसी राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष द्वारा ही उपरोक्त खण्ड (6) के उप खण्ड (ख) के अन्तर्गत प्ररूप 'ख' में लिखित सूचना रिटर्निंग अधिकारी को निर्धारित समय तक प्रदत्त कर दी गई हो तो उपरोक्त खण्ड (6) के उप खण्ड (ग) के अन्तर्गत प्ररूप 'क' में राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष के नमूने के हस्ताक्षर रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण–3 प्ररूप 'क' और, यथास्थिति, प्ररूप 'ख' पर यदि दल के किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुकृति हस्ताक्षर या रबड स्टाम्पों के हस्ताक्षर है तो उन्हें

नहीं माना जायेगा तथा फैक्स द्वारा प्रेषित कोई प्ररूप भी स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. <u>दल द्वारा खड़ा किया गया प्रतिस्थानी अभ्यर्थी</u> :– (क) प्ररूप 'ख' के स्तम्भ 6 में वर्णित प्रतिस्थानी उम्मीदवार को उस दल द्वारा खड़ा किया गया तभी माना जायेगा जबकि उस दल के मुख्य अनुमोदित उम्मीदवार के नामनिर्देशन–पत्र को नियम–27 के अन्तर्गत संवीक्षा में रद्द कर दिया गया हो या जिसने अपनी अभ्यर्थिता नियम–28 के अन्तर्गत वापस ले ली हो।

(ख) ऐसी स्थिति में जहॉं दल के मुख्य अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है और वह अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है, यदि प्ररूप 'ख' के स्तम्भ 6 में वर्णित प्रतिस्थानी उम्मीदवार का कोई नामनिर्देशन–पत्र स्वीकार कर लिया जाता है तथा ऐसा प्रतिस्थानी उम्मीदवार भी अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है तो ऐसे प्रतिस्थानी उम्मीदवार को दल द्वारा खड़ा किया गया नहीं माना जायेगा और उसे मुक्त प्रतीक अधोलिखित खण्ड 12 के अनुसार आवंटित किया जावेगा।

8. <u>दल द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थी को प्रतिस्थापित किया जाना</u> :– यदि किसी दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी को अनुमोदित किया गया है तो अन्य अभ्यर्थी को ही दल का अनुमोदित अभ्यर्थी माना जायेगा।

परन्तु दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी का मनोनयन तभी माना जायेगा जबकि प्ररूप 'ख' में यह स्पष्ट उल्लेख हो कि पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त कर दिया गया है और प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप 'ख' खण्ड 6 में बतायी गयी समयावधि के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो गया हो।

परन्तु यह और कि यदि किसी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के लिये एक से अधिक प्ररूप 'ख' भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों का मनोनयन वर्णित करते हुये रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त होते हैं और दल यह बताने में असफल रहता है कि पूर्ववर्ती प्ररूप 'ख' वापिस ले लिया गया है या ले लिये गये हैं, तो रिटर्निंग अधिकारी केवल ऐसे एक अभ्यर्थी को ही उक्त दल द्वारा खड़ा किया हुआ मानेगा जिसका नाम निर्देशन पत्र सबसे पहले प्राप्त हुआ है और शेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के लिये यह माना जायेगा कि वे दल द्वारा खड़े नहीं किये गये हैं।

9. <u>दल द्वारा एक निर्वाचन क्षेत्र के लिये एक से अधिक अभ्यर्थियो के मनोनयन पर निषेध</u> :– यदि किसी दल द्वारा एक ही निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के लिए और प्ररूप 'ख' में एक नोटिस द्वारा स्तम्भ 6 में वर्णित उम्मीदवार से भिन्न एक से अधिक अभ्यर्थियों को अनुमोदित किया जाता है तो कोई भी अभ्यर्थी उस दल द्वारा खड़ा किया हुआ नहीं माना जायेगा, लेकिन यदि दल ने प्ररूप 'ख' में किसी पश्चातवर्ती नोटिस से पूर्वोवत सभी अभ्यर्थियों का मनोनयन निरस्त कर एक पद के लिए एक ही अभ्यर्थी का मनोनयन खण्ड 6 के अनुसार कर दिया है तो पश्चातवर्ती नोटिस में अनुमोदित अभ्यर्थी को दल द्वारा खड़ा किया गया माना जावेगा।

10. <u>विनिर्दिष्ट प्रतीकों से भिन्न प्रतीकों के चयन व आवंटन पर निषेध</u> :– जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े नहीं किये गये हों, उन्हें पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन में संलग्न सारणी–2 के स्तम्भ 2 तथा जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन में संलग्न सारणी–3 के स्तंभ–2 में विनिर्दिष्ट मुक्त प्रतीकों में से ही निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जावेंगे। अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित करते समय उनके द्वारा नामनिर्देशन–पत्र में उल्लिखित रूचि को ध्यान में रखा जावेगा। कोई भी अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट निर्वाचन प्रतीकों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतीक की मांग नहीं कर सकता है और यदि उसके द्वारा अपने नामनिर्देशन–पत्र में किसी अन्य प्रतीक का उल्लेख किया गया हो तो उसे नजरअन्दाज किया जावेगा।

11. <u>प्रथम नाम निर्देशन–पत्र में चुने गये प्रतीकों पर विचार किया जाना</u> :– अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम नामनिर्देशन–पत्र में दर्शाये गये प्रतीकों पर ही विचार किया जायेगा, भले ही वह नामनिर्देशन–पत्र संवीक्षा के दौरान खारिज क्यों न हो गया हो। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत बाद के किसी नामनिर्देशन–पत्र में उल्लिखित प्रतीकों को विचार में नहीं लिया जावेगा;

परन्तु किसी दल द्वारा खड़े किये अभ्यर्थी के प्रकरण में ऐसे नामनिर्देशन पत्र, जिसमे अभ्यर्थी ने स्वयं को उस दल द्वारा खड़ा किया जाने की घोषणा की हो, में दर्शाये गये दल के आरक्षित प्रतीक पर विचार किया जायेगा, भले ही ऐसा नाम निर्देशन पत्र प्रथम नहीं हो;

परन्तु यह और कि यदि किसी अभ्यर्थी ने अपने भिन्न–भिन्न नामनिर्देशन पत्रों में भिन्न–भिन्न दलों द्वारा स्वयं को खड़ा किया गया होने की घोषणा खण्ड 6(क) के अन्तर्गत की है तो ऐसे नाम निर्देशन पत्र, जिसमें दर्शाये गये दल ने खण्ड 6 के अन्तर्गत नोटिस द्वारा अभ्यर्थी का मनोनयन किया है, पर विचार किया जावेगा और यदि अभ्यर्थी का एक से अधिक दलों ने खण्ड 6 के अंतर्गत नोटिस द्वारा मनोनयन किया है तो ऐसे नामनिर्देशन पत्रों में पश्चात्वर्ती नाम निर्देशन पत्र में की गयी घोषणा पर ही विचार किया जावेगा तथा पूर्ववर्ती नामनिर्देशन पत्रों में की गयी घोषणाओं को नजर अन्दाज किया जावेगा।

स्पष्टीकरण–1. यदि अभ्यर्थी ने प्रथम नाम निर्देशन पत्र में स्वयं को किसी दल द्वारा खड़ा किये जाने की घोषणा की है, साथ ही मुक्त निर्वाचन प्रतीकों का भी चयन किया है और अभ्यर्थी को दल द्वारा अनुमोदित नही किया जाता है तब उक्त प्रथम नाम निर्देशन में दर्शाये गये मुक्त प्रतीकों पर ही विचार किया जायेगा।

2. ऐसे मामले में जहॉ अभ्यर्थी ने किसी दल द्वारा खडे किये जाने की उम्मीद में प्रथम नाम निर्देशन पत्र में स्वयं को दल द्वारा खड़ा किया जाना घोषित किया है, लेकिन निर्वाचन प्रतीकों का चयन नहीं किया है और दल ने उसे अनुमोदित नहीं किया है तो द्वितीय नाम निर्देशन पत्र निर्वाचन प्रतीक के आवंटन के प्रयोजनार्थ प्रथम माना जायेगा। यदि द्वितीय और तृतीय नाम निर्देशन पत्र भी इसी प्रकार दल द्वारा खड़े किये जाने की घोषणा करते हुए प्रस्तुत किये गये हैं और प्रतीकों का चयन नहीं किया गया है तो चतुर्थ नाम निर्देशन पत्र में दर्शाये गये प्रतीकों पर विचार किया जायेगा। यदि किसी भी नाम निर्देशन पत्र में प्रतीकों का चयन नहीं किया गया है तो खण्ड 12 के अर्न्तगत मुक्त प्रतीक आवंटित किये जायेगे।

12. <u>अन्य अभ्यर्थियों (निर्दलीय अभ्यर्थियों) को प्रतीकों का आवंटन</u> :– अभ्यर्थी को (जिसे किसी दल ने खड़ा नहीं किया है), प्रथम नामनिर्देशन पत्र में उसके अंकित प्राथमिकता क्रम के आधार पर सारणी–2 (पंचायत समिति सदस्य के लिए) सारणी–3 (जिला परिषद सदस्य के लिए) में से निम्नानुसार निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया जायेगा :–

(क) यदि प्रथम रूचि में प्रतीक को एक ही अभ्यर्थी द्वारा चाहा गया है तो वह उसी उम्मीदवार को आवंटित कर दिया जायेगा,

(ख) यदि एक ही प्रतीक को एक से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी रूचि में प्रथम क्रम पर रखा हो तो मुक्त प्रतीक के आवंटन का निर्णय 'लॉट' द्वारा किया जायेगा। जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉट निकले उसे ही वह प्रतीक आवंटित किया जायेगा। लॉट निकालने की कार्यवाही उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के समक्ष की जाएगी,

(ग) प्रथम रूचि पर अंकित प्रतीकों का आवंटन हो जाने पर, शेष बचे अभ्यर्थियों को उनकी पसन्द के 'दूसरी' रूचि के प्रतीकों का आवंटन उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(घ) तत्पश्चात् शेष रहे अभ्यर्थियों को उनकी पसन्द के तीसरे क्रम के निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन उपरोक्तानुसार ही किया जायेगा, और

(ड.) पहले, दूसरे और तीसरे क्रम के सभी निर्वाचन प्रतीक आवंटित हो जाने के पश्चात् यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा रह जाता है, जिसे अपनी रूचि का (तीन में से) कोई प्रतीक आवंटित न हुआ हो या जिसने कोई रूचि ही न दी हो तो उसे पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन में सारणी–2 के स्तम्भ 2 तथा जिला परिषद सदस्य निर्वाचन में सारणी–3 के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीकों में से क्रम में सबसे ऊपर वाला वह प्रतीक आवंटित किया जायेगा जो किसी को आवंटित न किया गया हो। प्रतीकों का क्रमवार इस प्रकार का आवंटन, अभ्यर्थियों को हिन्दी वर्णक्रमानुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में, उनके नामों के अनुसार (एक के बाद एक) किया जायेगा।

13. <u>अनुदेश तथा निदेश निकालने की आयोग की शक्ति</u> :– राज्य निर्वाचन आयोग,–

(क) इस आदेश के उपबन्धों में से किसी का स्पष्टीकरण करने के लिए;

(ख) किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए, जो किन्हीं ऐसे उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो; तथा

(ग) प्रतीकों के आरक्षण तथा आबंटन के किसी मामले के संबंध में जिसके लिए इस आदेश में कोई उपबन्ध नहीं है या उपबन्ध अपर्याप्त है, तथा जिसके लिए निर्वाचनों के निर्विध्न तथा व्यवस्थित संचालन के लिए आयोग की राय में उपबन्ध करना आवश्यक है, अनुदेश तथा निदेश निकाल सकेगा।

सारणी–1

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल व आरक्षित प्रतीक)

क.सं.	मान्यता प्राप्त दल जिसके लिये आरक्षित है	आरक्षित प्रतीक
1.	2.	3.
1.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
2.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
3.	भारत की कम्युनिस्ट पार्टी	बाल और हंसिया
4.	भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	हथौड़ा, हंसिया और सितारा
5.	इंडियन नेशनल कांग्रेस	हाथ
6.	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	घड़ी

सारणी–2

(पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन के लिये मुक्त प्रतीकों की सूची)

क.सं.	मुक्त प्रतीक	क.सं.	मुक्त प्रतीक
1.	2.	1.	2.
1.	बल्ला	11.	डीजल पम्प
2.	अलमारी	12.	केतली
3.	गुब्बारा	13.	हारमोनियम
4.	ब्रुश	14.	स्टूल
5.	मोमबत्तियॉ	15.	मेज
6.	कैमरा	16.	टेबिल लैम्प
7.	कोट	17.	टेलीविजन
8.	गैस का चूल्हा	18.	सीटी
9.	बल्लेबाज	19.	पतंग
10.	कॉच का गिलास	20.	प्रैशर कुकर

सारणी–3

(जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिये मुक्त प्रतीकों की सूची)

क.सं.	मुक्त प्रतीक	क.सं.	मुक्त प्रतीक
1.	2.	1.	2.
1.	कप और प्लेट	11.	कैंची
2.	चारपाई	12.	गैस सिलेण्डर
3.	छत का पंखा	13.	नारियल
4.	लेटर बॉक्स	14.	सिलाई की मशीन
5.	अंगूठी	15.	डोली
6.	शटल	16.	ब्रीफकेस
7.	वायलिन	17.	प्रेस
8.	छड़ी	18.	टेलीफोन
9.	बाल्टी	19.	ऑटो रिक्शा
10.	बैटरी टार्च	20.	बोतल

प्ररूप – 'क'

राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों के नामों की सूचना के लिये प्राधिकृत व्यक्तियों के संबंध में सूचना

(देखिए अधिसूचना संख्या एफ7(1)(7)पंचा/रानिआ/2009/वो.IV/4725 दिनांक 14.10.14 का खण्ड 6)

प्रेषिति–

रिटर्निंग अधिकारी,

——————————————

*पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य चुनाव

विषयः– *पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन–उम्मीदवारों के नामों की सूचना देने के लिये व्यक्तियों का प्राधिकृत किया जाना।

महोदय,

अधिसूचना संख्या एफ 7(1)(7)/पंचा/रानिआ/2009/वो.IV/4725 दिनांक 14.10.14 के खण्ड (6) के अनुसरण में, मैं, इसके द्वारा संसूचित करता हूँ कि ऊपर उद्‌धृत निर्वाचन में दल द्वारा खड़े किये जाने के लिये प्रस्तावित उम्मीदवारों के नामों की सूचना देने के लिये .... दल, जो निर्चाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के अंतर्गत राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है, द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है :–

सूचना भेजने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	दल में धारित पद का नाम	*पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम और निर्वाचन *क्षेत्र/क्षेत्रों का क्रम संख्याक *जिसके/जिनके संबंध में उसे प्राधिकृत किया गया है
1.	2.	3.
1.		
2.		

2. इस प्रकार प्राधिकृत ऊपर उल्लिखित *व्यक्ति/व्यक्तियों के हस्ताक्षरों के नमूने नीचे दिये गये हैं :–

1. श्री .... के हस्ताक्षरों के नमूने
   (1) .... (2) .... (3) ....
2. श्री .... के हस्ताक्षरों के नमूने
   (1) .... (2) .... (3) ....

भवदीय,

अध्यक्ष,
दल का नाम (दल की मोहर)

स्थानः ....
दिनांक ....

नोटः– 1. यह प्ररूप नाम निर्देशन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 3.00 बजे अपरान्ह से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत हो जाना चाहिये।

2. प्ररूप उपर्युक्त पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुकृति हस्ताक्षर या रबड़ स्टाम्प के हस्ताक्षरों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. फैक्स से भेजा गया प्ररूप नहीं माना जायेगा।

——————————————————————————————————

* जो लागू नहीं हो उसे काट दीजिये

——————————————————————————————————

प्ररूप–'ख'

राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडे किये गये उम्मीदवारों के नामों के बारे में सूचना

(देखिए अधिसूचना संख्या एफ7(1)(7)पंचा/रानिआ/2009/वो.IV/4725 दिनांक 14.10.14 का खण्ड 6)

प्रेषितिः–

रिटर्निंग अधिकारी,

–––––––––––– *पंचायत समिति सदस्य चुनाव/जिला परिषद सदस्य चुनाव

विषयः– ***पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार खड़े करना।**

महोदय,

अधिसूचना संख्या एफ 7(1)(7)पंचा/रानिआ/2009/वो.IV/4725 दिनांक 14.10.14 के अनुसरण में .... दल, जो प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के अंतर्गत राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है, ने निम्नलिखित व्यक्तियों को ऊपर उद्धृत निर्वाचन में अपने उम्मीदवारों के रूप में उनके सामने बताये गये वार्ड से खड़ा किया है । मैं उक्त नामित दल की ओर से एत्दद्वारा सूचना देता हूँ कि वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे

1. (i) स्तम्भ 3 से 5 में दिये गये है उक्त नामित दल का अनुमोदित अभ्यर्थी है, और

(ii) वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे स्तम्भ 6 से 8 में वर्णित है, दल का प्रतिस्थानी अभ्यर्थी है, जो अनुमोदित अभ्यर्थी के नाम निर्देशन–पत्र की संवीक्षा के उपरान्त खारिज किये जाने अथवा उसके निर्वाचन से हट जाने पर उसका स्थान लेगा। यदि प्रतिस्थानी अभ्यर्थी अभी भी निर्चाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है ।

*पंचायत समिति/ जिला परिषद का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का क्रम संख्याक	अनुमोदित उम्मीदवार का नाम	अनुमोदित उम्मीदवार के *पिता/ पति का नाम	अनुमोदित उम्मीदवार का डाक का पता	प्रतिस्थानी उम्मीदवार का नाम (जो अनुमोदित उम्मीदवार के नामनिर्देशन– पत्र को संवीक्षा में रद्द कर दिये जाने पर उसका स्थान लेगा यदि प्रतिस्थानी अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है)	प्रतिस्थानी उम्मीदवार के *पिता/ पति का नाम	प्रतिस्थानी उम्मीदवार का डाक का पता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

2. प्ररूप 'ख' में दल के अनुमोदित अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री .... के पक्ष में पहले दी गई सूचना एत्दद्वारा विखंडित की जाती है।

3. प्ररूप 'ख' में दल के प्रतिस्थानी अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री .... के पक्ष में पहले दी गई सूचना एत्दद्वारा विखंडित की जाती है।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी जिसके नाम का ऊपर उल्लेख किया गया है, इस राजनैतिक दल का एक सदस्य है उसका नाम, इस दल के सदस्यों की नामावली में विधिवत् शामिल है।

भवदीय,
अध्यक्ष/दल के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम
और हस्ताक्षर व दल की मोहर

स्थानः ....

दिनांकः ....

नोटः– 1. यह प्ररूप नाम निर्देशन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 3.00 बजे अपरान्ह से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत हो जाना चाहिये।

2. प्ररूप उपर्युक्त पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुकृति हस्ताक्षर या रबड़ स्टाम्प के हस्ताक्षरों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. फैक्स से भेजा गया प्ररूप नहीं माना जायेगा।

---

* जो लागू नही हो उसे काट दीजिये।

आदेश से,

(सत्यप्रकाश बसवाला)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।,

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

संख्या 7(1)(7)पंचा/रानिआ/2009/वा.IV/ 4735 जयपुर, दिनांकः 14.10.14

अधिसूचना

राजस्थान राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लिए सभी निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है,

और पंचायत समिति के प्रधान/उप प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख/उप प्रमुख के निर्वाचनों के शुद्ध एवं सुचारू संचालन के लिए निर्वाचन प्रतीकों को और उनके आरक्षण, चयन, आवंटन एवं तत्संबंधी विषयों के लिए निर्बन्धन विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है,

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 59 के उपनियम (10) के खण्ड (क) तथा नियम 61 एवं 62 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी पूर्व अधिसूचना क्रमांक संख्या 7(1)(7)पंचा/रानिआ/2009/वा. IV/5448 दिनांक 20.11.2009 जिसका राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग 6(ग) मे दिनांक 20.11.2009 को प्रकाशन हुआ, के अतिक्रमण में निम्न प्रकार विनिर्देश जारी करता हैः–

1. <u>संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भः</u>– (i) इस आदेश का नाम पंचायत समिति प्रधान/उप प्रधान तथा जिला परिषद प्रमुख/उप प्रमुख निर्वाचन प्रतीक (सूची और आवंटन) आदेश, 2014 है,
   - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर है तथा यह पंचायत समिति के प्रधान/उप प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख/उप प्रमुख के निर्वाचन के संबंध में लागू होगा, और
   - (iii) यह आदेश इसके जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा।
2. <u>परिभाषाऐं</u> :– इस आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –
   - (i) ''सविरोध निर्वाचन'' से पंचायत समिति के प्रधान या उप प्रधान अथवा जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख के लिए ऐसा निर्वाचन अभिप्रेत है जिसमें मतदान होगा, है,
   - (ii) ''निर्वाचन'' से पंचायत समिति के प्रधान या उप प्रधान अथवा जिला परिषद के प्रमुख या उप प्रमुख के लिए ''साधारण निर्वाचन'' और ''उप निर्वाचन'' अभिप्रेत है;
   - (iii) ''प्ररूप क'' से इस आदेश के संलग्न प्ररूप ''क'' अभिप्रेत है;
   - (iv) ''प्ररूप ख'' से इस आदेश के संलग्न प्ररूप ''ख'' अभिप्रेत है;
   - (v) ''खण्ड'' से इस आदेश का खण्ड अभिप्रेत है;
   - (vi) ''दल'' से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अभिप्रेत है;
   - (vii) ''मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल'' से निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अभिप्रेत है;
   - (viii) ''नियम'' से राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम अभिप्रेत है;
   - (ix) ''उप खण्ड'' से उस खण्ड का उप खण्ड अभिप्रेत है जिसमें यह शब्द आता है;
   - (x) ''सारणी–1'' से इस आदेश के संलग्न सारणी–1 अभिप्रेत है;
   - (xi) ''सारणी–2'' से इस आदेश के सलंग्न सारणी–2 अभिप्रेत है;
   - (xii) ''पद'' से किसी पंचायत समिति के प्रधान या उप प्रधान अथवा जिला परिषद के प्रमुख या उप प्रमुख अभिप्रेत है; और
   - (xiii) जो शब्द और पद इस आदेश में प्रयुक्त किये गये है किन्तु परिभाषित नहीं किये गये है और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 अथवा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में परिभाषित है, उनके वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम और नियम में क्रमशः बताये गये हैं।

3. <u>निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन</u> :– निर्वाचन लडने वाले अभ्यार्थियों को इस आदेश के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक सविरोध निर्वाचन में एक प्रतीक आंवटित किया जायेगा तथा किसी पद के निर्वाचन में भिन्न–भिन्न अभ्यर्थियों को भिन्न–भिन्न प्रतीक आवंटित किये जायेंगे।

4. <u>निर्वाचन प्रतीकों का वर्गीकरण</u> :– (i) इस आदेश के प्रयोजन के लिए प्रतीक, या तो आरक्षित है अथवा मुक्त।

(ii) आरक्षित प्रतीक वह प्रतीक है जो सारणी–1 के स्तंभ 2 में वर्णित दल के लिए, उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(iii) मुक्त प्रतीक ऐसा प्रतीक है जो आरक्षित प्रतीक से भिन्न है और जिसे सारणी–2 के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

5. <u>दलों के अभ्यर्थियों द्वारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आवंटन</u> :–

(i) सारणी–1 के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट आरक्षित प्रतीक उसके सम्मुख स्तम्भ 2 में वर्णित दल द्वारा किसी निर्वाचन में खड़े किये गये अभ्यर्थी को ही आवंटित किया जायेगा, अन्य अभ्यर्थी को नहीं।

(ii) सारणी–1 के स्तम्भ 2 में वर्णित दल द्वारा किसी निर्वाचन में खड़े किये गये अभ्यर्थी को उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट प्रतीक ही आवंटित किया जायेगा, कोई अन्य प्रतीक नहीं।

6. <u>कोई अभ्यर्थी किसी दल द्वारा खड़ा किया गया कब माना जायेगा</u> :– कोई अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडा किया गया तभी माना जायेगा, जबकि :–

(क) उस अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्र में उस आशय की घोषणा की हो,

(ख) संबंधित राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्ररूप 'ख' में इस आशय की लिखित सूचना अभ्यर्थिता वापिस लेने के लिये नियम 59 के उप नियम (3) के अन्तर्गत आयोग द्वारा निर्धारित तिथि और समय से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को प्रदत्त कर दी गई हो,

(ग) यदि राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष द्वारा नियम 59 के उपनियम (10) के खण्ड (ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत किया है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को पत्र प्रेषित किया हो तो प्राधिकृत व्यक्ति के नमूने के हस्ताक्षर प्ररूप 'क' में रिटर्निंग अधिकारी को अभ्यर्थिता वापिस लेने के लिये निर्धारित तिथि व समय से पूर्व उपलब्ध करा दिये गये हों, और

(घ) प्ररूप 'क' और प्ररूप 'ख' पूर्वोक्त पदाधिकारी अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा केवल स्याही से हस्ताक्षरित किये गये हों।

स्पष्टीकरण–1 उपरोक्त खण्ड (6) के उप खण्ड (ख) एवं (ग) में किसी राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष से अभिप्रेत, दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष और जहॉ दल की राज्य इकाई का अध्यक्ष पद नहीं है, वहॉ सचिव से है।

स्पष्टीकरण–2 जहॉ किसी राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष द्वारा ही उपरोक्त खण्ड (6) के उप खण्ड (ख) के अन्तर्गत प्ररूप 'ख' में लिखित सूचना रिटर्निंग अधिकारी को निर्धारित समय तक प्रदत्त कर दी गई हो तो उपरोक्त खण्ड (6) के उप खण्ड (ग) के अन्तर्गत प्ररूप 'क' में राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष के नमूने के हस्ताक्षर रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण–3 प्ररूप 'क' और, यथास्थिति, प्ररूप 'ख' पर यदि दल के किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुकृति हस्ताक्षर या रबड स्टाम्पों के हस्ताक्षर है तो उन्हें नहीं माना जायेगा तथा फैक्स द्वारा प्रेषित कोई प्ररूप भी स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. <u>दल द्वारा खड़ा किया गया प्रतिस्थानी अभ्यर्थी</u> :– (क) प्ररूप 'ख' के स्तम्भ 6 में वर्णित प्रतिस्थानी उम्मीदवारों को उसी दल द्वारा खड़ा तभी माना जावेगा जबकि इस दल के मुख्य अनुमोदित उम्मीदवार के नामनिर्देशन–पत्र, को नियम–59 के उप नियम (5) के अन्तर्गत संवीक्षा में रद्द कर दिया गया हो या जिसने अपनी अभ्यर्थिता नियम–59 के उप नियम (7) के अन्तर्गत वापस ले ली हो।

(ख) ऐसी स्थिति में जहॉ दल के मुख्य अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है और वह अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है, यदि प्ररूप 'ख' के स्तम्भ 6 में वर्णित प्रतिस्थानी उम्मीदवार का कोई नामनिर्देशन–पत्र भी स्वीकार कर लिया जाता है तथा ऐसा प्रतिस्थानी

उम्मीदवार भी अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है तो ऐसे प्रतिस्थानी उम्मीदवार को दल द्वारा खड़ा किया गया नहीं माना जायेगा और उसे मुक्त प्रतीक अधोलिखित खण्ड–12 के अनुसार आवंटित किया जावेगा।

8. **दल द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थी को प्रतिस्थापित किया जाना** :– यदि किसी दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी को अनुमोदित किया गया है तो अन्य अभ्यर्थी को ही दल का अनुमोदित अभ्यर्थी माना जावेगा।

परन्तु दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी का मनोनयन तभी माना जायेगा जबकि प्ररूप 'ख' में यह स्पष्ट उल्लेख हो कि पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त कर दिया गया है और प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप 'ख' खण्ड 6 में बतायी गयी समयावधि के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो गया हो।

परन्तु यह और कि यदि किसी एक ही निर्वाचन के लिये एक से अधिक प्ररूप 'ख' भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों का मनोनयन वर्णित करते हुये रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त होते है और दल यह बताने में असफल रहता है कि पूर्ववर्ती प्ररूप 'ख' वापिस ले लिया गया है या ले लिये गये हैं, तो रिटर्निंग अधिकारी केवल ऐसे एक अभ्यर्थी को ही उक्त दल द्वारा खड़ा किया हुआ मानेगा जिसका नाम निर्देशन पत्र सबसे पहले प्राप्त हुआ है और शेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के लिये यह माना जायेगा कि वे दल द्वारा खड़े नहीं किये गये हैं।

9. **दल द्वारा एक पद के लिये एक से अधिक अभ्यर्थियो के मनोनयन पर निषेध** :– यदि किसी दल द्वारा एक ही निर्वाचन के लिए प्ररूप 'ख' में एक नोटिस द्वारा उक्त प्ररूप के स्तम्भ 6 में वर्णित उम्मीदवार से भिन्न एक से अधिक अभ्यर्थियों को अनुमोदित किया जाता है तो कोई भी अभ्यर्थी उस दल द्वारा खड़ा किया हुआ नहीं माना जायेगा, लेकिन यदि दल ने प्ररूप 'ख' में किसी पश्चातवर्ती नोटिस से पूर्वोवत सभी अभ्यर्थियों का मनोनयन निरस्त कर एक पद के लिए एक ही अभ्यर्थी का मनोनयन खण्ड 6 के अनुसार कर दिया है तो पश्चातवर्ती नोटिस में अनुमोदित अभ्यर्थी को दल द्वारा खड़ा किया गया माना जावेगा।

10. **विनिर्दिष्ट प्रतीकों से भिन्न प्रतीकों के चयन व आवंटन पर निषेध** :– जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े नहीं किये गये हों, उन्हें संलग्न सारणी–2 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट मुक्त प्रतीकों में से ही निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जावेंगे। अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित करते समय उनके द्वारा नामनिर्देशन–पत्र में उल्लिखित रूचि को ध्यान में रखा जावेगा। कोई भी अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट निर्वाचन प्रतीकों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतीक की मांग नहीं कर सकता है और यदि उसके द्वारा अपने नामनिर्देशन–पत्र में किसी अन्य प्रतीक का उल्लेख किया गया हो तो उसे नजरअन्दाज किया जावेगा।

11. **प्रथम नाम निर्देशन–पत्र में चुने गये प्रतीकों पर विचार किया जाना** :– अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम नामनिर्देशन–पत्र में दर्शाये गये प्रतीकों पर ही विचार किया जायेगा, भले ही वह नामनिर्देशन–पत्र संवीक्षा के दौरान खारिज क्यों न हो गया हो। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत बाद के किसी नामनिर्देशन–पत्र में उल्लिखित प्रतीकों को विचार में नहीं लिया जावेगा;

परन्तु किसी दल द्वारा खड़े किये अभ्यर्थी के प्रकरण में ऐसे नामनिर्देशन पत्र, जिसमें अभ्यर्थी ने स्वयं को उस दल द्वारा खड़ा किया जाने की घोषणा की हो, में दर्शाये गये दल के आरक्षित प्रतीक पर विचार किया जायेगा, भले ही ऐसा नाम निर्देशन पत्र प्रथम नहीं हो;

परन्तु यह और कि यदि किसी अभ्यर्थी ने अपने भिन्न–भिन्न नामनिर्देशन पत्रों में भिन्न–भिन्न दलों द्वारा स्वयं को खड़ा किया गया होने की घोषणा खण्ड 6(क) के अन्तर्गत की है तो ऐसे नाम निर्देशन पत्र, जिसमें दर्शाये गये दल ने खण्ड 6 के अन्तर्गत नोटिस द्वारा अभ्यर्थी का मनोनयन किया है, पर विचार किया जावेगा और यदि अभ्यर्थी का एक से अधिक दलों ने खण्ड 6 के अंतर्गत नोटिस द्वारा मनोनयन किया है तो ऐसे नामनिर्देशन पत्रों में पश्चात्‌वर्ती नाम निर्देशन पत्र में की गयी घोषणा पर ही विचार किया जावेगा तथा पूर्ववर्ती नामनिर्देशन पत्रों में की गयी घोषणाओं को नजर अन्दाज किया जावेगा।

स्पष्टीकरण– 1. यदि अभ्यर्थी ने प्रथम नाम निर्देशन पत्र में स्वयं को किसी दल द्वारा खड़ा किये जाने की घोषणा की है, साथ ही मुक्त निर्वाचन प्रतीकों का भी चयन किया है और अभ्यर्थी को दल द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तब उक्त प्रथम नाम निर्देशन पत्र में दर्शाये गये मुक्त प्रतीकों पर ही विचार किया जायेगा।

2. ऐसे मामले में जहॉ अभ्यर्थी ने किसी दल द्वारा खडे किये जाने की उम्मीद में प्रथम नाम निर्देशन पत्र में स्वयं को दल द्वारा खड़ा किया जाना घोषित किया है, लेकिन निर्वाचन प्रतीकों का चयन नहीं किया है और दल ने उसे अनुमोदित नहीं किया है तो द्वितीय नाम निर्देशन पत्र निर्वाचन प्रतीक के आवंटन के प्रयोजनार्थ प्रथम माना जायेगा। यदि द्वितीय और तृतीय नाम निर्देशन पत्र भी इसी प्रकार दल द्वारा खड़े किये जाने की घोषणा करते हुए प्रस्तुत किये गये हैं और प्रतीकों का चयन नहीं किया गया है तो चतुर्थ नाम निर्देशन पत्र में दर्शाये गये प्रतीकों पर विचार किया जायेगा। यदि किसी भी नाम निर्देशन पत्र में प्रतीकों का चयन नहीं किया गया है तो खण्ड 12 के अर्न्तगत मुक्त प्रतीक आवंटित किये जायेंगे।

12. <u>अन्य अभ्यर्थियों (निर्दलीय अभ्यर्थियों) को प्रतीको का आवंटन</u> :– निर्दलीय अभ्यर्थी को (जिसे किसी दल ने खड़ा नहीं किया है), प्रथम नामनिर्देशन पत्र में उसके अंकित प्राथमिकता कम के आधार पर सारणी–2 में से निम्नानुसार निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया जायेगा :–

(क) यदि प्रथम रूचि में प्रतीक को एक ही अभ्यर्थी द्वारा चाहा गया है तो वह उसी उम्मीदवार को आवंटित कर दिया जायेगा,

(ख) यदि एक ही प्रतीक को एक से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी रूचि में प्रथम क्रम पर रखा हो तो मुक्त प्रतीक के आवंटन का निर्णय 'लॉट' द्वारा किया जायेगा। जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉट निकले उसे ही वह प्रतीक आवंटित किया जायेगा। लॉट निकालने की कार्यवाही उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के समक्ष की जाएगी,

(ग) प्रथम रूचि पर अंकित प्रतीकों का आवंटन हो जाने पर, शेष बचे अभ्यर्थियों को उनकी पसन्द के 'दूसरी' रूचि के प्रतीकों का आवंटन उपरोक्त प्रकिया के अनुसार किया जायेगा।

(घ) तत्पश्चात् शेष रहे अभ्यर्थियों को उनकी पसन्द के तीसरे कम के निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन उपरोक्तानुसार ही किया जायेगा, और

(ड.) पहले, दूसरे और तीसरे कम के सभी निर्वाचन प्रतीक आवंटित हो जाने के पश्चात् यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा रह जाता है, जिसे अपनी रूचि का (तीन में से) कोई प्रतीक आवंटित न हुआ हो या जिसने कोई रूचि ही न दी हो तो उसे सारणी–2 के स्तम्भ 2 में विनिदिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीकों में से कम में सबसे ऊपर वाला वह प्रतीक आवंटित किया जायेगा जो किसी को आवंटित न किया गया हो। प्रतीकों का कमवार इस प्रकार का आवंटन, अभ्यर्थियों को हिन्दी वर्णकमानुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में, उनके नामों के अनुसार (एक के बाद एक) किया जायेगा।

13. <u>अनुदेश तथा निदेश निकालने की आयोग की शक्ति</u> :– राज्य निर्वाचन आयोग,–

(क) इस आदेश के उपबन्धों में से किसी का स्पष्टीकरण करने के लिये,

(ख) किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए, जो किन्हीं ऐसे उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो; तथा

(ग) प्रतीकों के आरक्षण तथा आबंटन के किसी मामले के संबंध में जिसके लिए इस आदेश में कोई उपबन्ध नहीं है या उपबन्ध अपर्याप्त है, तथा जिसके लिए निर्वाचनों के निर्विध्न तथा व्यवस्थित संचालन के लिए आयोग की राय में उपबन्ध करना आवश्यक है, अनुदेश तथा निदेश जारी कर सकेगा।

सारणी–1
(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल व आरक्षित प्रतीक)

क.सं.	मान्यता प्राप्त दल जिसके लिये आरक्षित है	आरक्षित प्रतीक
1.	2.	3.
1.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
2.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
3.	भारत की कम्युनिस्ट पार्टी	बाल और हंसिया
4.	भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	हथौडा, हंसिया और सितारा
5.	इंडियन नेशनल कांग्रेस	हाथ
6.	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	घड़ी

सारणी–2
(पंचायत समिति के प्रधान/उप प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख/उप प्रमुख के निर्वाचन के लिये मुक्त प्रतीकों की सूची)

क.सं.	मुक्त प्रतीक	क.सं.	मुक्त प्रतीक
1.	2.	1.	2.
1.	बल्ला	11.	डीजल पम्प
2.	अलमारी	12.	केतली
3.	गुब्बारा	13.	हारमोनियम
4.	ब्रुश	14.	स्टूल
5.	मोमबत्तियॉ	15.	मेज
6.	कैमरा	16.	टेबिल लैम्प
7.	कोट	17.	टेलीविजन
8.	गैस का चूल्हा	18.	सीटी
9.	बल्लेबाज	19.	पतंग
10.	कॉच का गिलास	20.	प्रैशर कुकर

प्ररूप – 'क'

राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडे किये गये उम्मीदवारों के नामों की सूचना के लिये प्राधिकृत व्यक्तियों के संबंध में सूचना

(देखिए अधिसूचना संख्या एफ7(1)(7)पंचा/रानिआ/2009/वो.IV/4735 दिनांक 14.10.14 का खण्ड 6)

प्रेषिति–:

रिटर्निंग अधिकारी,

———————— *पंचायत समिति के प्रधान/उप प्रधान का चुनाव तथा जिला परिषद के प्रमुख/उप प्रमुख का चुनाव

विषयः– पंचायत समिति के प्रधान/उप प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख/उप प्रमुख के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन–उम्मीदवारों के नामों की सूचना देने के लिये व्यक्तियों का प्राधिकृत किया जाना।

महोदय,

अधिसूचना संख्या एफ 7(1)(7)/पंचा/रानिआ/2009/वो.IV/4735 दिनांक 14.10.14 के खण्ड (6) के अनुसरण में, मैं, इसके द्वारा संसूचित करता/करती हूँ कि ऊपर उद्धृत निर्वाचन में दल द्वारा खडे किये जाने के लिये प्रस्तावित उम्मीदवारों के नामों की सूचना देने के लिये .... दल, जो निर्चाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के अंतर्गत राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है, द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है :–

	सूचना भेजने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	दल में धारित पद का नाम	*पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम और पद का नाम जिसके संबंध में उसे प्राधिकृत किया गया है
	1.	2.	3.
1.			
2.			

2. इस प्रकार प्राधिकृत ऊपर उल्लिखित *व्यक्ति/व्यक्तियों के हस्ताक्षरों के नमूने नीचे दिये गये हैं :–

1. श्री .... के हस्ताक्षरों के नमूने
   (1) .... (2) .... (3) ....
2. श्री .... के हस्ताक्षरों के नमूने
   (1) .... (2) .... (3) ....

भवदीय,
अध्यक्ष,
दल का नाम (दल की मोहर)

स्थानः ....
दिनांक ....

नोटः– 1. यह प्ररूप उम्मीदवारी वापिसी के लिए निर्धारित दिन और समय से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत हो जाना चाहिये।
2. प्ररूप उपर्युक्त पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। किसी पदाधिकारी या प्रधिकृत व्यक्ति के अनुकृति हस्ताक्षर या रबड़ स्टाम्प के हस्ताक्षरों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. फैक्स से भेजा गया प्ररूप नहीं माना जायेगा।

---

* जो लागू नही हो उसे काट दीजिये

प्ररूप–'ख'
राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडे किये गये उम्मीदवारों के नामों के बारे में सूचना

(देखिए अधिसूचना संख्या एफ7(1)(7)पंचा/रानिआ/2009/IV/4735 दिनांक 14.10.14 का खण्ड 6)

प्रेषितिः–

रिटर्निंग अधिकारी,

——————————

*पंचायत समिति के प्रधान/उप प्रधान का चुनाव तथा जिला परिषद के प्रमुख/उप प्रमुख का चुनाव

विषयः– पंचायत समिति के प्रधान/उप प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख/उप प्रमुख के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार खड़े करना।

महोदय,

अधिसूचना संख्या एफ 7(1)(7)पंचा/रानिआ/2009/वो.IV/4735 दिनांक 14.10.14 के अनुसरण में .... दल, जो प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के अंतर्गत राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है, ने निम्नलिखित व्यक्तियों को ऊपर उद्धृत निर्वाचन में अपने उम्मीदवारों के रूप में उनके सामने बताये गये पद के निर्वाचन के लिए खड़ा किया है। मैं उक्त नामित दल की ओर से एत्‌द्‌द्वारा सूचना देता हूँ कि वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे

1. (i) स्तम्भ 3 से 5 में दिये गये है उक्त नामित दल का अनुमोदित अभ्यर्थी है, और

(ii) वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे स्तम्भ 6 से 8 में वर्णित है, दल का प्रतिस्थानी अभ्यर्थी है, जो अनुमोदित अभ्यर्थी के नाम निर्देशन–पत्र को संवीक्षा में खारिज किये जाने अथवा उसके निर्वाचन से हट जाने पर उसका स्थान लेगा, यदि प्रतिस्थानी अभ्यर्थी अभी भी निर्चाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है ।

*पंचायत समिति/ जिला परिषद का नाम	पद का नाम *प्रधान/ उपप्रधान/ प्रमुख/ उपप्रमुख	अनुमोदित उम्मीदवार का नाम	अनुमोदित उम्मीदवार के *पिता/ पति का नाम	अनुमोदित उम्मीदवार का डाक का पता	प्रतिस्थानी उम्मीदवार का नाम (जो अनुमोदित उम्मीदवार के नामनिर्देशन–पत्र को संवीक्षा में रद्द कर दिये जाने पर उसका स्थान लेगा यदि प्रतिस्थानी अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है)	प्रतिस्थानी उम्मीदवार के *पिता/ पति का नाम	प्रतिस्थानी उम्मीदवार का डाक का पता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

2. प्ररूप 'ख' में दल के अनुमोदित अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री .... के पक्ष में पहले दी गई सूचना एत्‌द्‌द्वारा विखंडित की जाती है।
3. प्ररूप 'ख' में दल के प्रतिस्थानी अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री .... के पक्ष में पहले दी गई सूचना एत्‌द्‌द्वारा विखंडित की जाती है।
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी जिसके नाम का ऊपर उल्लेख किया गया है, इस राजनैतिक दल का एक सदस्य है उसका नाम, इस दल के सदस्यों की नामावली में विधिवत् शामिल है।

भवदीय,
अध्यक्ष/दल के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम
और हस्ताक्षर व दल की मोहर

स्थानः ....
दिनांकः ....

नोटः– 1. यह प्ररूप उम्मीदवारी वापसी के लिए निर्धारित दिन और समय से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत हो जाना चाहिये।
2. प्ररूप उपर्युक्त पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। किसी पदाधिकारी या प्रधिकृत व्यक्ति के अनुकृति हस्ताक्षर या रबड़ स्टाम्प के हस्ताक्षरों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. फैक्स से भेजा गया प्ररूप नहीं माना जायेगा

————————————————————————————

* जो लागू नही हो उसे काट दीजिये

आदेश से,

(सत्यप्रकाश बसवाला)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः 3(53)पंचा/स्टोर/रानिआ/2014/4974 जयपुर, दिनांकः 22.10.14

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत), (कलॅक्टर) ....

2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी (पं.स.सदस्य चुनाव एवं जि.प.सदस्य चुनाव) मार्फत – जिला निर्वाचन अधिकारी ....

विषय :– पंचायत आम चुनाव 2015 – जिला परिषद सदस्य चुनाव एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिये मतपत्रों का मुद्रण।

संदर्भ :– आयोग का पूर्व पत्रांक 2741 दिनांक 02.07.2014 एवं 4409 दिनांक 30.09.2014

आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में पंचायत समिति सदस्यों के मतपत्र के कागज का रंग नीला तथा जिला परिषद सदस्यों के मतपत्र का रंग पीला होगा।

उपरोक्त दोनों प्रकार के मतपत्रों के लिये मुक्त चुनाव चिन्ह भी पृथक–पृथक राज्य निर्वाचन आयोग ने विनिश्चित किये हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम–58 के उप–नियम (6) के अन्तर्गत जिला परिषद सदस्य चुनाव एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिये चुनाव प्रतीकों के आवंटन की प्रक्रिया एवं चुनाव प्रतीकों का निर्धारण अधिसूचना संख्या 4725 दिनांक 14.10.2014 से विनिर्दिष्ट किया है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

जहां पंच व सरपंच चुनाव के मतपत्रों व एक्सट्रा स्लिपों में केवल चुनाव प्रतीक ही मुद्रित होते हैं, अभ्यर्थियों के नाम मुद्रित नहीं होते, वहां पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के मतपत्रों में चुनाव प्रतीक के साथ ही अभ्यर्थियों के नाम भी मुद्रित होंगे जो बांयी ओर होंगें। पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के मतपत्र चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार होने पर मुद्रित हो सकेंगे और इनका मुद्रण कार्य मतदान दलों की रवानगी से पहले–पहले पूरा होना भी आवश्यक है।

मुद्रण हेतु समय अधिक नहीं होगा, अतः आपको जिला परिषद सदस्यों एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिये मतपत्रों के मुद्रण में विशेष ध्यान रखना होगा, ताकि सही समय पर सही मुद्रण हो सकें और चुनाव कार्य में कोई अवरोध नहीं होवे।

पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य के मतपत्र का स्वरूप

(1) पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन के लिये मतपत्र ऐसे प्रारूप में होगा जो आयोग निर्दिष्ट करे और इसकी विशिष्टियॉ देवनागरी लिपि में हिन्दी में लिखी जायेगी, इसके अलावा मतपत्र पर अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में आयेंगे जिस क्रम में वे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप–5) में अंकित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त चुनाव लड़ने वाले अन्तिम अभ्यर्थी के बाद नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) का विकल्प अंकित किया जावेगा।

(2) राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम, 58 के उप–नियम (5) के परन्तुक (घ) में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची किस प्रकार तैयार होगी यह बताया गया है। उक्त सूची में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की दो श्रेणियां होगी। अभ्यर्थियों के नामों को सूचीबद्ध करने के प्रयोजन से अभ्यर्थियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा। प्रथम श्रेणी में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी और दूसरी श्रेणी में निर्दलीय अभ्यर्थी आयेंगे। प्रत्येक श्रेणी में अभ्यर्थियों के नाम हिन्दी वर्णमाला में क्रमानुसार आयेंगे। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में जो क्रम अभ्यर्थियों का होगा वही क्रम मतपत्रों में भी रहेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त दोनों श्रेणी का शीर्षक (Heading) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में तो अंकित होगा लेकिन मतपत्रों में अंकित नहीं होगा।

(3) पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिये मतपत्र का प्रारूप आयोग के विधिक आदेश संख्या – 2/94, दिनांक 19.9.94 के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ के लिए परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। इस विधिक आदेश के अनुसार एकल स्तम्भीय मतपत्र की चौड़ाई 4 इन्च होगी और लम्बाई निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी, परन्तु जहां निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा के विकल्प सहित 9 से अधिक हो जाये, वहां मतपत्रों को स्तम्भों में मुद्रित किया जायेगा और बीच में कम से कम 2.5 एम्स (ems) चौड़ा गहरे रंग का (Shaded) भाग होगा। अभ्यर्थियों के नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में बताये गये क्रम में हिन्दी में एक दूसरे के नीचे, यथा स्थिति, प्रथम स्तम्भ, दूसरे, तीसरे, आदि स्तम्भों में अंकित किये जावेंगे। जहां निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी नोटा के विकल्प सहित विषम संख्या में हो वहां मतपत्र के दाहिने अंतिम स्तम्भ पर अंतिम पैनल पूर्णतया रंगदार (Shaded) होगा, (देखें परिशिष्ट–4 एवं 6) पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में अन्य चुनावों की तरह मतपत्र के सम्बद्ध प्रतिपर्ण (Counter foil) नहीं होगा। प्रत्येक मतपत्र के शीर्ष में 6 एम्स (ems) चौड़ाई का स्तम्भ होगा, जिसमें ऊपर किनारे पर एक काली लाईन होगी, बांयी और अग्र भाग पर अथवा पृष्ठ भाग पर जैसा सुविधाजनक हो, मतपत्र की क्रम संख्या मुद्रित होगी, दांयी ओर जिला परिषद अथवा पंचायत समिति (जैसी भी स्थिति हो) का नाम और निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक एक दूसरे के नीचे मुद्रित होंगे।

(4) मतपत्र के अग्रभाग में प्रथम अभ्यर्थी के नाम के नीचे गहरे रंग वाले भाग (Shaded Porton) में केवल निर्वाचन का सांकेतिक शब्दों में नाम "पं.स.सदस्य चुनाव" या, यथा स्थिति, "जि.प. सदस्य चुनाव" मुद्रित किया जायेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को आवंटित जगह की चौड़ाई 6 एम्स (ems) होगी और किन्हीं दो अभ्यर्थियों के लिये आवंटित स्थान के बीच में गहरे रंग वाले भाग (Shaded area) की चौड़ाई 3 एम्स (ems) होगी। सबसे नीचे गहरे काले रंग के किनारे की रेखा होगी।

पंचायत समिति सदस्य चुनाव के मतपत्र का नमूना एकल स्तम्भ में परिशिष्ट–3 पर व दो स्तम्भों में परिशिष्ट–4 पर देखें। जिला परिषद सदस्य चुनाव के मतपत्र का एकल स्तम्भ में नमूना परिशिष्ट–5 पर व दो स्तम्भों में नमूना परिशिष्ट–6 पर देखें।

मतपत्रों पर नम्बरिंग :–

जिन मुद्रणालयों में टाईप हाई नम्बरिंग मशीन उपलब्ध है वहां मतपत्र की क्रम संख्या अग्रभाग के शीर्ष स्तम्भ में बांयी ओर मुद्रित होगी। यदि हैण्ड नम्बरिंग मशीन से मतपत्र की क्रम संख्या अंकित की जायें तो मतपत्र के पृष्ठ भाग पर ऊपर बांयी ओर भी की जा सकती है। यह ध्यान रहे कि नम्बरिंग का इम्प्रेशन एक समान रहें। नम्बरिंग 6 या 7 डिजिट में करावें, जैसे 100001 अथवा 1000001 से प्रारम्भ होकर उस निर्वाचन क्षेत्र के लिये मुद्रित होने वाले मतपत्रों की संख्या के अन्त तक की जायेगी। इस स्तम्भ में नीचे किनारे पर एक काली रेखा होंगी, जो कि शीर्ष स्तम्भ को मतपत्र से पृथक दर्शायेगी।

चुनाव प्रतीक :–

पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन एवं जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन दलीय आधार पर होंगे। जिसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थियों को संबंधित आरक्षित चिन्ह आवंटित किये जावेंगे। आरक्षित चिन्हों को आवंटित करने की प्रक्रिया उक्त अधिसूचना दिनांक 14.10.2014 में बतायी गयी है। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की संख्या – 6 है, जैसा कि संलग्न परिशिष्ट–1 में अधिसूचना में वर्णित है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल एवं उनके लिये आरक्षित चुनाव चिन्हों के नमूने मय सूची के परिशिष्ट–7 पर संलग्न हैं।

पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिये आयोग की अधिसूचना दिनांक 14.10.2014 की सारणी–2 में मुक्त चुनाव प्रतीकों की सूची दी गई है जिसमें 20 मुक्त चुनाव प्रतीक वर्णित है। इसी प्रकार जिला परिषद सदस्य निर्वाचन के लिये भी उक्त अधिसूचना दिनांक 14.10.2014 की सारणी–3 में 20 मुक्त चुनाव प्रतीकों की सूची वर्णित है। जब निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 20 से अधिक हो जावे तो नाम वापिसी के दिन ही संबंधित रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित कर दिया जायेगा ताकि आयोग अतिरिक्त मुक्त चुनाव चिन्ह विनिर्दिष्ट कर सके। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थियों को संबंधित आरक्षित चुनाव चिन्ह ही, जो उक्त अधिसूचना दिनांक 14.10. 2014 की सारणी–1 में बताये गये हैं, आवंटित होंगे, यह भी आप सुनिश्चित कर लेवें।

चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची बनाते समय प्रतीकों का उपरोक्तानुसार आवंटन सुनिश्चित कर लेवें और प्ररूप–5 में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अथ्यर्थियों के नाम व उन्हें आवंटित चुनाव प्रतीक

सही–सही अंकित कर लेवें क्यों कि प्ररूप–5 में बतायी गयी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार और उसी क्रम में ही मतपत्रों का मुद्रण होगा। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थियों के नाम पहले आयेंगे। आरक्षित चुनाव चिन्हों और मुक्त चुनाव चिन्हों के नमूने परिशिष्ट–7 पर संलग्न है।

सिम्बल ब्लाक्सः–

आयोग द्वारा पूर्व में अपने सन्दर्भित आदेश संख्या 3559 दिनांक 9.10.09 से मत पत्र मुद्रण हेतु सिम्बल ब्लॉक आयोग से उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। चूंकि आयोग के निर्देशानुसार मतपत्रों का मुद्रण जिला स्तर पर निविदाएं आमत्रित कर निजी मुद्रणालायों से कराया जाना है और वर्तमान में निजी मुद्रणालयों द्वारा मुद्रण कार्य ऑफसेट मुद्रण पद्धति से किया जाता हैं, जिसमें चुनाव चिन्ह कम्प्यूटर के माध्यम से **Scan** किये जाने के उपरान्त कार्य में लिये जाते हैं और सिम्बल ब्लॉक की आवश्यकता नही रहती। अतः मतपत्र मुद्रण कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि चुनाव चिन्ह की **Scaning** के समय चुनाव चिन्हों मे कोई भी अन्तर ना हो। चुनाव चिन्हों के नमूनों की Soft Copy (सी.डी) भी आपके विशेष वाहक आयोग कार्यालय से अन्य सामग्री संग्रहण के समय प्राप्त कर लें।

मुद्रण के लिए कागज :–

मतपत्रों के मुद्रण के लिये कागज की व्यवस्था निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा ही की जायेगी। यह ध्यान रखें कि पंचायत समिति सदस्य चुनाव के मतपत्र और जिला परिषद सदस्य चुनाव के मतपत्र क्रमशः नीले एवं पीले रंग के कागज पर मुद्रित होंगे। कागज 60 GSM का होगा। कागज की आपूर्ति निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा की जायेगी जिसके लिए आयोग द्वारा पूर्व में निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को पत्र लिखा जा चुका हैं। कागज की आवश्यकता का पूर्व आंकलन मतपत्रों की अनुमानित संख्या के आधार पर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा किया जायेगा। यह कागज दिनांक 25.11.2014 तक ही आपूर्ति किये जानें के निर्देश है। अतः जिला निर्वाचन अधिकारी निदेशक मद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से सम्पर्क कर उनके द्वारा आवटित राजकीय मुद्रणालयों से तुरन्त कागज प्राप्त कर लेवें। कागज का हिसाब भी रखा जायेगा।

स्टिचिंग मशीन :–

पंचायत समिति सदस्य मतपत्र और जिला परिषद सदस्य मतपत्र के लिये प्रतिपर्ण रखने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः मतपत्र बिना प्रतिपर्ण के ही मुद्रित होंगे। निर्वाचन क्षेत्रवार मुद्रित समस्त मतपत्रों को 50–50 मतपत्रों के बण्ड़ल के हिसाब से स्टिच किया जाना आवश्यक है। स्टिचिंग इस प्रकार से किया जायेगा, ताकि मतपत्र मतदाता को जारी करते समय आसानी रहे। स्टिचिंग मशीन से बण्ड़ल एक स्थान पर ही स्टिच किया जावे, दो स्थानों पर नहीं ताकि 50 के बण्ड़ल को जब तोड़ा जाये तो आसानी रहे।

कटिंग मशीन :–

मतपत्रों के मुद्रण के पश्चात् उनकी साईज के अनुरूप काटने के लिये कटिंग मशीनें मुद्रणालयों में सही स्थिति में होनी चाहिये। यह ध्यान रखा जायेगा कि कटिंग के समय एक मतपत्र पर काली लाईन (ऊपर और नीचे) सही रूप से विद्यमान है अथवा नहीं। कटिंग से पहले लाईन कहीं कट नहीं जाये।

पैकिंग :–

मतपत्रों की शीट्स की कटिंग एवं 50–50 मतपत्रों के बण्डल स्टिच करने के बाद पैकिंग की जायेगी, जिसकी स्ट्रिप पर पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के मतपत्रों में निम्नांकित अंकित किया जायेगा :–

(1) जिले का नाम
(2) पंचायत समिति का नाम
(3) पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्यांक,
(4) मतपत्र की क्रम संख्या .... से .... तक

इसी प्रकार जिला परिषद सदस्य चुनाव के मतपत्रों के बण्डल के ऊपर स्ट्रिप में निम्नांकित अंकित किया जायेगा :–

(1) जिले का नाम
(2) जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र का क्रम संख्यांक
(3) मतपत्र की क्रम संख्यांक .... से .... तक

मतपत्रों की मुद्रित होने वाली संख्या :–

मतपत्रों की प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिये वह संख्या मुद्रित होगी जो कि उस मतदान केन्द्र के वास्तविक मतदाताओं की कुल संख्या में अगले दशांक में राउण्ड करने और उसमें 10 जोड़ने से होती है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी मतदान केन्द्र में संबंधित पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र के 973 मतदाता है तो वहां पर 990 मतपत्र दलों को दिये जायेंगे। ध्यान रखें गणना में यदि कोई त्रुटि होने से मतपत्र कम मुद्रित हो जायेंगे तो भारी कठिनाई हो सकती है।

मतपत्र मुद्रण के लिये पूर्व प्रशासनिक व्यवस्था :–

(1) आपको लिखित आदेश से किसी वरिष्ठ और उत्तरदायी अधिकारी को मतपत्र के मुद्रण के लिये अधिकृत करना है। आदेश में स्पष्ट होना चाहिये कि जिला परिषद के किस निर्वाचन क्षेत्र के कितने मतपत्र मुद्रित होंगे और कौन–सी पंचायत समिति के किन निर्वाचन क्षेत्रों के कितने मतपत्र मुद्रित होंगे तथा दिशानिर्देश भी स्पष्ट होने चाहिये।

(2) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची सही रूप से चैक कर ली जाये और इस बात से आश्वस्त कर लिया जाये कि सूची में कही कोई त्रुटि नहीं है। आप द्वारा अधिकृत किये गये प्रतिनिधि इस सूची को अपने साथ रखेंगे। सूची हस्तलिखित और टाईप की हुई होनी चाहिये। सूची सुस्पष्ट और सुपठनीय होनी चाहिये। जिला परिषद का नाम और उसके निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्यांक और इसी प्रकार से पंचायत समिति का नाम व उसके निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्यांक भी स्पष्टतया सही अंकित होनी चाहिये।

मतपत्रों के मुद्रण का कार्य पूरा करना :–

(i) चूंकि पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य निर्वाचन में मतदान दलों की रवानगी मतदान से एक दिन या दो दिन पहले होगी और मतदान दलों की रवानगी पर ही उन्हें संबंधित मतदान केन्दों के लिये समस्त मतपत्र उपलब्ध करवाने है। ऐसी स्थिति में आपके पास मतपत्र मतदान दलों की रवानगी से कम से कम एक दिन पहले हर हालत में उपलब्ध हो जाने चाहिये, ताकि आप मुद्रित मतपत्रों को आगे चैक और करवा सकें और उन्हें मतदान दलों को वितरण के लिये व्यवस्थित कर सकें। आप सुनिश्चित कर ले कि मुद्रित मतपत्र सही और वांछित मात्रा में आपके पास मतदान दलों की रवानगी से कम से कम एक दिन पहले तक पहुंच जाये।

(ii) इस प्रकार मुद्रण हेतु सीमित समय ही मिलेगा इसलिए आपको मतपत्रों के मुद्रण हेतु समस्त प्रकार की व्यवस्था अग्रिम तैयार रखनी है। आपके प्रतिनिधि संबंधित मुद्रणालय के लिये चुनाव चिन्ह आवंटन के दिन ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के साथ पहुंच जाने चाहिए, ताकि निर्धारित समय में मतपत्रों का मुद्रण कार्य सम्पन्न हो सके। यह ध्यान रखें और चैक करा ले कि मतपत्र सही रूप से मुद्रित हो गये है, उन पर मतपत्र के क्रम–संख्यांक, तथा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्यांक और संबंधित पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम भी सही मुद्रित हो गया है तथा बिना क्रम संख्यांक का मतपत्र तो नहीं है, आदि।

(iii) मतपत्रों के मुद्रण के पश्चात् आप द्वारा अधिकृत किया गया प्रतिनिधि सही मतपत्रों के बण्डल को जांचकर अपनी अभिरक्षा में ले लेगा। खराब हुये मतपत्र और कागज के टुकड़े, मतपत्र मुद्रण के तुरन्त बाद जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष मुद्रणालय द्वारा जला दिये जायेंगे। जलाये जाने संबंधी कार्यवाही का एक प्रमाण पत्र निजी मुद्रणालय द्वारा एवं उक्त नामित अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भेजा जायेगा।

(iv) यह ध्यान रखें कि पंचायत समिति/जिला परिषद का स्टाफ मतपत्रों के मुद्रण के कार्य में नहीं लगाया जावे। यह भी ध्यान रखें कि यदि किसी मतपत्र में अंतिम काली लाईन काट दी गई है या नम्बरिंग में गलत मुद्रण हुआ है, या अन्य किसी प्रकार की त्रुटि पायी गई है तो त्रुटिपूर्ण मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा रद्द मान लिया जायेगा और उसे हटा दिया जावेगा।

(v) मतपत्र के मुद्रण में कहीं त्रुटि नहीं रहे इसके लिये आपको निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को भी सही रूप से तैयार करना है और मतपत्रों के मुद्रण को प्रारम्भ करने से पूर्व उनके प्रूफ को अच्छी तरह चैक करना है, जिसके लिये आपको अधिकृत प्रतिनिधि के साथ पर्याप्त मात्रा में जानकार स्टाफ लगाना है। चूंकि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थिंयों की सूची के आधार पर ही उसी क्रम में मतपत्र में अभ्यर्थियों का नाम मुद्रित होगा और उसी अनुरूप होगा, अतः आप यह भी ध्यान रखें कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम की सूची में पहले मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किये अभ्यर्थियों के नाम आयेंगे और उसके बाद निर्दलीय अभ्यर्थियों के। उक्त दोनों प्रकार की श्रेणियों में भी नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रमानुसार आयेंगे। सम्मान सूचक शब्द यथा श्री, श्रीमती आदि अंकित नहीं होगें। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के लिये मुद्रित होने वाले मतपत्रों में

निर्वाचन क्षेत्र का वर्ग यथा अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. या महिला, आदि कहीं पर भी अंकित नहीं होगा किन्तु चुनाव लड़ने वाले अन्तिम अभ्यर्थी के बाद नोटा के विकल्प के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं शब्दावली एवं इसके लिए निर्धारित प्रतीक अंकित किया जायेगा।

(vi) मतपत्रों का मुद्रण का कार्य जिला निर्वाचन अधिकारियो द्वारा निविदाये आमंत्रित कर निजी मुद्रणालयों के द्वारा सम्पन्न होगा। मुद्रणालयों को पर्याप्त मात्रा में कागज, स्टिचिंग मशीन, चैकर, पेकर, नम्बरिंग मशीनें, स्लग्स् आदि समस्त प्रकार का सामान चुनाव प्रतीक की सी.डी. व स्टाफ पर्याप्त समय पूर्व व पर्याप्त मात्रा में तैयार रखना होगा। इस संबंध में आप भी ध्यान रखें।

(vii) **<u>सुरक्षा व्यवस्था</u>** :– निजी मुद्रणालयों पर जब मतपत्रों का मुद्रण होरहा हो उस दौरान निजी मुद्रणालय अन्य कोई मुद्रण कार्य नही करे तथा उस दौरान कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मुद्रणालय में प्रवेश ना करें। गार्ड/पुलिस की माकूल व्यवस्था हो ताकि मतपत्र सुरक्षित रहे और कोई भी मतपत्र किसी अनाधिकृत व्यक्ति की पहुँच में ना आ सके।

(viii) राज्य निर्वाचन आयोग ने संलग्न स्टेटमेन्ट जो परिशिष्ठ–9 पर संलग्न है, उसमें मोटे रूप में बताया है कि कौन–से जिले में जिला परिषद सदस्य के मतपत्र तथा पंचायत समिति सदस्य के मतपत्र कितने निर्वाचन क्षेत्रों में कितनी मात्रा में छपेंगे। यह मात्रा केवल अनुमानित है, वास्तविक मात्रा जिला निर्वाचन अधिकारी निश्चित करेगें तथा तदनुसार निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को भी तुरन्त अवगत करा कर तदनुरूप कागज की आपूर्ति लेंगे।

मुद्रित होने वाले मतपत्रों की संख्या अनुमानित ही दी गई है, क्योंकि वास्तविक संख्या आपके द्वारा ही संबंधित मुद्रणालयों को बतायी जायेगी।(मुद्रित होने वाली मतपत्रों की वास्तविक संख्या आयोग को भी जिला परिषद के सदस्य चुनाव के लिये पृथक और पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिये पृथक भेजें)।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(सत्य प्रकाश बसवाला)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

Specimen of Symbols

Symbol reserved for recognized national political parties

(A)Reserved Symbols

Panchayat Samiti and Zila Parishad member electyion, 2015

S.No.	Name of National Party	Name of Reserved Symbol in Hindi and English	Facsimile of symbol
1-	बहुजन समाज पार्टी Bahujan Samaj Party	हाथी Elephant	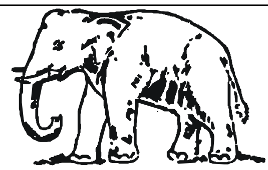
2-	भारतीय जनता पार्टी Bharatiya Janata Party	कमल Lotus	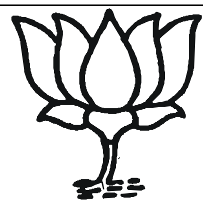
3-	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया Communist Party of India	बाल और हँसिया Ears of Corn and Sickle	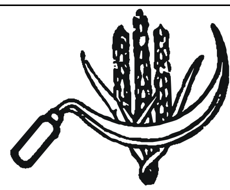
4-	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) Communist Party of India (Marxist)	हथौड़ा,हँसिया और सितारा Hammer, Sickle and Star	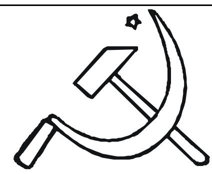
5-	इंडियन नेशनल काँग्रेस Indian National Congress	हाथ Hand	
6-	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी Nationalist Congress Party	घड़ी Clock	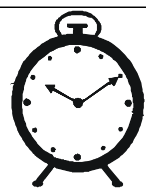

पंचायत समिति सदस्य चुनाव के मुक्त प्रतीक

क्र. सं.	मुक्त प्रतीक का नाम	प्रतीक का नमूना	क्र. सं.	मुक्त प्रतीक का नाम	प्रतीक का नमूना
1.	बल्ला	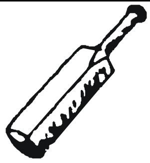	11.	डीजल पम्प	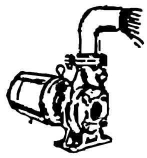
2.	अलमारी		12.	केतली	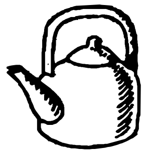
3.	गुब्बारा	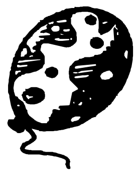	13.	हारमोनियम	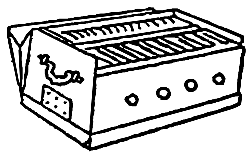
4.	ब्रुश		14.	स्टूल	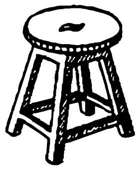
5.	मोमबत्तियां		15.	मेज	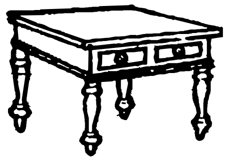
6.	कैमरा	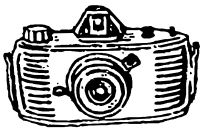	16.	टेबिल लेम्प	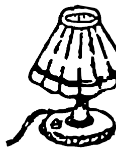
7.	कोट	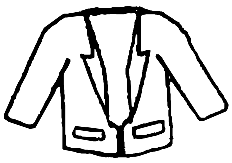	17.	टेलिविजन	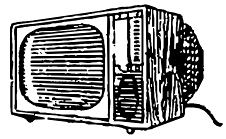
8.	गैस का चूल्हा	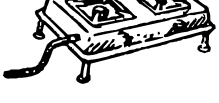	18.	सीटी	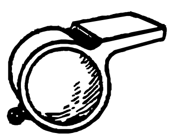

9.	बल्लेबाज		19.	पतंग	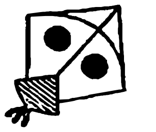
10.	कांच का गिलास	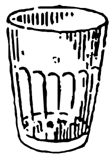	20.	प्रेशर कूकर	

जिला परिषद सदस्य चुनाव के मुक्त प्रतीक

क्र. सं.	मुक्त प्रतीक का नाम	प्रतीक का नमूना	क्र. सं.	मुक्त प्रतीक का नाम	प्रतीक का नमूना
1.	कप और प्लेट		11.	कैंची	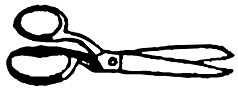
2.	चारपाई	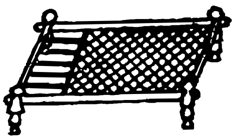	12.	गैस सिलेण्डर	
3.	छत का पंखा	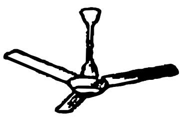	13.	नारियल	
4.	लेटर बाक्स	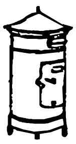	14.	सिलाई की मशीन	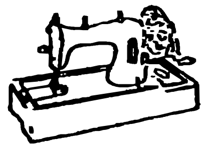
5.	अंगूठी	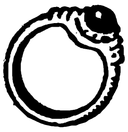	15.	डोली	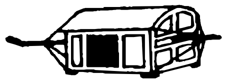
6.	शटल		16.	ब्रीफकेस	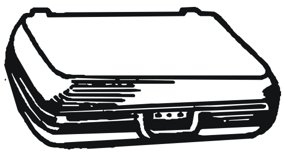
7.	वायलिन	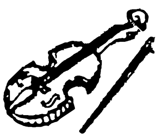	17.	प्रेस	

8.	छड़ी	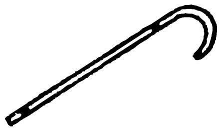	18.	टेलिफोन	
9.	बाल्टी	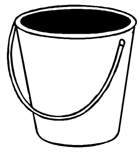	19.	ऑटोरिक्शा	
10.	बैटरी टॉर्च	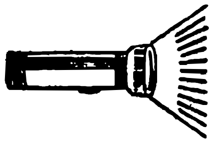	20.	बोतल	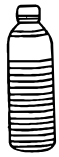

NOTA

SYMBOL

NONE OF THE ABOVE (NOTA)

mi;qZDr esa ls dksbZ ugha

पंचायत समिति
का नाम ....

No....

निर्वाचन क्षेत्र
की क्रम संख्या.......

आनन्द कुमार

पं.स. सदस्य चुनाव

ऐश्वर्य कुमारी

ओपेन्द्र

पुष्पा देवी

मैनादेवी

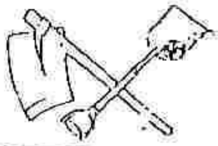

हिम्मत सिंह

ज्ञान चन्द

SAMPLE

(36)

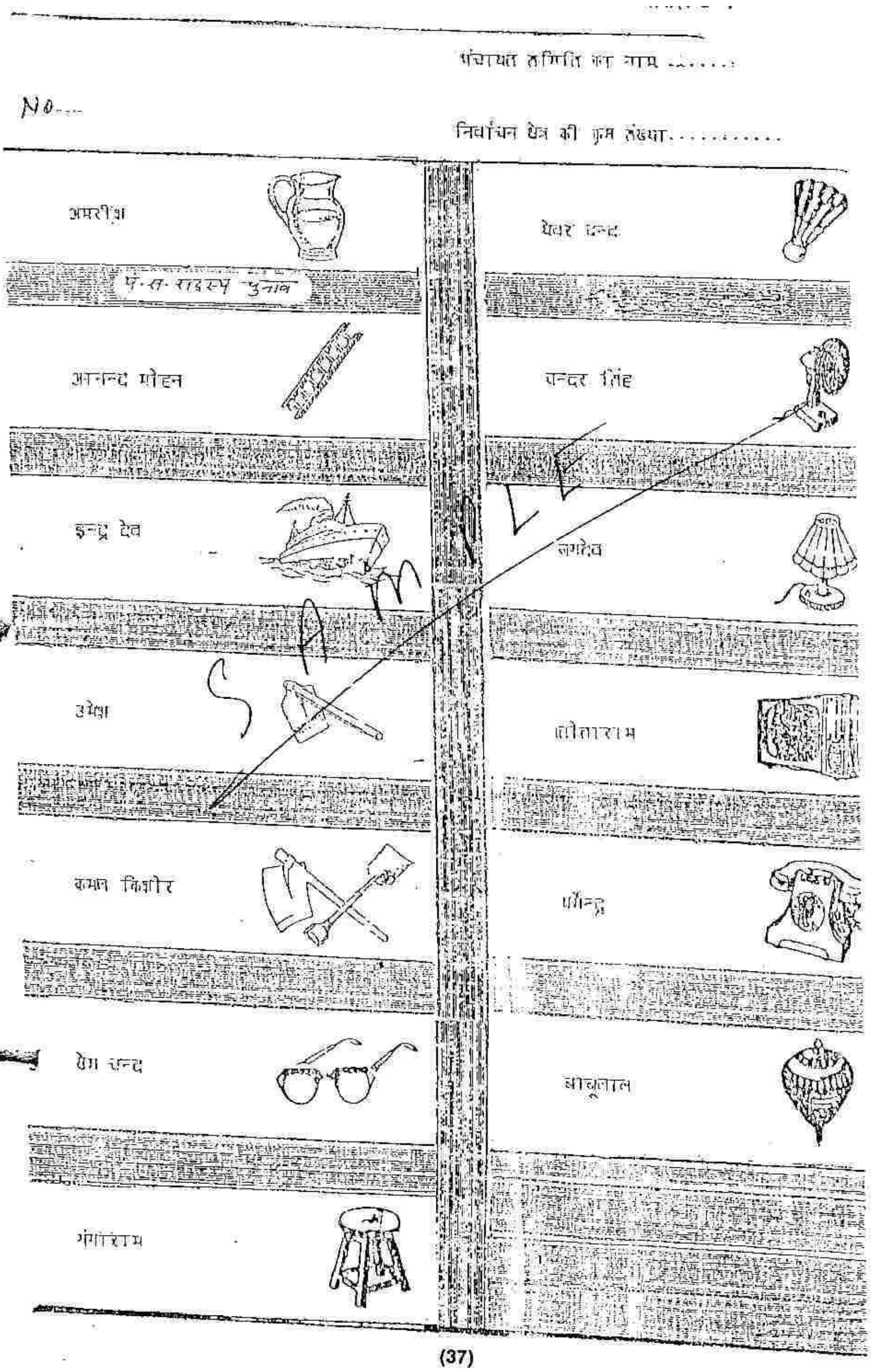

पंचायत समिति का नाम ....

No....

निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या...........

अमरीश	शेखर चन्द
पं.स. सदस्य चुनाव	
आनन्द मोहन	चन्दर सिंह
इन्द्र देव	जगदेव
उमेश	सीताराम
कमल किशोर	धर्मेन्द्र
प्रेम चन्द	बाबूलाल
गंगाराम	

SAMPLE

(37)

जिला परिषद
का नाम ....

NO.

निर्वाचन क्षेत्र
की क्रम संख्या ....

आनन्द कुमार 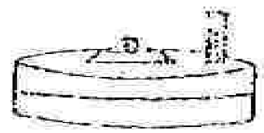

ऐश्वर्य कुमारी 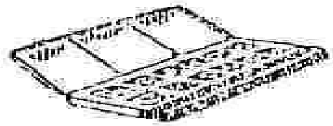

ओगेन्द्र

कृष्णा देवी

केला देवी 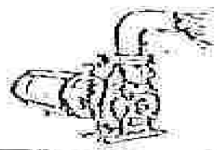

हिम्मत सिंह 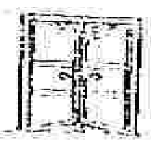

ज्ञानचन्द 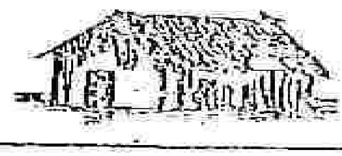

परिशिष्ठ–6

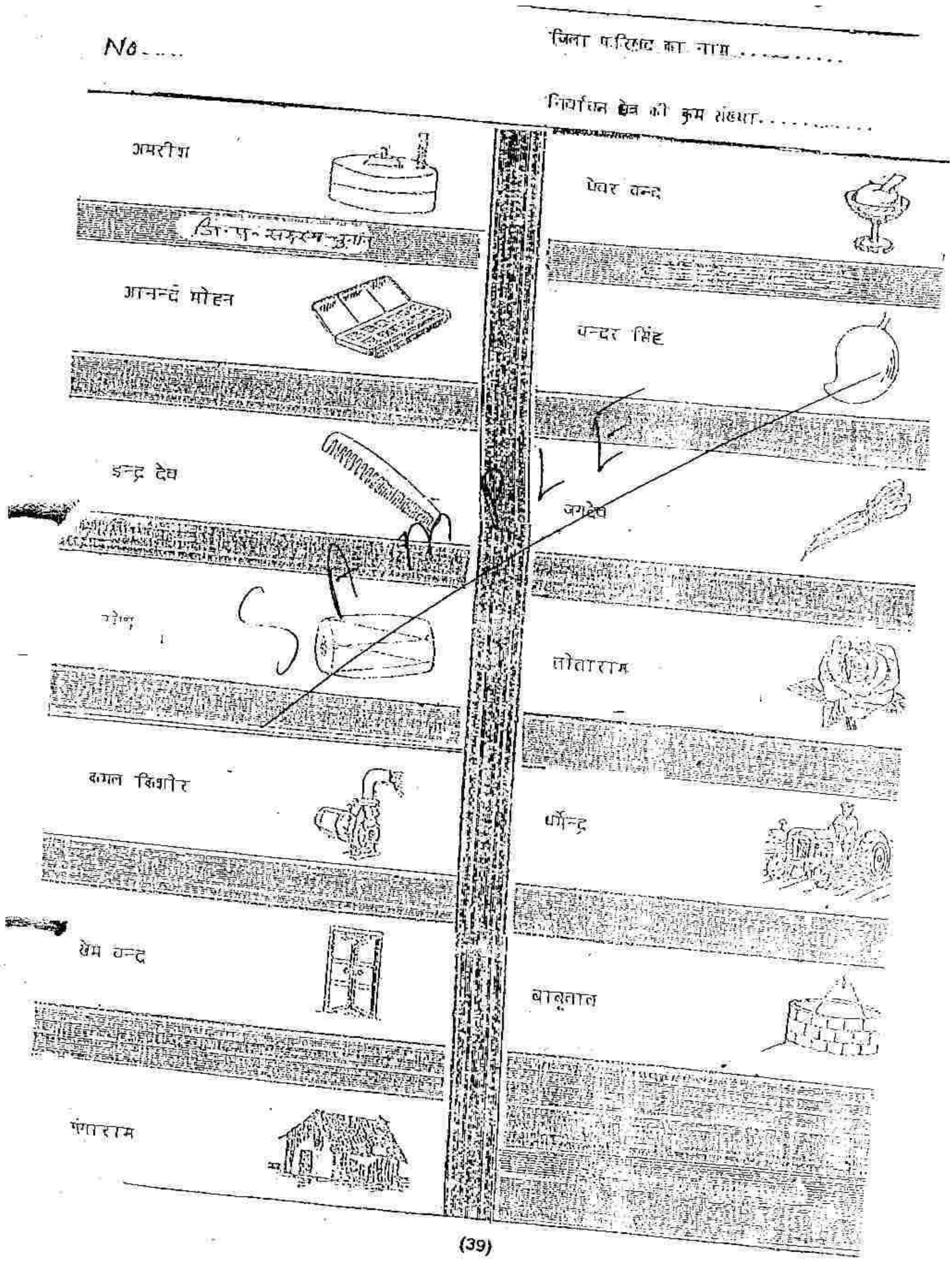

No.....

जिला परिषद का नाम..........

निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या..........

अमरीश

आनन्द मोहन

इन्द्र देव

कमल किशोर

खेम चन्द

गंगाराम

घेवर चन्द

चन्दर सिंह

जगदेव

तोताराम

धर्मेन्द्र

बाबूलाल

(39)

S.No.	Name of National Party	Name of Reserved Symbol in Hindi and English	Facsimile of symbol
1-	बहुजन समाज पार्टी Bahujan Samaj Party	हाथी Elephant	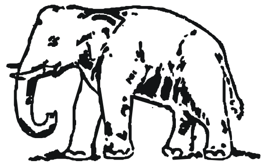
2-	भारतीय जनता पार्टी Bharatiya Janata Party	कमल Lotus	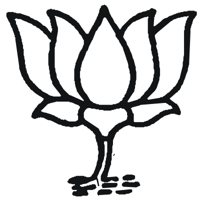
3-	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया Communist Party of India	बाल और हँसिया Ears of Corn and Sickle	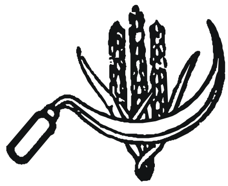
4-	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) Communist Party of India (Marxist)	हथौड़ा,हँसिया और सितारा Hammer, Sickle and Star	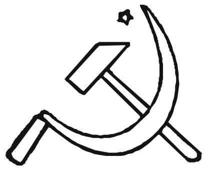
5-	इंडियन नेशनल काँग्रेस Indian National Congress	हाथ Hand	
6-	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी Nationalist Congress Party	घड़ी Clock	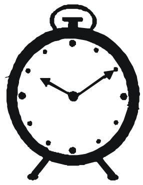

परिशिष्ठ–8

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.3(7)स्टोर / नपा.चु. / रानिआ / 09 / 340 दिनांक:29.9.09

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– पंचायत आम चुनाव – 2010 हेतु मतपत्रों एवं अतिरिक्त चुनाव स्लिपों के मुद्रण हेतु कागज की व्यवस्था बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र कमांक 3646 दिनांक 16.9.09 तथा आयोग का पूर्व पत्र कमांक 2164 दिनांक 10.7.09 एवं 2881 दि. 28.8.09

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के कम में आपको जिलेवार छपने वाले अनुमानित मतपत्रों / अतिरिक्त स्लिपों की संख्या पत्र के साथ संलग्न सूची Annexure -1 में भिजवाई जा रही है। आप जिलों के छपने वाले मतपत्रों की संख्या से कागज की मात्रा का जिलेवार आंकलन कर आपके अधीन राजकीय मुद्रणालय जयपुर, जोधपुर, अलवर, उदयपुर एवं बीकानेर को पहुँचाया जाना सुनिश्चित करावें। पचं सरपचं के मतदाताओं के मतपत्रो व एक्स्ट्रा स्लिपों का मुद्रण चूंकि माह नवम्बर 2009 में ही प्रारम्भ होगा, अतः इनका कागज दिनांक 15.11.09 तक पहुॅचना सुनिश्चित करें। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के मुद्रण का कागज दिनांक 15.12.2009 तक पहुॅचना सुनिश्चित करें। किस किस जिले को कौन सी राजकीय मुद्रणालय आवटित हैं, यह सूचना आयोग को भी भेजे ताकि जिला निर्वाचन अधिकारी को भी अवगत कराया जा सकें।

इसके अतिरिक्त आगामी नगर पालिका आम चुनाव 2009 माह नवम्बर, 2009 में ई.वी.एम. के माध्यम से करवाये जायेगें। जिसमें लगभग 1,50,000 मतपत्र आपके अधीन राजकीय मुद्रणालयों से सफेद क्रीमवो पेपर 60 जीएसएम पर माह नवम्बर 2009 मे ही मुद्रित होंगे इस संबंध मे कागज व मुद्रण की व्यवस्था भी दिनांक 7.11.09 तक सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार.

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

जिलेवार आवंटन की स्थिति की वास्तविक टेबल से प्रतिस्थापित करनी है परिशिष्ठ–9

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF BALLOT PAPERS TO BE PRINTED FOR GENERAL ELECTION OF PANCHAYT (ZP / PS Members) IN YEAR 2015

S.No.	Name of District	Zila Parishad Members Ballot Paper(Yellow color)	Panchyat Samiti Members Ballot Paper(Blue color)
1	2	3	4
1	Ajmer	1112000	1112000
2	Alwar	2137000	2137000
3	Banswara	834000	834000
4	Baran	697000	697000
5	Barmer	1428000	1428000
6	Bharatpur	1270000	1270000
7	Bikaner	914000	914000
8	Bhilwara	1376000	1376000
9	Bundi	622000	622000
10	Chhitorgarh	965000	965000
11	Churu	1143000	1143000
12	Dausa	919000	919000
13	Dholpur	563000	563000
14	Dungarpur	797000	797000
15	Ganganagar	1106000	1106000
16	Hanumangarh	1055000	1055000
17	Jaipur	2245000	2245000
18	Jaisalmer	261000	261000
19	Jalore	1155000	1155000
20	Jhunjhunu	1293000	1293000
21	Jhalawar	848000	848000
22	Jodhpur	1541000	1541000
23	Karauli	781000	781000
24	Kota	834000	834000
25	Nagaur	2076000	2076000
26	Pali	1323000	1323000
27	Rajsamand	767000	767000
28	Sawaimadhopur	715000	715000
29	Sikar	1588000	1588000
30	Sirohi	529000	529000
31	Tonk	808000	808000
32	Udaipur	1513000	1513000
33	Pratapgarh	785000	785000
	Total	36000000	36000000

(48)

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

जयपुर, दिनांक : 27.10.94

आदेश

सां.आ. 8/94- राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 39 के उप-नियम (1) में उपबन्धित है कि प्रत्येक मतपत्र, निर्वाचक को जारी किये जाने के पूर्व ऐसी रीति से अनुप्रमाणित किया जायेगा जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जावें। अत: राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निर्दिष्ट करता है कि उपरोक्त नियमों के अध्याय 4,5 व 6 के प्रावधानों के अनुसार पंच, सरपंच एवम् पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन हेतु निर्वाचकों को मतपत्र जारी करने से पूर्व प्रत्येक मतपत्र को, उसकी पीठ पर सुभेदक चिह्न के रूप में रबर की मुहर, जिस पर एक वर्गाकार आयतन के अन्दर हिन्दी में पं.रा.सं. अंकित किया हुआ होगा, से स्टाम्पित करके और मतदान अधिकारी द्वारा अपने पूरे हस्ताक्षर करके अनुप्रमाणित किया जायेगा।

आज्ञा से,
(बी.बी. महान्ति)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ. 4 (2) (1) पंचा/रानिआ/94/465 जयपुर, दिनांक : 27.10.94

प्रतिलिपि निम्नांकित को :-

1. समस्त संभागीय आयुक्त ....
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत (कलेक्टर) ....
3. समस्त उपखण्ड अधिकारी ....
4. समस्त अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग ....

उप सचिव

(49)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 9434 जयपुर, दिनांकः15.12.14

:: आदेश ::

राजस्थान पंचायती राज. (निर्वाचन) नियम, 1994 नियम 38 में प्रावधान है कि प्रत्येक मतदाता की बॉयीं तर्जनी (forefinger) अमिट स्याही से चिह्नित की जाएगी। चूंकि पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के समय मतदाता के बॉयें हाथ की तर्जनी (left hand forefinger) पर लगाये जाने वाला अमिट स्याही का निशान ग्राम पंचायतों के वार्ड पंचों व सरपंचों के चुनाव के समय तक दृष्टव्य (visible) रहेगा। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 91–क (कठिनाइयों का निराकरण) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्दिष्ट करता है, कि वार्ड पंच व सरपंच चुनावों में अमिट स्याही का निशान मतदाता की दॉयें हाथ की तर्जनी (right hand forefinger) पर अंकित किया जाएगा।

यदि पुनर्मतदान (repoll) होता है, तो ऐसी स्थिति में पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन में अमिट स्याही का निशान मतदाता के बॉयें हाथ की मध्यमा (left hand middle-finger) पर अंकित किया जाएगा तथा वार्ड पंच व सरपंच चुनावों में अमिट स्याही का निशान मतदाता के दॉयें हाथ की मध्यमा (right hand middle-finger) पर अंकित किया जायेगा।

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांक एफ.7(7)(14)पंचा/रानिआ/99/6727 जयपुर दिनांकः 24.12.2009

प्रेषकः

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर

प्रेषितः

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत) (कलेक्टर)

विषयः पंचायती राज संस्थाओं के लिए आम चुनाव–2010–मतदान दिवस को अभ्यर्थियों द्वारा मतदान बूथ स्थापित करने के संबंध में।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ.4 (2)(1) पं.चु./नपा/94/4489 दिनांक 6.1.2000 की पैरा 6 के खण्ड (iv) में यह उपबन्धित किया गया है कि किसी भी मतदान बूथ के भवन के 200 मीटर परिधी क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर अथवा चुनाव चिन्ह अथवा नारे दर्शाते हुये पोस्टर या बैनर नहीं लगाये जायेंगे तथा उक्त पैरा के खण्ड (v) में यह उपबन्धित है कि मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाये जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है जिसका आकार 2 x 5 फिट से अधिक नहीं होगा।

अतः मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के भवन के 200 मीटर परिधी क्षेत्र में आयोग द्वारा प्रतिबन्धित किये गये पोस्टर या बैनर नहीं लगाये जा सके, इस प्रयोजनार्थ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्देश दिये जाते हैं कि कोई भी अभ्यर्थी मतदान के दिन मतदान केन्द्र के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में अपना निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं करेगा।

अभ्यर्थियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले ऐसे निर्वाचन बूथों के संबंध में निम्नांकित प्रतिबन्ध भी लागू रहेंगे :–

(1) अभ्यर्थी के द्वारा अधिकतम एक मेज एवं दो कुर्सियाँ लगाई जा सकेंगी और ऐसे बूथ पर छाया के लिए 'छाता' या 'त्रिपाल' लगाया जा सकता है लेकिन साईडों में 'कनात' या 'टेन्ट' लगाने की अनुमति नहीं होगी।

(2) ऐसे निर्वाचन बूथ का उपयोग अभ्यार्थी द्वारा केवल मतदाता पहचान पर्ची का वितरण करने के लिए ही किया जायेगा। मतदाता पहचान पर्चियों पर किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी का नाम या चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होगा। मतदाता पहचान पर्चियों पर मतदाता का नाम, मतदाता सूची का क्रमांक, वार्ड सं. एवं मतदान केन्द्र का नाम ही अंकित हो सकेगा। अन्य किसी भी प्रकार का लेख उस पर अंकित नहीं होगा।

(3) ऐसे निर्वाचन बूथों पर भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जायेगी और ऐसे किसी व्यक्ति को वहाँ खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जायेगी जिसने कि अपना मत दे दिया हो।

(4) ऐसे निर्वाचन बूथों पर किसी मतदाता को अपनी इच्छा से मत देने से रोकने के लिये उपयोग में नहीं लिया जायेगा और ना ही अन्य अभ्यर्थियों के बूथों से आने वाले मतदाताओं के आने जाने में बाधा पहुँचायी जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों की पालना नहीं करने पर अभ्यर्थी के निर्वाचन बूथ को हटाया जायेगा एवं आयोग की उपरोक्त अधिसूचना के प्रावधानों सहित अन्य सुसंगत कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

कृपया सभी संबंधित को पालना हेतु निर्देशित करें।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः– प. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2014/9347 दिनांकः–12.12.2014

प्रेषक–

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति–

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
कलक्टर (पंचायत) राजस्थान।

विषयः– निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र देने की रीति के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 के द्वितीय परन्तुक में यह प्रावधान किया गया है कि, निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारियों को उस रीति से डाक द्वारा मत देने के हकदार होंगे जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जावे।

इस क्रम में आयोग ने अपने सांविधिक आदेश 54/09 दिनांक 11.12.2009 द्वारा पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारियों के लिए डाक मत देने की रीति विनिर्दिष्ट की है। पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के आगामी चुनावों में भी निर्वाचन ड्यूटी पर लगाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को इस रीति से ही डाक मत द्वारा मत देने के हकदार होंगे।

आयोग ने अपने पत्रांक 7037 दिनांक 1.1.2010 द्वारा स्पष्ट किया है कि, ऐसे पुलिस कर्मी जो मतदान केन्द्र/बूथ पर निर्वाचन ड्यूटी में लगाए जायेंगे, उन्हें भी आवेदन करने पर डाक मतपत्र जारी किया जा सकेगा।

इसी प्रकार आयोग ने अपने पत्रांक 7206 दिनांक 5.1.2010 द्वारा यह स्पष्ट किया है कि, अधिग्रहित वाहनों के चालक व खलासी Election Duty Staff में शामिल नहीं है। अतः डाक मतपत्र के लिए विति रीति इनके लिए लागू नहीं है।

सुलभ संदर्भ के लिए उक्त आदेश व पत्रों की प्रति संलग्न है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्था

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–3020(

क्रमांक–एफ7(1)(17)/पंचा/रानिआ/09/7037 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ांक:–1.1.2010

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

प्रेषिति,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)
(पंचायत)।

विषयः– पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2010– निर्वाचन ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को डाक मतपत्र जारी करने के संबंध में।
संदर्भः– आयोग के पत्रांक एफ 4(1)(5)/नपा/रानिआ/94/6165 दिनांक 11.12.09

महोदय,

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 के द्वितीय परंतुक के अनुसार निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी उस रीति से डाक द्वारा मत देने का हकदार होगें जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जावे। नियम 35 के स्पष्टीकरण के अनुसार "निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाता" से कोई मतदान अभिकर्ता, कोई मतदान अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी **या अन्य लोक सेवक**, जो किसी पंचायती राज संस्था में मतदाता है और उसके निर्वाचन ड्यूटी पर होने के कारण मतदान केन्द्र, जहां वह मत देने का हकदार है, पर मतदान करने में असमर्थ है, अभिप्रेत है।

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि मतदान कार्मिकों के अलावा अन्य लोक सेवको में वे पुलिसकर्मी भी शामिल है जो किसी पंचायती राज संस्था में मतदाता है और उनकी निर्वाचन ड्यूटी होने के कारण जिस मतदान केन्द्र में वह मत देने का हकदार है वहां पर मतदान नहीं कर सकते। इस प्रकार ऐसे पुलिस कर्मी जो मतदान केन्द्र/बूथ पर निर्वाचन ड्यूटी में लगाये जायेंगे उन्हें भी आवेदन करने पर डाक मतपत्र जारी किया जा सकेगा।

संदर्भित आदेश के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य के निर्वाचन में डाक द्वारा मत देने की रीति विनिर्दिष्ट की है। अतः इसके अनुसार मतदान केन्द्र पर निर्वाचन ड्यूटी देने वाले पुलिस कर्मियों के लिए भी डाक मतपत्र की व्यवस्था की जानी अपेक्षित है।

मतदान केन्द्र पर नियुक्त पुलिस कर्मी डाक मतपत्र हेतु यथा समय आवेदन कर सके और उन्हे यथासमय डाक मतपत्र जारी किया जा सके इसके लिए यह उचित होगा कि जिला पुलिस अधीक्षक को पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र के प्ररूप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध करा दिये जाये ताकि पुलिस कर्मियों को आवेदन पत्र के प्ररूप ड्यूटी आदेश के साथ वितरित किये जा सके और ऐसे पुलिस कर्मी मतदान के 4–5 दिन पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को ड्यूटी आदेश की प्रति के साथ विधिवत आवेदन कर सकें। ऐसे आवेदन पत्रों को जिला पुलिस अधीक्षक अपने स्तर पर भी पुलिस कर्मियों से संकलित कर तथ्यों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी को दे सकते है और जिला निर्वाचन अधिकारी इन आवेदन पत्रों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को सुपुर्द करने की व्यवस्था कर सकते है।

इस प्रकार यथासमय प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर आवश्यक जांच कर डाक मतपत्र के हकदार पुलिस कर्मी को भी मतदान दलों की रवानगी के समय डाक मतपत्र व्यक्तिशः सुपुर्द किये जावे। ऐसे पुलिस कर्मियों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान, मतदान दलों की रवानगी के स्थल पर किया जा सकेगा और इसके लिए वही व्यवस्था लागू रहेगी जो कि मतदान कार्मिकों के लिए संदर्भित पत्र में बतायी गयी है।

D:\Vashistha\panch.doc

- 1 -

यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन एवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन दोनों के लिए पृथक–पृथक आवेदन किया जायेगा क्योंकि दोनों निर्वाचनों के लिए रिटर्निंग अधिकारी भी पृथक–पृथक है तथा डाक मतपत्र भी पृथक–पृथक है।

यह भी उल्लेखनीय है कि वे पुलिस कर्मी डाक मतपत्र के लिए हकदार नहीं है जिनकी मतदान केन्द्र पर ड्यूटी वाले दिन उनके मूल मतदान केन्द्र (अर्थात जिस मतदान केन्द्र की मतदाता सूची में उनका नाम है) पर मतदान नहीं है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करें।

भवदीय,

(आर.के. जैन)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ7(1)(1)/पंचा/रानिआ/09/7038
दिनांकः– 1.1.2010

प्रतिलिपिः–

1. पुलिस महा निदेशक, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त रेंज पुलिस महा निरीक्षक, राजस्थान।
3. समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों को भेजकर अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त व्यवस्था हेतु जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में किसी नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी की जावे।

(आर.के. पारीक)
उपसचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

D:\Vashistha\panch.doc

- 2 -

(53)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014–15/9440 जयपुर, दिनांकः 15.12.14

प्रेषक–

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति–

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत) (कलक्टर)।

विषयः– पंचायत चुनाव– निर्वाचन की लोक सूचना/अधिसूचना जारी करने के संबंध में।
संदर्भः– आयोग का पत्रांक – एफ. 6(1)(5)पंचायत/रानिआ/94/1144 दिनांक 20.12.94 एवं प. 7(1)(1)पंचा/रानिआ/94/6069 दिनांक 8.12.2009

महोदय,

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23 एवं 56 के अंतर्गत पंच व सरपंच हेतु निर्वाचन की लोक सूचना तथा नियम 58 के अंतर्गत पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन की अधिसूचना जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जारी की जाती है। किन्तु नियमों में उक्त लोकसूचना/अधिसूचना जारी करने हेतु कोई प्रारूप विहित किया हुआ नहीं है। आयोग के संदर्भित पत्र के द्वारा निर्वाचन की लोक सूचना/अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया बताते हुए मॉडल फार्म विहित किये गये थे। उक्त मॉडल फॉर्मों में, पदों एवं सीटों के आरक्षण का विवरण तथा नियम 58 के अंतर्गत जारी की जाने वाली अधिसूचना में नाम निर्देशन पत्रों को सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जाने संबंधित अंकन करने संबंधी, संशोधन अपने पत्रांक एफ. 7(1)(1)पंचा/रानिआ/94/6069 दिनांक 8.12.2009 द्वारा किये जाकर पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2010 के समय प्रेषित किये गये थे।

अतः आम चुनाव 2015 में भी लोकसूचना एवं अधिसूचना जारी करने के संबंध में संदर्भित पत्रों के अनुसार कार्यवाही करने का श्रम करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राज., जयपुर

(**54**)

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांक : एफ. 6 (1) (5) पंचा/रानिआ/94/1144 जयपुर, दिनांक : 20.12.94

प्रेषक

मुख्य निर्वाचक अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

प्रेषिति

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
(कलक्टर), जिला ....

विषय:- षष्ठ पंचायत आम चुनाव- निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना। अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में।

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23 में यह प्रावधान है कि आयोग के साधारण निर्देश के अध्यधीन रहते हुए जब कभी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उपबन्धों द्वारा किसी पंचायत सर्किल में पंचों का साधारण निर्वाचन कराया जाना आवश्यक हो जावे या अपेक्षित हो तो जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) सार्वजनिक नोटिस द्वारा पंचायत सर्किल में, के वार्ड/वार्डों से प्रत्येक से एक पंच का निर्वाचन सार्वजनिक नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर करने की अपेक्षा करेगा। पूर्वोक्त नियमों के नियम 56 में उपबंधित है कि नियम 23 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट किसी साधारण निर्वाचन के प्रत्येक अवसर पर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) के अधीन पंचायत के सरपंच का निर्वाचन उसके पंचों के निर्वाचन के साथ-साथ कराया जायेगा।

इसी तरह नियम 58 में प्रावधान है कि जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), आयोग द्वारा अवधारित समय अनुसूची के अनुसार अधिसूचना द्वारा जिले में पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों और जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक से एक सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा करेगा।

अत: आगामी पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित कार्यक्रम की घोषणा हो जाने पर आपके द्वारा उपरोक्त नियमों के अनुसार सार्वजनिक नोटिस एवम् अधिसूचना जारी की जावेगी। नियमों में न तो सार्वजनिक नोटिस व अधिसूचना का कोई प्ररूप विहित किया हुआ है और न यह बताया गया है कि इनके जारी करने की प्रक्रिया क्या होगी। इस कठिनाई के निराकरण हेतु नियम 91-क के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण करते हुए आयोग ने नियम-23 के साथ-साथ नियम 56 के अधीन जारी होने वाली निर्वाचन की सूचना का सार्वजनिक नोटिस का मॉडल फार्म और नियम 58 के अधीन जारी होने वाली निर्वाचन की सूचना यानि अधिसूचना का मॉडल फार्म तैयार किये हैं जो कि संलग्न कर भेजे जा रहे हैं। इन मॉडल फार्मों को मुद्रित नहीं कराया गया है। क्योंकि इन फार्मों की प्रत्येक प्रति को भरकर तैयार करने में बहुत समय लगेगा। अत: निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी होते ही आप निर्वाचन के प्रथम, द्वितीय, या तृतीय चरण, यथा-स्थिति अनुसार, निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर इन फार्मों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कराकर स्टेन्सिल कटवा लें और स्टेन्सिल पर हस्ताक्षर करके आवश्यकतानुसार प्रतियां साईक्लोस्टाइल करालें। वैधानिक अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु नियम 23 व 56 के अधीन प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए जारी होने वाली निर्वाचन की सूचना की एक-एक प्रति और इसी प्रकार जिला परिषद और पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नियम 58 के अधीन जारी होने वाली प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित निर्वाचन की सूचना की एक-एक प्रति पर अपने हस्तलिखित हस्ताक्षर कर के कार्यालय अभिलेख में अवश्य रख लें।

यह उल्लेखनीय है कि रिटर्निंग अधिकारियों में सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियमों के प्रावधानों के अनुसार सम्मिलित हैं। उक्त निर्वाचन के लिए नियुक्त किये गये सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के मुख्यालय रिटर्निंग अधिकारी के मुख्यालय से भिन्न भी होंगे लेकिन जहां प्रश्न नाम निर्देशन-पत्र में की प्राप्ति, उनकी संवीक्षा, नाम वापसी एवं चुनाव चिह्न आवंटन का है, यह कार्य एक ही मुख्यालय पर होना चाहिए। अत: ऐसी स्थिति में रिटर्निंग अधिकारी एवं उसके मुख्यालय पर कार्यरत सहायक रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा ही उक्त कार्य सम्पन्न होना चाहिए। संवीक्षा के समय भी सहायक रिटर्निंग अधिकारी सहयोग करेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय रिटर्निंग अधिकारी का ही होगा। अगर रिटर्निंग अधिकारी का कार्यभार अधिक है और आवश्यकता समझी जावे तो उन सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को जिनका कि वर्तमान पद स्थापन रिटर्निंग अधिकारी के मुख्यालय से बाहर है तो उनको भी नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, जांच, नाम-वापसी एवं चुनाव चिह्न आवंटन के समय रिटर्निंग अधिकारी के मुख्यालय पर ही उपलब्ध कर लिया जाय, लेकिन जहां तक संभव हो नाम निर्देशन पत्र की प्राप्ति आदि का कार्य एक मुख्यालय से अधिक पर नहीं रखा जावे। अत: उक्त दृष्टिकोण रखते हुये ही आप नामनिर्देशन पत्रों की प्राप्ति, संवीक्षा के लिए नियुक्त स्थान की पूर्ति अधिसूचना में करें। पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन हेतु नामनिर्देशन-पत्र प्राप्ति का स्थान यथा-संभव पंचायत समिति मुख्यालय पर ही रखा जावे।

निर्वाचन की इन सूचनाओं यानि सार्वजनिक नोटिसों और अधिसूचनाओं का राजपत्र में प्रकाशन नहीं कराना है। इनकी प्रतियां निम्नांकित स्थानों पर निश्चित तारीख पर चस्पा कराये जाने की सुनिश्चित व्यवस्था करनी है:-

(1) कलेक्टर कार्यालय के सूचना-पट पर
(2) जिला परिषद के सूचना-पट पर
(3) पंचायत समिति के सूचना-पट पर
(4) पंचायत के सूचना पट्ट पर
(5) पंचायत के प्रत्येक वार्ड में एक या दो सहज-दृश्य स्थान पर
(6) अन्य स्थान जहां आप उचित समझें।

निर्वाचन की सूचना में वह स्थान जहां नामनिर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जावेंगे, स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए और इस तथ्य की जानकारी सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को भी करा दी जावे। निर्वाचन की सूचनाओं का व्यापक प्रचार स्थानीय समाचार पत्र, आदि के माध्यम से भी कराया जावे।

संलग्न:-2

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ. 6 (1) (5) पंचा/रानिआ/94/1144 जयपुर, दिनांक : 20.12.94

प्रतिलिपि रिटर्निंग अधिकारी, जिला परिषद सदस्य चुनाव/पंचायत समिति सदस्य चुनाव .... जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर), जिला .... को दोनों निर्वाचन की सूचनाओं के प्रारूपों की एक एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-2

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

<u>निर्वाचन की सूचना</u>

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23 एवं 56 के अंतर्गत एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि :–

(1) यतः राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अनुसार पंचायत समिति .... के पंचायत सर्किल .... में पंचों का साधारण निर्वाचन कराया जाना आवश्यक हो गया है,

(2) अतः राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पूर्वोक्त पंचायत सर्किल के समस्त मतदाताओं से, इस सूचना में निम्नांकित रूप से अवधारित समय अनुसूची के अनुसार अपने–अपने वार्डों से प्रत्येक से एक पंच का निर्वाचन और इसके साथ साथ पंचायत के सरपंच का निर्वाचन करने की अपेक्षा की जाती है,

(3) नामनिर्देशन–पत्र रिटर्निंग अधिकारी को अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिशः दिनांक .... 20 को 8 बजे पूर्वाह्न से 11.00 बजे पूर्वाह्न के मध्य पंचायत केन्द्र .... (नाम) पर परिदत्त किए जा सकेंगे,

(4) नामनिर्देशन–पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान और समयों पर अभिप्राप्त किए जा सकेंगे,

(5) नामनिर्देशन–पत्र संवीक्षा के लिए पूर्वोक्त तारीख और स्थान पर 11.30 बजे पूर्वाह्न लिए जाऐंगे,

(6) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिशः रिटर्निंग अधिकारी की पूर्वोक्त तारीख और स्थान पर 3.00 बजे अपराह्न से पूर्व परिदत्त की जा सकेगी,

(7) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में तारीख .... 20 को 8.00 बजे पूर्वाह्न और 5.00 बजे सांय के मध्य पंचायत मुख्यालय और .... (पंचायत मुख्यालय से भिन्न यदि कोई स्थान रखा गया हो तो उसका नाम) पर निश्चित मतदान बूथों पर मतदान होगा।

(8) पूर्वोक्त पंचायत सर्किल के पंचों की सीटों एवं सरपंच के पद की आरक्षण की स्थिति संलग्न स्टेटमेंट में वर्णित है।

स्थान ....
तारीख ....

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
(कलक्टर) ....

निर्वाचन की सूचना

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 58 के अंतर्गत एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि :–

(1) जिला .... में पंचायत समिति .... के समस्त निर्वाचन क्षेत्रों और जिला परिषद .... के उन निर्वाचन क्षेत्रों, जो पूर्वोक्त पंचायत समिति के क्षेत्र में समाविष्ट हैं, के मतदाताओं से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अवधारित निम्नांकित समय अनुसूची के अनुसार, यथास्थिति, पंचायत समिति के समस्त निर्वाचन क्षेत्रों और जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक से एक सदस्य का निर्वाचन करने की अपेक्षा की जाती है ,

(2) नामनिर्देशन–पत्र

(क) पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए तदर्थ नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी (...................) को .... (स्थान का नाम) या सहायक रिटर्निंग अधिकारी (...................................) को .... (स्थान का नाम) पर दिनांक .... के अपश्चात् किसी भी कार्य दिवस को 11.00 बजे पूर्वाह्न और 3.00 बजे अपराह्न के मध्य अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिशः परिदत्त किए जा सकेंगे, और

(ख) जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए तदर्थ नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी (..........................) को .... (स्थान का नाम) या सहायक रिटर्निंग अधिकारी (...................................) को .... (स्थान का नाम) पर दिनांक .... के अपश्चात् किसी भी कार्य दिवस को 11.00 बजे पूर्वाह्न और 3.00 बजे अपराह्न के मध्य अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिशः परिदत्त किए जा सकेंगे, और

(3) नामनिर्देशन–पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान और समयों पर अभिप्राप्त किए जा सकेंगे,

(4) नामनिर्देशन–पत्र संवीक्षा के लिए, यथास्थिति, पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित तदर्थ नियुक्त पूर्वोक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा .... (स्थान का नाम) पर और जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित तदर्थ नियुक्त पूर्वोक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा .... (स्थान का नाम) पर दिनांक ....20 को .... बजे लिए जाऐंगे,

(5) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना, यथास्थिति, पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित अभ्यर्थी द्वारा तदर्थ नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी को .... (स्थान का नाम) पर और जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित अभ्यर्थी द्वारा तदर्थ नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी को .... (स्थान का नाम) पर दिनांक ....20 को 3.00 बजे अपराह्न से पूर्व परिदत्त की जा सकेगी,

(6) यदि आवश्यक हुआ (यानि निर्वाचन लड़े जाने की दशा में) तो दिनांक .... 20 को 8.00 बजे पूर्वाह्न और 5.00 बजे सांय के मध्य प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट पंचायत या पंचायतों के मुख्यालयों और .... (पंचायत मुख्यालय से भिन्न यदि कोई स्थान रखे गये हों तो उनके नाम) पर निश्चित मतदान बूथों पर मतदान होगा,

(7) मतों की गणना दिनांक .... 20 को .... बजे पूर्वाह्न से .... (स्थान का नाम) पर की जाएगी।

(8) सीटों के आरक्षण की स्थिति संलग्न स्टेटमेंट में वर्णित है।

स्थान ....
तारीख ....

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
(कलक्टर) ....

(55)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.4(1)(5)नपा/रानिआ/94/6165 जयपुर, दिनांकः 11.12.09

–:: आदेश ::–

सां.आ. 54/09:–राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 के द्वितीय परंतुक में यह प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी उस रीति से डाक द्वारा मत देने के हकदार होंगे जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जावे। नियम 35 के स्पष्टीकरण के अनुसार ''निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाता'' से कोई मतदान अभिकर्ता, कोई मतदान अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी या अन्य लोक सेवक, जो किसी पंचायती राज संस्था में मतदाता है और उसके निर्वाचन ड्यूटी पर होने के कारण मतदान केन्द्र, जहां वह मत देने का हकदार है, पर मतदान करने में असमर्थ है, अभिप्रेत है।

अतः उक्त नियम 35 के द्वितीय परन्तुक के प्रावधानों के अनुसरण में पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद् सदस्यों के निर्वाचन में निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी के लिए डाक मत देने की रीति राज्य निर्वाचन आयोग निम्न प्रकार विनिर्दिष्ट करता है –

1. **निर्वाचक द्वारा सूचनाः**– (1) कोई भी निर्वाचक, जो निर्वाचन ड्यूटी पर है नियम 58 के अधीन मतदान के लिये नियत तारीख से कम से कम 5 दिन या ऐसी अल्पतर अवधि जिसकी रिटर्निंग अधिकारी अनुमति देवे, पूर्व किसी भी दिवस को डाक मतपत्र द्वारा मत देने के अपने आशय की एक लिखित सूचना, संलग्न प्ररूप–1 में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को दे सकेगा।

   (2) पूर्वोक्त प्ररूप–1 में ऐसी प्रत्येक सूचना में, निर्वाचक का नाम, उसका पता तथा पंचायत समिति का नाम, जिला परिषद/पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या, पंचायत का नाम, वार्ड संख्या, निर्वाचक की क्रम संख्या और उसके मतदान ड्यूटी की विशिष्टियॉं विनिर्दिष्ट की जायेगी।

   (3) प्ररूप–1 में सूचना निर्वाचक द्वारा जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के सम्बन्ध में पृथक–पृथक रिटर्निंग अधिकारी को पृथक–पृथक प्रेषित की जायेगी। यदि रिटर्निंग अधिकारी को समाधान हो जाये कि वह व्यक्ति जिसने पूर्वोक्त उपखण्ड (1) के अधीन सूचना दी है, निर्वाचन ड्यूटी पर है तथा वह निर्वाचन में मत देने का हकदार है तो वह ऐसे व्यक्ति का मत डाक–पत्र द्वारा प्राप्त करने का प्रबन्ध करेगा।

2. **डाक मतपत्र का प्ररूप :**– निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाता के लिये डाक मतपत्र उसी रूपांकन का होगा जैसा मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त होने वाले नियम 29 के अधीन आयोग द्वारा विहित साधारण मतपत्र का होता है, सिवाय इस बात के कि मतपत्र के पृष्ठ भाग पर शब्द 'डाक मतपत्र' मुद्रांकित किया जायेगा। यानि डाक मतपत्र के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के लिये मुद्रित हुये कुल मतपत्रों में से अपेक्षित संख्या के अतिरिक्त मुद्रित अन्तिम क्रम संख्या वाले मतपत्रों को काम में लिया जावेगा और उनके पृष्ठ भाग पर रबड मुद्रा से 'डाक मतपत्र' मुद्रांकित कर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भी किया जावेगा।

3. **डाक मतपत्रों का जारी किया जानाः**–(1) रिटर्निंग अधिकारी, मत देने के हकदार ऐसे प्रत्येक मतदाता को, यथा साध्य शीघ्रता से डाक मतपत्र भेजने या उसे ऐसे मतदाता को स्वयं को परिदत्त करवाने हेतु कार्यवाही करेगा।

   (2) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा डाक मतपत्र भेजने से पूर्व संलग्न प्ररूप–2 में एक रजिस्टर में निर्वाचक की मतदाता सूची की प्रविष्टियों का विवरण यथा पंचायत समिति का नाम, पंचायत समिति या यथा स्थिति, जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या, पंचायत का नाम, वार्ड संख्या एवं उस मतदाता की क्रम संख्या अभिलिखित की जायेगी और मतदाता को जारी किये गये मतपत्र

का क्रमांक व निर्वाचन क्षेत्र संख्या भी रजिस्टर में अंकित किया जायेगा। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में सम्बन्धित मतदाता के नाम के सामने शब्द 'डाक मतपत्र' यह उपदर्शित करने के लिये अंकित किया जाये कि उस मतदाता को डाक मतपत्र जारी कर दिया गया है किन्तु मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में उस मतदाता को जारी किए गए मतपत्र की क्रम संख्या अभिलिखित नहीं की जायेगी।

(3) जारी किये गये डाक मतपत्रों के क्रम संख्यांक के विवरण वाले रजिस्टर को रिटर्निंग अधिकारी अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(4) रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचक को मतपत्र के साथ–साथ निम्नलिखित भी भेजेगा :–

(क) निर्वाचक द्वारा घोषणा, संलग्न प्ररूप–3 के अनुसार,

(ख) छोटा लिफाफा – 'क', संलग्न प्ररूप–4 के अनुसार,

(ग) बडा लिफाफा – 'ख', संलग्न प्ररूप–5 के अनुसार, जिस पर रिटर्निंग अधिकारी का पता लिखा हो, तथा

(घ) निर्वाचकों के मार्ग दर्शन के लिये अनुदेश, संलग्न प्ररूप–6 के अनुसार।

(5) प्रत्येक अधिकारी, जिसकी देखरेख में या जिसकी मार्फत कोई डाक मतपत्र भेजा जाये, यह सुनिश्चित करेगा कि वह प्रेषिती को अविलम्ब व्यक्तिशः परिदत्त कर दिया गया है।

(6) यदि रिटर्निंग अधिकारी मतपत्र को डाक द्वारा प्रेषित करता है तो उक्त उप पैरा (4) में वर्णित मतपत्र व कागजात को एक बडे लिफाफे में रख कर समुचित डाक टिकिट के साथ प्रेषित करेगा।

(7) लिफाफा 'ख' पर भी समुचित डाक टिकट रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लगाये जायेगें।

(8) अगर ऐसे किसी मतदाता, जिसे डाक मतपत्र जारी किया जा चुका है, की निर्वाचन ड्यूटी निरस्त कर दी जाती है, तब भी वह मतदाता डाक मतपत्र से ही मतदान करेगा, अपने निर्धारित केन्द्र में व्यक्तिशः मतदान नहीं कर सकेगा।

(9) रिटर्निंग अधिकारी यथा संभव प्रशिक्षण सत्र में ही डाक मतपत्र निर्वाचक को व्यक्तिशः परिदत्त करेगा।

(10) डाक मतपत्र द्वारा मत देने के हकदार ऐसे समस्त निर्वाचकों को मतपत्र जारी कर दिये जाने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी मतपत्रों के जारी करने के सम्बन्ध में उपयोग में लाये गये मतपत्रों के क्रम संख्यांक के ब्यौरे अंकित किये हुये प्ररूप–2 के रजिस्टर को एक पैकेट में मुहरबंद कर देगा, जिस पर उसकी विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण, जिला परिषद या यथा स्थिति, पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक और वह तारीख जिस दिन वह इसे मुहरबंद करें, अभिलिखित करेगा। उक्त मुहरबंद पैकेट को वह अन्य मुहरबंद निर्वाचन अभिलेख के साथ सुरक्षित अभिरक्षा में रखवा देगा।

4. **डाक मतपत्र पर मत का अभिलेखनः–** कोई निर्वाचक, जिसे डाक मतपत्र प्राप्त हो गया है और जो मत देना चाहता है, संलग्न प्ररूप–6 में 'निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिये अनुदेश' में विहित अनुदेशों के अनुसार मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात् उसे 'छोटा लिफाफा–क' में सुरक्षित रखकर बन्द कर देगा। उक्त छोटे लिफाफे के साथ 'निर्वाचक द्वारा घोषणा', जिस पर निर्वाचक के हस्ताक्षर किसी राजपत्रित अधिकारी या मतदान अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी, द्वारा अनुप्रमाणित हो, को बडे लिफाफा 'ख' में बन्द करके रिटर्निंग अधिकारी को भेजेगा।

5. **डाक मतपत्र लौटानाः–** (1) डाक मत पत्रों को निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाता रिटर्निंग अधिकारी को डाक से अथवा अन्य रीति से प्रेषित कर सकेगा ताकि वह रिटर्निंग अधिकारी के पास मतगणना प्रारंभ करने के लिए नियत समय से पहले पहुंच जाये।

(2) किन्तु डाक मत पत्रों को रिटर्निंग अधिकारी को परिदत्त करने की व्यवस्था को सुगम बनाने की दृष्टि से रिटर्निंग अधिकारी को चाहिये कि वह अपने कार्यालय में तथा मतदान दलों की रवानगी स्थल तथा मतदान दलों की वापसी पर मतदान सामग्री संग्रहण स्थल पर एक सील्ड

बॉक्स प्रत्येक पंचायत समिति एवं जिला परिषद के लिए अलग–अलग पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखें जहां निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाता डाक मतपत्र को लिफाफे में बंद कर उक्त सील्ड बॉक्स में डाल सकें। इस प्रकार रखे गये बॉक्स को प्रतिदिन सायंकाल रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा खोला जाकर प्राप्त डाक मतपत्रों को इस हेतु रखे गये रजिस्टर, जिसका प्ररूप–7 संलग्न हैं, में दर्ज किया जायेगा और मतों की गणना तक उन्हे सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा।

6. **डाक मतपत्रों का पुनः जारी किया जानाः–** (1) भेजे गए डाक–मतपत्र और अन्य कागजपत्र यदि किसी कारणवश अपरिदत्त लौटा दिए गए हों तब रिटर्निंग अधिकारी अपने से प्रार्थना किए जाने पर उन्हें डाक प्रेषण प्रमाण पत्र के अधीन डाक द्वारा फिर उन्हें भेज सकेगा या स्वयं निर्वाचक को उन्हें परिदत्त कर सकेगा या परिदत्त करा सकेगा।

(2) यदि किसी निर्वाचक ने अनवधानता से डाक मतपत्र या अन्य कागजपत्रों में से किसी को ऐसी रीति से बरता है कि वे सुविधानुसार उपयोग में नहीं ला सकते तो कागजपत्रों का एक दूसरा सैट खराब हुए कागजपत्रों को निर्वाचक द्वारा लौटाए जाने और रिटर्निंग अधिकारी का समाधान अनवधानता के बारे में किए जाने पर उसे जारी कर दिया जाएगा।

(3) रिटर्निंग अधिकारी ऐसे लौटाए गए खराब कागजपत्रों को रद्द करेगा और निर्वाचन की विशिष्टियों और रद्द किए गए मतपत्रों के कम संख्यांकों को उस पर टिप्पण कर उन्हें पृथक पैकेट में रखेगा।

7. **डाक द्वारा प्राप्त मतों की गणनाः–** (1) मतगणना में वे ही डाक मतपत्र शामिल किये जावेगे जो मतगणना प्रारम्भ करने के लिये निश्चित समय तक रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो जावेगे।

(2) मतगणना प्रारम्भ करने के निमित्त नियत समय के अवसान के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त प्ररूप–5 के लिफाफे (लिफाफा–ख)को खोला नहीं जायेगा और ऐसे किसी लिफाफे में अन्तर्विष्ट किसी मत की गणना नहीं की जायेगी।

(3) उपरोक्त उप पैरा (1) में मतगणना प्रारम्भ करने के लिये नियत समय तक प्राप्त सभी लिफाफों, (लिफाफा–ख) को एक–एक करके खोला जायेगा और जैसे ही हर एक लिफाफे को खोला जाए, रिटर्निंग अधिकारी प्रथमतः उसमें अन्तर्विष्ट प्ररूप में की गई घोषणा की संवीक्षा करेगा।

(4) यदि उक्त घोषणा नहीं पायी जाती है या उसे सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित नहीं किया गया है अन्यथा सारतः त्रुटिपूर्ण है या यदि उसमें यथा प्रविष्ट मतपत्र का क्रम संख्यांक . प्ररूप–4 के लिफाफे(लिफाफा–क) पर पृष्ठांकित कम संख्यांक से भिन्न है तो उस लिफाफे (लिफाफा–क)को खोला नहीं जायेगा और उस पर समुचित पृष्ठांकन करने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी उसमें अन्तर्विष्ट मतपत्र को प्रतिपेक्षित (नामंजूर) कर देगा।

(5) ऐसे पृष्ठांकित हर एक लिफाफे (लिफाफा–क) और उसके साथ प्राप्त प्ररूप–3 में निर्वाचक की घोषणा को पुनः लिफाफे–ख में रखा जाएगा और ऐसे सभी लिफाफे एक पृथक पैकेट में रखे जायेंगे जिन्हें मुद्राबन्द किया जायेगा और जिस पर पंचायत समिति या यथास्थिति जिला परिषद का नाम एवं इसके निर्वाचन क्षेत्र की कम संख्या, गणना की तारीख और उसकी अन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित किया जायेगा।

(6) रिटर्निंग अधिकारी तत्पश्चात् प्ररूप–3 में की गयी उन सभी घोषणाओं को, जो उसने सही पायी हैं, पृथक पैकेट में रखेगा जिसे प्ररूप–4 के किसी लिफाफे को (लिफाफा–क)खोलने के पहले मुद्राबन्द किया जायेगा और जिस पर उपरोक्त उप पैरा–5 में निर्दिष्ट विशिष्टियां अभिलिखित की जाएगी।

(7) प्ररूप–4 में उन लिफाफों को, (लिफाफा–क) जिनके मामले में उपरोक्त उप पैरा–6 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है तब एक–एक करके खोला जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी हर एक मतपत्र की संवीक्षा करेगा और उस पर अभिलिखित मत की विधिमान्यता का विनिश्चय करेगा।

(8) उपरोक्त उप पैरा–7 के अन्तर्गत संवीक्षा में डाक मतपत्र को प्रतिपेक्षित कर दिया जाएगा–

(क) यदि उस पर कोई चिन्ह (मत को अभिलिखित करने के लिये चिन्ह से भिन्न) या लेख है जिससे निर्वाचक की पहचान हो; या
(ख) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं है; या
(ग) यदि उस पर मत एक से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में दिए गए हैं;
(घ) यदि वह बनावटी मतपत्र है; या
(ङ) यदि वह ऐसे रूप में क्षत या विकृत है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है; या
(च) यदि उसे उस लिफाफे में रखकर नहीं लौटाया गया है जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचक को उसके साथ भेजा गया था।
(छ) यदि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह मतपत्र पर ऐसी रीति से लगा है कि वह बात सन्देहपूर्ण हो जाती है कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है।

(9)कोई डाक मतपत्र इस कारण नामंजूर नहीं किया जायेगा कि उस पर अभिलिखित करने वाला चिन्ह निर्धारित उपकरण से अन्यथा लगाया गया है। किसी भी अभ्यर्थी के लिये मतपत्र में निर्दिष्ट स्थान में, जिसे मतदाता अपना मत अभिलिखित करना चाहता है, बालपैन या स्याही से ''x'' या ''√'' का अंकन पर्याप्त होगा।

(10)डाक मतपत्र पर अभिलिखित मत को केवल इस आधार पर कि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है, प्रतिपेक्षित नहीं किया जाएगा यदि यह आशय कि मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए है, मतपत्र चिन्हित किए जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है।

(11)रिटर्निंग अधिकारी उन सभी विधिमान्य मतों की, जो डाक मतपत्र द्वारा हर एक अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए हैं, गणना करेगा और इस प्रकार गणना करके अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये कुल विधि मान्य मतों में जोडकरं परिणाम पत्र में अभिलिखित करेगा और उन्हें सुनायेगा।

(12)तदुपरांत सभी विधिमान्य मतपत्रों और सभी प्रतिपेक्षित मतपत्रों के पृथक–पृथक बंडल बनाए जाएंगे और उन्हें एक साथ एक पैकेट में रखा जाएगा जिसे रिटर्निंग ऑफिसर की और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं या गणन अभिकर्तात्ताओं की, जो इस पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्राओं से मुद्रांकित किया जाएगा। ऐसे मुद्राबंद पैकेटों पर पंचायत समिति या यथास्थिति, जिला परिषद का नाम एवं सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, गणना की तारीख और उनकी अन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित किया जाएगा।

आज्ञा से,
ह0
(आर. के जैन)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

कमांकः एफ.4(1)(5)नपा/रानिआ/94/6166 जयपुर, दिनांकः 11.12.09

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. समस्त सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी,(पंचायत) (कलेक्टर) ––––––––––––––––––––––––––––।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी जिला परिषद/पंचायत समिति ....

ह0
(आर. के पारीक)
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग।
राजस्थान, जयपुर।

प्ररूप–1

डाक मतपत्र हेतु
रिटर्निग अधिकारी को आवेदन–पत्र

प्रेषितिः

रिटर्निग ऑफीसर
पंचायत समिति/जिला परिषद(x)...(नाम)
सदस्य निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक..............................

महोदय,

मैं...पंचायत समिति/जिला परिषद(x) ....के सदस्य के लिये निर्वाचन क्षेत्र संख्या ....के होने वाले निर्वाचन में अपना मत डाक द्वारा देना चाहता हूँ।

मेरा नाम पंचायत समिति....................................व जिला परिषद.. के सदस्य निर्वाचन क्षेत्र सं....................................में समाविष्ठ ग्राम पंचायत...के वार्ड सं... ....की निर्वाचक नामावली के क्रम संख्या.............................पर प्रविष्ठ है।

मुझे मत पत्र इस पते पर भेजा जावे।

पताः–
....
....
....

भवदीय

....

स्थान.................................
दिनांक..............................

नोट– जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचक हेतु डाक मत पत्र प्राप्त करने के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावे।

x जो लागू ना हो उसे काट दीजिये।

प्ररूप–2

जिला परिषद / पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन में डाक मतपत्र जारी करने का रजिस्टर

जिला परिषद / पंचायत समिति[x]..

क0 स0	मतदाता का नाम एवं मतदान ड्यूटी का विवरण	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	मतदाता की क्रम संख्या	निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक	जारी किये गये मतपत्र का क्रमांक	जारी करने की दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

x जो लागू ना हो उसे काट दीजिये।

प्ररूप–3

निर्वाचक द्वारा घोषणा

.... पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र .... के लिये निर्वाचन

मैं, इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वहीं निर्वाचक हूँ जिसे उपर्युक्त निर्वाचन के लिये कम संख्या .... वाला डाक मतपत्र जारी किया गया है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर
पता

तारीख

हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन

उपर्युक्त पर श्री .... (निर्वाचक) द्वारा, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ/जिनकी पहचान श्री .... (पहचान कर्ता) ने की है, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ मेरे समाधान पर्यन्त मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये हैं।

पहचानकर्ता, यदि कोई हो, के हस्ताक्षर

पता

अनुप्रमाणित करने वाले (राजपत्रित अधिकारी/मतदान अधिकारी/रिटर्निग अधिकारी)अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम
पता

तारीख

प्ररूप–4

छोटा लिफाफा – क

(मतगणना से पूर्व नहीं खोला जाना है)

....*पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र सं. .... के लिये निर्वाचन

डाक मतपत्र

मतपत्र की कम संख्याक....................

---

*जो लागू ना हो उसे काट देवें।

प्ररूप–5

बडा लिफाफा – ख

मतगणना से पूर्व नहीं खोला जाना है

निर्वाचन/अविलम्ब
डाक मतपत्र

(.............................. (*)पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र सं................. के लिये निर्वाचन)

प्रेषितिः–
रिटर्निग अधिकारी
....
....
(पूरा पता लिखें)

---

*जो लागू ना हो उसे काट देवें।

.... पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र सं............................. के लिये निर्वाचन[x]

निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिये अनुदेश

इसके साथ भेजे गये मतपत्र पर जिन व्यक्तियों के नाम छपे हैं वे उक्त निर्वाचन में उम्मीदवार हैं। यदि आप मत देना चाहते हैं तो आपको अपना मत नीचे भाग 1 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अभिलिखित करना चाहिये तथा इसके बाद भाग–2 में विस्तृत रूप से दिये गये अनुदेशों का अनुसरण करना चाहिये।

भाग–1

(क) पंचायत समिति एवं जिला परिषद से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मामले में एक है अतः पंचायत समिति या यथा स्थिति जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र के लिये आपको केवल एक मत देना है।

(ख) आपको एक से अधिक उम्मीदवारों को मत नहीं देना चाहिये। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका मत–पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(ग) अपना मत, उस उम्मीदवार के नाम के सामने जिसे आप मत देना चाहते हैं ''X'' अथवा ''√'' का स्पष्ट चिन्ह लगाकर अभिलिखित करें। यदि चिन्ह इस प्रकार लगाया गया है जिससे यह शंका हो गयी कि किसी अभ्यर्थी को आपने मत दिया है तो आपका मत अविधिमान्य हो जायेगा।

(घ) चिन्ह इस प्रकार लगाया जाय जिससे स्पष्ट रूप से तथा निःसन्देह यह पता चल जाये कि आपने किस उम्मीदवार को मत दिया है। यदि आपने चिन्ह इस प्रकार लगाया है जिससे यह बात संदिग्ध हो जाय कि आपने किस उम्मीदवार को मत दिया है, तो वह मत अविधिमान्य हो जायेगा।

(ड.) आपका मत गुप्त है। आपको मत–पत्र पर अपने हस्ताक्षर नहीं करने चाहिये या इस पर अन्य ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं लगाना चाहिये जो आपकी पहचान को प्रकट करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मत–पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

भाग–II

(क) मत–पत्र पर, अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात्, इस मत–पत्र को इसके साथ साथ भेजे गये एक छोटे लिफाफे में जिस पर ''**क**' अंकित है, रख दीजिये। लिफाफे को बन्द कर दें तथा इस पर मुहर लगाकर या अन्यथा सुरक्षित कर लें।

(ख) इसके पश्चात्, आपको इसके साथ भेजे प्ररूप में एक घोषणा पर भी किसी ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हैं जो आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करने के लिये सक्षम हैं। ऐसा अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी या मतदान दल का मतदान अधिकारी या रिटर्निग अधिकारी अधिकारी होना चाहियैं। इस घोषणा को ऐसे किसी भी अधिकारी के पास ले जायें तथा आपकी

पहचान के बारे में उसका समाधान हो जाने के पश्चात उसके समक्ष इस पर हस्ताक्षर करें। वह अधिकारी आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करेगा तथा आपको घोषणा वापिस कर देगा। आपको अपना मत–पत्र अनुप्रमाणित करने वाले अधिकारी को नहीं दिखाना चाहिये और न ही उससे यह कहें कि आपने किस प्रकार का मत दिया है।

(ग) मद (ख) अनुसार आपकी घोषणा पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् तथा आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित हो जाने के पश्चात् प्ररूप में की गई घोषणा तथा छोटे लिफाफे को, जिस पर 'क' अंकित है, तथा जिसमें मतपत्र रखे गये हैं, एक बडे लिफाफे में, जिस पर 'ख' अंकित है, रख दीजिये। बडे लिफाफे को बन्द करने के पश्चात् इसे रजिस्ट्रीकृत डाक या किसी संदेशवाहक द्वारा, रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेज दीजिये।

(घ) आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि यह लिफाफा रिटर्निंग ऑफिसर के पास .... (तारीख) को .... बजे से पूर्व पहुॅच जाये

(ड.) कृपया नोट करें कि –

(1) यदि आप अपनी घोषणा को उपदर्शित रीति से अनुप्रमाणित करवाने में असफल रहते हैं तो आपका मत–पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा,
और

(2) यदि आपका लिफाफा रिटर्निंग ऑफिसर के पास .... (तारीख) को .... बजे के पश्चात् पहुॅचता है तो आपके मत की गणना नहीं की जायेगी।

(X)निर्वाचन की समुचित विशिष्टियां अंकित करें।

प्ररूप–7

डाक मतपत्र प्राप्ति का रजिस्टर

* पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन हेतु

क्र.सं.	प्राप्ति का दिनांक	प्राप्त डाक मतपत्र		विशेष विवरण
		निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक	मतपत्रों की संख्या	
1	2	3	4	5

*जो लागू ना हो उसे काट देवें।

(56)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 9420 जयपुर, दिनांकः 15.12.14

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर पंचायत)।

विषयः– सरपंच चुनाव हेतु उम्मीदवारी वापिस लेने पर जमानत राशि लौटाने के संबंध में।

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पंचायत सर्किल के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सरपंच चुनाव के उम्मीदवार से नाम निर्देशन पत्र के साथ ली जाने वाली जमानत राशि का प्रावधान राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 56 (3) के अंतर्गत दिया हुआ है।

यदि सरपंच के उम्मीदवार द्वारा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली गई हो तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उम्मीदवार को जमानत राशि तुरन्त लौटा दी जावे।

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राज., जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुरः 302005

क्रमांकः एफ 7(1)(8)पंचा/रानिआ/09/5733 दिनांकः—26.11.2009

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

प्रेषिति,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर)

विषयः— पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव 2010—पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए सामान्य निरर्हताओं के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों द्वारा घोषणा बाबत्।

सन्दर्भः— राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र

(1) क्रमांक एफ 7 (1)(18)पंचा/रानिआ/678 दिनांक 27.9.1997
(2) क्रमांक एफ 4 (1)(3)पंचा/रानिआ/94/679 दिनांक 27.9.1997
(3) क्रमांक एफ 7 (2)(6)पंचा/रानिआ/98/386 दिनांक 31.7.1998
(4) क्रमांक एफ 7 (2)(6)पीए/एसईसी/94/500 दिनांक 18.8.1998
(5) क्रमांक एफ 7 (1)(8)पंचा/रानिआ/94/721 दिनांक 7.10.1997
(6) क्रमांक एफ 7 (1)(18)पंचा/रानिआ/338 दिनांक 23.3.1999
(7) **क्रमांक एफ 7 (1)(18)पंचा/रानिआ/04/5341 दिनांक 26.11.2004**

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग के प्रांसगिक पत्रों के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 19 के सपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्णित पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों/पंचों के निर्वाचन के लिए अपात्रता के परीक्षण के प्रयोजनार्थ अभ्यर्थियों से दो प्रकार के घोषणा—पत्र (सन्तानों तथा दोषसिद्धि व लम्बित गम्भीर आपराधिक प्रकरणों के सम्बन्ध में) प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसके लिए प्ररूप भी निर्धारित किये गये थे। आयोग के सन्दर्भित परिपत्रों में यह भी बताया गया था कि यदि अभ्यर्थी उक्त निर्धारित प्ररूप में घोषणा—पत्र नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं करें तो रिटर्निग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को मीमो दिया जाकर अपेक्षा की जाएगी की वह नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त घोषणा प्रस्तुत कर देवे और मीमो दिये जाने के बावजूद भी अभ्यर्थी यदि घोषणा—पत्र प्रस्तुत नहीं करे तो नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार किया जा सकेगा।

अब अधिसूचना दिनांक 21.11.09 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 25(1) एवं 58(6) में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार अब नाम निर्देशन पत्र के साथ ही प्ररूप 4—घ की भी पूर्ति कर प्रस्तुत करना आवश्यक है। उक्त अधिसूचना में किये गये संशोधन के द्वारा प्ररूप 4—घ भी विहीत किया गया है, जिसमें अभ्यर्थी की दोषसिद्धि, उसकी सन्तानों एवम् उसके विरूद्ध लम्बित आपराधिक प्रकरणों की सूचना भी घोषणा के रूप में दी जायेगी। चूंकि आयोग द्वारा सन्दर्भित पत्रों से अभ्यर्थी की पात्रता परीक्षण हेतु जो प्ररूप निर्धारित किये थे उसकी अपेक्षा के अनुसार सूचना अब नवीन प्ररूप अर्थात प्ररूप 4—घ में नाम निर्देशन पत्र के साथ ही और नाम निर्देशन के भाग के रूप में ही प्रस्तुत की जावेगी अतः सन्तानों, दोषसिद्धि व लम्बित गम्भीर आपराधिक प्रकरणों के सम्बन्ध में आयोग द्वारा पूर्व में सन्दर्भित पत्रों से निर्धारित प्ररूप में सूचना और उसके लिए दिये जाने वाले मीमो की आवश्यकता अब नही रही है। अतः सन्दर्भित पत्रों को तदनुसार विलोपित/संशोधित माना जावे।

यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना दिनांक 7.2.2004 (दिनांक 26.4.2004 से यथा संशोधित) द्वारा विहीत किये गये उपाबन्ध I, या यथास्थिति उपाबन्ध II नाम निर्देशन पत्र के साथ आयोग की अधिसूचना के अनुसार पूर्ववत लिये जायेगें जो नाम निर्देशन पत्र के भाग के रूप में ही माने जाएगें। इस सम्बन्ध में उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 26.11.2004 तथा आयोग की अधिसूचना दिनांक 7.2.2004 में दिये गये निर्देश यथावत रहेगें।

कृपया संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों एवम् अन्य संबंधित को भी अवगत करावें।

भवदीय,

(आर.के. जैन)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांकः एफ 7(1)(8)पंचा / रानिआ / 09 / 5734 दिनांकः–26.11.2009

प्रतिलिपि :–

समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।

(आर.के.पारीक)
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग

(58)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः— प. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2014/9534 दिनांकः—18.12.14

प्रेषक—

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति—

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
कलक्टर (पंचायत) राजस्थान।

विषयः— पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 — रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दी जाने वाली घोषणा का प्ररूप 4—घ।

महोदय,

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 के खण्ड (ठ) के अनुसार दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति पंच/सदस्य के चुनाव लड़ने के लिए निरर्हित होगा, लेकिन उक्त धारा के परन्तुक (iv) के अनुसार उक्त अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दिनांक 27.11.1995 की कालावधि के दौरान हुई किसी अतिरिक्त संतान के जन्म पर खण्ड (ठ) में वर्णित निरर्हता के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जायेगा और यदि कोई व्यक्ति जिसके दो से अधिक संताने हैं (अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दिनांक 27.11.1995 तक की कालावधि के दौरान जन्मी संतान, यदि कोई हो, को छोड़कर) खण्ड (ठ) के अधीन तब तक निरर्हित नहीं होगा जब तक अधिसूचना के प्रारम्भ की तारीख को रही उसकी संतानों में कोई वृद्धि नहीं होती।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ की तिथि दिनांक 23.4.1994 है। अतः दो से अधिक संतानो के कारण निरर्हता के प्रश्न के विनिश्चय में अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि अर्थात दिनांक 23.4.1994 महत्वपूर्ण है।

आयोग द्वारा पंचायत आम चुनाव 2015 हेतु प्ररूप 4—घ मुद्रित करवाकर आपको वितरित किये जा चुके हैं। जिनमें जहॉ दिनांक 27.4.1994 अंकित है, उसे दिनांक 23.4.1994 मानकर शुद्ध करावें।

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः– प. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2014/9533 दिनांकः–18.12.14

प्रेषक–

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति–

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर पंचायत) राजस्थान।

विषयः– जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव हेतु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के संबंध में।

महोदय,

कुछ जिलों से यह जानकारी चाही गई है कि, जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव हेतु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में तैयार करनी है या केवल हिन्दी में ही तैयार करनी है।

चूंकि मतपत्रों का मुद्रण केवल हिन्दी में ही होता है। अतः स्पष्ट किया जाता है कि, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को अंग्रेजी में तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल हिन्दी में ही तैयार होगी। सांख्यिकीय सूचना निर्धारित प्रपत्रों में अंग्रेजी में भेजी जावे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की हस्तलिखित सूची तैयार करने की भी आवश्यकता नहीं है।

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

(60)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः– प. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2014/9666 दिनांकः–22.12.14

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर पंचायत) राजस्थान।

विषयः– पंचायती राज संस्थाओं में पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता बाबत।

महोदय,

पंचायती राज विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2009 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 25 (1) एवं 58 (6) में संशोधन किये गये हैं। संशोधन अनुसार अब नाम निर्देशन पत्र के साथ ही प्ररूप 4–घ में अभ्यर्थी की दोष सिद्धि, उसकी संतानों एवं उसके विरूद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों की सूचना भी घोषणा के रूप में दी जावेगी। प्ररूप 4–घ में उक्त घोषणा नाम निर्देशन पत्र के साथ ही नाम निर्देशन पत्र के भाग के रूप में प्रस्तुत की जावेगी। पंचायती राज विभाग द्वारा राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 द्वारा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 में एक नई उपधारा (थ) जोड़ी जाकर यह प्रावधान किया गया है कि, **19. किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताऐं:–(थ) घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता हो:**'' अध्यादेश की प्रति संलग्न है।

उक्त अध्यादेश के द्वारा पंच या सदस्य के निर्वाचन के लिए उक्तानुसार एक नई अर्हता जोड़ी गई है, किन्तु अभ्यर्थियों से उक्त योग्यता के संबंध में सूचना प्राप्त किये जाने के लिए प्ररूप 4–घ में कोई संशोधन नहीं किया गया है। चुनाव लड़ने वालों की योग्यता का विनिश्चय करने के लिए यह आवश्यक है कि, घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाने के संबंध में सूचना घोषणा के साथ में अभ्यर्थी प्राप्त की जावे ताकि, संवीक्षा के समय उसकी इस योग्यता का विनिश्चय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जा सके। इस संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अपने पत्रांक 1624 दिनांक 17.12.2014 से अध्यादेश की प्रति आयोग को प्रेषित कर यह अनुरोध किया है कि, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों से लिये जाने वाले घोषणा पत्र में **''घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाने के आशय की घोषणा''** भी लिये जाने हेतु आपके स्तर से समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित करवाया जावे। आयोग के स्तर पर अंडरटेकिंग/घोषणा का प्रारूप निर्धारित कर पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

आगामी पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव में नाम निर्देशन पत्रों के साथ ही संलग्न प्रारूप में इस आशय की घोषणा अभ्यर्थी से करवाई जावे कि, **घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता है।** अभ्यर्थी द्वारा यदि उक्त प्रारूप में अंडरटेकिंग/घोषणा नहीं दी जाती है तो उसको इस आशय का मीमो दिया जावे कि, संवीक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त घोषणा प्रस्तुत कर देवें और इसके पश्चात् भी यदि उक्तानुसार अंडरटेकिंग/घोषणा प्रस्तुत नहीं की जाती है तो नाम निर्देशन पत्र खारिज किया जा सकेगा। अंडरटेकिंग/घोषणा के फार्म मुद्रित करवाकर चुनाव सामग्री के साथ वितरित किए जवेंगे। उक्तानुसार समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को तथा प्रशिक्षण में मतदान कर्मियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करने के लिए कार्यशील स्वच्छ शौचालय के संबंध में घोषणा/अंडरटेकिंग

(देखें धारा 19(थ)राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994)
(राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, संख्या 1 दिनांक 08.12.2014 द्वारा प्रतिस्थापित)

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नी* श्री ....निवासी...जिसने जिला परिषद/पंचायत समिति/पंचायत सर्किल* ....के निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड संख्या*........................ के सदस्य/सरपंच/ पंच* के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन–पत्र प्रस्तुत किया है, मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं कि :–

(1) मेरे घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय है, जो तीन दीवारों, एक दरवाजा और छत से घिरा हुआ है। इसमें जल–बन्ध (वाटर सील्ड) शौचालय प्रणाली या व्यवस्था है।
(2) मेरे परिवार का कोई भी सदस्य (पति/पत्नी*, बच्चे एवं साथ निवास कर रहे माता/पिता) खुले में शौच के लिए नहीं जाते है।

दिनांक .... हस्ताक्षर अभ्यर्थी

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूं कि मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपरोक्त तथ्य सही हैं।

साक्षी के हस्ताक्षर हस्ताक्षर अभ्यर्थी
(नाम व पता सहित)

दिनांक :
स्थानः

---

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

(61)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/14-15/9748 जयपुर, दिनांकः-24.12.2015

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) पंचायत, समस्त।

विषयः- पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव जनवरी-फरवरी, 2015-नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) के विकल्प से संबंधित नियम व उम्मीदवार की योग्यता से संबंधित संशोधनों के क्रम में।

संदर्भः- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान की अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(25)संशो/नियम/निर्वा/विधि/पंरा/2014/1531 जयपुर दिनांक 12.11.14, एफ.4(25)संशो/नियम/निर्वा/विधि/पंरा/14/1625 जयपुर दिनांक 18.12.14 राजस्थान पंचायती राज (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, 2014 दि. 8.12.14 एवं राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2014 दि. 20.12.14

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचनाओं द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियमों में मतदाताओं को नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध कराने संबंधी संशोधन किये हैं।

संदर्भित अध्यादेशों द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-19 में चार नये खण्ड (थ), (द), (ध) एवं (न) जोड़े जाकर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होने एवं अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता संबंधित दो नई अर्हताओं का प्रावधान किया गया हैं जो निम्न प्रकार हैं :-

(थ) घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता हो;

(द) जिला परिषद या पंचायत समिति के सदस्य के मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या उसके समकक्ष किसी बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण हो;

(ध) किसी अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के सरपंच के मामले में किसी विद्यालय से कक्षा 5 उत्तीर्ण हो; और

(न) किसी अनुसूचित क्षेत्र में की पंचायत से भिन्न किसी पंचायत के सरपंच के मामले में किसी विद्यालय से कक्षा 8 उत्तीर्ण होः''

स्पष्टीकरण II - 1. "स्वच्छ शौचालय" से तात्पर्य तीन दीवारों, एक दरवाजे और छत से घिरी हुई कोई जलबंद (Water sealed) शौचालय प्रणाली से हैं।

2. ''परिवार के सदस्य'' में व्यक्ति का/की पति/पत्नी, बच्चे और उसके साथ निवास कर रहे उसके माता–पिता अभिप्रेत हैं।

स्पष्टीकरण III - इस धारा के खण्ड (ध) व (न) के प्रयोजन के लिए

(i) ''अनुसूचित क्षेत्र'' से भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में यथा निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है; और

(ii) शब्द ''विद्यालय'' का वही अर्थ होगा जो उसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 2 के खण्ड (ढ) में दिया गया है।''

उक्तानुसार जिस व्यक्ति के घर में कार्यशील शौचालय नहीं हो तथा जिसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए जाता हो, वह चुनाव लड़ने के लिए अपात्र होगा। इसके लिए घोषणा/अण्डरटेकिंग का प्ररूप आयोग द्वारा तैयार किया गया है। यह प्ररूप अभ्यर्थी से भराकर प्राप्त किया जाना है।

पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव में खड़े होने वाले अभ्यर्थियों से घोषणा पत्र (4घ) में अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के संबंध में विवरण अंकित करवाते हुए संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति भी ली जावे।

अतः पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों में इन संशोधनों को ध्यान में रखते हुए सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस संबंध में अवगत करावें। प्रशिक्षण के समय मतदान अधिकारियों/दलों को भी उक्तानुसार अवगत करावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(सत्य प्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांक : एफ. 7 (1)(8)/पंचा/रानिआ/94/4562 जयपुर, दिनांक : 8.1.2000

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायतें) (कलक्टर)।

विषय : पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव-पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिये अर्हताएं।

प्रसंग : राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक : एफ. (7) (8) पंचा./रानिआ/94/1181, दिनांक 24.12.94

महोदय,

आयोग का प्रासंगिक पत्र आयोग द्वारा मुद्रित महत्वपूर्ण निर्देशों के संकलन संबंधी पुस्तिका में आईटम संख्या-50 पर दिया हुआ है। इस प्रश्न पर कि क्या एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक चुनाव लड़ सकता है या नहीं और क्या कोई व्यक्ति किसी एक ही पंचायत राज संस्था में एक से अधिक वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है या नहीं। प्रासंगिक पत्र में बताया गया था कि वह एक से अधिक वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों/संस्थाओं में निर्वाचन के लिये खड़ा हो सकता है लेकिन चुनाव जीतने के बाद एक साथ दो संस्थाओं का सदस्य या किसी संस्था में दोहरी सदस्यता नहीं रख सकता।

अब राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में अध्यादेश संख्या-9/1999 जो राजस्थान राजपत्र दिनांक 27.12.1999 में प्रकाशित हुआ है, से नई धारा-19 क जोड़ी गई है जिसमें अब किसी एक ही पंचायती राज संस्था में कोई व्यक्ति एक साथ एक से अधिक वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता। हालांकि वह नाम-निर्देशन पत्र एक से अधिक वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र से दाखिल कर सकता है और ऐसे नाम निर्देशन पत्रों को जांच के दौरान अस्वीकार भी नहीं किया जायेगा लेकिन नाम वापिसी के लिये निर्धारित अंतिम समय तक यदि वह अभ्यर्थी उस पंचायती राज संस्था के किसी एक वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर अन्य वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों से अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं लेता है तो उसका सभी वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों से अभ्यर्थिता वापस लेना मान लिया जायेगा। धारा-20 के प्रावधान यथावत ही हैं, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पंचायती राज संस्थाओं में सदस्यता नहीं रख सकता और किसी पंचायत राज संस्था में दोहरी सदस्यता भी नहीं रख सकता।

अत: प्रासंगिक पत्र को आप संशोधित समझें और उपरोक्तानुसार स्थिति से संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को भी अवगत करावें। पंच सरपंच चुनाव के रिटर्निंग अधिकारियों के लिये मार्गदर्शिका के परिशिष्ट-25 के रूप में मुद्रित पृष्ठ आपको आपूर्ति किये गये जिनको कृपया संबंधित पंच/सरपंच चुनाव के रिटर्निंग अधिकारियों को उपलब्ध करावें। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान भी समझावें।

भवदीय,

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 7 (1)(8) पंचा./रानिआ/94/4562 जयपुर, दिनांक : 8.1.2000

प्रतिलिपि :-

निजी सचिव, आयुक्त, रानिआ, जयपुर।

निजी सहायक, सचिव, रानिआ, जयपुर।

निजी सहायक, उप सचिव, रानिआ, जयपुर।

उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग

राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर –302005)

परिपत्र

क्रमांकः–F7(1)( )पंचा. / रानिआ / 09 / 9390 दिनांकः– 5 फरवरी, 2010

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत) कलेक्टर ....

विषयः– पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पंच या सदस्य निर्वाचन हेतु दो से अधिक संतानो पर निर्योग्यता के संबंध में।

....

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 (L) में वर्णित दो से अधिक संतान संबंधी निर्योग्यता के प्रावधानो के अन्तर्गत एक व्यक्ति के दो या अधिक सन्तान के बाद दूसरी पत्नि से एक और सन्तान उत्पन्न होने पर दूसरी पत्नि चुनाव लडने के लिये पात्र है अथवा नही? इस प्रश्न पर विधि विभाग की राय प्राप्त हुयी है जो इस प्रकार है :–

"It reveals that the lady who is a candidate for the panchayat election has given birth to a child. So she has only one legitimate child. The step son/ step daughter cannot be taken into consideration in respect of above disqualification having more than two children.

In view of the above, provision of Section 19 (L) of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, in respect of disqualification of having more than two children is not attracted."

अतः सूचनार्थ प्रेषित है।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
राज., जयपुर

F:\SEC on hire (NP)\Legl\HLA.doc
Created on 10/13/2009 8:22:00 AM
334

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ. 4(2)(1)/पंचा/रानिआ/09/502 जयपुर, दिनांकः– 29.03.11

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर) समस्त।

विषयः– नगर पालिका एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में अभ्यर्थियों द्वारा गलत घोषणा पत्र/मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 191 एवं 193 के अन्तर्गत कार्यवाही।

महोदय,

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के सभी प्रत्यक्ष चुनावों में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्रों एवं प्ररूप 4घ में उनकी संतानों, उनके विरूद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों, किन्ही अपराधों के लिए उनकी दोष सिद्धि के मामलों, उनके एवं उनके आश्रितों की अचल संपत्ति आदि की सूचना घोषणा के रूप में रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती हैं। इसी प्रकार नगर पालिका चुनावों में भी नाम निर्देशन पत्र में की जाने वाली घोषणाओं के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को उनकी संतानों के संबंध में, उनके विरूद्व लंबित आपराधिक प्रकरणों, किन्ही अपराधों के लिए उनकी दोषसिद्धि के मामलों आदि की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धा रित प्ररूपों में देना अनिवार्य है। इसके अलावा भी राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं व नगरपालिकाओं के प्रत्यक्ष चुनावों में अभ्यर्थियों के लिए संपत्ति का ब्यौरा, उनके विरूद्ध देयताओं, शैक्षणिक योग्यता, लंबित आपराधिक प्रकरणों की सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप पृथक से भी निर्धारित किये है जिनमें भी अभ्यर्थियों द्वारा घोषणायें/कथन किये जाते हैं।

उक्त निर्वाचनों में अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव लडने के आशय से रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष यदि असत्य घोषणा की गई है या तथ्यों को जानबूझ कर छिपाया गया है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 191 के अन्तर्गत उसे मिथ्या साक्ष्य मानते हुए उक्त संहिता की धारा 191 व 193 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने परिपत्र क्रमांकः एफ. 7(2)(4)/पंचा/रानिआ/99/7358 दिनांक 26.04.2000 के द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किये थे।

अभी हाल ही में संपन्न चुनावों में कई शिकायतें इस आश्य की प्राप्त हुई है कि किन्हीं अभ्यर्थियों ने सही तथ्यों को छुपाते हुए या गलत तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए चुनाव में भाग लिया व निर्वाचित भी हो गये। ऐसी शिकायतों के प्रकरणों में कुछ जिला निर्वाचन अधिकारियों ने पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एफ 3 ( ) जांच/ग्राविप/परिपत्र/स.आ./07/2916 दिनांक 23.08.2007 एवं पत्र सं. एफ 3 ( ) जांच/ग्राविप/परिपत्र/स.आ./07/3708 दिनांक 18.10.2007, जो कि माननीय उच्च न्यायालय की वृहदपीठ के निर्णय दिनांक 02.04.07 के अनुसरण में सभी संभागीय आयुक्तों एवं जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भेजा गया है, का संदर्भ देते हुए यह अवगत कराया है कि चुनाव पूर्व की अयोग्यताओं के मामलों में जांच कार्यवाही नही की जा सकती और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के ऐसे मामलों में जांच भी नही की गई है।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 02.04.07 द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार चुनाव पूर्व की अयोग्यता की जांच राज्य सरकार द्वारा नहीं की जा सकती। चुनाव पूर्व की अयोग्यता संबंधी प्रकरण पंचायती राज अधिनियम की धारा 43 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 80 के तहत चुनाव याचिका के जरिये ही जिला अदालत के माध्यम से निर्णित हो सकते है। ऐसे प्रकरण राज्य सरकार तय नहीं कर सकती।

माननीय उच्च न्यायालय की वृहद पीठ द्वारा दिनांक 02.04.07 को पारित निर्णय पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 39 एवं इसके साथ पठित राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 23 के अन्तर्गत राज्य सरकार व इसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा निर्वाचित अभ्यर्थियों के विरूद्व चुनाव पूर्व की अयोग्यताओं की जांच कर उसके आधार पर धारा 39 के तहत उन्हें हटाये जाने से संबंधित विषय पर हैं जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के उक्त परिपत्र दिनांक 26.04.2000 का विषय इससे भिन्न हैं। उक्त परिपत्र दिनांक 26.04.2000 रिटनिंग अधिकारी के समक्ष दिए गए मिथ्या साक्ष्य के आपराधिक कृत्य और उसके लिए परिवाद दर्ज कराने संबंधी विषय पर हैं। इस संबंध में विधि विभाग की राय भी प्राप्त की गयी है। विधि विभाग द्वारा दी गई राय निम्न प्रकार है –

> ''माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात चुनाव पूर्व निर्योग्यता के आधार पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है, किन्तु किसी व्यक्ति द्वारा धारा 191 का अपराध किया है, तो उसके संदर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है। किन्तु ऐसी कार्यवाही में उसकी निर्योग्यता के संदर्भ में जांच नहीं की जा सकती, किन्तु यदि कोई उम्मीदवार द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया है तो तथ्यों की जांच कर फौजदारी न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है।''

अतः रिटर्निग अधिकारियों के समक्ष असत्य तथ्यों को प्रस्तुत कर चुनाव लडने की शिकायतों के मामलों में कार्यवाही हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं कि :–

(i) अभ्यर्थी की चुनाव पूर्व की अयोग्यता की जांच नहीं की जाए अर्थात् यह जांच नहीं की जाए कि अभ्यर्थी चुनाव पूर्व किसी निर्योग्यता को धारित करता था अथवा नहीं क्योंकि यह बिन्दु चुनाव याचिका में ही शामिल हो सकता हैं।

(ii) रिटर्निग अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के लिए जांच का बिन्दु केवल यह हो सकता हैं कि अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्रों एवं उसके संलग्न प्रस्तुत किये गए अन्य प्ररूपों/शपथपत्रों/घोषणा पत्रों में चुनाव लडने की मंशा से क्या कोई असत्य कथन किया है या तथ्यों को जान बूझ कर छुपाया है और क्या उसने रिटर्निंग अधिकारी को मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अपराध किया है। इन्ही बिन्दुओं पर जांच की जा सकती है किन्तु ऐसी कार्यवाही में उस अभ्यर्थी की चुनाव पूर्व की अपात्रता की जांच नही की जा सकेगी।

(iii) यदि अभ्यर्थी द्वारा मिथ्या साक्ष्य प्रसंतुत करने का आपराधिक कृत्य कारित करना पाया जाता है तो फौजदारी न्यायालय में कार्यवाही की जावें। रिटर्निंग अधिकारी जिनके समक्ष अभ्यर्थी ने मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया है उनके द्वारा अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसी शिकायत के संबंध में तथ्यों की जांच से प्रथम दृष्टया मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत होना पाए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 191 व 193 के तहत सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जावे।

(iv) यहां यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि असत्य तथ्य वर्णित करते हुए चुनाव लडने की शिकायतों की जांच पंचायती राज संस्थाओं के किसी अधिकारी से नहीं करवाई जावे बल्कि रिटर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा ही तथ्यों की जांच कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावे। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने के प्रकरणों में जांच पश्चात कुछ जिला निर्वाचन अधिकारियों ने प्रकरण पंचायती राज विभाग या स्वायत्त शासन विभाग को संदर्भित किए है जबकि ऐसे मामलों कों राज्य सरकार को संदर्भित करने की कोई आवश्यकता नही है। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष यदि कोई मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत हुआ तो उनमें उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही की जा सकती है राज्य सरकार को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है।

–sd–
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

(65)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.5(1)(2)नपा / रानिआ / 97 / 5234 दिनांकः30.10.2014

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर) जालौर।

विषय :– नगर निकाय चुनाव में गुर्जर जाति के आरक्षण के संबंध में।
संदर्भ :– आपका पत्र दिनांक 17401 दिनांक 13.10.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख हैं कि राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 25.08.2009 के द्वारा 'गुर्जर' एवं 3 अन्य जातियों को राज्य के अधीन सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़े वर्ग (SBC) का सृजन किया गया है।

चूंकि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 में नगर निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में SBC के लिए सीटों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रेषित अन्य पिछडा वर्ग में सम्मिलित जातियों की अद्यतन सूची में 'गुर्जर' सहित SBC की अन्य जातियां भी सम्मिलित हैं।

अतः निर्देशानुसार लेख हैं कि, नगर निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर ओबीसी या एसबीसी के प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लडने हेतु एसबीसी के उम्मीदवार को पात्र माना जावें।

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव

क्रमांकः एफ.5(1)(2)नपा / रानिआ / 97 / 5235–36 दिनांकः 30.10.2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जयपुर, झुंझुनूं, झालावाड, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर।
2. श्री सुशील शर्मा, महामंत्री, राजस्थान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जयपुर।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

(66)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

जयपुर, दिनांक : 12.1.95

आदेश

सां.आ. 17/95 यत: राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 49 के उप-नियम (4) में उपबन्धित है कि मतदान अधिकारी और सहायक मतदान अधिकारियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के सिवाय, जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी इस कार्य में उसकी सहायता करने के लिये अनुज्ञा दे, मतों की गणना के समय किसी भी अन्य व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

यत: उपरोक्त नियम 49 के उपबन्ध नियम 58 के उप-नियम (5) के अनुसार पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन पर आवश्यक परिवर्तनों सहित, यथाशक्य लागू किये गये हैं, परन्तु नियमों में पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन से सम्बन्धित मतगणना के लिये रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिये गणना पर्यवेक्षकों एवम् गणना सहायकों की नियुक्ति करने के लिये कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है, जिसके अभाव में गणना पर्यवेक्षकों और गणना सहायकों को नियुक्त करने के लिये कठिनाई है,

अत: पूर्वोक्त नियमों के नियम 91-क द्वारा कठिनाईयों के निराकरण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में आयोग निर्दिष्ट करता है कि मतों की गणना में रिटर्निंग अधिकारियों की सहायता करने हेतु गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक के रूप में सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियुक्ति की जावेगी और उन्हें मतों की गणना के समय उपस्थित रहने के लिये नियम 48 की उप-धारा (4) के उपबन्धों के अधीन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रवेश दिया जावेगा।

(दिनेश कुमार)
सचिव, एवं मुख्य निर्वाचक अधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : प. 4 (2) (1) पं.चु./रानिआ/94/242 दिनांक : 12 जनवरी, 95

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

1. विकास आयुक्त एवम् प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त,
3. विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर)
5. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, जिला परिषद सदस्य चुनाव जरिये जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर)
6. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, पंचायत समिति सदस्य चुनाव जरिये जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर)
7. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त,
8. निजी सहायक, मु.नि.अ. एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग
9. उप सचिव, प्रथम/द्वितीय, राज्य निर्वाचन आयोग,
10. सहायक सचिव, प्रथम/द्वितीय, राज्य निर्वाचन आयोग,
11. जन सम्पर्क अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग,

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

(67)
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

जयपुर, दिनांक : 12 जनवरी, 95

आदेश

सां.आ. 16/95 यतः राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 39 के उप-नियम (1) में उपबन्धित है कि प्रत्येक मतपत्र, निर्वाचक को जारी किये जाने के पूर्व ऐसी रीति से अनुप्रमाणित किया जायेगा जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जावे;

और यतः उपरोक्त नियम 35 के उप-नियम (1) के अधीन जारी आयोग के आदेश सा.आ. (8)/94, जो कि क्रमांक : एफ. 4 (1) (2) पंचा/रानिआ/94/465 दिनांक 27.10.94 से भेजा गया है, के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है कि उपरोक्त नियमों के अध्याय 4, 5 व 6 के प्रावधानों के अनुसार पंच, सरपंच, एवम् पंचायत समिति/ जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन हेतु निर्वाचकों को मतपत्र जारी करने से पूर्व प्रत्येक मतपत्र को उसकी पीठ पर सुभेदक चिह्न के रूप में रबर की मुहर, जिस पर एक वर्गाकार आयतन के अन्दर हिन्दी में "पं.रा.सं." अंकित किया हुआ होगा, से स्टाम्पित करके और मतदान अधिकारी द्वारा अपने पूरे हस्ताक्षर करके अनुप्रमाणित किया जायेगा;

और यतः उपरोक्त नियमों में ऐसा कोई उपबन्ध विद्यमान नहीं है कि मतों की गणना के समय यदि ऐसे मतपत्र पाये जावें कि जो आयोग के पूर्वोक्त आदेश (सां.आ. 8/94) दिनांक 27.10.94 द्वारा निर्दिष्ट रीति के अनुसार अनुमप्रमाणित किये हुए नहीं हों तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे संदिग्ध मतपत्रों के लिए किस प्रकार विनिश्चिय करें और उनके समक्ष कठिनाई उत्पन्न होगी;

अतः पूर्वोक्त नियमों के नियम 91-क द्वारा कठिनाईयों के निराकरण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में आयोग एतद्द्वारा निर्दिष्ट करता है कि मतों की गणना में जो मतपत्र आयोग के पूर्वोक्त आदेश सां.आ. 8/94 द्वारा निर्दिष्ट रीति से यानी उसकी पीठ पर सुभेदक चिन्ह के रूप में रबर की मुहर से वर्गाकार आयतन के अन्दर "प.रा.सं." से स्टाम्पित न किये हुए हों और जिन पर मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर न हो तो उन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामंजूर कर दिया जावेगा, परन्तु यदि रिटर्निंग अधिकारी को यह समाधान हो जाये कि यह चूक मतदान अधिकारी या सहायक मतदान अधिकारी द्वारा की गई किसी भूल या विफल रहने के कारण हुई है तो ऐसे मतपत्रों को नामंजूर नहीं किया जावेगा।

(दिनेश कुमार)
मुख्य निर्वाचक अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : प. 4 (1) (2) पं.चु./रानिआ/94/243 जयपुर, दिनांक : 12 जनवरी, 95

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

1. विकास आयुक्त एवम् प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त।
3. विशिष्ठ शासन सचिव एवम् निदेशक, ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर्स) कृपया इस आदेश की जानकारी पंच एवम् सरपंच निर्वाचन के लिये नियुक्त किये जाने वाले रिटर्निंग अधिकारियों और मतदान दलों को उनके प्रशिक्षण के समय कराई जावे और उनको जो मार्गनिर्देशिका की पुस्तक दी जावे उसमें इस आदेश की साइक्लोस्टाइल की प्रति नत्थी की जावे।
5. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, जिला परिषद् सदस्य चुनाव मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर)।
6. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, पंचायत समिति सदस्य चुनाव- मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर)।
7. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सहायक, मुख्य निर्वाचक अधिकारी एवं सचिव, रा.नि.आ., जयपुर।
9. उप सचिव-प्रथम/द्वितीय, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
10. सहायक सचिव, प्रथम/द्वितीय, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
11. जन सम्पर्क अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

(68)

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांक : प. 7 (1) (4) पंचा/रानिआ/94/1138 जयपुर, दिनांक : 28.12.94

प्रेषक:-

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

प्रेषित:-

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
(कलेक्टर), जिला ....

विषय:- षष्ठ पंचायत आम चुनाव-मतदान के पश्चात् मतपेटियों के संग्रहण, परिवहन एवं सुरक्षित अभिरक्षा के सम्बन्ध में।

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 58 (5) के सहपठित नियम 49 के उपबन्धों के अनुसार पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा मतगणना हेतु चयनित स्थान व निश्चित तारीख व समय की सूचना समस्त अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को देनी हैं। अतः यह आवश्यक है कि मतगणना के लिए स्थान का चयन, मतपेटियों के संग्रहण व परिवहन की व्यवस्था, मत गणना हेतु चयनित स्थान के निकटस्थ ही मुहरबंद मतपेटियों की संग्रहण की व्यवस्था, मतगणना प्रारम्भ होने से पूर्व उनकी सुरक्षित अभिरक्षा की व्यवस्था, आदि के बारे में आप रिटर्निंग अधिकारियों और जिले के पुलिस अधिकारियों से विचार विमर्श करके समस्त आवश्यक प्रबन्ध अभी से सुनिश्चित करलें। रिटर्निंग अधिकारी मतपत्रों से भरी मतपेटियों के संग्रहण हेतु निश्चित स्थान व कमरों, संग्रहण हेतु निश्चित तारीख व समय, मतगणना हेतु चयनित स्थान, निश्चित तारीख व समय की सूचना समस्त अभ्यर्थियों को कम से कम 3 दिवस पूर्व और यदि सम्भव हो तो अभ्यर्थिता वापिस लेने के समय के बाद प्रतीकों के आवंटन के साथ ही लिखित में दे दें। मतपेटियों के संग्रहण एवं मतगणना स्थान का चयन जिला मुख्यालय पर किया जावेगा।

आपको चाहिये कि मतदान समाप्त होने के तुरन्त पश्चात मतदान केन्द्रों/बूथों से मतपत्रों से भरी मतपेटियों तथा अन्य निर्वाचन कागजात संबंधी पैकिटों का संग्रहण यथा सम्भव शीघ्र करवायें। मतदान दलों का कार्यक्रम और मार्ग विवरण अभी तैयार करलें। मतदान दलों के कार्यक्रम और मार्ग विवरण के बारे में अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को काफी समय पहले सूचित करना होगा, जिससे अभ्यर्थी, यदि वे ऐसा चाहे तो ऐसे मतदान दलों के साथ अपने अभिकर्ताओं को भेजने की व्यवस्था कर सकें। किन्तु अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं को अपने परिवहन के लिए स्वयं व्यवस्था करनी चाहिये और उन्हें किसी दशा में, उन वाहनों में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये जिनमें मतपेटियां और अन्य निर्वाचन सामग्री तथा मतदान दलों के व्यक्ति ले जाये जातें हों।

मतगणना हेतु चयनित स्थान के पास मतपेटियों व निर्वाचन अभिलेख के संग्रहण के लिये मतदान के दिन काऊन्टर बनाने होंगे। मतदान दलों द्वारा काऊन्टर नं. 1 पर प्रत्येक मतदान केन्द्र/बूथ पर काम में लाई गई मतपत्रों से भरी मुहरबंद मतपेटी/मतपेटियां और निम्नांकित लिफाफों के पैकिट जमा करवाये जावेंगे:-

(1) मतपत्र लेखा (पंचायत समिति सदस्य चुनाव) .... पी-30
(2) मतपत्र लेखा (जिला परिषद सदस्य चुनाव) .... पी-31
(3) पिंकपेपर सील एकाउन्ट (बूथवाइज) .... पी-32
(जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य चुनाव)

अन्य मुहरबंद अथवा मुहरबंद नहीं किये गये लिफाफे/पैकिट काउंटर नं. 2 पर जमा कराये जायेंगे और अन्य निर्वाचन सामग्री काउंटर नं. 3 पर जमा कराई जावेगी।

इन मतपेटियों और लिफाफों को सुरक्षित रूप से कमरों में उसी प्रकार रखा जावेगा जिस प्रकार लोक सभा व विधान सभा चुनावों के समय रखा जाता है और उसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था यानी पुलिस गार्ड और समुचित प्रकाश की व्यवस्था की जानी है। जिन कमरों में मतपेटियों का संग्रहण किया जावेगा वे चारों तरफ से बन्द होने चाहिये, जिनमें कोई भी वस्तु न तो अन्दर प्रविष्ठ कराई जा सके और न बाहर निकाली जा सके। इन कमरों में अन्दर पंचायत समिति के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये स्थान निश्चित करके अलग-अलगे

मतदान केन्द्र से प्राप्त मतपेटियों को रखने के लिये पहले से ही फर्श पर पंचायत या मतदान केन्द्र/बूथवार चौकोर विनिर्दिष्ट भाग नियत कर दिये जाने चाहिये। यह व्यवस्था पंचायत या मतदान केन्द्रों/बूथों की क्रम संख्या के अनुसार होना चाहिये। एक पंचायत या मतदान केन्द्र/बूथ से प्राप्त सभी मतपेटियों को अनिवार्य रूप से उसी चौकोर संभाग में एक स्थान पर रखा जाना चाहिये। प्रत्येक मतदान केन्द्र/बूथ के मतपत्र लेखों के लिफाफे (पी-30 व पी-31) और पिंक पेपर सील का लिफाफा (पी-32), उस मतदान केन्द्र/बूथ से आई मतपेटी या मतपेटियों के ऊपर रख दिया जाना चाहिये। मतपेटियो को रखते समय पेटियों की पंक्तियों के बीच आने जाने के लिये पर्याप्त स्थान छोड़ दिया जाना चाहिये। क्योंकि मतपेटियां मतदान केन्द्र/बूथ के क्रमवार नहीं आवेगी और उन्हें उनके क्रम संख्यानुसार आवंटित चौखाने में रखना होगा जिसमें रखी हुई मतपेटियों को खिसकाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिये। एक पंचायत समिति के समस्त मतदान केन्द्रों/बूथों से प्राप्त होने वाली मतपेटियां यथा संभव एक ही कमरे में संग्रहण की जानी चाहिये। यदि एक कमरे में ही दो पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों की मतपेटियां संग्रहण कराई जावे तो उनके मध्य ऐसी विभाजन व्यवस्था होनी चाहिये कि उनके एक दूसरे में मिल जाने का कोई अंदेशा नहीं रहे। यदि किसी मतदान केन्द्र/बूथ पर से पंचायत समिति या जिला परिषद, यथा स्थिति, के 2 निर्वाचन क्षेत्रों की अलग-अलग मतपेटियां प्राप्त हो तो उन्हें उस मतदान केन्द्र/बूथ के लिये आवंटित चौखाने में एक दूसरे से अलग करके रखावें और उनसे सम्बन्धित मतपत्र लेखों के लिफाफे भी उनके ऊपर अलग-अलग रखावें।

यदि कोई अभ्यर्थी चाहे तो उसे उस स्थान पर जहां मतपेटियां रखी गई हो, निगरानी रखने के लिये कोई अभिकर्ता तैनात करने की अनुज्ञा दी जानी चाहिये और उसे उस भवन के दरवाजे व खिड़कियों पर जिसमें मतपेटियां रखी गई हो, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लगाई गई मुहर के अतिरिक्त अपनी निजी मुहर लगाने की अनुमति दी जानी चाहिये।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि सभी मतपेटियां प्राप्त हो जाने और उन्हें यथा स्थान पर रख दिये जाने तथा कमरे का ताला बन्द कर दिये जाने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति को गणना के लिये नियत दिन के नियत समय तक उस कमरे में जाने की अनुमति नहीं दी जावे। यदि इस अन्तराल के दौरान किसी कारणवश कमरा खोलना आवश्यक हो तो रिटर्निंग अधिकारी को समस्त अभ्यर्थियों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को बुला लेने के लिये नोटिस देना चाहिये और यदि कोई उनमें से उपस्थित होता है तो उनकी उपस्थिति में कमरा खोलना चाहिये और जिस प्रयोजन के लिये कमरा खोला जावे उसका पूरा हो जाने के पश्चात तत्काल अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दरवाजों और खिड़कियों को पुनः मुहरबंद कर देना चाहिये व अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को भी उनकी मुहर लगाने की अनुमति देनी चाहिये। इस प्रकार कमरा खोलने सम्बन्धित विवरण के लिये कार्यवाही विवरण तैयार करना चाहिये जिस पर यथा-स्थिति अभ्यर्थियों अथवा उनसे अधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर कराये जाने चाहिये। साथ ही इस कमरे के लिये जिसमें मतपेटियों रखी गई है एक "लॉग बुक" (परिशिष्ट-1 में) संधारित की जानी चाहिये, जिसमें समुचित प्रविष्टियां की जानी चाहिये, जिनमें कमरे में प्रवेश करने वाले व्यक्ति, प्रवेश करने का प्रयोजन, प्रवेश का समय, बाहर निकलने का समय, रक्षकों के हस्ताक्षर, आदि का पूर्ण विवरण अंकित होगा। ये कमरे रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी के सीधे नियंत्रण में रहेंगे।

मतगणना के दिन मुहरबंद मतपेटियों वाला कमरा अभ्यर्थियों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाना चाहिये। कमरा खोलने बाबत कार्यवाही विवरण तैयार कर उस पर उपस्थित अभ्यर्थियों अथवा निर्वाचन अभिकर्ताओं/अधिकृत व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराये जाने चाहिये। इस कमरे से मतगणना हाल पर गणन-मेजों तक मुहरबंद मतपेटियों का परिवहन किसी जिम्मेदार अधिकारी के नियंत्रण में कराया जाना चाहिए। इस वितरण अधिकारी का यह दायित्व होगा, कि वह अपने सहयोगी कार्मिकों को निर्देशित करेगा कि एक गणन मेज पर एक समय में एक मतदान केन्द्र/बूथ पर प्रयोग में लाई गई समस्त मतपेटियों को पहुंचावे और ध्यान रखें कि मतपेटियों की थैली पर लगी मुहरें और "एड्रेस टेग" सुरक्षित रहें। मतपेटियों के खाली होते ही उन्हे वहां से हटवायें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

क्रमांक : प. 7 (1) (4) पंचा/रानिआ/94/1138 जयपुर, दिनांक : 29.12.94

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. समस्त संभागीय आयुक्त, ...
2. समस्त पुलिस अधीक्षक, ...
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य चुनाव (..............................) जरिये जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), (कलेक्टर), जिला ....

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थानं, जयपुर।

(69)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014–15/10008 जयपुर, दिनांकः–30.12.14

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत)(कलक्टर)।

विषयः– जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन मतपत्रों को मिलाया जाकर गणना किये जाने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश।

जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन में एक निर्वाचन क्षेत्र के मतपत्रों को मिलाया जाकर गणना किये जाने की प्रक्रिया एवं निर्देश पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे हैं।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार.

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर

मतपत्रों को मिलाया जाकर गिनती करने की प्रक्रिया
रिटर्निंग अधिकारियों के लिए निर्देश

(जिला परिषद / पंचायत समिति सदस्य चुनाव)

1. प्रारम्भिकः—

1. पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद सदस्यों एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन राज्य में संपन्न होने जा रहे हैं। जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन में मतगणना जिला मुख्यालय पर करायी जावेगी।
2. निर्वाचन की प्रक्रिया में मतगणना एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके लिए कानूनी प्रक्रिया की अच्छी जानकारी के साथ—साथ गणना स्थल पर सुचारू व्यवस्था करना भी जरूरी हैं। जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव में मतगणना निर्वाचन क्षेत्रवार होंगी, जिसमें एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान बूथों पर डाले गये मतपत्रों को मिलाया जाकर गिनती की जावेगी। इन चुनावों में एक निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित सभी मतदान बूथों पर डाले गये मतपत्रों को मिलाया जाकर गिनती की जाने की प्रक्रिया लगभग वैसी ही होंगी, जैसी पूर्व के चुनावों में अपनायी गयी थी। जिला परिषद सदस्यएवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन में मतगणना की प्रक्रिया की जानकारी के लिये आपको राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 48, 48 ए, 48 बी, 49, 49 ए, 50, 51, 52, 53, 58, 68, 70, 72, 74, 75, 76 के प्रावधानों की अच्छी जानकारी होना आवश्यक है। पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के मतपत्र नीले रंग के कागज पर एवं जिला परिषद सदस्य चुनाव के मतपत्र पीले कागज पर होंगे तथा मतदान बूथ पर पंचायत समिति एवं जिला परिषद चुनाव के मतपत्र एक ही मतपेटी में डाले जावेंगे।

   एक निर्वाचन क्षेत्रों के मतपत्रों की गणना दो चरणों में सम्पन्न होंगी। प्रथम चरण, यानि प्रारम्भिक गणना में एक मतदान बूथ में उपयोग में लाई गयी मतपेटी या मतपेटियों में से मतपत्रों को निकाला जाकर मतपत्रों के रंग के अनुसार जिला परिषद सदस्य मतपत्रों व पंचायत समिति मतपत्रों को पृथक—पृथक किया जावेगा और यह पता लगाया जावेगा कि, उस मतदान बूथ पर जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन में कुल कितने मत डाले गये हैं तथा इसका मतपत्र लेखा से मिलान भी किया जावेगा। प्रारम्भिक गणना में एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान बूथों के मतपत्रों को लम्बाई (Vertical) में मुड़े हुये रहने दिया जावेगा और लम्बाई में मुड़े हुये मतपत्रों के 50—50 के बण्डल बनाये जाकर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के ड्रम या बड़े बक्से में डालकर उन्हें मिलाया जावेगा।

   दूसरे चरण में निर्वाचन क्षेत्र के 50—50 मतपत्रों के 20—20 बंडलों को लेकर उनकी छंटनी व जांच की जावेगी व अभ्यर्थीवार गिनती की जाकर परिणाम निकाला जावेगा।

   राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 के द्वितीय परन्तुक में यह प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी उस रीति से डाक द्वारा मत देने के हकदार होंगे, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। डाक मतपत्र द्वारा मतदान के संबंध में आयोग द्वारा पत्रांक एफ. 4 (1)(5) नपा / रानिआ / 94 / 6165 दिनांक 11.12.2009 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्राप्त डाक मतपत्रों में से रिटर्निंग अधिकारी उन सभी विधिमान्य मतों की, जो हर एक अभ्यर्थी व नोटा के पक्ष में दिए गए हैं, गणना करेगा और इस प्रकार गणना करके अभ्यार्थियों व नोटा को प्राप्त कुल विधिमान्य मतों में जोड़कर परिणाम पत्र में अभिलिखित करेगा व उन्हें सुनाएगा।

2. मतगणना का समय, स्थान और तारीख

1. राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 58 के उप नियम (1) के खण्ड (च) के प्रावधानों के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन की अधिसूचना जारी करते समय मतगणना की तारीख, समय और स्थान की सूचना भी करनी होती है। इसके अतिरिक्त नियम 49 के उप नियम (1) में भी प्रावधान है कि, रिटर्निंग अधिकारी मतगणना का समय, स्थान और तारीख निश्चित करेगा। अतः ऐसी स्थिति में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतगणना के लिए निश्चित किया गया समय, स्थान और तारीख भी वही होंगी, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने नियम 58 के अंतर्गत लोकसूचना में बताया है। नियम 49 (2) के अनुसार उक्त समय, स्थान व तारीख की जानकारी लिखित रूप में रिटर्निंग अधिकारी को चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी देनी चाहिए।

   यदि विशेष परिस्थितिवश मतगणना के स्थान, समय या तारीख में कोई परिवर्तन करना आवश्यक हो तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे परिवर्तन की सूचना चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को लिखित रूप में तुरन्त देनी चाहिए।

2. मतगणना में स्थान का चयन करते समय यह ध्यान रखना है कि मतगणना के लिये हाल या कमरों में पर्याप्त स्थान हों, ताकि वहां पर्याप्त टेबिलें लगाई जा सकें, गणन पर्यवेक्षकों, गणन सहायकों और अभ्यर्थियों व उनके अभिकर्ताओं को बैठने की सही व्यवस्था हो, तथा कागजात को मुद्राबन्द करने आदि के लिये पर्याप्त स्थान हो। रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारी के बैठने का स्थान हॉल में ऊँचाई के प्लेटफार्म पर होना चाहिए ताकि वहॉ से हॉल की सम्पूर्ण गतिविधि देखी जा सके। रिटर्निंग अधिकारी/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी के बैठने के प्लेटफार्म पर हो अभ्यर्थी या उसके गणन अभिकर्ता को भी बैठने की सीट दी जानी चाहिये। व्यवस्था ऐसी हो कि, मतगणना हॉल में भीड़–भाड़ न हों।
3. मतगणना के लिये हाल व कमरों का चयन करते समय यह देखें कि प्रत्येक हाल या कमरे में रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी मौजूद रहें।
4. सुरक्षा की दृष्टि से मतगणना का परिसर उपयुक्त होना आवश्यक है। अस्थाई ढांचे व टैन्ट में मतगणना जहां तक संभव हो नहीं की जावे। मतगणना का स्थान जिला मुख्यालय पर उपयुक्त भवन में रखना चाहिए। मतगणना भवन के परिसर में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिये।
5. जहां तक संभव हो जिला परिषद/पंचायत समितियों के सभी निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना एक ही परिसर में की जानी चाहिये। भीड़–भाड़ परिसर में न हों।

3. गणना के लिये टेबिलों की संख्या व व्यवस्था

पंचायत समिति की संख्या, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या और मतगणना कक्षों के आकार को दृष्टिगत रखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर पर सक्षम है कि, वे मतगणना कक्ष में कितनी–कितनी टेबिल निश्चित करें, लेकिन जहॉ एक पंचायत समिति को दो या अधिक मतगणना कक्षों में विभाजित किया जावे वहॉ प्रत्येक अतिरिक्त मतगणना कक्ष में एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त होना आवश्यक है।

मतगणना का प्लान अग्रिम रूप से ही तैयार कर लिया जावे जिसमें प्रत्येक पंचायत समिति के लिए आवंटित मतगणना कक्ष, प्रत्येक मतगणना कक्ष में टेबिलों की संख्या, टेबिल वार पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र और जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र वर्णित हों। साथ ही मतदान बूथ क्रमांक

भी प्रत्येक टेबिल के आवंटित हो। अभ्यर्थियों को यथा संभव सूचित किया जावे ताकि वे तदनुसार अपने अभिकर्ता नियुक्त कर सके।

1. मतगणना के लिये चयन किये गये हाल व कमरों को देखते हुये टेबिलों की संख्या निश्चित की जावेगी। टेबिलों के बीच पर्याप्त स्थान छोड़ना चाहिये ताकि प्रत्येक टेबिल के लिये गणन पर्यवेक्षक व गणन सहायक आसानी से बैठकर गणना कार्य कर सकें, अभ्यर्थियों व अभिकर्ताओं को भी बैठने का पर्याप्त स्थान मिल सके और आने–जाने का पर्याप्त स्थान भी हों। गणना टेबिलों को क्रम–संख्यांकित भी किया जावे।
2. अभ्यर्थियों व उनके अभिकर्ताओं को बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जावे ताकि वह मतपत्र देख सके लेकिन उनके हाथ नहीं लगा सकें। टेबिल से अभ्यर्थियों व उनके अभिकर्ताओं को अलग करने के लिये रस्सी बांधकर व्यवस्था की जावे।
3. निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और समय को देखते हुए एक गणना हाल में जिला परिषद अथवा पंचायत समिति के एक साथ एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के मतपत्रों की गणना की जा सकती है, लेकिन किसी कमरे या हाल में एक से अधिक पंचायत समिति एक साथ न रखी जावे।
4. टेबिलों का बंटवारा व्यवस्थित ढ़ंग से करना होगा और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मतपत्रों को मिलाये जाने के लिए ड्रम या बक्से की व्यवस्था भी सावधानीपूर्वक पृथक–पृथक करनी होंगी अन्यथा एक निर्वाचन क्षेत्र के मतपत्र अन्य निर्वाचन क्षेत्र के मतपत्रों में शामिल हो जाने का डर है। मतपत्रों को सीलबंद करने का काम भी सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि जिला परिषद अथवा किसी पंचायत समिति में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की गणना का कार्य साथ–साथ किया जाता है तो, आप मतगणना हाल को उतने ही खण्डों में रस्सियां आदि बांधकर विभाजित कर लें। निर्वाचन क्षेत्र में मतदान बूथों की संख्या को देखते हुए यह आप पर निर्भर है कि, आप एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कितनी टेबिलो पर मतगणना करायें, लेकिन जिन टेबिलों पर आप किसी निर्वाचन क्षेत्र की प्रारम्भिक गणना करायें उन्हीं टेबिलों पर आप उसी निर्वाचन क्षेत्र की दूसरे चरण की गणना भी कराये तथा ऐसे निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना पूरी कर लेने व मतपत्रों के पैकिट सीलबंद कर देने के पश्चात् ही अगले निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना का कार्य उक्त टेबिलों पर प्रारम्भ करायें, ताकि मतपत्रों के अन्य निर्वाचन क्षेत्र के मतपत्रों में मिलने की संभावना न रहे।

4 गणन पर्यवेक्षक एवं गणन सहायक

1. नियम 49 (4) के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी मतगणना कार्य में अपनी सहायतार्थ व्यक्तियों को मतगणना हाल में आने की अनुमति देगा। जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर रिटर्निंग अधिकारी गणन पर्यवेक्षक व गणन सहायक आवश्यकता को देखते हुए नियुक्त करेगा। गणना स्थल के कमरों व हाल में निश्चित की गई टेबिलों की संख्या को देखते हुए रिटर्निंग अधिकारी को गणन–पर्यवेक्षक व गणन सहायक नियुक्त करने है, तथा 10 प्रतिशत रिजर्व भी रखने हैं।
2. गणन–पर्यवेक्षक आप यथासंभव राजपत्रित अधिकारियों या समकक्ष अधिकारियों को रखें, जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों या राज्य सरकार के अधीनस्थ निगमों, मण्डलों, संस्थानों के हों। गणन सहायक हालांकि राजपत्रित स्तर के न हों, लेकिन द्वितीय या तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हों। किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी से जुड़े हुये व्यक्ति गणन–पर्यवेक्षक या गणन सहायक नियुक्त न हों। गणन–पर्यवेक्षक व गणन सहायक निष्पक्ष व कर्त्तव्यनिष्ठ कर्मचारी/अधिकारी होने चाहिए। गणन–पर्यवेक्षकों व सहायकों (रिजर्व स्टाफ सहित) को भली–भांति प्रशिक्षण दिया जाना भी आवश्यक हैं। गणना के समय पर्यवेक्षकों व सहायकों को वैद्य–अवैद्य मतपत्रों को दर्शाते हुए उद्धरणों के पम्पलेट भी दिये जाने चाहिए।
3. गणन–पर्यवेक्षकों एवं गणन सहायकों के अतिरिक्त रिटर्निंग अधिकारी मतपत्रों व अन्य कागजात

को सील करने, मतपेटियों को लाने ले जाने के लिए भी सहायको की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन से करेगा।

5 गणन अभिकर्ताओं की संख्या व उनकी नियुक्ति

1. नियम 70 के अनुसार कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतपत्रों की गणना के समय अभ्यर्थी की ओर से उपस्थित रहने के लिए गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। गणन अभिकर्ताओं की संख्या गणना के लिए लगायी गई मेजों, जिसमें रिटर्निंग अधिकारी की मेज भी शामिल हैं, की संख्या से अधिक नहीं होंगी, साथ ही एक रिलीफ गणन अभिकर्ता भी नियुक्त किया जा सकता हैं। एक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्ररूप–10 में दो प्रतियों में किसी गणन अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है जिसकी एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी और दूसरी प्रति मतगणना प्रारम्भ होने से कम से कम आधा घण्टा पहले रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष गणन अभिकर्ता के द्वारा प्रस्तुत की जावेगी। एक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्ररूप–10 में एक पत्र पर एक गणन अभिकर्ता को नियुक्त कर सकता है। अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता जिन व्यक्तियों को गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करें, उनके हस्ताक्षर ऐसी नियुक्ति की सहमति के रूप में होने आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर गणन अभिकर्ता की सहमति के रूप में नहीं हों तो उसकी नियुक्ति मान्य नहीं होंगी।
2. मतगणना के प्रारम्भ होने के कम से कम आधा घन्टा पूर्व गणन अभिकर्ता को प्ररूप–10 में उसकी नियुक्ति का फार्म रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक है साथ ही, प्ररूप–10 की दूसरी प्रति में बतायी गयी घोषणा को पूरा करना भी उसके लिये आवश्यक है। गणन अभिकर्ता प्ररूप–10 की घोषणा पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करेगा अन्यथा मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण भी कर सकता है। गणन अभिकर्ता की नियुक्ति के प्रतिसंहरण के लिये कोई प्ररूप निर्धारित नहीं है। अतः ऐसे प्रतिसंहरण के लिये साधारण आवेदन पत्र में रिटर्निंग अधिकारी को पेश किया जा सकता है और किसी गणन अभिकर्ता को प्रतिसंहरण किये जाने के पश्चात् अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता उसकी एवज में अन्य गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है।
3. यह भी ध्यान रखने योग्य है कि, मतगणना हाल में अधिक भीड़–भाड़ नहीं हों। गणन अभिकर्ताओं एवं संबंधित अभ्यर्थियों व निर्वाचन अभिकर्ताओं को यह स्पष्ट रूप से बता दिया जावे कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की गणना कार्य के बीच में गणना कक्ष से उठकर जाने नहीं दिया जावेगा और एक बार जाने के पश्चात् पुनः नहीं आने दिया जावेगा।
4. राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी निश्चित किया है कि, गणन–अभिकर्ताओं को फोटो–परिचय पत्र के द्वारा ही प्रवेश दिया जावे। अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता जिन व्यक्तियों को गणन–अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त करें तो, प्ररूप–10 में गणन–अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष मतगणना के दिन से कम से कम दो दिन पूर्व प्रस्तुत होना चाहिए तथा ऐसे नियुक्ति पत्रों के साथ में प्रत्येक गणन–अभिकर्ता की दो फोटो पासपोर्ट साईज की रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी। उक्त दो फोटो में से एक–एक फोटो प्ररूप–10 में नियुक्ति पत्र की एक प्रति, जो कि रिटर्निंग अधिकारी को तत्समय प्रस्तुत की जावेगी पर चिपकाकर प्रस्तुत की जावेगी और ऐसी फोटो पर गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किये गये व्यक्ति के हस्ताक्षर भी होंगे तथा अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा ऐसे फोटो को प्रमाणित भी किया जावेगा। दूसरी फोटो पर भी गणन–अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे तथा उसे भी अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा प्रमाणित किया जावेगा। दूसरी फोटो गणन–अभिकर्ता को दिये जाने वाले बैज पर चिपकायी जावेगी। बैज पर जिला परिषद/पंचायत समिति का नाम, निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या, गणन–अभिकर्ता का नाम, अभ्यर्थी का नाम, आवंटित की गई टेबिल संख्या अंकित की जावेगी और रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे या हस्ताक्षरों की मोहर लगायी जावेगी। गणन–अभिकर्ताओं को दिये जाने वाले समस्त बैजों का इन्द्राज एक रजिस्टर में भी किया जावेगा। बैजों को क्रम संख्यांक भी दिये जावेंगे। बैजों पर

रिटर्निंग अधिकारी की स्टाम्प सील भी लगायी जावेगी। मतगणना के दिन, मतगणना कक्ष में बिना बैज के गणन–अभिकर्ताओं को प्रवेश नहीं दिया जावेगा। अभ्यर्थी को भी बैज दिया जावेगा, लेकिन उस पर फोटो लगाया जाना आवश्यक नहीं है। गणन–अभिकर्ताओं के लिए की गई उपरोक्त व्यवस्था के बारे में संबंधित राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय पूर्व, रिटर्निंग अधिकरी द्वारा सूचित किया जावेगा। जिला स्तर पर राजनीतिक दलों को उपरोक्त व्यवस्था के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी भी सूचित करेंगे। जिस गणना अभिकर्ता को जो टेबिल गणना कक्ष में आवंटित की गई है, ऐसा गणन–अभिकर्ता आवंटित टेबिल पर बैठ सकेगा अन्य कहीं नहीं। अभ्यर्थी को किसी भी टेबिल पर जाने का अधिकार है।

जिन निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना हो रही है, उन निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों व अभिकर्तातओं को ही गणना हाल में तत्समय रहने दें, शेष को किसी अन्य कक्ष में इन्तजार करने दिया जावे।

6. गणना की टेबिलों पर वांछित स्टेशनरी

मतगणना के लिए एक टेबिल पर निम्न सामग्री आवश्यक है :–

1. एक चाकू या ब्लेड
2. पेन्सिल / डॉटपेन
3. कागज की दो सीट
4. एक मजबूत नुकीली सलाई / पोकर
5. गीला स्पंज या छोटे कप में पानी
6. धागा या रबड़ बैंड
7. दो पेपर वेट या पत्थर के टुकड़े
8. काऊंटिंग चैक स्लिप
9. परिशिष्ट एक में बताया गया फार्म (प्रति मतदान केन्द्र एक)

7. गणना कक्ष में अनुशासन

किसी भी व्यक्ति को गणना कक्ष में बीड़ी–सिगरेट नहीं पीने दी जावेगी। रिटर्निंग अधिकारी को यह आश्वस्त होना है कि, मतगणना के दौरान सुव्यवस्थित और अनुशासनात्मक तरीके से मतगणना का कार्य सम्पन्न हों। मतगणना कक्ष के बाहर दरवाजे पर पुलिस के कर्मचारियों की ड्यूटी तैनात रखी जावे।

8. मतों की गोपनीयता बनाये रखना

धारा 128 लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के अनुसार लागू माने गये हैं। जिसके अनुसार मतदान की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। इन प्रावधानों के अनुसार मतगणना के दौरान प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या ऐसा अन्य व्यक्ति जो मतपत्रों की गणना या उनके अभिलेखन से संबंधित कोई कार्य करता है उसे मतों की गोपनीयता बनाये रखनी होंगी और ऐसी गोपनीयता बनाये रखने में सहायता भी करनी होंगी। मतों की गोपनीयता भंग करने से संबंधित कोई भी कार्य करने की अनुमति नहीं है और न ही ऐसी सूचना अन्य किसी व्यक्ति को बताने की अनुमति है। धारा 128 लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के बारे में मतगणना प्रारम्भ करने से पूर्व मतगणना कक्ष में सभी उपस्थित व्यक्तियों को जोर से बोलकर समझा दिया जाना चाहिए।

9. मतगणना स्थल में प्रवेश

1. नियम 49 के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी केवल मात्र निम्न प्रकार से व्यक्तियों को ही मतगणना स्थल में आने की अनुमति देगा अन्य किसी को नहीं (क) मतगणना के संबंध में उसकी

सहायतार्थ तैनात लोक–सेवक जिनमें गणन पर्यवेक्षक व गणन सहायक भी शामिल हैं, (ख) अभ्यर्थी।

2. उपरोक्त के अलावा नियम 70 के प्रावधानों में प्रत्येक गणन मेज पर एक से अनधिक गणन अभिकर्ता को भी प्रवेश दिया जावेगा। मतगणना प्रारम्भ करने से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को देख लेना चाहिये कि कोई व्यक्ति उपरोक्त व्यक्तियों के अलावा तो मौजूद नहीं है, यदि कोई हों तो उसे बाहर कर दिया जावे।
3. मतगणना कार्य में सहयोग के लिए तैनात स्टाफ में सामान्यतया पुलिस कर्मचारी/अधिकारी शामिल नहीं माने जाते, चाहे वे अपनी वर्दी में हों या सादा कपड़ों में, लेकिन कानून व्यवस्था से संबंधित या अन्य ऐसे ही किसी उद्देश्य के लिए रिटर्निंग अधिकारी किसी पुलिस कर्मचारी/अधिकारी को गणना कक्ष में बुला सकता है। सामान्य स्थिति में पुलिस कर्मचारी व अधिकारियों को गणना कक्ष में नहीं आने देना चाहिये, क्योंकि किसी अभ्यर्थी अथवा राजनीतिक दल द्वारा ऐसी शिकायत की जा सकती है कि, गणना कक्ष में अनावश्यक रूप से पुलिस का दिखावा किया गया है।
4. निर्वाचन ड्यूटी पर लोक–सेवकों में राज्य या केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्री भी शामिल नहीं है। राज्य या केन्द्र सरकार का कोई भी मंत्री संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थी या गणन अभिकर्ता की हैसियत में ही गणना कक्ष में प्रवेश कर सकता है। अन्यथा नहीं।
5. गणना कक्ष में व्यक्तियों की आवाजाही सुचारू रूप से रखी जावे ताकि भीड़–भाड़ नहीं हों और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हों।
6. यदि किसी व्यक्ति पर आपको संदेह हों तो आप उसे गणना कक्ष में प्रवेश करने की अनुज्ञा के बारे में जानकारी उस व्यक्ति से ले सकते हैं और उसका अनुज्ञा–पत्र भी देख सकते हैं।

10. मतपेटियों का खोले जाना

1. मतगणना प्रारम्भ करने के ठीक समय पर आप गणना मेजों पर मतदान बूथों पर उपयोग में लायी जाने वाली मतपेटियों को स्ट्रांग–रूम से मतदान बूथवार प्रारम्भिक मतगणना के लिये पहुंचाने का कार्य प्रारम्भ करा दें। एक मतदान बूथ में लायी गयी समस्त मतपेटियां एक साथ एक टेबिल पर पहुंचायी जावेंगी लेकिन एक मतदान बूथ की सभी मतपेटियां एक साथ नहीं खोली जाकर एक–एक करके खोली जावेंगी। मतपेटियों के साथ गणना मेज पर मतपत्र लेखा एवं पिंक पेपर सील का अभिलेख भी पहुंचाया जावेगा। प्रत्येक गणना टेबिल पर मतपेटियों के पहुंचाये जाने का हिसाब भी आपको रखना है।

2. जैसे ही एक मतदान बूथ की मतपेटियां गणना टेबिल पर पहुंचे तो गणनादल को मतपेटियों की सील को चैक करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि कहीं कोई सील टूटी हुयी या तोड़ी हुई तो नहीं है। अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता को भी अवसर देना चाहिए कि, वह देख सके कि, मतपेटियों पर लगी हुई सीलें सही हैं और तोड़ी हुई तो नहीं हैं। यह भी संभव है कि, लाने–ले जाने में मतपेटियों के बाहर की सील टूट जावे या हट जावे लेकिन मतपेटी पर पिंक पेपर सील का लगे होना आवश्यक है और यदि पिंक पेपर सील सही लगी हुई है तो, सील टूटी हुई नहीं मानी जावेगी, क्योंकि पिंक पेपर सील के सही लगे होने से मतपेटियों में कोई हेर–फेर होने की संभवना नहीं रहती है। यदि पिंक पेपर सील सही पायी जाती है और मतपेटी में बाहर की सील टूटी हुई पायी जाती है तो अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता को समझाकर संतुष्ट कराया जा सकता है फिर भी उन्हें कोई आपत्ति हों तो ऐसी आपत्ति को आप निरस्त कर देंगे।

3. पिंक पेपर सील लेखा से मिलान कर मतदान बूथ पर प्रयुक्त की गई पिंक पेपर सील और मतपेटी में लगी हुई पिंक पेपर सील की पहचान की जा सकती है। मतपेटी में रखे हुये एड्रेस टेग से मतपेटी की पहचान भी निश्चित की जा सकती है। अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं की पिंक पेपर सील और मतपेटी की पहचान करने का अवसर दिया जावे और एड्रेस टेग तथा पिंक पेपर सील के लेखा कोण अवलोकन करने का अवसर भी दिया जावे।

4. अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को पिंक पेपर सील के नंबर नोट करने की अनुमति भी दी जावे। यदि मतपेटी में लगी पिंक पेपर सील का नंबर पिंक पेपर सील के लेखा से मेल नहीं खाता है तो, ऐसी स्थिति में आप मतदान अधिकारियों द्वारा उपयोग में नहीं लायी गयी पेपर सीलों का भी निरीक्षण करें और देखें कि, क्या मतदान अधिकारी द्वारा पेपर सीलों का नंबर अंकित करने में कोई भूल तो नहीं हुई है। अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को भी वस्तुस्थिति से अवगत करावें और यदि आपको यह संतुष्टि हो जाती है कि, मतपेटियों की सील तोड़ी गयी है और कोई हेर–फेर हुआ है तो ऐसे तथ्य की रिपोर्ट आप राज्य निर्वाचन आयोग के अग्रिम आदेश तक रोक देंगे तथा उन्हें पृथक रख देंगे। राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में आप ऐसी मतपेटियों को पुनः सीलबंद कर पृथक से रखने की रिपोर्ट भी भेजेंगे।

5. जिन मतदान बूथों पर मतपेटियों की सीलें सुरक्षित पायी जाती है, उनकी प्रारम्भिक गणना तुरन्त शुरू करवा दी जावेगी। एक मतदान बूथ पर लायी गयी मतपेटियों को एक–एक कर खोले जाने के दौरान, अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ताओं को यह संतुष्ट होने का अवसर दिया जावेगा कि, प्रत्येक मतपेटी में से समस्त मतपत्र निकाल लिये गये हैं और मतपेटी खाली कर दी गई है। गणना दलों के द्वारा यह सावधानी बरती जावे कि, कोई भी अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता किसी भी मतपेटी को हाथ नहीं लगा सके, हालांकि वह मतपत्रों को देख सकता है।

11. प्रारम्भिक मतगणना

जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य दोनों निर्वाचनों के लिए बूथवार एक ही मतपेटी होने के कारण मतों की गणना साथ–साथ होगी। पंचायत समिति निर्वाचन के मामले में मतपत्रों को निर्वाचन क्षेत्रवार मिलाकर गणना की जावेगी। जहॉ तक संभव हो जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान बूथ एक ही मतगणना कक्ष में मतगणना में लिये जायेंगे लेकिन यदि किसी पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के जिला परिषद के दो निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित होने के कारण या अन्य कारण से यह संभव नहीं हो तो, जिला परिषद के एक निर्वाचन क्षेत्र को एक से अधिक मतगणना कक्षों में लिया जा सकता है। लेकिन जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के ऐसे आंशिक भाग में शामिल मतदान बूथों के मतपत्रों की गणना एक ही मतगणना कक्ष में की जावेगी उन्हें दूसरे मतगणना कक्ष में नहीं ले जाया जायेगा। जहॉ जिला परिषद के एक निर्वाचन क्षेत्र की मतपेटियॉ एक से अधिक कक्षों में गणना में ली गई है, वहॉ उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना कक्षवार मतपत्रों को मिलाया जायेगा। पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले सभी मतदान बूथों को एक ही मतगणना कक्ष में गणना के लिए लिया जावेगा।

मतगणना दलों के द्वारा मतपत्रों को एक एक बूथवार लिया जावेगा। प्रारम्भिक चरण में मतपत्रों के बण्डलों को मिलाये जाने के लिए जिला परिषद सदस्य निर्वाचन के लिए पृथक ड्रम/बक्सा होगा और पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के लिए पृथक ड्रम/बक्सा होगा। जिस मतगणना कक्ष में एक से अधिक जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र मतगणना में आयेंगे उस मतगणना कक्ष में उतनी संख्या में ड्रम/बक्से जिला परिषद सदस्य मतगणना हेतु रखें जावें।

प्रत्येक मतगणना कक्ष में प्रारम्भिक चरण की मतगणना अर्थात मतपत्रों को मिलाया जाकर की गई मतगणना पूरी होने के पश्चात ही द्वितीय चरण की वास्तविक मतगणना प्रारम्भ की जावे।

डाक मतपत्रों की गिनती रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जानी है। डाक मतपत्रों की गणना मतगणना प्रारम्भ होने के समय ही प्रारम्भ कर दी जावे। ताकि मतदान बूथों पर डाले गये मतपत्रों को मिलाये जाने के प्रारम्भिक मतगणना वाले चरण के दौरान ही डाक मतपत्रों की गिनती का कार्य पूर्ण हो सके। जिला निर्वाचन अधिकारी डाक मतपत्रों की संख्या एवं अन्य व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए डाक मतपत्र की गिनती के लिए पृथक से सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी लगाये जाने की व्यवस्था कर सकते है। इसमें में भी कोई आपत्ति नहीं है कि जिला परिषद सदस्य चुनाव एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए

एक ही सहायक रिटर्निंग अधिकारी डाक मतपत्रों की गिनती करे। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि वह अधिकारी दोनों निर्वाचनों के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त है।

<u>मतगणना की विस्तृत प्रक्रिया निम्नप्रकार वर्णित है :–</u>

1. प्रारम्भिक मतगणना में मत की गोपनीयता बनायी रखी जावेगी जब मतपेटी में से मतपत्र निकाला जावेगा तो वे दो प्रकार से मुड़े हुये होवें। एक तो लम्बाई में (Vertical) दूसरा चौड़ाई में (Horizontal) गणना दल मतपत्रों को चौड़ाई में पाये जाने वाले मोडों को ही सीधा कर देंगे, लेकिन मतपत्रों के लम्बाई (Vertical) मोड़ों को नहीं खोलेंगे। प्रारम्भिक मतगणना में केवल मात्र यह देखना है कि उक्त मतदान बूथ पर कुल कितने मत डाले गये हैं और मतपेटियों में कुल कितने मतपत्र पाये गये हैं। मतदान बूथ पर प्रयोग में लायी गयी मतपेटी या मतपेटियों में से निकाले गये कुल मतपत्रों की संख्या मतपत्र लेखा के मद 5 से मेल करनी चाहिए। यदि मतपत्र लेखा के मद संख्या 5 तथा प्रारम्भिक मतगणना में निकाले गये कुल मतपत्रों की संख्या में कोई अन्तर पाया जाता है तो ऐसे अन्तर का इन्द्राज संलग्न परिशिष्ट–1 में गणना पर्यवेक्षक द्वारा किया जावेगा और हस्ताक्षरित किया जावेगा तथा रिटर्निंग अधिकारी अपनी संतुष्टि के पश्चात् उस पर हस्ताक्षर करेगा।
2. जिन मतदान बूथें पर प्रारम्भिक मतगणना में मतपेटियों में से निकाले गये मतपत्रों और मतपत्र लेखा के मद संख्या 5 में कहीं अन्तर नहीं हों अथवा अन्तर तो है, लेकिन आपको यह संतुष्टि हों कि, मतदान बूथ पर मतदान को दूषित करने वाली कोई अनियमितता नहीं हुई है तो, आप गणना दलों से मतगणना का कार्य चालू रखवायेंगे। मतपेटियों में से निकाले गये मतपत्र 50–50 के बण्डलों में रबड़ बेंड या धागे से बांधे जावेंगे और इस प्रकार से बांधे जावेंगे, ताकि कोई मतपत्र उस बण्डल में से नहीं निकल सके।
3. जब किसी मतदान बूथ की मतपेटी या मतपेटियों के समस्त मतपत्रों की प्रारम्भिक गणना कर ली जावे तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियुक्त एक संग्रहण अधिकारी (Collection Officer) प्रत्येक गणन टेबिल से निम्न 3 प्रकार की सामग्री प्राप्त करेगाः–
   (1) मतपत्र लेखा एवं परिशिष्ट–1 परस्पर नत्थी किये हुए तथा पेपर सील एकाउण्ट।
   (2) मतपत्रों के बण्डल जिसमें 50–50 के बण्डल होंगे और कोई एक बण्डल 50 से कम भी हो सकता है।
   (3) खाली मतपेटी / मतपेटियॉ
4. यहॉ यह ध्यान रखना है कि गणना दलों को उक्त सामग्री संग्रहण अधिकारी तक पहुंचाने के लिए उठकर जाना नहीं पड़े बल्कि संग्रहण अधिकारी की सहायतार्थ लगे कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि किसी गणन टेबिल पर जैसे ही प्रारम्भिक मतगणना का कार्य पूरा होता है वह उक्त सामग्री गणन टेबिल से प्राप्त कर लें और अगले दौर (Round) के लिये आवंटित मतदान बूथ की मतपेटियों को तत्काल पहुॅचा दें, ताकि समय खराब नहीं हों।
5. मतपत्र लेखा परिशिष्ट–1 एवं पेपर सील एकाउण्ट पर गणन पर्यवेक्षक द्वारा अपना टेबिल नं. नोट कर दिया जावे, ताकि आगे मिलान आदि में सुविधा रहे।
6. गणन टेबिल से संग्रहण अधिकारी उक्त सामग्री प्राप्त कर लेने के पश्चात 50–50 मतपत्रों के बंधे हुये बण्डल संबंधित वार्ड के लिये रखे गये ड्रम या बड़े बक्से में डालेगा और जो 50 से कम मतपत्र के बण्डल हों उन्हें वह पृथक से एक ट्रे में रख लेगा। प्रारम्भिक मतगणना में भिन्न–भिन्न टेबिलों से उक्त निर्वाचन क्षेत्र के ऐसे समस्त 50–50 मतपत्रों के बण्डलों को संग्रहण अधिकारी उसी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के ड्रम में या बड़े बक्से में डालता जावेगा और 50 से कम मतपत्रों के ऐसे बण्डलों को पृथक ट्रे में रखकर उनके भी 50–50 के बण्डल बनायेगा तथा अंत में सभी बण्डलों को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के ड्रम या बड़े बक्से में डाल

देगा। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान बूथों की प्रारम्भिक गणना हो जाने के पश्चात् ड्रम या बड़े बक्से में रखे गए मतपत्रों के बण्डलों को आपसे में मिलाया जावेगा लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि, कोई मतपत्र मिलाये जाने की प्रक्रिया में खराब नहीं हों जावें और बण्डल बिखरे नहीं।

7. संग्रहण अधिकारी गणन टेबिलों से प्राप्त किये गये मतपत्र लेखा एवं परिशिष्ट–1 के अधार पर परिशिष्ट–4 (अंतिम परिणाम के लिए चैक मीमो) के भाग–1 में मतदान बूथवार मतपेटियों में पाये गये कुल मतपत्रों की संख्या का अंकन करेगा।

   संग्रहण अधिकारी के द्वारा एक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित परिशिष्ट–4 के भाग एक की पूर्ति करने के पश्चात् संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान बूथों के मतपत्र लेखा, परिशिष्ट–1 पेपर सील एकाउण्ट एवं परिशिष्ट–4 को रिटर्निंग अधिकारी को सुपुर्द कर देगा।

8. गणना दलों द्वारा जब 50 से कम के बण्डल बनाये जावें तो उनके द्वारा बण्डल के ऊपर स्लिप लगाकर उनकी संख्या एक गोल में अंकित कर देनी चाहिये। यदि कागज की स्लिप नहीं लगायी जाती है तो बण्डल के पीछे वाले मतपत्र के पीछे की साईड में पेन्सिल से बण्डल के मतपत्रों की संख्या गोले में अंकित कर देनी चाहिये। संग्रहण अधिकारी भी जब ऐसे बण्डलों से 50–50 के बण्डल बनाये और अंत में 50 से कम का मतपत्रों का बण्डल बचे तो उस पर भी ऐसी ही कार्यवाही करें।

9. यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि, प्रारम्भिक मतगणना की उपरोक्त प्रक्रिया में मतपत्र को नहीं खोला जावेगा और मतपत्र की गोपनीयता रखी जावेगी।

12. मतगणना का दूसरा चरण

1. मतगणना के दूसरे चरण में मतपत्रों की छंटनी की जावेगी और उनकी अभ्यर्थीवार गिनती की जावेगी। अभ्यर्थीवार गिनती के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी व नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) के लिए अलग–अलग लोहे की ट्रे रखनी चाहिये, लेकिन जहॉ अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हैं, वहां सभी अभ्यर्थियें के लिय पृथक–पृथक लोहे की ट्रे रखा जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में आप यह व्यवस्था कर लें कि, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के लिये तो आप पृथक–पृथक ट्रे निर्धारित करलें और गणना के दौरान जब यह लगे कि कोई निर्दलीय अभ्यर्थी या नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) को भी प्राप्त होने वाले मतपत्रों की संख्या ट्रे के लिए पर्याप्त है तो, आप उसकी ट्रे भी पृथक से और रख लें। शेष अभ्यर्थियों के लिये आप एक कॉमन ट्रे रख लें तथा संदेहपूर्ण मतपत्रों के लिये मतपत्रों के लिये पृथक ट्रे रखवायें। लोहे की ट्रे जो अभ्यर्थियों के लिए पृथक–पृथक रखी जावे उनके दोनो साईडों में कागज चिपकाकर अभ्यर्थियों के नाम एवं नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) अंकित कर दिया जावे तथा संदेहपूर्ण मतपत्रों की ट्रे के लिए भी दोनों साईड में अंकन कराया जाय ताकि गणना में कोई भ्रांति नहीं हों।
2. निर्वाचन मतपत्रों के बंडलों के लिये रखे गये ड्रम या बड़े बक्से के लिए मतगणना के प्रारम्भिक चरण (First Phase) में जो संग्रहण अधिकारी था वह अब द्वितीय चरण में वितरण अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। वितरण अधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए आवंटित टेबिलों पर 50–50 मतपत्रों के 20 बण्डल अर्थात कुल 1000 मतपत्र एक खाली मतपेटी में रखकर पहुॅचायेगा। निर्वाचन क्षेत्र का वितरण अधिकारी किसी टेबिल पर मतपत्रों के बण्डलों के साथ परिशिष्ट–2 (मतगणना के लिए चैक मीमो) का भाग–1 भी भरकर पहुंचायेगा जिसमें अंकन किया जावेगा कि, 50–50 मतपत्रों के कितने बण्डल हैं और 50 से कम के बण्डल में कितने मतपत्र हैं। परिशिष्ट–2 के भाग–1 में वितरण अधिकारी मतपत्रों की कुल संख्या भी अंकित करेगा और अपने हस्ताक्षर करेगा। परिशिष्ट–2 को भरने का तरीका परिशिष्ट–3 में उदाहरण के रूप में समझाया गया है। गणना दलों द्वारा उसे प्रथम दौर (Round) में प्राप्त हुये बण्डलों को टेबिल पर रखकर छंटनी प्रारम्भ कर ली जावेगी और मतपेटी जो बंडलों के साथ प्राप्त हुई थी वह

खाली कर ली जावेगी। जैसे ही मतपेटी खाली हों, वितरण अधिकारी गणन मेज से उस मतपेटी को उठवा लें। गणना दलों द्वारा जैसे ही किसी दौर की गणना का कार्य पूरा कर लिया जावे तो विवरण अधिकारी यह ध्यान रखें कि अगले दौर (Round) के लिए मतपत्रों के बण्डल पहुँचायें। वितरण अधिकारी को यह ध्यान स्वतः ही रखना है, क्योंकि रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी संदेहपूर्ण मतपत्रों के निस्तारण में व्यस्त रहेंगे। परिशिष्ट–2 में बताये गये मतगणना के लिये चैक मीमो प्रत्येक टेबिल के प्रत्येक दौर (Round) के लिए भिन्न–भिन्न होगा। गणन दलों द्वार मतगणना के दूसरे चरण के प्रत्येक दौर में मतपत्रों की संवीक्षा की जावेगी और अभ्यर्थीवार गिनती की जावेगी तथा नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) को प्राप्त मतों की भी अलग से गिनती की जाएगी। तद्नुरूप मतपत्रों के बंडल बनाये जावेंगे। बनाये गये बंडल भी 50–50 की संख्या में होंगे और कोई बंडल ऐसा हो सकता है जिसमें 50 से कम मतपत्र हों। अभ्यर्थी के सभी मतपत्रों के बंडलों को एक साथ रबड़ बेंड अथवा धागे में बांधकर एक अभ्यर्थी के लिये बड़ा बंडल बनाया जावेगा तथा उस बड़े बंडल पर एक चैक स्लिप भी लगायी जावेगी। इसी प्रकार नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) को प्राप्त सभी मतपत्रों का बंडल बनाकर उस पर चैक स्लिप लगाई जाएगी। चैक स्लिप में उस दौर (Round) में अभ्यर्थी का और उसे प्राप्त मतों की संख्या अंकित की जावेगी। यह चैक स्लिपें मुद्रित भी हो सकती हैं, फोटोप्रतियाँ भी हों सकती हैं अथवा कम मात्रा में अपेक्षित हों तो हस्तलिखित भी हों सकती है। चैक स्लिप का नमूना निम्न प्रकार से हैं :–

गणना की तारीख : ....

(1) जिला परिषद/पंचायत समिति का नाम ....
(2) निर्वाचन क्षेत्र संख्या ....
(3) दौरों (Rounds) की संख्या ....
(4) टेबिल संख्या ....
(5) अभ्यर्थी का नाम व उसे प्राप्त विधिमान्य मत ....
(6) नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) को प्राप्त विधिमान्य मत ....

हस्ताक्षर रिटर्निंग अधिकारी   हस्ताक्षर पर्यवेक्षक

3. उक्त चैक स्लिपें गणन पर्यवेक्षक के द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिये। अभ्यर्थियों के लिए मान्य मतपत्रों के अभ्यर्थीवार व नोटा के लिए बनाये गये बंडलों के अतिरिक्त एक पृथक बंडल संदेहपूर्ण (Doubtful) मतपत्रों का गणनदल द्वारा बनाया जावेगा तथा सभी संदेहपूर्ण मतपत्र एक ही बंडल में रबड़ बैंड या धागे से बांध दिये जावेंगे तथा संदेहपूर्ण मतपत्रों वाली चैक स्लिप बंडल में ही ऊपर बांध दी जावेगी, यह चैक स्लिपें लाल रंग की है, ऐसी स्लिप पर ''संदेहपूर्ण मतपत्र'' तथा ऐसे मतपत्रों की संख्या अंकित की जावेगी जिस पर गणन पर्यवेक्षक अपने हस्ताक्षर करेगा। अभ्यर्थीवार गणना करने के पश्चात गणना दल द्वारा परिशिष्ट–2 के चैक मीमो के भाग–2 में गणना का परिणाम अंकित किया जावेगा, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी व नोटा को प्राप्त हुये वैध मतपत्रों की संख्या अभ्यर्थी का नाम व नोटा अंकित करते हुये लिखी जावेगी और संदेहपूर्ण मतपत्रों की संख्या भी अंकित की जावेगी। परिशिष्ट–2 के भाग–2 में गणन पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर भी अंकित करेगा। एक दौर (Round) की गणना करने के पश्चात गणन पर्यवेक्षक अभ्यर्थीवार बंडलों व नोटा के लिए बंडल, संदेहपूर्ण मतपत्रों के बंडल और परिशिष्ट–2 के चैक मीमों में एक साथ बांधकर रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी या तो उसी समय संदेहपूर्ण मतपत्रों का निस्तारण प्रारम्भ कर देगा और यदि अन्य कार्य में व्यस्त है तो उसे पीजन हॉल (Pigeon Hole) जो कि उसकी टेबिल के निकट ही होंगा, में रखवा देगा और जैसे ही रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को समय मिलेगा वह पीजन हॉल से उक्त अभ्यर्थीवार बंडल व नोटा के लिए बंडल, संदेहपूर्ण मतपत्रों के बंडल एवं चैक मीमो को लेकर टेबिल पर आगे की कार्यवाही प्रारम्भ कर देगा और संदेहपूर्ण मतपत्रों के निस्तारण कर परिशिष्ट–2 के भाग–2 में अभ्यर्थियों के नामों के सामने संदेहपूर्ण मतपत्रों के निस्तारण के

अनुसार मतपत्रों की संख्या जोड़ देगा तथा खारिज मतपत्रों की संख्या भी यथा स्थान अंकित कर देगा और अपने हस्ताक्षर करेगा। तत्पश्चात् संबंधित टेबिल के संबंधित दौर में गणना किये गये मतपत्रों के बण्डल (वैध मतपत्रों का पृथक बंडल और खारिज किये गये मतपत्रों का पृथक बंडल) सील करने की कार्यवाही संबंधित स्टाफ से तुरन्त करवा लेगा।

4. इस प्रकार एक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना का कार्य सम्पन्न करा लिया जावेगा। ध्यान रहे, किसी एक निर्वाचन क्षेत्र के मतपत्र किसी अन्य वार्ड के मतपत्रों में शामिल नहीं हों जावें।

5. गणना दलों को और अभ्यर्थी व उनके अभिकर्ताओं को तथा गणना कार्य में लगे अन्य स्टाफ को यह अच्छी तरह से समझा दिया जावे कि कोई भी अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ताओं द्वारा किसी भी मतपत्र के हाथ नहीं लगाया जावे। लेकिन, अभ्यर्थियों को या उनके अभिकर्ताओं को मतपत्रों के अवलोकन करने की अनुमति अवश्य दी जानी चाहिये। यह ध्यान रहे कि कोई भी निविदत्त मतपत्र का लिफाफा नहीं खोला जावे।

6. सहायक निर्वाचन अधिकारी भी रिटर्निंग अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये अधिकृत हैं। सहायक रिटर्निंग अधिकारी संदिग्ध मतों में निर्णय देने में सक्षम है। अतः जहॉ आवश्यक हों आप सहायक रिटर्निंग अधिकारी को भी स्वतन्त्र रूप से अलग हॉल में संदेहपूर्ण मतपत्रों के निस्तारण का कार्य सौंप सकते हैं, लेकिन फिर भी नियंत्रण रिटर्निंग अधिकारी का ही होंगा।

7. गणना दलों के सदस्यों को आप यह भली–भांति समझा देवें कि, जो वास्तव में संदेहपूर्ण मतपत्र हैं या जिनके लिये अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ताओं को संदेहपूर्ण मतपत्रों के बंडल में रखें, अन्यथा नहीं ताकि रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निस्तारित किये जाने वाले संदेहपूर्ण मतपत्रों की संख्या अनावश्यक रूप से नहीं बढ़े।

8. रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी की टेबिलों के उतने ही पीजन हॉल (Pigeon Hole) बनाए जावें, जितनी गणना टेबिलें हैं। पीजन हॉल्स के कॉलमों को क्रम–संख्यांकित भी किया जावे और उन पर संबंधित टेबिलों को आवंटित किए गए वार्डों के अनुरूप हों उन पर वार्ड क्रम संख्या भी अंकित की जावे। जब गणन पर्यवेक्षक मतपत्रों की संवीक्षा के पश्चात् आपके पास मतपत्रों के बंडलों को लावे तो आप उसे संबंधित पीजन हॉल में रखने के लिए कह दें।

9. जब आपके द्वारा गणना मेज से आये हुये मतपत्रों के बंडल संदेहपूर्ण मतपत्रों के निस्तारण के लिये दिया जावे तो आप अभ्यर्थियों को प्राप्त मतपत्रों के अनुसार गणनादलों द्वारा बनाये गये बंडलों की भी टेस्ट चैंकिंग करेंगे। प्रत्येक टेबिल के प्रत्येक दौर (Round) की टेस्ट चैकिंग किया जाना आवश्यक है, ताकि किसी गणना दल द्वारा यदि कोई गलती की जा रही है तो यह भी पकड़ में आ सकती है। साथ ही, ऐसा करने से पुनः गणना के आवेदन पत्रों पर आपको निर्णय लेने में भी आसानी रहेगी।

10. आपको संदेहपूर्ण मतपत्रों का निस्तारण करना है तब निम्न प्रकार के मतपत्रों को अस्वीकार करना है :–

(क) यदि मतपत्र पर अग्रभाग पर कोई निशान नहीं है, या

(ख) यदि मतपत्र पर ऐसे उपकरण से चिन्ह अभिलिखित नहीं किये गये हैं, जो कि इस प्रयोजनार्थ दिया गया था, या

(ग) यदि मतपत्र के रिक्त स्थान पर चिन्ह अभिलिखित किया गया है, अर्थात या तो मतपत्र के पीछे अथवा पूरा चिन्ह मतपत्र के छायांकित भाग पर है, या

(घ) यदि मतपत्र में दो या अधिक अभ्यर्थियों या अभ्यर्थी व नोटा के सामने चिन्ह अभिलिखित है, या

(ण) यदि मतपत्र पर कोई ऐसा चिन्ह या लेख है जिससे कि निर्वाचक की पहचान हों सकती हों, या

(च) यदि मतपत्र इस प्रकार बिगाड़ दिया गया हों कि जिसकी पहचान नहीं हों सकती हों, या

(छ) यदि मतपत्र अनिश्चितता के कारण शून्य हों, या

(ज) यदि मतपत्र पर चिन्ह ऐसी रीति से लगाया गया हों जिससे यह सन्देह होता है कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है, या

(झ) यदि मतपत्र जाली हों, या
(ड) मतपत्र नियम 39 के प्रावधानों के अधीन अधिप्रमाणित नहीं हों अर्थात सुभेदक चिन्ह और मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर दोनों ही नहीं हों।

आपके द्वारा अस्वीकृत किये गये मतपत्रों के पीछे ''अस्वीकृत'' शब्द अंकित करना है। साथ ही जिस कारण से अस्वीकार किये गये हों, वह भी आपको सांकेतिक तरीके से अंकित करना है जिसके लिए एक रबड़ स्टाम्प भी आप तैयार करवालें, चाहे तो आप हाथ से भी लिख सकते हैं। इस कार्य में आप अपने सहायकों की मदद भी ले सकते हैं लेकिन निर्णय स्वयं आपको ही करना है और उस पर हस्ताक्षर भी करना है, तारीख लगाने की आवश्यकता नहीं है। रबड़ स्टाम्प निम्न प्रारूप में आप तैयार कर सकते हैं :

''अस्वीकृत''

(1) कोई निशान नहीं
(2) रिक्त स्थान पर चिन्ह
(3) एक से अधिक मत
(4) मतपत्र विकृत
(5) नकली मतपत्र
(6) निर्वाचक पहचान

रिटर्निंग अधिकारी

किसी मतपत्र को अस्वीकृत करने से पहले अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता को देखने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए । यदि कोई अभिकर्ता या अभ्यर्थी मतपत्र का क्रम संख्या इस आधार पर नोट करना चाहे कि मतपत्र तो सही है लेकिन आपके द्वारा उसे गलत रूप से अस्वीकार कर दिया गया है या मतपत्र नामंजूर होने योग्य है लेकिन उसे किसी अभ्यर्थी के पक्ष में स्वीकार कर लिया गया है तो आप उसे ऐसे मतपत्र की क्रम–संख्याक नोट करने की अनुमति दे दें। किसी भी अभ्यर्थी या अभिकर्ता की अनावश्यक मांग को आप अस्वीकार कर देवें। यह आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अभ्यर्थी या अभिकर्ता किसी भी मतपत्र के हाथ नहीं लगाये।

11. संदेहपूर्ण मतपत्रों के निस्तारण के समय निम्नांकित आधारो पर मतपत्र को नामंजूर नहीं किया जावे, यदि–

(क) किसी अभ्यर्थी के कॉलम में एक से अधिक चिन्ह हों,
(ख) किसी एक ही अभ्यर्थी के कॉलम में स्पष्ट चिन्ह अभिलिखित हों, लेकिन मतपत्र के पीछे या छायांकित क्षेत्र के भीतर चिन्ह लगा हुआ हों।
(ग) किसी अभ्यर्थी के कॉलम में कोई चिन्ह आंशिक रूप से अंकित हों और आंशिक रिक्त स्थान में आया हुआ हों,
(घ) किसी एक अभ्यर्थी के कॉलम में चिन्ह मूलतः लगाया गया था लेकिन गलत तरीके से मोडे जाने पर ऐसे चिन्ह का इम्प्रेशन किसी अन्य अभ्यर्थी के कॉलम में भी आ गया हों। ऐसे इम्प्रेशन को देखना चाहिए कि वह घडी की उल्टी दिशा में है या सीधी दिशा में है। जो मूल चिन्ह होगा, घडी की उल्टी दिशा में होगा क्योंकि ऐरोक्रॉस मार्कसील के तीरों के निशान घडी की उल्टी दिशा (Anti clock-wise) में ही होते है। अतः गलत तरीके से मोडे जाने पर उसका इम्प्रेशन घडी की सीधी दिशा (Clock-wise) में आयेगा।
(ण) किसी एक अभ्यर्थी के कॉलम में चिन्ह अंकित हों लेकिन स्याही का धब्बा किसी अन्य अभ्यर्थी के कॉलम में भी लग सकता है।

(च) यह संतुष्टि हों जावे कि मतपत्र के पीछे सुभेदक चिन्ह की मोहर और मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर मतदान अधिकारी की गलती या असफलता से नहीं हुये है।

(छ) चिन्ह अस्पष्ट हों या एक से अधिक बार लग गये हों और यदि यह आशय कि मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए होगा मतपत्र पर चिन्ह लगाने की रीति से स्पष्ट रूप से प्रकट होता हों,

(ज) निर्वाचन के अंगूठे या अंगुली पर ऐसे क्रास सील या स्टाम्प पैड आदि से लगी स्याही की वजह से मतपत्र को पकडते समय हल्का इम्प्रेशन या धब्बे मतपत्र पर लग गये हों।

12. संदेहपूर्ण मतपत्रों के निस्तारण में अस्वीकार किये गये मतपत्रो का एक पृथक बंडल बनाया जावेगा। प्रत्येक राउण्ड की प्रत्येक टेबिल के संदेहपूर्ण मतपत्रों के निस्तारण में अस्वीकार किये गये मतपत्रों को एक पृथक बंडल में बांधे।

13. जो मतपत्र नामंजूर नहीं किये जाते है, वे विधिमान्य मत के रूप में गिने जावेगें। जो मतपत्र आप संदेहपूर्ण मतपत्र के बंडल में से स्वीकार करेगें उनकी संख्या को संबंधित अभ्यर्थियो के कॉलम में परिशिष्ट–2 के भाग–2 मे जोड देंगे तथा खारिज मतपत्रो की संख्या भी अंकित कर देंगे, तत्पश्चात रिटर्निंग अधिकारी अपने हस्ताक्षर चैक मीमो (परिशिष्ट–2) में करेगा। गणना मेजों से आये हुए बंडलो की टैस्ट चैंकिग के समय यह भी देखें कि, अभ्यर्थीवार बनाये गये बंडलो में किसी अन्य अभ्यर्थी या नोटा को दिये गये मत किसी अन्य अभ्यर्थी या नोटा के बंडल में तो नहीं बांधा हुआ है और नामंजूर किये जाने योग्य मतपत्र तो इसमें नहीं है। यदि यह पाया जावे कि गणनादल द्वारा किसी अभ्यर्थी के बंडल में अन्य अभ्यर्थी या नोटा को मिले मतपत्र भी बांधे हुये है या नामंजूर किये जाने योग्य मतपत्रो को भी ऐसे अभ्यर्थी के बंडल में बांधा हुआ है तो आपको इस पूरे बंडल को चैक करना चाहिए और यदि आपको यह लगे कि सबंधित गणनादल द्वारा ऐसी गलती और भी की गई है तो ऐसे गणनादल के द्वारा गणना किये गये समस्त मतपत्रों को किसी अन्य गणना दल द्वारा पुनः गणना करवानी चाहिए।

14. टैस्ट चैंकिग और संदेहपूर्ण मतपत्रो के निस्तारण के पश्चात आपको चैक मीमो (परिशिष्ट–2) के भाग 2 में अभ्यर्थियों के सामने अंकित उनके वैध मतपत्रो की संख्या, जो कि गणन पर्यवेक्षक द्वारा अंकित की गई है, में आवश्यक संशोधन जोडकर या घटाकर कर देना चाहिए । गणन पर्यवेक्षक के द्वारा किये गये अंकनो को ओवर–राईटिंग नहीं करना चाहिए।

15. जैसे–जैसे टेबिलवार आप मतपत्रो का निस्तारण करते आवे तब परिशिष्ट–2 के चैक मीमो पर आप हस्ताक्षर कर गणना के परिणाम की तैयार करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रवार सारणीकरण हेतु भी कार्य करवाते जावें जिसके आप अपनी टेबिल के पास ही किसी समझदार अधिकारी/कर्मचारी को बिठाकर रखें। निर्वाचन क्षेत्र में टेबिलवार सारणीकरण करने का कार्य परिशिष्ट 4 के चैक मीमो में किया जावेगा जिसमें प्रत्येक दौर का योग लगाया जावेगा तथा अभ्यर्थीवार व नोटा को प्राप्त विधिमान्य मतों का योग, कुल विधिमान्य मतों का योग, खारिज मतपत्रों की संख्या एवं विधिमान्य व खारिज मतपत्रों की संख्या एवं विधिमान्य व खारिज मतपत्र का योग अन्त में लगाया जावेगा। परिशिष्ट 4 के चैक मीमो के आधार पर प्ररूप–7 में अंकित परिणाम पत्र की पूर्ति की जावेगी।

16. परिशिष्ट–1, परिशिष्ट–2, परिशिष्ट–4, के फार्म आप यथानुकुल या तो फोटोकॉपी करवा लें या मुद्रित करवालें।

17. प्रत्येक राउण्ड में प्रत्येक टेबिल के अभ्यर्थीवार व नोटा को प्राप्त विधिमान्य मतपत्रों के सभी बंडलो को एक बडे बंडल में बांध दिया जावे। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन में विधिमान्य मतपत्रो के ऐसे बंडल को एक निर्वाचक क्षेत्रवार एक लिफाफे (लिफाफा नं–पी. 34) में सील किये जावें, इसी प्रकार जिला परिषद के विधिमान्य मतपत्र भी पृथक लिफाफे (पी. 35) में निर्वाचन क्षेत्रवार सील किये जावें। नामंजूर किये गये मतपत्रो को भी पृथक बंडल में बांध दिया जावे तथा जिला परिषद सदस्य निर्वाचन में खारिज मतपत्र निर्वाचन क्षेत्रवार एक लिफाफे (पी. 37) में सील में किये जावें तथा पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन में खारिज मतपत्र पृथक लिफाफे (पी. 36) में सीलबंद किये जावें। इन लिफाफों को चपड़ी से सील किया जावे।

लिफाफा नं–पी 34, 35, 36, 37 निर्वाचन क्षेत्रवार सील होंगें जिनको मोहरबंद करते समय यह अवश्य ध्यान रखें कि, आप निर्वाचन क्षेत्रों या अन्य टेबिलों के आपस में मिल नहीं जावे। लिफाफों को सील करते समय लिफाफों पर निर्वाचन क्षेत्र संख्या, राउण्ड संख्या और टेबिल संख्या सही सही पृष्ठांकित की जावे। चपडी से मोहर लगाते समय रिटर्निग अधिकारी पीतल की मोहर से सील करेगा और कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता अपनी सील लगाना चाहे तो उसको भी लगाने की अनुमति देगा । लिफाफों पर गणना की तिथी और गणना का स्थान भी पृष्ठाकिंत किया जावे तथ रिटर्निग अधिकारी या सहायक रिटर्निग अधिकारी उन पर अपना हस्ताक्षर भी करेगा।

13. गणना के समय मतपत्र का खो जाना या नष्ट जो जाना

यदि गणना के दौरान रिटर्निग अधिकारी की अभिरक्षा में से मतदान बूथों पर प्रयुक्त मतपत्र विधिविरूद्व बाहर ले जावे या दुर्घटनावश या जानबूझकर नष्ट कर दिये जावे या खो जावे या क्षतिग्रस्त हों जावे या उस सीमा तक बिगाड दिया जावे कि जिसमें मतदान बूथ के मतदान का प्रारंभिक परिणाम सुनिश्चित नहीं किया जा सकता हों तो रिटर्निंग अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल रिपोर्ट भेजेगा और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की आगे की मतगणना का कार्य रोक देगा तथा आयोग के अग्रिम आदेश की प्रतीक्षा करेगा।

14. मतगणना को निरन्तर रखना

1. मतगणना का कार्य आपको निरंतर रखना है। ऐसी परिस्थिति में जैसे की किसी मतदान बूथ की मतपेटिया की पिंक पेपर सीलें टूटी हुई पायी जावे और मतदान दूषित होने का संदेह हों और ऐसे प्रकरणों में रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन आयेाग को भेजी गयी है तो उस संबंधित मतदान बूथ के मतो की गिनती का कार्य रिटर्निग अधिकारी द्वारा नहीं किया जावेगा। साथ ही उस सबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अन्य शेष रहे मतदान बूथों की प्रारंभिक गणना का कार्य भी रोक दिया जावेगा। ऐसे प्रकरणो में संबधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदान का शेष कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही कर पूरा किया जावेगा।
2. रिटर्निग अधिकारी यथासंभव मतगणना निरंतर जारी रखेगें। मतगणना दलों को चाय, नाश्ता, आदि मतगणना हाल में ही देने की व्यवस्था करली जावें ताकि गणना का कार्य अवरूद्व नहीं हों और समय पर ही मतगणना का कार्य सम्पन्न हों जावे। यदि किसी विशेष परिस्थिति से कुछ समय के लिए मतगणना का कार्य रोकना भी पड़े तो ऐसी स्थिति में मतपत्रों एवं निर्वाचन संबंधी कागजात को अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं के समक्ष सील किया जावे। रिटर्निंग अधिकारी अपनी सील लगाए और अभ्यर्थी या अभिकर्ता अपनी सील लगाना चाहे तो उन्हें अपनी सील लगाने की अनुमति दी जावे। मतपत्रों व कागजातों को स्टील आलमारी में भी रखकर सील किया जा सकता है जिस पर अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता चाहे तो अपनी सील लगा सकते है।

15. पुनः मतदान के बाद गणना

1. चूंकि निर्वाचन क्षेत्र के किसी एक मतदान केन्द्र पर भी पुनः मतदान के परिणाम से निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव पड़ने की अधिक संभावना रहती है, क्योंकि जिला परिषद या पंचायत समिति का निर्वाचन क्षेत्र एक छोटा निर्वाचन क्षेत्र होता है और उसमें मतदान बूथों की संख्या बहुत अधिक नहीं रहती है। अतः ऐसी स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्णय किया गया है

कि नियम 48–ए एवं 48–बी के अनुसार रिपोर्ट भेजे जाने के बाद रिटर्निंग अधिकारी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की आगे की मतगणना का कार्य रोक देगा और राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश की प्रतीक्षा की जावेगी। इसी प्रकार मतगणना के दौरान मतपेटियों की सील टूटी पायी जाने से मतदान दूषित होने का संदेह हों तब भी रिटर्निंग अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजेगा और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की आगे की मतगणना का कार्य रोक देगा व आयोग के आदेश की प्रतीक्षा करेगा। आयोग के पुनः मतदान के आदेश होने पर नये मतदान के पश्चात् अथवा अन्य कोई आदेश होने के पश्चात् ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना का शेष कार्य मतपत्रों को आपसे में मिलाया जाकर किया जावेगा।

2. नियम 48 के अंतर्गत यदि किसी मतदान केन्द्र पर मतदान का स्थगन या मतदान को स्थगित किया गया है तो भी रिटर्निंग अधिकारी उस वार्ड की मतगणना का कार्य रोक देगा और मतों की गणना जब तक नहीं करेगा तब तक कि ऐसा स्थगित मतदान पूरा नहीं हों जाता है।
3. उपरोक्त स्थितियों में रोकी गयी मतगणना तब तक शुरू नहीं की जावे जब तक कि पुनर्मतदान वाले मतदान केन्द्रों से समस्त मतपेटियॉ गणना हॉल में नहीं पहुॅच जावें। ऐसी मतपेटियों के प्राप्त हो जाने के बाद ही मतगणना की शेष कार्यवाही सम्पन्न की जावे। मतगणना के शेष कार्य के पुनः शुरू किये जाने तक मतपेटियों एवं प्रारम्भिक गणना में निकाले गये मतपत्रों के बंडलों, यदि कोई हों, को सीलकर रखा जावेगा।

16. गणना शीट की तैयारी एवं पुनर्मतगणना

1. निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना का कार्य पूरा होने पर रिटर्निंग अधिकारी प्ररूप–7 में पूर्ति करेगा। प्ररूप–7 में परिणाम पत्र तैयार करने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी को एवं नोटा को प्राप्त हुये विधिमान्य मतों की कुल संख्या को गणन हॉल में ब्लेक बोर्ड पर अंकित करेगा और उद्घोषित करेगा और ऐसी उद्घोषणा के पश्चात् कोई अभ्यर्थी लिखित में रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष मतपत्रों को, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, पुनः गणना के लिये किन्हीं आधारों पर मांग कर सकते हैं। किसी अभ्यर्थी द्वारा ऐसा आवेदन किये जाने पर रिटर्निंग अधिकारी प्रकरण में अपना निश्चय करेगा और आवेदन पत्र को या तो पूर्णतः या अंशतः स्वीकार कर सकेगा और यदि रिटर्निंग अधिकारी आवेदन को निराधार या तुच्छ मानता है तो पूरे आवेदन को वह नामंजूर भी कर सकता है। रिटर्निंग अधिकारी को अपना ऐसा निर्णय लिखित में करना होगा और उसके कारण भी अंकित करने होंगे।
2. रिटर्निंग अधिकारी को अंतिम परिणाम पत्र (प्ररूप–7) में तैयार करने के पश्चात् और अभ्यर्थीवार व नोटा को प्राप्त मतपत्रों की संख्या को उद्घोषित करने के पश्चात् कुछ देर यानि 1–2 मिनट इंतजार करना चाहिये कि कोई अभ्यर्थी पुनर्मतगणना के लिए आवेदन करना तो नहीं चाहता है। यदि कोई ऐसा अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता पुनर्मतगणना (पूर्णतः या अंशतः) के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो उसे लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए यथोचित समय दिया जाना चाहिये। रिटर्निंग अधिकारी का पुनः मतगणना के ऐसे किसी भी प्रार्थना पत्र पर लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
3. यदि रिटर्निंग अधिकारी पुनर्मतगणना के आवेदन पत्र पर पूर्ण या अंशतः पुनर्मतगणना करने का निर्णय लेता है तो ऐसी पुनर्मतगणना के पश्चात् अंतिम परिणाम पत्र एवं तत्संबंधित परिशिष्ट–2 एवं 4 के अंकनों को भी संशोधित करेगा। ऐसे संशोधनों के पश्चात् अभ्यर्थीवार व नोटा को प्राप्त मतों को रिटर्निंग अधिकारी पुनः उद्घोषित करेगा और परिणाम पत्र (प्ररूप–7) को पूर्ण कर उस पर हस्ताक्षर करेगा। अंतिम परिणाम पत्र तैयार कर उस पर हस्ताक्षर कर देने के

पश्चात् पुनर्मतगणना के किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा, किन्तु इस प्रकार का कदम तब तक नहीं उठाया जावेगा जब तक कि गणना पूरी होने के समय उपस्थित अभ्यर्थियों और अभिकर्ताओं को युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हों।

4. रिटर्निंग अधिकारी के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि, मतगणना त्रुटिहीन हों और इसमें अभ्यर्थियों का उचित एतराज मानना चाहिए लेकिन नियम 49 के उप नियम (6) के प्रावधानों का यह आशय नहीं है कि किसी भी अभ्यर्थी के मात्र कहने से ही पुनर्मतगणना की मांग मान ली जावे। कोई भी अभ्यर्थी यह आक्षेप करता है कि मतगणना सही नहीं है और सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार के बाद आपको यह प्रतीत होता है कि पुनर्मतगणना न्याय हित में जरूरी है तो नियमानुसार पुनर्मतगणना करवाई जा सकती है।
5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनर्मतगणना में मतपत्रों की भौतिक पुनर्मतगणना ही शामिल नहीं है बल्कि मतपत्रों की पुनः संवीक्षा भी सम्मिलित है, जिसमें मतपत्रों की यह जांच की जा सकती है कि क्या मतपत्र विधिमान्य है या प्रतिपेक्षित है ?

17. परिणामों की घोषणा

जब मतों की गणना पूरी हों गई हों तब रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन क्षेत्रवार परिणामों का प्ररूप–7 में विवरण तैयार करेगा और यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अन्यथा निर्देशित नहीं किया गया है तो परिणाम घोषित किये जावेंगे। उस अभ्यर्थी को जिसे अधिकतम संख्या में विधिमान्य मत प्राप्त हुये हैं, उसे निर्वाचित घोषित किया जावेगा। यहॉ इस बात का ध्यान रखा जावे कि, नोटा को प्राप्त मतों का प्रभाव परिणाम पर नहीं पड़ेगा अर्थात नोटा को सबसे अधिक मत मिलने की दशा में भी अभ्यर्थियों में से सबसे अधिक मत पाने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित माना जावेगा। यदि मतों की गणना के पश्चात् किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच में मतों की समानता पायी जावे और केवल एक मत को जोड़ने से ही अभ्यर्थियों में से किसी को भी निर्वाचित घोषित किये जाने का हक मिलता है तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में तत्काल लाटरी निकालेगा और एक अभ्यर्थी को जिस पर लॉट निकलता है उस पर एक अतिरिक्त मत प्राप्त किया हुआ माना जावेगा। लाटरी निकाले जाने की कार्यवाही का विवरण बनाया जावेगा, जिस पर उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी यदि वे करें तो कराये जावेंगे। कार्यवाही विवरण को अन्य कागजात के साथ पृथक लिफाफे में रखकर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जावेगा। परिणाम पत्र (प्ररूप–7) में ऐसे अभ्यर्थियों जिनके पक्ष में लॉट निकला है, के सामने डाले गये मतों के आगे यथानुकूल प्रविष्टि अंकित कर दी जावेगी। प्ररूप–7 में परिणाम पत्र में प्रथम भाग में तथा द्वितीय भाग में अभ्यर्थियों के कोष्ठक में संबद्ध दल का नाम या निर्दलीय जो भी समुचित हों, अंकित किया जावेगा।

18. निर्वाचन के परिणामों का प्रेषण

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन के परिणामों को प्ररूप–7 में नियम 52 के उप नियम (2) में घोषित किया जावे तो उसे बताये अनुसार प्रषित किया जावेगा। साथ ही प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।

उपरोक्त कागजात पर रिटर्निंग अधिकारी के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए, तारीख एवं स्थान अंकित होना चाहिए एवं रिटर्निंग अधिकारी की मोहर भी लगी हुई होनी चाहिए।

19. निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना

निर्वाचित सदस्यों को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 24 के अधीन एवं पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 75 के अधीन शपथ दिलायी जावेगी। निर्वाचित सदस्यों को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष भी शपथ दिलायी जा सकती है (नियम 76(2)) यह उल्लेखनीय है कि जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य के रूप में निर्वाचित घोषित व्यक्ति उपरोक्त नियम 75 के अंतर्गत शपथ लेने के बाद ही प्रधान/उपप्रधान/ प्रमुख/उपप्रमुख के निर्वाचन से संबंधित बैठक में भाग ले सकेगा। अतः प्ररूप–7 में परिणाम पत्र पूर्ण करने व परिणाम घोषित करते ही रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्ररूप–11 में निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने की कार्यवाही भी करनी अपेक्षित है।

20. मतपत्रों एवं निर्वाचन कागजात की अभिरक्षा

1. रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन का परिणाम घोषित करने के पश्चात् पृथक–पृथक लिफाफे पी. 34, 35, 36 व 37 में मुहरबंद करेंगे एवं निर्वाचन संबंधी अन्य कागज पत्रों को पृथक लिफाफे में मुहरबंद करेंगे। ऐसे मतपत्रों एवं कागज पत्रों को मुहरबंद करते समय यदि कोई अभ्यर्थी अथवा गणन अभिकर्ता चाहे तो उन पर अपनी मोहर भी लगा सकते हैं।
2. मतगणना पूर्ण कर मतपत्रों एवं निर्वाचन संबंधी कागजात को सीलबंद करने के पश्चात् उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में सुरक्षित रूप से कोषागार में रखा जावेगा।

21. गणना पर्यवेक्षकों एवं गणन सहायकों के लिए निर्देश

संलग्न परिशिष्ट–5 पर गणन पर्यवेक्षकों एवं सहायकों के लिये निर्देश बताये गये हैं, इन्हे आप गणन पर्यवेक्षकों व सहायकों को प्रशिक्षण के दौरान भली–भांति समझा दें और उन्हें इन निर्देशों को फोटोकॉपी करवाकर अथवा मुद्रित करवाकर आप चाहे तो वितरित भी कर दें।

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।

परिशिष्ट –1

जिला परिषद / पंचायत समिति का नाम ....
निर्वाचन क्षेत्र का संख्यांक : ....
मतदान केन्द्र का नाम : ....
बूथ संख्यांक : ....

टेबिल नं.

1.	मतदान बूथ पर उपयोग में लाई गयी मतपेटी / मतपेटियों में पाये जाने योग्य मतपत्र लेखा के मद 5 के अनुसार होने चाहिए –	....
2.	मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाई गयी मतपेटी / मतपेटियों में प्रारम्भिक गणना में पाये गये मतपत्रों की वास्तविक संख्या	....
3.	अन्तर जो पाया गया	....

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

तारीख ....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–2

मतगणना के लिए चैक मीमो

जिला परिषद/पंचायत समिति .... के निर्वचन क्षेत्र संख्यांक .... के लिये निर्वाचन –

भाग–I

टेबिल नंबर .... राउण्ड नंबर ....
गणन पर्यवेक्षक का नाम व पद ....

	बंडलों की संख्या	प्रति बंडल मतपत्रों की संख्या	मतपत्रों की कुल संख्या
मतपत्रों की संख्या	....	....	....
मतपत्रों की कुल संख्या			....

दिनांक : वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग–II गणना का परिणाम

अभ्यर्थी का नाम	डाले गये वैध मतपत्रों की संख्या

1. ....
2. ....
3. ....

आदि
नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं)

संदेह पूर्ण/
खारिज मतपत्र

योग

दिनांक :

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
टेबिल नम्बर ....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

नोटः– प्रत्येक टेबिल के भिन्न–भिन्न राउण्ड के लिये भिन्न–भिन्न चैक मीमो काम में लिया जावेगा।

परिशिष्ट–3
(उदाहरण)

मतगणना के लिए चैक मीमो

जिला परिषद/पंचायत समिति ....जोधपुर............. के निर्वचन क्षेत्र संख्यांक .....11..... के लिये निर्वाचन –

भाग–I

टेबिल नंबर .... 2 .... राउण्ड नंबर .... 1 ....
गणन पर्यवेक्षक का नाम व पद ....मुकेश, सहायक लेखाधिकारी, कृषि विपणन बोर्ड, जोधपुर..........

	बंडलों की संख्या	प्रति बंडल मतपत्रों की संख्या	मतपत्रों की कुल संख्या
मतपत्रों की संख्या	19	50	950
	1	26	26
मतपत्रों की कुल संख्या			976

दिनांक : वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग–II गणना का परिणाम

अभ्यर्थी का नाम	डाले गये वैध मतपत्रों की संख्या
1. क	330
2. ख	308
3. ग	320
आदि	
नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं)	54
संदेह पूर्ण/ खारिज मतपत्र	18
योग	1030

दिनांक :

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
टेबिल नम्बर .... 2 ....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

नोटः– प्रत्येक टेबिल के भिन्न–भिन्न राउण्ड के लिये भिन्न–भिन्न चैक मीमो काम में लिया जावेगा।

परिशिष्ट–4

अंतिम परिणाम के लिए चैक मीमो

जिला परिषद / पंचायत समिति .... के निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक .... के लिये निर्वाचन –

भाग–I

मतदान केन्द्र सं.	मतपेटी / मतपेटियों में पाये गये कुल मतपत्र
1.	
2.	
3.	
4. आदि	
योग	

भाग–II

1. अभ्यर्थियों के पक्ष में विधिमान्य मतों व खारिज मतपत्रों की कुल संख्या	अभ्यर्थियों के विधिमान्य				नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) के विधि मान्य मत	कुल विधि मान्य मत	खारिज मतपत्रों की संख्या	विधिमान्य और खारिज मतपत्रों का योग
	क	ख	ग	घ				
प्रथम दौर – टेबिल सं.								
टेबिल सं.								
प्रथम दौर का योग								
द्वितीय दौर – टेबिल सं.								
टेबिल सं.								
द्वितीय दौर का योग								
तृतीय दौर – टेबिल सं.								
टेबिल सं.								
तृतीय दौर का योग								
कुल योग								

स्थान : ....
दिनांक : ....

रिटर्निंग अधिकारी /
सहायक रिटर्निंग अधिकारी
के हस्ताक्षर

गणन पर्यवेक्षकों और सहायकों के लिए अनुदेश

(1) मतपेटी मिलते ही यह देखले कि पत्र मुद्रा टूटी हुई तो नहीं है और मतपेटी के लेबल पर अंकित जिला परिषद या पंचायत समिति का नाम, निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या, मतदान बूथ की संख्या, मतदान केन्द्र का नाम आपको आवंटित निर्वाचन क्षेत्र संख्या, व मतदान बूथों की संख्या के अनुरूप है। यह भी देख लें कि मतदान बूथों पर प्रयोग की गई सभी मतपेटियां आपकी दे दी गई है। मतपेटी पर अंकित क्रम संख्या से ही निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त की गई मतपेटियों की कुल संख्या भी विदित हों जावेगी।

(2) मतपेटी पर लगी मुहर और उस पर लगी मतदान बूथ की संख्या व अन्य विवरण अपने ग्रुप के गणन अभिकर्त्ताओं को दिखा दें।

(3) यदि आपको पहले से ही ऐसी ट्रे न दी गई हों जिसमें अपेक्षित संख्या में खाने बने हों, तो आप मेज पर ही उतने स्थान बनालें जितने की निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार हों तथा एक स्थान नोटा व अतिरिक्त स्थान ''संदेहपूर्ण'' मतपत्रों के लिये ''स'' रखे। इस प्रकार यदि 5 उम्मीदवार हों तो सात स्थान बनाये जाने चाहिये।

(4) यदि मतदान बूथ पर एक से अधिक मतपेटियों का प्रयोग हुआ हों तो, पहले एक मतपेटी खोलें और दूसरी मतपेटी उसके बाद।

(5) मतपेटी के मतपत्रों को निकाल लें और चैक कर लें कि मतपेटी में कोई मतपत्र रह तो नहीं गया है। अभ्यर्थियों व उनके अभिकर्ताओं को मतपेटी को खाली कर उसे दिखा भी दें।

(6) किसी भी दशा में मतपत्रों को गणना कक्ष के बाहर नहीं ले जाना चाहिये।

(7) प्रारम्भिक गणना में उक्त मतदान केन्द्र पर कितने मतपत्र मतपेटी/पेटियों में पाये गये, उनका इन्द्राज परिशिष्ट–1 में कर दें। मतपत्र लेखा से यदि कोई अन्तर हों तो उसे परिशिष्ट–1 के आइटम–3 में इन्द्राज कर दें। इसके पश्चात् यह प्रपत्र गणन पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जावेगा और मतपत्र लेखा के साथ नत्थी कर दिया जावेगा।

(8) मतपत्रों की गणना दो चरणों में की जावेगी। प्रथम अवस्था को प्रारम्भिक गणना कहा जावेगा। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर कितने मतपत्र डाले गये है उसका अवधारण किया जावेगा। प्रारम्भिक गणना के लिये मतपत्र के क्षितिज मोड़ (Horizontal Fold) को सीधा किया जावेगा और उसके लम्बावत मोड़ (Vertical Fold) को वैसा ही रखा जावेगा।

(9) प्रारम्भिक गणना के समय मतपत्रों के 50–50 बंडल बनाये जावेंगे, जिन्हे रबर बैंड या धागे के टुकड़े से दोनों किनारों पर बांध दिया जावेगा। यदि आखिरी बंडल में 50 से कम मतपत्र हों तो बंडल के पीछे उनकी वास्तविक संख्या अंकित की जावेगी, लेकिन मतदान केन्द्र का नाम व संख्या बंडल पर अंकित नहीं की जावेगी।

(10) जब प्रारम्भिक मतगणना समाप्त होंगी तब आपकी टेबिल पर संग्रहण अधिकारी आयेगा और आपसे मतपत्र लेखा (परिशिष्ट–1), पेपर सील का लेखा व मतपत्रों के बंडल एवं खाली मतपत्र पेटियॉ ले जावेगा। आप उस अधिकारी को 50 से कम के मतपत्रों के बंडल को अलग से संभलोयेंगे।

(11) निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों के मतपत्रों को मिलाने के बाद, वितरण अधिकारी आपकी टेबिल पर मतपेटी में 50–50 मतपत्रों के 20 बंडल उम्मीदवार अनुसार छांटने एवं गणना के लिये लावेगा। वह आपको चैक मोमो (परिशिष्ट–2) भी देगा जिसका प्रथम भाग भरा हुआ होंगा जिसमें बंडलों की संख्या एवं गणना के लिये आपको दिये गये मतपत्रों की संख्या अंकित की हुई होंगी। मतपेटी में से मतपत्रों को निकालने के पश्चात् मतपेटी वितरण अधिकारी को वापस कर दें।

(12) मतपत्रों को खोल दें और ऐसे प्रत्येक मतपत्र को जिस पर किसी उम्मीदवार के पक्ष में वैध रूप से चिन्ह लगा हों, उस उम्मीदवार के लिये निर्धारित खाने में/स्थान पर व जिस में नोटा के पक्ष में वैध रूप से चिन्ह लगा हों उसे 'नोटा' के निर्धारित खाने/स्थान रख दें और संदिग्ध मतपत्र को ''स'' से चिन्हित खाने/स्थान पर रखें।

(13) किसी मतपत्र को ''स'' से चिन्हित स्थान में केवल तभी रखें, जबः–

1. यदि मतपत्र पर अग्रभाग पर कोई निशान नहीं है, या
2. यदि मतपत्र पर ऐसे उपकरण से चिन्ह अभिलिखित नहीं किये गये हैं जो कि इस प्रयोजनार्थ दिया गया था, या
3. यदि मतपत्र के रिक्त स्थान पर चिन्ह अभिलिखित किया गया है, अर्थात या तो मतपत्र के पीछे अथवा पूरा चिन्ह मतपत्र के छायांकित भाग पर है, या
4. यदि मतपत्र में दो या अधिक अभ्यर्थियों या किन्हीं अभ्यर्थियों व नोटा के सामने चिन्ह अभिलिखित है, या
5. यदि मतपत्र पर कोई ऐसा चिन्ह या लेख है जिससे कि निर्वाचक की पहचान हों सकती है, या
6. यदि मतपत्र इस प्रकार बिगाड़ दिया गया हों कि, जिसकी पहचान नहीं हों सकती हों, या
7. यदि मतपत्र अनिश्चितता के कारण शून्य हों, या
8. यदि मतपत्र पर चिन्ह ऐसी रीति से लगाया गया हों जिससे यह संदेह होता है कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है, या
9. यदि मतपत्र जाली हों, या
10. यदि मतपत्र पर ऐसी क्रम–संख्या हों या वह किसी ऐसी डिजाईन का हों जो किसी विशिष्ट मतदान केन्द्र पर उपयोग किये जाने वाले प्राधिकृत मतपत्र की क्रम संख्या या डिजाईन से भिन्न हों, या
11. मतपत्र पर नियम 39 के प्रावधानों के अधीन सुभिन्नकारी चिन्ह और हस्ताक्षर दोनों ही नहीं हों।
12. विभिन्न उम्मीदवारों के अभिकर्ताओं के बीच इस बात पर कि मतपत्र वैध हैं या नहीं हैं या उस उम्मीदवार के बारें में जिसे मत दिया गया है विवाद हों।

(14) किसी मतपत्र को ''संदिग्ध'' खाने में केवल इस कारण न रखें किः–

1. किसी अभ्यर्थी के कॉलम में एक से अधिक चिन्ह हों,
2. किसी एस ही अभ्यर्थी के कॉलम में स्पष्ट चिन्ह अभिलिखित हों लेकिन मतपत्र के पीछे या छायांकित क्षेत्र के भीतर चिन्ह लगा हुआ हों,
3. किसी एक अभ्यर्थी के कॉलम में कोई चिन्ह आंशिकरूप से अंकित हों और आंशिक रिक्त स्थान में आया हुआ हों,

4. किसी एक अभ्यर्थी के कॉलम में चिन्ह मूलतः लगाया गया था लेकिन गलत तरीके से मोड़े जाने पर ऐसे चिन्ह का इम्प्रेशन किसी अन्य अभ्यर्थी के कॉलम में भी आ गया हों ऐसे इम्प्रेशन को देखना चाहिये कि वह घड़ी की उल्टी दिशा में है या सीधी दिशा में है। जो मूल चिन्ह होगा वह घड़ी की उल्टी दिशा में होगा क्योंकि ऐरोक्रास मार्कसील के तीरों के निशान घड़ी की उल्टी दिशा में (Anticlock wise) ही होते है। अतः गलत तरीके से मोड़े जाने पर उसका इम्प्रेशन घड़ी की सीधी दिशा में (Clock wise) आयेगा।
5. किसी एक अभ्यर्थी के कॉलम में चिन्ह अंकित हों लेकिन स्याही का कोई धब्बा किसी अन्य अभ्यर्थी के कॉलम में भी लग गया है,
6. चिन्ह अस्पष्ट हों या एक से अधिक बार लग गये हों और यदि यह आशय की मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिये होगा मतपत्र पर चिन्ह लगाने की रीति से स्पष्ट रूप से प्रकट होता हों,
7. निर्वाचक के अंगूठे पर उसकी अंगूठा निशानी लेने के प्रयोजनार्थ लगायी गयी स्याही की वजह से मतपत्र को पकड़ते समय अंगूठा निशानी का हल्क इम्प्रेशन या धब्बे मतपत्र लग गये हों।

(15) एक मतदान केन्द्र के सभी मतपत्रों को इस प्रकार छांट लिये जाने के पश्चात् प्रत्येक ढेर के मतपत्रों की गणना करेंसी नोटों के समान कीजिये और उनके बंडल बना लीजिये और प्रत्येक बंडल में किसी भी बंडल में 50 से अधिक मतपत्र न रहें और शेष मतपत्र एक अलग बंडल में रहें और उन्हें पृथक–पृथक बंडलों में बाध दें। तब गणना पर्यवेक्षक को चाहिये कि वह अपनी गणना के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार व नोटा के पक्ष में डाले गये वैध मतपत्रों की संख्याओं के बारे में परिशिष्ट–2 के भाग–II के स्तम्भों में प्रविष्ट कर दे और संदिग्ध मतपत्रों, यदि कोई हों, की संख्या को उक्त परिशिष्ट–2 के भाग–II के अंत में भर दें। उसे यह सुनिश्चित कर लेख चाहिये कि परिशिष्ट–2 के भाग–II में यथा प्रविष्ट उम्मीदवारों के नाम उसी क्रम से हों जैसा कि वे मतपत्र में दियें हुये हों और कोई नाम छूट न जावे। वैध मतों और संदिग्ध मतों की संख्या का योग उसके बाद भरा जावेगा।

(16) मतपत्रों का बंडल बनाते समय मतपत्रों को उस ढंग से व्यवस्थित करें कि मतपत्रों पर बने हुये सभी प्रतीक एक ही ओर रहें। प्रत्येक उम्मीदवार व नोटा के ढेर में मतपत्रों की गणना करते समय यह पुनः जांच लें कि प्रत्येक मतपत्र पर लगा हुआ चिन्ह स्पष्ट रूप से उसी उम्मीदवार या नोटा के पक्ष में है।

(17) प्रत्येक उम्मीदवार के वैध मतपत्रों को सिवाय एक बंडल के जिसमें 50 से कम मतपत्र हो सकते हैं, 50–50 के बंडलों में बांधा जावेगा। 50 या कम मतपत्रों का प्रत्येक बंडल रबड़ बैंड या पतली डोरी से बांध दिया जावेगा। प्रत्येक उम्मीदवार के लिये मतपत्रों के सभी बंडलों को फिर रबड़ बैंड या डोर से एक साथ बांध दिया जावेगा। प्रत्येक उम्मीदवार के मतपत्रों के बंडल के सबसे ऊपर एक जांच पर्ची (Check Slip) लगाई जावेगी जिसमें पंचायत समिति या जिला परिषद, जो भी हों, का नाम निर्वाचन क्षेत्र की संख्यांक, टेबिल नं, राऊंड नं., उम्मीदवार का नाम और बंडल के मतपत्रों की संख्या दिखाई गई हों। इस जांच पर्ची पर गणना पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षर किये जावेंगे। इसी भांति नोटा व संदिग्ध मतपत्रों वाले बंडल के मतपत्रो की संख्या दिखाई गयी हों। तत्पश्चात् संदिग्ध मतपत्रों वालें बंडलों को सभी उम्मीदवारों के वैध मतपत्रों के बंडलों के ऊपर रखा दिया जावेगा और एक साथ एक बंडल के रूप में बांध दिया जावेगा। तब यह बंडल संबंधित मतपत्र लेखा परिशिष्ट–1, पेपर सील लेखा के सहित रिटर्निंग आफिसर,

सहायक रिटर्निंग आफिसर की मेज के निकट उपयुक्त खाने (पीजन हॉल) में रख दिया जावेगा।

(18) जैसे ही आप एक मतदान केन्द्र के मतपत्रों की गणना पूरी करलें रिटर्निंग आफिसर से गणना के लिये आपको आवंटित दूसरे मतदान केन्द्र की मतपेटी/पेटियां दिये जाने का अनुरोध करें। दूसरे मतदान केन्द्र के मतपत्रों की छटाई और गणना कार्य को इसी ढंग से करते जावें।

(19) उम्मीदवार के अभिकर्ताओं को (जो आप के सामने ही बैठाये जावेंगे) मतपत्रों की छंटाई और गणना को देखने दें और किसी आपत्ति पर जो उनमें से किसी अभिकर्ता द्वारा उठाई जावे, समुचित ध्यान दें। तथापि उन्हें कोई मतपत्र हाथ में लेने की अनुमति न दें।

(70)

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांक : प. 7 (1) (13) पंचा/रानिआ/94/1153 जयपुर, दिनांक : 30.12.94

प्रेषकः-

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

प्रेषितिः-

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
(कलेक्टर), ...
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी,
पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन
(..)
जरिये जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
(कलेक्टर)

विषयः- **पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों का आम चुनाव मतदान का स्थगन/मतपेटियों के विनष्ट होने/बूथों के बलात् ग्रहण/गणना के समय मतपत्रों के विनष्ट होने, आदि के मामलों में आयोग को रिटर्निंग अधिकारी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में।**

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 48, 48 (क), 48 (ख) और 49 (क) के उपबन्धों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिनमें रिटर्निंग अधिकारी से अपेक्षा की गई है कि ऐसे मतदान केन्द्रों/बूथों के बारे में, जहाँ मतदान का स्थगन हुआ है, की रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की और जहाँ मतपेटियों के विनष्ट होने या खो जाने या नुकसान पहुँचने आदि की घटना हुई हो या मतदान बूथों का बलात् ग्रहण हुआ हो या गणना के समय मतपत्रों का विनाश, हानि आदि की घटना हुई हो के मामलों की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा। आयोग को भेजी जाने वाली रिपोर्ट के समस्त मामलों में रिटर्निंग अधिकारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र की आगे की मतगणना का कार्य भी रोक देगा और आयोग के आदेश की प्रतीक्षा करेगा।

ऐसे प्रत्येक मामले से सम्बन्धित वस्तुस्थिति के तथ्यों के बारे में सम्पूर्ण रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी को आयोग को बिना कोई विलम्ब के तुरन्त भिजवानी होगी और ऐसी रिपोर्ट्स प्राप्त होने पर आयोग द्वारा यथा सम्भव शीघ्रता से निर्णय करके आवश्यक निर्देश दिये जावेंगे। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भेजी जाने वाली रिपोर्ट में विलम्ब न हो इस दृष्टि से आयोग द्वारा उपरोक्त नियमों के अधीन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भेजे जाने वाली रिपोर्टों के मॉडल फार्म तैयार कर दिये गये हैं, जो कि संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं। इनकी जानकारी निर्वाचन कार्य से सम्बन्धित अन्य अधिकारियों को भी करा दी जावे। इनमें घटना एवं परिस्थितियों का सम्पूर्ण तथ्यात्मक विवरण के साथ प्रभावित मतपेटियों/मतपत्रों का सविस्तार विवरण सूचित किया जावे। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित प्रभावित समस्त मतदान केन्द्रों/बूथों के बारे में रिपोर्ट एक साथ भेजनी है खण्डों में नहीं।

सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान,
जयपुर।

MODEL FORM FOR REPORT U/R 48 OF R.P.R. (E) RULE, 1994
FAX/WIRELESS MESSAGE/NICNET

TO,

DISTRICT ELECTION OFFICERS (PANCHAYAT)

(COLLECTORS)

REPEAT :-

TO,

SECRETARY & CHIEF ELECTORAL OFFICER,

STATE ELECTION COMMISSION, RAJ. JAIPUR

FROM,

RETURNING OFFICER,

FOR ELECTION OF MEMBERS OF PANCHAYAT SAMITI/ZILA PARISHAD

(______________________________)

____

NO.F. DATED

REFERENCE GENERAL ELECTION OF MEMBERS OF PANCHAYAT SAMITI/ZILA PARISHAD ______________(.) REPORTS HAVE BEEN RECEIVED AND VERIFIED THAT POLL ON ______________ (DATE) AT FOLLOWING STATION (S) WAS ADJOURNED UNDER RULE 48 (1) OF THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (ELECTION) RULES, 1994 BECAUSE OF CIRCUMSTANCES INDICATED AGAINST EACH (.)

PARTICULARS OF THE POLLING AREA

S. NO.	NAME AND NUMBER OF THE POLLING STATION/BOOTH	NAME OF ZILA PARISHAD AND CONSTITUENCY NUMBER	NAME OF PANCHAYAT SAMITI AND CONSTITUENCY NUMBER	NAME OF PANCHAYAT AND WARD NUMBER	CIRCUMSTANCES UNDER WITH POLL ADJOURNED.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
ETC.					

DISTRICT ELECTION OFFICER (PANCHAYAT)'S DIRECTIONS SOLICITED UNDER RULE 48 (1) OF THE SAID RULES (.) IT IS RECOMMENDED THAT ADJOURNED POLL MAY BE HELD ON __________(DATE) BETWEEN__________TO__________HOURS AT THE ABOVE POLLING STATION (S) AT THE SAME LOCATION (S) (.)

N.T.B.T

PLACE:-

DATE:

RETURNING OFFICER
FOR ELECTION OF MEMBER OF PANCHAYAT
SAMITI/ZILA PARISHAD______________
____

NO.F.

DATED:

Copy by post in confirmation forwarded to the :-

1. Secretary & Chief Electoral Officer, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur
2. District Election Officer (Panchayat) (Collector) District ______________

RETURNING OFFICER
FOR ELECTION OF MEMBER OF PANCHAYAT
SAMITI/ZILA PARISHAD______________
____

STATE ELECTION COMMISSION, RAJ., JAIPUR

REPEAT :-

TO,

DISTRICT ELECTION OFFICER (PANCHAYAT)

(COLLECTOR), DISTRICT ....

FROM,

RETURNING OFFICER,

FOR ELECTION OF MEMBERS OF PANCHAYAT SAMITI/ZILA PARISHAD

(______________________________________)

____

NO.F. DATED

REFERENCE GENERAL ELECTION OF MEMBERS OF PANCHAYAT SAMITI/ZILA PARISHAD ____________________(.) REPORTS HAVE BEEN RECEIVED AND VERIFIED THAT POLL TAKEN ON ________________ (DATE) AT FOLLOWING POLLING STATION (S) WAS VITIATED TO SUCH AN EXTENT THAT RESULT OF POLL THERE AT CANNOT BE ASCERTAINED FOR REASONS INDICATED AGAINST EACH POLLING STATION :-

		PARTICULARS OF THE POLLING AREA			
S. NO.	NAME AND NUMBER OF THE POLLING STATION/ BOOTH	NAME OF ZILA PARISHAD AND CONSTITUENCY NUMBER	NAME OF PANCHAYAT SAMITI AND CONSTITUENCY NUMBER	NAME OF PANCHAYAT AND WARD NUMBER	REASONS FOR POLL BEING VITIATED
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
ETC.					

THE COUNTING OF BALLOT PAPERS IN THE CONSTITUENCY (IES) HAS BEEN STOPPED AND THE MATTER IS REPORTED UNDER SUB-RULE (1) OR RULE (48) (A) OF RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (ELECTION) RULES, 1994, (.) FURTHER DIRECTIONS OF COMMISSION IN TERMS OF SUB-RULE (2) OF SAID RULE 48 (A) SOLICITED (.)

N.T.B.T

PLACE:-

DATE:

RETURNING OFFICER
FOR ELECTION OF MEMBER OF PANCHAYAT
SAMITI/ZILA PARISHAD_______________

____

NO.F. DATED:

Copy by post in confirmation forwarded to the :-

1. Secretary & Chief Electoral Officer, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur
2. District Election Officer (Panchayat) (Collector) District _______________

Returning Officer
for Election of Member of Panchayat
Samiti/Zila Parishad_______________.

____

MODEL FORM FOR REPORT U/R 48 (B) (1) (A) OF R.P.R. (E) RULE, 1994
FAX/WIRELESS MESSAGE/NICNET

TO,

SECRETARY & CHIEF ELECTORAL OFFICER,

STATE ELECTION COMMISSION, RAJ. JAIPUR

REPEAT :-

TO,

DISTRICT ELECTION OFFICER (PANCHAYAT)

(COLLECTORS) DISTRICT ....

FROM,

RETURNING OFFICER,

FOR ELECTION OF MEMBERS OF PANCHAYAT SAMITI/ZILA PARISHAD

(____)

____

NO. DATED

REFERENCE GENERAL ELECTION OF MEMBERS OF PANCHAYAT SAMITI/ZILA PARISHAD ______________________(.) REPORTS HAVE BEEN RECEIVED AND VERIFIED THAT BOOTH CAPTURING HAS TAKEN PLACE AT FOLLOWING POLLING STATION (S) ON ____________________ (DATE) IN SUCH A MANNER THAT THE RESULT OF THE POLL THEREAT CANNOT BE ASCERTAINED FOR REASONS INDICATED AGAINST EACH POLLING STATION :-

		PARTICULARS OF THE POLLING AREA			
S. NO.	NAME AND NUMBER OF THE POLLING STATION/ BOOTH	NAME OF ZILA PARISHAD AND CONSTITUENCY NUMBER	NAME OF PANCHAYAT SAMITI AND CONSTITUENCY NUMBER	NAME OF PANCHAYAT AND WARD NUMBER	PARTICULARS OF AND MANNER IN WHICH BOOTH CAPTURING TAKEN PLACE
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
ETC.					

THE COUNTING OF BALLOT PAPERS IN THE CONSTITUENCY (IES) HAS BEEN STOPPED AND THE MATTER IS REPORTED UNDER SUB-RULES (1) (A) OF RULE 48(B) OF RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (ELECTION) RULES, 1994, (.) FURTHER DIRECTIONS OF THE COMMISSION IN TERMS OF SUB-RULE (2) OF SAID RULE 48 (B) ARE SOLICITED (.)

N.T.B.T

PLACE:-

DATE:

RETURNING OFFICER
FOR ELECTION OF MEMBER OF PANCHAYAT
SAMITI/ZILA PARISHAD ________________

NO. DATED:

Copy by post in confirmation forwarded to the :-

1. Secretary & Chief Electoral Officer, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur
2. District Election Officer (Panchayat) (Collector) District ________________

Returning Officer
for Election of Member of Panchayat
Samiti/Zila Parishad________________

MODEL FORM FOR REPORT U/R 48 (B) (1) (B) OF R.P.R. (E) RULE, 1994
FAX/WIRELESS MESSAGE/NICNET

TO,

SECRETARY & CHIEF ELECTORAL OFFICER,

STATE ELECTION COMMISSION, RAJ. JAIPUR

REPEAT :-

TO,

DISTRICT ELECTION OFFICER (PANCHAYAT)

(COLLECTOR)DISTRICT ....

FROM,

RETURNING OFFICER,

FOR ELECTION OF MEMBERS OF PANCHAYAT SAMITI/ZILA PARISHAD

(____)

____

NO. DATED

REFERENCE GENERAL ELECTION OF MEMBERS OF PANCHAYAT SAMITI/ZILA PARISHAD ______________________(.) BOOTH CAPTURING HAS TAKEN PLACE ON ______________________ (DATE) IN ______________ THE PLACE FOR COUNTING OF VOTES POLLED AT THE FOLLOWING POLLING STATION (S) IN SUCH A MANNER THAT THE RESULT OF COUNTING THEREAT CANNOT BE ASCERTAINED FOR REASONS INDICATED AGAINST EACH POLLING STATION :-

		PARTICULARS OF THE POLLING AREA			
S. NO.	NAME AND NUMBER OF THE POLLING STATION	NAME OF ZILA PARISHAD AND CONSTITUENCY NUMBER	NAME OF PANCHAYAT SAMITI AND CONSTITUENCY NUMBER	NAME OF PANCHAYAT AND WARD NUMBER	PARTICULARS OF AND MANNER IN WHICH BOOTH CAPTURING TAKEN PLACE
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
ETC.					

THE COUNTING OF BALLOT PAPERS IN THE CONSTITUENCY (IES) HAS BEEN STOPPED AND THE MATTER IS REPORTED UNDER SUB-RULES (1) (B) OR RULE (48) (B) OF RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (ELECTION) RULES, 1994, (.) FURTHER DIRECTIONS OFTHE COMMISSION IN TERMS OF SUB-RULE (2) OF SAID RULE 48 (B) ARE SOLICITED (.)

N.T.B.T

PLACE:-

DATE:

RETURNING OFFICER
FOR ELECTION OF MEMBER OF PANCHAYAT
SAMITI/ZILA PARISHAD____________
____

NO. DATED:

Copy by post in confirmation forwarded to the :-

1. Secretary & Chief Electoral Officer, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur
2. District Election Officer (Panchayat) (Collector) District ____________

Returning Officer
for Election of Member of Panchayat
Samiti/Zila Parishad____________
____

MODEL FORM FOR REPORT U/R 49 (A) OF R.P.R. (E) RULES, 1994
FAX/WIRELESS MESSAGE/NICNET

TO,

SECRETARY & CHIEF ELECTORAL OFFICER,

STATE ELECTION COMMISSION, RAJ. JAIPUR

REPEAT :-

TO,

DISTRICT ELECTION OFFICER (PANCHAYAT)

(COLLECTOR) DISTRICT ....

FROM.

RETURNING OFFICER,

FOR ELECTION OF MEMBERS OF PANCHAYAT SAMITI/ZILA PARISHAD

(____)

____

NO. DATED

REFERENCE GENERAL ELECTION OF MEMBERS OF PANCHAYAT SAMITI/ZILA PARISHAD ______________________(.) AT THE TIME OF COUNTING ON ________________ (DATE) THE BALLOT PAPERS USED AT THE FOLLOWING POLLING STATION (S) UNLAWFULLY TAKEN OUT/ DESTROYED/DAMAGED/TAMPARED WITH IN THE CIRCUMSTANCES INDICATED AGAINST EACH POLLING STATION TO SUCH AN EXTENT THAT THE RESULT OF POLL THEREAT CANNOT BE ASCERTAINED :-

		PARTICULARS OF THE POLLING AREA			
S. NO.	NAME AND NUMBER OF POLLING STATION	NAME OF ZILA PARISHAD AND CONSTITUENCY NUMBER	NAME OF PANCHAYAT SAMITI AND CONSTITUENCY NUMBER	NAME OF PANCHAYAT AND WARD NUMBER	CIRCUMSTANCES IN WHICH BALLOT PAPER UNLAWFULLY TAKEN OUT OR DESTROYED OR LOST OR DAMAGED OR TAMPARED WITH AND THEIR PARTICULARS
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
ETC.					

THE COUNTING OF BALLOT PAPERS IN THE CONSTITUENCY (IES) HAS BEEN STOPPED AND THE MATTER IS REPORTED UNDER SUB-RULES (1) OR RULE (49) (A) OF RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (ELECTION) RULES, 1994, (.) FURTHER DIRECTIONS OF COMMISSION IN TERMS OF SUB-RULE (2) OF SAID RULE 49 (A) ARE SOLICITED (.)

N.T.B.T

PLACE:-

DATE:

RETURNING OFFICER
FOR ELECTION OF MEMBER OF PANCHAYAT
SAMITI/ZILA PARISHAD____________

____

NO. DATED:

Copy by post in confirmation forwarded to the :-

1. Secretary & Chief Electoral Officer, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur
2. District Election Officer (Panchayat) (Collector) District ______________

Returning Officer
for Election of Member of Panchayat
Samiti/Zila Parishad____________

____

(71)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांक : प. 7 (1) (13) पं.चु/रानिआ/94/336 जयपुर, दिनांक : 16.1.95

प्रेषक:-

मुख्य निर्वाचक अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

प्रेषिति:-

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर)
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी,
पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य चुनाव

....

विषय:-पंचायत समिति/जिला परषिद के सदस्यों का आम निर्वाचन-मतदान स्थगन/मतपेटियों के विनष्ट होने/बूथों के बलात् ग्रहण/गणना के समय मतपत्रों के विनष्ट होने, आदि मामलों में रिटर्निंग अधिकारी को रिपोर्ट के संबंध में।

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 48 के उपबंधों के अनुसार आपातकाल में जैसे-लोक शान्ति में समभाव्य विघ्न होने पर, रिटर्निंग अधिकारी मतदान बन्द कर सकेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उसके द्वारा नाम निर्देशित किसी अधिकारी के द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले किसी पश्चातवर्ती दिन के लिए उसके स्थगन की घोषणा कर सकेगा। ऐसी परिस्थितियां जिनके कारण ऐसा बन्द या स्थगन किया गया, रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा तुरन्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उसके द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी को रिपोर्ट की जायेगी।

पूर्वोक्त नियमों के नियम 48-क के उपबंधों के अन्तर्गत किसी मतदान केन्द्र/बूथ पर उपयोग में लाई गई मतपेटी पीठासीन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में से विधि-विरुद्धतया निकाल ली जाती है या घटनावश या साशय नष्ट कर दी जाती है या खो जाती है या इस विस्तार तक नुकसानग्रस्त या उसमें गड़बड़ कर दी जाती है कि उस मतदान केन्द्र/बूथ पर के मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता अथवा मतदान केन्द्र/बूथ में प्रक्रिया संबंधी कोई ऐसी गलती या अनियमितता हो गयी कि, जिससे यह संभाव्य हो कि मतदान दूषित हो गया, तो रिटर्निंग अधिकारी उस मामले की रिर्पोट राज्य निर्वाचन आयोग को तत्क्षण भेजेगा।

नियम 48 (ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत मतदान केन्द्र/बूथ का अथवा मतगणना स्थल का बलात् ग्रहण ऐसी रीति से कर लिया जाता है कि मतदान या मतगणना का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, तो रिटर्निंग अधिकारी को मामले की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजनी होगी,

इसी तरह नियम 49 (क) के अधीन मतगणना समाप्त होने से पूर्व किसी मतदान केन्द्र/बूथ के मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में से विधि विरुद्धतया निकाल लिये जाते है या नष्ट कर दिये जाते हैं या खो जाते हैं या इस विस्तार तक नुकसानग्रस्त या उनमें गड़बड़ करदी जाती है कि मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता तो रिटर्निंग अधिकारी को मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग को भेजनी होगी।

उपरोक्त नियमों में नियम 48, 48 (क), 48 (ख) और 49 (क) के अन्तर्गत रिपोर्ट भेजे जाने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे

निर्वाचन क्षेत्र के मतों की मतगणना का कार्य रोक दिया जाना चाहिए चूंकि जिला परिषद अथवा पंचायत समिति के सदस्यों के चुनावों में निर्वाचन क्षेत्र छोटा होता है, जिसमें एक मतदान बूथ पर भी यदि स्थगित मतदान पूरा कराया जावे या पुन: मतदान हो तो उसके परिणाम का प्रभाव संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम पर पड़ने की निश्चित रूप से संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त एक निर्वाचन क्षेत्र के समस्त मतदान बूथों के मतपत्रों को मिलाये जाने की प्रक्रिया भी तभी सही रूपेण संभव हो सकती है जबकि स्थगित मतदान पूरा होने अथवा पुन: मतदान होने के बाद तत्सम्बन्धित मतदान बूथ पर उपयोग में लायी गयी मतपेटियों के मतपत्रों को भी मिलाने की प्रक्रिया में शामिल किया जावे।

अत: उपरोक्त स्थिति पर राज्य निर्वाचन आयोग ने विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त नियमों के नियम 48, 48 (क), 48 (ख) और 49 (क) के अन्तर्गत भेजी जाने वाली रिपोर्ट के मामलों में रिटर्निंग अधिकारी तत्सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के मतों की मतगणना का शेष कार्य रोक देगा और उस निर्वाचन क्षेत्र की शेष मतगणना कार्य तभी किया जायेगा जबकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसी स्वीकृति दे दी जावे अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के आदेशों के अनुसार स्थगित मतदान को पूरा किये जाने या राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुसार पुनर्मतदान सम्पन्न कराये जाने की अनुमति दी गई हो।

अत: उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें।

मुख्य निर्वाचक अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : प. 7 (1) (13) पं.चु/रानिआ/94/336 जयपुर, दिनांक : 16.1.95

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विकास आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
3. विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. नि.स., राज्य निर्वाचन आयुक्त।
5. नि.स., मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, रा.नि.आ.
6. उपसचिव प्रथम/द्वितीय, रा.नि.आ.
7. सहायक सचिव प्रथम/द्वितीय, रा.नि.आ.
8. जन सम्पर्क अधिकारी, रा.नि.आ.

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

(72)

RAJASTHAN STATE ELECTION COMMISSION

NO.F.4 (2) (1) P.E/SEC/94/659 Dated 25 January, 1995

NOTIFICATION

S.O. 18/95 In exercise of the powers conferred by rule 48 (C) and 49 (B) of the Rajasthan Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 and all other powers enabling it in this behalf the State Election Commission hereby delegates the powers vested in it under rules 48 (A), 48 (B) and 49 (A) to all the District Election Officer (Panchayats) (Collectors) for the purposes of election of Panchas and Sarpanchas of Panchayat Circles in their respective Jurisdiction.

BY ORDER,
(DINESH KUMAR)
SECRETARY & CHIEF ELECTORAL OFFICER
STATE ELECTION COMMISSION, RAJ., JAIPUR

NO.F.4 (2) (1) P.E/SEC/94/659 Dated 25 January, 1995

Copy forwarded for information and necessary action to the:-

1. Superintendent, Government Central Press, Jaipur for publication in the Rajasthan Rajpatra extra-ordinary par-IV (C) immediately and provide 500 printed copies to the Commission at the earliest.
2. Principal Secretary to the Government & Development Commissioner, Rural Development & Panchayati Raj Department, Rajasthan, Jaipur.
3. All Divisional Commissioners.
4. Special Secretary to the Government & Director, Rural Development & Panchayati Raj Department, Rajasthan, Jaipur.
5. All District Election Officers (Panchayats) (Collectors). Please inform all concerned in this behalf and brought out it repeatedly in the training classes of the Returning Officers and Polling Parties of the Election of Panchas and Sarpanchas of Panchayat Circles.
6. All Sub-Divisional Officers.
7. P.S. to Commissioner, State Election Commission, Jaipur.
8. P.A. to Secretary, State Election Commission, Raj., Jaipur.
9. All officer to State Election Commission, Raj., Jaipur.

DEPUTY SECRETARY
STATE ELECTION COMMISSION
RAJASTHAN, JAIPUR.

(73)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 9423 जयपुर, दिनांकः 15.12.14

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर पंचायत)।

विषयः–वार्ड पंच व सरपंच के स्थगित एवं पुनर्मतदान के संबंध में दिशा निर्देश।

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 48, 48 (A), 48 (B), 49 (A) के क्रम में, स्थगित व पुनर्मतदान के संबंध में आयोग निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी करता है :–

1. किसी आपात स्थिति में जब मतदान बूथ पर शान्ति व्यवस्था में व्यवधान के उत्पन्न होने पर मतदान को जारी रख पाना असंभव हो जावे तो नियम 48 के तहत रिटर्निंग अधिकारी मतदान स्थगित करने के लिए सक्षम है।
2. ऐसे मतदान केन्द्र पर जहाँ मतदान स्थगित किया गया हो, वहाँ मतदान अधिकारी प्रयोग में ली गई मतपेटियों, मतपत्रों, मतदाता सूचियों की चिह्नित प्रतियों व अन्य रिकार्ड को सम्बन्धित लिफाफों में, प्रत्याशियों या उनके मतदान अभिकर्ताओं, जो बूथ पर उपस्थित हों के समक्ष, उसी प्रकार सील कर सुरक्षित संरक्षा में रखने हेतु प्रेषित करेगा, जैसे कि, मतदान सम्पन्न हो गया हो। यह सभी सामग्री जिला मुख्यालय पर सुरक्षित संरक्षा में रखने के लिए अलग से दल भेज कर एकत्र करवाई जाएगी।
3. मतदान स्थगन के पंच एवं सरपंच के निर्वाचनों के संबंध में प्रत्येक मामले की सूचना सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जावेगी। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा, सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचार कर स्थगित मतदान को पुनः करवाने की तिथि, समय व मतदान केन्द्र की औपचारिक घोषणा की जावेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित किया जावेगा कि, वह पुनः मतदान करवाये जाने संबंधी उक्त सभी सूचनाऐं चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यार्थियों को दें तथा अपने कार्यालय, पंचायत कार्यालय, मतदान केन्द्र व जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, उसके सहज दृश्य स्थानों पर लगवाऐं व क्षेत्र में ढ़ोल बजवाकर या अन्यथा मुनादी करवाकर भी लोगो को दें।
4. स्थगित किया गया मतदान स्थगित किये जाने के समय की स्थिति से ही पुनः शुरू होगा व केवल उन्हीं निर्वाचकों को मत देने का अधिकार होगा जिन्होंने स्थगित हुए मतदान में मत नहीं डाला था।
5. स्थगित हुये मतदान को पूर्ण कराने के लिए नये मतदान दल की नियुक्ति की जावे व इस दल के मतदान अधिकारी को पूर्व के दल के मतदान अधिकारी से प्राप्त किये गये अप्रयुक्त मतपत्रों के सीलबंद पैकेट, चिह्नित मतदाता सूची का सीलबंद पैकेट व नई मतपेटी दी जावे।
6. मतदान शुरू होने से पूर्व मतदान अधिकारी द्वारा, उस समय वहाँ उपस्थित अभ्यार्थियों या उनके मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सीलबंद लिफाफे खोले जाकर, चिह्नित मतदाता सूची व नई मतपेटी के द्वारा स्थगित हुए चुनाव को सम्पन्न कराया जावेगा।
7. उक्त सन्दर्भित नियम 48 A, 48 B, 49 A में दी गई परिस्थितियों में जिला निर्वाचन अधिकारी किसी भी मतदान केन्द्र के मतदान को शून्य घोषित करने में सक्षम है। ऐसे प्रकरण में रिटर्निंग अधिकारी तथ्यों को जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेगा व जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकरण की सभी भौतिक परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, यदि आवश्यक हो तो सम्बन्धित मतदान केन्द्र के मतदान को शून्य घोषित कर पुनर्मतदान का दिन एवं समय निर्धारित व अधिसूचित करेगा।
8. मतदान शून्य घोषित किए जाने के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नए रिटर्निंग अधिकारी व रिजर्व दलों में से नये मतदान दल की नियुक्ति की जावेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को पुनर्मतदान की तिथि, समय व स्थान की सूचना चुनाव लड़ रहे अभ्यार्थियों को देने, नोटिस की प्रति

अपने कार्यालय, पंचायत कार्यालय व चुनाव क्षेत्र में सहज दृश्य स्थान पर लगाने व क्षेत्र में ढ़ोल बजवाकर या अन्यथा मुनादी करवाकर सूचित करने बाबत् निर्देशित किया जावेगा।

9. इस प्रकार नियुक्त किये गये मतदान दल को नवीन मतपत्र, मतदाता सूची की चिह्नित प्रति व अन्य समस्त आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जावेगी।
10. शून्य घोषित मतदान के स्थान पर होने वाले पुनर्मतदान में उस मतदान केन्द्र के सभी मतदाताओं को मत देने का अधिकार होगा तथा मूल मतदान में उनकी अंगुली पर अंकित किये गये अमिट स्याही के निशान की उपेक्षा करते हुये उनके दाएँ हाथ की मध्यमा (Middle-finger) पर अमिट स्याही का निशान अंकित किया जावेगा। अन्य सभी प्रक्रियाएँ सामान्य मतदान की भाँति ही रहेंगी।
11. मूल मतदान में काम में आये सभी मतपत्रों व अन्य दस्तावेजों को बिना खोले, सीलबंद ही सावधानी से सुरक्षित रखा जावे।
12. ऐसे प्रकरणों में जब तक कि, स्थगित हुए मतदान के बदले होने वाला मतदान या Fresh Poll पूर्ण होकर उसके मतपत्र गणना हेतु उपलब्ध नहीं हो जावे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतगणना की शुरूआत नहीं की जावेगी।

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

(74)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 9431 जयपुर, दिनांकः 15.12.14

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर पंचायत)।

विषयः– पंच एवं सरपंच के स्थगित एवं पुनर्मतदान के मतों की गणना के संबंध में दिशा निर्देश।

पंच व सरपंच के मतपत्रों को डालने के लिए एक ही मतपेटी का उपयोग किया जाता है। अतः यदि किसी पंचायत वृत्त में एक या अधिक मतदान केन्द्रों पर मतदान स्थगित या शून्य घोषित हो गया है तो उस पंचायत वृत्त के किसी बूथ के मतों की गणना तब तक नहीं की जावेगी, जब तक कि, स्थगित या पुनर्मतदान के मत साथ–साथ गणना के लिए उपलब्ध नहीं हो जाते हैं।

ऐसे मामलों में मतदान अधिकारी, उन मतदान केन्द्रो पर जहाँ मतदान व्यवधान रहित ढ़ंग से सम्पन्न हुआ है, वहाँ प्रयुक्त मतपेटियों को चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों, उनके मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष सील करेंगे एवं यदि वे अपनी सील या हस्ताक्षर लगाना चाहें तो उन्हें ऐसा करने देंगे, तत्पश्चात् ऐसी सील बंद मतपेटियों को मतगणना होने तक जिला मुख्यालय पर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जावेगा।

पुनर्मतदान वाले दिन, जब मतदान दल मतदान हेतु रवाना हो, तब सुरक्षित रखी गई, सील बंद मतपेटियाँ सावधानीपूर्वक सुरक्षित पंचायत मुख्यालय पर ले जाने के लिए रिटर्निंग अधिकारी को दी जावेगी ताकि पुनर्मतदान सम्पन्न होने पर एक साथ मतगणना की जा सके।

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

(75)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 9426 जयपुर, दिनांकः 15.12.14

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर पंचायत)।

विषयः– पंचायती राज संस्थाओं के स्थगित मतदान एवं पुनर्मतदान के चुनाव के संबंध में दिशा निर्देश।

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 48, 48 (A), 48 (B), 49 (A) के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि, जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के संबंध में पुनर्मतदान (Repoll) व स्थगित मतदान (Adjourned Poll) के बारे में रिटर्निंग अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय लिया जावेगा। आयोग द्वारा वार्ड पंच व सरपंच चुनाव के संबंध में पुनर्मतदान व स्थगित मतदान के बारे में रिटर्निंग अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिकृत किया गया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के संबंध में मतदान अधिकारी तथा वार्ड पंच व सरपंच के चुनाव के संबंध में उस ग्राम पंचायत के रिटर्निंग अधिकारी को, जो मौके पर उपस्थित है, मतदान स्थगित करने के लिए अधिकृत किया गया है। पुनर्मतदान व स्थगित मतदान के संदर्भ में सभी रिटर्निंग अधिकारियों व मतदान अधिकारियों को नियम 48 A (1) व 48 B (1) में वर्णित कारकों पर विचार कर निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया जावे। उल्लेखनीय है कि, ''मतदान अधिकारी की डायरी'' एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे व स्थगित मतदान (Adjourned Poll) एवं पुनर्मतदान के संबंध में निर्णय लेते समय आवश्यक रूप से देखा जावे और उस पर भी विचार किया जावे।

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांक : एफ. 4 (2) (1) पंचा एवं न.पा./रानिआ/94/955 दिनांक : 2.2.95

आदेश

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 53 के उपनियम (2) में प्रावधान है कि उपयोग में लाये गये मतपत्रों, चाहे वे वैध हों, या निविदत्त हों या प्रतिपेक्षित हों तथा चिन्हित मतदाता सूचियों के पैकिट सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना नहीं खोले जायेंगे और न ही उनमें रखे हुये कागजात का निरीक्षण किया जायेगा। उक्त नियमों के नियम 47 के उपनियम के खण्ड (III) व (IV) में प्रावधानों के अन्तर्गत निविदत्त मतपत्रों, उपयुक्त मतपत्रों खराब हुए मतपत्रों, नियम 43 के अधीन लौटाये गये और रद्द किये गये मतपत्रों और चिन्हित मतदाता सूचियों के पृथक-पृथक पैकिट सीलबन्द किये जायेंगे। अत: ऐसे सीलबंद पैकिटों के कागजात भी निरीक्षण के लिये उपलब्ध नहीं रहेंगे।

उपरोक्त प्रावधानों में वर्णित एवं अन्य किसी आदेश यदि कोई हो, से निरीक्षण के लिए प्रतिबन्धित दस्तावेजों के अलावा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कराया जा सकता है तथा उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि भी जारी की जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे दस्तावेजों के लिये, जो निरीक्षण कराये जाने योग्य हैं, उनके निरीक्षण के लिये और उनको प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करने के लिए निम्न प्रकार से फीस व प्रक्रिया निर्धारित करता है :-

(1) निरीक्षण:- (क) उक्त दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र लिखित रूप में दिये जायेंगे और इसमें उस अभिलेख का जिसका निरीक्षण अपेक्षित है, सम्बन्धित विवरण दिया जाना चाहिये,

(ख) दस्तावेजों का निरीक्षण करने की किसी भी व्यक्ति को इसके लिये आवेदन करने पर और निरीक्षण के लिए उसी दर पर शुल्क का भुगतान करने पर अनुमति दी जायेगी, जो दर दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए राजस्व न्यायालय नियमावली के प्रावधानों के तहत राजस्व अधिकारी द्वारा वसूल की जाती है।

(2) प्रमाणित प्रतिलिपि:- उक्त दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि, उसके लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को उसी दर पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जायेगी जो दर राज्य में राजस्व न्यायालय नियमावली के प्रावधानों के तहत किसी आदेश की प्रतिलिपि के लिये राजस्व अधिकारी द्वारा वसूल की जाती है।

(3) आवेदन पत्र में निरीक्षण के लिए या दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दिए जाने के लिए आवेदक का अधिकार सिद्ध किया जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिये यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि आवेदक का ऐसे दस्तावेज या दस्तावेजों में प्रत्यक्ष और सुनिश्चित हित हैं और ऐसा हित किस प्रकार का है।

(4) जब दस्तावेज का निरीक्षण करना या प्रमाणित प्रतियां लेना सरकारी प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो कोई फीस नहीं ली जायेगी।

(5) जब निर्वाचन अभिलेखों का निरीक्षण हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन समाप्त होने के तुरन्त बाद किया जा रहा हो तब कर्मचारियों द्वारा प्रभावकारी पर्यवेक्षण रखना आवश्यक है। अभिलेखों में किसी कागज के हटाए जाने से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को एक ही साथ निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ. 4 (2) (1) पंचा/एवं न.पा./रानिआ/94/955 दिनांक : 7.2.95

प्रतिलिपि:-

1. समस्त संभागीय आयुक्त।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर्स)
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य चुनाव जरिये जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर्स)
4. समस्त उप खण्ड अधिकारी, राजस्थान।
5. निजि सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, आयुक्त महोदय, जयपुर।
6. निजी सहायक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग
7. उप सचिव, प्रथम/द्वितीय रानिआ
8. सहायक सचिव, प्रथम/द्वितीय रानिआ
9. जन सम्पर्क अधिकारी/प्रभारी अधिकारी नियंत्रण कक्ष रानिआ।

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांक : प.4(2)(1)पं. / नपा / रानिआ / 94 / 61 जयपुर, दिनांक : 9.4.10

आदेश

सां.आ. 66 / 10 :–राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 53–क में यह प्रावधान है कि जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की अभिरक्षा में रहते हुए अप्रयुक्त डाक मतपत्रों के पैकेटों; वैद्य, अवैद्य या निरस्त हुये प्रयुक्त डाकमतपत्रों के पैकेटों; प्रयुक्त या अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों के पैकेटों; मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के पैकिटों; प्ररूप–XII में मतदाताओं के रजिस्टर के पैकेट; निर्वाचकों द्वारा की गयी घोषणाओं एवं उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन के पैकिटों तथा नियम 52क के अधीन मुद्राबन्द कंट्रोल यूनिटों को सक्षम न्यायालय के आदेश के सिवाय ना तो खोला जायेगा और ना ही निरीक्षण किया जायेगा। उक्त नियम के उपनियम (4) में यह भी प्रावधान है कि निर्वाचन से संबंधित समस्त अन्य दस्तावेज जो उपनियम (2) एवं (3) में वर्णित नहीं है ऐसी शर्तों के और ऐसी फीस के संदाय के, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित की जाये, अध्यधीन आम जनता के निरीक्षण के लिये खुले रहेंगे और कोई भी व्यक्ति ऐसी शर्तों की अनुपालना करने पर और ऐसी फीस का संदाय करने पर उसकी या उसके किसी भाग की प्रति या प्रतियां प्राप्त करने का हकदार होगा।

अतः उक्त नियम 53 क (4) के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग निम्न प्रकार आदेश करता है:–

(1) निरीक्षण :–

(क) उक्त दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र लिखित रूप में दिये जायेंगे और उसमें उस अभिलेख का जिसका निरीक्षण अपेक्षित है, संबंधित विवरण दिया जाना चाहिये।

(ख) दस्तावेजों को निरीक्षण करने की किसी भी व्यक्ति को इसके लिये उसी दर पर शुल्क का भुगतान करने पर अनुमति दी जायेगी जो दर दस्तावेजों के निरीक्षण के लिये राजस्व न्यायालय नियमावली के प्रावधानों के तहत राजस्व अधिकारी द्वारा वसूल की जाती है।

(2) प्रमाणित प्रतिलिपि :–

उक्त दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि उसके लिये आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को उसी दर पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जायेगी जो दर राज्य में राजस्व न्यायालय नियमावली के प्रावधानों के तहत किसी आदेश की प्रतिलिपि के लिये राजस्व अधिकारी द्वारा वसूल की जाती है।

(3) आवेदन पत्र में निरीक्षण के लिये या दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दिये जाने के लिये आवेदक का अधिकार सिद्ध किया जाना चाहिये और इस प्रयोजन के लिये यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिये कि आवेदक का ऐसे दस्तावेज या दस्तावेजों में प्रत्यक्ष और सुनिश्चित हित है और ऐसा हित किस प्रकार का है।

(4) जब दस्तावेज का निरीक्षण करना या प्रमाणित प्रतियां लेना सरकारी प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो कोई फीस नहीं ली जायेगी।

(5) जब निर्वाचन अभिलेखों का निरीक्षण हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन समाप्त होने के तुरन्त बाद किया जा रहा हो तब कर्मचारियों द्वारा प्रभावकारी पर्यवेक्षण रखना आवश्यक है। अभिलेखों में किसी

D:\DS\Panchyat Election 2010\PANCHAYAT ORDER 66_31.3.10.doc

कागज के हटाये जाने से बचने के लिये बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

(6) प्ररूप–VII या यथा स्थिति प्ररूप–VII क अंतिम परिणाम पत्र की प्रतिलिपियां यदि मांगी जाये तो उसी दर पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जायेगी, जो उपरोक्त अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियों की आपूर्ति के लिये लिया जाता है।

आज्ञा से,

(आर.के. जैन)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.4(2)(1)पं. / नपा / रानिआ / 94 / 62-63 जयपुर, दिनांक : 9.4.10

प्रतिलिपि :–

1. जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), कोटा, भरतपुर, सीकर व दौसा।
2. समस्त शाखायें, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः प.4(2)(1)पं./नपा/रानिआ/94/64 जयपुर दिनांक : 9.4.10

आदेश

सां0आ0 67/2010 :– राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 53–ख के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के व्ययन के संबंध में यह निद्रेश जारी करता है कि आयोग द्वारा या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी प्रतिकूल निर्देश के अधीन रहते हुए और अधोलिखित पैरा–4 में समाविष्ट अनुदेशों के अधीन रहते हुए निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों को निम्नलिखित रीति से निपटाया जा सकेगा :–

(1) नियम 53–ख(क) के अधीन निर्देश :–

(क) मतदान की समाप्ति के पश्चात् पीठासीन अधिकारियों द्वारा लौटाये गये और नियम 53–ख के खण्ड (क) में निर्दिष्ट अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों के पैकिटों को जो दो तालों (Double Lock) वाले स्टील ट्रंकों में 6 मास की कालावधि के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के पास प्रतिघृत (Retain) रखे हुए हैं, निर्वाचन की समाप्ति की 6 माह की कालावधि के पश्चात् नष्ट कर दिया जावेगा।

(ख) डाक मतपत्रों को जारी करने के पश्चात् बचे हुए अवितरित डाक मतपत्रों का स्टॉक तथा मतदान केन्द्रों पर उपयोग करने के लिए पीठासीन अधिकारियों को जारी करने के बाद बचे हुए अवितरित निविदत्त मतपत्रों का स्टॉक, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) 6 मास तक रखेगा तत्पश्चात् उसके पर्यवेक्षण के अधीन उन्हें नष्ट किया जा सकेगा।

(2) नियम 53–ख(ख) के अधीन निर्देश

(क) मतों की गणना के पश्चात् नियम 53–क के उप नियम (3) के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की अभिरक्षा में रखी गई मतदान मशीन की यूनिटें ऐसी कालावधि के लिए जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 43 में किसी निर्वाचन याचिका को प्रस्तुत करने के लिए बतायी गयी है, के अवसान तक अर्थात निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख से 30 दिन तक अभिकल्पित रूप से प्रतिघृत (Retain) रखी जावेगी, तत्पश्चात् मतदान मशीनों की मुद्रा हटाकर और इन्हें खोलकर नियंत्रण यूनिट में अंतर्विष्ट सूचना हटा दी जावेगी तथा मतदान यूनिट में प्रदर्शित मतपत्र को हटा दिया जावेगा।

(ख) इस प्रकार मतदान मशीन की दोनों ही प्रकार की यूनिटें (नियंत्रण यूनिट व मतदान यूनिट) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की सुरक्षित अभिरक्षा में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 43 में किसी निर्वाचन याचिका को प्रस्तुत करने के लिये बतायी गयी कालावधि के अवसान तक अभिकल्पित रूप से सुरक्षित रखी जावेगी।

(3) नियम 53–ख (घ) के अधीन निर्देशः–

(क) अनुलंग्नक में निर्दिष्ट कागज पत्रों को परिणाम की घोषणा होने की तारीख से 6 मह व्यतीत हो जाने पर नष्ट कर दिया जायेगा।

(ख) मतदाताओं को डाक मतपत्रों के प्रेषण रजिस्टर और नाम निर्देशन पत्रों की प्ररूपों को परिणाम का घोषणा होने की दिनांक से पांच वर्ष व्यतीत होने से पूर्व नष्ट नहीं किया जाना चाहिये।

(ग) किसी व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रत्येक आदेश उस निर्वाचन की समाप्ति से जिससे नियुक्ति संबंधित हो, तीन वर्ष बीतने के पहले नष्ट नहीं किया जाना चाहिए।

(घ) अंतिम प्रमाण–पत्र प्ररूप 7 या यथास्थिति प्ररूप 7–क को निर्वाचन के स्थायी अभिलेख के रूप में रखा जाना चाहिए।

(ड) निक्षेपों से संबंधित रजिस्टरों को राजस्व रजिस्टरों को नष्ट किए जाने की रीति के अनुसार ही नष्ट किया जाये, किन्तु किसी भी दशा में इन रजिस्टरों को 10 वर्ष से पहले नष्ट नहीं किया जायेगा।

(4) याचिका के अनिर्णित रहने तक कागज–पत्रों को रोके रखना:–

(क) जहां कहीं कोई निर्वाचन याचिका सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण के लिए लम्बित पडी है, या निर्वाचन संबंधी कोई अन्य मामला न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयन के लिए लम्बित पडा हो, तो उनसे संबंधित कागजात जैसा कि उपरोक्त पैरा (1) तथा (3) में बताये गये हैं, ऐसी याचिका या मामलों के अंतिम निपटान की तारीख से 3 महीनों तक नष्ट नहीं किये जायेगें।

(ख) जहां कहीं कोई निर्वाचन याचिका सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण के लिए लम्बित पडी है तो ऐसी याचिका के अंतिम निपटान की तारीख 3 महीनों तक उनसे संबंधित नियंत्रण यूनिटें (यूनिटों) को न तो खोला जायेगा और न ही उनमें अन्तर्विष्ट सूचना को हटाया जायेगा।

5. निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के निस्तारण की रीतिः–

मतदान मशीनों की नियंत्रण यूनिटों व मतदान यूनिटों के सिवाय सभी निर्बन्धित या गोपनीय निर्वाचन कागजातों जैसे प्रयुक्त मतपत्र प्रयुक्त डाक मतपत्र निर्वाचको द्वारा की गई घोषणायें व उनके अनुप्रमाणन और निर्वाचक नामावलियों की चिन्हित प्रतियों के छोटे–छोटे टुकडे कर दिये जाएं और उसके पश्चात उसकी लुग्दी बना दी जाए जिसे कागज आदि दुबारा बनने के प्रयोग किए जा सकें। निर्बन्धित श्रेणी के कागजातों के मामलों में इस तरह के टुकडे राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में किये जावें तथा संबंधित अधिकारी द्वारा एक प्रमाण–पत्र भी रिकार्ड किया जावे।

संलग्नः–एक

आज्ञा से

(आर.के.जैन)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प.4(2)(1)पं./नपा/रानिआ/94/ 65-66 जयपुर दिंनाक : 9.4.10

प्रतिलिपीः–

1. जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर)कोटा/भरतपुर/सीकर/दौसा
2. समस्त शाखाऐं राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर

उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

(79)

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांक : प. 6 (4) (1) पंचा/रानिआ/94/1127 जयपुर, दिनांक : 23.2.95

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
(कलेक्टर), ...

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं का आम निर्वाचन, 1995 निर्वाचन संबंधी कागजातों की प्रतिलिपि देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आयोग के आदेश क्रमांक : एफ. 4 (2) (1) पंचा एवं नपा/रानिआ/94/955, दिनांक : 7.2.95 का अवलोकन करें, जिसमें निर्देश दिये गये हैं कि राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 53 (2), 47 के उपनियम (1) के खण्ड (III) और 43 के उपबंधों में वर्णित मुहरबंद पैकिटों में रखे हुये मतपत्रों एवं चिन्हित निर्वाचक नामावली व अन्य कागजात तथा अन्य किसी आदेश से प्रतिबिन्धित दस्तावेजों के अळावा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कराया जा सकता है और उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की जा सकती हैं। साथ ही उक्त नियमों के नियम 63 का भी अवलोकन करे जिसके उपनियम (I) में वर्णित कागजात के पैकिट उक्त नियम के उप नियम (III) में बताई गयी परिस्थिति के सिवाय खोले नहीं जायेंगे। इनका निरीक्षण नहीं कराया जायेगा और इनकी प्रतिलिपि भी जारी नहीं की जायेगी।

इस प्रकार उपरोक्त उपबंधों में उल्लिखित कागजात तथा अन्य किसी आदेश से प्रतिबन्धित कागजात को छोड़कर अन्य कागजात का निरीक्षण कराया जा सकता है और प्रमाणित प्रतिलिपि भी दी जा सकती हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पंच/सरपंच चुनाव तथा जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य चुनाव से संबंधित नामनिर्देशन पत्र, मतगणना एजेण्ट/मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के फार्म परिणाम पत्र का निरीक्षण या प्रतिलिपि देना प्रतिबन्धित नहीं है।

भवदीय,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर

क्रमांक : प. 6 (4) (1) पंचा/रानिआ/94/1127 जयपुर, दिनांक : 23.2.95

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. समस्त संभागीय आयुक्त।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद)
5. समस्त उपखण्ड अधिकारी
6. निजी सचिव, आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग,
7. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,
8. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,
9. सहायक सचिव, प्रथम/द्वितीय, राज्य निर्वाचन आयोग,
10. रक्षित पत्रावली।

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

(80)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांक : एफ. 7 (7) (13) पंचा./रानिआ/99/7112 जयपुर, दिनांक : 8.1.2000

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

प्रेषिति,

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)
उदयपुर (राजस्थान)

विषय :-पंचायत चुनाव-2000 नाम निर्देशन पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि देने के संबंध में।
प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक-3820, दिनांक 22.02.2000 एवं 3837, दिनांक 25.02.2000

आप द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया है कि क्या नाम निर्देशन पत्रों की प्रति जारी की जा सकती है? इस संबंध में लेख है कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य चुनाव के नाम निर्देशन पत्र निरीक्षण एवं प्रतिलिप जारी करने के प्रयोजनार्थ प्रतिबंधित रिकार्ड नहीं है। अत: इनकी प्रतिलिपि नियमानुसार जारी की जावे जैसा कि आयोग के परिपत्र-प. 6 (4) (1) पंचा./रानिआ/94/1127, दिनांक 23.02.1995 (आयोग के महत्वपूर्ण निर्देशों के संकलन पुस्तिका का पृष्ठ 221) में बताया गया है।

मार्गदर्शिका के पृष्ठ 157 में बताये चार्ट में पंच/सरपंच के नाम निर्देशन पत्रों आदि के लिफाफा नम्बर-पी 1 को यद्यपि सील करने योग्य बताया गया है, लेकिन लिफाफा नम्बर-पी.-1 में रखा रिकार्ड प्रतिबंधित रिकार्ड नहीं है, अत: उक्त लिफाफे को खोला जा सकता है और पंच-सरपंच के नाम निर्देशन पत्रों की नकलें भी जारी की जा सकती है।

नियम 63 के प्रावधान प्रधान/प्रमुख/उप प्रधान/उप प्रमुख चुनाव से संबंधित थे, जो दिनांक 5.2.2000 की अधिसूचना जारी होने के बाद नियम 60 के अन्तर्गत हो गये हैं। अत: प्रधान/उप प्रधान/प्रमुख/उप प्रमुख के निर्वाचन से संबंधित कागजात जो सील कर दिये गये हैं, उन्हें सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना नहीं खोला जा सकता है और न ही उनकी प्रतिलिपि जारी की जा सकती है।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ. 7 (1) (13) पंचा./रानिआ/99/7112 जयपुर, दिनांक: 10.3.2000

प्रतिलिपि :-

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायतें) (उदयपुर को छोड़कर) को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

(81)

राज्य निर्वाचन आयोग

जयपुर, दिनांक : 13 अक्टूबर, 1995

आदेश

सां.आ. 22/95 राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 53 सपठित नियम 56 (3) तथा 58 (5) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के निपटारे के संबंध में निर्देश देता है कि आयोग या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निर्देश और नीचे अनुच्छेद 4 में समाविष्ट अनुदेशों के अधीन रहते हुये जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों तथा पंचों के निर्वाचन से संबंधित कागज पत्रों को नीचे बताये हुये ढंग से निपटाया जा सकेगा:-

1. नियम 53 (3) (क) के अधीन निर्देश:-

नियम 53 (2) में निर्दिष्ट प्रयुक्त मतपत्रों चाहे वे विधिमान्य हों, निविदत्त हों या नामंजूर किये हुए हों के मोहरबंद पैकिटों को जिन्हें निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात् मोहरबंद स्टील ट्रंकों में रखकर दो तालों में बन्द करके कोषागार में रखा गया है, छ: मास की कालावधि तक रखा जावे और फिर नष्ट कर दिया जावेगा।

2. नियम 53 (3) (ख) के अधीन निर्देश:-

नियम 53 (2) में निर्दिष्ट मतदाता सूची की चिन्हित प्रतियों के मोहरबंद पैकिटों को, जिन्हें निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात् मोहरबंद स्टील ट्रंकों में रखकर दो तालों में बंद करके कोषागार में रखा गया है, एक वर्ष की कालावधि तक रखा जावे, फिर नष्ट कर दिया जावेगा।

3. नियम 53 (3) (ग) के अधीन निर्देश:-

(क) जिला परिषद सदस्यों तथा पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन में मतदान की समाप्ति के पश्चात् मतदान अधिकारियों द्वारा लौटाये गये अप्रयुक्त मतपत्रों के पैकिटों को छ: मास की कालावधि तक रखा जावे और तदुपरान्त नष्ट कर दिया जावेगा।

(ख) सरपंचों तथा पंचों के निर्वाचन में रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा लौटाये गये अप्रयुक्त मतपत्रों के पैकिटों को छ: मास की कालावधि तक रखा जावे, तदुपरान्त नष्ट कर दिया जायेगा।

(ग) पंचायत समिति के सदस्यों तथा जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में मतदान केन्द्रों पर उपयोग करने के लिए मतदान अधिकारियों को जारी करने के बाद बचे हुये अवितरित मतपत्रों का स्टॉक, स्टील ट्रंकों में रखकर दो तालों में मोहरबंद करके कोषागार में छ: माह की कालावधि तक रखा जावेगा और तदुपरान्त नष्ट कर दिया जावेगा।

(घ) अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट कागज पत्रों को परिणाम की घोषणा होने की दिनांक से 6 माह बीत जाने पर नष्ट कर दिया जावेगा।

(ङ) किसी भी व्यक्ति को रिटर्निंग अधिकारी या मतदान अधिकारी या सहायक मतदान अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रत्येक आदेश उसे निर्वाचन की समाप्ति से जिससे नियुक्ति संबंधित है, तीन वर्ष बीतने के पहले नष्ट नहीं किया जाना चाहिये।

(च) निर्वाचन के परिणामों को दर्शित करने वाली विवरणी (प्ररूप-7) को स्थाई अभिलेख के रूप में रखा जाना चाहिये।

(छ) जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों तथा सरपंचों के निर्वाचन में प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों के प्ररूपों तथा प्रतिभूति निक्षेप से संबंधित रसीदों को परिणाम की घोषणा होने की दिनांक से 5 वर्ष व्यतीत होने से पूर्व या उनकी लेखा परीक्षा की आपत्तियों यदि कोई हो, का निराकरण हो जाने तक, जो भी पहले हो नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। (स्पष्टीकरण: - यदि नाम निर्देशन पत्र और निक्षेप से संबंधित रसीदें किसी अन्य अभिलेख के साथ रखे हुए हैं तो इन्हें निकाल कर अलग कर लिया जावे।)

(ज) निक्षेपों से संबंधित रजिस्टरों को, राजस्व रजिस्टरों को नष्ट किये जाने की रीति के अनुसार ही नष्ट किया जाये, किन्तु किसी भी दशा में इन रजिस्टरों को दस (10) वर्ष से पहले नष्ट नहीं किया जायेगा।

4. याचिका (निर्वाचन अर्जी) के अनिर्णित रहने तक कागज पत्रों को रोके रखना:-

जहां कहीं कोई याचिका (निर्वाचन अर्जी) सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण के लिए लम्बित पड़ी है या निर्वाचन संबंधी कोई अन्य मामला न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयन के लिए लम्बित पड़ा हो, तो उनसे संबंधित कागजात, जैसा कि उपरोक्त अनुच्छेद (1), (2) तथा (3) में बताया गया है, ऐसी याचिका या मामलों के अन्तिम निपटान की तारीख से 3 महीनों तक नष्ट नहीं किया जावे।

5. निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के निस्तारण की रीति:-

निर्बन्धित या गोपनीय कागज पत्रों सहित सभी निर्वाचन कागजातों जैसे प्रयुक्त मतपत्र, निर्वाचक नामावलियों की प्रतियों, आदि के छोटे-छोटे टुकड़े कर दिये जावें और उसके पश्चात् उसी लुग्दी बना दी जावें जिसे कागज आदि दुबारा बनाने के प्रयोग में लिया जा सके। निर्बन्धित श्रेणी के कागजातों के मामले में इस तरह के टुकडे राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में किये जावे तथा संबंधित अधिकारी द्वारा एक प्रमाण-पत्र भी रिकार्ड किया जावे।

संलग्न : एक

आज्ञा से,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : प. 7 (1 (26) पं.चु./रानिआ/95/2610 जयपुर, दिनांक : 13 अक्टूबर, 95

प्रतिलिपि निम्नांकित को:-

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर), राजस्थान।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, जिला परिषद/पंचायत समिति, राजस्थान।
4. समस्त उप खण्ड अधिकारी, राजस्थान।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

परिणाम की घोषणा के 6 माह पश्चात् नष्ट कर दिये जाने वाले कागज-पत्रों की सूची

क्र.सं.	कागज-पत्रों का विवरण
1.	निर्वाचन की अधिसूचना/सार्वजनिक नोटिस
2.	विधिमान्यत: नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप-5)
3.	अभ्यर्थिता वापस लेने की सूची व नोटिस
4.	निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति (प्ररूप-8) तथा प्रतिसंहरण की सूचना
5.	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति (प्ररूप-9) तथा प्रतिसंहरण की सूचना
6.	निविदत्त मतों की सूची (प्ररूप-6)
7.	किसी मतदान केन्द्र/बूथ पर प्रयुक्त मतदाता सूची की चिन्हित प्रति से भिन्न प्रतियां।
8.	लौटाये गये व निरस्त किये गये मतपत्र (नियम 43) तथा खराब व रद्द किये गये मतपत्र (नियम-42)।
9.	रिटर्निंग अधिकारी/मतदान अधिकारी द्वारा रखी गयी टिप्पणियां।
10.	गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति एवं कार्यालय प्रतियां (प्ररूप-10) तथा प्रतिसंहरण की सूचना।
11.	मतों की पुनर्गणना के लिये आवेदन-पत्र।
12.	रिटर्निंग/मतदान अधिकारी और उम्मीदवार व निर्वाचन या गणन अभिकर्ताओं के बीच पत्र-व्यवहार।
13.	चुनाव चिन्हों के आवंटन हेतु आवेदन-पत्र।
14.	क्षतिग्रस्त पत्र मुद्रायें और अप्रयुक्त पत्र मुद्रायें और अप्रयुक्त पत्र मुद्रायें जो मतदान अधिकारियों/रिटर्निंग अधिकारियों से वापिस प्राप्त हुई हैं।
15.	रिटर्निंग अधिकारियों/मतदान अधिकारियों से प्राप्त सामान्य रिपोर्ट, डायरियां, ज्ञापन, नोट बुक, आदि।
16.	नियम 30 (3) के अधीन नोटिस।
17.	ऐसे पैकिट जिनमें मतदान और मतों की गणना के दौरान उम्मीदवारों या अभिकर्ताओं द्वारा आक्षेप रखे हैं।
18.	मतों की गणना के बाद रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा तैयार की गई कार्यवाहियों के विवरण।
19.	मतों की गणना के लिये चैक मीमो।
20.	मतपत्र लेखा।
21.	प्रयुक्त पेपर सीलों का अभिलेख।
22.	पंच चुनाव हेतु प्रस्तुत हुए नाम-निर्देशन-पत्र और संशक्त कागजात।
23.	प्रचार सामग्री जैसे दीवार पर लगाने के पोस्टर, हैण्ड-बिल और निर्वाचन के समय उम्मीदवारों द्वारा जारी किये गये खुले बयान आदि।

(82)

राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांक : एफ. 2 (8) रानिआ/लेखा/94/1109 जयपुर, दिनांक : 28.12.94

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
....

विषय:- नगरपालिका/परिषद/निगम/पंचायत चुनावों में फार्मों की बिक्री/अन्य आय एवं जमानत जब्त राशि के जमा कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगरपालिका/परिषद/निगम/पंचायत चुनावों के लिये उम्मीदवारों फामर्स की बिक्री समस्त अन्य बिक्री से आय एवं उम्मीदवारों की जमानत जब्त राशि को निम्न बजट मदों में जमा कराये जाने के निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

नगरपालिका/परिषद/निगम के चुनावों से समस्त आय

बजट मद

0217 शहरी विकास
60 अन्य शहरी विकास योजनायें
800 अन्य प्राप्तियां
(111) विविध प्राप्तियां

पंचायत चुनावों से समस्त आय

0515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
101 पंचायती राज अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्तियां
(1) पंचायत चुनाव की प्राप्तियां

उक्त मदों में जमा राशि के लेखे अलग से रखे जायेंगे।

यह स्वीकृति/निर्देश वित्त (आय व्ययक) विभाग के अर्न्तविभागीय संख्या 1194 दिनांक 22.12.94 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में प्रसारित की गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,

क्रमांक : एफ. 2 (8) रानिआ/लेखा/94/1109 जयपुर, दिनांक : 28.12.94

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग/उपसचिव, रानिआ, जयपुर
2. महालेखाकार (राजस्व प्राप्तियां), राज. जयपुर।
3. उपशासन सचिव, वित्त व्यय (आय व्ययक) विभाग, राज. जयपुर।
4. आरक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

(83)

STATE ELECTION COMMISSION

NO. F 4(1) (6) M/SEC/94/513 JAIPUR DATED: 07.11.94

ORDER

Subject :- **The Rate of sale price of list of polling stations & printed forms.**

Sale prices of the following for the purpose of Municipal or Panchayat Election, as the case may be is hereby prescribed as under :-

(i)	Rate of list of polling station of Municipality per page irrespective of any number of entries.	Rs 2.00
(ii)	Rate of list of polling stations per both pages (Printed on both sides irrespective of any number of entries.	Rs 4.00
(iii)	Rate of printed forms for Municipal Election appended to the Raj. Municipal (Election) Rules 1994.	Rs 1.00
(iv)	Rate of printed forms for Panchayat Election appended to the Raj. Panchayat Raj. (Election)Rules, 1994.	Rs 1.00 per form

The above rates are inclusive of paper cost.

The receipt of sale proceeds may please be credited to the concerned Municipal/Panchayat head.

This issues with the concurrance of the Finance Department(Exp.-I) vide their I.D. No. 2857/94 Dated 28.10.94.

By Order
sd/-
(R.K.Pareek)
Deputy Secretary,
State Election Commission
Rajasthan Jaipur.

NO.F 4(1) (6) M/Sec/94/513 Jaipur, Dated: 07.11.94

Copy forwarded to :-

1. All District Election Officer (Collector)
2. All Dy.DEOs
3. All S.D.Ms
4. Rolls section
5. All Officers of SEC
6. All section of SEC

sd/-
(Himmat Singh)
Assistant Secretary
State Election Commission
Rajasthan, Jaipur.

(84)

राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांक : एफ. 1 (1) (1) नपा/रानिआ/94/134 जयपुर, दिनांक : 18.2.99

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर) राजस्थान।

विषय:- स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षित अध्यक्षीय पद के लिए चुनाव लड़ने हेतु सदस्यों की पात्रता।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग ने, इस प्रश्न पर कि नगरपालिकाओं में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित अध्यक्ष/मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने हेतु क्या वही सदस्य पात्र है, जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड से निर्वाचित हुआ है, या वह सदस्य भी पात्र है जो पिछड़े वर्ग का तो है, लेकिन अनारक्षित (सामान्य) वार्ड से निर्वाचित हुआ हो, राज्य के महाधिवक्ता से राय चाही थी। महाधिवक्ता ने इस प्रश्न पर अपनी राय देते हुए बताया है कि ऐसे मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय में कासम भाई बनाम चन्दू भाई के प्रकरण, (ए.आई.आर., 1998, एस.सी., पृष्ठ 815) में यह निर्णय दिया है कि किसी नगरपालिका में निर्वाचित सदस्य जो अन्य पिछड़े वर्ग का है लेकिन अनारक्षित वार्ड से निर्वाचित हुआ है वह भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्र है। महाधिवक्ता द्वारा दी गई राय के उद्धृत अंश निम्न प्रकार है:-

"................... The question whether a candidate though belonging to other Backward Class but elected from general community can be elected as Chairman/Mayor of the Municipal Council. The decision rendered by the Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No. 14608/96 reported in AIR 1997 SC page 347 has since been over-ruled/reversed by the Hon'ble Supreme Court in its later decision in the case of Kasambhai V/s Chandubhai, reported in AIR 1998 SC page 815, wherein their Lordships of the Hon'ble Supreme Court have categorically held that Councillor of a Municipal Council who belonged to other Backward Class but had been elected to the Municipality from an un-reserved seat could stand for election for the post of President of the Municipality which was reserved for a Backward Class.

In view of changed approach of the Hon'ble Supreme Court, there is now no impediment in an OBC Councillor elected from general seat in being elected as Mayor/Chairman of the Municipal Council."

अत: आपको एवं निर्वाचन अधिकारियों की जानकारी के लिए प्रेषित है।

भवदीय,
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

(85)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांक : 6150 जयपुर, दिनांक : 29.1.2000

आदेश

सां. आ. संख्या-40/2000 राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय-5 में सरपंच के निर्वाचन से संबंधित नियम-5 के उप-नियम (3) तथा पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों से संबंधित नियम-58 के उप-नियम (5) में उपबन्धित है कि सरपंच तथा पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक उसके साथ साधारण अभ्यर्थियों के मामले में 500/- रुपए और महिला या अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अभ्यर्थियों के मामले में 250/- रुपए का प्रतिभूति निक्षेप न हो, जो ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में समपहृत हो जायेगा जो निर्वाचन क्षेत्र में डाले गये कुल मतों का कम से कम षष्ठांश प्राप्त करने में विफल रहते हैं।

2. इस प्रकार जिन अभ्यर्थियों ने निर्वाचन क्षेत्र में डाले गये कुल मतों का षष्ठांश नहीं प्राप्त किया हो उनके द्वारा किया गया प्रतिभूति निक्षेप समपहृत हो जावेगा, भले ही उनमें से कोई अभ्यर्थी निर्वाचित हो गया हो।

3. उपरोक्त निर्वाचनों के समान ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन सम्पन्न होने वाले निर्वाचनों के लिए इस अधिनियम की धारा-158 की उप-धारा (4) में उपबन्धित है कि यदि ऐसे निर्वाचन में, जिसमें मतदान हुआ है, अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं होता है और उसे प्राप्त विधिमान्य मतो की संख्या समस्त अभ्यर्थियों को प्राप्त विधिमान्य मतों की कुल संख्या के छठे भाग से, या निर्वाचन में एक से अधिक सदस्यों के निर्वाचन की दशा में उस संख्या के छठे भाग से, जो ऐसे पड़े हुए विधिमान्य मतों की कुल संख्या को, निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या से, भाग देने पर आए, अधिक नहीं है, तो निक्षेप समपहृत हो जाएगा।

4. निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा किये गये प्रतिभूति निक्षेप का पूर्वोक्त पैरा 2 में वर्णित परिस्थितियों में समपहृत हो जाना व्यवहारिक दृष्टि से तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपरोक्त उपबन्धों के परिपेक्ष में उचित प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त कठिनाई के निराकरण हेतु पूर्वोक्त नियमों के नियम-91-क के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संविधान के अनुच्छेद 243-ट के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग पूर्वोक्त नियम 56 एवं 58 के उपरोक्त उपबन्धों के रहते हुए इस संबंध में आयोग द्वारा जारी पूर्व सा. आदेश संख्या-13/94, पृष्ठांकन क्रमांक-42 (2) (1) पंचा./रानिआ/94/1146, दिनांक 29.12.94 का अधिक्रमण करते हुए एतद्द्वारा निर्दिष्ट करता है कि कोई अभ्यर्थी यदि निर्वाचित हो जाए और भले ही उसे पंचायत या निर्वाचन क्षेत्र में डाले गये कुल मतों का षष्ठांश प्राप्त न हुआ हो, तो भी उसको उसके द्वारा किया गया प्रतिभूति निक्षेप लौटा दिया जावेगा।

भवदीय,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः प.4(2)(1)/नपा/रानिआ/03/3131 दिंनाकः10.09.09

आदेश

यतः राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 37 में यह उपबंधित है कि किसी निर्वाचक को मतपत्र परिदत्त करने से ठीक पूर्व मतदान अधिकारी मतदाता सूची में उस निर्वाचक से सम्बन्धित प्रविष्टियों के संदर्भ में से निर्वाचक की पहचान के बारे मे स्वयं का समाधान करेगा, और

यतः राजस्थान नगर पालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 40 में यह उपबंधित है कि किसी मतदाता को कोई मतपत्र दिये जाने के पूर्व किसी भी समय पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, यदि उसके पास मतदाता की पहचान या ऐसे मतदान केन्द्र पर मत देने के उसके अधिकार के बारे में सन्देह करने का कारण हो तो स्वप्रेरणा से, और यदि किसी अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो, मतदाता से ऐसे प्रश्न पूछकर जो वह आवश्यक समझे, अपना यह समाधान कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति वही मतदाता है, जिससे ऐसी प्रविष्टि सम्बंन्धित है, और

यतः भारत के निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या 3/4/आई.डी./2009/एस0डी0आर0 दिनांक 6 अप्रैल, 2009 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए दिनांक 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया था और राज्य के निर्वाचन तंत्र ने सभी सम्भव प्रयत्नो द्वारा छूटे हुए निर्वाचको को ध्यान में रखते हुए पहचान पत्र जारी करने के लिए क्षेत्रो में अनेक चक्रों को दोहराते हुए प्रर्याप्त सख्या में निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किये है, और

यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराई गई निर्वाचक नामावली में दर्ज निर्वाचक वहीं पात्रता रखता है जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराई जाने वाली निर्वाचक नामावली में दर्ज निर्वाचक रखता है,

अतः अव राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुंच्छेद 243 K एवं अनुच्छेद 243 ZA के साथ पठित राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 12 क के उपबंधो के अधीन प्रदत शक्तियों एवं इस निमित्त इसे सशक्त करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने पूर्व आदेश सख्या एफ7(6)(5)पंचु/ रानिआ /03/924 दिनांक 10 मई 2004 एवं आदेश संख्या एफ7(6)(5)पंचु/ रानिआ /03/4057 दिनांक 18 नवम्बर 2004 के अतिक्रमण में यह निर्देश देता है कि राज्य की किसी भी नगर पालिका अथवा पंचायती राज संस्था में चुनाव हेतु मतदान के उद्‌देश्य से मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नांकित वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजो में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :–

1. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त राशन कार्ड।
2. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी गरीबी रेखा से नीचे के फोटोयुक्त फेमिली कार्ड।
3. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी फोटो युक्त एन.आर.ई.जी.ए. (नरेगा) पारिवारिक नौकरी प्रमाणपत्र कार्ड।
4. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (श्रम योजना मंत्रालय द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।
5. स्वतंत्रता सेनानी फोटो युक्त पहचान–पत्र।

6. फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण–पत्र /वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन ओदश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।
7. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र।
8. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त मूल निवास प्रमाण पत्र।
9. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र।
10. सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी फोटो युक्त शारीरिक विक्लांगता प्रमाण–पत्र।
11. ड्राइविगं लाइसेन्स।
12. फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज जैसे पट्टे, रजिस्टर्ड डीड आदि।
13. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक और किसान पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व खोला गया खाता)
14. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान–पत्र।
15. आयकर पहचान–पत्र (पी.ए.एन.)।
16. पासपोर्ट।
17. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस।

निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि नगर पालिका के संदर्भ में वह तिथि है जिस दिन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाये और पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में वह तिथि है जिस दिन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया जाये।

परिवार के मुखिया को जारी उपर्युक्त दर्शाए गए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सहित पहचान के वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर केवल परिवार के मुखिया को अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों की पहचान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते सभी सदस्य उसके साथ आएं तथा परिवार के मुखिया द्वारा उनकी पहचान स्थापित हो सके।

आदेश से,
ह.
(आर.के.जैन)
सचिव

(87)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः प.4(2)(1)/नपा/रानिआ/03/4796 दिनांक : 9.11.09

आदेश

आयोग के आदेश सं. प.4(2)(1)/नपा/रानिआ/03/3131 दिनांक 10.09.09 के द्वारा मतदाता पहचान के संबंध में 17 दस्तावेंजों की सूची जारी की गई थी, के अनुक्रम में क्रम सं. 18 पर जैसलमेर जिले की जैसलमेर तहसील के मतदाताओं के लिए भारत सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के तहत बहुदेशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (Multipurpose National Identy Card) को भी वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

आदेश से,
(आर.के.जैन)
सचिव

(**88**)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड सचिवालय, जयपुर–302005

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 494 दिनांक :11.2.14

<u>आदेश</u>

आयोग के आदेश क्रमांक प.4(2)(1)नपा / रानिआ / 03 / 3131 दिनांक 10.09.2009 के द्वारा मतदाता पहचान के संबंध में 17 दस्तावेजों एवं आदेश क्रमांक प.4(2)(1)नपा / रानिआ / 03 / 4796 दिनांक 09.11.2009 के द्वारा 18वें दस्तावेज की सूची जारी की गई थी। इसी अनुक्रम में उक्त दस्तावेजों की सूची में क्रम संख्या 19 पर भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड (Aadhar Card) को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में सम्मिलित किया जाता हैं।

आज्ञा से,
(अशोक कुमार जैन)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राज., जयपुर

(89)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर

एफ. 7(6)(5)पंचायत निर्वाचन/सचिवालय/2003/374 दिनांक : 7 फरवरी, 2004

*आदेश

1. यतः, अन्य बातों के साथ–साथ राज्य की पंचायतों के समस्त निर्वाचनों और नगर पालिकाओं के समस्त निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट और अनुच्छेद 243 य क के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है ;
2. और यतः, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2002 की सिविल अपील सं. 7178 संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफोर्मस् और अन्य में अपने आदेश दि. 2 मई, 2002 द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को, संसद या राज्य विधानसभा का निर्वाचक लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी से उसके नामनिर्देशन पत्र के आवश्यक भाग के रूप में शपथित शपथ–पत्र के माध्यम से कतिपय सूचना मांगने के लिए निदिष्ट किया है ;
3. और यतः, भारत के निर्वाचन आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर निर्दिष्ट निर्णय/आदेश दि. 2 मई, 2002 के अनुसरण में और भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 28 जून, 2002 को आवश्यक आदेश जारी किये ;
4. और यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को और संशोधित करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (2002 का सं. 4) दिनांक 24 अगस्त 2002 को प्रख्यापित किया ;
5. और यतः, भारत सरकार ने ऊपर उल्लिखित अध्यादेश को प्रभावी करने के लिए निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 को भी संशोधित कर दिया ;
6. और यतः, अधिसूचना दि. 28 दिसम्बर, 2002 द्वारा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित किया गया जिससे उपर्युक्त अध्यादेश दि. 24 अगस्त, 2002 प्रतिस्थापित किया गया ;
7. और यतः, राष्ट्रपति के अध्यादेश दि. 24 अगस्त, 2002 की सांविधानिक विधिमान्यता को आक्षेपित करते हुए तीन पृथक–पृथक रिट याचिकाएं दाखिल की गयीं ;
8. और यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2002 की रिट याचिका सं. 490, 509 और 515 में अपना आदेश/निर्णय दिनांक 31 मार्च, 2003 को पारित किया ;
9. और यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 13 मार्च, 2003 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षित आदेश सं. 3/ईआर/2003/जेएस–II दिनांक 27 मार्च, 2003 जारी किया, जिसका सार निम्नानुसार है :–
   (i) राज्य सभा, लोक सभा या किसी राज्य की विधानसभा के किसी निर्वाचन के लिए अपना नामनिर्देशन पत्र भरते समय प्रत्येक अभ्यर्थी, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में विस्तृत और पूर्ण जानकारी शपथ–पत्र में देगा जिसका प्ररूप आदेश के साथ उपाबद्ध है।
   (ii) प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा उक्त शपथपत्र, किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या किसी नोटेरी पब्लिक या किसी शपथ आयुक्त के समक्ष सम्यक् रूप से शपथित होगा।
   (iii) किसी अभ्यर्थी द्वारा शपथ–पत्र का न दिया जाना माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अतिक्रमण समझा जायेगा और संबंधित अभ्यर्थी का नामनिर्देशन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामनिर्देशनों की संवीक्षा के समय शपथ–पत्र न दिये जाने का कारण अस्वीकार किये जाने योग्य होगा।
   (iv) प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा पूर्वोक्त शपथ–पत्र में इस प्रकार दी गयी जानकारी संबंधित रिटर्निंग आफिसर द्वारा शपथपत्र की प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करके और उसकी प्रतियां अन्य समस्त अभ्यर्थियों को तथा प्रिन्ट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को निःशुल्क और उदारता से उपलब्ध करवाकर प्रसारित की जायेगी।
   (v) यदि कोई विरोधी अभ्यर्थी सम्यक् रूप से शपथित शपथपत्र के माध्यम से प्रतिकूल जानकारी देता है तो विरोधी अभ्यर्थी का ऐसा शपथपत्र भी ऊपर निर्दिष्ट रीति से संबंधित अभ्यर्थी के शपथपत्र के साथ प्रसारित किया जायेगा।

---

*राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 6(क) दिनांक 9 फरवरी, 2004

(vi) यह भी स्पष्ट किया गया था कि इसके (भारत निर्वाचन आयोग के) पूर्वतर आदेश दिनांक 28 जून, 2002 के पैरा 14(4) में अन्तर्विष्ट पूर्वतर निदेश, जहां तक संक्षिप्त जांच के माध्यम से आस्तियों और दायित्वों के सत्यापन और गलत जानकारी देने या सारवान् जानकारी छिपाने के आधार पर नामनिर्देशन पत्र नामंजूर किये जाने की बात है,सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13 मार्च, 2003 के अनुसरण में, प्रवर्तनीय नहीं है।

10. और यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त दो निर्णय संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में मतदाताओं को सूचना का अधिकार सुनिश्चित करने के संदर्भ में दिये गये थे उनकी यह भावना ऐसे स्थानीय निकायों के निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं पर समान रूप से लागू होती है जिन्हें भी सांविधानिक प्रस्थिति प्रदत्त की गयी है। ग्राम पंचायत से लेकर लोक सभा तक के निर्वाचन पदों के समस्त स्तरों पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया समान होनी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के मध्य शक्तियों की समानता इस तथ्य से देखी जा सकी है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट और अनुच्छेद 243 य क वस्तुतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के समान हैं। इस दृष्टि से राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान ने यह विनिश्चित किया कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को स्थानीय निकायों के निर्वाचनों में भी लागू किया जाना चाहिए।

11. और यतः , इस विषय को ध्यान में रखते हुए 30 जून, 2003 को इस आयोग द्वारा राज्य सरकार को संबोधित पत्रों में यह सुझाव दिया गया था कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों/आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 को समुचित रूप से संशोधित करने के लिए विचार करे।

12. और यतः भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णयों/आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित विधियों में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है।

13. अतः अब राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य क और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 17 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 12 क के साथ पठित अनुच्छेद 243 ट के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा निम्नलिखित निदेश देता है :–

(i) किसी ग्राम पंचायत के पंच या सरपंच के पद का या, किसी नगर पालिका (नगर परिषद एवं नगर निगम को छोडकर) के सदस्य के पद का निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी इस आदेश के उपाबंध–I में स्वघोषणा प्ररूप में विनिर्दिष्ट समस्त विषयों के संबंध में, किसी भी अन्य जानकारी जिसका दिया जाना उससे पहले से अपेक्षित है, के अतिरिक्त, विस्तृत और पूर्ण जानकारी नामनिर्देशन–पत्र के साथ देगा।

(ii) किसी पंचायत समिति के सदस्य या किसी जिला परिषद् के सदस्य के पद का या किसी नगर परिषद् के सदस्य या किसी नगर निगम के सदस्य के पद का निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी इस आदेश के उपाबंध–II में दिये गये प्ररूप में किसी नोटरी पब्लिक या किसी शपथ आयुक्त या किसी प्रथम श्रेणी वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष सम्यक् रूप से शपथित शपथपत्र में विनिर्दिष्ट समस्त विषयों के संबंध में किसी भी अन्य जानकारी, जिसका दिया जाना उससे पहले से अपेक्षित है, के अतिरिक्त, विस्तृत और पूर्ण जानकारी अपने नामनिर्देशन–पत्रों के साथ देगा।

(iii) किसी भी अभ्यर्थी द्वारा स्वघोषणा या, यथास्थिति, शपथपत्र का न दिया जाना इस आदेश का अतिक्रमण माना जायेगा और संबंधित अभ्यर्थी का नामनिर्देशन रिटर्निंग आफिसर द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के नामनिर्देशन की संवीक्षा करते समय नामंजूर करने योग्य होगा।

(iv) प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा पूर्वोक्त स्वघोषणा या, यथास्थिति, शपथपत्र में इस प्रकार दी गयी जानकारी संबंधित रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्वघोषणा/शपथपत्र की प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करके और उसकी प्रतियां अन्य समस्त अभ्यर्थियों के मांग किये जाने पर और प्रिण्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाकर भी प्रसारित की जायेगी।

(v) यदि कोई विरोधी अभ्यर्थी ऊपर पैरा (i) में उल्लिखित पदों के निर्वाचनों के मामले में स्वघोषणा के माध्यम से और ऊपर पैरा (ii) में उल्लिखित सदस्यों के निर्वाचनों के मामले में शपथपत्र के माध्यम से, प्रतिकूल सूचना देता है तो संबंधित अभ्यर्थी के स्वघोषणा/शपथपत्र

के साथ विरोधी अभ्यर्थी के ऐसे स्वघोषणा/शपथपत्र का भी ऊपर निर्दिष्ट रीति से प्रसार किया जायेगा ; और

(vi) रिटर्निंग आफिसर संक्षिप्त जाँच के माध्यम से या अन्यथा स्वघोषणा/शपथपत्र में दी गयी जानकारी की शुद्धता का या अन्यथा सत्यापन नहीं करेगा और नामनिर्देशन पत्र को इस आधार पर अस्वीकार नहीं करेगा कि उसकी राय में दी गयी सूचना गलत है।

14. समस्त रिटर्निंग आफिसर यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोग द्वारा इसमें विहित किये गये स्वघोषणा/शपथपत्र की प्रतियां अभ्यर्थियों को नामनिर्देशन पत्र के भाग के रूप में नामनिर्देशन पत्रों के प्ररूपों के साथ प्रदत्त की जायेंगी।

15. यह आदेश समस्त नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं तथा समस्त पंचायती राज संस्थाओं के समस्त निर्वाचनों पर लागू होता है जिनके लिए अधिसूचना 20 फरवरी, 2004 को या उसके पश्चात् जारी की जाती है

आज्ञा से,

(विपिन चन्द्र शर्मा)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग

जयपुर

दिनांक : 7.2.2004

उपाबन्ध – I

स्वघोषणा

नगर पालिका .... के (वार्ड सं. ....) के सदस्य/ग्राम पंचायत .... के सरपंच या (वार्ड सं. ....) के पंच के पद के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन पत्र के साथ की जाने वाली स्वघोषणा।

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....आयु .... वर्ष, निवासी ....उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी, इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित कथन करता हूँ :–

1. मेरे विरूद्ध निम्नलिखित मामला (मामले) लम्बित है/हैं जिसमें/जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है:–
   (i) अधिनियम की धारा और अपराध का विवरण जिसके लिए संज्ञान लिया गया :
   (ii) वह न्यायालय जिसने संज्ञान लिया :
   (iii) वाद सं. :
   (iv) संज्ञान लेने वाले न्यायालय के आदेश की तारीख :
   (v) संज्ञान लेने के उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध फाइल की गयी अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण इत्यादि, यदि कोई हो, के आवेदन (आवेदनों) के ब्यौरे :
2. कि मेरे/मेरे पति या पत्नी/मेरे 'आश्रितों के स्वामित्व में निम्नलिखित स्थावर संपत्तियां हैं, अर्थात्:–

क. भूमियां :

(i) कृषि भूमियों के, उसके स्वामी के नाम, उसकी अवस्थिति, विस्तार, मूल्य और अभ्यर्थी से संबंध सहित, ब्यौरे दें।

**

(ii) नगरीय भूमियों के, उसके स्वामी के नाम, उसकी अवस्थिति, विस्तार, मूल्य और अभ्यर्थी का स्वामी से संबंध सहित, ब्यौरे दें।

**

ख. <u>भवन</u> :

(i) भवनों के, उनकी अवस्थिति, प्लिन्थ क्षेत्र, मूल्य, स्वामी के नाम और अभ्यर्थी से संबंध सहित, ब्यौरे दें।

**

3. मेरे/मेरे पति या पत्नी/'आश्रितों के स्वामित्व में निम्नलिखित जंगम संपत्तियां हैं, अर्थात्:–

(i) स्वर्ण, आभूषण और बहुमूल्य रत्नों के, उनके स्वामी के नाम, उनके मूल्य और अभ्यर्थी से संबंध सहित, ब्यौरे दें।

**

(ii) बैंक में अतिशेष/सावधि जमा और शेयरों के, जमाकर्ता या क्रेता के ब्यौरों सहित, उनके मूल्य, अभ्यर्थी से संबंध सहित, ब्यौरे दें।

**

4. मैं/मेरे पति या पत्नी/मेरे 'आश्रित लोक, वित्तीय संस्थाओं के निम्नलिखित शोध्यों और सरकारी शोध्यों का संदाय करने का/के दायी हूँ/हैं, ब्यौरे दें।

**

5. मेरी शैक्षणिक योग्यताएं निम्नलिखित हैं :–
(विद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा का ब्यौरा दें)

**

मै .... इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस स्वघोषणा की अन्र्तवस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है और कोई भी बात छुपायी नहीं गई है और इस घोषणा का कोई भी भाग मिथ्या नहीं है।

घोषणाकर्ता

* 'आश्रित' से अभ्यर्थी की आय पर पूर्णतया आश्रित व्यक्ति अभिप्रेत है।

** जहां कहीं भी दिया गया स्थान पर्याप्त नहीं हो, अतिरिक्त कागजों का प्रयोग किया जा सकेगा।

<u>उपाबन्ध – II</u>

<u>शपथपत्र</u>

पंचायत समिति/जिला परिषद .... के सदस्य या नगर परिषद/ नगर निगम .... के (वार्ड सं. ....) के सदस्य के पद के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन पत्र के साथ दिया जाने वाला शपथ–पत्र।

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....आयु ...... वर्ष,, निवासी .... उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी, इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और शपथ पूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ :–

1. मेरे विरूद्ध निम्नलिखित मामला (मामले) लम्बित है/हैं जिसमें/जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है :–
   (i) अधिनियम की धारा और अपराध का विवरण जिसके लिए संज्ञान लिया गया :
   (ii) वह न्यायालय जिसने संज्ञान लिया :
   (iii) वाद सं. :
   (iv) संज्ञान लेने वाले न्यायालय के आदेश की तारीख :
   (v) संज्ञान लेने के उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध फाइल की गयी अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण इत्यादि, यदि कोई हों, के आवेदन (आवेदनों) के ब्यौरे :
2. कि मेरे/मेरे पति या पत्नी/मेरे ' आश्रितों के स्वामित्व में निम्नलिखित स्थावर संपत्तियां हैं, अर्थात्:–

क. <u>भूमियां</u> :

(i) कृषि भूमियों के, उसके स्वामी के नाम, उसकी अवस्थिति, विस्तार, मूल्य और अभ्यर्थी से संबंध सहित, ब्यौरे दें।

(ii) नगरीय भूमियों के, उसके स्वामी के नाम, उसकी अवस्थिति, विस्तार, मूल्य और अभ्यर्थी का स्वामी से संबंध सहित, ब्यौरे दें।

ख. <u>भवन</u> :

(i) भवनों के, उनकी अवस्थिति, प्लिन्थ क्षेत्र, मूल्य, स्वामी के नाम और अभ्यर्थी से संबंध सहित, ब्यौरे दें।

3. मेरे/मेरे पति या पत्नी/'आश्रितों के स्वामित्व में निम्नलिखित जंगम संपत्तियां हैं, अर्थात्:–

(i) स्वर्ण, आभूषण और बहुमूल्य रत्नों के, उनके स्वामी के नाम, उनके मूल्य और अभ्यर्थी से संबंध सहित, ब्यौरे दें।

(ii) बैंक में अतिशेष/सावधि जमा और शेयरों के, जमाकर्ता या क्रेता के ब्यौरों सहित, उनके मूल्य, अभ्यर्थी से संबंध सहित, ब्यौरे दें।

4. मैं/मेरे पति या पत्नी/मेरे 'आश्रित लोक, वित्तीय संस्थाओं के निम्नलिखित शोध्यों और सरकारी शोध्यों का संदाय करने का/के दायी हूँ/हैं, ब्यौरे दें।

5. मेरी शैक्षणिक योग्यताएं निम्नलिखित हैं :–

(विद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा का ब्यौरा दें)

मै .... इसके द्वारा घोषित और सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ–पत्र की अन्तर्वस्तु मेरी वैयक्तिक जानकारी के अनुसार सत्य है और कोई बात छुपायी नहीं गई है और इस शपथ–पत्र का कोई भी भाग मिथ्या नहीं है।

अभिसाक्षी

आज तारीख .... माह .... वर्ष .... को .... में मेरे समक्ष शपथ ली और हस्ताक्षर किये।

* 'आश्रित' से अभ्यर्थी की आय पर पूर्णतया आश्रित व्यक्ति अभिप्रेत है।

....

***राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी**
आदेश क्रमांक एफ.7(6)(5)पंचायत निर्वाचन/रानिआ/2003/374
दिनांक 7.2.2004 के उपाबन्ध – I व II के पैरा 4 में संशोधन

4. मैं/मेरे पति या पत्नी/मेरे *आश्रित लोक, वित्तीय संस्थाओं के निम्नलिखित शोध्यों और सरकारी शोध्यों का संदाय करने का/के दायी हूँ/है, ब्यौरे दें।

**

नोट :– सरकारी शोध्यों/देयताओं से तात्पर्य सरकार के वे विभाग जो सार्वजनिक पदों पर कार्य करने वालों को आवास की सुविधा, पेयजल की सुविधा, बिजली की सुविधा, दूरसंचार की सुविधा, परिवहन की सुविधा (जिसमें हवाई जहाज एवं हैलीकोप्टर सम्मिलित है) तथा अन्य ऐसी सुविधायें जो उस पद के साथ जुडी हुई हों, का यदि कोई बकाया चल रहा हो तो उसका पूर्ण विवरण सहित सूचना संलग्न करें।

आदेश से,

(जयन्तीलाल मोदी)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

(90)

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर

जयपुर, अप्रैल 26, 2004

संख्या एफ. 7 (6) (5) पंचु/रानिआ/03:843:-राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 7 (6) (5) पंचायत निर्वाचन/रानिआ/2003/374 दिनांक 7-2-2004 के उपाबन्ध-I व II के पैरा 4 में संशोधन

4. मैं/मेरे पति या पत्नी/मेरे आश्रित लोक, वित्तीय संस्थाों के निम्नलिखित शोध्यों और सरकारी शोध्यों का संदाय करने का/के दायी हूं/हैं, ब्योरे दें।

**

नोट :- सरकारी शोध्यों/देयताओं से तात्पर्य सरकार के वे विभाग जो सार्वजनिक पदों पर कार्य करने वालों को आवास की सुविधा, पेयजल की सुविधा, बिजली की सुविधा, दूरसंचार की सुविधा, परिवहन की सुविधा (जिसमें हवाई जहाज एवं हैलीकाप्टर सम्मिलित है) तथा अन्य ऐसी सुविधाएं जो उस पद के साथ जुड़ी हुई हों, का यदि कोई बकाया चल रहा हो तो उसका पूर्ण विवरण सहित सूचना संलग्न करें।

आदेश से,
जयन्तीलाल मोदी,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

(91)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : प.4(1)(7)नपा / रानिआ / 09 / 975 दिनांकः **20.03.2014**

<u>आदेश</u>

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटिशन संख्या 121 / 2008 (Resurgence India Vs Election Commission of India and other) में निर्णय दिनांक 13.09.2013 में विधान सभा / लोक सभा चुनाव के संदर्भ में यह निर्देश प्रदान किए गए हैं कि ''चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शपथ पत्र में कोई भी कॉलम रिक्त (Blank) नहीं छोडा जाए। यदि किसी विषय पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं हैं तो कॉलम में 'NIL', 'Not Applicable', 'Not Known' जैसा भी आवश्यक हो, लिखा जाए। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र में कोई भी कॉलम रिक्त (Blank) छोड दिया जाता हैं एवं रिटर्निंग अधिकारी के स्मरण कराने के पश्चात् भी अभ्यर्थी द्वारा कमी की पूर्ति नहीं की जाती हैं तो रिटर्निंग अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के समय ऐसे नाम निर्देशन पत्रों को अस्वीकार कर दें।''

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय की भावना स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों पर भी लागू होती हैं। अतः राज्य निर्वाचन आयोग अपने आदेश कमांक प.7(6)(5)पंचायत निर्वाचन / सचिवालय / 2003 / 374 दिनांक 07.02.2004 के बिन्दु संख्या 13 में उप बिन्दु संख्या (iii-A) पर यह अन्तःस्थापित करता हैं कि ''**किसी भी अभ्यर्थी द्वारा स्वघोषणा या, यथास्थिति, शपथ पत्र में किसी कॉलम को रिक्त छोडने पर रिटर्निंग अधिकारी के स्मरण के पश्चात् भी कमी की पूर्ति नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के समय संबंधित अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकार करने योग्य होगा।**''

आज्ञा से,
—ह0—
(अशोक कुमार जैन)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

(92)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांक–एफ4(2)(1)/नपा/रानिआ/03/7127 दिनांकः–04.01.2010

आदेश

विषयः– मुद्रित फार्मों के विक्रय की दरों के संबंध में।
सन्दर्भः–आयोग का आदेश क्रमांक एफ 4(1)(1)नपा/रानिआ/94/513 दिनांक 7.11.94

आयोग के सन्दर्भित आदेश के द्वारा राजस्थान नगर पालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के संलग्न प्ररूपों के मुद्रित प्रपत्रों की विक्रय **दरें एक रूपया प्रति प्रपत्र वसूल करने के आदेश जारी किये गये थे।**

निर्वाचनों के सुचारू संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उचित मानता है कि चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रपत्र निःशुल्क उपलब्ध होने चाहिये।

अतः राजस्थान नगर पालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में विहीत किये गये ऐसे सभी प्रपत्र जो कि अभ्यर्थियों के उपयोग के है, उन्हे इच्छुक व्यक्तियों कों निःशुल्क वितरित किये जाने के आदेश जारी किये जाते है और इस स्थिति में संदर्भित आदेश एफ 4(1)(1)नपा/रानिआ/94/513 दिनांक 7.11.94 के खण्ड (iii) व (iv) को तत्काल प्रभाव से विलोपित समझा जावे। इन प्रपत्रों की छायाप्रति भी स्वीकार्य होंगी।

कृपया मतदान दलों को प्रशिक्षण के दौरान यह जानकारी अवश्य दी जाये। साथ ही मार्गदर्शिका, अन्य निर्देशों, पुस्तकों तथा लिफाफों/प्रपत्रों में इस आशय का संशोधन माना जाये जिसके लिए भी रिटर्निंग अधिकारियों सहित सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करावे।

(आर.के. जैन)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/ईवीएम/09/6318 जयपुर, दिनांक :18दिसम्बर 09

आदेश

सां.आ. संख्या–58/09 जिन निर्वाचनों में मत इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों से डाले और रिकार्ड किये जायेंगे उनके संबंध में राजस्थान पंचायती राज. (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 44–क के उपनियम (1) के उपबन्धों के अनुसार निविदत्त मतपत्र ऐसी डिजाईन का होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे। अतः राज्य निर्वाचन आयोग उक्त नियम 44–क के उपबन्धों के अनुसरण में एतत्द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि निविदत्त मतपत्र उसी मतपत्र की डिजाईन में होगा जो इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन के मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने के लिए विहित किया हुआ है तथा उसकी पीठ पर ''निविदत्त मतपत्र'' स्टाम्पित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(आर. के. जैन)
सचिव

क्रमांकः एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/ईवीएम/09/6319-21 जयपुर, दिनांक : 18-12-09

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज. विभाग, राज., जयपुर।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत (कलेक्टर) राजस्थान को भेजकर निवेदन है कि उक्त ओदश की प्रति समस्त रिटर्निंग अधिकारी को भी कृपया उपलब्ध कारावें।
3. समस्त शाखायें, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

(आर. के. पारीक)
उप सचिव

D:\SEC on hire (NP)\Panchayat\F7(1)(1)panch EVM 09.doc
Created on 16/12/2009 13:23:00
5

(94)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा/सां.आ./रानिआ/14/**9508** दिनांक : **17.12.2014**

आदेश

सांविधिक आदेश 103/2014 – राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 अध्याय–4क के उपबन्धों के अनुसार मतों को इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों द्वारा निर्धारित रीति से डाले और रिकार्ड किये जाने के प्रावधान विहित किए हुए हैं। उक्त नियमों के नियम 33–ख के खण्ड (क) के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों और उनके चिन्हों को अन्तर्विष्ट करने वाला मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान यूनिट में लगाया जायेगा। चूंकि उक्त नियमों के नियम 39–क के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक मतपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जावे। उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 6314 दिनांक 18.12.2009 (सांविधिक आदेश संख्या 57/2009) एवं आदेश क्रमांक 9943 दिनांक 15.02.2010 (सांविधिक आदेश संख्या 65/2010) द्वारा ऐसे मतपत्र हेतु प्ररूप विहित किया हुआ है।

राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 4(25)एमे/रूल/इले/लीगल/पी आर/2014/1531 दिनांक 12 नवम्बर, 2014 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 39–क के उपनियम (2), (4) एवं (5) में ''नोटा'' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) का विकल्प जोड़ने के लिए संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के प्रभाव में आने से पूर्व विहित प्ररूप में संशोधन किया जाना आवश्यक हैं। अतः राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 39–क (1) के उपबन्धों के अनुसरण में आयोग द्वारा अपने आदेश क्रमांक 6314 दिनांक 18.12.2009 (सांविधिक आदेश संख्या 57/2009) एवं आदेश क्रमांक 9943 दिनांक 15.02.2010 (सांविधिक आदेश संख्या 65/2010) को अधिक्रमित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन एवं पंच, सरपंच के निर्वाचन हेतु मतदान यूनिट मे प्रदर्शित किये जाने वाले मतपत्र का प्ररूप निम्न प्रकार विहित करता है :––

1. मतपत्र की कुल लम्बाई 460 मिलीमीटर होगी और उसकी चौड़ाई 138 मिलीमीटर होगी।
2. मतपत्र के ऊपर 7.50 मिलीमीटर ऊंचाई में और 138 मिलीमीटर चौड़ाई में खाली जगह होगी।
3. मद संख्या–2 में वर्णित मतपत्र के ऊपर खाली जगह के ठीक नीचे एक मिलीमीटर की आर–पार मोटी लाईन होगी।
4. मद संख्या–3 में वर्णित लाईन के नीचे प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा उसे आवंटित प्रतीक प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए पृथक् पैनल में मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नाम के बाद ''नोटा'' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक भी पृथक् पैनल में मुद्रित होगा।
5. प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी एवं ''नोटा'' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प का पैनल 27.5 एम.एम. ऊंचाई में और 138 एम.एम. चौड़ाई के आकार में होगा।
6. अभ्यर्थियों के पैनल एक दूसरे से एक एम.एम. मोटी लाईन से पृथक किये जायेंगे तथा अंतिम अभ्यर्थी एवं ''नोटा'' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प का पैनल भी एक दूसरे से 1 एमएम मोटी लाईन से पृथक् किया जाएगा।
7. मतपत्र का क्रम संख्यांक, निर्वाचन की विशिष्टयॉ तथा शीट नम्बर मतपत्र के बांयीं और एक आड़े कॉलम (Vertical Coulmn) में मुद्रित किये जायेंगे और ऐसे आडे कॉलम को क्रम संख्यांक के साथ अभ्यर्थियों के नाम व ''नोटा'' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प तथा चिन्हों वाले पैनल से एक मोटी लाईन से पृथक् किया जायेगा।
8. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र में उसी क्रम में आवेंगे जिस क्रम में वे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में वर्णित हैं। चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों के अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् ''नोटा'' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प उपलब्ध होगा। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के नाम समान हैं तो अभ्यर्थियों को उनकी अलग–अलग पहचान के लिए उनके नाम के साथ व्यवसाय/निवास अथवा अन्य विशिष्टियां जोड़ी जावें।
9. जहां चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ''नोटा'' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प सहित 16 या इससे कम हैं वहां अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र की एक शीट पर व्यवस्थित किये जावेंगे। यदि

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ''नोटा'' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प सहित 16 से कम है तो ''नोटा'' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प के पैनल से नीचे का स्थान खाली रखा जावेगा। यदि अभ्यर्थियों की संख्या ''नोटा'' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प सहित 32 से कम हैं तो द्वितीय शीट में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित ''नोटा'' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जावेगा। इसी प्रकार मतपत्र की तृतीय व चतुर्थ शीटों में भी ऐसे मामलों में किया जावेगा।

10. यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ''नोटा'' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प सहित 16 से अधिक हैं और 32 या इससे कम हैं तो मतपत्र दो शीटों में मुद्रित होगा। यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ''नोटा'' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प सहित 32 से अधिक और 48 या इससे कम हैं तो मतपत्र तीन शीटों में मुद्रित होगा और जहाँ निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ''नोटा'' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प सहित 48 से अधिक और 64 या इससे कम हैं तो मतपत्र चार शीटों में मुद्रित होगा। ऐसे प्रकरण में जहां मतपत्र एक से अधिक शीटों में मुद्रित होता है वहां क्रम संख्या 1 से 16 तक के अभ्यर्थियों के नाम प्रथम शीट में मुद्रित होंगे। क्रम संख्या 17 से 32 तक के अभ्यर्थियों के नाम द्वितीय शीट में मुद्रित होंगे, क्रम संख्या 33 से 48 तक के अभ्यर्थियों के नाम तृतीय शीट में मुद्रित होंगे और 49 से 64 तक के नाम चतुर्थ शीट में मुद्रित होंगे। अभ्यर्थियों की उक्त गणना में ''नोटा'' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) के विकल्प को भी सम्मिलित किया जाएगा।
11. यदि मतपत्र की एक से अधिक शीट होती हैं वहां मद संख्या 7 में वर्णित आड़े कॉलम, जिसमें कि, मतपत्र का क्रम संख्यांक और निर्वाचन की विशिष्टयॉ अंकित करने के लिये स्थान छोड़ा गया है, में ही शीट की क्रम संख्यांक दर्शित करते हुए शब्द व अंक मोटे अक्षरों में यथा शीट नम्बर–1, शीट नम्बर–2 आदि मुद्रित किया जावेगा।
12. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम एवं ''नोटा'' के विकल्प के लिए वाक्यांश ''उपर्युक्त में से कोई नहीं'' हिन्दी में देवनागरी लिपि में लिखे जावेंगे। निर्वाचन की विशिष्टयॉ हिन्दी में देवनागिरी लिपि में लिखी जावेंगी।
13. अभ्यर्थियों के लिये निर्दिष्ट पैनल में बांई ओर क्रम संख्या के साथ अभ्यर्थियों का नाम मुद्रित होगा तथा पैनल में दांई ओर उसे आवंटित निर्वाचन प्रतीक मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नीचे ''नोटा'' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) का विकल्प बांई ओर तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक **NOTA** दांई ओर मुद्रित होगा।
14. **मतपत्र पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन हेतु नीले, जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन हेतु पीले, पंच के निर्वाचन हेतु गुलाबी तथा सरपंच के निर्वाचन के लिए सफेद कागज पर मुद्रित होंगे।**

आज्ञा से,
ह0 / –
(सत्यप्रकाश बसवाला)
सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/ईवीएम/2014/9577–78 दिनांकः 18.12.14

1. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)
2. रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी
   बारां, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाई माधोपुर, सिरोही एवं टोंक।

विषयः– पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 – जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन – निर्वाचनों में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन प्रयुक्त होने पर मतगणना के संबंध में निर्देश।

महोदय,

माह जनवरी–फरवरी, 2010 में संपन्न हुए जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचनों में जहां मतदान इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से कराया गया था, मतों की गणना हेतु आयोग द्वारा पत्रांक प. 7(1)(17)पंचा/रानिआ/09/7810/14.01.2010 के द्वारा मतगणना हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गए थे। पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव में आपके जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचनों में जहां मतदान इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से कराया जा रहा है, की मतगणना हेतु उक्त पत्रांक 7810/14.01.10 में अंकित दिशा–निर्देश यथाशक्व परिवर्तनों के साथ लागू रहेगें। प्रश्नगत आदेश में विभिन्न कार्यो के लिए जहां तिथियों अंकित की गई है, वहां आगामी आम चुनाव के लिए जारी चुनाव कार्यक्रम एवं संबंधित विषय हेतु जारी आदेश के अनुसार कार्यवाही संपन्न की जावें।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों में मतदाताओं को नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) का विकल्प भी उपलब्ध कराया जा रहा है। नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) को मिले मतों की गणना भी अन्य अभ्यर्थियों की भांति की जाकर परिणाम पत्रकों में नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) के लिए निर्धारित स्थानों पर वांछित प्रविष्टिया अंकित की जाएंगी। यहां यह ध्यान रखने योग्य हैं कि गणना का परिणाम नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) को मिले मतों से प्रभावित नहीं होगा अर्थात चुनाव लडने वाले उम्मीवारों में से सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार ही निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

भवदीय,

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन निर्वार्चचन आयोग, राजस्थान

द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुरः 302005

क्रमांकः– प 7(1)(17) पंचु/रानिआ/09/7810 दिनांकः– 14.1.2010

1. जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलेक्टर)
सीकर, भरतपुर एवं कोटा ।

2. समस्त रिटर्निग अधिकारी,
जिला परिषद् सदस्य चुनाव/पंचायत समिति सदस्य चुनाव,
मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी
सीकर, भरतपुर एवं कोटा।

विषयः–जिला परिषद् सदस्य चुनाव/पंचायत समिति सदस्य निर्वाचनों जहॉ वोटिंग मशीनें प्रयुक्त की जाती है, में मतो की गणना की प्रक्रिया हेतु रिटर्निग अधिकारियों के लिये दिशा–निर्देश।

महोदय,

माह जनवरी–फरवरी, 2010 में सम्पन्न होने जा रहे जिला परिषद् सदस्यों चुनाव/पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना प्रक्रिया से संबंधित दिशा–निर्देश संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है, जिसके अनुसार कार्यवाही की जावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
ह0
(आर.के. जैन)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य निर्वाचनों, जहॉ वोटिंग मशीनें प्रयुक्त की जाती है, में मतो की गणना की प्रक्रिया – रिटर्निंग अधिकारियों के लिये दिशा–निर्देश

1. सामान्यः–

1. पंचायती राज संस्थाओं में प्रथम बार पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्यों के निर्वाचन के लिये जिला कोटा, भरतपुर व सीकर में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, अतः यहां मतों की गणना वोटिंग मशीनों से होगी।

2. मतगणना निर्वाचन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है, इसलिए आपको मतगणना का कार्य अत्यधिक सर्तकता से करना है।

3. वोटिग मशीन से मतदान होने पर मतदान केन्द्र वार (बूथवार) ही मतगणना होती है। मतगणना दोष–रहित हो और निर्वाचन के परिणाम के बारे में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता के मन में कोई भ्रम नहीं रहे। इसके लिये प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी हो और व्यवस्था सही रखी जाये।

4. जिला परिषद् सदस्य चुनाव एवं पंचायती समिति सदस्य चुनाव के लिये पृथक–पृथक कन्ट्रोल यूनिटे व बैलेट यूनिटें होगीं। इनकी मतगणना भी **पृथक–पृथक कक्षों** में की जायेगी। जिला परिषद् सदस्य के लिये प्रयोग की गई कन्ट्रोल यूनिट एवं उसके कैरिंग बक्से पर **पीला** स्टिकर लगा होगा व पंचायत समिति सदस्य चुनाव वाली यूनिट पर **नीले** रंग का स्टीकर लगा होगा।

2. कानूनी प्रावधानः–

1. ऐसे निर्वाचनों, जहॉ मतदान मशीने प्रयुक्त की जाती है, में मशीनों के परिवहन व सुरक्षित अभिरक्षा तथा मतगणना सम्बन्धी कानूनी प्रावधान राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 49–क, 51, 54, 55–क, 47–घ, 49–ग, 49–घ, 50–क, 52–क एवं 53–क में बताये गये है। नियम 58 के अनुसार पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य के चुनाव में उक्त नियम यथाशक्य परिवर्तनों के साथ लागू माने गये है। निर्वाचन अभिकर्ता तथा गणन अभिकर्ता की नियुक्ति संबधी प्रावधान अध्याय–10 में बताये गये है। निर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाने संबंधी प्रावधान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 24 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 75 एवं 76 में बताये गये है।

   इसके अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्रों की गणना के लिये आदेश क्रमांक 6165 दिनांक 11.12.2009 के अनुसार रीति विहीत की है।

2. उक्त कानूनी प्रावधानों में मतगणना के समय और स्थान, गणना के लिये नियत स्थान में प्रवेश, डाक मतपत्रो की गणना के पूर्व मतदान मशीनों की संवीक्षा और निरीक्षण, मतदान की गोपनीयता को बनाये रखने, लगातार गणना, नये मतदान के पश्चात गणना के पुनरारम्भ, मतों की पुनर्गणना, निर्वाचन के परिणाम की घोषणा और निर्वाचित अभ्यर्थी को शपथ दिलाने, मतदान मशीनों में रिकार्ड किये गये मतों की वास्तविक गणना करने और गणना के पश्चात् मशीनों एवं निर्वाचन कागजात को सील करने के लिए भी प्रक्रिया बताई गई है।

3. मतगणना की तारीख, स्थान और समयः–

1. आयोग के द्वारा घोषित मतगणना कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, मतगणना की तारीख और समय रिटर्निंग अधिकारी को नियम 49–घ के अन्तर्गत नियत करनी है।

2. मतों की गणना जिला मुख्यालय पर ही की जायेगी, जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के दिशा निर्देश पर रिटर्निंग अधिकारी को स्थान निर्धारित करना है।

3. मतों की गणना, यथासंभव एक ही भवन में की जाये। जिन जिलों में पंचायत समितियॉ/मतदान केन्द्र अधिक है, वहां जिला निर्वाचन अधिकारी दो भवनों का भी चयन कर सकते है लेकिन प्रयास यह रहे कि भवन पास–पास हो। जिला परिषद् सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना पृथक–पृथक हॉल/कक्ष में की जाये। यदि हॉल बडा है तो उसे एक से अधिक कक्षों में अस्थाई पार्टीसन से विभाजित कर एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना भी की जा सकती है लेकिन प्रत्येक कक्ष का प्रभारी पृथक सहायक रिटर्निंग अधिकारी हो। निर्वाचन क्षेत्रों को क्रमानुसार भी एक के बाद एक मतगणना हेतु लिया जा सकता है।

4. गणना की तारीख, समय और स्थान के संबंध में आपको प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में सूचना देनी होगी। यह सूचना प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को मतदान की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व दी जानी चाहिये। यदि किसी अपरिहार्य कारण से इस प्रकार नियत तथा अभ्यर्थियों को सूचित की गयी तारीख या समय या स्थान में परिवर्तन होता है तो आपको ऐसे परिवर्तन की सूचना पुनः प्रत्येक अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में देनी चाहिए।

5. यह आवश्यक है कि मतगणना हॉल पर्याप्त बडे हो जिसमें आपके लिए कार्मिको, अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए पर्याप्त स्थान हो। वहां पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। मतों की गणना अस्थायी ढाचें में नहीं की जानी चाहिए। मतगणना भवन के परिसर में सुरक्षा की दोहरी व पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। परिसर में भीड–भाड भी न हो।

4. इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का मतदान पश्चात परिवहन व स्ट्रॅांग रूम में रख रखाव–

1. जिला परिषद् सदस्य चुनाव एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव की वोटिंग मशीनें मतदान पश्चात पृथक–पृथक कक्षों में रखी जाये और यदि स्ट्रॅांग रूम के लिए अधिक कक्ष नहीं है तो एक कक्ष में स्पष्ट अलग–अलग भाग करके भी इन्हे रखा जा सकता है लेकिन यह सावधानी रखी जानी चाहिए कि मशीनें आपस में मिक्स नहीं हो।

2. स्ट्रॅांग रूम में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्थान निश्चित कर अलग–अलग मतदान बूथ से प्राप्त वोटिंग मशीनों को रखने के लिए पहले से ही फर्श पर बूथवार चोकोर विनिर्दिष्ट भाग निर्धारित कर देने चाहिए। यह व्यवस्था मतदान बूथ की क्रम संख्या के अनुसार होनी चाहिए। एक मतदान बूथ से प्राप्त सभी कंट्रोल यूनिटें एवं बैलेट यूनिटें अनिवार्य रूप से उसी चौकोर स्थान में एक ही स्थान पर रखी जानी चाहिए।

3. उस मतदान बूथ से आयी बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट पर अभिलिखित मतों एवं पिंक पेपर सील के लेखों (प्ररूप–14) के लिफाफे (PE-53 अथवा PE-54) तथा पीठासीन अधिकारी की घोषणा का लिफाफा (PE-55 अथवा PE-56) उनके ऊपर रख दिया जाना चाहिए।

4. मशीनों को रखते समय उनकी पंक्तियों के बीच आने जाने के लिए पर्याप्त स्थान भी छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि बाद में आने वाली मशीनों को रखने के लिए पहले से रखी मशीनों को खिसकाने की आवश्यकता न पडे।

5. वोटिंग मशीनों को परिवहन करने वाले दलों के कार्यक्रम व मार्ग विवरण के बारे में अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को यथासमय सूचित कर दिया जाना चाहिए ताकि अभ्यर्थी यदि चाहे तो वोटिंग मशीनों के परिवहन करने वाले दलों के साथ अपने प्रतिनिधियों को भेजने की व्यवस्था कर सके किन्तु अभ्यर्थियों के अभिकर्ता/प्रतिनिधियों को अपने परिवहन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी इन्हे किसी भी दशा में उन वाहनों में यात्रा की अनुमति नहीं होगी जिनमें वोटिंग मशीने व अन्य निर्वाचन सामग्री तथा इन्हे परिवहन करने वाले दल के व्यक्ति ले जाये जाते है।

6. यदि कोई अभ्यर्थी चाहे तो उस स्थान पर जहां वोटिंग मशीने सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई हो, निगरानी रखने के लिए उसे कोई अभिकर्ता तैनात करने की अनुज्ञा दी जानी चाहिये और उसे उस भवन के दरवाजे व खिडकियों पर जिसमें वोटिंग मशीनें रखी गई हो, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लगाई गई मुहर के अतिरिक्त अपनी निजी मुहर लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

7. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी वोटिंग मशीनें प्राप्त हो जाने और उन्हे यथा स्थान पर रख दिये जाने तथा स्ट्रॉग रूम का ताला बन्द कर दिये जाने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति को गणना के लिए नियत दिन के नियत समय तक उस कमरे में जाने की अनुमति नहीं दी जावे। यदि इस अन्तराल में किसी कारणवश कमरा खोलना आवश्यक हो तो रिटर्निंग अधिकारी को समस्त अभ्यर्थियों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को बुला लेने के लिए नोटिस देना चाहिये और यदि कोई उनमें से उपस्थित होता है तो उसकी उपस्थिति में कमरा खोलना चाहिए और जिस प्रयोजन के लिए कमरा खोला जावे उसके पूरा हो जाने के पश्चात तत्काल अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दरवाजों व खिडकियों को पुनः मुहरबंद कर देना चाहिए व अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को भी उनकी मुहर लगाने की अनुमति देनी चाहिए। इस प्रकार कमरा खोलने से संबंधित विवरण के लिए कार्यवाही विवरण तैयार करना चाहिए जिस पर अभ्यर्थियों अथवा उनसे अधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर कराये जाने चाहिए। साथ ही इस कमरे के लिए जिसमें वोटिंग मशीने रखी गई है एक लॉग बुक (परिशिष्ट–1) में संधारित की जानी चाहिए, जिसमें समुचित प्रविष्टियां की जानी चाहिए, जिनमें कमरें में प्रवेश करने वाले व्यक्ति, प्रवेश का प्रयोजन, प्रवेश का समय, बाहर निकलने का समय, रक्षकों के हस्ताक्षर, आदि का पूर्ण विवरण अंकित होगा। ये कक्ष रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी के सीधे नियंत्रण में होंगे।

8. मतगणना के दिन मुहरबंद वोटिंग मशीनों वाला कक्ष अभ्यर्थियों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाना चाहिए। कक्ष खोलने बाबत कार्यवाही विवरण तैयार कर उस पर उपस्थित अभ्यर्थियों अथवा निर्वाचन अभिकर्ताओं/अधिकृत व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराये जाने चाहिए। इस कक्ष से मतगणना हाल पर गणन–मेजों तक मुहर बंद वोटिंग मशीनों का परिवहन किसी जिम्मेदार अधिकारी के नियंत्रण में कराया जाना चाहिए। इस वितरण अधिकारी का यह दायित्व होगा, कि वह अपने सहयोगी कार्मिकों को निर्देशित करेगा कि एक गणन मेज पर एक समय में एक मतदान बूथ पर प्रयोग में लाई गई वोटिंग मशीनों को पहुंचाये और ध्यान रखे कि मशीनों पर लगी मुहरें और ऐड्रेस टैग सुरक्षित रहें।

5. गणना करने हेतु टेबिलों की संख्या और उनकी व्यवस्थाः–

1. जिला परिषद् सदस्य व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना पृथक–पृथक कक्ष/हॉल में होगी, यह दृष्टिगत रखते हुये पहले से ही यह निश्चय कर लें कि आप प्रत्येक गणना स्थान पर कितनी गणना मेजें रखना चाहते है, क्योंकि इसी बात पर निर्भर करेगा कि आपको कितने गणना पर्यवेक्षकों और कितने गणना सहायकों की नियुक्ति करनी होगी और प्रत्येक अभ्यर्थी कितने गणन अभिकर्ता नियुक्त करने का हकदार होगा।

2. जहां एक कक्ष में एक से अधिक टेबिल लगायी जाये वहां टेबिलों को क्रम संख्यांकित किया जाये। टेबिलों के मध्य गणन पर्यवेक्षकों, गणन सहायकों, अभ्यर्थियों/ऐजेन्टो को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान छोडा जाना चाहिए।

3. एक कक्ष में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की गणना की जा सकेगी लेकिन एक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना पूरी होने के बाद ही संबंधित टेबिलों पर अन्य निर्वाचन क्षेत्र की गणना का कार्य लिया जायेगा। जिस समय जिस निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना हो रही हो, उस दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों/एजेण्टों को ही मतगणना कक्ष में रहने दिया जाये, और जिन निर्वाचन क्षेत्रों को मतगणना में लिया जाना शेष है, उनके

अभ्यर्थियों/एजेण्टों को मतगणना केन्द्र के भवन में ही एक नियत कक्ष में इन्तजार करने हेतु कहा जाये।

6. गणन पर्यवेक्षक/गणन सहायक एवं रिटर्निंग अधिकारी के सहायकः–

1. रिटर्निंग अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर गणन पर्यवेक्षक व गणन सहायक नियुक्त करेगा। एक टेबिल पर एक गणन–पर्यवेक्षक और एक गणन सहायक नियुक्त करने है।

2. गणन पर्यवेक्षक राजपत्रित या समकक्ष अधिकारियों को रखें जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों या राज्य सरकार के अधीनस्थ निगमों, मण्डलों, संस्थानों के भी हो सकते है। गणन सहायक हालांकि राजपत्रित स्तर के न हो, लेकिन द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी हो। किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी से जुडे हुये व्यक्ति गणन पर्यवेक्षक या गणन सहायक नियुक्त न हो। गणन पर्यवेक्षक व गणन सहायक निष्पक्ष व कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी/अधिकारी होने चाहिए। गणन पर्यवेक्षकों व सहायकों (रिजर्व स्टाफ सहित) को भली–भॉति प्रशिक्षण दिया जाना भी आवश्यक है।

3. गणन पर्यवेक्षकों एवं गणन सहायको के अतिरिक्त रिटर्निंग अधिकारी मशीनों व अन्य कागजात को सील करने, के लिये भी सहायकों की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन से करेगा।

7. गणन अभिकर्ताओं की संख्या व उनकी नियुक्तिः–

1. नियम 70 के अनुसार अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना के समय उसकी ओर से उपस्थित रहने के लिये गणन अभिकर्ता प्ररूप–10 में नियुक्त कर सकता है। गणन अभिकर्ताओं की संख्या गणना के लिये लगायी गयी मेजों, जिसमें रिटर्निंग अधिकारी की मेज भी शामिल है, की संख्या से अधिक नही होगी तथा एक रीलिफ ऐजेन्ट भी नियुक्त हो सकता है। एक अभ्यर्थी प्ररूप–10 में एक पत्र पर एक से अधिक अभिकर्ताओं की नियुक्ति भी कर सकता है। अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता जिन व्यक्तियों को गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करें तो ऐसे व्यक्तियों के हस्ताक्षर ऐसी नियुक्ति की सहमति के रूप में होने आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर गणन अभिकर्ता की सहमति के रूप में नहीं हो तो उसकी नियुक्ति मान्य नहीं होगी।

2. मतगणना केन्द्रों पर मतगणना अभिकर्ताओं को निर्धारित प्ररूप में उनके नियुक्ति पत्रों व बैजों की जांच करने के उपरान्त ही प्रवेश दिया जाये। उनके नियुक्ति पत्रों एवं बैजों पर मतगणना अभिकर्ताओं का फोटो होना आवश्यक है। इन फोटो पर गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर भी आवश्यक है। ये फोटो अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के द्वारा प्रमाणित होने भी आवश्यक है। ये नियुक्ति पत्र मय दो फोटो के अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के द्वारा मतगणना के दिन से कम से कम दो दिन पूर्व अर्थात दिनांक 5 फरवरी, 2010 को सांयकाल 6.00 बजे तक दो प्रतियों में प्रस्तुत होना आवश्यक है। उक्त दोनों फोटो भी अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रमाणित हो। उक्त नियुक्ति पत्र की दो प्रतियों में से एक प्रति फोटो लगाकर रिटर्निंग अधिकारी उसी समय संबंधित अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता को लौटा देवे। साथ ही दूसरी फोटो का उपयोग करते हुये मतगणना अभिकर्ता के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा फोटो युक्त बैज भी जारी किया जायेगा। फोटो युक्त बैज में टेबल क्रमांक व अभ्यर्थी का नाम व निर्वाचन का विवरण तथा निर्वाचन क्षेत्र संख्या भी अंकित हो। उक्त अनुमोदित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र एवं फोटो युक्त बैज के आधार पर ही मतगणना केन्द्र में प्रवेश दिया जावे।

3. मतगणना के प्रारम्भ होने के कम से कम आधा घण्टा पूर्व गणन अभिकर्ता को प्ररूप–10 की घोषणा पढकर उस पर हस्ताक्षर करेगा तथा हस्ताक्षरित करने के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

4. मतगणना हाल में अधिक भीड–भाड नहीं हो। गणन अभिकर्ताओं, संबंधित अभ्यर्थियों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं को यह स्पष्ठ रूप से बता दिया जाये कि गणना कार्य के बीच में

गणना कक्ष से जाने नहीं दिया जायेगा और एक बार जाने के पश्चात पुनः नहीं आने दिया जायेगा।

5. गणन अभिकर्ताओं को दिये जाने वाले समस्त बैजों का इन्द्राज पृथक रजिस्टर में भी किया जायेगा। बैजों को क्रम संख्यांक भी दिये जायेगें। बैजों पर रिटर्निंग अधिकारी की स्टाम्प सील भी लगाई जायेगी। मतगणना के दिन, मतगणना केन्द्र के भवन में बिना बैज व बिना नियुक्ति पत्र के गणन अभिकर्ताओं को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
6. अभ्यर्थी एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी फोटो युक्त बैज दिये जायेगें।
7. गणन अभिकर्ताओं के लिये की गई उपरोक्त व्यवस्था के बारे में संबंधित राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय पूर्व, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सूचित किया जायेगा। अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी रिटर्निंग अधिकारी उपरोक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम–49 घ के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचना के साथ ही अवगत कराये।
8. जिला स्तर पर राजनीतिक दलों को उपरोक्त व्यवस्था के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी भी सूचित करेगे।
9. गणन अभिकर्ता गणना कक्ष में आवंटित की गई टेबिल पर ही बैठ सकेगा अन्य कही नहीं। मात्र अभ्यर्थी व उसके निर्वाचन अभिकर्ता को किसी भी टेबिल पर जाने का अधिकार है।
10. वार्डों के मतगणना कक्ष में जिस वार्ड या जिन वार्डो की मतगणना हो रही है, इनसे संबंधित अभ्यर्थियों व अभिकर्ताओं को ही गणना हाल में तत्समय रहने दें शेष को किसी अन्य कक्ष में इन्तजार करने हेतु उनके बैठने की व्यवस्था भी की जाये।

8. गणना मेजों पर अपेक्षित लेखन सामग्रीः–

प्रत्येक मतगणना मेज पर निम्नलिखित लेखन सामग्री की व्यवस्था करें:–

1. एक नीली स्याही का बाल–पाइंट पेन,
2. सीलों को तोडकर खोलने के लिए चाकू या ब्लेड
3. प्ररूप 14 के भाग 1 में रिकार्ड किये गये मतो का लेखा, (इस प्ररूप के भाग 2 में गणना पर्यवेक्षक द्वारा गणना का परिणाम लिखा जायेगा)
4. कागज की दो शीट।

9. गणना कक्ष में अनुशासनः–

किसी भी व्यक्ति को गणना कक्ष में बीडी–सिगरेट नहीं पीने दिया जायेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतगणना के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के विधि सम्मत् निर्देशों का पालन नहीं करता है या अवचार करता है तो उसे मतगणना कक्ष से बाहर निकाल दिया जायेगा जिसके लिये मतगणनाकक्ष के बाहर मौजूद पुलिस अधिकारी की मदद ली जा सकती है। रिटर्निंग अधिकारी को यह आश्वस्त होना है कि मतगणना के दौरान सुव्यवस्थित और अनुशासनात्मक तरीके से मतगणना का कार्य सम्पन्न हो।

10. मतों की गोपनीयता बनाये रखनाः–

मतगणना के दौरान प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या ऐसा व्यक्ति जो मतगणना या उनके अभिलेखन से संबंधित कोई करता है उसे मतों की गोपनीयता बनायी रखनी होगी। धारा 128 लोक–प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो इन चुनावों में भी लागू है, के प्रावधानों के बारे में मतगणना प्रारम्भ करने से पूर्व मतगणना कक्ष में सभी उपस्थिति व्यक्तियों को समझा दिया जाना चाहिये।

11. **मतगणना स्थल में प्रवेशः–**

1. नियम 58 के सपठित नियम 68, 70 एवं नियम 49 घ के उप नियम–(4) के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी केवल मात्र निम्न 4 प्रकार के व्यक्तियों को ही मतगणना स्थल में आने की अनुमति देगाः–

   (क) मतदान अधिकारी एवं सहायक मतदान अधिकारी (जो पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन की मतगणना में गणना–पर्यवेक्षक व गणना सहायक है।)

   (ख) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति

   (ग) निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी पर तैनात लोक–सेवक

   (घ) अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और प्रति गणन मेज पर एक से अनाधिक गणन अभिकर्ता।

2. मतगणना केन्द्र पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी व अधिकारी को, कानून व्यवस्था से संबंधित या अन्य ऐसे ही किसी उद्देश्य के लिये, रिटर्निंग अधिकारी गणना कक्ष में बुला सकता है। सामान्य स्थिति में पुलिस कर्मचारी व अधिकारियों को गणना कक्ष में नहीं आने देना चाहिये, क्योंकि किसी अभ्यर्थी अथवा राजनीतिक दल द्वारा ऐसी शिकायत की जा सकती है कि गणना–कक्ष में अनावश्यक रूप से पुलिस का दिखावा किया गया है।

3. मंत्रीगण, सांसद, विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष/सभापति/मेयर, प्रधान/जिला प्रमुख या सुरक्षा कवर प्राप्त कोई अन्य व्यक्ति किसी अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं हो सकते। अतः मतगणना केन्द्र पर इनमें से किसी को, यदि वह अभ्यर्थी नहीं है तो, प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

5. गणना–कक्ष में व्यक्तियों की आवाजाही सुचारू–रूप से रखी जाये ताकि भीड–भाड नहीं हो और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो।

12. **डाक द्वारा प्राप्त मतों की गणनाः–**

1. डाक मतपत्रों की गणना सर्वप्रथम की जानी है। जिस कक्ष में निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना की जावे, उसी में डाक मतपत्रों को गणना में पहले लिया जावे लेकिन यह ध्यान रखे कि एक निर्वाचन क्षेत्र में मशीनों की मतगणना पूरी होने के पूर्व ही डाकमतपत्रों की गणना का कार्य पूर्ण हो जाये।

2. मतगणना प्रारम्भ होने के लिये नियत समय के पश्चात प्राप्त डाकमतपत्र का कोई लिफाफा नहीं खोला जाना चाहिए। उन्हें बिना खोले ही अस्वीकार कर देना चाहिए और अलग से लिफाफे में रखकर सील कर देना चाहिए तथा उस पर समुचित विवरण भी लिख देना चाहिए। समयावधि पश्चात प्राप्त ऐसे अस्वीकार किये गये डाकमतपत्रों को परिणाम पत्र प्ररूप–7 में दर्ज नहीं होंगे।

3. राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 में निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त स्टाफ को डाक मतपत्र जारी करने का प्रावधान है। उक्त नियम 35 के उपबंधों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे डाक मतपत्रों की गणना करने की रीति और उनको प्रतिक्षेपित करने के संबंध में रीति विहीत करते हुये अपने आदेश क्रमांक 6165 दिनांक 11.12.09 से निर्देश जारी किये है।

4. ऐसे डाक मतपत्र लिफाफा–ख (बडा लिफाफा) में प्राप्त होगे। लिफाफा–ख में लिफाफा–क (छोटा लिफाफा) तथा निर्वाचक का घोषणा पत्र होगा।

5. जिला परिषद् सदस्य चुनाव के लिफाफों पर पीले रंग की स्लिप है और पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिफाफों पर नीले रंग की स्लिप है, अतः इन्हे गिनती में लेने हेतु पृथक–पृथक कर यथाशीघ्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को मतगणना प्रारंभ होने के नियत समय तक दे दिया जाये। जो डाक मतपत्र प्राप्त हो उनका विवरण संबंधित चुनाव के पृथक–पृथक रजिस्टर में भी रखा जाये।

6. जो लिफाफे (लिफाफा–ख) समय पर प्राप्त हुए हों, उन्हें एक–एक करके खोलना चाहिए। जैसे ही प्रत्येक लिफाफा खोला जाए आपको निर्वाचक द्वारा की गई घोषणा और छोटे लिफाफे (लिफाफा–क) को बाहर निकाल लेना चाहिए और उस घोषणा की संवीक्षा करनी चाहिए। यदि उस लिफाफे में निर्वाचक द्वारा की गई घोषणा प्राप्त नहीं होती है या उस घोषणा को सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित नहीं किया गया है, या उसे किसी ऐसे अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया गया है जो वैसा करने के लिए सक्षम नहीं है या वह अन्यथा सारवान रूप से त्रुटिपूर्ण है या यदि घोषणा में यथा प्रविष्ठ मतपत्र की क्रम संख्या छोटे लिफाफे (लिफाफे–क) की क्रम संख्या से भिन्न है तो डाक मतपत्र वाले उस छोटे लिफाफे (लिफाफे–क) को नहीं खोलना चाहिए बल्कि उसमें अन्तर्विष्ट मतपत्र अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार अस्वीकार किये गये प्रत्येक लिफाफे पर समुचित पृष्ठांकन किया जाना चाहिए और घोषणा तथा लिफाफे को पुनः बडे लिफाफे में रख देना चाहिए। ऐसे सभी लिफाफो (लिफाफा–ख) को एक अलग पैकेट में एक साथ रखकर उस पैकेट को मुहर बन्द कर देना चाहिए और सरलता से उसकी पहचान करने के लिए उस पर पूरा विवरण जैसे जिला परिषद् या पंचायत समिति का नाम, निर्वाचन क्षेत्र संख्या, गणना की दिनांक और उसमें रखी गयी वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण पृष्ठांकित कर दिया जाना चाहिए। निर्वाचकों द्वारा की गयी उन घोषणाओं को, जो नियमानुकूल पायी गयी हो, एक अलग पैकेट में रखा जाना चाहिए। इसके पश्चात उस पैकेट को भी मुहरबन्द कर देना चाहिए और उस पर जिला परिषद् या पंचायत समिति का नाम, निर्वाचन क्षेत्र संख्या गणना की तारीख और उसमें रखी गई वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण पृष्ठांकित कर दिया जाना चाहिए। यह कार्य मतपत्रों के लिफाफों (लिफाफा–क) को खोलने के पूर्व किया जाना चाहिए।

7. डाक मतपत्र तभी अस्वीकृत किया जाना चाहिएः–
   (i.) यदि उस पर ऐसा कोई चिन्ह (मत को अभिलिखित करनेके लिए चिन्ह से भिन्न) या लेख हो जिससे उस निर्वाचक का पहचान हो सके, या
   (ii.) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित न हो, या
   (iii.) यदि उस में एक से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में मत दिया गया हो, या
   (iv.) यदि वह बनावटी मतपत्र हो, या
   (v.) यदि वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत हो कि असली मतपत्र के रूप में उसकी पहचान न की जा सके, या
   (vi.) यदि उसे उस लिफाफे में रखकर वापस न किया गयाहो जिसे आपने निर्वाचक को मतपत्र के साथ भेजा था, या
   (vii.) यदि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह मतपत्र पर ऐसी रीति से लगा हो कि इस बात का संदेह हो कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है।

8. ऐसा कोई विशिष्ट चिन्ह आवश्यक नहीं है जो मतदाता द्वारा डाक मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के लिए लगाया जाये। कोई भी चिन्ह विधिमान्य माना जा सकता है। किसी भी अभ्यर्थी के लिए नियत स्थान पर लगाया गया कोई चिन्ह संबंधित अभ्यर्थी के पक्ष में विधिमान्य मत समझा जाना चाहिए। मत अभिलिखित करने के लिए बालपैन या स्याही से X या ✓ का से अंकन भी पर्याप्त होगा।
9. डाक मतपत्र पर अभिलिखित मत को केवल इस आधार पर कि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है, प्रतिपेक्षित नहीं किया जाएगा यदि यह आशय कि मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए है, मतपत्र चिन्हित किए जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है।
10. इसके पश्चात विधिमान्य मतों की गणना की जानी चाहिए और प्रत्येक अभ्यर्थी का दिये गये मतों को उसके पक्ष में गिना जाकर प्रत्येक अभ्यर्थी को डाक मतपत्रों के रूप में प्राप्त कुल मतों की गणना की जानी चाहिए और अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए उन्हे सुनाया जाना चाहिये। मशीनों में रिकार्ड किये गये अभ्यर्थी वार मतों में डाक मतपत्रों के रूप में अभ्यर्थीवार वैद्यमतों को जोड कर गणना के परिणाम को प्ररूप 7 में दिये गये परिणाम पत्र में उपयुक्त स्थान पर प्रविष्ट किया जाना चाहिए।

11. तत्पश्चात सभी विधिमान्य मतपत्रों और सभी अस्वीकृत मतपत्रों के पृथक–पृथक बण्डल एक साथ पैकेट में रख दिया जाना चाहिए और उस पैकेट को रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी की मुहर से और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ताओं की मुहरों से, जो उस पर लगाना चाहे, मुहरबन्द कर देना चाहिए तथा पहचान के लिए सभी विवरण जैसे जिला परिषद् या पंचायत समिति का नाम, निर्वाचन क्षेत्र संख्या, गणना की तारीख और उसमें रखी गई वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित कर दिया जाना चाहिए।

मतदान मशीनों में रिकार्ड किये गये मतों की गणना

13. नियंत्रण यूनिटों की संवीक्षा और निरीक्षणः–

1. नियम 49–ग के प्रावधानों के अनुसार गिनती से पूर्व नियंत्रण यूनिटो की संवीक्षा व निरीक्षण किया जायेगा तथा अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को भी इनकी सीलें देखने की अनुमति होगी।

2. गणना–टेबिल पर नियंत्रण यूनिटों का वितरण मतदान केन्द्रों के क्रमानुसार किया जाना चाहिए, ऐसे वितरण का लेखा रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी अपने पास भी रखे और इसका चार्ट मतगणना कक्षों के बोर्ड पर भी रखे।

3. गणना के समय, उस मतदान बूथ, जिस पर नियंत्रण यूनिट प्रयुक्त की गयी है, के मतदान परिणाम को सुनिश्चित करने के लिए मतदान मशीन की केवल नियंत्रण यूनिट ही अपेक्षित है, बैलेट यूनिट अपेक्षित नहीं है। फिर भी, मतदान बूथो से प्राप्त बैलेट यूनिटें संग्रहण केन्द्र पर निर्वाचन क्षेत्रवार और मतदान बूथवार नियंत्रण यूनिटों के साथ रखी जानी चाहिए, बैलेट यूनिट को गणना हाल में केवल तब ही ले जाया जाना चाहिए जब किसी भी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की मांग पर या अन्यथा किसी भी विशेष मामले में इसका निरीक्षण आवश्यक हो जाये।

4. किसी मतदान बूथ पर प्रयुक्त की गयी नियंत्रण यूनिट के साथ प्ररूप 14 में अभिलिखित उस मतदान केन्द्र से संबंधित मतों का सुसंगत लेखा भी गणना–टेबल पर दिया जाना चाहिए। साथ ही पीठासीन अधिकारी की घोषणा भी दी जानी चाहिए।

14. नियंत्रण यूनिटों के कैरिंग बक्सों का खोला जानाः–

1. पीठासीन अधिकारियों द्वारा, नियंत्रण यूनिटें मतदान केन्द्रों से उनके कैरिंग बक्सो में सम्यक रूप से रखी हुई और सीलबंद रूप से प्राप्त हुई होगी।

2. कैरिंग बक्सों पर 3 x 6 सेमी आकार के पीले स्टीकर या नीले स्टिकर लगे होंगे ताकि यह पहचान रहे कि मशीन जिला परिषद सदस्य चुनाव की है या पंचायत समिति सदस्य चुनाव की। प्रत्येक कैरिंग बक्सा ज्योंही गणना टेबल पर लाया जाये उस पर मतदान बूथ में पीठासीन अधिकार के द्वारा लगायी गयी सील की जांच की जाये। यदि किसी कैरिंग बक्से की सील किसी मामले में अविकल (intact) न भी पायी जाये तो भी उसमें रखी गयी नियंत्रण यूनिट में कोई भी गडबड होने की संभावना नहीं है, यदि उस यूनिट पर लगी हुई सील और विशेषतः उस पर लगी स्ट्रिप सील व पिंक सील अविकल (intact) हो।

3. कैरिंग बक्सों की सीले हटा दीजिए। नियंत्रण यूनिट को बाहर निकाल लें और उसे गणना टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा उस पर लगी स्ट्रीप सील, स्पेशल टैग व पिंक पेपर सीलों के निरीक्षण और जांच के लिए गणना टेबल पर रख दें।

15. नियंत्रण यूनिट पर लगी सीलों और पहचान चिन्हों की जांचः–

प्रत्येक नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या की जांच कर लें और अपना इस बारे में समाधान कर ले कि यह वही नियंत्रण यूनिट है जो आपके द्वारा पीठासीन अधिकारी को उस मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए दी गयी थी तथा नियंत्रण यूनिट के कण्डीडेट सैट सैक्शन की सील वही है जो आपके द्वारा उस मतदान केन्द्र को मशीन दिये जाने के पूर्व लगायी गयी हो। पीठासीन अधिकारी द्वारा भी मतदान केन्द्र पर स्ट्रिप सील लगायी गई है और स्पेशल टैग पर सील लगायी गयी है। यदि इन सीलों में से कोई सील क्षतिग्रस्त हो तब भी नियंत्रण यूनिट में कोई भी गडबड

होने की संभावना नही है, बशर्ते परिणाम अनुभाग के भीतरी कवर पर लगायी गई पिंक पेपर सील अविकल हो।

16. **नियंत्रण यूनिटों पर सीलों का निरीक्षणः–**

किसी भी कन्ट्रोल यूनिट में रिकार्ड किये गये मतों की गणना किये जाने से पूर्व, गणना टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या उनके गणन अभिकर्ताओं को ऐसी पेपर सीलें और अन्य ऐसी महत्वपूर्ण सीलें, जो कैरिंग बक्सों और नियंत्रण यूनिट पर लगायी गयी हो, का निरीक्षण करने दिया जायेगा और उन्हें स्वयं का समाधान करने दिया जायेगा कि सीले अविकल (intact) है। आप स्वयं का भी समाधान करेंगे कि किसी भी मतदान मशीन के साथ छेडछाड नहीं की गयी है। यदि आपका समाधान हो जाता है कि किसी मतदान मशीन में वास्तव में कोई गडबड की गयी है, तो आप उस मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की गणना नहीं करेंगे और पैरा 22 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का, जो भी उस मतदान केन्द्र के संबंध में लागू होती हो, जहां कि वह मशीन प्रयुक्त की गई थी, अनुसरण करेंगे।

17. **पेपर सील के क्रम संख्यांक का मिलानः–**

1. परिणाम अनुभाग के बाहरी कवर को खोलने पर आपको पीठासीन अधिकारी की सील से सीलबंद किया हुआ भीतरी कवर दिखायी देगा। उक्त सील की भी जांच कर लें। यदि मुहर क्षतिग्रस्त भी हो तो भी, नियंत्रण यूनिट में कोई भी गडबड होने की संभावना नहीं है बशर्ते कि पिंक पेपर सील अविकल हो और उससे छेडछाड नहीं की गई हो। परिणाम अनुभाग के भीतरी कवर में दो पेपर सील होगी। पेपर सील पर क्रम संख्यांक का उस क्रम संख्या से मिलान कर लिया जाना चाहिए जो पीठासीन अधिकारी द्वारा प्ररूप 14 के भाग I में मद सं. 9 पर तैयार किये गये पेपर सील लेखा में दी गयी हो। गणना टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थी/अभ्यार्थियों को या उनके अभिकर्ताओं को भी पेपर सील के ऐसे क्रम संख्यांक का मिलान करने दें।
2. यदि नियंत्रण यूनिट में प्रयुक्त पेपर सील के क्रम संख्यांक का पेपर–सील लेखे में पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा दर्शित क्रम संख्यांक से मिलना नहीं होता है तो, फिर यह हो सकता है कि पेपर सील लेखे में कोई भूल हो या प्रथम दृष्टया यह इस सन्देह कारण होगा कि मतदान मशीन से छेडछाड की गयी है। इस प्रश्न का विनिश्चय पीठासीन अधिकारी द्वारा लौटायी गयी अप्रयुक्त पेपर सीलों के क्रम संख्याकों की और मतदान केन्द्रों में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा की गयी शिकायतों और अन्य सुसंगत परिस्थितियों की जांच करके करें। यदि आप इसे लिपिकीय भूल का मामला पाये, तो उस अंसगति को नजर अन्दाज कर दें।

18. **गडबडी पाये जाने पर नियंत्रण यूनिटों को अलग रखा जानाः–**

यदि आपका समाधान हो जाये कि मतदान मशीन में गडबड की गयी है, या मतदान मशीन वह नहीं है जो मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए दी गयी थी, तो मशीन को अलग रख दिया जाये और उसमें रिकार्ड किये गये मतों की गणना नहीं की जाये। आपको ऐसे मामले की रिपोर्ट आयोग को करनी चाहिए। समूची गणना को स्थगित करना आवश्यक नहीं है।

19. **परिणाम सुनिश्चित करनाः–**

1. मतों की गणना के लिए, निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए :–
   - (i.) पीछे के कम्पार्टमेन्ट में लगे हुए पावर स्विच को दबाकर ऑन स्थिति में लाये और नियंत्रण यूनिट को ऑन करें। नियंत्रण यूनिट के प्रदर्शन अनुभाग में ऑन बत्ती तब हरी चमकने लगेगी।
   - (ii.) परिणाम–अनुभाग के भीतरी कवर के उपरी छिद्र के नीचे लगे परिणाम बटन के उपर पेपर–सील को निकाल दे।
   - (iii.) परिणाम–1 बटन को दबा दे।
   - (iv.) परिणाम–1 बटन को इस प्रकार दबाये जाने से, मतदान केन्द्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या नियंत्रण यूनिट के पैनल में एक–एक कर स्वतः ही प्रदर्शित हो जायेगी।

(v.) उपर्युक्त परिणाम को प्ररूप 14 मतगणना का परिणाम के भाग II में यथादर्शित अभ्यर्थीवार नोट कर लें।

2. यदि आवश्यक हो, अभ्यर्थियों और/उनके अभिकर्ताओं को उपर्युक्त परिणाम नोट करने देने के लिए परिणाम– I बटन को फिर से दबायें।

3. परिणाम के नोट कर लिये जाने के पश्चात् परिणाम–अनुभाग के कवर को बन्द कर दें और नियंत्रण यूनिट का ''स्विच ऑफ'' कर दें।

20. प्ररूप 14, भाग II- (गणना का परिणाम) का पूरा किया जाना :–

1. ज्योंही प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मत नियंत्रण यूनिट के प्रदर्शन पैनलों पर दिखाये जायें, वैसे ही गणना पर्यवेक्षक को ऐसे मतों की संख्या को प्रत्येक अभ्यर्थीवार पृथक से प्ररूप 14 के भाग II गणना का परिणाम में अभिलिखित कर लेना चाहिए उसे उक्त प्ररूप 14 के भाग II में यह भी नोट कर लेना चाहिए कि क्या उस भाग में यथादर्शित मतों की कुल संख्या उस प्ररूप के भाग I की मद 5 के समाने दर्शायी गयी मतों की कुल संख्या से मिलती है या इन दोनों योगों के बीच कोई फर्क नजर आया है। उस प्ररूप को सभी प्रकार से पूर्ण कर लेने के पश्चात गणना पर्यवेक्षकों को इस पर हस्ताक्षर करने चाहिए। उस गणना–टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर उस पर करवाने चाहिए।

2. गणना पर्यवेक्षक द्वारा प्रारूप 14 के भाग II को सम्यक् रूप से भरे जाने और हस्ताक्षर किये जाने और उस पर अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लिये जाने के पश्चात्, उसे उस प्ररूप को रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को सौंप देना चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी स्वयं का यह समाधान कर लेने के पश्चात कि प्ररूप समुचित ढंग से भरा और सभी प्रकार से पूर्ण किया गया है स्वयं भी हस्ताक्षर करेगा। ऐसे हस्ताक्षरित किये हुये उक्त प्ररूप को अन्तिम परिणाम पत्र (प्ररूप–7) तैयार कर रहे अधिकारी को सौंप देना चाहिए।

21. अंतिम परिणाम पत्र की तैयारी :–

1. अंतिम परिणाम पत्र (प्ररूप–7) की पूर्ति मशीनों में रिकार्ड किये गये मतों की गणना तथा डाक मतपत्रों की गणना के पश्चात की जायेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को मशीनों में रिकार्ड किये गये अभ्यर्थीवार मतों व डाक मतपत्रों में पाये गये अभ्यर्थीवार विधि मान्य मतों को जोडकर प्ररूप–7 की पूर्ति की जायेगी।

2. यदि राज्य निर्वाचन आयोग आयोग ने किसी भी मतदान केन्द्र में किसी नये मतदान का निर्देश दिया है तो परिणाम पत्र में नये मतदान के सम्बन्ध में ही गणना के परिणाम को सम्मिलित किया जाना चाहिए। कुल योग तब तक नहीं लगाया जाना चाहिए जब तक कि परिणाम पत्र में ऐसे नये मतदान के सम्बन्ध में गणना का परिणाम सम्मिलित नहीं कर लिया गया हो।

3. कुल योग भी सही सही लगाया जाना चाहिए क्योंकि किसी भी तरह का गलत योग मतदान के परिणाम को और परिणाम की घोषणा को, जो कि इस प्ररूप के आधार पर की जानी है, तात्विक रूप से प्रभावित करेगा। उस प्ररूप के किसी भी फर्क को आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा और कठोर अनुशासनिक कार्यवाही का कारण बनेगा।

4. निविदत्त मतपत्र (Tentered Vote) के लिफाफे नहीं खोले जायेंगे और ना ही निविदत्त मतों की गणना की जायेगी।

5. सामान्यतया मतदान मशीन द्वारा रिकार्ड किया गया प्रत्येक मत एक विधि मान्य मत है और उसकी विधिमान्यता के विषय में या अन्यथा कोई विवाद नहीं उठेगा। अधिक से अधिक यह हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता किसी विशेष मतदान केन्द्र पर उस समय मतदान के परिणाम को सम्यक् रूप में लिख नहीं पाये हो जब नियंत्रण यूनिट में वह सूचना दिखायी गयी थी। यदि पुर्नसत्यापन की आवश्यकता उत्पन्न हो, तो

ऐसा परिणाम–बटन को दबाकर किया जा सकेगा, जिस पर उस मतदान केन्द्र के मतदान का परिणाम नियंत्रण यूनिट के उस प्रदर्शन पैनलों पर पुनः दिखायी देगा।

6. मतगणना में किसी भ्रांति के पूर्णतया निवारण हो जाने और गणना पूरी हो जाने पर प्ररूप 7 में अंतिम परिणाम–पत्र तैयार कर लिया जाये, तब आपको अन्तिम परिणाम पत्र में यथा प्रविष्ठ प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों की कुल संख्या घोषित कर देनी चाहिए और परिणाम घोषित कर देना चाहिए।

22. गणना का स्थगनः–

1. यदि आपको नियम 49–क के अन्तर्गत किसी अपरिहार्य कारण से गणना को उसके पूर्ण होने से पूर्व ही निलंबित या स्थगित करना पडे तो सभी मतदान मशीनों और निर्वाचान से संबंधित सभी अन्य कागज पत्रों को सील बंद कर दें। प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता यदि प्रत्येक मतदान मशीन और पैकेट आदि, जिनमें निर्वाचन के कागज पत्र रखे हुए हो, पर अपनी सील लगाना चाहे तो आप उसे ऐसा करने की अनुमति दे।
2. सभी सील बंद मतदान मशीनों और पैकेट आदि एक पृथक कमरे में रखे जायें और कमरे को आपकी सील और अभ्यर्थियों की सील से सीलबंद और सुरक्षित कर लें। विकल्प के तौर पर ऐसे कमरों पर आपको तालों के साथ–साथ अभ्यर्थी भी अपने ताले लगा सकते है।

23. गणना के पूर्ण होने के पूर्व मतदान मशीन के विनष्ट हो जाने, उसको हानि पहुंचाये जाने आदि की दशा में अनुसरण की जानी वाली प्रकियाः–

नियम 49–क के अन्तर्गत आयोग सभी महत्वपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मतों की गणना रोक दिये जाने का निर्देश देने और यदि आवश्यक हो तो नवीन मतदान कराये जाने का आदेश देने के लिए सक्षम है। यदि मतों की गणना के पूर्ण होने के पूर्व रिटर्निग अधिकारी द्वारा यह रिपोर्ट की जाये कि किसी मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त की गयी मतदान मशीनः–

(i.) उसकी पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से विधि विरूद्ध निकाली ली गयी है, या

(ii.) घटनावश या साशय विनष्ट हो गयी है या कर दी गयी है या खो गयी है या खो दी गयी है,या

(iii.) उसको उस सीमा तक नुकसान पहुंचाया गया है या उसमें गडबड कर दी गयी है कि उस मतदान केन्द्र के मतदान के परिणाम को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता। या,

(iv.) वोटिंग मशीन में मतदान या मतगणना के दौरान तकनीकी खराबी आ गयी हो,

तो आपको ऐसे सभी तथ्यों की रिपोर्ट आयोग को तुरन्त करनी चाहिए और उस मतदान केन्द्र के मतों की गणना के सम्बन्ध में आयोग के निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

24. पुनः मतदान के पश्चात गणनाः–

यदि किसी मतदान केन्द्र पर मतदान दुबारा करवाया गया है तो उस मतदान में रिकार्ड किये गये मतों की गणना के लिए तारीख, समय और स्थान नियत करना चाहिए और इसकी लिखित सूचना प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को देनी चाहिए। आपको इस गणना में भी उपर बतायी गयी विस्तृत कार्यविधि का ही, जहां तक कि वह लागू हो, पालन करना चाहिए।

25. परिणामों की घोषणाः–

जब मतों की गणना पूरी हो गई हो तब रिटर्निग अधिकारी वार्ड के परिणामों की प्ररूप–7 में विवरण तैयार करेगा और यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अन्यथा निर्देशित नहीं किया गया है तो परिणाम घोषित किये जायेगें। उस अभ्यर्थी को जिसे अधिकतम संख्या में विधिमान्य मत प्राप्त हुये है, उसे निर्वाचित घोषित किया जायेगा। यदि मतों की गणना के पश्चात किन्ही अभ्यर्थियों के बीच में मतों की समानता पायी जाय और केवल एक मत को जोडने से ही अभ्यर्थियों में से किसी को भी निर्वाचित घोषित किये जाने का हक मिलता है। रिटन्रिंग अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में तत्काल लाटरी निकाले जाने का

कार्यवाही विवरण बनाया जावेगा जिस पर उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी यदि वे करें तो कराये जायेंगे। कार्यवाही विवरण को अन्य कागजात के साथ पृथक लिफाफे में रख कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा। अंतिम परिणाम–पत्र (प्ररूप–7) में ऐसे अभ्यर्थियों जिनके पक्ष में लॉट निकला है, के सामने डाले गये मतों के आगे यथानुकूल प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी।

26. निर्वाचक का प्रमाण–पत्रः–

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित किये गये अभ्यर्थी को आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप में निर्वाचन का प्रमाण–पत्र भी दिया जायेगा। निर्वाचित घोषित किये गये अभ्यर्थी को निर्वाचन का प्रमाण–पत्र देने पर ऐसे अभ्यर्थी से प्राप्ति रसीद भी प्राप्त की जावे और उसके हस्ताक्षर भी लिए जावे। राज्य निर्वाचन आयोग को, परिणाम घोषित करने पर नीचे के पैरा 27 में वर्णित सामग्री/कागजात भेजे जावें।

27. निर्वाचक के परिणाम के बाद विवरण प्रेषित करनाः–

1. अंतिम परिणाम–पत्र (प्ररूप–7)
2. सारणी–क में जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों की सूची;
3. सारणी–ख में पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों की सूची;
4. सारणी–क एवं सारणी–ख की सॉफ्ट कापी (CD)

उपरोक्त कागजात (क्र.सं. 1, 2 व 3) पर रिटर्निंग अधिकारी का नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए, तारीख एवं स्थान अंकित होना चाहिए एवं रिटर्निंग अधिकारी की मोहर भी लगी हुई होनी चाहिए।

28. गणना के पश्चात मतदान मशीनों को पुनः सीलबंद करनाः–

1. किसी नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित मतदान के अभ्यर्थीवार परिणाम अभिनिश्चत कर लिये जाने और प्ररूप 14 के भाग II ''गणना का परिणाम'' में और प्ररूप 7 में अंतिम परिणाम–पत्र में प्रविष्ट कर दिये जाने के पश्चात, नियंत्रण यूनिट को नियम 52–क के अधीन रिटर्निंग अधिकारी की सील से और ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं, जो उस पर अपनी सील लगाना चाहें, की सीलों से पुनः सीलबंद किया जाना चाहिए। तथापि, पुनः सीलबंद ऐसी रीति से किया जाना चाहिए कि नियंत्रण यूनिट में रिकार्ड किये गये मतदान का परिणाम मिट नहीं जाये और यूनिट ऐसे परिणाम की स्मृति को बनाये रख सके। इस विषय में आयोग का सांविधिक आदेश सं. 56/09 दिनांक 18.12.09 (पत्र क्रमांक 6306 दिनांक 18.12.09) के अनुसार भी पालना की जाये।

2. नियंत्रण यूनिट को पूर्वोक्त रूप में पुनः सील बंद निम्नलिखित रीति से किया जाना चाहिएः–

(i) सील को हटाकर नियंत्रण यूनिट के कैंडिडेट सैट सेक्शन की बैटरी को हटा दें। बैटरी को हटाये जाने के बाद में कैंडिडेट सेक्शन का कवर पुनः सीलबंद किया जाना चाहिए।
<u>कृपया ध्यान दीजियेः– </u>बैटरी का हटाया जाना आवश्यक है जिससे कि यह समय बीतने के साथ–साथ फूल नहीं जाये और मशीन को क्षति नहीं पहुचें। तथापि, बैटरी को हटाये जाने से नियंत्रण यूनिट में रिकार्ड किये गये मतदान का परिणाम मिटता नहीं है, क्योंकि नियंत्रण यूनिट अपनी स्मृति को बनाये रखेगी चाहे बैटरी हटा दी जाये।

(ii) परिणाम–सेक्शन के बाहरी कवर को बन्द कर दें और इसे पुनः सील कर दें।

(iii) इस प्रकार पुनः सीलबंद की गयी नियंत्रण यूनिट को उसके कैरिंग बक्से में रखें।

(iv) कैरिंग बक्से को पुनः सीलबंद कर दे।

(v) कैरिंग बक्से के हेंडल पर एड्रेस टेग को दृढतापूर्वक लगा दें, जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया होः–
(क) पंचायत समिति/जिला परिषद् का नाम
(ख) निर्वाचन क्षेत्र संख्या

(ग) उस मतदान बूथ की क्र.सं. व नाम, जहां नियंत्रण यूनिट प्रयुक्त की गयी है।
(घ) नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या,
(ङ) मतदान की तारीख,
(च) गणना की तारीख।

(vi) आप अपनी सील के साथ–साथ अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को, यदि वे ऐसा चाहे, उनकी सीलें लगाने की अनुमति दें।

3. बैलेट यूनिटों को भी पूर्वोक्त सांविधिक आदेश संख्या 56/09 दिनांक 18.12.09 के अनुसार सील किया जावे।
4. इस प्रकार पुनः सीलबंद की गई नियंत्रण यूनिटों व बैलेट यूनिटों को सुरक्षित भण्डारण के लिए विशेष रूप से तैयार किये गये बडे बक्सों में रखा जाना चाहिए।

5. मतदान यूनिटों को साधारणतया, गणना के समय खोले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसी मतदान यूनिट को निरीक्षण या गणना के समय सत्यापन के लिए इसके कैरिंग बक्से से बाहर निकाला जाता है तो इसे ऐसे निरीक्षण या सत्यापन के पश्चात इसके कैरिंग बक्से में वापस रख कर सीलबंद कर दिया जाना चाहिए।

6. सुरक्षित भण्डारण के लिए मतदान यूनिटों को भी विशेष रूप से तेयार किये गये बडे बक्सों में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार निर्वाचन में प्रयुक्त सभी नियंत्रण यूनिटें ओर मतदान यूनिटें भंडारण स्थल पर ले जाये जाने के लिए तैयार की जावे।

29. सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य निर्वाचन कागज पत्रों को सील बंद करनाः–

1. मतदान मशीनों एवं कई अन्य महत्वपूर्ण निर्वाचन संबंधी कागज पत्र है जिनका सीलबंद किया जाना और सुरक्षित किया जाना तथा भंडारण किया जाना अपेक्षित है। नियम 53–क के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट निर्वाचन संबंधी कागजपत्रों के पैकेट तथा आयोग के सांविधिक सं. आदेश 59/09 दिनांक 20.12.09 (पत्रांक 6491 दिनांक 20.12.09) के द्वारा विनिर्दिष्ट कागज पत्रों के पैकेट किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा न तो खोले जायेंगे और न उनकी अन्तर्वस्तु का निरीक्षण किया जायेगा और न ही वे वस्तुए उसके समक्ष पेश की जायेगी। इस प्रकार इन कागज पत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरतनी पडेगी। जहां मतदान मशीने प्रयुक्त की गयी है, वहां मतदान मशीनें एवं निम्नलिखित कागजपत्र हैः–

(i) प्ररूप 12 में मतदाता रजिस्टरों के पैकेट,
(ii) अप्रयुक्त डाक मतपत्रों के पैकेट,
(iii) प्रयुक्त डाक मतपत्रों के, चाहे वे विधिमान्य हो या प्रतिक्षेपित, पैकेट (उन पैकेटों को सम्मिलित करते हुए जिनमें विलम्ब से प्राप्त डाक मतपत्र वाले लिफाफे भी है),
(iv) अप्रयुक्त मतदाता पर्चियों के पैकेट
(v) प्रयुक्त और अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों के पैकेट,
(vi) अप्रयुक्त (अधिशेष) मतपत्रों (मतदान यूनिटों पर प्रदर्शित करने के लिए और निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयोग करने के लिए मुद्रित) के पैकेट,
(vii) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियों के पैकेट, और
(viii) निर्वाचकों द्वारा की गई घोषणाओं और उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन के पैकेट।

2. उपर्युक्त मद (iii) और (viii) पर बताये गये कागज पत्रों के पैकेट गणना के समय ही बना लिए जायेगें ऐसे पैकेट आपके द्वारा मतों की गणना की समाप्ति के तुरन्त पश्चात आपकी सील से सीलबन्द कर दिये जायेंगे। यह सील उन सीलों के, यदि कोई हो, अतिरिक्त होगी जो इन पैकेटों पर किन्ही अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ताओं, जो उन पर अपनी सील लगाना चाहें, द्वारा लगायी जायेगी। आपको वहां उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके

अभिकर्ताओं को बता देना चाहिए कि इन पैकेटों पर वे अपनी सील अवश्य लगायें और ऐसा करना उनके अपने ही हित में है ताकि किसी पैकेट में कोई गडबडी न की जा सके।

3. ऊपर उप पैरा 1 की मद संख्या (i), (iv) (v) और (vii) में बताये गये कागजपत्रों के सभी पैकेट मतदान केन्दों के पीठासीन अधिकारियों से सम्यक रूप से सीलबन्द पैकेटों में प्राप्त किये जायेंगे। चूंकि मतगणना के समय इन पैकेटों की किसी प्रयोजन के लिए आवश्यकता नहीं होती है अतः इनमें से प्रत्येक को निर्वाचन कागजपत्र प्राप्त करने के स्थान पर प्राप्त करने के तुरन्त बाद सीलबंद कर दिया जाना चाहियें और लोहे के संदूक में रख दिया जाना चाहिये।

4. इन पैकेटों को वस्तुतः सीलबंद करने के कार्य से पर्यवेक्षण के लिए आपकों एक उत्तरदायी प्रभारी अधिकारी लगाना चाहिए अन्यथा, निर्वाचन के महत्त्वपूर्ण कागजपत्रों के इधर–उधर हो जाने की संभावना है, जिसका परिणाम यह होगा कि यदि और जब कोई सक्षम न्यायालय इन कागजपत्रों को पेश करने का आदेश देगा तब जटिलतायें और गडबडी पैदा हो जायेगी।

5. लोहे के प्रत्येक संदूक में दो ताले लगाये जाये और प्रत्येक ताला सीलबंद कर दिया जाये।

30. कार्यवाहियों का लेखबद्ध किया जानाः–

1. मतों की गणना के पश्चात गणना स्थल पर ही मतदान मशीनों और निर्वाचन के कागजपत्रों को सीलबंद कर दिये जाने के पश्चात आपको निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए कार्यवाही लेखबद्ध करनी चाहिए–
   (i.) गणना हॉल में उपस्थित अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं का पूर्ण विवरण,
   (ii.) यह तथ्य कि उनसे मतदान मशीनों और निर्वाचन के पैकेटों पर, यदि वे ऐसा चाहे, अपनी सीलें लगाने को, कहा गया था, और
   (iii.) उन व्यक्तियों का विवरण, जिन्होने मतदान मशीनों और पैकेटों पर अपनी सीलें लगायी थी और उन व्यक्तियों का विवरण, जिन्होने ऐसा करने से इन्कार कर दिया था।

3. तब आपको कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करने चाहिए और उस पर ऐसे अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं के जो उपस्थित हो और हस्ताक्षर करना चाहें, हस्ताक्षर करवाने चाहिये। कार्यवाहियों को एक लिफाफे में, रखा जाना चाहिए और सीलबंद किया जाना चाहिये। सीलबंद लिफाफे को निर्वाचन के कागजपत्रों के पैकेटों के साथ रखा जाना चाहिए।

31. निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन अभिलेखों की सुरक्षित अभिरक्षाः–

1. निर्वाचन के परिणाम की घोषणा कर दिये जाने के पश्चात तुरन्त उसी दिन समस्त मतदान मशीनों और उपर्युक्त उल्लिखित पैकेटों को अन्तर्विष्ट करने वाले सील बंद संदूक को सरकारी कोषागार/उपकोषागार में दो तालों के अन्दर जिला निर्वाचन अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा। प्रत्येक संदूक के ताले की चाबी कोषागार अधिकारी को या कोषागार संहिता के अधीन प्राधिकृत कोषागार/उपकोषागार के किसी अन्य अधिकारी के सुपुर्द कर दी जानी चाहिए और प्रत्येक संदूक के दूसरे ताले की चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा या इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने पास रखी जानी चाहिए।

2. मतों की गणना आरंभ होने से पूर्व जिस कमरें में ये संदूक रखे जाते हैं, उस कमरे के बाहर तैनात सशस्त्र पुलिस रक्षक दल को गणना की समाप्ति हो जाने के पश्चात ही हटा नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि मतदान मशीनों और निर्वाचन अभिलेख कोषागार/उपकोषागार को भेज नहीं दिये जाते। जहां तक संभव हो, उसी रक्षक दल को इन कागज पत्रों के परिवहन के दौरान भी उसकी सुरक्षा के लिए तैनात किया जाना चाहिए। इस तथ्य का उस रक्षक दल द्वारा रखी जाने वाली लॉग बुक में उल्लेख कर दिया जाना चाहिए।

3. उक्त सीलबंद मशीनों एवं निर्वाचन कागज पत्रों का निस्तारण उस रीति से किया जा सकेगा जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियम 53–ख के अंतर्गत अब जारी किये जाने वाले आदेश में विहीत की जाये।

32. विविधः–

1. नियम 49, 49–घ एवं 68 में वर्णित व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य किसी को मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाये। माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक आदि के मतदान केन्द्र में प्रवेश निषेध संबंधी आयोग के आदेश क्रमांक 6708 दिनांक 23.12.2009 की पालना सुनिश्चित की जाये।

2. मतगणना कक्षों के भीतर भी बैरिकेडिंग इस रूप में की जावे कि अभ्यर्थी या उनके मतगणना अभिकर्ता / निर्वाचन अभिकर्ता किसी मतपत्र को नहीं छू पाये लेकिन वे मतपत्रों की गिनती के समय उनको आसानी से देख सके।

3. मतदान केन्द्र के बाहर भी बैरिकेडिंग एवं सुरक्षात्मक उपाय किये जावे। मतदान केन्द्र में बिजली / पानी / टॉयलेट आदि की पर्याप्त व्यवस्थायें की जाये।

4. मतगणना कक्षों के भीतर एवं उसके आसपास भीड–भाड से बचने के लिए केवल उन अभ्यर्थियों / अभिकर्ताओं को मतदान कक्ष के भीतर उपस्थित रहने की अनुमति दी जाये जिनके मतदान क्षेत्र की मतगणना का कार्य चल रहा है।

5. मीडिया से संबंधित व्यवस्थायें भी समुचित रूप से की जाये। मीडिया कर्मियों के प्रवेश के संबंध में आयोग के पत्रांक 7325 दिनांक 7.1.2010 के अनुसार कार्यवाही की जाये।

6. मतगणना केन्द्रों पर मोबाईल फोनों के उपयोग के संबंध में आयोग के पत्र दिनांक 6726 दिनांक 24.12.2009 में दिये गये दिशा–निर्देशों की भी पालना की जाये।

भवदीय,

(आर.के.पारीक)
उपसचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/03/6491 जयपुर, दिनांक : 20 दिसम्बर 09

आदेश

सां. आ. संख्या 59/09 :– ऐसे निर्वाचनों, जहाँ इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का उपयोग होता है, में राजस्थान पंचायती राज. (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 47–ख के उपनियम (1) के उपबन्धों के अनुसार पीठासीन अधिकारी मतदान के बंद होने के पश्चात यथा– साध्य शीघ्रता से ऐसे अभ्यर्थियों की उपस्थिति में जो वहां उपस्थित हो, उक्त उपनियम (1) के खण्ड (क),(ख),(ग),(घ),(ड.) तथा (च) में वर्णित दस्तावेजों तथा कोई अन्य ऐसे कागज–पत्रों जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुद्रा बंद पैकेट में रखे जाने के लिए निर्दिष्ट किया गया है को पृथक–पृथक पैकट में रखेगा और इन्हें अपनी मुद्रा से और ऐसे अभ्यर्थियों की मुद्रा से जो अपनी मुद्रा लगाने के इच्छुक हो, मुद्रा बन्द करेगा।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग उक्त नियम 47 ख के उपनियम (1) के खण्ड (छ) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह निर्दिष्ट करता है कि निम्नांकित कागज–पत्रों को भी मुद्रा बन्द पैकेट में रखा जायेगाः–

(1) प्रयुक्त मतदाता पर्चियॉ, और
(2) अप्रयुक्त निविदित मत–पत्र!

आज्ञा से,
(आर.के. जैन)
सचिव

क्रमांकः एफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/03/6492–94 जयपुर, दिनांक : 20 दिसम्बर 09

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज., जयपुर।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत (कलेक्टर) राजस्थान।
3. समस्त शाखायें, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

(आर.के. पारीक)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(E-mail- secrajasthan@gmail.com & secraj@rajasthan.gov.in website - secraj.nic.in, Fax 0141-2227072, 2227280)

क्रमांकःएफ.7(1)(1)पंचा / रानिआ / ईवीएम / 09 / 1873 जयपुर, दिनांकः– 21/07/10

आदेश

सांविधिक आदेश संख्या 68 / 10 – राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 47–क के उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार मतदान की समाप्ति के पश्चात पीठासीन अधिकारी नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को ऐसी विधि से मुद्रा बंद करेगा और पृथकतः सुरक्षित करेगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे। अतः उक्त नियम के उपबंधों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग पंचों एवं सरपंचों के निर्वाचन हेतु उपयोग में ली गई नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट (यूनिटों) को मतदान की समाप्ति के पश्चात मुद्रा बंद करने और उन्हे पृथकतः सुरक्षित करने के लिए निम्नांकित निर्देश जारी करता है–

1. पंचों तथा सरपंच के निर्वाचन में अलग–अलग उपयोग में ली गई मतदान यूनिट (यूनिटों) और नियंत्रण यूनिट को वियोजित (Disconnect) किया जावे और नियंत्रण यूनिट का पॉवर स्विच बंद (Off) कर दिया जावे।
2. मतदान यूनिट (यूनिटों) तथा नियंत्रण यूनिट को पुनः उन्हे अपने वहन बक्से (Carring Boxes) में रख दिया जावे।
3. वहन बक्सों की दोनों ओर इस प्रयोजन के लिए बने छिद्रों में धागा डालकर उन वहन बक्सों को मुद्रा बंद कर दिया जावे और इस प्रकार मुद्रा बंद करते समय निर्वाचन तथा मतदान केन्द्र की विशिष्टियां दर्शाने वाले एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी अपनी मुद्रा लगाकर इन्हे चपडी से मुद्रा बंद कर देवे।
4. नियंत्रण यूनिट पर एड्रेस टैग की विशिष्टियां निम्न प्रकार होंगीः– जिले व पंचायत समिति का नाम, पंचायत सर्किल का नाम तथा वार्ड संख्या, नियंत्रण यूनिट का पहचान नंबर, मतदान बूथ का नाम व उसका संख्यांक और मतदान की तारीख।
5. मतदान यूनिट (यूनिटों) पर लगाये जाने वाले एड्रेस टैग की विशिष्टियों में जिले व पंचायत समिति का नाम, पंचायत सर्किल का नाम व वार्ड संख्या, मतदान यूनिट (यूनिटों) का पहचान नंबर, मतदान केन्द्र का नाम व संख्यांक तथा मतदान की तारीख अंकित की जायेगी।
6. वार्ड पंच, या यथास्थिति, सरपंच चुनाव के अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता, जो उपस्थित हों तथा अपनी मुद्रा लगाने के इच्छुक हो, उन्हे भी एड्रेस टैगों पर मुद्रा लगाने की अनुमति दी जावे।

आज्ञा से,

(आर.के.पारीक)
उपसचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ.7(1)(1)पंचा / रानिआ / ईवीएम / 09 / 1874-75 जयपुर, दिनांकः– 21/07/10

प्रतिलिपिः –

1. जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत (कलेक्टर) जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को भी कृपया उपलब्ध करावे।
2. समस्त शाखायें, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

उपसचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

(99)

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

2nd Floor, Development Block, Secretariat, Jaipur- 302005

No. F. 7(1)(17)/Pancha/SEC/09/6708 Dated: 23.12.09

To,

1. All The District Election Officers (Panchayats)
   (Collector)

2. All Returning Officers (Panchayats)

Subject:- Panchayat General Election, 2009- Counting agents- Prohibition against entry of Minister/MP/MLA, or the person with security cover into Counting Centre.

Sir,

Section 134(B)(1) of the Representation of the People Act, 1951 provides that no person, other than the Returning Officer, the Presiding Officer, any Police Officer and any other person appointed to maintain peace and order, at a polling station who is on duty at polling station, shall, on a polling day, go armed with arms, as defined in the Arms Act 1959, of any kind within the neighborhood of a polling station. Provisions of section 134B of the Act of 1951 apply mutatis mutandis in the elections of Panchatyati Raj Institutions also. Movement of persons carrying arms in the Constituency and particularly in the vicinity of the polling station on the date of poll will not only intimidate and overawe the electors, polling staff and the general public but can also lead to violence and law and order problems by misuse or accidental use of such fire arms disturbing seriously the conduct of free, fair and peaceful poll.

2. A tendency has been observed on the part of some candidates to appoint a sitting Minister/M.P/M.L.A as their Election/Polling/Counting Agents. These persons generally have security cover provided to them by the State/Security Agencies. On several occasions in the past, requests had been received by the Returning Officers from the above category of persons that they are willing to relinquish the security cover provided to them in order to enable them to act as Election/Polling/Counting agents. The aspect that a recipient of such security cannot be allowed to deliberately jeopardize his own security which has been provided to him by the State/Security agencies on the basis of threat perception to him should be kept in view by all the Returning Officers/Presiding Officers/Polling Officers at the time of approving the appointments of Election/Polling/Counting Agents.

3. It has been observed that if an MP, MLA or a sitting Minister acts as an agent of a candidate that would not be desirable from the point of view maintaining the level playing field during an election apart from their security being compromised.

4. It has also been observed that a large number of employees of local authorities are deployed on election duty. Therefore, a Chairperson of Municipality/Zila Parishad/ Panchayat Samiti acting as agent for a candidate will be improper and would be contrary to the spirit of level playing field.

5. The State Election Commission, keeping in view all the relevant factors in the regard, has decided that henceforth no sitting Minister either of Union Government or of a State Government, sitting Member of Parliament, sitting Member of Legislative Assembly or Chairperson of Municipal Corporation/Council/ Board or Pramukh of Zila Parishad or Pradhan of Panchayat Samiti or any other person having security cover provided by the State (both Union and State Governments) will be allowed to act as an Election Agent, Polling Agent or Counting Agent of any candidate during an election. Also any person having security cover will not be allowed to surrender his security cover to act as such agent of a candidate during an election.

This may be brought to the notice of all concerned for compliance by the candidates while they appoint such agent to watch their interest during an election.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully

(R.K.Jain)
Secretary,
State Election Commission,
Rajasthan, Jaipur

परिशिष्ठ–1

जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य चुनाव
.... जिला परिषद् निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक .... पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक ....
.... भवन/कमरा की लॉग बुक जिसमें मतगणना आरम्भ होने तक वोटिंग मशीन को रखा गया है

प्रवेश का दिनांक	प्रवेश का समय	प्रवेश करने वाले अधिकारी का नाम व पद	प्रवेश करने का प्रयोजन	अधिकारियों के साथ प्रवेश करने वाले अन्य व्यक्तियों का विवरण	प्रवेश करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर	पुलिस गार्ड के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर	बाहर निकलने का समय	अधिकारी के साथ बाहर निकलने वाले अन्य व्यक्तियों का विवरण	कमरे के अन्दर व्यतीत किया गया कुल समय	बाहर निकलने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर	पुलिस गार्ड के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/ईवीएम/09/6306 जयपुर, दिनांक : 18-12-09

आदेश

सां.आ. संख्या–56/09 राजस्थान पंचायती राज. (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 47–क के उप नियम (2) के उपबन्धों के अनुसार मतदान की समाप्ति के पश्चात् पीठासीन अधिकारी नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को ऐसी विधि से मुद्रा बन्द करेगा और पृथकतः सुरक्षित करेगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे। अतः उक्त नियम के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यो के निर्वाचन हेतु उपयोग में ली गई नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट (यूनिटों) को मतदान की समाप्ति के पश्चात् मुद्रा बंद करने और उन्हें पृथकतः सुरक्षित करने के लिये निम्नांकित निर्देश जारी करता है :–

1. पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन में अलग–अलग उपयोग में ली गई मतदान यूनिट (यूनिटों) और नियंत्रण यूनिट को वियोजित (Disconnect) किया जावे और नियंत्रण यूनिट का पॉवर स्विच बंद (Off) कर दिया जावे।
2. मतदान यूनिट (यूनिटों) तथा नियंत्रण यूनिट को पुनः उन्हें अपने वहन बक्से (Carrying Boxes) में रख दिया जावे।
3. वहन बक्सों की दोनों ओर इस प्रयोजन के लिये बने छिद्रों में धागा डालकर उन वहन बक्सों को मुद्रा बन्द कर दिया जावे और इस प्रकार मुद्रा बन्द करते समय निर्वाचन तथा मतदान केन्द्र की विशिष्टयां दर्शाने वाले एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी अपनी मुद्रा लगाकार इन्हें चपड़ी से मुद्रा बंद कर देवें।
4. नियंत्रण यूनिट पर एड्रेस टैग की विशिष्टयां निम्न प्रकार होंगी :–

   पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम, पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या नियंत्रण यूनिट का पहचान नम्बर, मतदान बूथ का नाम व उसका संख्यांक और मतदान की तारीख।
5. मतदान यूनिट (यूनिटों) पर लगाये जाने वाले एड्रेस टैग की विशिष्टयों में पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम, पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या का नाम, मतदान यूनिट (यूनिटों) का पहचान नम्बर, मतदान केन्द्र का नाम व संख्यांक तथा मतदान की तारीख अंकित की जायेगी।
6. पंचायत समिति सदस्य, या यथास्थिति, जिला परिषद सदस्य चुनाव के अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता, जो उपस्थित हों तथा अपनी मुद्रा लगाने के इच्छुक हों, उन्हें भी एड्रेस टैगों पर मुद्रा लगाने की अनुमति दी जावे।

आज्ञा से,

(आर.. के. जैन)
सचिव

क्रमांकः एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/ईवीएम/09/6307-09 जयपुर, दिनांक : 18-12-09

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज. विभाग, राज., जयपुर।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत (कलेक्टर) राजस्थान को भेजकर निवेदन है कि उक्त ओदश की प्रति समस्त रिटर्निंग अधिकारी को भी कृपया उपलब्ध कारावें।
3. समस्त शाखायें, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

(आर.. के. पारीक)
उप सचिव

D:\SEC on hire (NP)\Panchayat\F7(1)(1)panch EVM 09.doc
Created on 16/12/2009 13:23:00
2

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांक एफ.7(7)(14)पंचा/रानिआ/99/6726 जयपुर दिनांकः 24.12.09

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत) (कलेक्टर)

विषयः पंचायती राज संस्थाओं के लिए आम चुनाव–2010– मतदान केन्द्र एवं मतगणना केन्द्रों पर मोबाईल फोन के उपयोग पर प्रतिबन्ध।

महोदय,

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 22 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 एवं 131 के प्रावधान पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भी लागू होते हैं। उक्त धारा 130 के अनुसार मतदान केन्द्र में और उसके आस पास 100 मीटर की परिधि में मत संयाचना को निषिद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त धारा 131 के अन्तर्गत मतदान केन्द्रों एवं उसके निकट विच्छृंखल आचरण भी निषिद्ध किया गया है।

मतदान केन्द्र में और उसके आस पास मोबाईल फोन/सैलूलर फोन के उपयोग से कानून व्यवस्था के साथ साथ मतदान की व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है एवं धारा 130 एवं 131 के प्रावधानों का उल्लंधन भी हो सकता है।

अतः राज्य निर्वाचन आय़ोग मतदान दिवस को मतदान केन्द्र/बूथ में एवं उसके 100 मीटर परिधि क्षेत्र में सुचारू मतदान की व्यवस्था बनाये रखने हेतु यह निर्देश देता है कि कोई भी व्यक्ति मतदान बूथ में और उसके 100 मीटर परिधि क्षेत्र में मोबाईल फोन/सैलूलर फोन न तो ले जायेगा और न उसका उपयोग करेगा। यदि कोई व्यक्ति मतदान बूथ में और उसके 100 मीटर परिधि क्षेत्र में मोबाईल फोन/सैलूलर फोन ले जाता है तो उसे उस क्षेत्र में तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा अपने पास रख लिया जायेगा जिसे उस व्यक्ति को उस क्षेत्र के बाहर जाने के बाद लौटाया जायेगा।

मतगणना केन्द्रों पर भी मोबाईल/सैलूलर फोन के किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ताओं के द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग करने से मतदान बूथ की व्यवस्था एवं मतगणना कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है और इनके मतदान बूथ के भीतर उपयोग से मतपत्र की गोपनीयता भी समाप्त हो सकती है। अतः राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मोबाईल/सैलूलर फोन के उपयोग को मतगणना केन्द्रों पर भी निषिद्ध किया जाता है।

इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्वाचन डयूटी पर नियुक्त किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट, या पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी या सहायक मतदान अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी या पर्यवेक्षक के द्वारा अपने निर्वाचन कर्त्तव्यों के निर्वहन में मोबाईल फोन/सैलूलर फोन के उपयोग पर प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे लेकिन वे अपना मोबाईल फोन मतदान के दौरान मतदान केन्द्र/मतदान बूथ मे साईलेन्ट (Silent) मोड में रखेगें।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

D:\SEC on hire (NP)\Panchayat\F7(7)(14) Panch 09.doc
Created on 12/24/2009 12:39:00 PM
1

चुनाव अति आवश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांक–प.7(7)(14)रानिआ/पंचु/99/7325 दिनांक : 7.1.2010

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत) (कलक्टर)

विषय :– पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव– पत्रकारों को प्रवेश– मतदान बूथ एवं मतगणना केन्द पर फोटोग्राफी/विडियोग्राफी का निषेद्य।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपने पूर्व आदेश क्रमांक–प.7(7)(14)रानिआ/पंचु/99/6050, दिनांक 26.01.2000 के द्वारा मतदान केन्द्रों एवं मतगणना केन्द्रों पर अधिस्वीकृत पत्रकारों को प्रवेश देने के लिये जिला जनसंपर्क अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर या अन्यथा स्वयं की सन्तुष्टि पर जिला निर्वाचन अधिकारियों को अधिकृत किया गया था।

आयोग के उक्त आदेश के क्रम में अब यह निर्देश दिये जाते हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला जनसम्पर्क अधिकारी की अनुशंषा पर अधिस्वीकृत पत्रकार व अन्य मीडियाकर्मी को स्वयं की संतुष्टि पर मतदान केन्द्रों व मतगणना स्थलों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर सकेगें। प्रवेश पत्र निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगें:–

1. उक्त आदेश में पंचायत मुख्यालय के मतगणना स्थल पर अधिकार पत्र धारित पत्रकारों/फोटोंग्राफरों को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी गई हैं।

2. अधिकार पत्र धारी पत्रकार जब मतदान बूथ के अन्दर जाये तो किसी प्रकार की फोटोग्राफी अथवा विडियोग्राफी नहीं करेंगे और न ही मोबाईल फोन ले जा सकेंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 131 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत मतदान अधिकारी को यह अधिकार है कि वह उक्त निर्देशों की पालना नहीं करने वाले किसी मीडियाकर्मी को मतदान केन्द्र के भवन में प्रवेश नहीं करने दें और भवन से बाहर जाने के लिये निर्देशित कर दे, भले ही ऐसे मीडियाकर्मी के पास प्रवेश हेतु अधिकार पत्र जारी किया हुआ हो।

3. जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना के समय मतगणना कक्ष के भीतर अधिकार पत्र धारी कोई भी पत्रकार/कैमरा टीम को विडियोग्राफी अथवा

फोटोग्राफी करने की अनुमति नहीं दी जाये और न ही उन्हें मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति दी जाये।

4. जिला मुख्यालय पर पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों की मतगणना हेतु बनाये गये मतगणना केन्द्र पर पत्रकारों के लिये एक पृथक कक्ष आरक्षित कर उन्हें वहॉ सभी जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये और जब अधिकार पत्र धारी कोई पत्रकार वास्तविक मतगणना का अवलोकन मतगणना कक्ष में जाकर करना चाहे तो उसे बिना किसी कैमरे या मोबाईल फोन के मतगणना कक्ष में प्रवेश करने दिया जाये लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी ऐसे समय मतगणना कक्ष में उनके साथ रहें ताकि मतों की गोपनीयता एवं मतगणना की व्यवस्था पर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो।

5. मतगणना कक्ष में रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को भी यह अधिकार है कि वह मतों की गोपनीयता बनाये रखने हेतु और मतगणना की सुचारू व्यवस्था हेतु ऐसे किसी भी मीडियाकर्मी को मतगणना कक्ष में प्रवेश होने से रोक देवें जो उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करता हो भले ही उसके पास प्रवेश हेतु अधिकार पत्र जारी किया हुआ हो।

6. मतगणना स्थल पर (पं0स0/जि0प0सदस्य चुनाव हेतु) एक समाचार पत्र के लिए एक पत्रकार एवं एक फोटोग्राफर के लिए ही प्रवेश पत्र जारी किए जायें।

7. प्रवेश पत्र जिन पत्रकारों/मीडिया कर्मियों को जारी किये जाये उनके नामों की अनुशंषा विवरण सहित जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 15.01.2010 तक प्राप्त हो जायें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित को अवगत कराया जाये और अधिस्वीकृत पत्रकारों को मतदान केन्द्र/मतगणना केन्द्र में प्रवेश के लिये अधिकार पत्र जारी करते समय उक्त शर्तों का उल्लेख भी किया जाये।

भवदीय,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/ईवीएम/2014 /9579-80 दिनांकः 18/12/14

1. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)
2. रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी

बारां, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाई माधोपुर, सिरोही एवं टोंक।

विषयः– पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 – जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन – इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के उपयोग के संबंध में निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माह जनवरी–फरवरी, 2010 में कोटा, भरतपुर एवं सीकर जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचनों में मतदान इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से कराया गया था। इस हेतु इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग के संबंध में आयोग द्वारा पत्रांक प. 7(1)(1)ईवीएम/पंचा/रानिआ/09/6577 दिनांक 21.12.2009 के द्वारा दिशा–निर्देश जारी किए गए थे। पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव में आपके जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचनों में मतदान इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से कराया जा रहा है। इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के उपयोग हेतु उक्त पत्रांक 6577 दिनांक 21.12.2009 में अंकित दिशा–निर्देश आगामी पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन में भी यथाशक्व परिवर्तनों के साथ लागू रहेगें। ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच (FLC) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) के इंजीनियर/तकनीशियन की देखरेख में करवाई जाएगी, जिसका कार्यक्रम आपको अलग से भेजा जाएगा। प्रश्नगत आदेश में विभिन्न कार्यो के लिए जहां तिथियों अंकित की गई है, वहां आगामी आम चुनाव के लिए जारी चुनाव कार्यक्रम एवं संबंधित विषय पर जारी आदेश के अनुसार कार्यवाही संपन्न की जावें।

भवदीय,

(सत्यप्रकाश बसवाला) 18/12/14
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/ईवीएम/09/6310 जयपुर, दिनांक : 18-12-09

आदेश

सां.आ. संख्या 55/09 राजस्थान पंचायती राज. (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 33क के अनुसार प्रत्येक इलेक्ट्रोनिक मशीन में एक नियंत्रण यूनिट और एक मतदान यूनिट होगी और वह ऐसी डिजाइन की होगी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाये। अतः राज्य निर्वाचन आयोग उक्त नियम 33क के अनुसरण में एतद्द्वारा भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन के परिकल्प (डिजाईन) का इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से मत डाले जाने और रिकार्ड किये जाने के प्रयोजनार्थ अनुमोदन करता है।

आज्ञा से,

(आर. के. जैन)
सचिव

क्रमांकः एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/ईवीएम/09/6311-6313 जयपुर, दिनांक : 18-12-09

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज. विभाग, राज., जयपुर।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत (कलेक्टर) राजस्थान को भेजकर निवेदन है कि उक्त ओदश की प्रति समस्त रिटर्निंग अधिकारी को भी कृपया उपलब्ध करावें।
3. समस्त शाखायें, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

(आर. के. पारीक)
उप सचिव

D:\SEC on hire (NP)\Panchayat\F7(1)(1)panch EVM 09.doc
Created on 16/12/2009 13:23:00
I

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/ईवीएम/09/6306 जयपुर, दिनांक : 18-12-09

आदेश

सां.आ. संख्या–56/09 राजस्थान पंचायती राज. (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 47–क के उप नियम (2) के उपबन्धों के अनुसार मतदान की समाप्ति के पश्चात् पीठासीन अधिकारी नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को ऐसी विधि से मुद्रा बन्द करेगा और पृथकतः सुरक्षित करेगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे। अतः उक्त नियम के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यो के निर्वाचन हेतु उपयोग में ली गई नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट (यूनिटों) को मतदान की समाप्ति के पश्चात् मुद्रा बंद करने और उन्हें पृथकतः सुरक्षित करने के लिये निम्नांकित निर्देश जारी करता है :–

1. पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन में अलग–अलग उपयोग में ली गई मतदान यूनिट (यूनिटों) और नियंत्रण यूनिट को वियोजित (Disconnect) किया जावे और नियंत्रण यूनिट का पॉवर स्विच बंद (Off) कर दिया जावे।
2. मतदान यूनिट (यूनिटों) तथा नियंत्रण यूनिट को पुनः उन्हें अपने वहन बक्से (Carrying Boxes) में रख दिया जावे।
3. वहन बक्सों की दोनों ओर इस प्रयोजन के लिये बने छिद्रों में धागा डालकर उन वहन बक्सों को मुद्रा बन्द कर दिया जावे और इस प्रकार मुद्रा बन्द करते समय निर्वाचन तथा मतदान केन्द्र की विशिष्टयां दर्शाने वाले एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी अपनी मुद्रा लगाकार इन्हें चपड़ी से मुद्रा बंद कर देवें।
4. नियंत्रण यूनिट पर एड्रेस टैग की विशिष्टयां निम्न प्रकार होंगी :–

   पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम, पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या नियंत्रण यूनिट का पहचान नम्बर, मतदान बूथ का नाम व उसका संख्यांक और मतदान की तारीख।
5. मतदान यूनिट (यूनिटों) पर लगाये जाने वाले एड्रेस टैग की विशिष्टयों में पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम, पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या का नाम, मतदान यूनिट (यूनिटों) का पहचान नम्बर, मतदान केन्द्र का नाम व संख्यांक तथा मतदान की तारीख अंकित की जायेगी।
6. पंचायत समिति सदस्य, या यथास्थिति, जिला परिषद सदस्य चुनाव के अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता, जो उपस्थित हों तथा अपनी मुद्रा लगाने के इच्छुक हों, उन्हें भी एड्रेस टैगों पर मुद्रा लगाने की अनुमति दी जावे।

आज्ञा से,

(आर.. के. जैन)
सचिव

क्रमांकः एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/ईवीएम/09/6307-09 जयपुर, दिनांक : 18-12-09

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज. विभाग, राज., जयपुर।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत (कलेक्टर) राजस्थान को भेजकर निवेदन है कि उक्त ओदश की प्रति समस्त रिटर्निंग अधिकारी को भी कृपया उपलब्ध करावें।
3. समस्त शाखायें, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

(आर.. के. पारीक)
उप सचिव

D:\SEC on hire (NP)\Panchayat\F7(1)(1)panch EVM 09.doc
Created on 16/12/2009 13:23:00
2

(106)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

क्रमांकः एफ.7(1)(1)EVM/पंचा/रानिआ/09/6577 जयपुर, दिनांकः–21.12.2009

प्रेषक :–

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

प्रेषित :–

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर)(पंचायत) राज0 कोटा, भरतपुर एवं सीकर

विषयः– पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2010– इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनो के उपयोग के संबंध में।

महोदय,

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल माह जनवरी–फरवरी, 2010 में पूर्ण हो रहा है और कार्यकाल की समाप्ति तक इनका निर्वाचन कराया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं में कोटा, भरतपुर एवं सीकर जिलों में पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों का निर्वाचन इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनो से कराये जाने का निर्णय किया है तथा पंचो व सरपंचो का निर्वाचन मतपत्र व मतपेटियों के द्वारा ही कराया जायेगा।

(2) राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 33क के अनुसार इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन में एक नियंत्रण यूनिट और एक मतदान यूनिट होगी और वह ऐसी डिजाईन की होगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित की जाये। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने सांविधिक आदेश संख्या 55/09 दिनांक 18.12.09 के द्वारा भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड़, बंगलौर द्वारा बनाई गयी इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के डिजाईन को मत डाले जाने और रिकार्ड किये जाने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया है। राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 के परन्तुक के अनुसरण में ऐसे पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में जहॉ वोटिंग मशीनों का उपयोग आगामी आम चुनाव में किया जायेगा के सम्बन्ध में औपचारिक आदेश पृथक से जारी किये जायेगें।

(3) वोटिंग मशीनों का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं चुनाव में प्रथम बार हो रहा है और फिलहाल केवल आपके जिले में हो रहा है, इसलिए इनकी चैंकिग, तैयारी, उपयोग आदि की सुचारू व्यवस्था सावधानी पूर्वक की जानी आवश्यक है, जिसके विषय में आगे के पैराओं में वर्णन किया गया है जिनके अनुसार कार्यवाही की जाये।

(4) **मशीनों की उपलब्धताः–(i)** उक्त चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग से मशीने उधार ली जा रही है जिन्हें अविलम्ब यथा निर्दिष्ट स्थान से प्राप्त कर लेवे।

(ii) पंचायती राज चुनाव कराने के लिए समय अब अधिक शेष नहीं है और मतदान दलों को प्रशिक्षण भी देना है। अतः जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव हेतु उक्त आवंटित मात्रा में चालू हालत में मशीने प्राप्त कर इनकी चैकिंग आदि का कार्य भी दिनांक 2.1.10 तक सम्पादित कर लिया जाये।

(5) मशीनों की आवश्यकता का ऑकलनः– मशीनों की आवश्यकता का मापदण्ड यह रखा गया है कि पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य प्रत्येक के निर्वाचन के लिए मतदान के उपयोग हेतु प्रति मतदान केन्द्र एक वोटिंग मशीन (नियंत्रण यूनिट एवं बैलेट यूनिट) तथा न्यूनतम 10 प्रतिशत आरक्षित मशीने हों। इसके अलावा मतदान केन्द्रों की संख्या की 10 प्रतिशत मात्रा में मशीने प्रशिक्षण के उपयोग हेतु भी रखी जावे। जिस वार्ड में अभ्यर्थियों की संख्या 16 से अधिक हो जाती है तो तदनुसार बैलेट यूनिटों की संख्या बढानी होगी। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पृथक–पृथक मशीन आरक्षित रखना संभव नहीं होगा, अतः कुल मतदान बूथों की संख्या का लगभग 20 प्रतिशत आरक्षित रख लिया जाये, जो मतदान में किसी मशीन के खराब होने की स्थिति में अभ्यर्थियों/ या उनके अभिकर्ताओं को वहॉ उपस्थित होने के लिये उसी समय दूरभाष पर सूचित करते हुये मतदान बूथ में ही सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तैयार कर और पीठासीन अधिकारी द्वारा दिखावटी मतदान कराकर एवं सीलबंद की कार्यवाही कर उपयोग में लायी जा सके।
(ii) उपरोक्तानुसार जिला परिषद के लिये और पंचायत समितियों के लिये पृथक–पृथक मशीनों की आवश्यकता का आकलन करते हुये कुल संख्या आंकलित कर ली जाये।

(6) रजिस्टर का संधारणः– सभी उपलब्ध वोटिंग मशीनों का इन्द्राज जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक रजिस्टर में किया जावे मशीनों के इन्द्राज में मशीन का यूनीक नम्बर (Unique Machine Number), यानी वह नंबर जो निर्माता फर्म के द्वारा मशीन पर अंकित किया गया है, दर्ज किया जावे। उसी रजिस्टर में बाद की कार्यवाहियों के इन्द्राज यथा चैकिंग तिथि, चैकिंग के बाद सुरक्षित स्टोर में रखने की तिथि, आवंटन का प्रकार यानि प्रशिक्षण हेतु आवंटन अथवा मतदान के उपयोग हेतु आवंटन, किस अधिकारी को एवं किस पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए अथवा जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन के लिये आवंटन किया गया, या मशीन खराब है, आदि का अंकन इस रजिस्टर में किया जाये।

(7) मशीनों की चैकिंगः– (i) समस्त मशीनों की जिला स्तर पर ही चैंकिंग की जानी है। आप अपने जानकार स्टाफ जों कि पिछले लोकसभा/विधानसभा/नगरपालिका चुनावों में इस कार्य में रहा है और जिन्होने प्रशिक्षण का कार्य भी किया है उसका उपयोग इस चैकिंग कार्य में कर सकते है। निर्माता फर्म (BEL) के तकनीशियनों या इंजिनियरों से प्रत्येक मशीन चैक कराने की आवश्यकता नहीं है। निर्माता फर्म के तकनीशियनों/इंजिनियरों का तकनीकी सहयोग मतगणना के दिन और यदि आवश्यक हुआ तो मतदान दिवसों को लिया जायेगा।

(ii) मशीनों की चैकिंग के कार्य के लिए जिला स्तर पर एक जिम्मेदार अधिकारी को प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जावें। मशीनों की चैकिंग जिला मुख्यालय पर ही उक्त प्रभारी अधिकारी की निगरानी में ही कराई जावे।

(iii) मशीनों की चैकिंग में यह विशेष ध्यान रखा जावे कि मशीन के सभी प्रकार के स्विच/बटन चालू हालत में है अथवा नहीं। सभी बटनों अर्थात बैलेट यूनिट के सभी 16 अभ्यर्थियों के बटन, ऑफ–ऑन स्वीच, सैट कंडीडेट बटन, बैलेट बटन, क्लोज बटन, टोटल बटन, रिजल्ट बटन, डिस्पले पैनल, प्रत्येक बटन के साथ बीप की आवाज और जहां मशीन नये मॉडल की (राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा क्रय की हुई) है वहां रियल टाईम क्लॉक को चैक किया जावे।

(iv) चैकिंग के दौरान प्रत्येक मशीन से प्रत्येक अभ्यर्थी के डमी वोट डालकर भी मशीन को चैक किया जावे कि वह पूर्णतः चालू हालत में है या नहीं।

(v) प्रत्येक चैक की हुई नियंत्रण यूनिट एवं बैलेट यूनिट के पीछे एक **सफेद आयताकार स्टीकर** आयताकार स्टीकर चिपकाया जावे जिसमें निर्वाचन का नाम जिले का नाम, चैकिंग की तिथि एवं मशीन के यूनिक नंबर दर्ज किये जावे और प्रभारी अधिकारी (चैंकिग) द्वारा एवं चैकिंग स्टाफ द्वारा उक्त स्टीकर पर चैकिंग के तुरन्त बाद स्टिकर में बताये गये स्थान पर अपने हस्ताक्षर मय तिथि किये जावे।

(vi) चैकिंग के तुरन्त बाद नियंत्रण यूनिट/बैलेट यूनिट के पीछे लगाये जाने वाले **सफेद आयताकार स्टीकर** राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार करा लिए गये है जो आपको अपेक्षित मात्रा में आवंटित किये जा रहे है। कृपया इन्हे **विशेष वाहक भेजकर** राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय से प्राप्त कर लेवें। (नमूना परिशिष्ट–1 पर देखें)

(vii) मशीनों की चैकिंग का कार्य दिनांक 2.01.2010 तक पूर्ण कर लिया जावे।

(8) चैकिंग के बाद मशीनों का भण्डारणः– (i) किसी भी राजनैतिक दल या चुनाव लडने वाले किसी अभ्यर्थी को यह संदेह नहीं रहना चाहिए कि मशीनों में कोई गडबडी तो नहीं कर दी गई हैं। इस प्रयोजन से यह आवश्यक है कि मशीनों की चैकिंग के बाद इन मशीनों को कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति हाथ नहीं लगाये तथा ये सुरक्षित रहे। चैकिंग के बाद ये मशीने बिल्कुल सुरक्षित रही है, यह विश्वास सभी राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को होना चाहिए। इसलिए मशीनों की चैकिंग के बाद आगे आवंटन, वितरण आदि गतिविधियों में भी पारदर्शिता रहनी चाहिये और प्रत्येक गतिविधि की जानकारी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों को होनी चाहिए।

(ii) नियंत्रण यूनिटों एवं बैलेट यूनिटों की जैसे–जैसे चैकिंग होती जावे और उन पर चैकिंग स्टाफ और प्रभारी अधिकारी द्वारा मशीन के पीछे वाले भाग पर **सफेद आयताकार स्टीकर** चिपका कर उस पर चैकिंग के प्रमाणन स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये जाये और उन मशीनों को तुरन्त ही एक सुरक्षित अभिरक्षा वाले कक्ष में रखने की व्यवस्था करें। ऐसी चैक की हुई मशीनों को जिस कक्ष में रखा जावे उसके डबल लॉक रखा जावे। डबल लॉक की एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास तथा दूसरी चाबी किसी अन्य अधिकारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी नामित करे उसके पास रहें।

(iii) उक्त चैक की हुई मशीनों के कक्ष को सील भी किया जावे और इसको खोलने व वापस बन्द करने तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के नाम, पता व तिथि, समय व प्रयोजन दर्शातें हुए एक लॉग बुक भी संधारित की जावे।

(iv) उक्त चैकिंग कार्य जिला स्तर पर ही किया जावे और चैकिंग के बाद इनका भण्डारण भी जिला मुख्यालय पर रखा जावे।

(9) प्रशिक्षण हेतु वोटिंग मशीनों की छंटनीः– (i) प्रत्येक चैक की हुई नियंत्रण यूनिट एवं बैलेट यूनिट के यूनिक नंबर का डेटा बेस जिला स्तर पर तैयार किया जावे। ऐसी चैक की हुई सभी नियंत्रण यूनिटों एवं बैलेट यूनिटों के डेटा बेस से रेन्डम आधार पर जिले में पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन में कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक मात्रा में नियंत्रण यूनिट एवं बैलेट यूनिट की छंटनी कर उन्हे पृथक कर लिया जावे।

(ii) प्रशिक्षण हेतु छंटनी कर अलग की गई इन मशीनों का उपयोग मतदान में नहीं किया जावे। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण के लिए अलग की हुई मशीनों के ऊपर एक गुलाबी रंग का गोल स्टीकर चिपकाया जावे। यह स्टीकर आपको राज्य निर्वाचन आयेाग द्वारा ही आंवटित किये जा रहे है। (नमूना परिशिष्ट–2 पर देखें)

(iii) प्रशिक्षण के लिए छंटनी कर पृथक की गई मशीनों के अग्र भाग पर गुलाबी रंग का स्टीकर लगाया जाना है और उस पर मशीन का यूनीक नंबर अंकित किया जायेगा एवं प्रमाणन स्वरूप जिला निर्वाचन अधिकारी के मनोनीत अधिकारी द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(iv) पंचायत समिति वार प्रशिक्षण हेतु पृथक की गई मशीनों की एक सूची मशीनों के यूनीक नंबर सहित तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय एवं रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शित भी की जायेगी।

(v) उक्त प्रकार से प्रशिक्षण हेतु पृथक की गई मशीने प्रशिक्षण देने वाले अधिकारियों को उसी दिन सुपुर्द कर उनसे हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए जावें।

(vi) प्रशिक्षण हेतु मशीनों की छंटनी का कार्य दिनांक 4.1.2010 तक संपन्न कर लिया जाये।

(10) मतदान के उपयोग हेतु मशीनों का रिटर्निंग अधिकारियों को आवंटनः– (i) प्रशिक्षण हेतु मशीनों को पृथक किये जाने एवं उन्हे प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारियों को दिये जाने के उपरान्त शेष मशीनें रिटर्निंग अधिकारियों को मतदान हेतु सौंपे जाने तक जिला निर्वाचन अधिकारी की कस्टडी में ही रहेंगी।

(ii) निर्वाचन की अधिसूचना प्रकाशित होने से पूर्व यानि दिनांक 6.1.2010 तक मतदान प्रक्रिया के उपयोग हेतु जिला मुख्यालय पर रखी हुई मशीनों (अर्थात प्रशिक्षण हेतु पृथक की गई मशीनों के बाद शेष बची संभी मशीनों) को पंचायत समिति वार रिटर्निंग अधिकारियों/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को आवश्यकतानुसार वितरित की जायेगी। प्रत्येक पंचायत समिति वार नियंत्रण यूनिटों एवं बैलेट यूनिटों का आवंटन जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों का निर्वाचन के लिए रेण्डम आधार पर किया जायेगा। पंचायत समिति वार मशीनों के आवंटन के पश्चात शेष मशीने जिला परिषद् सदस्यों के निर्वाचन में मतदान के उपयोग के लिए रहेगी। इस समय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी लिखित में आमंत्रित किया जाये ताकि वे भी कार्यवाही देख सकें और इस कार्यवाही का विवरण तैयार कर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर रिकार्ड में रखें जायें। रेण्डम आधार से चयन की जो पद्धति अपनाई जावे उसके संबंध में उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को समझाया जाये।

(iii) प्रत्येक पंचायत समिति वार आवंटित नियंत्रण यूनिटों एवं बैलेट यूनिटों की एक सूची यूनीक नंबर दर्शाते हुए तैयार की जायेगी जो जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी। इस सूची को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा, साथ ही मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के

प्रतिनिधियों को इसकी एक प्रति सुपुर्द कर उनके हस्ताक्षर भी प्राप्त किये जायेंगें। इसी प्रकार जिला परिषद् सदस्यों के निर्वाचन के लिए चयनित मशीनों के संबंध में भी कार्यवाही की जायेगी।

(iv) प्रत्येक पंचायत समिति वार या यथा स्थिति जिला परिषद हेतु मशीनों के आवंटन के बाद नियंत्रण यूनिट व बैलेट यूनिट के पीछे के भाग पर लगे सफेद स्टिकर पर पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम अंकित कर जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षर किये जाये।

(v) रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी मतदान में उपयोग हेंतु वोटिंग मशीनों को जिला स्तर पर सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे। जिला मुख्यालय पर इन मशीनों को जहां भण्डारण रखा जावे उस भवन में समुचित सुरक्षा हेतु गार्ड व्यवस्था की जावे तथा उस कक्ष को सीलबन्द भी किया जावे। कक्ष को सीलबन्द करने के कार्यक्रम की लिखित सूचना मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को भी दी जायें, ताकि वे भी कार्यवाही देख सके।

(vi) उक्त सीलबन्द सुरक्षित कक्ष में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करे तथा जब इस सीलबन्द कक्ष को खोला जावे और बन्द किया जावे उसके संबंध में तथा प्रवेश करने वाले अधिकृत व्यक्ति के नाम, पद, तिथि, प्रयोजन आदि की प्रविष्टियों हेतु लॉगबुक भी संधारित की जावे।

(vii) उक्त सीलबन्द कक्ष डबल लॉक में भी होगें जिसकी एक चाबी रिटर्निंग अधिकारी के पास तथा दूसरी चाबी सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रखी जावे।

(viii) पंचायत समिति वार या यथास्थिति जिला परिषद् के लिए मशीनों का आवंटन, रिटर्निंग अधिकारियों/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को मशीनों की प्रदायगी तथा रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा आवंटित मशीनों को प्राप्त कर अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखने तक की कार्यवाही निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पूर्व तक यानि दिनांक 6.1.2010 तक आवश्यक रूप से कर ली जावे क्योंकि इसके पश्चात रिटर्निंग अधिकारी नामांकन प्रक्रिया में व्यस्त हो जायेंगे। उचित तो यह रहेगा कि प्रशिक्षण के लिए मशीनों की छंटनी करने के दिन ही यह कार्य भी कर लिया जाये।

(11) मतदान में उपयोग हेतु वोटिंग मशीनों का पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रवार चयन तथा वोटिंग मशीनों की तैयारीः–

(i) राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियमों के अनुसार अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि को ही अपराहन 3.00 बजे के तुरन्त बाद चुनाव चिन्हो का आवंटन होगा जिसके बाद ही मतपत्रों का मुद्रण संभव हो पायेगा। चुनाव चिन्ह आवंटन की तिथि एवं मतदान की तिथि के मध्य अन्तराल भी कुछ ही दिनो का होता है, ऐसी स्थिति में बैलेट यूनिट पर लगाये जाने वाले मतपत्रों का मुद्रण दो या तीन दिन के भीतर ही करा लेना आवश्यक है। इन मतपत्रों के मुद्रण के बाद ही वोटिंग मशीनों की तैयारी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाना संभव है। अतः उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत मतदान के कम से कम तीन दिन पूर्व की तिथि वोटिंग मशीनों की तैयारी के लिए निश्चित करके रखी जावें।

(ii) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वोटिंग मशीनों की तैयारी करने की तिथि, समय एवं स्थान के बारे में चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों को आवश्यक रूप से पूर्व में ही लिखित नोटिस के द्वारा अवगत करा दिया जावे और उन्हे स्वयं या अपने प्रतिनिधियों को उक्त समय, स्थान व तिथि पर उपस्थित होने के लिए लिखा जावे।

(iii) चूंकि पंचायत समिति/जिला परिषद प्रत्येक में सदस्यों के कई निर्वाचन क्षेत्र होते है अतः प्रत्येक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की मशीनों की तैयारी किस–किस समय की जायेगी इसकी अग्रिम योजना भी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तैयार की जावे और तदनुसार ही निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों को उपस्थित रहने हेतु अवगत कराया जावे।

(iv) मतदान के उपयोग हेतु मशीनों को तैयार करने से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी पंचायत समिति/जिला परिषद के लिए आवंटित मशीनों में प्रत्येक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान बूथों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए रेण्डम पद्धति से निर्वाचन क्षेत्र वार नियंत्रण यूनिट एवं बैलेट यूनिट का चयन करेगा। जैसे–जैसे निर्वाचन क्षेत्र वार मशीने मतदान के उपयोग हेतु तैयार करने की आवश्यकता हो, वैसे–वैसे निर्वाचन क्षेत्र वार रेण्डम आधार पर मशीनों का चयन अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाये।

(v) मतदान के उपयोग हेतु पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों के किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियंत्रण यूनिट व बैलेट यूनिट का चयन करने के तुरन्त उपरान्त उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए मशीने तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये, जिसके लिए सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करें कि मशीन चालू हालत में है या नहीं। इस प्रयोजन से रेण्डम आधार पर कुछ मशीनों का दिखावटी मतदान भी अभ्यर्थियों की उपस्थिति में किया जाये।

(vi) उपरोक्त दिखावटी मतदान के तुरन्त बाद बैलेट यूनिट में मतपत्र को लगाने की प्रक्रिया की जाये। बैलेट यूनिट में लगाये जाने वाले मतपत्र के पीछे रिटर्निंग अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर सील भी लगायेगा। इसके बाद नियंत्रण यूनिट में नई बैटरी लगाने, कण्डीडेट सैट करने, कण्डीडेट सैट खण्ड को सील करने आदि की कार्यवाही स्टेप–बाई–स्टेप रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसी प्रक्रिया से की जाये जैसा कि इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों की अनुदेश निर्देशिका में बताया गया है। तैयार करतें ही बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट के कण्डीडेट खण्ड को रिटर्निंग अधिकारी सील करेगें और उपस्थित अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों से भी अपनी सील लगाने हेतु कहेगें। (देखें नियम–33ख)

(vii) मतपत्र बैलेट यूनिट में लगाते समय ध्यान रखें कि मतपत्र में अभ्यर्थियों के पैनल की लाईनों का एलाइनमेंट बैलेट यूनिट में अभ्यर्थी के लिए रखे स्थान की सीध में हो।

(viii) पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों का निर्वाचन क्षैत्र के लिए मशीनें तैयार करने के बाद उन्हे मतदान बूथों के लिए आवंटित किया जाये तथा निर्वाचन क्षैत्र नम्बर एवं मतदान बूथ संख्या मशीन के पीछे सफेद स्टिकर पर अंकित कर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सफेद स्टीकर पर यथा स्थान, तिथि सहित हस्ताक्षर किये जायें।

(ix) जैसे ही एक निर्वाचन क्षैत्र के लिए मशीने उपरोक्त रीति से तैयार हो जाये उन्हे सुरक्षित अभिरक्षा में रख दिया जाये। मतदान के उपयोग हेतु तैयार की गई मशीनों की अलग अलग सूची उनके यूनीक नंबर व आवंटित मतदान बूथ दर्शाते हुए अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों को तत्समय ही देकर हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये जाये।

(12) **EVM मशीनों के दो सैट एवं पहचान हेतु पृथक रंग के स्टीकर/एड्रेस टैग/मतपत्र –**

(i.) मतदान केन्द्र में दोनों चुनावों के लिए पृथक–पृथक EVM का सैट रखा जायेगा अर्थात पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए पृथक कन्ट्रोल यूनिट व उससे संबंध बैलेट यूनिट होगी और इसी प्रकार जिला परिषद सदस्य के चुनाव लिए पृथक कन्ट्रोल यूनिट व उससे संबंध बैलेट यूनिट होगी।

(ii.) पंचायत समिति सदस्य चुनाव की कन्ट्रोल यूनिट व उससे संबंध बैलेट यूनिट पर नीले (Blue) रंग के एड्रेस टैग होगें तथा जिला परिषद सदस्य के चुनाव की कन्ट्रोल यूनिट व उससे संबंध बैलेट यूनिट पर पीले (Yellow) रंग के एड्रेस टैग होगें।

(iii.) पंचायत समिति सदस्य चुनाव की कन्ट्रोल यूनिट पर सामने नीले रंग का पहचान स्टीकर (साईज 3सेमी X 6सेमी) चिपकाया जायेगा और जिला परिषद सदस्य चुनाव की कन्ट्रोल यूनिट पर सामने पीले रंग का पहचान स्टीकर (3सेमी X 6सेमी) चिपकाया जायेगा। नीले व पीले रंग के पहचान स्टीकर, जैसी भी स्थिति हो कन्ट्रोल यूनिट के ''बैटरी/कंडीडेट सेट'' सेक्शन पर ऊपर की ओर चिपकाया जायेगा ताकि यह स्पष्ट रूप से नजर आये कि कन्ट्रोल यूनिट किस चुनाव के लिए है।

(iv.) उक्त पहचान स्टीकर को कन्ट्रोल यूनिट के बैटरी/कंडीडेट सेट सेक्शन के बाहरी कवर पर चिपकाने में यह सावधानी रखी जाये कि बैटरी/कंडीडेट सेट सेक्शन को खोलने में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हों। 3 सेमी X 6 सेमी के ये स्टीकर रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान के उपयोग हेतु अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मशीने तैयार करने की कार्यवाही के समय लगाये जायेंगे ताकि मशीनें तैयार होने के बाद आगे की गतिविधियों में इनके आपस में मिल जाने की आशंका नहीं रहे।

(v.) दोनों चुनावों के लिए मतपत्र भी अलग–अलग रंग के होंगे अर्थात पंचायत समिति सदस्य चुनाव की बैलेट यूनिट पर लगाये जाने वाले मतपत्र नीले कागज पर होगें और जिला परिषद सदस्य के लिए बैलेट यूनिट पर लगाये जाने वाले मतपत्र पीले कागज पर होंगे।

(vi.) EVM मशीनों की मतदान के उपयोग हेतु तैयारी के समय, पीठासीन अधिकारी के द्वारा मतदान केन्द्र में इन्हे स्थापित करते समय, मतदान के समय, सीलिंग आदि कार्यवाही के समय में आपस में मिक्स होने की किसी प्रकार की संभावना नहीं हो, इसी प्रयोजन से इनके पहचान स्टीकर/एड्रेस टैग/मतपत्रों के रंग में भिन्नता रखी गई है।

(13) **मशीनों की पृथक–पृथक स्थान पर तैयारीः–**

(i) पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव की मशीनें जिला मुख्यालय पर ही अलग–अलग कमरे/हॉल में संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों की देख रेख में तैयार की जाये क्योंकि मतदान दल जिला मुख्यालय से ही रवाना होंगें। जिला परिषद सदस्यों के मामले में मशीनों की तैयारी के लिए एक से अधिक कमरे/हॉल हो सकते है। अतः जिला परिषद् सदस्यों के मतदान में उपयोग के लिए पृथक–पृथक हॉल में मशीने तैयार कराने हेंतु पृथक–पृथक सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को दायित्व सौंपा जावे जिन पर समग्र नियंत्रण रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जावे। जहां आवश्यक हो वहां सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति और कर ली जावे और इस प्रयोजन के लिए भवनों का चयन भी अविलम्ब कर लिया जाये।

(ii) जब रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान के उपयोग हेतु मशीने तैयार की जावे तो सर्वप्रथम संबंधित रंग वाले उपरोक्त पहचान स्टीकर (3सेमी X 6सेमी) प्रत्येक कन्ट्रोल यूनिट पर चिपकाया जावे और इस स्टीकर को चिपकाने के तुरन्त पश्चात कन्ट्रोल यूनिट में अभ्यर्थियों की संख्या को सैट करने, बैटरी सेक्शन को सील करने, एड्रेस टैग लगाने आदि की कार्यवाही की जाये। तैयार की गई कन्ट्रोल यूनिट उनके कैरिंग बक्सों में तत्काल रखी जाये और उसी रंग (नीला या पीला जैसी भी स्थिति हो), के पहचान स्टीकर भी कैरिंग बक्सों पर लगायें जाये ताकि कैरिंग बक्सों की पहचान भी सुनिश्चित हो सके। बैलेट यूनिट पर हालांकि स्टीकर (3सेमी X 6सेमी) नहीं लगेंगे क्योंकि उनमें लगे हुए मतपत्र के रंग से उनकी पहचान हो सकेगी लेकिन इनके कैरिंग बक्सों पर 3सेमी X 6सेमी के पहचान स्टीकर लगाये जायेगें यानि पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए नीला स्टीकर और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए पीला स्टीकर कैरिंग बक्सों पर भी लगेंगे ताकि मतदान कार्मिकों कों मशीनों की प्रदायगी के समय बैलेट यूनिट कैरिंग बक्सों मे बन्द होने पर आपस में मिक्स ना हों।

(14) तैयारशुदा वोटिंग मशीनों की सुरक्षित अभिरक्षाः– (i) उपरोक्त रीति से तैयार की गई वोटिंग मशीनें तथा आरक्षित वोटिंग मशीनें जिला मुख्यालय पर रिटर्निंग अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में डबल लॉक में रहेगी। सुरक्षित अभिरक्षा के कक्ष को सीलबन्द रखा जाये और उस कक्ष के दरवाजे पर अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधी भी चाहें तो सील लगा सकेंगे।

(ii) उक्त स्ट्रॉग रूम को खोलने या बन्द करने और उसमें प्रवेश आदि के संबंध में लॉग बुक संधारित की जाये।

(iii) जब भी उक्त स्ट्रॉग रूम को खोला जाये तो उसकी पूर्व सूचना अभ्यर्थियों को दी जाये।

(15) मतदान दलों को वोटिंग मशीनों का वितरणः–(i) जहां पर उक्त तैयारशुदा वोटिंग मशीने रखी गई है वहां से मतदान कार्मिकों को वोटिंग मशीन वितरण करने का स्थल यदि भिन्न है तो वोटिंग मशीनों के परिवहन का कार्यक्रम पर्यवेक्षक तथा अभ्यर्थियों को पूर्व में अवगत कराया जाये। वोटिंग मशीन के परिवहन में मशीनों की समुचित सुरक्षा की जाये। वितरण स्थल पर भी पर्याप्त सुरक्षा रखी जाये।

(ii) चुंकि जिला परिषद् सदस्यों के मतदान व पंचायत समिति सदस्यों के मतदान के लिए मशीनें अलग–अलग स्ट्रॉग रूम में होगी, अतः मतदान दलों के रवानगी स्थल पर इन्हे पंहुचाने की व्यवस्था इस प्रकार की जाये ताकि मतदान दलों को इन्हे साथ–साथ प्रदाय किया जा सके और ये आपस में मिक्स नही हों। पहचान स्टिकर इन पर लगे हुये होने चाहिए।

(iii) पीठासीन अधिकारियों को जब मशीने वितरित की जाये तब पीठासीन अधिकारियों के प्राप्ति हस्ताक्षर प्राप्त किये जाये। कौनसी मशीन किस मतदान केन्द्र के लिए दी गई है इसका पर्याप्त रिकार्ड रखा जाये।

(iv) पीठासीन अधिकारियों को यह भी बताया जाये कि उन्हे प्रदान की गई मशीन का नंबर वे चैक कर लें कि मशीन का नंबर मशीन के पीछे लगे स्टीकर और ऐड्रेस टैग के अंकन के अनुसार है साथ ही यह भी वे चैक कर लें कि कंट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट उन्हे सही–सही निर्वाचन क्षेत्र की मिली है और सही–सही कैरिंग बक्सें में रखी है, पहचान स्टिकर भी वे चैक कर लें। मतपत्र भी सही–सही है यह भी वे देख लें।

(v) जहां किसी मतदान केन्द्र पर मतदान से पूर्व या मतदान के दौरान कोई मशीन बदली जाये तो उसकी लिखित सूचना अभ्यर्थियों को भी उपलब्ध कराई जाये।

(16) **वोटिंग मशीन से संबंधित रजिस्टर का संधारणः–** (i) संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भी अपने स्तर पर मतदान के उपयोग हेतु प्राप्त सभी मशीनों के विवरण के साथ एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा जिसमें ये समस्त बातें भी होगी कि कौनसी नियंत्रण यूनिट/बैलेंट यूनिट कौनसे निर्वाचन क्षैत्र के किस मतदान बूथ पर उपयोग में आयी है, या कौनसी नियंत्रण यूनिट/बैलेट यूनिट बदली गई है, आदि।

(ii) मतदान के बाद प्राप्त होने वाली मशीनों का विवरण भी उक्त रजिस्टर में अंकित किया जायेगा।

(17) **मतदान पश्चात वोटिंग मशीन की सुरक्षित अभिरक्षाः–**(i) चूंकि मतगणना जिला मुख्यालय पर ही होनी है, अतः मतदान के पश्चात वोटिंग मशीन जिला मुख्यालय पर ही मतगणना स्थल पर पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन की मशीनें संबंधित पंचायत समिति के रिटर्निंग अधिकारी और जिला परिषद् सदस्यों के निर्वाचन की मशीने जिला परिषद के रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी की अलग–अलग सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेगी।

(ii) वोटिंग मशीन के स्ट्रॉग रूम को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सीलबन्द रखा जायेगा। अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी स्ट्रॉग रूम के दरवाजे/खिडकियों पर अपनी सील लगाने की अनुमति दी जायेगी तथा उन्हे यह अनुमति भी दी जायेगी कि वे एक पर्याप्त दूरी से स्ट्रॉग रूम की निगरानी रख सकते है।

(iii) स्ट्रॉंग रूम की सुरक्षा के लिए उपयुक्त स्थानो पर CCTV कैमरे भी स्थापित किये जायेगें।

(iv) स्ट्रॉंग रूम में अग्नि सुरक्षा के उपाय भी रखे जायेंगे।

(v) स्ट्रॉग रूम व मतगणना परिसर में दोहरे स्तर की सुरक्षा व्यवस्था रखी जायेगी।

(vi) मतगणना कक्ष में पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों का निर्वाचन क्षैत्रवार एवं मतदान बूथ वार आवंटित नियंत्रण यूनिट की सूची मतगणना के दौरान नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी।

(vii) जहां पर पुनर्मतदान होगा उस मतदान बूथ पर मूल रूप से मतदान में उपयोग में लाई गई मशीन को भी स्टॉग रूम में ही रखा जायेगा जिस पर साफ–साफ एक टैग **''गणना नहीं करनी है''** अंकित करते हुए उस नियंत्रण यूनिट पर लगाया जायेगा और उसे सीलबन्द ही रखा जायेगा। पुनर्मतदान होने पर नई मशीन पर साफ–साफ टैग **''पुर्नमतदान की वोटिंग मशीन–गणना की जानी है''** अंकित करते हुए लगाया जायेगा। उपरोक्त दोनों प्रकार के टैग रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें।

(18) **मतगणन एवं परिणाम की घोषणा के बाद मशीनों को सीलबंद करनाः–** राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 52 क (1) के अनुसार परिणाम की घोषणा के तुरन्त बाद कंट्रोल यूनिटों को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पुनः सील किया जायेगा तथा रिटर्निंग अधिकारी उपस्थित अभ्यर्थियों को भी यदि वे अपनी सील लगाना चाहे तो, अपनी सील लगाने देगा। ऐसी सीलबंद कन्ट्रोल यूनिटों को उनके वहन बक्सों में रखा जाकर वहन बक्सों पर नियम 52–क सपठित नियम 58 के अनुसार विवरण भी अंकित किया जायेगा।

(19) **ई. वी. एम. संबंधी तैयारी आदि घटनाओं की विडियोग्राफीः–** पारदर्शिता के लिए आवश्यक है कि वोटिंग मशीन की विभिन्न स्तरों पर की गई गतिविधियों यथा वोटिंग मशीन की तैयारी, वोटिंग मशीन की सीलिंग, स्ट्रॉग रूम की सीलिंग, स्ट्रॉग रूम को खोलने आदि प्रक्रियाओं की

विडियोंग्राफी भी की जाये। उक्त विडियोग्राफी का रिकार्ड समुचित रूप से संधारित रखा जावे, जो निर्वाचन रिकार्ड के रूप में संधारित होगा।

(20) **मतगणना के पश्चात मशीनों की सुरक्षित अभिरक्षाः–** मतगणना व परिणाम की घोषणा के पश्चात् राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 53–क के उपनियम (3) के अनुसार मशीनें जिला मुख्यालय पर कोषागार में जिला निर्वाचन अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेगी। पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचनों में निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने की मियाद नियम 80 के अनुसार 30 दिवस निर्धारित है। निर्वाचन याचिका प्रस्तुत होने की स्थिति में निर्वाचन याचिका के निस्तारण के तीन माह की अवधि समाप्त होने तक और अपील हाने की स्थिति में अपील के निस्तारण तक मशीनें सीलबन्द सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेंगी। जिन निर्वाचन क्षैत्रों में कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत नहीं होती है अथवा निर्वाचन संबंधी कोई मामला न्यायालय में नहीं हो वहां निर्वाचन याचिका प्रस्तुत होने की मियाद (30 दिवस) गुजरने के बाद मशीनों को क्लीयर किया जायेगा, अर्थात मशीनों की सील हटायी जायेगी, नियंत्रण यूनिट की सूचना हटायी जायेगी और बैलेट यूनिट में प्रदर्शित मतपत्र को भी हटाया जायेगा। इसके बाद इन मशीनों को इन मशीनों को जिला निर्वाचन अधिकारी के भण्डार में सुरक्षित रखा जायेगा। इस विषय में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियम 52–ख के खण्ड (ख) के अन्तर्गत पृथक से भी ओदश प्रसारित किये जायेंगे।

(21) उक्त कार्यवाही के बाद जो मशीनें निर्वाचन विभाग की है, उन्हे उसी समय निर्वाचन विभाग को लौटा दिया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करे। इससे सभी रिटर्निंग अधिकरियों व अन्य संबंधित अधिकारियों को अवगत करायें। उपरोक्त व्यवस्था समस्त आगामी चुनाव जो वोटिंग मशीनों से कराये जायेगें, वहां भी लागू होगी।

–ह0–
(आर. के. जैन),
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट –1

Name of Election – ZP/PS Member
Name of District
Ballot Unit No.
First Level Check. Date
Date & Sign of checking official
Name Panchayat Samiti/Zila Parishad
Date & Sign. of DEO's representative
Deployment Status:- ZP/PS Const.No.
Polling booth No.
Date & Sign. of RO/ARO.

Name of Election – ZP/PS Member
Name of District
Control Unit No.
First Level Check. Date
Date & Sign of checking official
Name Panchayat Samiti/Zila Parishad
Date & Sign. of DEO's representative
Deployment Status:- ZP/PS Const.No.
Polling booth No.
Date & Sign. of RO/ARO.

परिशिष्ट –2

Panchayat Elections 2010

Training

Ballot Unit No……………..

Sign. of DEO' s Representative.

Panchayat Elections 2010

Training

Control Unit No……………

Sign. of DEO' s Representative.

(107)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014–15/4906 जयपुर, दिनांकः 21.10.2014

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग अपने पूर्व आदेश क्रमांक एफ. 4(1)(6)एम/एसईसी/94/431 दिनांक 24.10.94 को अधिक्रमित करते हुए आदेश प्रदान करता है कि, पंचायत एवं नगरपालिका की निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन होने के पश्चात् उसकी मतदाताओं की बिना फोटो वाली सूचियों की सॉफ्ट कॉपी (सी.डी. में पी.डी.एफ. के रूप में) एवं हार्ड कॉपी (फोटो प्रति के रूप में) अमान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनैतिक दल/एनजीओ/आमजन को उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती हैं। उक्त के आवेदन करने पर उन्हें निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर मतदाता सूचियों की प्रति उपलब्ध करवायी जा सकती है :–

1.	मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी (In Compact Disk) (मतदाताओं की फोटो बिना) (In PDF formate)	–	रू. 100/– प्रति सी.डी.
2.	मतदाता सूची की हार्ड कॉपी (In Photo Copy) (मतदाताओं की फोटो बिना)	–	रू. 2/– प्रति पृष्ठ एक तरफ
3.	मतदाता सूची की हार्ड कॉपी (In Photo Copy) (मतदाताओं की फोटो बिना)	–	रू. 4/– प्रति पृष्ठ दोनों तरफ

ये दरें वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी. सं. 331400619 दिनांक 10.10.2014 द्वारा दी गई सहमति के अनुसार है।

भवदीय,

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 8 , 2014

संख्या प. 4(1) विधि/2/2014.– राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा दिनांक 8 दिसम्बर, 2014 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नांकित अध्यादेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014
(2014 का अध्यादेश संख्यांक 1)

(राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 8 दिसम्बर, 2014 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया)

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए अध्यादेश।

यत:, राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अत: अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 19 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 19 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (त) के पश्चात् और विद्यमान परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(थ) घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता हो:" ;

(ii) विद्यमान स्पष्टीकरण को **स्पष्टीकरण-I** के रूप में पुन:संख्यांकित किया जायेगा; और

(iii) इस प्रकार पुन:संख्यांकित स्पष्टीकरण-I के पश्चात्, निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण-II.- इस धारा के खण्ड (थ) के प्रयोजन के लिए-

(i) "स्वच्छ शौचालय" से तीन दीवारों, एक दरवाजे और छत से घिरी हुई कोई जल-बंध (वाटर सील्ड) शौचालय प्रणाली या व्यवस्था अभिप्रेत है; और

(ii) "परिवार के सदस्य" से ऐसे व्यक्ति का/की पति/पत्नी, बच्चे और ऐसे व्यक्ति के साथ निवास कर रहे उसके माता-पिता अभिप्रेत है।"।

8.12.14

राज्यपाल, राजस्थान।

8.12.14

दीपक माहेश्वरी
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, December 8, 2014

No. F. 4 (1) Vidhi/2/2014.- In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Panchayati Raj (Sanshodhan) Adhyadesh, 2014 (2014 Ka Adhyadesh Sankhyank 1) promulgated by him on the 8th day of December, 2014:-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ORDINANCE, 2014

(Ordinance No. 1 of 2014)

(Made and promulgated by the Governor on the 8th day of December, 2014)

An

Ordinance

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Whereas, the Rajasthan State Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor hereby promulgates in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Ordinance may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2014.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994),-

(i) after the existing clause (p) and before the existing proviso, the following new clause shall be inserted, namely:-

"(q) does not have a functional sanitary toilet in the house and any of his family members defecate in the open:";

(ii) the existing Explanation shall be renumbered as **Explanation-I**; and

(iii) after the Explanation-I so renumbered, the following new Explanation shall be added, namely:-

"Explanation-II.- For the purpose of the clause (q) of this section-

(i) "sanitary toilet" means a water sealed toilet system or setup surrounded by three walls, a door and a roof; and

(ii) "family members" means spouse of such person, children and his parents living with such person.".

Governor of Rajasthan.

Principal Secretary to the Government.

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांकःएफ.4( )संशो/विधि/पंरा/2014/1638 जयपुर, दि0: 23.12.2014

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
जयपुर ।

विषयः–पंचायती राज संस्थाओं में पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 20.12.2014 को जारी राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2014 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–19 में तीन नये खण्ड (द), (ध), (न) जोड़े जाकर इस प्रकार से प्रावधान किया जा चुका हैः–**19. किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताएंः** किसी पंचायती राज संस्था के पंच या, यथास्थिति, सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित होगा यदि ऐसा व्यक्ति– "**(द) जिला परिषद या पंचायत समिति के सदस्य के मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या उसके समकक्ष किसी बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण हो; (ध) किसी अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के सरपंच के मामले में किसी विद्यालय से कक्षा 5 उत्तीर्ण हो; और (न) किसी अनुसूचित क्षेत्र में की पंचायत से भिन्न किसी पंचायत के सरपंच के मामले में किसी विद्यालय से कक्षा 8 उत्तीर्ण हो**" ।

पंचायत
23/12/14

उक्त अध्यादेश की प्रति संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि पंचायत चुनावों में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों से लिये जाने वाले घोषणा पत्र में उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता अर्जन के प्रमाण–पत्र की प्रति भी लिये जाने हेतु आपके स्तर से समस्त ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित करवाया जाना सुनिश्चित करवायें ।

संलग्नःउपरोक्तानुसार ।

(के0एल0 बाडेटिया)
संयुक्त शासन सचिव (विधि)

D.S. 22/12/14

	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	अग्रहायण 29, शनिवार, शाके 1936-दिसम्बर 20, 2014 *Agrahayana 29, Saturday, Saka 1936-December 20, 2014*	

भाग 4 (ख)

राज्यपाल, राजस्थान के अध्यादेश।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 20, 2014

संख्या प. 4(3) विधि/2/2014.-राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 2014 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नांकित अध्यादेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2014

(2014 का अध्यादेश संख्यांक 2)

[राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 2014 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया]

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए अध्यादेश।

यतः, राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**- (1) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 19 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 19 में,-

(i) खण्ड (थ) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ":" के स्थान पर विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान खण्ड (थ) के पश्चात् और विद्यमान परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित नये खण्ड अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

"(द) जिला परिषद् या पंचायत समिति के सदस्य के मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या उसके समकक्ष किसी बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण हो;

(ध) किसी अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के सरपंच के मामले में किसी विद्यालय से कक्षा 5 उत्तीर्ण हो; और

(न) किसी अनुसूचित क्षेत्र में की पंचायत से भिन्न किसी पंचायत के सरपंच के मामले में किसी विद्यालय से कक्षा 8 उत्तीर्ण हो:"; और

(iii) स्पष्टीकरण-II के पश्चात् निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण-III.**- इस धारा के खण्ड (ध) और (न) के प्रयोजन के लिए-

(i) "अनुसूचित क्षेत्र" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में यथा निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है; और

(ii) शब्द "विद्यालय" का वही अर्थ होगा जो उसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 2 के खण्ड (ढ) में दिया गया है।"।

कल्याण सिंह,
राज्यपाल, राजस्थान।

गोवर्धन बाढ़दार,
शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, December 20, 2014

No. F. 4 (3) Vidhi/2/2014.– In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Panchayati Raj (Dviteeya Sanshodhan) Adhyadesh, 2014 (2014 Ka Adhyadesh Sankhyank 2) promulgated by him on the 20th day of December, 2014:-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 2014

(Ordinance No. 2 of 2014)

[Made and promulgated by the Governor on the 20th day of December, 2014]

An
Ordinance
further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Whereas, the Rajasthan State Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that

circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor hereby promulgates in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Ordinance may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Second Amendment) Ordinance, 2014.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994),-

(i) in clause (q), for the existing punctuation mark ":" appearing at the end, the punctuation mark ";" shall be substituted;

(ii) after the clause (q), so amended and before the existing proviso, the following new clauses shall be inserted, namely:-

"(r) in case of a member of a Zila Parishad or a Panchayat Samiti, has not passed secondary school examination of the Board of Secondary Education, Rajasthan or of an equivalent Board;

(s) in case of a Sarpanch of a Panchayat in a Scheduled Area, has not passed class V from a School; and

(t) in case of a Sarpanch of a Panchayat other than in a Scheduled Area, has not passed class VIII from a School:"; and

(iii) after the Explanation-II, the following new Explanation shall be added, namely:-

"**Explanation-III.**- For the purpose of the clauses (s) and (t) of this section-

(i) "Scheduled Area" means the Scheduled Area as referred to in clause (1) of article 244 of the Constitution of India; and

(ii) the word "School" shall have the same meaning as assigned to it in clause (n) of

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ
(PANCHAYATI RAJ)

No.F.4(25)Am/Rule/Ele/Legal/PR/2014/1625 Jaipur, Date :- 18.12.2014

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 102 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) and all other powers enabling it in this behalf, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Election) (Second Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 29.- The existing clause (b) of sub-rule (4) of rule 29 of the Rajasthan Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely :- (105)

"(b) The names of candidates shall be arranged on the ballot papers in the same order as they appear in the list in Form V and NOTA (none of the above) shall be shown after last candidate on the ballot papers."

3. Amendment of rule 47.- The existing clause (iii) of sub-rule (1) of rule 47 of the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"(iii) make up into separate packets,-

(a) the envelops containing Tendered Votes,

(b) the unused ballot papers,

(c) the spoilt ballot papers,

(d) the marked copy of the voters list, and"

4. Amendment of rule 49.- The existing sub-rule (9) of rule 49 of the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"(9) The Returning Officer count all valid votes given to candidates and NOTA (none of the above) and make candidate wise packets of counted ballot papers and also make packet of valid

votes given to NOTA (none of the above) and rejected ballot papers and then all such packets shall be sealed properly."

5. Substitution of rule 33B.- The existing rule 33B of the said rules, shall be substituted by the following, namely :-

"**33B. Preparation of Voting Machine by the Returning Officer.-** Subject to the provisions of rule 39A, the Returning Officer shall,-

(a) fix the ballot paper containing the names and symbols of the contesting candidates and NOTA (none of the above) in the balloting unit and secure that unit with his seal and the seals of such of the contesting candidates present as are desirous of affixing the same;

(b) set the number of contesting candidates and close the candidate and NOTA (none of the above) set section in the control unit and secure it with his seal and the seals of such of the contesting candidates present as are desirous of affixing the same."

6. Substitution of rule 49D.- In rule 49D of the said rules,-

(i) the existing sub-rule (5) shall be substituted by the following, namely :-

"(5) After the Returning Officer is satisfied that a voting machine has, in fact, not been tampered with, he shall have the votes recorded therein counted by pressing the appropriate button marked "Result" provided in the control unit whereby the total votes polled and votes polled for each candidate and NOTA (none of the above) shall be displayed in respect of each such candidate and NOTA (none of the above) on the display panel provided for the purposes in the unit."

(ii) in sub-rule (6),-

(a) for the existing "As the votes polled for each candidate are displayed", the expression "As the votes polled for each candidate and NOTA (none of the above) are displayed" shall be substituted.

(b) the existing clause (a) shall be substituted by the following, namely:-

"(a) the number of such votes recorded separately in respect of each candidate and NOTA (none of the above) in Part-II of Form XIV; "

7. Amendment of rule 52A.- In rule 52A of the said rules,-

(i) the existing sub-rule (1) shall be substituted by the following, namely:-

"(1) After the result of voting recorded in a control unit has been ascertained candidate-wise and to NOTA (none of the above) and entered in Part II of Form XIV and Form VII under rule 49D, the Returning Officer shall re-seal the unit with his seal and the seals of such of the candidates present who may desire to affix their seals thereon so however that the result of voting recorded in the unit is not obliterated and the unit retains the memory of such result."

(ii) after the existing sub-clause (ii) and before the existing sub-clause (iii) of clause (a) of sub-rule (3), the following new sub-clause (ii-a) shall be inserted, namely:-

"(ii-a) the number of valid votes given to NOTA (none of the above),"

8. Amendment of rule 59.- In rule 59 of the said rules,-

(i) the existing clause (b) of sub-rule (12) shall be substituted by the following, namely:-

"(b) The names of candidates shall be typed or legibly written on ballot papers in the same order as they appear in the list of contesting candidates and NOTA (none of the above) shall be shown after last candidate on the ballot papers."

(ii) the existing clause (c) of sub-rule (13) shall be substituted by the following, namely:-

"(c) The ballot paper shall be duly authenticated by the seal and signature of the Returning Officer. The names of the candidates shall be arranged on the ballot paper in the same order in which they appear in the list of contesting candidates and NOTA (none of the above) shall be shown after last candidate on the ballot papers. If two or more candidates bear the same name this shall be distinguished by addition of their father's or husband's name, as the case may be, or in such other manner as the Returning Officer may deem fit."

(iii) the existing clause (e) of sub-rule (13) shall be substituted by the following, namely:-

"(e) Every member wishing to vote shall place a cross-mark on the ballot paper against the name of the candidate whom he wants to vote or NOTA (none of the above) in case he wishes to exercise the option of not voting for any candidate in the fray, by means of the instrument supplied for the purpose by the Returning Officer."

9. Substitution of Form V.- The existing Form V appended to the said rules, shall be substituted by the following, namely :-

"FORM V

(See Rule 29)

List of validly nominated candidate whose nominations papers have been accepted and have not been withdrawn

ELECTION TO THE WARD/PANCHAYAT/CONSTITUENCY OF P.S./Z.P. OF ....

Date of Election..

S. No. of the Ward/Panchayat/ Constituecy of PS/ZP.	S.No. and name of the candidate with address	In case of member for PS/ZP, party affiliation, if any	Distinctive symbol allotted
1	2	3	4

Date ....
Place ....

Signature of the Returning Officer"

10. Substitution of Form VII-A.- The existing Form VII-A appended to the said rules, shall be substituted by the following, namely :-

"FORM VII A

(See rule 59, 61, 62)

Declaration of the result of election for Pradhan//Up-Pradhan/Pramukh/Up-Pramukh/Panchayat Samiti/Zila Parishad.

Date of Election..

S.No.	Name of candidate	(Party affiliation) As indicated in the Nomination Form	Number of votes polled

Total Votes ....
Total Number of valid votes polled ....
Total Number of rejected votes ....
Total Number of tendered votes ....
Total Number of valid votes given to NOTA (none of the above) ....

In pursuance of the provision contained in the Rajasthan Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, I declare that

.... (Name)
.... (Address)

has been duly elected to fill the office of Pradhan/Up-Pradhan/Pramukh/Up-Pramukh of .... Panchayat Samiti/ Zila Parishad.

Date ....
Place ....

Returning Officer

"

By Order and in the name of the Governor,

(Kishan Lal Badetiya)
Deputy Secretary to Government

Copy to:-

1. SA to Minister Panchayati Raj., Rajasthan, Jaipur.
2. PS to Pr. Secretary, Rural Development & Panchayati Raj Jaipur.
3. PS to Secy. cum Commissioner, Panchayati Raj., Jaipur.
4. Secretary, State Election Commission, Jaipur.
5. All Collectors.
6. Superintendent, Government Press, Jaipur to publish the notification in part 4 (C)(G.S.I.R) Sub. Div. I of the Rajasthan Extraordinary Gazette.
7. Guard file.

Dy. secretary to Government.

(111)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ
(PANCHAYATI RAJ)

No.F.4(25)Am/Rule/Elc/Legal/PR/2014/**1531** Jaipur, Date **12-11-2014**

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 102 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) and all other powers enabling it in this behalf, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Panchayati Raj(Election) Rules, 1994, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Election) (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 40.- The existing sub-rule (1) of rule 40 of the Rajasthan Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely :-

"(1) An elector shall on, receiving the ballot paper issued to him, forthwith proceed to one of the polling compartments, there make a mark on the face of the ballot paper with the instrument supplied for the purpose on the symbol or the name of the candidate or in the column against the name and symbol printed in the space earmarked for the candidate for whom he intends to vote or NOTA (none of the above) in case he wishes to exercise the option of not voting for any candidate in the fray and then fold the ballot paper thus marked so as to conceal his vote and put the ballot paper so folded into the ballot box which shall be placed within the view of the Returning Officer or the Polling Officer."

3. Deletion of rule 43.- The existing rule 43 of the said rules shall be deleted.

4. Amendment of rule 50.- The existing clause (ii) of sub-rule (1) of rule 50 of the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"(ii) If it bears marking for more than one candidate or a candidate and NOTA (none of the above),"

5. Amendment of rule 52.- The existing clause (c) of sub-rule (1) of rule 52 of the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"(c) prepare and certify a return in form VII setting forth therein:-

(i) the names and addresses of the candidates who have been declared under sub-rule (2) of rule 29 to have been elected unopposed;

(ii) the names and addresses of the candidates for whom valid votes have been cast;

(iii) the number of valid votes cast for each candidate;

(iv) the number of valid votes given to NOTA (none of the above);

(v) the number of votes rejected as invalid; and

(vi) the result of the lot, if any, drawn under rule 51."

6. Amendment of rule 36A.- The existing clause (b) of sub-rule (3) of rule 36A of the said rules, shall be substituted by the following, namely :-

"(b) record his vote by pressing the button on the balloting unit against the name and symbol of the candidate for whom he intends to vote or NOTA (none of the above) in case he wishes to exercise the option of not voting for any of the candidate in the fray."

7. Substitution of rule 39A.- The existing rule 39A of the said rules shall be substituted by the following, namely :-

"**39A. Form of ballot paper.-** (1) Every ballot paper shall be in such form as may be prescribed by the State Election Commission.

(2) The name of the candidates shall be shown on ballot paper in the same manner and arranged in the same order in which they appear in the list of contesting candidates and NOTA (none of the above) shall also be shown on ballot paper.
(3) The particulars on the ballot paper shall be in Hindi in Devngari script.

(4) The symbol allotted to the candidates shall be shown alongside the name of the candidate on the ballot paper and symbol fixed for NOTA (none of the above) shall also be shown alongside the NOTA (none of the above) on the ballot paper.

(5) The space allotted to each candidate and for NOTA (none of the above) on the ballot paper shall have the same dimensions.

(6) If two or more candidates bear the same name, they shall be distinguished by the addition of their occupation or residences or in some other manner."

8. Deletion of rule 43A.- The existing rule 43A of the said rules shall be deleted.

9. Amendment of rule 44A.- The existing clause (b) of sub-rule (3) of rule 44A of the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"(b) record there his vote on the ballot paper by placing a cross mark 'X' with the instrument or article supplied for the purpose on the symbol or the name of the candidate or in the column against the name and symbol printed in the space earmarked for the candidate for whom he intends to vote or NOTA (none of the above) in case he wishes to exercise the option of not voting for any of the candidate in the fray."

10. Amendment of rule 59.- The existing clause (e) of sub-rule (13) of rule 59 of the said rules, shall be substituted by the following, namely :-

"(e) Every member wishing to vote shall place a cross-mark 'X' on the ballot paper against the name of the candidate whom he wants to vote or NOTA (none of the above) in case he wishes to exercise the option of not voting for any candidate in the fray by means of the instrument supplied for the purpose by the Returning Officer."

11. Substitution of Form I.- The existing Form I appended to the said rules, shall be substituted by the following, namely :-

"FORM - I

[See rules 13(2)]

Application for inclusion of name in electoral roll

To

The Electoral Registration Officer

.... Panchayat Samiti.

SPACE FOR PASTING ONE RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH (3.5 CM X 3.5 CM) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITHIN THIS BOX

Sir.

I request that my name be included in the electoral roll for the ward no. ----------------- of panchayat circle -------------------------- Particulars in support of my claim for inclusion in the electoral roll are given below:

I. Applicant's details	Name		Surname (if any)
Age as on 1st January .... (write year)	Years:	Months:	
Date of birth, if known:	Day:	Month:	Year:
Sex* (male/female/others):			

Father's/ Mother's/ Husband's Name (Strike out the inappropriate alternative)	Name	Surname (if any)

II. Particulars of place of present ordinary Residence (Full address)	
House/ Door number:	
Street/ Area/Locality/ Mohalla/Road:	
Town/ Village:	
Tehsil:	Panchayat Samiti:

To be filled by Electoral Registration Officer of the constituency

The application of Shri/Smt./Km .... for inclusion of name in the electoral roll in Form-I has been accepted*/rejected*.

Detailed reason for acceptance or rejection [under sub-rule (3) rule 14] ....
....
....

Place: Date	Signature of Electoral Registration Officer (Seal of the Electoral Registration Officer)

[This page should be thick enough so that it does not get mutilated /damaged in postal transit]

Intimation of action taken **(Section-II of the page is to be filled by Electoral Registration Officer of the constituency and to be posted to the applicant on the address as given by the applicant in Section-I)**

---First Fold---

Section-I

Applicant name & postal address-	Postage Stamp to be affixed by the Electoral Registration Authority at the time of dispatch

---Second Fold--

Section-II

The application in Form-I of inclusion name in voter list -

(a) accepted and the name of Shri/Shrimati/Kumari .... has been registered at serial number .... in Ward No. .... of Panchayat Circle. ....

(b) rejected for the reason ....

Place ....

Electoral Registration Officer

Date ....

(Address)................................

--(Perforation for detachment)---

District:		Pin Code:						
Mobile (if any) :	E-mail (if any) :							
Name of Assembly constituency	Part no. of Assembly constituency							

III. Details of member(s) of applicant's family already included in the current electoral roll of the Constituency:

Sr. No.	Name	Relationship with applicant	Serial No. of Voter List

*If Kinner/sex changer do not want to mention their gender as male/female, then they write their gender as others.

Please enclose a passport size photograph with the application form.

IV. Declaration

I hereby declare that to the best of my knowledge and belief: -

(i) I am a citizen of India;
(ii) I am ordinarily resident at the address given in para II above since ……….(date, month, year);
(iii) I am eligible for the registration of state assembly voter list related above ward constituency;
(iv) I have not applied for the inclusion of my name in the electoral roll for any other panchayat circle constituency;
(v) *My name has not already been included in the electoral roll for this ward or any other ward in panchayat circle constituency;

or

*My name may have been included in the electoral roll for ward no. ____________ serial number in voter list _____________ in which I was ordinarily resident earlier at the address mentioned above and if so, I request that the same may be deleted from that electoral roll.

Place:
Date: Signature or thumb impression of the applicant

Note- Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under section 18-A of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Details of action taken on Application

Remarks of Field Level Officers (e.g Investigation Officer, Designated Officer, Supervisory Officer)

(To be filled in by the applicant)

Receipt for application

Received the application in Form-I of Shri/Shrimati/Kumari..

Address..

Date...............

Signature of the officer receiving the application on behalf of the Electoral Registration Officer

(Address) ....

---

* Strike out the inappropriate alternative."

12. Substitution of Form II.- The existing Form II appended to the said rules, shall be substituted by the following, namely :-

"FORM II

[See rule 13(3)]

Application for objecting inclusion of name in electoral roll

To

The Electoral Registration Officer,

.... Panchayat Samiti.

Sir,

I object to the proposed inclusion of the name of the under mentioned person in the electoral roll for the ward no. ..... of .... panchayat circle.

I. Details of person inclusion of whose name is objected to:	Name	Mother's/Father's/Husband's Name
	Ward No. :	Serial Number of Voter list :
II. Details of objector	Name	Mother's/Father's/Husband's Name
Sex* (Male/Female/Other)	Ward No. :	Serial Number of Voter list :
Particulars of place of ordinary residence		

House/ Door number:			
Street/ Area/Locality/Mohalla/Road:			
Town/ Village:			
Post Office:		Pin Code:	
Tehsil:	Panchayat Samiti	Mobile no. (if any) :	
District:		E-mail . (if any) :	

III. Reason(s) for objection:

*If Kinner/sex changer do not want to mention their gender as male/female, then they write their gender as others.

IV. Declaration

I hereby declare that the facts and particulars mentioned above are true to the best of my knowledge and belief.

Place:

Date: Signature or thumb impression of the applicant

Note- Any person who makes a statement which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under section 18-A of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Details of action taken on Application

Remarks of Field Level Officers (e.g Investigation Officer, Designated Officer, Supervisory Officer)
To be filled by Electoral Registration Officer of the constituency

The application of Shri/Smt./Km. .... objecting to inclusion of name of Shri/Smt./Km... in the electoral roll in Form II has been accepted*/rejected*.

Detailed reasons for *acceptance /*rejection [under sub-rule (3) of rule 14] ....

....

Place:
Date:

Signature & Seal of
Electoral Registration Officer

[This page should be thick enough so that it does not get mutilated /damaged in postal transit]

Intimation of action taken **(Section-II of the page is to be filled by Electoral Registration Officer of the constituency and to be posted to the applicant on the address as given by the applicant in Section-I)**

--First Fold--

Section-I

Applicant name & postal address-	Postage Stamp to be affixed by the Electoral Registration Authority at the time of dispatch

--Second Fold--

Section-II

The application receipt from Sh./Smt./Km. .... Form-II objection of inclusion name in voter list -

(a) accepted and the name of Sh./Smt./Km from voter list of ward no. .... of panchayat circle .... has been deleted.

(b) rejected for the reason ....

Place ....

Electoral Registration Officer.

Date ....

(Address)..

--(Perforation for detachment)--

(To be filled in by the applicant)

Receipt for application

Received the application in Form II of Shri/Shrimati/Kumari..

Address...

Date..............

Signature of the officer receiving the application on behalf of the Electoral Registration Officer

(Address) ....

---

* Strike out the inappropriate alternative."

13. Substitution of Form III.- The existing Form III appended to the said rules, shall be substituted by the following, namely :-

"**FORM III**

[See rule 13(4)]

Application for correction to particulars entered in electoral roll

To

The Electoral Registration Officer,

.... Panchayat Samiti.

SPACE FOR PASTING ONE RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH (3.5 CM X 3.5 CM) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITHIN THIS BOX

Sir,

I request that entry relating to myself appearing in the electoral roll at serial number .... of ward no. .... of panchayat circle .... is not correct and it should be corrected. Correct particulars in support of my request are given below:

I. **Applicant's details**	Name			Surname (if any)
Age as on 1st January	Years:	Months:		
Date of birth, if known:	Day:	Month:		Year:
Sex* (male/female/others):				
Father's/		Name		Surname (if any)

To be filled by Electoral Registration Officer of the constituency

(i) The application of Shri/Smt./Km .... for correction to particulars entered in electoral roll in Form III has been accepted*/rejected*.

(ii) Detailed reason for acceptance/rejection [under sub-rule (3) of rule 14] ....

....

Place: Date	Signature of Electoral Registration Officer (Seal of the Electoral Registration Officer)

[This page should be thick enough so that it does not get mutilated /damaged in postal transit]

Intimation of action taken (Section-II of the page is to be filled by Electoral Registration Officer of the constituency and to be posted to the applicant on the address as given by the applicant in Section-I)

--First Fold--

Section-I

Applicant name & postal address-	Postage Stamp to be affixed by the Electoral Registration Authority at the time of dispatch

--Second Fold--

Section-II

The application in Form-III has been –

(a) accepted and the entry at serial number ....of Ward No...of Panchayat Circle....................... has been modified accordingly.

(b) rejected for the reason...

Mother's/ Name Husband's (Strike out the inappropriate alternative)		

II. Particulars of place of present ordinary Residence (Full address)
House/ Door number:
Street/ Area/Locality/Mohalla/Road:
Town/ Village:

Tehsil	Pin Code:						

Panchayat Samiti :
District:

Mobile no. (if any)	E-mail (if any) :
Name of the Assembly Constituency:	Part no. of the Assembly Constituency:

III. Details of entries to be corrected: My name / Age/Father's/Mother's/Husband's name/Sex/Address may be corrected in terms of information provided in this Form above. (Strike out the inappropriate alternative)
Place: Date: Signature or thumb impression of the elector

Note: Any person who makes a statement which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under section 18-A of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

*If Kinner/sex changer do not want to mention their gender as male/female, then they write their gender as others.

Please enclose a passport size photograph if correction to be made in photo.

Details of action taken on Application

Remarks of Field Level Officers (e.g Investigation Officer, Designated Officer, Supervisory Officer)

(ii) Total numbers supplied — 2. ....
(iii) Number of paper seals used — 3. ....
(iv) Number of unused paper seals returned to Returning Officer [Deduct item (iii) from item (ii)] — 4. ....
(v) Serial number of damaged paper Seal, if any — 5. ....

Date ....
Place ....

Signature of Presiding Officer
Polling Booth No. ....

PART- II
Result of Counting

S. No.	Name of Candidate	No. of votes recorded
1.	**2.**	**3.**
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
.... and so on		
	(NOTA) None of the Above*	
Total		

Whether the total numbers of vote shown above tallies with the total number of votes shown against the item number 4 of Part I or any discrepancy noticed between the two totals.

Place ....
Date ....

Signature of Counting Supervisor

Name of candidate / election agent/ counting agent	Full Signature
1.	
2.	

14. Substitution of Form VII.- The existing Form VII appended to the said rules, shall be substituted by the following, namely :-

"FORM VII

(See rule 52, 59, 60, 61)

Return showing the results of election for the office of Panch/Sarpanch/Member of Panchyat Samiti/Member of Zila Parishad.

Panch/Sarpanch/Member of Panchayat Samiti/Member of Zila Parishad.

Panchayat/Panchayat Samiti/Zila Parishad .... Total Electorate .... Panchayat Samiti ....
District .... Date of election ....

No. of Ward/ Panchayat/ Constituency of Panchayat Samiti/Zila Parishad with total number electorate. Details of reservation, if any.	Name of the candidates declared unopposed under rule 29(2) (Name of Political Party for Zila Parishad/ Panchayat Samiti member only)	Name of the candidates for whom valid votes have been cast. (Name of Political Party for Zila Parishad/Panchayat Samiti member only)	Particular of the candidates mentioned in columns (2) and (3)						No. of valid votes cast for each candidate	No. of rejected votes	Result of lot if any under rule 51	Remarks
1	2	3	4						5	6	7	8
			(a) Address	(b) Caste (mention S.C. or S.T. or O.B.C.	(c) Educational standard whether illiterate below middle/ matric/ Graduate.	(d) Age in years	(e) Occupation	(f) Whether held office of Panch of Sarpanch previously				
		1. .... 2. .... and so on NOTA (none of the above)										

Date.......................

Electoral Registration Officer.

(Address)..

....

....Perforation for detachment..

(To be filled in by the applicant)

Receipt for application

Received the application in Form 3 of Shri/Shrimati/Kumari...

Address...

Date...............

Signature of the officer receiving the application on behalf of the Electoral Registration Officer

(Address) ....

---

* Strike out the inappropriate alternative."

3.
4.
5.
6.
7.
8.

....

....

Signature of Returning Officer"

By Order and in the name of the Governor,

(Kishan Lal Badetiya)

Deputy Secretary to Government

Copy to:-

1. Secretary, State ElectionCommission, Rajasthan, Jaipur.
2. SA to Minister Panchayati Raj., Rajasthan, Jaipur.
3. PS to Pr. Secretary, Rural Development & Panchayati Raj Jaipur.
4. PS to Secy. cum Commissioner, Panchayati Raj., Jaipur.
5. Suprintendent, Government Press, Jaipur to publish the notification in part 4 (C)(G.S.I.R) Sub. Div. I of the Rajasthan Extraordinary Gazette.
6. Guard file.

Dy. secretary to Government.

15. Substitution of Form XIV.- The existing Form XIV appended to the said rules, shall be substituted by the following, namely :-

"FORM - XIV

[See Rule 47C and 49D (6)]

PART-I

Account of Votes Recorded

Election to the Zila Parishad/Panchayat Samiti/Panchayat Circle............................

from Constituency/Ward No. ....

No. and Name of Polling Booth.......................... ....

Identification No. of Voting Machine used at the Polling Station

Control Unit ....

Balloting Unit..

1. Total number of electors assigned to the Polling Booth.
2. Total number of voters entered in the Register of Voters (Form XII).
3. Number of voters not allowed to vote under rule 36A, or 38A or 40A.
4. Total number of votes recorded as per voting machine.
5. Whether the total number of votes as shown against item 4 tallies with the total number of voters as shown against item 2 minus number of voters as against item 3 (2-3) or any discrepancy noticed.
6. Number of voters to whom tendered ballot papers were issued under rule 44A.
7. Number of tendered ballot papers.

	S. No. From	to
(a) received for use		
(b) issued to electors		
(c) not used and returned		

Signature of the Presiding Officer

8. Account of papers seals

Sl. Nos.

From To Signature of candidates/ polling agents.

(i) Serial Numbers of paper seals supplied 1 ....

From..to................................

I hereby declare that the following candidate/candidates has/have been elected as Panch/from the wards specified against each/as Sarpanch of the above Panchayat/as member of Panchayat Samiti/Zila Parishad from Constituency No..............................

1	2	3	4	5	6	7
S. No.	Name of Office (Panch or Sarpanch) Member Panchayat Samiti/Zila Parishad	Name and address of the elected candidate	Sex	Caste	S. No. of Ward/ Constituency	Remarks
		1. .... 2. .... and so on NOTA (none of the above)				

Date ....

Place ....

Returning Officer"

(112)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःप.1(32)रानिआ/लेखा/बजट/2014–15/9738 दिनांक : 24.12.14

आदेश

पंचायत आम चुनाव 2015 में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की प्रथम स्तरीय जाँच (FLC) एवं तैयारी हेतु इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन कन्ट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट के लिए राशि रू. 15/– (अक्षरे राशि रू. पन्द्रह मात्र) प्रति युनिट (प्रति कन्ट्रोल यूनिट जाँच हेतु राशि रू. 7.50/– एवं प्रति बैलेट यूनिट जाँच हेतु राशि रू. 7.50/–) पारिश्रमिक के रूप में भुगतान करने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव कार्य हेतु जिला निर्वाचन कार्यालयों को आवंटित इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के लिए ही लागू होगी।

उपरोक्त राशि का व्यय पंचायत चुनाव की संबंधित बजट मद 2515–00–800–(01)–{02}–28 विविध व्यय में उपलब्ध बजट से किया जा सकेगा। व्यय की गई राशि के लिए पृथक से रिकार्ड संधारित किया जावे। **जिला निर्वाचन अधिकारी प्रस्तावित व्यय को करने से पूर्व संबंधित नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया की पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करावें।**

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी. संख्या 331400757 दिनांक 22.12.2014 के अनुसरण में जारी की गई है।

(सत्य प्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

(113)

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

(2nd Floor, Vikas Khand, Secretariat, Jaipur – 302005)
Website: www.secraj.nic.in email: secraj@rajasthan.gov.in

No.F.1(21)SEC/Acctt/2014/3261 Dated: 12-08-2014

Order

Sub:- **Honorarium/Remuneration to officers/officials for preparation and revision of Municipal/Panchayat Electoral Rolls-2014-2015.**

The State Election Commission has sanctioned the rates of Honorarium/ Remuneration to be paid to the following categories of officers/officials connected with the preparation and revision (Intensive Nature) of Municipal / Panchayat Electoral Rolls-2014-2015 as per details shown against each:

S.No.	Categoy of Officer/Officials	Rates
1.	Enumerators (Part Time)	@ 90 paisa per entry
2.	Designated Officers	Rs. 35/- per working day (max. 2days)
3.	Electoral Registration Officers	Rs. 600 (lumpsum)
4.	Assistant Electoral Registration officers (each ERO will be allotted more than one constituency)	Rs. 500 (lumpsum)
5.	Staff (Election staff only)	Rs. 300 each (lumpsum)
6.	Class IV (Election staff only)	Rs. 200 each (lumpsum)
7.	District Election Officers	Rs. 1000 (lumpsum)
8.	Dy. District Election Officers	Rs. 800 (lumpsum)

Note:- **Expenditure on Ball Pen, Refills & Carbons by enumerators will be borne by themselves.**

The expenditure on this account will be debited to the concerned Municipal/Panchayat Election budget head.

The sanction bears the concurrence of Finance (Exp. V) Department vide their I.D. No. 331400253 dated 25.4.2014.

-sd-
(Satya Prakash Baswala)
Chief Electoral Officer &Secretary
State Election Commission,
Rajasthan, Jaipur

(114)

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

(2nd Floor, Vikas Khand, Secretariat, Jaipur – 302005)

Website: www.rajsec.rajasthan.gov.in, email: secraj@rajasthan.gov.in/secrajasthan@gmail.com

No.F1(23)(2)SEC/Acctts/2014/2655 Dated: 24-06-2014

ORDER

Sub. :- Procedure for settlement of hire and detention charges of the motor vehicles requisitioned for Municipal/Panchayat Election and Supply arrangements of P.O.L. for vehicles.

In order to ensure prompt settlement of the hire and detention charges of motor vehicles requisitioned for the conduct of elections and to simplify the procedure for arrangements of P.O.L. for the motor vehicles in each district, the State Election Commission is issuing the following instructions in super session of all previous instructions issued in this regard :-

PART – I

RATES OF HIRE AND DETENTION CHARGES OF PRIVATE VEHICLES/RSRTC BUSES

1. Hire and detention charges in respect of vehicles belonging to private owners/RSRTC buses will be paid at the following rates :

S.No.	Type of Vehicle	For Panchayat/Municipal Election	
		Petrol/Diesal	Rate per day (Amount in Rs.)
1	2	3	4
1.	Contract Carriage Buses	**3 Km per liter**	**2275/-**
2.	Stage Carriage Buses (including RSRTC Buses)	**3 Km per liter**	**1675/-**
3.	Stage Carriage Mini Buses	**3 Km per liter**	**1000/-**
4.	Taxi (Indica, Jeep, Ambassador, etc.)	**Actual dip measurement system**	**800/-**
5.	Auto Ricshaw	**25 Km per liter**	**250/-**
6.	Contract Carriage Mini Buses (New)	**6 Km per liter**	**1300/-**
7.	Taxi (Dezire, ETIOS, Indigo etc.)	**10 Km per liter**	**1000/-**
8.	Taxi Innova	**10 Km per liter**	**1200/-**
9.	Maxi cab (Bolero, Commandor & others)	**10 Km per liter**	**1000/-**
10.	Tata Magic/Mahindra Maximo	**16 Km per liter**	**500/-**
11.	Tractor with Trolly	**Actual dip measurement system**	**350/-**
12.	Full Body/Half Body Truck	**3 Km per liter**	**900/-**
13.	Mobil Oil at the rate of one liter be allowed for every 250 kilometer or part thereof for the Buses Full Body/Half Body Truck and Tractor with Trolly in Category 1, 2, 3, 6, 11 & 12. Similarly one liter mobile oil be allowed every 800 kilometer for car/ taxi at category 4, 7, 8, 9 & 10		
14.	In case of sending requisite vehicles to other District Rs. 150/- will be paid as night haultage charges to vehicle Driver/Khalasi		

2. In respect of vehicles which go out of order during election duty payment will be deducted as under:-

S.No.	Deduction Rates in Rs. (Per hour)	S.No.	Deduction Rates in Rs. (Per hour)
1	2	1	2
1.	80/-	8.	28/-
2.	60/-	9.	28/-
3.	32/-	10.	20/-
4.	20/-	11.	14/-
5.	10/-	12.	32/-
6.	40/-		
7.	28/-		

Deductions should not exceed per day rate of Hire & Detention Charges.

PART – II

PAYMENT OF HIRE AND DETENTION CHARGES OF THE PRIVATE VEHICLES

1. District Election Officers will make payment of hire and detention charges of the private vehicles in cash on the day the vehicles are released from election duty. Sufficient amount required for making payment of such hire charges will be drawn in advance through the A.C. Bills.
2. Record of each vehicle requisitioned for election duty shall be maintained in the vehicle register in form 'A'.
3. A separate **log-sheet-cum-hire bill** will be given to the officer-in-charges of the vehicles after completion of Part-I by the District Election Officer (in form 'B' of vehicle Log-sheet-cum-hire charges) while allotting the vehicle for polling duty.
4. The Officer-in-charge of the vehicle (Presiding Officer or any other officer) will make respective entries in Part-II of the log sheet during the period the vehicle remains under his charge. At the time of handing over of the vehicle to the District Election Officer at the close of the Election Duty the officer-in-charge will hand over the log-sheet completing all the respective entries and duly attesting the same.
5. The District Election Officer will complete Part-III of the log-sheet in respect of the amount of hire charges payable to the vehicle and the deductions in respect of the P.O.L. balance calculated in the manner as mentioned in para 10 of Part-II.
6. The vehicles requisitioned, not used but kept in reserve will be paid hiring charges at the rates mentioned in para I of Part-I.
7. The Hire and Detention charges of the vehicles used by the polling parties should not ordinarily be paid by for more than Three days for Municipal Election and 6 days for Panchayat Election. Requisition order to the Vehicle Owners may be served well in advance asking them to report for duty on a particular date as per requirement for the movement of Polling Parties and should be released soon after the arrival of the Parties from Polling Duty. In such cases, where the District Election Officer considers necessary, may, however, allow to use the Vehicle for Four Days for Municipal Election and seven days for Panchayat Election. No Vehicle for more than Four/Seven Days should be used by the District Election Officer without prior approval of the **Secretary, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur**. The vehicles detained by a DEO and asked to report to another district for Polling Duty, may however be used for four/seven days.
8. As far as possible Govt. vehicles should be provided to Zonal Magistrate/Sector Magistrate/Area Magistrate. In case Govt. vehicles are not available private vehicles may be provided for maximum limit of as per State Election Commission guideline.
9. The vehicles requisitioned for transportation of ballot boxes, Electronic Voting Machines, polling articles, furniture and other articles in connection with election should be paid for actual days these remain on election duty irrespective of dates.
10. Calculation of P.O.L. remaining in balance at the close of the elections will not be required. P.O.L. balance at the end will be calculated on the basis of total P.O.L. supplied to the vehicles and total consumption calculated as para 1 of Part-I.
11. All payments to be made within a month. No claim will be entertain after a month.
12. Cost of excess supply will be recovered from the hiring charges bills. In case of the vehicle whose milometer is in order total run will be determined on the basis of the first and last milometer reading. In case of vehicles whose milometers are not in working order, run will be calculated on the basis of the distance of destination covered by them. At the time of surrender of vehicles by the Officer-in-charges, the District Election Officer (Collector) will ensure that the log-sheet are complete in all respect. Net amount payable to the vehicle owner after deductions, will be checked and pass order will be recorded by the Officer authorised by the District Election Officer (Collector). The log-sheet so passed will then become bill of the vehicle. Payment will be made in cash on the basis of this bill from the cash counter to the owner of vehicle. In case owner is not present, payment will be made to the driver or any other person on the basis of authority of the owner of vehicle. If authority is not given then payment will be made to driver after obtaining following undertaking.

    "Received payment Rs.. of the hire charges of the vehicle No.................. on behalf of the owner, I declare that I am authorized to receive hire charges of the vehicle on behalf of the owner. In case of any dispute regarding payment of the hire charges, I shall indemnify the State Government to that extent.

Signature ....
Name ....
Address ....
....
License No. ....
....

PART – III
GENERAL – IMPORTANT DIRECTION

1. The Hire charges in respect of the vehicles of the central and its Autonomous statutory bodies and public sector undertaking under the control of the Central Government will not be paid by the State Election Commission as per direction of Government of India vide their No. G27031(6)87-B&A dated 17.12.87 (Ministry of Law & Justice). However, Petrol, Diesel and Mobil-Oil will be supplied to such vehicles at the cost of the State Government and expenditure of minor repair will also be borne by the State Government of such vehicles during the period of requisitioning T.A. & D.A. of Drivers will be paid out of election budget. These directions will also be applicable for vehicles of State Government & its Autonomous Corporations (except RSRTC buses), Local Bodies etc.

2. These rates of hire charges shown from Part-I to Part-II are exclusive of P.O.L. but inclusive of pay and allowances of drivers etc. T.A. & D.A. of the drivers accompanying these vehicle will be paid by the respective vehicle owners.

3. No hiring charges in respect of vehicles of District pool and other Government vehicles used in connection with Panchayat & Municipal Election will be paid. However, their P.O.L. expenses for the election period and also the expenditure on account of minor repairs to the extent of Rs. 2500/- (Rupees Two Thousand Five Hundred only) per vehicle of District pool and Rs. 1000/- (Rupees One Thousand only) per vehicles for other Government vehicle shall be debitable to concerning election head of account.

4. The District Election Officers (Collectors) shall draw sufficient funds on A..C. Bills for making payment of the hiring charges.

5. The expenditure on this account will be debitable to concerning head of panchayat/municipal election.

6. D.C. Bills will be rendered by the District Election Officers to the Accountant General, Rajasthan, Jaipur within one month after making complete entries in the vehicle register so that the complete record is available of hire charges paid by the district offices.

7. For the vehicles of RSRTC requisitioned for poll Duty, hire charges will be paid at the rates mentioned in part 1 as applicable.

8. Payment of Hire Charges and POL of the Vehicles requisitioned for the Police Department

    1. **For Panchayat Election:-** The Payment of the hire charges and POL of the vehicles requisitioned for the Police Department for maintenance of law and order duty will be made by respective District Election Officers (Collectors) at the rates mentioned above.

    2. **For Municipal Election-** Hire Charges and POL Charges will be paid by the Police Department.

The rates of hire charges are as per concurrence the Finance Department (Exp.-V) vide their I.D. No. **331400286** dated **20.05.2014** .

(Ashok Kumar Jain)
Chief Electoral Officer & Secretary
State Election Commission,
Rajasthan, Jaipur

(115)

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

(2nd Floor, Vikas Khand, Secreratiat, Jaipur - 302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Website - rajsec.rajasthan.gov.in)

No. F.1(20)(2)SEC/Acctt/O.R./2014-15/3747 Date: 03-09-2014

OFFICE ORDER

The State Election Commission has sanctioned the rates for making outright payments and incurring expenditure up to the extent noted against each item subject to the Budget provision in each case as under:-

S.No.	Nature of Sanction	Extent of power	For Panchayat & Municipal Election (Rs.)
1.	Sanction for making outright payment of **Rs. 105/- (Rupees One Hundred Five only)** for per polling station to Presiding Officer/Patwari or any other officer to whom D.E.O. (Collector) may think fit for hiring or otherwise charges for the election articles for which no account will be required to be rendered. The simple utilisation certificate of the concerned Presiding Officer/Patwari or any other officer will be sufficient.	**Lighting Arrangments at Polling Booth**	83.00
		Buckets & Lotas	15.00
		Locks	7.00
		Total Rs.	**105.00**
Note:-	**Since some of the items could be available with the District Election Stores, it is necessary to break-up the amount for issuing the articles or the amount in full or part, as the case may be.**		
2.	Sanction for making outright payment of- (1) **Rs. 10/- (Rupees Ten only)** to each polling officer (excluding class IV servant). (2) **Rs. 17/- (Rupees Seventeen only)** on account for the cost of Refill, match box, Blade and Ball Pen, one for Presiding Officer and other for the use of Voters for signatures etc. (3) **Rs.17/- (Rupees Seventeen only)** for R.O. (Panchayat) on account for checking of nomination of Panch & Sarpanch, to make the list of candidates	**Each Polling Officer (excluding Class IV servants)**	10.00
		Each Presiding Officer	17.00
		Each R.O. (Panchayat)	17.00
		Total Rs.	**44.00**
3.	Sanction for making outright payment @ **22/- (Rupees Twenty Two Only)** per Polling Station to, Presiding Officer/Patwari or any other officer to whom DEO (Collector) may think fit for hiring or otherwise, charges of Bamboos for which no account will be required to be rendered. The simple utilization certificate of the concerned Presiding Officer/Patwari will be sufficient.	**Each Polling Station**	**22.00**
4.	Sanction for incurring expenditure for (1) Providing Water to the Polling Parties and (2) Providing essential first aid medicines.	**Providing water to the Polling Parties.**	45.00
		Providing essential First Aid Medicines	33.00
		Total Rs.	**78.00**
5.	Sanction for making outright payment of **Rs. 45/- (Rupees Fourty Five Only)** to be given to each	**Presiding Officer per**	**45.00**

	Prisiding Officer per Polling Station to meet unforeseen expenses for which no account will be rendered.	**Polling Station**	
6.	Sanction for incurring expenses @ **Rs.600/- (Rupees Six Hundred Only)** for erecting each temporary Polling Structure, if necessary.	**For erecting each temporary Polling structure.**	**600.00**
7.	Sanction for incurring exp. @ **Rs.300/- (Rupees Three Hundred Only)** for setup of voter assistance booth in the building having more than 2 Polling Booths.	**For Voter assistance booth at Polling Station**	**300.00**
8.	Providing drinking water to voters during poll, sanction for making outright payment **per polling station building** (i.e. where one or more polling booth situated) to any officer whom DEO may think fit for arrangements. The simple utilization certificate of the concerned officer will be sufficient.	**Providing water to electors at polling stations (per polling building)**	**500.00**
9.	Sanction for incurring expenses for providing temporary ramps where polling booths are notified & permanent ramps could not be provided as per direction of Election Commission of India & decision of Hon'ble Supreme Court. The smiple utilization certificate of the concerned officer will be sufficient.	**For Temporary ramps per building (Under conditions)**	**Rs. 1000.00 maximum**
10.	Sanction for incurring expenses for providing temporary arrangements for shade in the polling stations where there is no arrangement of shade.	**For polling station where there is no arrangement of shade.**	**Rs. 500.00 Max. per polling station**
11.	Refreshment for the officials (Employed & deployed) who are detained in odd hours. In State Election Commission (Head Quarter) Raj. Jaipur	**For Lunch/ refreshment**	**Upto Rs. 40.00 per officer/official.**
12.	Refreshment to trainers appointed to impart training to Polling Personnels, Counting Personnels, Sector Officers, Magistrates.	**For refreshment**	**Upto Rs. 40.00 per trainer**
13.	Refreshment/lunch/dinner for the officers/officials appointed by District Election Officer for postal ballot paper facility centre at polling party training centres at district level in IInd & IIIrd training.	**For lunch /refreshment**	**Upto Rs. 150/- per officer/officials**
14.	Refreshment/lunch/dinner for the officials who are detained in odd hours at polling material distribution and collection centers on the day of departure & arrival of polling parties.	**For lunch/ refreshment**	**Upto Rs. 150/- per officer/official**
15.	Sanction for incurring expenditure on account of hire charges of tents, furniture, electricity articles etc. required for election purposes on hire.	**Office of the Chief Electoral Officer & Secretary, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur and concerning District Election Officers (Collectors) should take necessary action as per Rajasthan Transparency in Public Procurement Rule, 2013 subject to the condition that the hire charges should not exceed the actual cost of the goods and the ceiling directed by the State Election Commissioner**.	
16.	Refreshment for the officer/officials who are engaged in First Level Checking (FLC) EVMs & preparation of EVMs.	**Upto Rs. 40.00 per officer/official.**	

17. Purchase Committees at State Level and District Level are hereby constituted subject to the following conditions:-

Purchase will be made as per the procedure laid down in Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, if time is short by issuing short term tender notice, Rule 43(10). If short term tender could not be invited by lack of time, purchase may be made under rule 17 (the reasons of which shall be recorded in the writing) through the committee constituted rule 3 as under :-

HEAD OFFICE PURCHASECOMMITTEE

Dy Secretary, State Election Commission
Chief Accounts Officer, State Election Commission
Asstt. Secretary, State Election Commission

<u>DISTRICT LEVEL PURCHASE COMMITTEE</u>

Dy. District Election Officer
Treasury Officer of the District
An Officer nominated by the District Election Officer (Collector)

The Committees constituted as above (Item No.17) shall start functioning from the date of Public Notice of General Election and shall cease to function after declaration of Result of Election.

The expenditure is debitable to concerning Municipal Board/Council/Corporation/ Panchayat Election Head.

This bears concurrence of the Finance (Exp.-V) Department vide their I.D. No. 331400367 dated 10.06.2014.

(Satya Prakash Baswala)
Chief Electoral Officer & Secretary,
State Election Commission, Rajasthan

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

(2nd Floor, Vikas Khand, Secreratiat, Jaipur - 302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Website - rajsec.rajasthan.gov.in)

No. F.1(27)SEC/Acctt/2014-15/3697 Date: 02-09-2014

From:

Chief Electoral Officer & Secretary,
State Election Commission, Rajasthan.

To:

All District Election Officers,
(Collectors) (Municipal/Panchayat)

Subject:- **Regarding payment of Honorarium to officers deputed for imparting training to staff deployed for conducting Municipal/Panchayat General Elections, 2014-2015.**

On the subject cited above **the payment of Honorarium to Officers deputed for imparting training to staff deployed for conducting Municipal/Panchayat General Election, 2014-15 will be made @ Rs.200/- (Rupees Two Hundred Only) per session per Training subject to maximum of Rs. 1,000/- (Rupees One Thousand only) per Trainer during Municipal/Panchayat General Elections, 2014-15**.

The expenditure on this account will be debited to the concerned Municipal/Panchayat Budget Head.

This bears concurrence of the Finance (Exp.-V) Department vide their I.D. No. 331400540 dated 27.08.2014.

(Satya Prakash Baswala)
Chief Electoral Officer & Secretary,
State Election Commission, Rajasthan

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

(2nd Floor, Vikas Khand, Secretariat, Jaipur – 302005)

No.F1(22)(3)SEC/Accounts/2014-15/4460 Dated : 02-10-2014

ORDER

In Super session of the office order No. 8026 dated 18-1-2010, 5222 dated 15.11.2010 and 1625 dated 22.6.2012. In order to simplify the Procedure of payment of T.A. claims of the staff engaged **in the course of Elections of Municipalities & Panchayats including the Police, Home Guard and Forest Guard personnel (Except Law & Order)** deputed in election duty during the Election days, the State Election Commission has prescribed the Flat rates of T.A. and lay down the following procedure:-

1. The terms which are not given special meaning in these rules shall have the meaning assigned to them in Rajasthan Travelling Allowance Rules, 1971 as amended from time to time.
2. **T.A. Claims** of all employees will be drawn and disbursed by the District Election Officer of the district in which a person is engaged for election duty. The expenditure will be debited to the concerned election (Municipal/Panchayat) budget head.
3. **Daily Allowance:-** To the staff engaged in polling/counting duty including reserve parties will be paid for attending training classes, collecting polling material, journey undertaken for attending duty on the Polling/Counting Days at the following rates:-

S.No.	Name of Post	Daily Allowance per day or part thereof
1.	Sector Officer/Area/Zonal Magistrate	Rs. 255/- Per Day
2.	Returning Officer (Panchayat)	Rs. 225/- Per Day
3.	Presiding Officer	Rs. 225/- Per Day
4.	Polling Officer	Rs. 195/- Per Day
5.	Asstt. Polling Officer (Class-IV)	Rs. 105/- Per Day
6.	Counting Supervisor	Rs. 225/- Per Day
7.	Counting Assistant	Rs. 195/- Per Day
8.	Police Personnel (attach with Polling Party/Zonal Magistrate)	Rs. 165/- Per Day
9.	Other Staff (As per Class-IV)	Rs. 105/- Per Day

Note:- (i) The above rates are fixed as per the post hold in election duty. Hotel Charges will not be admissible to such employees for Polling/Counting Duty.

(ii) All employees, who attends the training classes, are entitled for DA.

(iii) The above rates will be admissible to the Polling/Counting personnel from the reporting time fixed by the District Election Officer or any officer authorized by him.

(iv) During **Municipal/Panchayat** Election Mahila Anganbari Karyakarta deployed by the District Election Officer (Collector)/ Returning Officer on Polling Station for the help of Polling Party on Poll Day will be covered under Class IV category i.e. **DA @ 105/-**

per day or part thereof and light refreshment/Packed lunch will be admissible to them as Polling Parties.

4. Travelling Allowance:-

The TA will be admissible to Rajasthan Government Employees as under:-

(a) Government servants whose place of posting is within a radios of 15 kilometers of a reporting center will not be entitled to incidental charges and mileage allowances. For this purpose, the limits of a center in case of town or city extents upto the Municipal Limits of the town or city.

(b) An employee engaged on polling/counting duty beyond a radios of 15 kms. from his headquarters will be paid TA except halting allowance as on tour in accordance with the provisions contained in Rajasthan T.A. Rules 1971.

(c) Government servants whose headquarters are not connected by rail or bus and they are required to cover the distance by cycle, or on foot or any other conveyance for more than 15 kms. will get @ Rs. 1/- per kilometer Journey undertaken.

5. **Payment after duly verified by the Officer-in-Charge.** Payment of TA and DA will be made by the District Election Officer concerned out of election budget after scrutinizing the TA bills. The District Election Officer will maintain a separate register (same as per polling staff) in respect of the Police Personnel deputed for election duty in the district. He will make necessary entries in the register as soon as TA bills are received duly verified by Officer-in-Charge. **TA & DA will not be admissible to the Police Personnel deployed for the Law & Order.**

6. **Payment of TA & DA to the staff engaged on election duty other than the members of polling/counting parties:-** TA claims of such persons will be drawn and disbursed by the District Election Officer on the normal TA bill forms according to Rajasthan TA Rules.

7. **Light refreshment to the polling parties:-** A cash payment or packed lunch @ **Rs.150/- (One hundred fifty only)** per head per poll day shall be made to the polling parties including police personnel deployed on election work on Poll Day including Home Guards/Forest Guards/Gram Rakshak Dal/ NCC (Senior) Cadets/Ex army/C.P.F./BLO/Polling Booth Assistant etc. deployed on Election Work. It may however be clarified that the payment would be made to the staff deployed for the actual poll day only. **The payment of light refreshment is not admissible to such police personnel deployed on law & order duty. The expenditure will be made by the district election officer concerned out of election budget. The returning Officer shall maintain proper account of expenditure incurred in respect of light refreshment provided to polling staff.**

8. **Light refreshment to the Counting Staff:-** The counting staff including Police Personnel, engaged on counting duty will be provided cash or packed lunch or light refreshment @ **Rs.150/- (One Hundred Fifty only)** per head at all counting centers (Municipal, Panchayat Samiti and Zila Parishad Election). It may however be, clarified that the facility of Packed Lunch/Light Refreshment would be provided to the staff actually deployed in counting centers on counting day**. The payment of light refreshment is not admissible to such police personnel deployed for Law & Order at counting center.** The Returning Officer will maintain proper account of expenditure incurred in respect of light refreshment provided to counting staff.

9. Procedure for preparation of TA bills of the members of polling parties, scrutiny and payment of their claims:-

(i) On the last day of training schedule each polling personnel will submit a T.A. bill in single copy in a form (Appended) to these instructions to an officer authorized by the concerned Collector after completing entries of part I and II. The Authorized officer will verify the attendance shown in the T.A. from regarding attendance for training.

(ii) District Election Officer will cause to make entries in Part III, total number of days admissible for payment as per Rule 3 for poll duty. A copy of the T.A. bills and other claims will be retained in the office by District Election Officer for audit and a statement of the T.A. bills and other claims may be prepared in duplicate and one copy of this statement will be sent to the A.G. Rajasthan, Jaipur with the D.C. bill and another may be kept in record with the District Election Officer.

(iii) District Election Officer will cause to conduct scrutiny of T.A. and other claims including the fare for return journey to head quarters after release from election duty. at the rates charged for the incoming journey.

(iv) The District Election Officer will calculate total amount of T.A. and other claims admissible to a poling party on the basis of above statement. The amount equal to the amount so calculated will be given to the concerned presiding officer as an advance at the time of issue of polling material or thereafter before the last day of poll.

(v) The presiding officer will render an account of T.A. and other claims advance with the receipted copies of T.A. and other claim bills at the time of depositing the polling material and before he is relieved from Election Duty.

(vi) The District Election Officer shall draw sufficient amount on A.C. bill to meet the requirement for payment of T.A. and other claims to the polling staff by the way of an advance to presiding officer and render consolidated account in the form of D.C. bill to the Accountant General of Rajasthan within the prescribed period. The presiding officer will make payment of the T.A. and other claims to each member in the party immediately on arrival to District Headquarters at the time of relieving from election duty including his own T.A. and obtain proper receipt of each member on the concerned T.A. bill.

10. These Instructions will also apply to the Police Personnel, (except Law & Order) Home Guards, Forest Guards, SPO(s) etc. attached with poling party/Sector Officer/Zonal Magistrate/Area Magistrate on Election Duty during the polling days. Their TA Claims will be paid by the District Election Officer concerned out of the Election Budget.

11. **Maintenance of T.A. and other claims Register by the District Election Officer.-** The District Election Officer will maintain a register in the form appended in respect of the polling parties including Police Personnel deputed for the Election Duty in the District. He will make necessary entries in this register with the fixed days of halts of polling duty as soon as the T.A. bills are received in the Election Office from the members of the polling party on the last day of training, duly verified by the officer-in-charge, the same should be posted in the register.

12. **The above instructions will apply to all categories of polling personnel, i.e. employees of State Government, Central Government, Local and Autonomous Bodies, Corporations, Government or Semi Government under takings and Non-Government Institutions, Universities etc.**

This bears the concurrence of Finance Department (Expenditure-V) vide their I.D. No. 331400273 dated 01-07-2014 (Rates of DA) and 331400367 dated 10.06.2014 (Rates of Refreshment).

(Satya Prakash Baswala)
Chief Electoral Officer & Secretary
State Election Commission,
Rajasthan, Jaipur

PART – I

T.A. BILL FOR MEMBERS OF POLLING PARTY
(General Details)

Name, Designation and Department ....

Basic Pay .... Polling Party No. ....

Position in polling party :-

R.O Panchayat /Presiding Officer / Polling Officer / Class IV ....

Headquarter ....

Distance from District Headquarter .... Kilometers ....

PART – II

T.A. UPTO THE STAGE OF REPORTING FOR POLL DUTY TO BE COMPLETED BY CLAIMANT

Departure			Arrival			Mode of travel	Halt			Purpose of Journey
Place	Date	Time	Place	Date	Time		Days	D.A.	Fare	
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.						Total				

Verified

Officer-in-Charge

Signature of Claimant

PART – III

(T.A. for poll duty halting allowance and return journey to be completed by Election Officer)

Halt days of poll duty halting allowance Rs. ....

Return journey fare (at coming journey rate) Rs. ....

Add amount of Part II (a) halting allowance Rs. ....
(b) fare

Total T.A. Claims Rs. ....

Add Amount for light refreshment ………………………………

Total ------------------------------------

Amount in words ....

Checked Signature of Accountant/ Jr. Accountant	Authorized for payment Signature of Officer-in-charge Accounts

DISBURSEMENT

Certified that the claimant has remained in camp for full poll duty

payment attested. received payment

Signature (Name of the Presiding Officer)

Party No. .... Signature of the Claimant

Note:- Deduction will be made by Presiding Officer for any absence from poll duty and a note be recorded on this sheet.

T.A. BILL REGISTER OF POLLING STAFF

S.No.	Name of Official	Designation and Department	Place of Posting	Polling Party No.
1	2	3	4	5

R.O (Panchayat)/ Presiding/ Polling Officer/Class IV	Training attended on the date	Fare up to report for poll duty	Training Duty Halt days	Poll duty halt days
6	7	8	9	10

Halting allowance Total	Return Journey fare	Total amount (Col. 8, 11 & 12)	Remarks	Signature of Officer In charge
11	12	13	14	15

OTHER CLAIM REGISTER OF POLLING STAFF

S.No.	Total No. of Polling Parties	Total No. of Polling Staff Deployed		
		R.O. (Panchayat)/ Presiding Officer	Polling Officer	Class IV
1	2	3	4	5

Total	Total of Refreshment	Total Amount Incurred	signature of D.E.O	Remarks
6	7	8	9	10

Note :- The above entries must be attested by the officer-in-charge Election.

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/9541 दिनांक :– 18.12.2014

आदेश

सां.आ. 104/2014– राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 58, के उपनियम (5) के साथ पठित नियम 35 के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार मतदान मशीनों द्वारा मतों को दिया जाना और अभिलिखित किया जाना किसी भी पंचायती राज संस्था में अंगीकृत किया जा सकेगा, जिनमें राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें। अतः राज्य निर्वाचन आयोग समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त नियम 35 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बारां, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाई माधोपुर, सिरोही एवं टोंक जिलों की जिला परिषद सदस्यों एवं समस्त पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जहाँ माह जनवरी–फरवरी, 2015 में होने वाले निर्वाचन में मत, मतदान मशीनों द्वारा निर्धारित रीति से दिये जायेंगे और रिकार्ड किये जायेंगे।

आज्ञा से,

ह0/–
(सत्यप्रकाश बसवाला)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

(119)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 9897 दिनांक :– 26.12.14

<u>आदेश</u>

सां.आ. 106 / 2014– राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 29 (4) के उपबन्धों के अनुसार पंच एवं सरपंच के चुनाव हेतु मतपत्र की डिजाईन निर्धारित करने के लिए Statuary Order No. F.1(2)(1)NP_PE/S.O./SEC/14/ **9490** Jaipur, Dated **17-12-2014** (S.O. No. 99 /2014) जारी किया गया था, उक्त सांविधिक आदेश के बिन्दु संख्या 1 के उपबिन्दु संख्या C and D को निम्नानुसार पढ़ा जावे –

c) "Name of Panchayat" on the Ballot Paper of Sarpanch on the right hand side.

d) "Name of Panchayat" and "Ward No." on right hand side on the Ballot Paper of Punch one below the other.

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश बसवाला)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर